


(A Government of India Enterprise)



CONTENTS

| | • | |
|----|---|---------|
| 1. | निदेशक मण्डल | 03 |
| 2. | Board of Directors अध्यक्ष का अभिभाषण | 06-11 |
| | Chairman's Address | |
| 3. | निदेशकों की रिपोर्ट | 18-53 |
| | Directors' Report | |
| 4. | प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट | 54-59 |
| | Management Discussion and Analysis Report | |
| 5. | कार्पोरेट शासन संबंधी रिपोर्ट | 60-113 |
| • | Report on Corporate Governance | 111177 |
| 6. | एकल वित्तीय विवरण Standalone Financial Statements | 114-177 |
| | | |
| | i) ਰੁਕਾਰ ਧੁਕ Balance Sheet | |
| | ii) लाभ एवं हानि लेखा | |
| | Statement of Profit and Loss | |
| | iii) नगदी प्रवाह | |
| | Cash Flow | |
| | iv) लेखों के नोट्स | |
| | Notes to Accounts | |
| | v) स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | |
| | Independent Auditors' Report | |
| | vi) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी | |
| 7 | Comments of Comptroller & Auditor General of India समेकित वित्तीय विवरण | 178-251 |
| 7. | Consolidated Financial Statements | 170-231 |
| | i) समेकित तुलन पत्र | |
| | Consolidated Balance Sheet | |
| | ii) समेकित लाभ एवं हानि लेखा | |
| | Consolidated Statement of Profit and Loss | |
| | iii) समेकित नगदी प्रवाह | |
| | Consolidated Cash Flow | |
| | iv) समेकित लेखों के नोट्स | |
| | Consolidated Notes to Accounts | |
| | v) समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | |
| | Independent Auditors' Report on Consolidated Financial Statements | |
| | vi) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी Comments by Comptroller & Auditor General of India | |
| | vii) सहायक / संयुक्त उद्यम की वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं से युक्त बयान | |
| | Statement containing Salient Features of the Financial Statement of Subsidiaries/Joint Ventures | |
| 8. | हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेविनिलि के पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरण) | 252-308 |
| | High Speed Rail Corporation of India Limited (Wholly Owned Subsidiary of RVNL) | |
| | क) निदेशकों की रिपोर्ट | |
| | a) Directors' Report | |
| | ख) वित्तीय विवरण | |
| | b) Financial Statements | |
| | ग) स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | |
| | c) Independent Auditors' Report | |
| | घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी | |
| | d) Comments of Comptroller & Auditor General of India | |



पिछले पांच वर्षों के दौरान पर्फामेंस

(₹ करोड़ में) (ईपीएस को छोड़कर)

| ब्यौरा | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| टर्न ओवर | 1444.65 | 1597.92 | 2116.85 | 2492.37 | 3141.97 |
| कुल आय | 84.51 | 177.19 | 255.92 | 287.24 | 347.21 |
| प्रदत शेयर पूंजी | 2085.02 | 2085.02 | 2085.02 | 2085.02 | 2085.02 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | 151.50 | 222.79 | 329.32 | 451.05 | 593.84 |
| शुद्ध मूल्य | 2236.52 | 2307.81 | 2414.34 | 2536.07 | 2678.86 |
| शुद्ध अचल परिसंपत्तियां | 3.84 | 4.83 | 7.75 | 8.99 | 8.87 |
| कर पूर्व लाभ | 75.45 | 119.33 | 167.46 | 195.17 | 236.35 |
| कर के लिए प्रावधान | 14.36 | 20.94 | 31.91 | 37.75 | 50.63 |
| कर पश्चात लाभ | 61.09 | 98.39 | 135.55 | 157.42 | 185.72 |
| लाभांश | 12.5 | 20.00 | 27.00 | 31.50 | 37.20 |
| प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) | 0.29 | 0.47 | 0.65 | 0.76 | 0.89 |

Performance During Last Five Years

(₹ in Crore) (Except EPS)

| | | | | | (=/(=/(00pt =/ 0 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Particulars | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
| Turnover | 1444.65 | 1597.92 | 2116.85 | 2492.37 | 3141.97 |
| Total Income | 84.51 | 177.19 | 255.92 | 287.24 | 347.21 |
| Paid up Capital | 2085.02 | 2085.02 | 2085.02 | 2085.02 | 2085.02 |
| Reserves and Surplus | 151.50 | 222.79 | 329.32 | 451.05 | 593.84 |
| Net Worth | 2236.52 | 2307.81 | 2414.34 | 2536.07 | 2678.86 |
| Net Fixed Assets | 3.84 | 4.83 | 7.75 | 8.99 | 8.87 |
| Profit before Tax | 75.45 | 119.33 | 167.46 | 195.17 | 236.35 |
| Provision for Tax | 14.36 | 20.94 | 31.91 | 37.75 | 50.63 |
| Profit after Tax | 61.09 | 98.39 | 135.55 | 157.42 | 185.72 |
| Dividend | 12.5 | 20.00 | 27.00 | 31.50 | 37.20 |
| Eraning Per Share (EPS) | 0.29 | 0.47 | 0.65 | 0.76 | 0.89 |

मिशन Mission

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक रेल यातायात अवसंरचना का निर्माण करना

To create state of the art Rail transport infrastructure to meet the growing demand.

लक्ष्य Vision एक शानदार वित्तीय आधार और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए वैश्विक निर्माण पद्धतियों के अत्यधिक प्रभावी कुशल प्रदाता के रूप में उभरना।

To emerge as the most efficient provider of Rail infrastructure, with a sound financial base and global construction practices, for timely completion of projects.



निदेशक मंडल / Board of Directors



श्री एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Mr. S.C. Agnihotri Chairman & Managing Director



श्रीमती गीता मिश्रा निदेशक (कार्मिक) Smt. Gita Mishra Director (Personnel)



श्री मुकुल जैन निदेशक (परिचालन) **Mr. Mukul Jain** Director (Operations)



श्री विजय आनंद निदेशक (परियोजना) **Mr. Vijay Anand** Director (Projects)



श्री अशोक कृ. गंजू निदेशक (वित्त) Mr. Ashok K. Ganju Director (Finance)



श्री वी.पी. दुङेजा कार्यपालक निदेशक (निर्माण), रेलवे बोर्ड, (अंशकालिक सरकारी) निदेशक **Mr. V.P. Dudeja** ED (Works), Railway Board, (Part-time Official) Director



श्री के.के. अग्रवाल कार्यपालक निदेशक (नि.एवं परि.), रेलवे बोर्ड, (अंशकालिक सरकारी) निदेशक

Mr. K.K. Aggarwal ED (W&P), Railway Board, (Part-time Official) Director



श्री आर.एस. शर्मा (अंशकालिक गैर सरकारी) निदेशक **Mr. R.S. Sharma** (Part-time non-Official) Director

रेल विकास निगम लिमिटेड

मैजेनिन फ्लोर थिरूमलाई रेलवे स्टेशन एमटीपी ऑफिस, मइलापोर, चेन्नई

रेल विकास निगम लिमिटेड

24, देश प्राण साह मल रोड, कोलकता (3 यूनिट)

रेल विकास निगम लिमिटेड

174/2, शक्ति नगर, अपोजिट अलकापुरी मेन गेट हबीबगंज, भोपाल (2 यूनिट)

रेल विकास निगम लिमिटेड

नियर आईआरआईसीईएन रेलवे कालोनी, साउथ मेन रोड, कोरेगांव पार्क, पूणे–411001

रेल विकास निगम लिमिटेड

7वां तल, न्यू एडिमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, सेंट्रल रेलवे, डी.एन. रोड, सीएसटी, मुम्बई

रेल विकास निगम लिमिटेड

6.9 एसर कॉम्पलैक्स, बी—ब्लॉक, रेल विहार, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर (2 यूनिट)

रेल विकास निगम लिमिटेड

पहला तल, पर्यटन भवन, सी—13, विपीन खण्ड गोमती नगर. लखनऊ

रेल विकास निगम लिमिटेड

ए-21, अनिसाबाद, पोलिस कॉलोनी, पी.एस. गर्दनी बाग, पटना

रेल विकास निगम लिमिटेड

डी-38 / ए, रेलवे बंग्ला, रेसिडेंसी रोड, जोधपुर

रेल विकास निगम लिमिटेड

नं. 15, पहला तल, वेक्ट्रा हाउस, पहला मेन रोड, 6वां क्रॉस गांधी नगर, बंगलोर

रेल विकास निगम लिमिटेड

ऋषिलोक ब्लॉक—4, गढ़वाल मंडल विकास, मुनी के रेती, ऋषिकेश

रेल विकास निगम लिमिटेड

अमसरी फास्ट, 5वां तल, डोर नं. 9—1—164 / ए, 165 एवं 166, सरोजनी देवी रोड सिकंदराबाद

रेल विकास निगम लिमिटेड

5 एवं 6, दूसरा तल, अशोका मिलेनियम, नियर राजेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ (2 यूनिट)

रेल विकास निगम लिमिटेड

बिल्डिंग नं. टी—34, एमएसएम कालोनी, ग्नानापुरम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

रेल विकास निगम लिमिटेड

45-ए, वाई ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश

रेल विकास निगम लिमिटेड

आर.ई. / वी / 2, रेलवे ऑफिसर कालानी, कोटा, राजस्थान

रेल विकास निगम लिमिटेड

रूम नं. 22, टीओटी बिल्डिंग, डिजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी

रेल विकास निगम लिमिटेड

रूम नं. 61, 2रा तल, 4डी स्कवायर मॉल, अपोजिट विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज, विसात—गांधीनगर हाईवे, चंद्रखेड़ा, अहमदाबाद, गुजरात

रेल विकास निगम लिमिटेड

पहला तल, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली (1 यूनिट)

कंपनी सचिव

श्रीमती कल्पना दूबे

सांविधिक लेखा परीक्षक

कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स बी–12 (ग्राउण्ड) फ्लोर, कालिंदी कालोनी नियर महारानी बाग, नई दिल्ली–110065

> स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस बैंक

आंतरिक लेखा परीक्षक

के.के. गोयल एंड एसोसिएट्स 204, ए.जे. चेम्बर नाईवाला, चौथी गली करोल बाग, नई दिल्ली – 110005

बैं कर्स

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक

Website: www.rvnl.org

रजिस्टर्ड एंड कारपोरेट ऑफिस

प्रथम तल अगस्त क्रांति भवन भिकाजी कामा प्लेस आर.के. पुरम नई दिल्ली — 110066

> कार्पोरेशन बैंक आईसीआईसीआई बैंक



Rail Vikas Nigam Limited

Mezzanine Floor, Thirumalai Railway Station, MTP Office, Mylapore, Chennai

Rail Vikas Nigam Limited

24, Desh Pran Shah Mal Road, Kolkata (3 Units)

Rail Vikas Nigam Limited

174/2, Shakti Nagar, Opp. Alkapuri Main Gate, Habibgani, Bopal (2 Units)

Rail Vikas Nigam Limited

Near IRICEN Railway Colony, South Main Raod, Koregaon Park, Pune-411001

Rail Vikas Nigam Limited

7th Floor, New Administration Building, Central Railway, D.N. Road, CST, Mumbai

Rail Vikas Nigam Limited

6.9 Acre Complex, B-Block, Rail Vihar, Chandrashekharpur, Bhubaneswar (2 Units)

Rail Vikas Nigam Limited

1st Floor, Paryatan Bhawan, C-13 Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow

Rail Vikas Nigam Limited

A-21, Anisabad Police Colony, P.S. Gardani Bagh, Patna

Rail Vikas Nigam Limited

D-38/A, Railway Bungalow, Residency Road, Jodhpur

Rail Vikas Nigam Limited

No. 15, Ist Floor, Vectra House, 1st Main Road, 6th Cross Gandhi Nagar, Bangalore

Rail Vikas Nigam Limited

Rishilok Block-4, Gadhwal Mandal Vikas, Muni Ke Reti, Rishikesh

Rail Vikas Nigam Limited

Amsri Faust, 5th Floor, Door No. 9-1-164/A, 165 & 166, Sarojini Devi Road Secundrabad

Rail Vikas Nigam Limited

5&6, 2nd Floor, Ashoka Millennium, New Rajendar Nagar, Raipur, Chattisgarh (2 Units)

Rail Vikas Nigam Limited

Building No. T-34, MSM Colony, Gnanapuram, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh

Rail Vikas Nigam Limited

45-A, Y-Block, Kidwai Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh

Rail Vikas Nigam Limited

R.E./V/2, Railway Officer Colony, Kota, Rajasthan

Rail Vikas Nigam Limited

Room No. 22, ToT Building, Diesel Locomotive Works, Varanasi

Rail Vikas Nigam Limited

Room No. 61, 2nd Floor, 4D Square Mall, Opp. Vishva KarmaEngineering College, Visat-Gandhinagar Highway, Chandkheda, Ahmedabad, Gujarat

Rail Vikas Nigam Limited

1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi (1 Unit)

Company Secretary

Mrs. Kalpana Dubey

Statutory Auditors

Kumar Chopra & Associates B-12 (G.F.), Kalindi Colony Near Maharani Bagh, New Delhi-110065

State Bank of India Axis Bank

Internal Auditor

K.K. Goel & Assoicates, 204, A J Chamber Naiwala, 4th Street, Karol Bagh, New Delhi-110005

Bankers

Union Bank of India Punjab national Bank

Website: www.rvnl.org

Registered & Corporate Office

Ist Floor, August Kranti Bhawan Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi-110066

Corporation Bank ICICI Bank



अध्यक्ष का अभिभाषण

सम्मानित शेयरधारकों,

में, रेल विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से कंपनी की 12वीं वार्षिक साधारण सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी के वित्तीय वर्ष 2014—15 के अंकेक्षित लेखें पहले ही परिपत्रित कर दिए गए हैं और मैं आपकी अनुमति से इन्हें पढ़ लिया गया मान लेता हूं।

में श्री ए. के मित्तल, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, श्री वी. के. गुप्ता, सदस्य इंजीनियरी—कंपनी के लिए मंत्रालय के प्रशासनिक सचिव, श्रीमती आर रिव कुमार, वित्त आयुक्त (रेलें), श्री नवीन टंडन, सदस्य बिजली, श्री प्रदीप कुमार, सदस्य कार्मिक, श्री हेमंत कुमार, सदस्य यांत्रिक और श्री कुंदन सिन्हा, सदस्य यातायात तथा रेल विकास निगम के समस्त शेयरधारकों और आंमत्रित सज्जनों का स्वागत करता हूं। अपने संबोधन के प्रारंभ में, मैं कंपनी की ओर से आप सभी का आपके सतत् सहयोग और प्रोत्साहन के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं जिसके कंपनी देश के रेल इंन्फ्रास्ट्रक्चर को जुटाने के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में सफल रही।

रेल विकास निगम लिमिटेड 2014—15 में भी अपने प्रगित के पथ निरंतर आगे बढ़ता रहा। शेयरधारकों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कंपनी ने अपने पिछले सभी वास्तिवक और वित्तीय उपलिक्षियों से बढ़कर काम किया है। कंपनी ने पिछले वर्ष की तरह ही भारतीय रेलवे द्वारा किए गए दोहरीकरण और विद्युतीकरण के कुल कार्य में एक तिहाई का योगदान दिया है और साथ ही अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार किया है। वोहरीकरण / तीसरी लाइन / चौथी लाइन, आमान परिवर्तन, नई लाइन और रेल विद्युतीकरण की परंपरागत परियोजनाओं के अलावा, रेल विकास निगम लिमिटेड ने अपने कार्यों में विविधता लाते हुए कोलकाता और हैदराबाद में मेट्रो रेल परियोजना, एमटीपी परियोजनाओं, हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय रेल परियोजाओं, रेल कारखानाओं, हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है।

वास्तविक निष्पादन

रेल विकास निगम लिमिटेड ने 2014—15 के अंत तक कुल मिलाकर 5580 किमी लंबी परियोजना को पूरा किया है। इनमें 1645 किमी के दोहरीकरण, 1590 किमी के आमान परिवर्तन, 194 किमी लंबी नई लाइनों और 2151 किमी के रेल विद्युतीकरण और 3 कारखाना परियोजनाएं शामिल हैं।

2014—15 के दौरान, 476 किमी लंबी परियोजना (259 किमी का दोहरीकरण और 217 किमी का रेल विद्युतीकरण) का कार्य वास्तविक रूप से पूरा किया गया जबकि पिछले वर्ष 466 किमी का कार्य पूरा किया गया था। इसके अलावा, दोहरीकरण और तीसरी लाइन परियोजनाओं के भाग के रूप में 155 किमी का रेल विद्युतीकरण किया गया।

2014—15 में भगत की कोठी—लूणी दोहरीकरण संपूर्ण परियोजना और 141.9 किमी. लंबी येलहंका—धर्मावरम—गूटी रेल विद्युतीकरण की परियोजना का काम पूरा किया गया। वर्ष के दौरान जिन महत्वपूर्ण दोहरीकरण परियोजनाओं / खंडों का काम पूरा किया गया उनमें 56.9 किमी लंबी हास्पेट—तिनाईघाट दोहरीकरण परियोजना, 29 किमी लंबी जरौली (बांसपानी)—जाखपुरा दोहरीकरण परियोजना, 69.5 किमी लंबा विल्लुपुरम—डिंडीगुल खंड, 17.0 किमी लंबी तिरुवल्लूर—अर्काकोणम चौथी लाइन, 18.0 किमी लंबी दौंड—गुलबर्गा दोहरीकरण परियोजना शमिल हैं। निर्माणाधीन प्रमुख रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं में 38 किमी लंबी पूणे—वाडी—गूंतकल और 37 किमी लंबी अमला—छिंदवाड़ा—कलूम्ना परियाजनाएं शामिल हैं।

में शेयरधारकों को बताना चाहता हूं कि रेल विकास निगम लिमिटेड परियोजना लाइनों को मौजूदा नेटवर्क से जोड़ने से संबंधित सभी कार्य निष्पादित करता है। वर्ष के दौरान, रेल विकास निगम लिमिटेड ने 217 किमी का केवल रेल विधुतीकरण और 155 किमी के दोहरीकरण का कार्य किया। कंपनी को दोहरीकरण, तीसरी लाइन, ऑटो सिगनलिंग, यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं से जुड़े कार्यों को शुरू करने में भी शानदार सफलता हासिल की हैं।

रेल विकास निगम लिमिटेड के निष्पादन के अधीन अधिकांश परियोजनाएं संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रही हैं। बहरहाल, अधिक मूल्य वाली परियोजनाएं या तो नियोजन के चरण में हैं या भूमि अधिग्रहण, कानून एवं व्यवस्था (LWE क्षेत्रों में), मेट्रो रेल परियोजनाओं में सुविधाओं के स्थानांतरण की अनुमित नहीं मिलने के कारण रुकी हुई हैं। अतः 2015—16 के अंत में निष्पादन योग्य परियोजनाओं का बैलेंस आर्डर बुक लगभग ₹14,237 करोड़ रहेगा। व्यय की मौजूदा गित, जिसके बढ़ने की संभावना है, को देखते हुए मौजूदा निर्माणाधीन कार्यों को आगामी तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। अपनी राजस्व अर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्षमता संवर्धन पर मंत्रालय के मौजूदा रूख को देखते हुए रेल विकास निगम लिमिटेड को कंपनी का निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए उसे नई परियोजनाएं सौंपे जाने की पूरी उम्मीद है।

> वित्तीय निष्पादन

2014—15 में कंपनी ने अपनी पिछली उपलिख्यों से आगे निकल कर 2013—14 के ₹2,493 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹3142 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया, जो इसमें 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहा है। कर पूर्व लाभ में वृद्धि हुई और यह 2013—14 के ₹195.21 करोड़ से बढ़कर 2014—15 में ₹236.35 करोड़ हो गया है और कर उपरांत लाभ पिछले वर्ष के ₹157.45 करोड़ से बढ़कर 2014—15 में ₹185.71 करोड़ हो गया है, जो इसमें 18 प्रतिशत वृद्धि को दर्शा रहा है। कच्च रेलवे कंपनी द्वारा अपने लाभ को समख्याली—गांधीधाम दोहरीकरण परियोजना के लिए रख लिए जाने के कारण एसपीवी से लाभांश आय में कमी आई है, इस परियोजना का वित्तपोषण उसके द्वारा अपने संसाधनों से किया जा रहा है।





Chairman's Address

Distinguished Shareholders,

On behalf of the Board of Directors of Rail Vikas Nigam Limited, I extend a very warm welcome to all of you on the occasion of the 12th Annual General Meeting of the Company. The audited accounts of the Company for the financial year 2014-15, along with the Directors' Report and reports of Auditors and comments of Comptroller and Auditor General of India have already been circulated and with your permission, I take them as read.

I would like to extend a very warm welcome to Shri A K Mital, Chairman, Railway Board, Shri V. K. Gupta, Member Engineering - the Administrative Secretary of the Ministry for the Company, Smt. R Ravi Kumar, Financial Commissioner (Railways), Sh Naveen Tandon, Member Electrical, Shri Pradeep Kumar, Member Staff, Shri Hemant Kumar, Member Mechanical, and Shri Kundan Sinha, Member Traffic, and all RVNL's shareholders and invitees. At the outset, I, on behalf of the Company, would like to express our thanks to all of you for all the support and encouragement extended to the Company to ensure that the Company is able to fulfill its primary objective of ramping up rail infrastructure of the country.

In 2014-15, RVNL has continued on the path of its upward trajectory, and I am happy to report to the Shareholders that the Company has exceeded all previous physical and financial achievements. As in the previous years, the Company continued to contribute to one third of the total doubling and railway electrification works achieved by Indian Railways and at the same time improved its financial performance. In addition to the traditional doubling/3rd line/4th line, gauge conversion, new line and Railway Electrification projects, RVNL has diversified its portfolio to include Metro Rail projects in Kolkata and Hyderabad, hill railway projects in the Himalayas, railway workshops, High Speed Rail projects etc.

> Physical Performance

Cumulatively, upto the end of 2014-15 RVNL has completed a project length of 5580 km. This includes a total of 1645 km of Doubling, 1590 km of Gauge Conversion, 194 km of New Lines and 2151 km of Railway Electrification and 3 Workshop projects.

During 2014-15, 476 km (259 km of Doubling and 217 km of Railway Electrification) of project length was physically completed, compared to 466 km of project in the previous year. In addition, 155 km of Railway Electrification was completed as a part of doubling and 3rd line works.

In 2014-15, the entire project of Bhagat Ki Kothi - Luni Doubling and 141.9 km of RE Project of Yelahanka-Dharmavaram-Gooty was completed. Other important doubling projects/sections completed during the year included 56.9 km of Hospet-Tinaighat doubling, 29 km of Jaroli

(Banspani)-Jakhapura doubling, 69.5 km of Villupuram-Dindigul section, 17.0 km of Tiruvallur-Arakkonam 4th line, 18.0 km Daund-Gulbarga doubling. Progress on major RE projects include 38 km of Pune-Wadi-Guntakal and 37 km Amala-Chhindwara-Kalumna.

I would like to confirm to the Shareholders that RVNL carries out all the works related to linking of the project lines with the existing network. During the year, RVNL completed 217 km of pure railway electrification works and 155 km with Doubling of sections. The Company has also achieved commendable success in commissioning signalling works associated with doubling, third line, auto signaling, yard remodeling and gauge conversion projects.

The majority of projects presently under execution by RVNL are progressing satisfactorily. However, a number of high value projects are either at the planning stage or held up on account of land acquisition, law and order (projects in LWE areas), permissions for shifting of utilities in Metro rail projects etc. Thus, the balance order book of executable projects as at the end of 2015-16 would be approximately ₹14,237 crore. With the current pace of expenditure, which is anticipated to increase, the current shelf of works in progress will be depleted in the next three years. With the current thrust of the Ministry on augmenting capacity to enhance its revenue earning potential RVNL looks forward to the assignment of new projects to ensure the continued growth of the Company.

> Financial Performance

In 2014-15, the Company surpassed its previous achievements with a turnover of Rs 3142 crore as compared to ₹2,493 crore in 2013-14, i.e. an increase of 26%. While there has been an increase in Profit Before Tax (PBT) from ₹195.21 crore in 2013-14 to ₹236.35 crore in 2014-15, the Profit after Tax (PAT) of the Company has increased from ₹157.45 crore in the previous year to ₹185.71 crore in the current year i.e. an increase of 18%. There was a decline in the income from dividend from SPVs, due to Kutch Railway Company retaining its profit for the Samakhyali-Gandhidham doubling project which is being financed from their own resources.

In view of the improved financial performance, the Directors of your Company have recommended payment of the highest ever dividend of ₹37.20 crore to the Ministry of Railways. Till date RVNL has paid a total of ₹151.50 crore as Dividend. With the payment of this dividend the effective management fee/(D&G Charges) payable to RVNL stands reduced by 1.3%.



वित्तीय निष्पादन में सुधार को देखते हुए आपकी कंपनी के निदेशकों ने रेल मंत्रालय को ₹37.20 करोड़ का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो अब तक का सबसे अधिक लाभांश है। आज तिथि तक रेल विकास निगम लिमिटेड ने कुल ₹151.50 करोड़ का लाभांश दिया है। इस लाभांश का भुगतान करने से रेल विकास निगम लिमिटेड को देय प्रभावी प्रबंधन शुल्क ∕ (डीएंडजी प्रभार) में 1.3 प्रतिशत तक की कमी आई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसरण में, रेल विकास निगम लिमिटेड ने पहली बार वर्ष 2014—15 के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत किए हैं। एसपीवी और एचएसआरसी के निष्पादन और क्रियाकलापों एवं इन कंपनियों में रेविनिलि की हिस्सेदारी के आधार पर लेखे समेकित किए गए हैं।

मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सीएजी ने रेविनिलि के एकल लेखों और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए बिना शर्त लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया है।

एडीबी परियोजनाएं

एडीबी ने 500 मिलियन अमेरिकी डालर की बहुआयामी वित्त सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस बहुआयामी वित्त सुविधा के 150 मिलियन अमेरिकी डालर की प्रथम किस्त के लिए ऋण करार पर जुलाई, 2012 में, 130 मिलियन अमेरिकी डालर की दूसरी किस्त के लिए ऋण करार पर फरवरी, 2014 में हस्ताक्षर हुए। परियोनाजाओं का निष्पादन किया जा रहा है और 2014−15 के दौरान एडीबी द्वारा ₹435 करोड़, जो 72 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर हैं, की राशि प्रदान की गई।

विशेष प्रयोजन योजना

रेल विकास निगम लिमिटेड ने पत्तन संपर्कता और हिंटरलैंड रेल परियोजनाओं के लिए बाजार से अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने के अपने प्रयास के तहत ₹5087 करोड़. की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पांच संयुक्त उपक्रम विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) का निर्माण किया है। इन परियोजनाओं में मंत्रालय / रेविनिलि की कुल इक्विटी भागीदारी ₹620 करोड़ की है, जो कुल परियोजना लागत का केवल 20 प्रतिशत है। शेष लागत की पूर्ति अन्य स्टैकहोल्डरों की इक्विटी भागीदारी और वितीय संस्थानों से ऋण लेकर की जा रही है।

कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड, कृष्णापटनम रेलवे कंपनी लिमिटेड और भरूच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड ने अपना काम शुरू कर दिया और अब वे रेलवे के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बहरहाल, एसपीवी की वित्तीय स्थिति और कार्यों को प्रभावित करने वाले कतिपय मसले हल करने के लिए रेल मंत्रालय को भेजे गए हैं।

कृष्णापटनम रेल कंपनी के वेंकटाचलम और ओबुलाविरपले के बीच वाले खंड पर सुरंग के निर्माण का कार्य प्रगित पर है जबिक वेंकटाचलम से कृष्णापटनम के बीच पहले से दोहरीकृत खंड पर यातायात निरंतर बढ़ रहा है। समख्याली और पालनपुर के बीच कच्छ रेलवे लाइन के 270 किमी के दोहरीकरण का कार्य एसपीवी की ओर से रेविनिलि ने अपने हाथ में लिया है और इस पर कार्य शुरू हो गया है, ₹1400 करोड़ की अनुमानित लागत पर इसका पूरा वित्तपोषण एसपीवी द्वारा किया जा रहा है। हिरदासपुर—पारादीप और अंगुल—सुकिंदा नई लाइन पिरयोजनाओं के संबंध में भूमि अधिग्रहण की समस्याओं को दूर कर लिया गया गया है और वास्तविक कार्य प्रगित पर है।

मुझे शेयरधारकों को बताते हुए खुशी हो रही है कि रेविनिलि ने हाल ही में दो नए एसपीवी के गठन में भागीदारी करने की पहल की है। रेविनिलि और दिघी पोर्ट लिमिटेड ने मिलकर कोंकण तट पर दिघी पत्तन को महाराष्ट्र में रोहा स्थित रेल शीर्ष से जोड़ने के लिए दिघी रोहा रेल लिमिटेड (डीआरआरएल) एसपीवी का गठन किया है।

रेल विकास निगम लिमिटेड की 12 प्रमुख पत्तनों, जो स्टेकहोल्डर भी हैं, के साथ पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन नव निर्मित इंडियन पोर्ट रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, एसपीपी में भी भागीदारी हैं। एसपीवी का मुख्य उद्देश्य पत्तन रेलों का रखरखाव, अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण करना और साथ यथा अपेक्षित क्षमता संवर्धन करना है।

हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन

जुलाई, 2012 में आपकी कंपनी ने देश में उच्च गति वाली रेल परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचएसआरसी) की स्थापना की थी।

माननीय रेलमंत्री ने 2014—15 के अपने रेल बजट भाषण में प्रमुख महानगरों और देश के विकास केन्द्रों को जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क बनाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस दिशा में आगे की कार्यवाही करने में रेविनिलि ∕ एचएसआरसी को समर्थ बनाने के लिए बजट में ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपकी कंपनी एचएसआर परियोजनओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में रेविनिलि ∕ एचएसआरसी को नियुक्त करने के लिए रेल मंत्रालय की आभारी हैं।

एचएसआरसी को हाई स्पीड कॉरिडोर के कई पूर्व—व्यवहार्यता / व्यवहार्यता अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। दिल्ली—चंडीगढ़—अमृतसर हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए पूर्व—व्यवहार्यता अध्ययन का ठेका मैसर्स सिस्ट्रा एस.ए, फ्रांस और मैसर्स राइट्स को दिया गया है और इसका कार्य प्रगति पर है। एचएसआरसी ने मुंबई—चेन्नई, मुंबई—दिल्ली और दिल्ली—कोलकाता एचएसआर कॉरिडोर के पूर्व—व्यवहार्यता अध्ययन के परामर्श ठेके दे दिए हैं।

मुझे यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि रेलवे सेक्टर में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार और चीन की सरकार के बीच हस्ताक्षरित एमओयू की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में रेल मंत्रालय ने नेशनल रेलवे एडिमिनिशट्रेशन ऑफ चाइना के सहायोग से दो परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए रेविनिल / एचएसआरसी को काउंटरपार्ट एजेंसी के रूप में नामित किया था। इसमें (i) चेन्नई—बैंगलोर—मैसूर खंड पर गित को 160 किमी / घंटा तक बढ़ाना, और (ii) दिल्ली और चेन्नई के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए परियोजना व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट शामिल है, जिसके लिए रेविनिल / एचएसआरसी ने क्रमशः चाइना रेलवे अरियुआन इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड (सीआरईईजी) और चाइना रेलवे सियुआन सर्वे एंड डिजाइन ग्रुप (सीआरएसएसडीजी) के साथ समझौते की शर्तों और कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों परियोजनाओं का अध्ययन प्रगित पर है।

> एचएसआरसी कुछ मौजूदा रेलमार्गों पर गित क्षमता को 160 किमी / घंटा तक बढ़ाने से जुड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए परियोजना इंटीग्रेटर के रूप में जुड़ा रहा है। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली—आगरा, नई दिल्ली—कानपुर और नई दिल्ली—चंडीगढ़ सिहत 3 लाइनें एचएसआरसी को सौंपी थी। नई दिल्ली—आगरा खंड का काम पूरा हो गया है और इस खंड पर उच्च गित पर गाड़ी चलाने के लिए रेल सुरक्षा आयुक्त की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। शेष दो खंडों की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जानी है।



In compliance with the requirement of the Companies Act, 2013, RVNL has for the first time prepared and presented the Consolidated Financial Statements for the year 2014-15. The accounts have been consolidated based on the performance and activities of the SPVs and HSRC, and the share of equity of RVNL in those entities.

I am happy to report that the CAG has issued the Audit Certificate for both the Stand Alone accounts and Consolidated Financial Statements of RVNL without any qualifications.

> ADB Projects

ADB has agreed to provide a multi-tranche financing facility of US \$ 500 million for funding of 5 projects. While the Loan Agreement for the first Tranche for an amount of US \$ 150 was signed in July 2012, the Loan Agreement for the 2nd Tranche of US \$ 130 million was signed in February 2014. Execution of the projects is in progress and during 2014-15 an amount of Rs. 435 crore equivalent to US\$ 72 million has been disbursed by the ADB.

> Special Purpose Vehicles

In its efforts to mobilise extra budgetary resources from the market for port connectivity and hinterland rail projects, RVNL has created five joint venture Special Purpose Vehicles (SPVs) for implementation of projects worth ₹5087 crore. The total equity participation of the Ministry/RVNL in these projects is to the tune of ₹620 crore, which is approximately only 12% of the total project cost. The balance cost is being met by equity participation of other stakeholders and debt raised from financial institutions.

Kutch Railway Company Ltd., Krishnapatnam Railway Company Ltd. and Bharuch Dahej Railway Company Ltd have commenced operations and are now contributing substantially to the revenues of the railways. However, certain issues affecting the financial position and operations of the SPVs have been referred to the Ministry of Railways for resolution.

Execution of works on the section between Venkatachallam and Obulavaripalle of Krishnapatnam Rail Company, involving construction of a tunnel is in progress while traffic continues to grow on the already doubled section between Venkatachallam to Krishnapatnam. The work of doubling of 270 km of the Kutch Railway line between Samakhyali and Palanpur, which is being funded completely by the SPV at an estimated cost of ₹1400 crore, has been taken up by RVNL on behalf of the SPV and work has commenced. The problems in land acquisition in Haridaspur-Paradip and Angul-Sukinda New Line projects have been resolved and physical works are now in progress.

I am happy to inform the Shareholders that recently RVNL has taken the initiative of participating in the formation of two new SPVs. RVNL and Dighi Port Limited have partnered to form Dighi Roha Rail Limited (DRRL) SPV, to link the port of Dighi on the Konkan Coast to the rail head at Roha in Maharashtra.

RVNL is also participating in the newly formed Indian Port Rail Corporation Limited, an SPV under Ministry of Shipping along with 12 Major Ports who are also stakeholders. The main objectives of the SPV, are to undertake maintenance, upgradation and modernisation of the Port Railways and also to provide capacity augmentation wherever required.

High Speed Rail Corporation

In July 2012, your Company, with the approval of President, incorporated a fully owned subsidiary, High Speed Rail Corporation of India Ltd. (HSRC) for development and implementation of High Speed Rail Projects in the country.

In the Railway Budget speech for 2014-15, Hon'ble Minister for Railways announced an ambitious plan to have a Diamond Quadrilateral Network of High Speed Rail corridors connecting major Metros and growth centres of the country. A provision of ₹100 crore was also made in the Budget to enable RVNL/HSRC to take further steps in this regard. Your Company is thankful to the Ministry of Railways for designating RVNL/HSRC as the implementing agency for HSR projects.

HSRC has been assigned the task of carrying out a number of pre-feasibility/feasibility studies for High Speed Corridors. A pre-feasibility study for a Delhi-Chandigarh-Amritsar High Speed Corridor, awarded to M/s SYSTRA S.A of France in a consortium with M/s RITES is in progress. HSRC has also been awarded the consultancy contracts for feasibility studies of Mumbai-Chennai, Mumbai-Delhi and Delhi-Kolkata HSR Corridors.

I am also happy to report that as a follow up of the MoU signed between the Government of India and the Government of the People's Republic of China on enhancing technical cooperation in railway sector, RVNL/HSRC was named as the counterpart agency by Ministry of Railways for implementing two projects being undertaken with the cooperation of National Railway Administration of China. These include (i) speed raising up to 160 kmph on Chennai-Bangalore-Mysore Section, and (ii) a Project Feasibility Study Report for a high speed rail corridor between Delhi and Chennai for which RVNL/HSRC have signed the Terms of Agreement and Work Plan with China Railway Eryuan Engineering Group Company Limited (CREEG) and China Railway Siyuan Survey and Design Group (CRSSDG), respectively. The studies on both these projects are in progress.

HSRC has also been associated as a Project Integrator to facilitate implementation of projects related to upgrading the speed potential on certain existing tracks upto 160 kmph. Ministry of Railways had assigned 3 lines to HSRC including New Delhi-Agra, New Delhi-Kanpur and New Delhi-Chandigarh. Work has been completed on the New Delhi-Agra section and is awaiting clearance of Commissioner of Railway Safety (CRS) for train operations at higher speeds. The projects for the balance two sections are under sanction.

> Human Resource Development

RVNL follows the principle of maintaining a lean and thin organization structure, and all the achievements reported were realized with an on-roll staff strength of only 415 regular personnel, out of which 126 are absorbed employees and balance are deputationists from Railways. It is with some pride,



मानव संसाधन विकास

रेल विकास निगम लिमिटेड छोटी और मजबूत संगठन संरचना बनाए रखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है और इसने जो भी उपलिब्धियां हासिल की हैं वो केवल 415 नियमित कर्मचारियों के बल पर हासिल की हैं, जिनमें से 126 कर्मचारी समाहित किए गए कर्मचारी हैं और शेष रेलों से प्रतिनियुक्ति से लिए गए कर्मचारी हैं। थोड़े गर्व के साथ मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आपकी कंपनी के पास देश में रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए तकनीकी कर्मचारियों की सर्वश्रेष्ठ टीम है।

कर्मचारियों को महत्वपूर्ण संपत्ति मानते हुए टीम के लिए उच्च कोटि का प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के रेविनिलि ने आकर्षक और कर्मचारी हितैषी नीतियां तैयार की हैं।

> प्रणालियों में सुधार

रेल विकास निगम लिमिटेड अधिक कारगर संविदा प्रबधन सुनिश्चित करने और परियोजना निष्पादन को सुगम बनाने के लिए सक्षम एजेंसियां नियुक्त करने के लिए अपनी प्रणालियों और कार्यविधियों की निरंतर समीक्षा करता है।

कंपनी के लिए एकीकृत आईटी सोल्युशन कार्यान्वित करने का कार्य प्रगति पर है, इसके तहत परियोजना प्रबंधन, वित्त, एचआर और सहायक कार्य के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है और इससे उत्पादकता और पारदर्शिता में और सुधार आएगा।

> कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

रेल विकास निगम लिमिटेड अपनी कर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह से सचेत है और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है कि इसके लाभ हमारी परियोजना क्षेत्रों के आस—पास के इलाकों में समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों तक पहुंचें। प्रमुख सीएसआर परियोजनाएं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित हैं, इनमें कन्खाल, हरिद्वार में रामा कृष्णा मिशन द्वारा संचालित 113 पुराने अस्पताल में एक ऑपरेशन थियेटर कांपलेक्स और 50 बिस्तरों वाले ऑपरेशन उपरांत देखभाल यूनिट का निर्माण करना, सुंदरबन के पिछड़े इलाकों में भिन्न रूप से सक्षम 100 बच्चों को शिक्षा सहायता प्रदान करना, निशुल्क चिक्तिसा सहायता प्रदान करना, बच्चों को कोचिंग देना और सोलर होम लाइट लगाना शामिल है। कंपनी ने हाल ही में नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी परियोजना प्रारंभ की है, जो भारत सरकार के दो बड़े मिशन क्षेत्र हैं।

आपकी कंपनी की सीएसआर संबंधी कार्यों को जनता ने खूब सराहा है और टाटा सामाजिक विज्ञाान संस्थान, सीएसआर केन्द्र ने भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसकी प्रशंसा की है। रेल विकास निगम लिमिटेड को दिसंबर, 2014 में सीएसआर के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक उद्यम विभाग और भारतीय वाणिज्य परिसंघ पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

एमओयू निष्पादन

अत्यंत संतुष्टि के साथ मैं, शेयरधारकों को बताना चाहता हूं कि समग्र निष्पादन के आधार पर आपकी कंपनी को वर्ष 2013—14 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 'उत्कृष्ट' की रेटिंग दी गई है। उम्मीद है कि आपकी कपंनी लगातार पांचवे वर्ष के लिए वर्ष 2014—15 के लिए भी 'उत्कृष्ट' की रेटिंग प्राप्त करने में सफल होगी।

कार्पोरेट शासन

रेल विकास निगम लिमिटेड के पास नियंत्रण एवं संतुलन की मजबूत प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि शेयरधारकों और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निर्णय लेने के अधिकार का प्रयोग पूरी सावधानी और जिम्मेदारी से किया जाए। आपकी कंपनी कार्पोरेट शासन से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों और सरकारी दिशानिर्देशों का सतर्कतापूर्वक पालन करती है। कॉपोरेट शासन और प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

रेल विकास निगम लिमिटेड को दिसंबर, 2014 में कार्पोरेट शासन के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग और भारतीय वाणिज्य परिसंघ से प्रतिष्ठित पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ।

अंत में, मैं यह उल्लेख करना चाहुंगा कि रेल मंत्रालय की ओर से और रेल विकास निगम लिमटेड द्वारा परियोजनाओं को सफलतापवूर्वक निष्पादित और पूरा करना कतई संभव नहीं होता अगर हमें इसमें जोनल रेलों का सहयोग नहीं मिलता, उनके सहयोग से हम ब्लॉक, जनशक्ति की उपलब्धता और सामग्रियों का परिवहन सुनिश्चित करने में सफल रहें। रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी के सतत् विकास सुनिश्चित करने में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, बोर्ड के अन्य सदस्य और अधिकारियों से मिले भरपूर समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

में इस अवसर पर, सम्मानित शेयरधारकों, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, राज्य सरकारों, क्षेत्रीय रेलों, एडीबी, आईआरएफसी, वित्तीय संस्थानों, सीएजी ऑफिस, एसपीवी भागीदारों, हमारे बैंकर और विभिन्न रेल परियोजनाओं में स्टेकहोल्डरों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों से कंपनी को मिले उनके सतत् सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं रेल विकास निगम लिमिटेड में कार्यरत अपने सभी सहयोगी कर्मचारियों का उनके समर्पण भाव और निष्ठा के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, जो कंपनी के शक्ति स्तंभ रहे हैं और जिन्होंने विभिन्न कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

मुझे पुरा विश्वास है कि कंपनी को अपने समग्र लक्ष्यों को पाने के लिए अपेक्षित सहायोग और समर्थन इसी भांति आगे भी मिलता रहेगा।

हस्ता. / – सतीश अग्निहोत्री अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली दिनांकः 22 सितंबर, 2015



that I can affirm to this gathering, that your Company has one of the finest pools of technical manpower for the development of rail infrastructure in the country.

Recognizing employees as an important asset and to ensure a high level of motivation for the team, RVNL has framed attractive and employee friendly policies.

> Systems Improvement

RVNL continuously reviews its systems and procedures to ensure more effective contract management and the appointment of competent agencies to facilitate project execution.

The task of implementation of an Integrated IT solution for the Company, which will cover all aspects of project management, finance, HR and allied functions is in progress, and will further improve productivity and transparency.

> Corporate Social Responsibility

RVNL is conscious of its Corporate Social Responsibility and does its utmost to ensure that the benefits reach the most marginalized sections of society in the vicinity of our project areas. The major CSR projects are in the fields of health and education and that includes construction of an operation theater complex and a 50 bedded post-operative care unit in the 113 year old hospital run by Ram Krishna Mission in Kankhal, Haridwar, providing education support to 100 differently-abled children, providing free medical support, coaching to children and installation of solar home lights in the backward areas near Sunderbans. The Company has also recently taken up projects under the "Namami Gange" and "Swachha Bharat Abhiyan", which are two main mission areas of the Government of India.

Your Company's CSR initiatives have been well appreciated by the target population and lauded by the Tata Institute of Social Science, the CSR hub in its social audit. RVNL was also the recipient of the prestigious Department of Public Enterprises and Indian Chamber of Commerce PSE Excellence Award for CSR in December 2014.

> MoU Performance

> It is with great satisfaction that I can inform the Shareholders that based on the overall performance, your Company has been rated as 'Excellent' by Department of Public Enterprises for the financial year 2013-14. It is expected that your Company will also achieve an 'Excellent' rating for the financial year 2014-15, for the fifth consecutive year.

Corporate Governance

New Delhi

RVNL maintains a robust system of checks and balances to ensure that the authority of decision making is exercised with due care and responsibility to meet the aspirations of Shareholders and society. Your Company complies meticulously with all legal requirements and Government guidelines regarding Corporate Governance. A Report on Corporate Governance and Management Discussion and Analysis forms part of the Annual Report.

RVNL received the prestigious PSE Excellence Award conferred by Department of Public Enterprises and Indian Chamber of Commerce for Corporate Governance in December 2014.

In the end, I would like to mention that the successful execution and completion of projects by RVNL, for and on behalf of the Ministry of Railways, would not be possible without the close coordination and cooperation of the Zonal Railways to ensure availability of blocks, manpower and movement of materials. Your Company also acknowledges the complete support from the Chairman and Members of the Railway Board and other officers, in ensuring the continued growth of the Company.

I express my sincere thanks to our esteemed Shareholders, Ministry of Railways, Ministry of Finance, Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries, the State Governments, Zonal Railways, ADB, IRFC, Financial Institutions, C&AG's office, SPV partners, our bankers and stakeholders in various railway projects and national and international contractors for their unstinted cooperation to RVNL. I would also like to place on record my deep appreciation for the devotion and dedication of all my fellow RVNL employees who have been pillars of strength of the Company and have delivered their best despite various difficulties and obstacles.

I am confident that the Company will continue to get the required support and cooperation to achieve the overall objectives of the Company.

Sd/Satish Agnihotri
Chairman & Managing Direct

Date: 22nd September, 2015 Chairman & Managing Director



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा (DLW) वाराणसी परियोजना का उद्घाटन Inauguration of Expansion Pro ect of DLW, Varanasi by Prime Minister Narendra Modi



तालाब क्षेत्रों में बैंकों की पीचिंग Pitching of Banks in Pond Areas



एचआरसी ने व्यवसायिक गुजरात शिखर सम्मेलन गांधीनगर में भाग लिया HSRC participiated in vibrant Gujarat summit in 2015 in Gandhinagar



सीआरएस ट्रैक निरीक्षण CRS track inspection



दोहरीकरण लाईन के लिए आरसीसी आर्क टॉप बॉक्स RCC Arch Top Box for the doubling line



सीआरएस निरीक्षण CRS inspection



रोहा—दीद्यी पोर्ट रेल संपर्क मुम्बई के लिए रेवीनिलि और दिद्यी बंदरगाह के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर Signing of MOU between RVNL and Dighi Port Ltd. for Roha-Dighi Port Rail connectivity in Mumbai



पेनार पुल Pennar Bridge



पीएससी गर्डर लूना पुल पर PSC Girder on Luna Bridge



रेलवे विद्युतीकरण, पीआईयू भोपाल Railway Electrification PIU Bhopal




दानकुनी इलेक्ट्रिक लोको संयोजन और सहायक इकाई की स्थापना Dankuni - Setting up of Electric-Loco Assembly & Ancillary unit of CLW



प्वाइंट और क्रासिंग पर जस्ती ट्रैक फिटिंग Galvanised Track Fittings on Points and Crossings



सीएसआर गतिविधियां / CSR Activities





वार्षिक आम बैठक/ Annual General Meeting





वार्षिक दिवस समारोह / Annual Day Celebration



निदेशकों की रिपोर्ट

सम्मानित शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित लेखें, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखों की समीक्षा के साथ कंपनी के कार्य-प्रदर्शन पर 12वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

समाकलित रिपोर्टें

"प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट", "कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट", "कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) और संपोषण रिपोर्ट" निदेशकों की इस रिपोर्ट के अभिन्न भाग हैं और इन्हें क्रमशः अनुलग्नक "ए", "बी" और "सी" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट कंपनी के मामलों, इसके व्यापारिक परिदृश्य, मिशन एवं उद्देश्य, दृष्टिकोण, परिचालनिक निष्पादन, इसके संसाधन तथा प्रणालियों, शक्तियां, अवसर, बाधाएं, जोखिम और चिंताएं, रणनीतियां, संभावनाओं आदि का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराती है।

कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट में कंपनी के कॉरपोरेट शासन और प्रमुख मूल्य (मूल्यों) पर कंपनी का सिद्धांत, बोर्ड निदेशकों और इसकी समितियों की संरचना, निदेशकों आदि का पारिश्रमिक और उपस्थिति, अन्य प्रासंगिक प्रकटन, शेयरधारकों के लिए सीईओ/सीएफओ प्रमाणन और सामान्य सूचनाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र शमिल किए गए हैं:

- (i) कॉरपोरेट शासन पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा—िनर्देशों के अनुसार, वर्ष 2014—15 के दौरान बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों द्वारा आचरण संहिता के अनुपालन को पुष्ट करने वाला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (अनुलग्नक "बी1" पर संलग्न है);
- (ii) वित्तीय विवरणों की प्रमाणिकता के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक, वित्त का प्रमाणपत्र (अनुलग्नक "बी—2" पर संलग्न है); और
- (iii) कॉरपोरेट शासन पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा-निर्देशों के

अनुसार पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कॉरपोरेट शासन अनुपालन प्रमाणपत्र (अनुलग्नक "बी—3" पर संलग्न है)।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) और संपोषण रिपोर्ट में परियोजनाओं और सीएसआर के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड की योजना, नीति, बजट, व्यय, मूल्यांकन प्रक्रिया और वर्ष के दौरान शुरू किए गए सीएसआर और संपोषण क्रियाकलापों को दर्शाया गया है।

1. निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

निदेशकों को आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि वर्ष 2014-15 ऐसे वर्ष के रूप में रहा, जिसमें आपकी कंपनी ने अपने सभी पिछले निष्पादन मापदंडों से बढ़कर काम किया है। कंपनी द्वारा हासिल की गई कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- 2014—15 के दौरान, 475.95 किमी (259.05 किमी का दोहरीकरण और 216.9 किमी का रेल विद्युतीकरण) लंबाई की परियोजना वास्तविक रूप से पूरी की गई;
- ₹3141.97 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया गया, जो अब तक का सर्वोच्च टर्नओवर है:
- कर पूर्व लाभ बढ़कर ₹236.35 करोड़ हो गया है,
- कंपनी का कर उपरांत लाभ ₹185.71 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.97% की वृद्धि को दर्शा रहा है;
- आपकी कंपनी के निदेशकों ने रेल मंत्रालय को ₹37.20 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक लाभांश देने की सिफारिश की है।
- आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग के साथ परामर्श से रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किए गए सहमति ज्ञापन (MoU) में उत्कृष्टता के निश्चित निष्पादन लक्ष्यों को एकबार पुनः पीछे छोड़ा है। समग्र निष्पादन के आधार पर आपकी कंपनी ने पिछले वर्षों की भांति वित्तीय वर्ष 2013—14 के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की है।

2. वित्तीय परिणाम

रेविनिलि के 2013—14 और 2014—15 के वित्तीय निष्पादन के महत्वपूर्ण सूचक नीचे दर्शाए गए हैं (नजदीकी रुपए / करोड़ में पूर्णांकन किया गया है):

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2014—15 | 2013-14 |
|----------------------------------|---------|---------|
| टर्नओवर | 3142 | 2492 |
| कुल आय | 3238 | 2597 |
| परिचालन से आय | 251 | 182 |
| सकल मार्जिन (परिचालनों से) | 150 | 102 |
| आरक्षित निधियां एवं अधिशेष | 594 | 453 |
| कर पूर्व लाभ | 236 | 195 |
| कर पश्चात लाभ | 186 | 157 |
| निवल संपत्तियां | 2679 | 2538 |
| विनियोजन | | |
| प्रस्तावित अंतिम लाभांश | 37.20 | 31.50 |
| सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित | 10 | 10 |
| सीएसआर और संपोषण निधि में अंतरित | 0.00* | 4.07 |
| आरएंडडी निधि में अंतरित | 0.79 | 0.68 |

^{*} वर्ष 2014—15 से सीएसआर और संपोषण निधियों के लिए अलग से विनियोग करने की आवश्यकता नहीं है, बरहाल, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर और संपोषण पर व्यय को तुलन—पत्र में दर्शाया जाएगा।



DIRECTORS' REPORT

Distinguished Shareholders,

The Directors of your Company are privileged to present the 12th Annual Report on the performance of your Company, along with the Audited Statement of Accounts, Auditors' Report and the Review of Accounts by the Comptroller & Auditor General of India for the financial year ended 31st March 2015.

Integral Reports

The "Management Discussion and Analysis Report", "Corporate Governance Report", "Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability Report" form an integral part of this Directors' Report and have been placed as **Annexure "A" "B"** and "**C"** respectively.

The Management Discussion and Analysis Report provides an overview of the affairs of the Company, its business environment, mission and objectives, outlook, operational performance, its resources and systems, strengths, opportunities, constraints, risks and concerns, strategies, prospects, etc.

The Corporate Governance Report highlights the Company's philosophy on Corporate Governance and Key Value(s), composition of Board of Directors and its Committees, attendance and remuneration of Directors etc, other relevant disclosures, CEO/CFO Certification and general information for share holders. It is supplemented by the following compliance certificates.

- (i) A Certificate signed by the Chairman and Managing Director affirming receipt of compliance with the Code of Conduct from all Board members and Senior Management personnel during the year 2014-15 (placed at **Annexure "B-1"**) as per guidelines of Department of Public Enterprises on Corporate Governance;
- (ii) A Certificate from the Chairman and Managing Director and Director Finance with regard to authenticity of financial statements (placed at **Annexure** "B-2"); and

(iii) A Certificate of compliance of Corporate Governance signed by a practicing Company Secretary (placed at Annexure "B-3") as per guidelines of Department of Public Enterprises on Corporate Governance.

The Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability Report reflects RVNL's plans, policy, budget, expenditure, evaluation process for projects and CSR & Sustainability activities undertaken during the year.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Your Directors take pride to inform you that 2014-15 has been a year in which your Company has exceeded all previous performance parameters. The significant milestones achieved include:

- During 2014-15, 475.95 km (259.05 km of Doubling and 216.9 km of Railway Electrification) of project length have been physically completed.
- Highest ever turnover of ₹3141.97 crore has been achieved.
- Increase in Profit Before Tax to ₹236.35 crore:
- Profit After Tax (PAT) of the Company is at ₹185.71 crore, showing an increase of 17.97% over the previous year;
- The Directors of your Company have recommended a highest ever Dividend of ₹37.20 crore to the Ministry of Railways;
- Your Company has once again surpassed its performance targets set for Excellent in the Memorandum of Understanding (MoU) entered into with Ministry of Railways (MoR), Government of India in consultation with Department of Public Enterprises. Based on the overall performance, your Company has achieved 'Excellent' rating for the financial year 2013-14, as in previous years.

2. FINANCIAL RESULTS

Important indicators of the financial performance of RVNL of 2014-15 as compared to 2013-14 are mentioned below (rounded to nearest Rupees/crore): (₹ in crores)

| Particulars | 2014-15 | 2013-14 |
|--|---------|---------|
| Turnover | 3142 | 2492 |
| Total Income | 3238 | 2597 |
| Operating Income | 251 | 182 |
| Gross Margin (from operations) | 150 | 102 |
| Reserves & Surplus | 594 | 453 |
| Profit Before Tax | 236 | 195 |
| Profit After Tax | 186 | 157 |
| Networth | 2679 | 2538 |
| Appropriations | | |
| Proposed Final Dividend | 37.20 | 31.50 |
| Transfer to General Reserves | 10 | 10 |
| Transfer to CSR and Sustainability funds | 0.00* | 4.07 |
| Transfer to R&D Fund | 0.79 | 0.68 |

^{*}From the year 2014-15, no separate appropriation to CSR and Sustainability funds is required to be done, However, expenditure on CSR & Sustainability as per DPE guidelines would be reflected in the Balance Sheet.

टर्नओवर

कंपनी ने 2013—14 के ₹2492.37 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2014—15 के अंत में ₹3141.97 करोड़ का टर्न ओवर हासिल किया है अर्थात इसमें 26% की वृद्धि हुई।

टर्नओवर में यह वृद्धि, रेल मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त निधियां जारी किए जाने के कारण हुई है जो 2013—14 के ₹2319 करोड़ के मुकाबले 2014—15 में ₹2817 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान, एसपीवी के लिए शुरू किए गए कार्यों और अन्य निक्षेप कार्यों पर व्यय में वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के ₹174 करोड़ की तुलना में 2014—15 में बढ़कर ₹325 करोड़ हो गया है। रेविनिल के टर्नओवर में जोनल रेलों के कार्यों की हिस्सेदारी 2013—14 के ₹92.96 करोड़ की तुलना में 2014—15 में ₹27.93 करोड़ रही।

लाभ

कर पूर्व लाभ 2013—14 के ₹195.17 करोड़ से बढ़कर 2014—15 में ₹236.35 करोड़ हो गया है। मुख्य वृद्धि परियोजना निष्पादन से उच्चतम आय के कारण है, जो पिछले वर्ष के ₹101.75 करोड़ के मुकाबले 2014—15 में ₹150.09 करोड़ रहा। लाभांश से आय में ₹12.50 करोड़ की कमी हुई है ब्याज से आय के शेष में बढ़ोतरी हुई है।

पूंजी संरचना

₹3000 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूंजी वाली कंपनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹2085.02 करोड़ बनी रही। रेल मंत्रालय, भारत सरकार कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी का स्वामित्व रखता है।

निवल संपत्तियां

लाभ राशि में से आरक्षित निधियों और अधिशेष में ₹140.90 करोड़ के लाभ अंतरित किए जाने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी की निवल संपत्तियों में वृद्धि हुई है। तदनुसार, कंपनी की निवल संपत्तियों पिछले वर्ष के ₹2537.96 करोड़ से बढ़कर चालू वर्ष के अंत में ₹2678.86 करोड़ हो गई हैं।

लाभांश

कंपनी के बेहतर वित्तीय निष्पादन के परिणामस्वरूप बोर्ड निदेशकों ने शेयरधारकों के लिए 2013—14 के ₹31.50 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014—15 के लिए ₹37.20 करोड़ के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। रेविनिलि द्वारा 2014—15 के लिए घोषित लाभांश के साथ रेल मंत्रालय को अदा किया गया संचयी लाभांश ₹151.20 करोड़ हो जाएगा।

आरक्षित निधियां

कंपनी के लाभ से विनियोग द्वारा सामान्य आरक्षित निधि में ₹10 करोड़ की राशि अंतरित की गई है। ₹37.20 करोड़ का प्रस्तावित लाभांश और ₹7.62 करोड़ का लाभांश वितरण कर को हिसाब में लेने के बाद आरक्षित निधियों एवं अधिशेष के अंतर्गत शेष राशि 2013—14 के ₹452.94 करोड़ के मुकाबले 2014—15 में ₹593.84 करोड़ है।

सावधि जमाएं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

परियोजना अग्रिम / ऋण

वर्ष के दौरान, रेविनिल ने विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए रेल मंत्रालय से परियोजना अग्रिम के रूप में ₹2777.01 करोड़ की राशि प्राप्त की है। भारेविनि से ऋण : वर्ष के दौरान, भारेविनि से ऋण के रूप में ₹273 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त की गई। इसे मिला कर भारेविनि से कुल ₹2895.90 करोड़ की राशि प्राप्त की गई है। भारेविनि से लिए गए ऋणों के मूलधन और ब्याज का भुगतान रेल मंत्रालय द्वारा रेविनिल की बहियों में प्रविष्टि के रूप में किया जाता है। वर्ष के दौरान भारेविनि को इस मद में ₹164.25 करोड़ का भूगतान किया गया और बकाया ऋण ₹2226.15 रह गया है।


3. परियोजना निष्पादनः

3.1 परियोजनाओं का वास्तविक आकारः

रेल मंत्रालय ने रेविनिलि को निष्पादन के लिए 125 परियोजनाएं हस्तांतरित की हैं, जिन्हें मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों में वगीकृत किया जा सकता है:

| • | दोहरीकरण | 56 |
|---|--------------------|--------|
| • | आमान परिवर्तन | 11 |
| • | नई लाइनें | 14 |
| • | कोलकाता मेट्रो रेल | 4 |
| • | रेल विद्युतीकरण | 18 |
| • | कारखानें | 12 |
| • | अन्य | 10 |

विभिन्न योजना शीर्षों के अंतर्गत परियोजनाओं का वितरण, पूरी की गई और चाल परियोजनाओं को नीचे सारणी में दर्शाया गया है:





Turnover

The Company has achieved a Turnover of ₹3141.97 crore at the end of the financial year 2014-15 as compared to ₹2492.37 crore in 2013-14, i.e. an increase of 26%.

The increase in Turnover is due to release of additional funds for execution of projects in comparison to previous year by Ministry of Railways, reflecting an increase from ₹2319 crore in 2013-14 to ₹2817 crore in 2014-15. At the same time, there has also been an increase in the level of expenditure on works undertaken for SPVs and other deposit works to ₹325 crore during 2014-15 in comparison to ₹174 crore in the previous year. The share of works as reported by Zonal Railways, in RVNL's Turnover in 2014-15 is ₹27.93 crore compared to ₹92.96 crore during 2013-14.

Profit

Profit Before Tax increased from ₹195.17 crore in 2013-14 to ₹ 236.35 crore in 2014-15. The major increase is on account of higher income from project execution from ₹101.75 crore in previous year to ₹150.09 crore in 2014-15. There has been decrease in Dividend income by ₹12.50 crore and the balance increase is from interest income.

Capital Structure

With an authorized share capital of the Company of ₹3000 crore, there has been no change in the Capital Structure of the Company, with the paid-up share capital of the Company remaining at ₹2085.02 crore. Ministry of Railways, Government of India holds the entire share capital of the Company.

Net Worth

The Net Worth of your Company has increased over the previous year on account of transfer of profits amounting to ₹140.90 crore to Reserves and Surplus. Accordingly, the Net Worth of the Company has increased from ₹2537.96 crore at the end of previous year to ₹2678.86 crore at the end of the current year.

Dividend

As a result of improved financial performance of the Company, the Board of Directors have recommended a final Dividend of ₹37.20 crore for the year 2014-15 as compared to ₹31.50 crore in 2013-14 for consideration of the shareholders. The cumulative Dividend paid to Ministry of Railways

by RVNL will amount to ₹151.20 crore, including the Dividend declared for 2014-15.

Reserves

An amount of ₹10 crore has been transferred to General Reserves by appropriation from profits of the Company. After taking into account, the proposed Dividend of ₹37.20 crore and Dividend Distribution Tax of ₹7.62 crore, the balance under Reserves & Surplus at the end of 2014-15 stands at ₹593.84 crore in comparison to ₹452.94 crore in 2013-14.

Fixed Deposits

No deposits from the public have been accepted by the Company during the year under review.

Project Advance/Loans

RVNL received an amount of ₹2777.01 crore, as project advance, from Ministry of Railways (MoR) during the year for execution of various works.

Loans from IRFC: During the year, an additional amount of ₹273 crore was received as borrowings from IRFC. With this, the total amount received from IRFC is ₹2895.90 crore. The principal and interest on the borrowings from IRFC are repaid by Ministry of Railways (MoR) as a pass through entry in the books of RVNL. During the year an amount of ₹164.25 crore was paid to IRFC on this account, leaving an outstanding loan balance of ₹2226.15 crore.


3. PROJECT EXECUTION:

3.1 Physical Size of the Projects:

Ministry of Railways has transferred 125 projects to RVNL for execution, which may be broadly classified under the following heads:

| • | Doubling | 56 |
|---|-------------------------|----|
| • | Gauge Conversion | 11 |
| • | New Lines | 14 |
| • | Kolkata Metro Rail | 4 |
| • | Railway Electrification | 18 |
| • | Workshops | 12 |
| _ | Othoro | 10 |

The distribution of project length under various plan heads indicating the length completed and in hand is shown below:





2012 तक, रेविनिलि को हस्तांतिरत रेल विद्युतीकरण के कार्यों में वही कार्य शामिल थे जिनमें विद्युतीकरण का कार्य रेविनिलि द्वारा निष्पादित किए जा रहे अन्य कार्यों जैसे दोहरीकरण, आमान परिवर्तन आदि परियोजनाओं का हिस्सा था। बहरहाल, पिछले 3 वर्षों में निष्पादन के लिए केवल रेल विद्युतीकरण (रेवि) की परियोजनाएं भी हस्तांतिरत की गई हैं जिनमें मनहेरू – हिसार – रेवि, आमला – छिंदवाड़ा – कलुमना रेवि, जाखल – हिसार रेवि, जाखल – धुरी –लुधियाना रेवि, राजपुरा– धुरी – लेहरा मोहबत रेवि, छपरा–बलिया–गाजीपुर–वाराणसी रेवि, न्यू बोंगईगांव (सहित)–गुवाहाटी (सहित) रेवि {कटिहार–बरौनी (836 किमी) सहित बरौनी–कटिहार–गुवाहाटी का भाग रेवि} आदि शामिल हैं।

कारखानों, मेट्रो परियोजनाओं, तार वाले पुलों आदि के निर्माण वाली परियोजनाएं हस्तांतरित किए जाने से रेविनिलि द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं में विविधता आई है।

ये परियोजनाएं देश भर में फैली हुई हैं और भौगोलिक दृष्टि से भीतरी प्रदेशों

में परियोजनाओं के कुशल निष्पादन हेतु 19 स्थानों अर्थात् नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता (3 इकाइयां), चेन्नई, सिकन्दराबाद, भुवनेश्वर (2 इकाइयां), भोपाल (2 इकाइयां), कोटा, जोधपुर, वाल्टेयर, बेंगलूरू, पुणे, रायपुर (2 इकाइयां), लखनऊ, ऋषिकेश, पटना, अहमदाबाद, कानपुर और वाराणसी में परियोजना क्रियान्वयन इकाइयां (पीआईयू) स्थापित की गई है।

3.2 परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति की स्थिति

निष्पादन के लिए रेविनिलि को सौंपी गई 125 परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:--

मार्च, 2015 तक पूरी की गई परियोजनाएं : 46 परियोजनाएं, जिन पर कार्य चल रहा है : 76 परियोजनाएं जो अभी स्वीकृत की जानी हैं : 3

मार्च, 2015 तक पूर्ण हो चुकी 46 परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | रेलवे | परियोजना का नाम | परियोजना का प्रकार | लंबाई (किमी) |
|---------|----------------------------------|--|--------------------|--------------|
| 1 | मध्य रेलवे (मरे) | दीवा – कल्याण पांचवीं एवं छठी लाइन | दोहरीकरण | 11 |
| 2 | मध्य रेलवे (मरे) | पकनी – शोलापुर | दोहरीकरण | 16.28 |
| 3 | मध्य रेलवे (मरे) | पकनी – मोहोल | दोहरीकरण | 17 |
| 4 | मध्य रेलवे (मरे) | पनवेल – जसई जेएनपीटी | दोहरीकरण | 28.5 |
| 5 | पूर्व तट रेलवे (पूतरे) | जखपुरा – हरिदासपुर तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 23.3 |
| 6 | पूर्व तट रेलवे (पूतरे) | बिरूपा एवं महानदी नदियों पर दूसरे पुल सहित तलचेर—कटक—पारादीप दोहरीकरण | दोहरीकरण | 3 |
| 7 | पूर्व तट रेलवे (पूतरे) | कटक—बारंग | दोहरीकरण | 14.3 |
| 8 | पूर्व मध्य रेलवे (पूमरे) | बरौनी – तिलस्थ बाईपास | दोहरीकरण | 8.3 |
| 9 | पूर्व रेलवे (पूरे) | गुरूप – शक्तिगढ़ तीसरी लाइन का विस्तार | दोहरीकरण | 26 |
| 10 | उत्तर मध्य रेलवे (उमरे) | पलवल – भुतेश्वर तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 81 |
| 11 | उत्तर मध्य रेलवे (उमरे) | अलीगढ़ – गाजियाबाद तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 106.1 |
| 12 | दक्षिण मध्य रेलवे (दमरे) | पुल्लमपेट – बलपल्ले चरण। गूटी – रेणिगुंटा | दोहरीकरण | 41 |
| 13 | दक्षिण मध्य रेलवे (दमरे) | कृष्णापटनम — वेंकटाचलम | दोहरीकरण | 16.5 |
| 14 | दक्षिण मध्य रेलवे (दमरे) | गूटी – रेणिगुंटा कहीं–कहीं दोहरीकरण | दोहरीकरण | 151 |
| 15 | दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (दपूमरे) | बिलासपुर – उरकुरा तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 105 |
| 16 | दक्षिण पूर्व रेलवे (दपूरे) | पंसकुड़ा – खड़गपुर तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 45 |
| 17 | दक्षिण पूर्व रेलवे (दपूरे) | पंसकुड़ा – हल्दिया चरण l दोहरीकरण | दोहरीकरण | 14 |
| 18 | दक्षिण पूर्व रेलवे (दपूरे) | राजगोडा – तमलुक (जं. केबिन) | दोहरीकरण | 13.5 |
| 19 | दक्षिण पूर्व रेलवे (दपूरे) | तमलुक जं. केबिन – बसुल्या सुतहाटा | दोहरीकरण | 24.23 |
| 20 | दक्षिण पूर्व रेलवे (दपूरे) | टिकियापाड़ा — संतरागाछी | दोहरीकरण | 5.6 |
| 21 | दक्षिण रेलवे (दरे) | अहिपटु – कोरूक्कुपेट तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 18 |
| 22 | दक्षिण रेलवे (दरे) | पट्टबिरम – तिरूवल्लुर चौथी लाइन एवं तिरूवल्लुर – अरक्कोणम तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 41.89 |



Upto 2012, the RE works transferred to RVNL were only those where electrification was a part of some other work, such as doubling, gauge conversion, etc. being executed by RVNL. However, in the last 3 years, pure RE projects have also been transferred for execution such as Manheru - Hissar RE, Amla - Chhindwara - Kalumna RE, Jakhal - Hisar RE, Jakhal - Dhuri- Ludhiana RE, Rajpura - Dhuri - Lehra Mohabat RE, Chhapra - Ballia - Ghazipur - Varanasi - Allahabad RE, New Bongigaon (Incl) - Guwahati (Incl) RE {Part of Barauni - Katihar - Guwahati Incl. Katihar - Barsoi (836 km) RE} etc.

With the transfer of projects involving construction of workshops, Metro projects, construction of cable stayed bridge etc. RVNL has diversified the nature of projects being executed by it.

These projects are spread all over the country and for efficient

implementation of projects, Project Implementation Units (PIUs) have been established at 19 locations i.e. New Delhi, Mumbai, Kolkata (3 Units), Chennai, Secunderabad, Bhubaneshwar (2 Units), Bhopal (2 Units), Kota, Jodhpur, Waltair, Bengaluru, Pune, Raipur (2 Units), Lucknow, Rishikesh, Patna, Ahmedabad, Kanpur & Varanasi to execute projects in their geographical hinterland.

3.2 Status of physical progress of projects

The status of the 125 projects assigned to RVNL for execution is as under:-

Projects completed upto March 2015 : 46
Projects under implementation : 76
Projects yet to be sanctioned : 3

The list of 46 projects fully completed upto March, 2015 is as under:

| S. No. | Railway | Project Name | Type of Project | Length (km) |
|--------|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|
| 1 | Central Railway (CR) | Diva – Kalyan 5th & 6th Line | Doubling | 11 |
| 2 | Central Railway (CR) | Pakni - Solapur | Doubling | 16.28 |
| 3 | Central Railway (CR) | Pakni - Mohol | Doubling | 17 |
| 4 | Central Railway (CR) | Panvel - Jasai JNPT | Doubling | 28.5 |
| 5 | East Coast Railway (ECoR) | Jakhapura- Haridaspur 3rd Line | Doubling | 23.3 |
| 6 | East Coast Railway (ECoR) | Talcher-Cuttack-Paradeep Doubling with 2nd Bridge on Rivers Birupa & Mahanadi | Doubling | 3 |
| 7 | East Coast Railway (ECoR) | Cuttack - Barang | Doubling | 14.3 |
| 8 | East Central Railway (ECR) | Barauni - Tilrath Bypass | Doubling | 8.3 |
| 9 | Eastern Railway (ER) | Gurup - Saktigarh Extn of 3rd Line | Doubling | 26 |
| 10 | North Central Railway (NCR) | Palwal - Bhuteswar 3rd Line | Doubling | 81 |
| 11 | North Central Railway (NCR) | Aligarh - Ghaziabad 3rd Line | Doubling | 106.1 |
| 12 | South Central Railway(SCR) | Pullampet - Balapalle Ph I of Gooty - Renigunta Doubling | Doubling | 41 |
| 13 | South Central Railway(SCR) | Krishnapatnam - Venkatachalam Doubling With RE | Doubling | 16.5 |
| 14 | South Central Railway(SCR) | Gooty - Renigunta Patch Doubling | Doubling | 151 |
| 15 | South East Central Railway (SECR) | Bilaspur - Urkura 3rd Line | Doubling | 105 |
| 16 | South Eastern Railway (SER) | Panskura - Kharagpur 3rd Line | Doubling | 45 |
| 17 | South Eastern Railway (SER) | Panskura - Haldia Ph 1 Doubling | Doubling | 14 |
| 18 | South Eastern Railway (SER) | Rajgoda - Tamluk (Jn. Cabin) | Doubling | 13.5 |
| 19 | South Eastern Railway (SER) | Tamluk Jn. Cabin - Basulya Sutahata | Doubling | 24.23 |
| 20 | South Eastern Railway (SER) | Tikiapara - Santragachi | Doubling | 5.6 |
| 21 | Southern Railway (SR) | Attipattu - Korukkupet 3rd Line | Doubling | 18 |
| 22 | Southern Railway (SR) | Pattabiram - Tiruvallur 4th Line & Tiruvallur - Arakkonam 3rd Line | Doubling | 41.89 |

| क्र.सं. | रेलवे | परियोजना का नाम | परियोजना का प्रकार | लंबाई (किमी) |
|---------|----------------------------|---|--------------------|--------------|
| 23 | दक्षिण रेलवे (दरे) | तिरूवल्लुर – अरक्कोणम चौथी लाइन | दोहरीकरण | 28 |
| 24 | दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) | हॉस्पेट – गुंटकल | दोहरीकरण | 115 |
| 25 | उत्तर पश्चिम रेलवे (उपरे) | भगत की कोठी—लूणी | दोहरीकरण | 30.3 |
| 26 | उत्तर पश्चिम रेलवे (उपरे) | दिल्ली – रेवाड़ी | आमान परिवर्तन | 94.2 |
| 27 | उत्तर पश्चिम रेलवे (उपरे) | अजमेर – फुलेरा – रिंगस – रेवाड़ी | आमान परिवर्तन | 295 |
| 28 | उत्तर पश्चिम रेलवे (उपरे) | भिलड़ी — समदड़ी | आमान परिवर्तन | 223 |
| 29 | दक्षिण रेलवे (दरे) | तंजौर – विल्लुपुरम | आमान परिवर्तन | 192 |
| 30 | दक्षिण रेलवे (दरे) | कुड्डालोर – सेलम | आमान परिवर्तन | 193 |
| 31 | दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) | अर्सीकेरे – हासन – मंगलोर | आमान परिवर्तन | 230 |
| 32 | पश्चिम रेलवे (परे) | भरूच - सामनी - दाहेज | आमान परिवर्तन | 62 |
| 33 | पश्चिम रेलवे (परे) | गांधीधाम — पालनपुर | आमान परिवर्तन | 301 |
| 34 | पूर्व तट रेलवे (पूतरे) | दैतारी – बांसपानी | नई लाइन | 155 |
| 35 | दक्षिण रेलवे (दरे) | वल्लापरपदम – इदापल्ली | नई लाइन | 9 |
| 36 | पूर्व तट रेलवे (पूतरे) | तोमका – बांसपानी | रेवि | 144 |
| 37 | रेल विद्युतीकरण (रेवि) | तलचेर – कटक – पारादीप शाखा लाइन सहित खड़गपुर (नीमपुरा)–भुवनेश्वर | रेवि | 581 |
| 38 | रेल विद्युतीकरण (रेवि) | भुवनेश्वर – कोट्टावलसा | रेवि | 417 |
| 39 | दक्षिण मध्य रेलवे (दमरे) | रेणिगुंटा – गुंटकल | रेवि | 308 |
| 40 | दक्षिण मध्य रेलवे (दमरे) | येलहंका–धर्मावरम–गूटी | रेवि | 306 |
| 41 | पश्चिम रेलवे (परे) | भरूच – सामनी – दाहेज | रेवि | 64 |
| 42 | मध्य रेलवे (मरे) | पुंताम्बा – शिर्डी सहित दौंड – मनमाड़ | रेवि | 255 |
| 43 | पूर्व रेलवे (पूरे) | डीजल इंजन कलपुर्जा कारखाना, दानकुनी के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग कार्य | कारखाना | - |
| 44 | पूर्व रेलवे (पूरे) | दानकुनी—चिरेका की विद्युत रेलइंजन संयोजन और सहायक यूनिट की स्थापना | कारखाना | - |
| 45 | दक्षिण पूर्व रेलवे (दपूरे) | संकरेल / हल्दिया में डीजल मल्टीपल यूनिट विनिर्माण कारखाने की स्थापना | कारखाना | - |
| 46 | उत्तर पश्चिम रेलवे (उपरे) | सलावास में आईओसी की साइडिंग (निक्षेप कार्य) | अन्य | 2.82 |

कुल मिलाकर, रेविनिलि ने आज तक 1645 किमी का दोहरीकरण, 1590 किमी का आमान परिवर्तन, 194 किमी लंबी नई लाइनों और 2151 किमी के रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। इस प्रकार, 31.03.2015 तक रेविनिलि को सौंपी गई 122 स्वीकृत परियोजनाओं (3 अभी स्वीकृत की जानी हैं) की 11871 किमी में से कुल 5580 किमी का कार्य पूरा किया गया है।

3.3 2014-15 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं

2014—15 के दौरान, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के खंडों सहित परियोजना लंबाई के 475.95 किमी (259.05 किमी का दोहरीकरण और 216.9 किमी का रेल विद्युतीकरण) का कार्य वास्तविक रूप से पूरा किया गया, जिसका विस्तृत विवरण नीचे पैरा 3.6 में दिया गया है।

3.4 इसके अलावा, दोहरीकरण के कार्यों के भाग के रूप में विशिष्ट रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं के अलावा 154.8 किमी का रेल विद्युतीकरण किया गया था।

- 3.5 सिगनल प्रणाली और दूरसंचार कार्यों के निष्पादन के लिए क्षमता निर्माण की दिशा में किए जा रहे रेविनिलि के प्रयासों के सकारात्मक नतीजें सामने आए हैं और वर्ष के दौरान, दोहरीकरण और तीसरी लाइन से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू किया गया है जिनमें बड़े पैमाने पर सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग और व्यस्त मागों पर प्रमुख यार्डों की नई लाइनें शामिल है।
- 3.6 वर्ष के दौरान, पूरे किए गए खंडों में शामिल हैं:
- कटक—बारंग दोहरीकरणः इस पूरे खंड का कार्य (14.3 किमी) अक्टूबर, 2014 में पूरा किया गया था।



| S. No. | Railway | Project Name | Type of Project | Length (km) |
|--------|------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 23 | Southern Railway (SR) | Tiruvallur - Arakkonam 4th Line | Doubling | 28 |
| 24 | South Western Railway (SWR) | Hospet - Guntakal | Doubling | 115 |
| 25 | North Western Railway (NWR) | Bhagat Ki Kothi - Luni | Doubling | 30.3 |
| 26 | North Western Railway (NWR) | Delhi - Rewari | GC | 94.2 |
| 27 | North Western Railway (NWR) | Ajmer - Phulera - Ringus - Rewari | GC | 295 |
| 28 | North Western Railway (NWR) | Bhildi - Samdari | GC | 223 |
| 29 | Southern Railway (SR) | Thanjavur - Villupuram | GC | 192 |
| 30 | Southern Railway (SR) | Cuddalore - Salem | GC | 193 |
| 31 | South Western Railway (SWR) | Arasikere-Hassan-Mangalore | GC | 230 |
| 32 | Western Railway (WR) | Bharuch - Samni - Dahej | GC | 62 |
| 33 | Western Railway (WR) | Gandhidham - Palanpur | GC | 301 |
| 34 | East Coast Railway (ECoR) | Daitari - Banspani | NL | 155 |
| 35 | Southern Railway (SR) | Vallarpadam - Idapally | NL | 9 |
| 36 | East Coast Railway (ECoR) | Tomka -Banspani | RE | 144 |
| 37 | Railway Electrification (RE) | Kharagpur (Nimpura) - Bhubaneswar Including branch line of Talcher - Cuttack - Paradeep | RE | 581 |
| 38 | Railway Electrification (RE) | Bhubaneswar - Kottavalasa | RE | 417 |
| 39 | South Central Railway (SCR) | Reningunta - Guntakal | RE | 308 |
| 40 | South Central Railway (SCR) | Yelahanka - Dharmavaram - Gooty | RE | 306 |
| 41 | Western Railway (WR) | Bharuch - Samni - Dahej | RE | 64 |
| 42 | Central Railway (CR) | Daund-Manmad Incl. Puntamba- Shirdi | RE | 255 |
| 43 | Eastern Railway (ER) | Civil Engineering Works In Connection With Diesel Loco Component Factory, Dankuni | WKSP | - |
| 44 | Eastern Railway (ER) | Dankuni - Setting Up of Electric Loco Assembly And Ancillary Unit of CLW | WKSP | - |
| 45 | South Eastern Railway (SER) | Setting Up of Diesel Multiple Unit (DMU) Manufacturing Factory at Sankrail / Haldia | WKSP | - |
| 46 | NWR | IOC Siding at Salawas (Deposit Work) | Others | 2.82 |

Cumulatively, RVNL has till now completed a total of 1645 km of doubling, 1590 km of gauge conversion, 194 km of new lines and 2151 km of Railway Electrification. Thus, as on 31.3.15, 5580 km out of a total length of 11871 km of 122 sanctioned projects (3 are yet to be sanctioned) assigned to RVNL, have been completed.

3.3 Project length completed during 2014-15

During 2014-15, 475.95 km (259.05 km of Doubling and 216.9 km of Railway Electrification) of project length has been physically completed including sections of important projects as detailed in para 3.6 below.

3.4 In addition, Railway Electrification of 154.8 km was also carried out in other than specific Railway Electrification projects as part of Doubling Works.

- **3.5** RVNL's efforts towards capacity building in execution of Signaling and Telecommunication works have paid dividends and during the year important doubling, 3rd line projects have been commissioned involving large scale Solid State Interlocking and NIs of major yards on busy routes.
- **3.6** The details of sections completed during the year include:
- Cuttack Barang Doubling: The entire section (14.3 km) was completed in October, 2014.

- भोपाल-बीना तीसरी लाइनः सांची-विदिशा (9.1 किमी) खंड का कार्य जुलाई, 2014 में पूरा किया गया था।
- हॉसपेट-तिनाईघाट दोहरीकरणः 56.92 किमी लंबी इस परियोजना के अंतर्गत बन्नीकोप्पा-भानपुर(10.52 किमी) का कार्य अगस्त, 2014 में, हल्लकोटी—अन्नीगेरी (9.1 किमी) अक्टूबर, 2014 में, हर्लापुर—सोमुपर (8.8 किमी) सोमपुर-बन्नीकोप्पा (7.7 km) का कार्य नवंबर, 2014 में, हेबसर-नवलगंड (12.4 किमी) का कार्य दिसंबर, 2014 में और अन्नीगेरी—नवलगुंड (8.4 किमी) का कार्य जनवरी, 2015 में पूरा किया गया था।
- जरोली (बांसपानी)—जाखपुरा दोहरीकरणः 29.0 किमी. लंबी इस परियोजना के अंतर्गत हरिचंदनपुर-नीलकंठेश्वर (11.2 किमी) का कार्य मई, 2014 में, पोरजनपुर-गोलधी (7.4 किमी) का कार्य दिसंबर, 2014 में और सीताबिंजी-नीलकंठेश्वर (10.4 किमी) का कार्य फरवरी, 2015 में पुरा किया गया था।
- विल्लुपुरम-डिंडीगुल दोहरीकरणः 69.5 किमी लंबी इस परियोजना के अंतर्गत तमरईपदी-वडामंडारू का कार्य अप्रैल, 2014 में, कोलातुर-पुनग्डी (10.0 किमी) मई, 2014 में, वडामंडारू-अयालूर (८.० किमी) जून, २०१४ में, अरियालू–ओटाकोलि (८.५ किमी) जुलाई, 2014 में, परिकाल-तिरूवेनईनलूर (10.5 किमी) और मनापरई-चेटईपट्टी (7.0 किमी) सितंबर, 2014 में, पुनगगुडी- तिरूचिरापल्ली (9.0 किमी) एवं ओट्टाकोविल-सेंदुरई (8.5 किमी) दिसंबर 2014 और मनारपरई—चेट्टीपट्टी (7.0 किमी) का काय जनवरी 2015 में पूरा किया गया था।
- सल्का रोड अन्नुपपुर (फ्लाईओवर सहित) दोहरीकरणः यह भारतीय रेल के कोयले की ढुलाई करने वाले व्यस्त मार्ग पर स्थित है। वेंकटनगर—निगोरा (7.0 किमी) खंड का कार्य मई, 2014 में पूरा किया
- भगत की कोठी लूणी दोहरीकरणः लूणी बाईपास (1.2 किमी) का कार्य सितंबर, 2014 में पूरा किया गया, इसके साथ ही यह परियोजना पूरी हो गई है।
- रानी-केशवगंज दोहरीकरणः मोरीबेरा-कोठर (6.32 किमी) का कार्य सितंबर, 2014 में पूरा किया गया था।
- आबू रोड-सरोता रोड कहीं-कहीं दोहरीकरणः मवाल-श्री अमिरगढ़ (8.2 किमी) का कार्य जनवरी, 2015 में पूरा किया गया था।
- सरोता रोड-करजोड कहीं-कहीं चिटरासनी–करजोड (5.61 किमी) का कार्य जनवरी, 2015 में पूरा किया गया था।
- रेवाड़ी-मनहेरू दोहरीकरणः रेवाड़ी-किशनगढ़ बालावास (8.9 किमी) का कार्य जनवरी, 2015 में पूरा किया गया था।
- दौंड-गुलबर्गा दोहरीकरणः 18.0 किमी लंबी इस परियोजना के अंतर्गत मोहोल-मालिकपेठ (९.० किमी) फरवरी, २०१५ में और होटगी–तिलाटी (9.0 किमी) का कार्य मार्च, 2015 में पूरा किया गया था।
- तिरुवल्लूर-अराककोनम चौथी लाइनः 17.0 किमी लंबी इस परियोजना के अंतर्गत तिरूवल्लूर-कदमबहूर (6.0 किमी) फरवरी, 2015 और कदमबदूर-तिरुवलनगुडु (11.0 किमी) का कार्य मार्च, 2015 में पूरा किया गया, इस प्रकार यह परियोजना पूरी हो गई है।
- रायपुर-तितलागढ़ दोहरीकरणः महासमृंद-अरंद खंड (8.0 किमी) का कार्य मार्च, 2015 में पूरा किया गया था।
- येलहंका-धर्मावरम-गृटी रेविः 141.9 किमी लंबी इस परियोजना अंतर्गत नगासमुंद्रम—मक्काजीपल्ली (15 किमी) एवं

मलुगुर—हिंदूपुर व देवरपल्ले—विधुरावस्था (15 किमी) अप्रैल, 2014, देवरपल्ले–हिंदूपुर (11.0 किमी), मलुगुर–चकारियापल्ली–रंगेपल्ली (14.0 किमी) एवं धर्मावरम–बेसमपल्ली–मक्काजीपल्ली (27.0 किमी) मई, 2014 में, रंगेपल्ली-पेनुकोंडा (11 किमी), नारायनप्र-श्रीसत्यसाई निलायम (11.9 किमी) नारायनपूर-पेनुकोंडा-मक्काजीपल्ली (२६ किमी) जून, २०१४, और धर्मावरम-नगासुंदरम (11.0 किमी) का कार्य जुलाई, 2014 में पूरा किया गया, इस प्रकार यह परियोजना पूरी हो गई है।

- अमला-छिंदवाडा-कलुमना रेविः 37 किमी लंबी इस परियोजना के अंतर्गत अमला-जंबारा (10 किमी) सितंबर, 2014 और जंबारा-बोरधई-बरेलीपर-नवेगांव (27.0 किमी) का कार्य दिसंबर, 2014 में पुरा किया गया था।
- पुणे-वाडी-गुंतकल रेविः 38 किमी लंबी इस परियोजना के अंतर्गत उरली-येवत (12 किमी) और हदपसर-लूणी-उरली (26 किमी) का कार्य जुलाई, 2014 में पूरा किया गया था।
- चिरेका की बिजली रेलइंजन संयोजन और सहायक यूनिट की स्थापनाः दानकूनी में चिरेका की बिजली रेलइंजन संयोजन एवं सहायक युनिट की स्थापना संबंधी कारखाना परियोजना के निर्माण का कार्य हर लिहाज से मार्च, 2015 में पूरा हो गया है और इसे चिरेका को सौंप दिया गया है।

3.7 सिगनल और दूरसंचार

कंपनी ने दोहरीकरण, तीसरी लाइन, मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनल प्रणाली, यार्ड के ढांचे में परिवर्तन से जुड़े सिगनल कार्यों को शुरू करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वर्ष 2014-15 के दौरान, रेविनिलि ने 5 स्टेशनों पर तीसरी लाइन परियोजनाओं, 4 बड़े यार्ड, 12 मध्यवर्ती—खंड समपार और 4 आईबीएस सहित 17 स्टेशनों को चालू किया। कंपनी दूरसंचार कार्यों को भी सफलतापूर्व शुरू करने में समर्थ हुई जिनमें कुल 205 किमी लंबाई की ऑप्टिक फाइबर केबल और 6 क्वांड केबल बिछाना शामिल है।

3.8 कोलकाता मेट्रो परियोजनाएं

कोलकाता मेट्टो के विस्तार के लिए मार्च, 2010 में रेविनिलि को चार महत्वपूर्ण परियोजनाएं हस्तांतरित की गई, जो इस प्रकार है

- जोका बिनॉय बादल दिनेश बाग वाया माजेरहाट (16.72 किमी);
- नौपाड़ा (विस्तार) बाड़ानगर (2.6 किमी)
- दमदम एयरपोर्ट न्यू गड़िया वाया राजेरहाट (32 किमी);
- बाड़ानगर बैराकपुर एवं दक्षिणेश्वर (14.5 किमी);

महामहिम, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 22.09.2010 में जोका – बिनॉय बादल दिनेश बाग का शिलान्यास किया था। कार्यों के निष्पादन के ठेकें दिसंबर, 2010 में दिए गए थे। परियोजना के जोका – मोमिनपुर खंड पर 1191 पाइल्स, 285 पाइल कैप, 273 पियर्स, 273 पियर कैप और 267 सेगमेंट खड़े करने का कार्य पूरा किया गया है। अप्रैल, 2012 में जोका, ठाकुरपुर, सखेरबाजार, बेहाला बाजार और तरतला पर स्टेशनों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। स्टेशनों के लिए 1210 पाइलों, 202 पाइल कैपों, 183 पियरों और 3 पियर कैप का कार्य भी पूरा किया गया है। जोका, सखेरबाजार और में स्टेशनों की संरचना का कार्य पूरा होने वाला है। बहरहाल, केओपीटी की भूमि का भौतिक कब्जा नहीं देने, मिंट, रिहेब्लीटेशन इंडिया, चेरियल खाल, अतिक्रमण हटाने, सुविधाओं के स्थानांतरण, जोका डिपो को भूमि सौंपने, 232 पेड़ों को काटने, रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्तांतरित भूमि से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होने के कारण परियोजना का कार्य रुका हुआ है।

सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय, विस्तृत परियोजना



- Bhopal- Bina 3rd Line: Sanchi-Vidisha (9.1 km) section was completed in July, 2014.
- Hospet-Tinaighat Doubling: 56.92 km of project length comprising of Bannikoppa-Bhanapur (10.52 km) in August, 2014, Hulkoti-Annigeri (9.1 km) in October, 2014, Harlapur-Sompur (8.8 km) & Sompur-Bannikoppa (7.7 km) in November, 2014, Hebsur-Navalgund (12.4 km) in December, 2014 and Annigeri-Navalgund (8.4 km) in January, 2015 was completed.
- Jaroli (Banspani) Jakhapura Doubling: 29.0 km of project length comprising of Harichandanpur-Nilakantheswar (11.2 km) in May, 2014, Porjanpur-Goaldhi (7.4 km) in December, 2014 and Sitabinji Nilakantheswar (10.4 km) in Feburary, 2015 was completed.
- Villupuram Dindigul Doubling: 69.5 km of project length comprising of Tamaraipadi-Vadamadura in April, 2014, Kolatur-Pungudi (10.0 km) in May, 2014, Vadamadura-Ayyalur (8.0 km) in June, 2014, Ariyalur-Ottakovil (8.5 km) in July, 2014, Parikal-Tiruvennainallur (10.5 km) and Manaparai-Chettiyapatti (7.0 km) in September, 2014, Punggudi-Tiruchirapalli (9.0 km) & Ottakovil-Sendurai (8.5 km) in December, 2014 and Manaparai-Chettiyapatti (7.0 km) in January, 2015 was completed.
- Salka Road Annuppur (with Flyover) Doubling: This lies on the busy coal carrying route of Indian Railways. Venkatnagar- Nigaura (7.0 km) section was completed in May, 2014.
- Bhagat Ki Kothi Luni Doubling: Luni Bypass (1.2 km) was completed in September, 2014 thus completing the entire project.
- Rani-Keshavganj Doubling: Moribera-Kothar (6.32 km) was completed in September, 2014.
- Abu Road Sarotra Road Patch Doubling: Maval-Sri Amirgarh (8.2 km) was completed in January, 2015.
- Sarotra Road Karjoda Patch Doubling: Chitrasni-Karjoda (5.61 km) was completed in January, 2015.
- **Rewari-Manheru Doubling:** Rewari-Kisangarh Balawas (8.9 km) was completed in January, 2015.
- Daund Gulbarga Doubling: 18.0 km project length comprising of Mohol-Malikpeth (9.0 km) in February, 2015 and Hotgi-Tilati (9.0 km) in March, 2015 was completed.
- Tiruvallur-Arakkonam 4th Line: 17.0 km project length comprising of Tiruvallur-Kadambattur (6.0 km) in February, 2015 and Kadambattur-Tiruvalangadu (11.0 km) in March, 2015 was completed thus completing the entire project.
- Raipur Titlagarh Doubling: Mahasamund-Arand section (8.0 km) was completed in March, 2015.
- Yelahanka-Dharmavaram-Gooty RE: 141.9 km project length comprising of Nagasamudram - Makkajipalli (15 km) and Malugur-

Hindupur & Devarapalle-Vidhuraswatha (15 km) in April, 2014, Devarapalle-Hindupur (11.0 km), Malugur-Chakariapalli-Rangepalli (14.0 km) and Dharmavaram-Basempalli-Makkajipalli (27.0 km) in May, 2014, Rangepalli-Penukonda (11 km), Naryanapur-Sri Satyasainilayam (11.9 km) and Narayanpur-Penukonda-Makkkajipalli (26 km) in June, 2014 and Dharamavaram-Nagasundaram (11.0 km) in July, 2014 was completed, thus completing the entire project.

- Amala-Chhindwara-Kalumna RE: 37 km of project length comprising of Amla-Jambara (10 km) in September, 2014 and Jambara-Bordhai-Barelipar-Navegaon (27.0 km) in December, 2014 was completed.
- Pune Wadi-Guntakal RE: 38 km of project length comprising of Uruli - Yevat (12 km) and Hadapsar-Loni-Uruli (26 km) was completed in July, 2014.
- Setting up of Electric Loco Assembly and Ancillary Unit of CLW: Construction of a workshop project of setting up of Electric Loco Assembly and Ancillary Unit of CLW at Dankuni was completed in all respect in March, 2015 and handed over to CLW.

3.7 Signaling and Telecommunication

The Company has achieved commendable success in commissioning signaling works associated with doubling, third line, Intermediate Block Signaling and yard remodeling. During the year 2014-15, RVNL commissioned 17 stations including 5 stations on 3rd line projects, 4 major yards, 12 Mid- section LCs & 4 IBS. The Company has also been able to successfully commission telecom works involving laying of optic fibre cables and 6 Quad cables of a total of 205 km.

3.8 Kolkata Metro Projects

Four major projects for the extension of Kolkata Metro were transferred to RVNL in March $2010\,\text{viz}$.

- Joka Binoy Badal Dinesh Bagh Via Majerhat (16.72 Km);
- Naopara (Ex.) Baranagar (2.6 Km).
- Dum Dum Airport New Garia Via Rajerhat (32 Km);
- Baranagar Barrackpore & Dakshineswar (14.5 Km);

The foundation stone for Joka - Binoy Badal Dinesh Bagh project, was laid by Her Excellency, President of India on 22.09.2010. The contract for execution of works was awarded in December 2010. 1191 piles, 285 pile caps, 273 piers, 273 pier caps and 267 segment erection has been completed on the Joka - Mominpur section of the project. Work for construction of stations at Joka, Thakurpukur, Sakherbazar, Behala Bazar and Tartala has been awarded in April 2012. 1210 piles, 202 pile caps, 183 piers and 3 Pier Caps have also been completed for stations. Structures for stations at Joka, Sakherbazar and Thakurpukur are in advanced stage of completion. However, progress on the project is held up due to lack of physical possession of land of KoPT, non-resolution of issues pertaining to Mint, Rehabilitation India, Charial Khal, removal of

रिपोर्ट (DPR) तैयार नहीं थी, इस तथ्य को जानते हुए भी रेविनिलि ने प्रारंभ में इन परियोजनाओं के जल्दी निष्पादन के लिए इन पर तेजी से कार्य किया था। 2 स्टेशन इमारतों के निर्माण सिंहत नौपाड़ा — बाड़ानगर (2.6 किमी) एवं बाड़ानगर — दिक्षणेश्वर (2 किमी) का ठेका सितंबर, 2010 में दिया गया था, ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू न किए जाने के कारण इसे रद्द करना पड़ा था। निविदा पुनः आमंत्रित की गई और नया ठेका फरवरी, 2010 में दिया गया था। कॉरिडोर की विस्तृत डिजाइनिंग के बाद 399 पाइल्स, 43 पाइल कैंप, 29 पियर, 25 पियर कैंप और 103 गर्डरों की ढलाई का काम किया गया। अतिक्रमणों की गंभीर समस्याओं के बावजूद, दिक्षणेश्वर में स्टेशन का काम फिर शुरू हो गया है। वायाडक्ट निर्माण कार्य को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेस वे में 225 मीटर का डायवर्जन किया गया है। लगभग 500 अतिक्रमण ऐसे हैं, जिन्हें अन्यत्र बसाया / हटाया जाना है। ठेकेदार का कार्य मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण दूसरा ठेका भी रद्द हो गया है। शेष कार्य के लिए ठेका 27.10.2014 को दिया गया था और अब कार्य संतोषजनक ढंग से प्रगति पर है।

21.10.2011 को 4 पैकेजों में दमदम एयरपोर्ट — न्यू गढ़िया परियोजना के न्यू गढ़िया से रबिंद्र तीर्थ खंड के बीच वायाडक्ट भाग के लिए भी ठेका दे

दिया गया है। सर्वेक्षण और भू—तकनीकी कार्य पूरा हो गया है। 4698 वर्किंग पाइल्स, 500 पाइल कैप, 461 पियर्स, 367 पियर कैप और 2187 सेगमेंट को ढाला गया है और 1833 सेगमेंट रखे गए। 05.03.2014 को 21 स्टेशनों (3 पैकेजों) के लिए भी ठेकें दे दिए गए हैं। सभी स्टेशनों पर सर्वेक्षण, भू—तकनीकी कार्य और सुविधाओं के डायवर्जन का कार्य पूरा हो गया है। स्टेशनों के 636 पाइल, 24 पाइल कैप और 2 पियर को ढालने का काम पूरा हो गया है।

बाड़ानगर — बैराकपुर परियोजना में सड़क चौड़ा करने का ठेका दे दिया गया है और यूटिलिटी के पहचानने और भू—तकनीकी जांच कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा पानी की लाइनों को बंद किए जाने के पश्चात ही वायाडक्ट और स्टेशन के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इसका निर्णय पश्चिम बंगाल सरकार को अभी लेना है।

3.9 परियोजनाएं, जिन पर कार्य चल रहा है:-

कार्यान्वयन के विभिन चरणों के अधीन 76 परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | रेलवे | परियोजना का नाम | परियोजना का प्रकार |
|---------|--------------|--|--------------------|
| 1. | मरे | दौंड—गुलबर्गा | दोहरीकरण |
| 2. | मरे एवं दमरे | पुणे — गुंतकल | रेवि |
| 3. | पूतरे | खोर्दा रोड – बारंग तीसरी लाइन | दोहरीकरण |
| 4. | पूतरे | रजतगढ़ – बारंग | दोहरीकरण |
| 5. | पूतरे | हरिदासपुर – पारादीप | नई लाइन |
| 6. | पूतरे | अंगुल – सुकिंदा | नई लाइन |
| 7. | पूतरे | संबलपुर – टिटलागढ़ | दोहरीकरण |
| 8. | पूतरे | रायपुर – टिटलागढ़ | दोहरीकरण |
| 9. | पूतरे | बांसपानी — जाखपुरा | दोहरीकरण |
| 10. | पूतरे | टिटलागढ़ (छोड़कर)–रायपुर | रेवि |
| 11. | पूमरे | निओरा से दानिवान; दानिवान से बिहारशरीफ; बिहारशरीफ से बड़बीघा; | नई लाइन |
| | | बड़बीघा से शेखपुरा तक नई लाइन के विस्तार हेतु महत्वपूर्ण आशोधन | |
| | | सहित फतुहा–इस्लामपुर | |
| 12. | पूरे | दानकुनी – फुरफुरा | नई लाइन |
| 13. | पूरे | नबद्वीपघाट — नबद्वीपधाम | दोहरीकरण |
| 14. | उरे | नई दिल्ली – तिलक ब्रिज पांचवी और छठी लाइन | नई लाइन |
| 15. | उरे | उतरेतिया – रायबरेली | दोहरीकरण |
| 16. | उरे | ऋषिकेश — कर्णप्रयाग | नई लाइन |
| 17. | उरे | रायबरेली – अमेठी | दोहरीकरण |
| 18. | उरे | भानुपल्ली – बिलासपुर – बेरी | नई लाइन |
| 19. | उरे | जाखल – हिसार | रेवि |
| 20. | उरे | जाखल – धुरी – लुधियाना | रेवि |
| 21. | उरे | राजपुरा – धुरी – लेहरा मोहबत | रेवि |
| 22. | उमरे | भीमसेन – झांसी विद्युतीकरण सहित | दोहरीकरण |
| | | | |



encroachments, shifting of utilities, handing over of land for Joka depot, cutting of 232 trees and land transfer by Ministry of Defence

Initially, RVNL processed these projects at a quick pace for their early execution, despite the fact that no Detailed Project Report (DPR) was prepared at the time of sanctioning of these projects by the Government. The contract for Naopara - Baranagar (2.6 km) & Baranagar -Dakshineswar (2 km) including 2 station buildings was awarded in September 2010 which had to be terminated in November 2010 as the contractor did not start work. The tender was reinvited and fresh contract was awarded in February 2011. After detailed designing of the corridor, 399 piles, 43 pile caps, 29 piers, 25 pier caps and 103 I girders have been cast. Construction of station at Dakshineswar has again started despite severe problems of encroachments. A 225 m diversion of express way to facilitate construction of via duct has also been completed. There are about 500 encroachments which have to be relocated/ removed. The second contract has also been terminated due to poor performance of the contractor. Tender for balance work has been awarded on 27.10.2014 and work is now progressing satisfactorily.

The contracts for viaduct portion between New Garia to Rabindra Tirtha section of Dum Dum Airport - New Garia project in 4 packages have also been awarded on 21.10.2011. Survey and Geotechnical work have been completed. 4698 working piles, 500 pile caps, 461 piers, 367 pier caps and 2187 segments have been cast and 1833 segments have been launched. The contracts for 21 stations (3 Packages) have also been awarded on 05.03.2014. The Survey, Geotechnical work and Utility diversion are completed for all the stations. For stations, 636 piles, 24 pile caps and 2 piers have been cast.

In Baranagar- Barrackpore project, tender for road widening has been awarded, 100% of the utility identification work has been completed and 100% geotechnical investigation work has been completed. The tenders for viaduct and stations will be invited only after the water pipe lines are closed by the State Government. This decision is pending with the State Government of West Bengal.

3.9 Projects under implementation:-

The list of 76 projects under various stages of implementation is as under:

| S. No. | Railway | Name of Project | Type of Project |
|--------|----------|--|-----------------|
| 1. | CR | Daund - Gulbarga | Doubling |
| 2. | CR & SCR | Pune - Guntakal | RE |
| 3. | ECoR | Khurda Road - Barang 3rd Line | Doubling |
| 4. | ECoR | Rajatgarh - Barang | Doubling |
| 5. | ECoR | Haridaspur - Paradeep | New Line |
| 6. | ECoR | Angul - Sukinda | New Line |
| 7. | ECoR | Sambalpur - Titlagarh | Doubling |
| 8. | ECoR | Raipur - Titlagarh | Doubling |
| 9. | ECoR | Banspani - Jakhapura | Doubling |
| 10. | ECoR | Titlagarh (Excl) - Raipur | RE |
| 11. | ECR | Fatuah-Islampur incl. material modification for extension of new line from Neora to Daniawan; Daniawan to Biharsharif; Biharsharif to Barbigha; Barbigha to Sheikhpura | New Line |
| 12. | ER | Dankuni - Furfura | New Line |
| 13. | ER | Nabadwipghat - Nabadwipdham | Doubling |
| 14. | NR | New Delhi - Tilak Bridge 5th & 6th Line | New Line |
| 15. | NR | Utretia- Rae Bareli | Doubling |
| 16. | NR | Rishikesh - Karnaprayag | New Line |
| 17. | NR | Rae Bareli - Amethi | Doubling |
| 18. | NR | Bhanupalli - Bilaspur - Beri | New Line |
| 19. | NR | Jakhal - Hisar | RE |
| 20. | NR | Jakhal - Dhuri- Ludhiana | RE |
| 21. | NR | Rajpura - Dhuri - Lehra Mohabat | RE |

| क्र.सं. | रेलवे | परियोजना का नाम | परियोजना का प्रकार |
|---------|-----------------|---|----------------------|
| 23. | पूर्वीरे | लखनऊ – पीलीभीत वाया सीतापुर, लखीमपुर | आमान परिवर्तन |
| 24. | पूर्वीरे | छपरा–बलिया–गाजीपुर–वाराणसी–इलाहाबाद | रेवि |
| 25. | पूसीरे | न्यू बोंगईगांव (सहित)—गुवाहाटी (सहित) {कटिहार—बरसोई सहित बरोनी— कटिहार—गुवाहाटी (836 किमी) का भाग} | रेवि |
| 26. | उपरे | आबू रोड – सरोत्रा रोड | दोहरीकरण |
| 27. | उपरे | सरोत्रा रोड – करजोडा | दोहरीकरण |
| 28. | उपरे | आबू रोड – स्वरूपगंज | दोहरीकरण |
| 29. | उपरे | रानी – केशव गंज | दोहरीकरण |
| 30. | उपरे | करजोडा – पालनपुर | दोहरीकरण |
| 31. | उपरे | रेवाड़ी–मनहेरू रेवि सहित दोहरीकरण | दोहरीकरण |
| 32. | उपरे | मनहेरू–हिसार | रेवि |
| | उपरे | रानी – पालनपुर | रेवि |
| 33. | - उपर - दमरे | आंबुलावरीपल्ले – कृष्णपट्टनम का शेष खंड | नई लाइन |
| 34. | दमरे | रायचुर – गुंतकल का शेष खंड | नई लाइन |
| 35. | दमरे | गुंदुर —तेनाली विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण | दोहरीकरण |
| 36. | दमरे दमरे | गुटुर —तनाला विधुतिकरण सहित दहिराकरण विजयवाड़ा – गुडिवा डा – भीमावरम –नरसापुर, गुडिवा डा –मछलीपटनम एवं | दोहरीकरण दोहरीकरण |
| 37. | ५ ५ ५ ५ | भीमावरम – निदादवोलु रेवि सहित दोहरीकरण | दाहराकरण |
| 38. | दमरे | हॉसपेट – गुंटकल और तोमगल्लु – रंजीतपुरा | रेवि |
| 39. | दमरे | हैदराबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमएमटीएस) – चरण–॥ | एमटीपी |
| 40. | दपूरे | गोयलकेरा – मनोहरपुर तीसरी लाइन | दोहरीकरण |
| 41. | दपूमरे | अमला – छिंदवाड़ा – कलुमना | रेवि |
| 42. | दपूमरे | सल्का रोड – अन्नुपुर (फ्लाईओवर सहित) | दोहरीकरण |
| 43. | दपूमरे | दल्लीराजहरा — रावघाट | नई लाइन |
| 44. | दरे | विल्लुपुरम — डिंडीगुल | दोहरीकरण |
| 45. | दरे | पोनमलाई से पहले बाईपास लाइन सहित तंजावुर—पोनमलाई | दोहरीकरण |
| 46. | दपरे | हॉसपेट–हुबली–लोंडा–तिनियाघाटा–वास्को डि गामा | दोहरीकरण |
| 47. | पमरे | भोपाल – बीना तीसरी लाइन | दोहरीकरण |
| 48. | पमरे | बीना—कोटा | दोहरीकरण |
| 49. | पमरे | हबीबगंज—बरखेड़ा तीसरी लाइन | दोहरीकरण |
| 50. | पमरे | बरखेड़ा–बुधनी तीसरी लाइन | दोहरीकरण |
| 51. | पमरे | बुधनी–इटारसी तीसरी लाइन | दोहरीकरण |
| 52. | परे | अहमदाबाद—बोटाड | आमान परिवर्तन |
| 53. | परे | धासा – जेतलसर | आमान परिवर्तन |
| 54. | परे | पालनपुर — समख्याली | दोहरीकरण |
| 55. | मेट्रो | बाड़ानगर — बैरॉकपुर एवं दक्षिणेश्वर | मेट्रो / कोलकाता |
| 56. | मेट्रो | दमदम एयरपोर्ट – न्यू गढ़िया वाया राजेरहाट | मेट्रो / कोलकाता |
| 57. | मेट्रो | जोका–बिनॉय बादल दिनेश बाग वाया माजेरहाट | मेट्रो / कोलकाता |
| | | | |



| S. No. | Railway | Name of Project | Type of Project |
|--------|---------|--|------------------|
| 22. | NCR | Bhimsen - Jhansi Doubling with Electrification | Doubling |
| 23. | NER | Lucknow- Pilibhit via Sitapur, Lakhimpur | Gauge Conversion |
| 24. | NER | Chhapra - Ballia - Ghazipur - Varansi - Allahabad | RE |
| 25. | NFR | New Bongigaon (incl) - Guwahati (incl) {Part of Barauni - Katihar - Guwahati incl. Katihar - Barsoi (836 km)} | RE |
| 26. | NWR | Abu Road - Sarotra Road | Doubling |
| 27. | NWR | Sarotra Road - Karjoda | Doubling |
| 28. | NWR | Abu Roard - Swaroopganj | Doubling |
| 29. | NWR | Rani - Keshav Ganj | Doubling |
| 30. | NWR | Karjoda - Palanpur | Doubling |
| 31. | NWR | Rewari-Manheru Doubling with RE | Doubling |
| 32. | NWR | Manheru - Hissar | RE |
| 33. | NWR | Rani - Palanpur | RE |
| 34. | SCR | Balance Section of Obulavaripalle - Krishnapattnam | New Line |
| 35. | SCR | Balance Section of Raichur - Guntakal | Doubling |
| 36. | SCR | Guntur - Tenali Doubling with Electrification | Doubling |
| 37. | SCR | Vijaywada-Gudivada- Bhimavaram-Narasapur, Gudivada- Machlipatnam and Bhimavaram-Nidadavolu Doubling with Electrification | Doubling |
| 38. | SCR | Hospet - Guntakal and Tomagallu – Ranjitpura | RE |
| 39. | SCR | Multi-Modal Transport System (MMTS) - Phase-II in Hyderabad | MTP |
| 40. | SER | Goelkera - Manoharpur 3rd Line | Doubling |
| 41. | SECR | Amla - Chhindwara - Kalumna | RE |
| 42. | SECR | Salka Road - Annuppur (with Flyover) | Doubling |
| 43. | SECR | Dallirajhara - Raoghat | New Line |
| 44. | SR | Villupuram - Dindigul | Doubling |
| 45. | SR | Thanjavur - Ponmalai Doubling with Bypass Line before Ponmalai | Doubling |
| 46. | SWR | Hospet-Hubli-Londa-Tinaighat-Vasco da Gama | Doubling |
| 47. | WCR | Bhopal - Bina 3rd Line | Doubling |
| 48. | WCR | Bina - Kota | Doubling |
| 49. | WCR | Habibganj - Barkhera 3rd Line | Doubling |
| 50. | WCR | Barkhera- Budni 3rd Line | Doubling |
| 51. | WCR | Budni - Itarsi 3rd Line | Doubling |
| 52. | WR | Ahmedabad - Botad | Gauge Conversion |
| 53. | WR | Dhasa - Jetalsar | Gauge Conversion |
| 54. | WR | Palanpur - Samakhiali | Doubling |
| 55. | MET | Baranagar - Barrackpore & Dakshineswar | METRO/KOL |
| 56. | MET | Dum Dum Airport - New Garia Via Rajerhat | METRO/KOL |
| 57. | MET | Joka - Binoy Badal Dinesh Bagh Via Majerhat | METRO/KOL |
| 58. | MET | Naupara (Ex.) - Baranagar (Extension of Dum Dum – Naupara Metro Line) | METRO/KOL |

| क्र.सं. | रेलवे | परियोजना का नाम | परियोजना का प्रकार |
|---------|---------|--|--------------------|
| 58. | मेट्रो | नौपाड़ा (विस्तार) – बाड़ानगर (दमदम–नौपाड़ा मेट्रो लाइन का विस्तार) | मेट्रो / कोलकाता |
| 59. | कारखाना | बरौनी — 250 उच्च अश्व शक्ति इंजन शेड | कारखाना |
| 60. | कारखाना | बरौनी — 100 इलेक्ट्रिक इंजनों को खड़ा करने के लिए नया रेलइंजन शेड | कारखाना |
| 61. | कारखाना | खड़गपुर वर्कशॉप – वैगन प्रोटोटाइपिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना | कारखाना |
| 62. | कारखाना | अनारा (आद्रा) – सवारीडिब्बों के लिए मध्याविध पुनर्स्थापन कारखाने की स्थापना | कारखाना |
| 63. | कारखाना | वडोदरा – विद्युत इंजनों के लिए नए पीओएच कारखाने की स्थापना | कारखाना |
| 64. | कारखाना | वाराणासी — उच्च अश्व शक्ति वाले लोकों की उत्पादन क्षमता 200 से बढाकर 250 प्रतिवर्ष करना | कारखाना |
| 65. | कारखाना | एलएचबी डिजाइन वाले सवारीडिब्बों के लिए सपाट बोगियों के निर्माण के लिए कारखाना, यादगीर | कारखाना |
| 66. | कारखाना | मिस्रोड—विद्युत चल स्टॉक की मोटरयुक्त बोगियों की मरम्मत/पुनर्स्थापन हेतु कारखाने की स्थापना | कारखाना |
| 67. | कारखाना | फुलेरा–ब्राड गेज डीजल लोकोमोटिव शेड | कारखाना |
| 68. | मरे | प्रशासनिक / कार्यालय अवसंरचना का आवर्धन, शोलापुर मंडल, गुलबर्गा | ओएसडब्ल्यू |
| 69. | पूरे | बर्धमान यार्ड—2 लेन वाले उपरि सड़क पुल संख्या 213 के बदले 4 लेन वाला उपरि सड़क पुल | आरओबी |
| 70. | पूरे | समुद्रगढ़—नबादीपधाम—समपार संख्या 14 के बदले आरओबी | आरओबी |
| 71. | दरे | श्रीरंगम – तिरुच्चिरापल्ली टाऊन – 2 लेन वाले पुल संख्या 380–ए के बदले 4 लेन वाला आरओबी | आरओबी |
| 72. | दमरे | सिकंदराबाद— रेलवे लेखा केन्द्रीकृत प्रशिक्षण अकादमी में सुविधाओं का उन्नयन | ओएसडब्ल्यू |
| 73. | दमरे | मौला अली — भारतीय रेल वित्त प्रबंधन संस्थान की स्थापना | ओएसडब्ल्यू |
| 74. | दपूमरे | सेंट्रल जनरेटिंग एजेंसियों से डायरेक्ट पॉवर सप्लाई | ओईडब्ल्यू |
| 75. | पमरे | बुधनी पर अतिरिक्त कर्षण सबस्टेशन का प्रावधान | टीआरडी |
| 76. | मरे | दिघी पोर्ट नई लाइन | नई लाइन |

3.10 परियोजनाएं जिनकी स्वीकृति मिलना शेष है और उनका विकास

- 1. रेवास पोर्ट के लिए रेल संपर्क
- 2. सूरत हजीरा नई लाइन
- 3. विज़हीन्जम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड (VISL) के लिए रेल संपर्क

3.11 रेलों को सौंपी गई परियोजनाएं

2014—15 के दौरान परिचालन के लिए जोनल रेलों को 128.10 किमी के दोहरीकरण और 81.0 किमी के रेल विद्युतीकरण वाली परियोजनाओं के निम्नलिखित खंड सौंपे गए:

| 1. | विल्लुपुरम–डिंडीगुल दोहरीकरण का अरियालुर–कल्लाकुडी पालनगंथम (25 किमी) खंड | दरे |
|----|---|--------|
| 2. | पांसकुरा—खड़गपुर तीसरी लाइन का श्यामचक—खड़गपुर (19.5 किमी) | दपूरे |
| 3. | भोपाल–बीना तीसरी लाइन के पबई–गुलाबगंज (9.5 किमी), सुखी सेवानियन–भदभडाघाट (7 किमी) | पमरे |
| | और भदभडाघाट—दीवानगंज (10 किमी) खंड | |
| 4. | भगत की कोठी—लूणी (29.6 किमी) दोहरीकरण (संपूर्ण परियोजना) | उपरे |
| 5. | रायचुर—गुंतकल दोहरीकरण का कोश्गी—मंत्रालयम (14 किमी) खंड | दमरे |
| 6. | सल्का रोड–अनुप्पुर दोहरीकरण का चूल्हा–जैतहरि (8.5 किमी) और चूल्हा–अनुप्पुर (5 किमी) खंड | दमरे |
| 7. | दौंड—मनमाड का दौंड—पुंतांबा—शिर्डी रेवि खंड (81 किमी) | मरे |
| 8. | दानकुनी में चिरेका की विद्युत रेलइंजन संयोजन और सहायक इकाई की स्थापना | चिरेका |



| S. No. | Railway | Name of Project | Type of Project |
|--------|---------|--|-----------------|
| 59. | WKSP | Barauni - 250 High Horse Power Loco Shed | WKSP |
| 60. | WKSP | Barauni - New Loco Shed to Home 100 Electric Locos | WKSP |
| 61. | WKSP | Kharagpur Workshop - Setting up of centre of Excellence for Wagon Prototyping | WKSP |
| 62. | WKSP | Anara (Adra) Setting up of Mid-Life Rehabilitation Workshop for Coaches | WKSP |
| 63. | WKSP | Vadodara - Setting up of New PoH Shop for Electrical Locos | WKSP |
| 64. | WKSP | Varanasi - Augmentation of Production Capacity from 200 To 250 High HP Locos Per Year | WKSP |
| 65. | WKSP | Workshop for Manufacture of Flat Bogies for LHB Design Coaches, Yadgir | WKSP |
| 66. | WKSP | Misrod-Setting up of Workshop for Repair /Rehabilitation of Motorized Bogies of Electric Rolling Stock | WKSP |
| 67. | WKSP | Phulera- Broad Gauge Diesel Locomotive Shed | WKSP |
| 68. | CR | Augmentation of Administrative / Office Infrastructure, Solapur Division, Gulbarga | OSW |
| 69. | ER | Barddhaman Yard - 4-lane road over bridge in lieu of 2-lane road over bridge No. 213 | ROB |
| 70. | ER | Samudragarh- Nabadwipdham- ROB in lieu of LC No. 14 | ROB |
| 71. | SR | Srirangam - Tiruchchirapalli Town - 4 Lane ROB in lieu of 2 - Lane Bridge No. 380-A | ROB |
| 72. | SCR | Secunderabad- Upgradation of Facilites at Centralised Training Acedemy for Railway Accounts | OSW |
| 73. | SCR | Moula Ali - Setting up of Indian Railway Institute of Finance Management | OSW |
| 74. | SECR | Direct Power Supply from Central Generating Agencies | OEW |
| 75. | WCR | Provision of Addl. Traction Substation at Budhni | TRD |
| 76. | CR | Dighi Port New Line | New Line |

3.10 Projects under Sanction and Development

- 1. Connectivity to Rewas Port
- 2. Surat Hajira New Line
- 3. Rail Connectivity to Vizhinjam International Seaport Limited (VISL)

3.11 Projects handed over to Railways

The following sections of projects comprising of 128.10 km of Doubling and 81.0 km of Railway Electrification have been handed over to Zonal Railways for operations during 2014-15:

| 1. | Ariyalur-Kallakkudi Palanganatham (25 km) section of Villupuram-Dindigul Doubling | SR |
|----|---|-----|
| 2. | Shyamchak-Kharagpur (19.5 km) of Panskura-Kharagpur 3rd Line | SER |
| 3. | Pabai-Gulabganj (9.5 km), Sukhi Sewaniyan-Bhadbhadaghat (7 km) and Bhadbhadaghat- Diwanganj (10 km) sections of Bhopal-Bina 3rd line | WCR |
| 4. | Bhagat Ki Kothi-Luni (29.6 km) Doubling (entire project) | NWR |
| 5. | Kosgi-Mantralayam (14 km) Section of Raichur- Guntakal Doubling | SCR |
| 6. | Chhulaha- Jaitahari (8.5 km) and Chhulaha-Anuppur (5km) section of Salka Road-Anuppur Doubling | SCR |
| 7. | Daund- Puntamba- Shirdi RE section of Daund – Manmad RE (81 km) | CR |
| 8. | Setting up of Electric Loco Assembly and Ancillary Unit of CLW at Dankuni | CLW |



3.12 दुर्घटनाएं

वर्ष 2014—15 के दौरान रेविनिलि की परियोजना स्थलों पर दुर्घटना का कोई मामला सूचित नहीं किया गया।

3.13 एडीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं:

"रेलवे सेक्टर में सुधार" के लिए स्वीकृत प्रथम एडीबी ऋण (आईएनडी—1981) 31.12.2011 को बंद कर दिया गया है। निम्नलिखित 5 परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दूसरे एडीबी ऋण को भी स्वीकृत किया गया है:

- रायपुर–टिटलागढ़ दोहरीकरण
- संबलपुर-टिटलागढ़ दोहरीकरण
- हॉसपेट–तिनियाघाट दोहरीकरण
- दौंड–गुलबर्गा दोहरीकरण
- पुणे-गुंतकल रेल विद्युतीकरण

एडीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का अनुपालन करके निर्माण एवं भंडार प्राप्त करना तथा सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन जैसी विभिन्न ऋण शर्तों का अनुपालन अपेक्षित होता है। एडीबी द्वारा 500 मिलियन अमेरिकी डालर की बहुआयामी वित्त सुविधा पर सहमति दी गई है। इस बहुआयामी वित्त स्विधा के 150 मिलियन अमेरिकी डालर की प्रथम किस्त (ऋण सं. 2793—आईएनडी) के लिए ऋण करार पर जुलाई, 2012 में हस्ताक्षर हए। 2012–13 के दौरान 12 पैकेजों के लिए ठेकें दिए गए। शेष चार पैकेजों के लिए निविदाएं प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। इस बहुआयामी वित्त सुविधा के 130 मिलियन अमेरिकी डालर की दूसरी किस्त (ऋण संख्या 3108-आईएनडी) के लिए ऋण करार पर फरवरी, 2014 में हस्ताक्षर हुए। मार्च, 2014 में 60 किग्रा एवं 52 किग्रा की रेल पटरियों की आपूर्ति के लिए ठेकें दे दिए गए हैं। थिक वेब स्विच की आपूर्ति का ठेका दिसंबर, 2014 में दे दिया गया है। एडीबी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीतियों के कार्यान्वयन हेत् एनजीओ की नियुक्ति का ठेका दिया गया था और आर एंड आर के कार्य अंतिम चरण में है।

वर्ष 2014—15 के दौरान एडीबी द्वारा ₹434.87 करोड़, जो 71.99 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर हैं, की राशि प्रदान की गई।

3.14 ठेके देना

चूंकि रेविनिल द्वारा निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं का आकार बहुत बड़ा होता है, अतः शीघ्र संविदाएं प्रदान करने तथा शीघ्र कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए रेविनिलि निविदाएं कई पैकेजों में आमंत्रित करता है। प्रत्येक निविदा में तीन तक ठेका पैकेज शामिल हो सकता है। इस प्रक्रिया के कई लाभ है, जैसेः

- क) एक ही निविदा से कई ठेके प्रदान किए जा सकते हैं, जिससे निविदाएं आमंत्रित करने और उन्हें अंतिम रूप देने में लगने वाले समय तथा परिश्रम, दोनों की बचत होती है।
- ख) छोटी तथा बड़ी एजेंसियां, दोनों ही निविदा पैकेज के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगा सकती हैं जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
- ग) बड़ी एजेंसिया, जो बड़ी निविदाएं निष्पादित करने में सक्षम है, वे मितव्ययता लाने के लिए अनेक पैकेजों के लिए बोली लगा सकती है तथा

यदि उन्हें एक से अधिक संविदा प्रदान कर दी जाती है तो वे छूट के रूप में रेविनिलि को लाभ पहुंचा सकती है।

घ) छोटी एजेंसियां, जो परियोजना के लिए एकल पैकेज निविदा होने के कारण निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हुआ करती थी, अब वे किसी भी निविदा पैकेज में भाग ले सकती है क्योंकि अब वे किसी भी पैकेज की अर्हकता अपेक्षाओं को पूरा करती हैं, जो तुलनात्मक रूप से छोटी कीमत के होते हैं।

2014—15 के दौरान, लगभग ₹2972 करोड़ के ठेके प्रदान किए गए। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निम्नलिखित प्रमुख ठेकें दिए गए:

- ओबुलविरिपल्ले से वेंकटचलम तक बड़े आमान वाली नई रेल लाइन दक्षिण मध्य रेलवे, आन्ध्र प्रदेश, भारत के कडपा और निल्लौर जिलों में संरचना में मिट्टी संबंधी कार्य, बड़े और छोटे पुलों में गिट्टी रहित रेलपथ के साथ जरीब दूरी 18660 से 19600 तक और जरीब दूरी 23370 से 29990 तक दो सुरंगों के निर्माण सहित 17 / 0 किमी से 35 / 0 किमी तक रोडबेड का निर्माण (₹470.29 करोड़)
- पश्चिम बंगाल, भारत में कोलकाता मेट्रो रेलवे के नौपाड़ा (छोड़कर) बारानगर—दक्षिणेश्वर खंड के लिए जरीब दूरी 2591 मीटर से जरीब दूरी 6373 मीटर के बीच मेट्रो रेल लाइन के विस्तार संबंधी कार्य सिंहत पीएससी वायांडक्ट, तटबंध और स्टेशनों का निर्माण (₹319.20 करोड़)
- डीजल रेलइंजन कारखाना, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के संबंध में शेड, संरचनाओं, जलापूर्ति व्यवस्था, नालियों, सड़कों, ट्रैक, बिजली आपूर्ति व्यवस्था, सामान्य विद्युत कार्यों का निर्माण और मशीनें एवं संयंत्र की आपूर्ति, निर्माण और चालू करना (₹213.21 करोड़)
- थंजावुर—पुन्मलाई (४६.९६ किमी) के बीच रेलपथ के दोहरीकरण की व्यवस्था करना —दक्षिण रेलवे, तिमलनाडु के तिरूचिरापल्ली मंडल में रोडबेड, पुलों का निर्माण, गिट्टियों की आपूर्ति, प्लेटफार्म, इमारतों का निर्माण, रेलपथ बिछाना (पटिरयों और ट्रैक स्लीपरों की आपूर्ति को छोड़कर), विद्युत (सामान्य विद्युतीकरण), ओएचई में आशोधन, सिगनल और दूरसंचार कार्य (₹193.22 करोड़)
- पैकंज 1— "ओबुलविरपल्ले और वेंकटाचलम के बीच प्रस्तावित बड़े आमान वाली नई रेल लाइन—दक्षिण मध्य रेलवे, आन्ध्र प्रदेश, भारत में वल्लीकाल्लु (सिहत) और ब्राह्म्नपल्ली (छोड़कर) के बीच 35.000 किमी से 64.000 किमी. तक पावर लाइन क्रासिंग सिहत सामान्य विद्युत कार्य, संरचना में मिट्टी संबंधी कार्य, पुलों, निचले सड़क पुलों, स्टेशन इमारतों, कर्मचारी आवासों संबंधी कार्यों का निष्पादन" (₹185.46 करोड़)
- पैकेज 2 "ओबुलविरपल्ले और वेंकटाचलम के बीच प्रस्तावित बड़े आमान वाली नई रेल लाइन—दक्षिण मध्य रेलवे, आन्ध्र प्रदेश, भारत में और ब्राह्म्नपल्ली (सिहत) और वेंकटाचलम रोड जंक्शन (छोड़कर) के बीच 64.000 किमी से 93.000 किमी. तक पावर लाइन क्रासिंग सिहत सामान्य विद्युत कार्य, संरचना में मिट्टी संबंधी कार्य, पुलों, निचले सड़क पुलों, स्टेशन इमारतों, कर्मचारी आवासों संबंधी कार्यों का निष्पादन" (₹183.6 करोड़)
- ओडिशा और छत्तीसगढ़, भारत में पूर्व तट रेलवे के संबंलपुर मंडल में रायपुर—टिटलागढ़ के भाग लखना (छोड़कर)—अरंड (सहित) खंड



3.12 Accidents

During the year 2014-15, no accident was reported from any of the project sites on RVNL account.

3.13 ADB funded projects:

The first ADB loan (IND-1981) sanctioned for "Railway Sector Improvement" has been closed on 31.12.2011. A 2nd ADB Loan has also been sanctioned for funding of 5 projects, namely:

- Raipur-Titlagarh doubling
- Sambalpur-Titlagarh doubling
- Hospet-Tinaighat doubling
- Daund-Gulbarga doubling
- Pune-Guntakal Railway Electrification

The funding by ADB requires compliance of various loan covenants on resettlement and rehabilitation of project affected persons, procurement of works and stores following international competitive bidding and implementation of plans for mitigation of social and environmental impact norms. A Multi Tranche Financing Facility of \$ 500 million has been agreed to by ADB. The loan agreement for first Tranche (Loan No. 2793-IND) of this MFF for an amount of \$ 150 million was signed in July 2012. Contracts for 14 packages have been awarded. The tenders for the balance four packages are under various stages of process. The contract for General Consultants for these 5 projects had also been awarded in May 2013. The loan agreement for second Tranche (Loan No. 3108-IND) of this MFF for an amount of \$ 130 million was signed in February 2014. The contracts for supply of 60 kg Rails & 52 kg Rails were awarded in March, 2014. The contract for supply of Thick Web Switches has been awarded in December, 2014. Contract for appointment of NGOs to implement the rehabilitation and resettlement policies of the ADB was awarded and the work of R&R is in an advanced stage.

During the year 2014-15, an amount of ₹434.87 crore equivalent to \$71.99 million has been disbursed by ADB.

3.14 Contracting

As the size of projects being executed by RVNL is quite large, to ensure fast award and execution of projects, RVNL invites tenders consisting of multiple packages. Each tender may consist of upto three contract packages. This approach has a number of advantages such as:

- Multiple contracts can be awarded through one tender which saves time and effort in invitation and finalization of tenders.
- Both small and large agencies can compete for any contract package which increases competition.
- c) Large agencies who are capable of executing big contracts can quote for multiple packages to achieve economies of scale and pass on the benefit to RVNL by quoting discounts in case of award of more than one package.
- d) Smaller agencies, which would not be eligible to quote if the tender for the project was floated in a single package, are now able to

compete in any of the contract packages individually as they may meet the qualification requirements of individual packages which are of comparatively smaller value.

During 2014-15, contracts worth approximately ₹2972 crore were awarded.

The following major contracts were awarded by the Company during the year:

- New Broad Gauge Railway Line from Obulavaripalle to Venkatachalam - Construction of Roadbed from km 17/0 to 35/0 including construction of two tunnels from chainage 18660 to 19600 and chainage 23370 to 29990 with Ballastless track and earthwork in Formation, Major and Minor Bridges covering Kadapa and Nellore Districts of Andhra Pradesh in South Central Railway, India (₹470.29 crore)
- Construction of PSC viaduct, embankment and stations including works in connection with extension of Metro Railway Line between Ch: 2591m to Ch: 6373m for Noapara (Excluding) Baranagar-Dakshineshwar Section of Kolkata Meto Railway in the State of West Bengal, India (₹319.20 crore)
- Construction of Sheds, Structures, water supply arrangement, drainage, Road, track, power supply arrangement, general electrical works and supply, erection & commissionsing of machinery & plants in connection with augmentation of production capacity at Diesel Locomotive Works, Varanasi, Uttar Pradesh (INDIA) (₹213.21 crore)
- Provision of Doubling of track between Thanjavur Ponmalai (46.96 km) - Construction of roadbed, bridges, supply of ballast, Platforms, Buildings, Installation of track (excluding supply of rails and Track Sleepers), Electrical (General Electrification), Modification of OHE, Signaling and Telecommunication works in Tiruchchirapalli Division of Southern Railway, Tamil Nadu - India (₹193.22 crore)
- Package- 1 "Proposed new BG line between Obulavaripalle and Venkatachalam – Execution of earthwork in formation, bridges, road under bridges, station buildings, staff quarters, general electrical works including power line crossings from km 35.000 to km 64.000 between Vallikallu (including) and Brahmanapalli (excluding) in South Central Railway, Andhra Pradesh, India" (₹185.46 crore)
- Package- 2 "Proposed new BG line between Obulavaripalle and Venkatachalam – Execution of earthwork in formation, bridges, road under bridges, station buildings, staff quarters, general electrical works including power line crossings from km 64.000 to km 93.000 between Brahmanapalli (including) and Venkatachalam Road Junction (excluding) in South Central Railway, Andhra Pradesh, India (₹183.6 crore)
- Exection of Balance work for Construction of Roadbed, Major and Minor bridges, Track Linking (excluding supply of rails, ordinary

(68.936 किमी) के दोहरीकरण के संबंध में रोडबेड, बड़े एवं छोटे पुल, रेलपथ लिंकिंग, (पटिरयों, साधारण ट्रैक और स्लीपरों थिक वेब स्विचों की आपूर्ति को छोड़कर), आउटडोर सिगनल एवं विद्युत (सामान्य) संबंधी कार्यों के शेष निर्माण कार्यों का निष्पादन(₹183.17 करोड़)

- छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, भारत में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल सल्का रोड—खोंगसारा (25.8 किमी) और खोदरी—जैत्हिर (47.8 किमी) के बीच दोहरीकरण के संबंध में रोडबेड, बड़े एवं छोटे पुल, रेलपथ लिकिंग, (पटिरयों, साधारण ट्रैक और स्लीपरों थिक वेब स्विचों व विशेष स्लीपरों की आपूर्ति को छोड़कर) और ओएचई एवं सामान्य विद्युत संबंधी शेष कार्यों का निष्पादन (₹165.96 करोड़)
- एक चरण वाली दो पैकेट प्रणाली पैकेज 1 गुजरात, भारत में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर समख्याली और किदियानगर के बीच रेलपथ के दोहरीकरण के संबंध में रोडबेड, पुलों का निर्माण, गिट्टियों की आपूर्ति, रेलपथ बिछाना (पटरियों और पीएससी स्लीपरों की आपूर्ति को छोड़कर), सिगनल एवं दूरसंचार संबंधी कार्य (₹157.61 करोड़)
- छत्तीसगढ़, भारत में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में दल्लीराजहरा—रावघाट बड़े आमान वाली नई रेल लाइन परियोजना के संबंध में दोंडी—किओटी खंड (अर्थात 17.6 किमी से 42.6 किमी तक – कुल लंबाई 25 किमी) के लिए रोडबेड, बड़े और छोटे पुल, गिट्टियों की आपूर्ति, आवासीय और सर्विस इमारतों, प्लेटफार्म, सामग्रियों का परिवहन, सामान्य विद्युत आदि कार्यों का निष्पादन (₹146.55 करोड़)
- बिहार, भारत में पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल में बड़बीघा से शेखपुरा (16.8 किमी) तक नई लाइन के संबंध में रोडबेड, बड़े और छोटे पुल, आरयूबी, आरओबी, रेलपथ लिकिंग, सिगनल एवं दूरसंचार कार्य और सामान्य विद्युत संबंधी कार्यों का निष्पादन (₹129.67 करोड़)
- आन्ध्र प्रदेश, भारत में दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटूर मंडल पर गुंटूर—तेनाली खंड के रेल विद्युतीकरण के संबंध में रोडबेड, बड़े और छोटे पुल, रेलपथ लिंकिंग (पटिरयों और पीएससी लाइन स्लीपरों की आपूर्ति को छोड़कर), सामान्य विद्युत, कर्षण और सिगनल एवं दूरसंचार संबंधी कार्यों का निष्पादन (₹114.15 करोड़)
- पैकेज 2— गुजरात भारत में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में भिल्डी और दियोदर (29.48 किमी) के बीच दोहरीकरण के लिए रोडबेड, पुलों का निर्माण, गिट्टियों की आपूर्ति, रेलपथ बिछाना (पटरियों और पीएससी लाइन स्लीपरों की आपूर्ति को छोड़कर), विद्युत (सामान्य विद्युतीकरण), सिगनल एवं दूरसंचार संबंधी कार्य (₹95.96 करोड़)
- राजस्थान, भारत में उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में स्वरूपगंज—आबू रोड (26.00 किमी) के बीच दोहरीकरण के संबंध में रोडबेड, बड़े और छोटे पुल, आरयूबी, आरओबी, रेलपथ लिंकिंग, सिगनल एवं दूरसंचार कार्य और सामान्य विद्युत संबंधी कार्य" (₹94.23 करोड़)
- मध्य प्रदेश, भारत में पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में बड़नी और हौशंगाबाद स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन के संबंध में नींव, उपसंरचना, अधिसंरचना और सुरक्षा कार्यों सहित नर्मदा पुल का निर्माण (₹60.68 करोड़)

- हिरयाणा, भारत में उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में मनहेरू—हिसार खंडों के बीच 25 केवी, 50 हर्ट्ज, सिंगल फेज, कर्षण शिरोपरि उपस्कर, स्विचिंग स्टेशनों, कर्षण उप—स्टेशनों एससीएडीए, सिविल इंजीनियरिंग कार्य अर्थात सर्विस इमारत, आवास और अन्य संबंधित कार्य सहित सामान्य विद्युत सर्विसेज कार्यों के डिजाइन, आपूर्ति, उत्थापन और चालू करना (₹ 60.59 करोड़)
- रेविनिलि के लिए इंटीग्रेटिड आईटी सोल्युशन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन (53.02 करोड़)
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रेल सड़क परियोजनाओं के लिए भारतीय रेल विशिष्टियां आईआरएस—टी—10— 2000 (नवीनतम संशोधनों के साथ पिठत) के अनुरूप जेडयू—1—60 थिक वेब टंग पटिरयों और यूआईसी 60 किग्रा / एम (ग्रेंड 880, श्रेणी ए) स्टाक पटिरयों के साथ घुमावदार स्विचों के 710 सेट का विनिर्माण और आपूर्ति (₹52.67 करोड़)
- ओबुलविरपल्ले से वेंकटचलम रोड जंक्शन के बीच प्रस्तावित बड़े आमान वाली नई रेल लाइन — दक्षिण मध्य रेलवे में गुड़ुर से नल्लीर तक 154/148 किमी पर कस्मुर से वेंकटचलम रोड जंक्शन क्रासिंग एनएच 5 के बीच 93 से 95 किमी पर और कोमारापुदी और वेंकटाचलम के बीच रेलवे 155/22—24 किमी पर रेल ओवर रोड ब्रिज और रेल ओवर रेल ब्रिज (3X36 मी और 6X26.17मी) का प्रस्तावित निर्माण (₹33.60 करोड)
- छत्तीसगढ़, भारत में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में दल्लीराजहरा और रावघाट के बीच नई रेल लाइन के संबंध में दल्लीराजहरा—दौंडी खंड (17 किमी) के लिए विशेष स्लीपरों की आपूर्ति, एसईजे और गिट्टियों की आपूर्ति सहित और रेलपथ लिंकिंग, स्विचों की आपूर्ति, सीएमएस क्रासिंग (पटिरयों, स्लीपरों की आपूर्ति को छोड़कर) के कार्य (₹24.42 करोड़)
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रेल सड़क परियोजनाओं के लिए भारतीय रेल विशिष्टियां आईआरएस—टी—10— 2000 के अनुरूप जेडयू—1—60 थिक वेब टंग पटिरयों और यूआईसी 60 किग्रा / एम (ग्रेड 880, श्रेणी ए) स्टॉक पटिरयों के साथ घुमावदार स्विचों के 215 सेट का विनिर्माण और आपूर्ति (₹17.31 करोड़)
- हॉसपेट—तिनाईघाट दोहरीकरण कर्नाटक राज्य, भारत के धारवाड़ जिले में दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली मंडल पर हुबली और उन्कल स्टेशनों के बीच किमी 469.594 पर पहुंच मार्ग के कार्य को छोड़कर मौजूदा आरओबी 1x7.89 मी आरसीसी को तोड़ना और 1 x 24 मी स्टील थ्रू ट्रस कंपोजिट गर्डरों से पुनर्निमाण करना (₹6.68 करोड़)
- 2014—15 के दौरान, इन कार्यों के ठेकों के अलावा, एफएलएस, डीडीई और पीएमसी के लिए ₹116.35 करोड़ के ठेके भी प्रदान किए गए।

3.15 अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण (FLS)

2014—15 के दौरान 445 किमी वाली निम्नलिखित परियोजनाओं के अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किए गएः

- पालनपुर-समख्यालि दोहरीकरण (२७४.७३ किमी)
- अहमदाबाद—बोटाड आमान परिवर्तन (170.48 किमी)



track sleepers and thick web switches), Outdoor Signaling and electrical (General) works in connection with Doubling of Lakhana (Ex.) - Arand (In) section (68.936 km) part of Raipur-Titlagarh Doubling in Sambalpur Division of East Coast Railway in the States of Odisha & Chattisgarh, India (₹183.17 crore)

- Construction of Balance work of Roadbed, Major and Minor Bridges and Track linking (Excluding supply of Rails and Sleepers, Thick Web Switches and Special Sleepers) and OHE & General Electrical works in connection with doubling between Salka Road-Khongsara (25.8 km) and Khodri-Jaithari (47.8 km) on Bilaspur Division of South East Central Railway in Chhattisgarh and Madhya Pradesh States, India (₹165.96 crore)
- Single stage two packet system Package 1 Construction of Roadbed, bridges, supply of ballast, installation of track (excluding supply of rails & PSC sleepers), Electrical (General Electrification), Signaling and Telecommunication works for Doubling of Track between Samakhiyali and Kidiyanagar (34.66 km) in Ahmedabad Division of Western Railway, Gujarat, India (₹157.61 crore)
- Exection of works of Roadbed, Major & Minor brdges, supply of ballast, residential and swervice buildings, platform, transportation of materials, general electrical etc. for Dondi-Keoti Section (i.e. from 17.6 km to 42.6 km - total length 25 km) in connection with Dallirajhara - Rowghat new BG rail line project in Raipur Division of South East Central Railway in the State of Chhattisgarh, India (₹146.55 crore)
- Construction of Roadbed, Major and Minor Bridges, RUBs, ROBs, Track Linking, S&T Works and General Electrical Works in connection with new line from Barbigha to Sheikhpura (16.8km) on Danapur Division of East Central Railway in Bihar, India (₹129.67 crore)
- Construction of Roadbed, Major and Minor Bridges, Track Linking (Excluding supply of Rails and PSC Line sleepers), General Electrical, Traction and Signal & Telecommunication works in connection with Doubling with Railway Electrification of Guntur – Tenali section on Guntur Division of South Central Railway in Andhra Pradesh (₹114.15 crore)
- Package 2 Construction of Roadbed, bridges, supply of ballast, installation of track (excluding supply of rails & PSC line sleepers), Electrical (General Electrification), Signaling and Telecommunication works for Doubling of Track between Bhildi and Diyodar (29.48 km) in Ahmedabad Division of Western Railway, Gujarat, India (₹95.96 crore)
- "Construction of Roadbed, Major and Minor Bridges, RUBs, ROBs, Track Linking, S&T Works and General Electrical Works in connection with Doubling between Swaroopganj - Abu Road (26.00 km) on Ajmer Division of North Western Railway in Rajasthan, India (₹94.23 crore)
- Construction of Narmada Bridge along with foundation,

- substructure, superstructure and protection works in connection with third line between Budni and Hoshangabad stations on Bhopal-Itarsi Section of Bhopal Division of West Central Railway in the State of Madhya Pradesh, India (₹60.68 crore)
- Design, Supply, Erection, Testing & commissioning of 25KV, 50HZ, Single Phase, Traction Over-head Equipment, Switching Stations, Traction sub-stations SCADA, General Electrical Services works along with Civil Engineering Works i.e. Service Buildings, Quarters and other associated works between Section Manheru - Hisar in Bikaner Division of North Western Rallway in the State of Haryana, India (₹60.59 crore)
- Selection of System Integrator for an integrated IT Solution for RVNL (₹53.02 crore)
- Manufacture and supply of 710 sets of curved switches with ZU-1-60 thick web tongue rails and UIC 60 kg/m (Grade 880, class 'A') stock rails conforming to Indian Railway Specifications IRS-T-10-2000 (read along with the latest amendments) for various rail road improvement works in different regions of India (₹52.67 crore)
- Proposed New BG line between Obulavaripalle and Venkatachalam Road Junction - proposed construction of Rail Over Road Bridge and Rail Over Rail Bridge (3X36 m & 6X26.17m) at km 93 to 95 between Kasmur to Venkatachalam Road Junction crossing NH-5 at km 154/148 from Gudur to Nellore and Railway km 155/22-24 between Komarapudi and Venkatachalam in South Central Railway (₹33.60 crore)
- The work of Railway Track linking, supply of switches, CMS crossings (excluding supply of Rails, Sleepers) including supply of special sleepers, SEJs and supply of ballast etc. for Dallirajhara-Dondi Section (17 km) in connection with a new Rail link between Dallirajhra & Rowghat in Raipur Division of South East Central Railway in the Staste of Chhattisgarh, India (₹24.42 crore)
- Manufacture and supply of 215 sets of curved switches with ZU-1-60 thick web tongue rails and UIC 60 kg/m (Grade 880, class 'A') stock rails conforming to Indian Railway Specifications IRS-T-10-2000 for various rail road projects in different regions of India (₹17.31 crore)
- Hospet Tinaighat doubling Dismantling of existing ROB 1x7.89 m RCC and Reconstruction as 1 x 24 m steel through truss composite girder excluding approach works at km 469.594 between Hubli and Unkal Stations on Hubli Division of South Western Railway in Dharwad District, Karnataka State, India (₹6.68 crore)
- Beside these works contracts, Rs 116.35 crore value of FLS, DDE & PMC contracts have also been awarded during 2014-15.

3.15 Final Location Survey (FLS)

During 2014-15, 445 km of Final Location Survey (FLS) was carried out in the following projects:



परियोजना नियोजन एवं विकासः सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

रेविनिलि के संयुक्त उद्यम एसपीवी

रेल विकास निगम लिमिटेड (रेविनिलि) की स्थापना परियोजनाओं के विकास, वित्तीय संसाधन जुटाने और स्वर्णिम चतुर्भुज और पोर्ट संपर्कता को मजबूत करने से संबंधित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से की गई थी। रेविनिलि ने संयुक्त उद्यमों के रूप में पांच विशेष प्रयोजन योजनाओं (एसपीवी) का निर्माण किया है और रेविनिलि के केवल ₹620 करोड़ जो कुल निवेश का 12 प्रतिशत है, के अंशदान के साथ ₹5087 करोड़ (शेयर के रूप में ₹1795 करोड़ और ऋण के रूप में ₹3292 करोड़) के निवेश

को आकर्षित करने में सफल रहा (ब्यौरा नीचे प्रस्तुत) हैं। रेविनिलि द्वारा विकिसत पांच एसपीवी में से, कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड 2006 से पूरी तरह से कार्य कर रही है, कृष्णपटनम रेलवे कंपनी लिमिटेड 2008 से आंशिक रूप से कार्य कर रही है और भारूच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड का 2012 से पूरी तरह परिचालन शुरू हो गया है। भूमि अधिग्रहण के मसलों को समाप्त करने / समाधान करने के बाद हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड और सुकिंदा रेलवे लिमिटेड के गठन की प्रक्रिया चल रही है। पत्तन को मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए एक और एसपीवी के गठन हेतु दिधी पोर्ट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

| एसपीवी का नाम | कुल प्राधिकृत शेयर पूंजी | रेविनिलि व | के शेयर | साझेदारों | के शेयर | ऋण | जोड़ |
|---|-----------------------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | ₹ करोड़ | ₹ करोड | प्रतिशत | ₹ करोड़ | प्रतिशत | ₹ करोड़ | ₹ करोड़ |
| कच्छ रेलवे कं. लि. (301 किमी) | 250 | 125 | 50.0% | 125 | 50.0% | 300 | 550 |
| भारूच दाहेज रेलवे कं. लि. (63 किमी)* | 165 | 55 | 33.33% | 100 | 60.7% | 230 | 395 |
| कृष्णपटनम रेलवे कं. लि. (113 किमी) | 270 | 81 | 30.0% | 189 | 70.0% | 933 | 1203 |
| हरिदासपुर पारादीप रेलवे कं. लि. (82 किमी)** | 510 | 170 | 33.33% | 312 | 61.3% | 1092 | 1602 |
| अंगुल सुकिंदा रेलवे लि. (102 किमी) | 600 | 189 | 31.5% | 411 | 68.5% | 737 | 1337 |
| जोड़ | 1795 | 620 | 34.54% | 1137 | 63.34% | 3292 | 5087 |
| *₹9.89 करोड़ का इक्विटी अंतर | | | | | | | |
| **₹27.50 करोड़ का इक्विटी अंतर | | | | | | | |
| कुल निवेश – ₹5087 करोड़ | | | | | | | |
| रेविनिलि का अंशदान — ₹620 करोड़ अथवा 12% | | | | | | | |

क. कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड (केआरसी)

पश्चिम रेलवे पर गुजरात में गांधीधाम—पालनपुर (301 किमी आमान परिवर्तन) को जोड़ने वाली रेविनिलि की पहली एसपीवी ने 2006 में कार्य करना प्रारंभ किया। 2014—15 में इस कंपनी का टर्नओवर पिछले वर्ष के ₹483 करोड़ रुपए से बढ़कर ₹689 करोड़ रुपए (अनंतिम) होने की आशा है। कंपनी मुंद्रा और कांडला पत्तन से यातायात की प्रत्याशित वृद्धि को संभालने के लिए समख्याली—पालनपुर खंड (248 किमी) के दोहरीकरण की योजना बना रही है। इस परियोजना को रेल मंत्रालय द्वारा 2012—13 में ₹1266 करोड़ रुपए की लागत पर मंजूरी दी गई थी, जिसका वित्तपोषण केआरसी द्वारा आंतरिक उपचय के जिरये किया जाएगा तथा भारतीय रेल से कोई आर्थिक मदद नहीं ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, समख्याली से गांधीधाम (53 किमी) के बीच तीसरी लाइन के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो गया है।

ख. भारूच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड (बीडीआरसीएल)

पश्चिम रेलवे पर गुजरात में भरूच से दाहेज पत्तन को जोड़ने की आमान परिवर्तन परियोजना कार्यान्वित करने के लिए बीडीआरसीएल की स्थापना की गई थी। खंड में पहली मालगाड़ी दिसंबर, 2011 में चली। इस एसपीवी ने मार्च, 2012 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। 03.02.2014 से इस खंड पर यात्री गाड़ियां शुरू की गई। 2014—15 के लिए एसपीवी का टर्नओवर पिछले वर्ष के ₹70 करोड़ रुपये की तुलना में 124 (अनंतिम) करोड़ रुपये रहने की आशा है।

पश्चिम रेलवे ने एसपीवी को संपूर्ण रेलपथ के अनुरक्षण का निर्देश दिया है, जिसे सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इससे रेलों द्वारा सूचित अनुरक्षण लागत की तुलना में काफी बचत हो रही है।

ग. कृष्णपटनम रेलवे कंपनी लिमिटेड (केआरसीएल)

दक्षिण मध्य रेलवे पर आंध्र प्रदेश में ओबुलावरीपल्ले से कृष्णपटनम पत्तन (113 किमी) को जोड़ने वाली नई लाइन परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 11.10.2006 को केआरसीएल की स्थापना की गई थी। परियोजना का पहला चरण— नवंबर, 2008 में वेंकटचलम रेलवे स्टेशन को कृष्णपटनम पत्तन से जोड़ने वाली 20 किमी लाइन को चालू कर दिया गया है। पत्तन आयातित सामान के 14 से 18 रेकों का प्रतिदिन लदान कर रहा है। 2014—15 में एसपीवी का टर्नओवर पिछले वर्ष के 18. 35 करोड़ रुपये की तुलना में 27.61 करोड़ रुपये (अनंतिम) रहने की आशा है।

ओबुलावरीपल्ले से वेंकटचलम (93 किमी) के बीच चरण-II (17-35 किमी)



- Palanpur Samakhiali Doubling (274.73 km)
- Ahmedabad Botad Gauge Conversion (170.48 km)

PROJECT PLANNING & DEVELOPMENT- PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

Joint Venture SPVs of RVNL

Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), was created to undertake project development, mobilization of financial resources and implement projects pertaining to strengthening of Golden Quadrilateral and Port Connectivity. RVNL has created five Special Purpose Vehicle as Joint Ventures and has succeeded in attracting investment of ₹5087 crore (₹1795 crore as

equity and ₹3292 crore as debt), with a contribution of only ₹620 crore by RVNL, which is approximately 12% of the total investment (details given below). Of the five SPVs promoted by RVNL, Kutch Railway Company Limited has been fully operational since 2006, Krishnapatnam Railway Company Limited is partially operational since 2008 and Bharuch Dahej Railway Company Limited in 2012 commenced operations in full earnest. Construction of Haridaspur Paradip Railway Company Limited and Angul Sukinda Railway Limited is in progress after completion/resolving land acquisition issues. A Memorandum of Understanding has also been signed with Dighi Port Limited for forming another SPV to link the port with the main line.

| Name of SPV | Total Authorized Equity Capital | RVNĽs | Equity | Partner | s' Equity | Debt | Total |
|--|--|-------|--------|---------|-----------|------|-------|
| | ₹ Cr | ₹ Cr | %age | ₹ Cr | %age | ₹ Cr | ₹ Cr |
| Kutch Railway Co Ltd. (301 km) | 250 | 125 | 50.0% | 125 | 50.0% | 300 | 550 |
| Bharuch Dahej Railway Co. Ltd. (63 km)* | 165 | 55 | 33.33% | 100 | 60.7% | 230 | 395 |
| Krishnapatnam Railway Co. Ltd. (113 km) | 270 | 81 | 30.0% | 189 | 70.0% | 933 | 1203 |
| Haridaspur Paradip Railway Co.Ltd. (82 km)** | 510 | 170 | 33.33% | 312 | 61.3% | 1092 | 1602 |
| Angul Sukinda Railway Ltd.(102 km) | 600 | 189 | 31.5% | 411 | 68.5% | 737 | 1337 |
| Total | 1795 | 620 | 34.54% | 1137 | 63.34% | 3292 | 5087 |
| *Equity gap of ₹9.89 Cr | | | | | | | |
| **Equity gap of ₹27.50 Cr | | | | | | | |
| Total Investment = ₹5087 Cr | | | | | | | |
| RVNL contribution = ₹620 Cr or 12% | | | | · | | | |

a. Kutch Railway Company Limited (KRC)

The first SPV promoted by RVNL, connecting Gandhidham-Palanpur (301 km gauge conversion) in Gujarat on Western Railway, commenced operations in 2006. The turnover of the SPV for 2014-15 is expected to increase to ₹689 crore (provisional) as compared to ₹483 crore in the previous year.

The company is planning the doubling of Samakhyali - Palanpur section (248 km) to cater to the anticipated increase in traffic flows from Mundra and Kandla ports. The project has been sanctioned by the Ministry of Railways in 2012-13 at a cost of ₹1266 crore, which would be funded by KRC through internal accruals without any contribution of funds by Indian Railways. Further, the feasibility study for a 3rd line between Samakhyali and Gandhidham (53 km) has been completed.

b. Bharuch Dahej Railway Company Limited (BDRCL)

BDRCL was incorporated to implement the gauge conversion project connecting Bharuch to Dahej Port (62 km) in Gujarat on Western Railway. The first goods train ran on the section in December, 2011. The SPV

started commercial operations in March, 2012. Passenger services started on the section w.e.f. 3-2-2014. The SPV is expecting turnover of ₹124 crore (provisional) for 2014-15 as compared to ₹70 crore in the previous year.

Western Railway has temporarily directed the SPV to maintain the entire track, which Company is being done successfully. This is also affecting substantial savings compared to the cost of maintenance indicated by the railways.

c. Krishnapatnam Railway Company Limited (KRCL)

KRCL was incorporated on 11.10.2006 to implement the new line project connecting Obulavaripalle to Krishnapatnam Port (113 km) in Andhra Pradesh on South Central Railway. Phase I of the project- 20 km line connecting Venkatachalam Station with Krishnapatnam Port was commissioned in November, 2008. Port is loading 14 to 18 rakes of imported cargo every day. The SPV is expecting turnover of ₹27.61 crore (provisional) for 2014-15 as compared to ₹18.35 crore in the previous year.

का कार्य प्रगति पर है, जिसमें लगभग 7.8 किमी की कुल लंबाई की दो सुरंगें शामिल हैं।

घ. हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड (एचपीआरसीएल)

पूर्व तट रेलवे पर ओडिशा में हिरेदासपुर को पारादीप पत्तन (82 किमी) को जोड़ने वाली नई लाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एचपीआरसीएल की स्थापना 2006 में की गई थी। कुल 82 किमी लंबी परियोजना में से 68 किमी के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। बहरहाल, कुछ स्थानों पर भूमि देने वाले लोगों द्वारा अधिक मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन तथा अवरोध उत्पन्न करने से कार्य में बाधा पहुंची है। ओडिशा सरकार ने 2009 में भूमि देने वाले लोगों को अनुग्रह राशि के रूप में अतिरिक्त मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा था। जुलाई, 2013 के अंत तक ₹42.05 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से मार्च, 2015 तक के अंत तक भूमि देने वाले लोगों के लिए अनुग्रह राशित है। इस एसपीवी का गठन पत्तन रेलों के अनुरक्षण, उन्नयन और आधुनिकीकरण शुरू करने और जहां कहीं अपेक्षित हों, वहां क्षमता संवर्धन मुहैया कराने के लिए किया गया है।

बैंकग्राहयता अध्ययन

वर्ष के दौरान,

- रेविनिलि को सौंपी गई निम्नलिखित परियोजनाओं की बैंकग्राहयता रिपोर्ट पूरी हो गई हैं और आगे की कार्यवाही करने के लिए रेल मंत्रालय को भेज दी गई हैं:
- (क) रेवास पत्तन के लिए रेल संपर्क (महाराष्ट्र में);
- बीओडी / रेविनिलि द्वारा स्वीकृत बैंकग्राहयता अध्ययनः
- (क) भीमसेन-झांसी रेवि सहित दोहरीकरण
- (ख) रेवाडी-मनहेरू दोहरीकरण
- (ग) हबीबगंज-इटारसी तीसरी लाइन
- बीओडी / रेविनिलि की स्वीकृति के अधीन बैंकग्राहयता अध्ययनः
- (क) बीना-कोटा दोहरीकरण
- (ख) रानी–केशवगंज दोहरीकरण
- (ग) तमलुक-बसुलया दोहरीकरण
- (घ) त्रिवल्लूर-अरककोणम चौथी लाइन
- (ड.) गुंटूर-तेनाली दोहरीकरण
- (च) गोलखेड़ा–मनोहरपुर तीसरी लाइन
- एसपीवी, जिनका गठन किया जा रहा है:
- (क) दिघी पत्तन के लिए रेल संपर्क (रेविनिलि और दिघी पोर्ट लि. के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए)
- (ख) पोत परिवहन के अधीन एसपीवी, जिसमें रेविनिलि इक्विटी साझेदार है

- बैंकग्राहयता अध्ययन, जो प्रगति पर हैं:
- (क) कच्छ रेलवे कंपनी के लिए बिजनस प्लान तैयार करना
- (ख) दक्षिण मध्य रेलवे पर संजामाला स्टेशन से सीमेंट के कारखानों के लिए रेल संपर्कता

सहायक कंपनीः

हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचएसआरसी)

350 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से यात्री गाड़ियों को चलाने के उद्देश्य से भारत में हाई स्पीड रेल (एचएसआरसी) गलियारे विकसित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की सहमति से रेल विकास निगम लिमिटेड (रेविनिलि) की एक सहायक कंपनी के रूप में हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचएसआरसी) का गठन किया गया। कॉर्पोरेशन और एचएसआरसी द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं का विवरण निदेशक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट के भाग '1' में देखे जा सकते हैं।

कार्मिक विकास

रविनिलि में एचआर नीतियां कंपनी में अनुभवी और कुशल कर्मियों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक जरूरतों के अनुरूप हैं। परियोजना आधारित कंपनी होने के नाते, इस जरूरत के एक बड़े भाग को रेलकर्मियों को प्रतिनियुक्त पर बुलाकर पूरा किया जाता है, जो अपने साथ भारतीय रेलों में काम करने विस्तृत अनुभव अपने साथ लेकर आते हैं। रेविनिलि के पास आप संवर्ग भी है, जिसे रेलों और पीएसयू के समाहन के इच्छुक कर्मचारियों को लेकर बनाया गया है। 31.03.2015 को कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 415 है, जिनमें से 126 नियमित कर्मचारी हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, रेविनिलि के पास देश में रेल अवसंरचना के विकास हेतु तकनीकी कर्मचारियों का सर्वश्रेष्ठ पूल है।

कर्मचारियों को किसी भी संगठन की कीमती पूंजी माना जाता है और रेविनिलि के पास कर्मचारियों द्वारा अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करने के लिए उनको प्रेरित करने और उनका हौंसला बढ़ाने के लिए आकर्षक और कर्मचारी हितैषी नीतियां हैं। आवासों के बढ़ते किराये की समस्या का समाधान करने के लिए निजी लीज आवास की उपरि सीमा में यथोचित वृद्धि की गई है। रेविनिलि प्रबंधन मानता है कि प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाने और इसे बनाए रखने के लिए प्रतिभा का विकास करना बहुत जरूरी है। कर्मचारियों की कुशलता और हुनर को निखारने और रेल निर्माण में होने वाले नवीनतम प्रौद्योगिकीय बदलावों से उन्हें अवगत कराने के लिए, उन्हें कार्यात्मक जरूरतों के लिए प्रासंगिक विभिन्न प्रबंधकीय और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया है। वर्ष 2014—15 के दौरान, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये कर्मचारियों को 594 कार्यदिवसों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

रेविनिलि ने 12 अप्रैल, 2014 को आयोजित वर्षिक स्थापना समारोह के अवसर पर व्यक्तिगत / ग्रुप अवार्ड्स के जिरये शील्ड और नकद पुरस्कार देकर उत्कृष्ट कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया। अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और सदस्य इंजीनियरी ने 17 उत्कृष्ट कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करने के अलावा, निम्नलिखित परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों को उनके शानदार कार्य प्रदर्शन के लिए शील्डें प्रदान की गई:—



Construction of phase-II of the work between Obulavaripalle to Venkatachalam (93 km), which includes two tunnels with a total length of about 7.8 km, is in progress.

d. Haridaspur Paradip Railway company Limited (HPRCL)

HPRCL was incorporated in 2006 to implement the new line project connecting Haridaspur to Paradip Port (82 km) in Odisha on East Coast Railway. Land has been acquired for 68 kms out of the total project length of 82 kms. Company has faced problems from land losers as they had impeded the progress of construction at some locations demanding additional compensation. Government of Odisha had proposed for payment of ex-gratia additional compensation in 2009. An amount of ₹42.05 crore has been released till end of July 2013 out of which an amount of ₹41.093 crore has been disbursed towards payment of exgratia for land losers till end of March 2015. Due to return of application money of ₹27.50 crore to Posco Ltd. an equity gap has occurred.

Contract for important bridge on Luna River is under execution and Bridge on Mahanadi River has been completed and handed over to RVNL. Three new contracts have been awarded for constructing road beds and major bridges. Approval for forest land has been received. HPRCL has now achieved financial closure to meet its project funding requirements.

e. Angul Sukinda Railway Limited (ASRL)

ASRL was formed in February, 2009 to implement the new line project connecting Angul to Sukinda Road (102 km) in Odisha on East Cost Railway. The process of land acquisition is in progress through East Cost Railway. The Project requires 1200 acres of private land, 221 acres of Government land 351 acres of forest land i.e. total 1772 acres. Acquisition of both government and private land is an advanced stage. Confirmatory final location survey (FLS) has been completed. Work is in progress for earthwork formation, minor bridges and road over bridges. CONCOR has joined as a new equity partner in the project contributing Rs.156 crore (26%) equity.

Newly formed Special Purpose Vehicle (SPV)

a. Dighi Roha Rail Limited (DRRL)

A Memorandum of Understanding was signed between RVNL and Dighi Port Limited on 18.4.2015 in the presence of Hon'ble Minister of Railways and the Chief Minister of Maharashtra for formation of a SPV for linking the port to the rail head at Roha. The name of the SPV as approved by the Ministry of Corportae Affairs is Dighi Roha Rail Limited. The incorporation of this SPV is under process.

Formation of a SPV named Indian Port Rail Corportation Limited between RVNL and Major Ports of India under Ministry of Shipping

A new SPV named Indian Port Rail Corporation Limited has been registered as a Company on 10.7.2015 under the Companies Act, 2013 by Ministry of Shipping with an initial Authorised Capital of ₹500 Crores.The stakeholders are 12 Major Ports and RVNL. RVNL's equity participation is limited to Rs. 10 crore only i.e. 10% of the initial subscribed share capital.This SPV has been formed to undertake maintenance, upgradation and modernisation of the Port Railways and also provide capacity augmentation wherever required.

Bankability studies

During the year,

- Bankability reports for the following projects, which were assigned to RVNL, have been completed and sent to Ministry of Railways for taking further action:
- (a) Rail connectivity to Rewas Port (in Maharashtra);
- Bankability study approved by BOD/RVNL:
- (a) Bhimsen Jhansi Doubling with RE
- (b) Rewari- Manheru Doubling
- (c) Habibganj-Itarsi 3rd Ilne
- Bankability studies under approval of BOD/RVNL
- (a) Bina Kota Doubling
- (b) Rani-Keshavgani Doubling
- (c) Tamluk-Basulaya Doubling
- (d) Tiruvallur-Arrakonam 4th line
- (e) Guntur-Tenali Doubling
- (f) Goelkera Manoharpur 3rd line
- SPVs under formation:
- (a) Rail Connectivity to Dighi Port (MOU signed between RVNL and Dighi Port Ltd)
- (b) SPV under Ministry of Shipping where RVNL is also an Equity Partner
- Bankability studies in Progress:
- (a) Preparation of Business Plan for Kutch Railway Company
- (b) Rail connectivity to Cement plants From Sanjamala station on South Central Railway

SUBSIDIARY:

High Speed Rail Corporation of India Limited (HSRC)

High Speed Rail Corporation of India Ltd. (HSRC) has been formed as a wholly owned subsidiary of Rail Vikas Nigam Ltd. (RVNL), with the approval of President of India, to develop High Speed Rail (HSRC) Corridors in India to run passenger trains at speed of upto 350 km per hour. The details of Corporation and Projects being undertaken by HSRC may be seen in the Directors Report included as Part 'I' of the Report.

PERSONNEL DEVELOPMENT

The HR policies in RVNL have been aligned with the short-term and long-term requirements of experienced and skilled personnel in the Company. Being a project based Organisation,the requirement is largely met by drafting Railway employees on deputation who bring with them rich experience of working on the Indian Railways. RVNL has also a cadre of its own, created by absorbing willing employees from Railways and PSUs. As on 31.3.2015, the strength of the company stood at 415, out of which 126 are regular employees. As per requirement RVNL possesses one of the finest pools of technical manpower to the development of rail infrastructure in the country.

| 1. | सर्वश्रेष्ठ पीआईयू (विजेता) च | पे न् नई |
|----|----------------------------------|-------------------------------|
| 2. | सर्वश्रेष्ट पीआईयू | भोपाल |
| | (उप विजेता) | |
| 3. | सर्वश्रेष्ठ परियोजना | गूटी-पल्लमपेट कहीं कहीं |
| | | दोहरीकरण परियोजना |
| | | (पीआईयू, सिकंदराबाद) |
| 4. | अधिकतम व्यय | पीआईयू, चेन्नई |
| 5. | मेट्रो प्रोजेक्ट में सर्वश्रेष्ठ | न्यू गढ़िया–एयरपोर्ट परियोजना |
| | पीआईयू | (पीआईयू) कोलकाता) |
| 6. | सर्वश्रेष्ठ कारखाना | चिरेका–दानकनी कारखाना |
| | परियोजना | (पीआईयू, माजेरहाट, कोलकाता) |
| 7. | रेवि परियोजना में सर्वश्रेष्ठ | पीआईयू, सिकंदराबाद |
| | पीआईयू | |
| 8. | सिगनल कार्य में सर्वश्रेष्ठ | पीआईयू लाइन, कोलकाता |
| | पीआईयू | |

ग्रुप अवार्ड्सः

- i) मुख्य परियोजना प्रबंधक-II और III/भुवनेश्वर और उनकी टीम
- ii) मुख्य परियोजना प्रबंधक / हुबली और उनकी टीम
- iii) ग्रुप महाप्रबंधक / विद्युत / भोपाल और उनकी टीम
- iv) मुख्य परियोजना प्रबंधक / माजेरहाट (कोलकाता) और उनकी टीम

कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में कॉर्पोरेट ऑफिस में एक एलोपैथिक और होम्यो चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कंपनी चिकित्सा उपचार के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं मुहैया कराती है। प्रमुख अस्पतालों द्वारा लिए जाने वाले कमरे के किराये के अनुरूप कर्मचारियों के इंडोर उपचार के लिए कमरे के किराये की अधिकतम सीमा में बदलाव किया गया है।

कंपनी ने 'स्वच्छ भारत अभियान' के अनुरूप रेविनिलि के कॉर्पोरेट आफिस परिसर और परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों में स्वच्छता अभियान शुरू किए हैं।

औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंध पूरे वर्ष मधुर और सौहार्दपूर्ण बने रहे।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

कंपनी के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुरूप अपनी एक यौन—उत्पीड़न निरोधक नीति है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निबटारा करने के लिए रेविनिलि में "विशाखा कमेटी" नाम से एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी इस नीति के दायरे में आते हैं।

वर्ष के दौरान, प्राप्त की गई और निबटाई गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

प्राप्त की गई शिकायतों की संख्याः शून्य निबाटाई गई शिकायतों की संख्याः शून्य

सूचना का अधिकार अधिनियम

रेविनिलि ने सूचना का अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया है और मांगी गई सूचना तय समयसीमा के अंदर मुहैया कराई है। कंपनी ने कॉरपोरेट कार्यालय के लिए अपीलीय प्राधिकारी / केंद्रीय जन सूचना अधिकारी और प्रत्येक पीआईयू के लिए सहायक जन सूचना अधिकारी नामित किया है। वर्ष 2014—15 के दौरान, 42 आवेदन प्राप्त हुए सभी का समय पर निपटान किया गया।

राजभाषा

रेविनिल ने राजभाषा के प्रयोग और प्रसार पर भारत सरकार के निदेशों को रेविनिल में कार्यान्वित करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। रेविनिल में एचआर विभाग के अंतर्गत राजभाषा विंग में अंशकालिक मुख्य राजभाषा अधिकारी, उप—मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं एक नियमित सहायक मैनेजर (राजभाषा) कार्यरत हैं। मुख्य राजभाषा अधिकारी और उप—मुख्य राजभाषा अधिकारी और उप—मुख्य राजभाषा अधिकारी रेलवे बोर्ड के राजभाषा निदेशालय के साथ निरंतर समन्वय और संपर्क बनाए रखते हैं। 2014—15 के दौरान, रेविनिलि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की रेलवे बोर्ड के राजभाषा निदेशालय के प्रतिनिधियों के साथ चार बैठकें आयोजित की गई । 14 सितंबर, 2014 को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, हिंदी शब्द ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और सफल प्रतिभागियों को 21,200 रु. के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए । इसके अलावा, रेविनिलि के उन पदाधिकारियों को स्व. श्री शंकर दयाल सिंह स्मृति नगद पुरस्कार दिए गए, जिन्होंने अपना अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिंदी में किया।

कंपनी ने कॉर्पोरेट ऑफिस में एक वाचनालय एवं ग्रन्थालय बनाया है, जिसमें हिंदी की पुस्तकों, समाचारपत्रों और पत्रिकाओं का बेहतरीन संग्रह उपलब्ध कराया गया हैं। रेविनिलि की वेबसाइट हिंदी में भी उपलब्ध है और यह उपयोगकर्ताओं में खासी लोकप्रिय हैं।

अध्यक्षीय निदेश

2014—15 के दौरान कंपनी को रेल मंत्रालय से कोई भी अध्यक्षीय निदेश प्राप्त नहीं हुआ।

4. सतर्कता

रेविनिलि में सतर्कता विभाग का कामकाज एक मुख्य सतर्कता अधिकारी, एक महाप्रबंधक / सतर्कता (अंशकालिक), दो उप–महाप्रबंधक / सतर्कता और एक प्रबंधक / सतर्कता द्वारा देखा जाता है।

रविनिलि सतर्कता के प्रयास मुख्यतया प्रणाली की किमयों को दूर करने और नोट की गई खामियों के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए निरोधक जांचों पर केन्द्रित रहे। विशेषकर, इन जांचों के दौरान, परियोजना कार्यान्वयन के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण और आश्वासन सहित कार्यविधियों / कार्य पद्धतियों का गुणवत्तापरक मूल्यांकन करती हैं।

निरोधक उपायः

वर्ष 2014—15 के दौरान, स्थापना संबंधी मामलों के साथ चयनित निर्माण मदों पर छः निरोधक जांच की गई और रेविनिलि के कर्मचारियों के सेवा और अवकाश रिकार्ड के रखरखाव के संबंध में बेहतर अनुपालन के लिए सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई। इन जांचों के द्वारा परियोजना प्रबंधन



Employees are considered as a valuable asset of the organisation and RVNL has attractive and employee-friendly policies to boost the morale and motivate employees to perform to the best of their abilities. To offset the rising rental cost of residential accommodation, suitable increase in the ceiling limits for private lease accommodation have been made. RVNL management appreciates that development of talent is most essential to achieve and maintain a competitive advantage. To enhance the efficiency and skills and to keep them abreast with the latest technological changes in rail construction, employees have been nominated to various managerial and technical training programmes and seminars relevant to functional requirements. During 2014-15, 594 mandays of training were imparted to the employees through various training programmes.

RVNL recognizes the services of meritorious employees through individual/ group awards by presenting shields and cash awards on the occasion of Annual Foundation Day celebrations held on 12th April 2014. Besides individually awarding 17 meritorious employees, shields were presented by Chairman, Railway Board and Member Engineering, Railway Board to the following Project Implementation Units for their excellent performance:-

| 1. | Best PIU (Winner) | Chennai |
|----|-----------------------------|---|
| 2. | Best PIU (Runner up) | Bhopal |
| 3. | Best Doubling Project | Gooty-Pullampet patch (PIU Secunderabad) |
| 4. | Maximum Expenditure | PIU, Chennai |
| 5. | Best PIU in Metro Project | New Garia-Airport Project (PIU, Kolkata) |
| 6. | Best Workshop Project | CLW - Dankuni Workshop (PIU Majerhat, Kolkata) |
| 7. | Best PIU in RE Project | PIU, Secunderabad |
| 8. | Best PIU in Signalling Work | PIU Line, Kolkata |

GROUP AWARDS:

- i) Chief Project Managers-II & III/Bhubaneshwar and their team
- ii) Chief Project Manager/Hubli and his Team
- iii) Group General Manager/Elect./Bhopal & his Team
- iv) Chief Project Manager/Majerhat (Kolkata) & his Team

As a welfare measure to employees, the services of a Allopathic and Homeo physician have been engaged in the Corporate office. The Company provides best facilities for medical treatment. The ceiling limits to room rents for indoor treatment of the employees have also been revised in line with the room rents charged by major hospitals.

The Company observed 'Swacch Bharat Abhiyan' and undertook cleanliness drives in the Corporate Office premises and at Project Implementation Units of RVNL.

Industrial relations

Cordial industrial relations have been maintained throughout the year.

Disclosure under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013

The Company has in place an Anti-Sexual Harrassment policy in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. An Internal Complaints Committee called "Vishaka Committee" has been set up in RVNL to redress complaints received regarding sexual harassment. All employees are covered under this policy.

The following is a summary of sexual harassment complaints received and disposed off during the calendar year.

Number of Complaints received: NIL

Number of Compaints disposed off: NIL

Right to Information Act

The Right to Information Act has been implemented in RVNL in letter and spirit and timely responses are given to the queries. The Company has nominated an Appellate Authority/Central Public Information Officer for the Corporate Office and an Asstt. Public Information Officer for each PIU. During 2014-15, 42 applications were received and disposed off in time.

Rajbhasha (Official Language)

RVNL makes continuous efforts to implement the directives of the Government of India on use of Rajbhasha (Official Language) in RVNL. The Rajbhasha Wing in RVNL is under HR Department with a part-time Mukhya Rajbhasha Adhikari, Upmukhya Rajbhasha Adhikari and a regular Assistant Manager (Rajbhasha). The Mukhya Rajbhasha Adhikari and Upmukhya Rajbhasha Adhikari maintain constant co-ordination with Rajbhasha Directorate of the Railway Board. During 2014-15, four meetings of Rajbhasha Implementation Committee of RVNL have been held with the representatives of Railway Board's Rajbhasha Directorate. , Hindi Essay Writing competition, Hindi Noting & Drafting competition & Hindi Shabd Gyan competitions were also held on the occasion of Hindi Divas on 14th September, 2014 and ₹21,200/- was awarded amongst successful participants in the form of cash prizes. In addition to this, Late Shri Sankar Dayal Singh Smriti Nagad Puraskar were also given to those RVNL officials who have done their maximum official works in Hindi.

The company has set up a reading room-cum-library in the Corporate Office with a good collection of Hindi books, news papers and periodicals. The RVNL website has Hindi version pages also and is quite popular among the users.

Presidential Directives

The Company did not receive any Presidential Directive from Ministry of Railways during 2014-15.

4. VIGILANCE

The Vigilance department in RVNL is manned by a Chief Vigilance Officer, one GM/Vigilance (Part time), two DGMs/Vigilance and one Manager/Vigilance.

कंसलटेंसी पर संविदागत प्रावधानों के अनुपालन के मुद्दों को भी सुलझाया गया।

इन जांचों के अलावा, कंपनी द्वारा निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण और विशिष्टि मानकों के साथ निविदा प्रक्रिया एवं अनुपालन पर फोकस सहित संविदा प्रबंधन का मूल्यांकन करने के लिए पांच परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया गया था।

रेविनिल का सतर्कता विभाग परियोजना निष्पादन की सघन जांच के दौरान सीटीई द्वारा उठाए मुद्दों का समाधान करने के लिए इन्हें प्रबंधन और सीटीईओ (मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन) के साथ सक्रियता से उठाता है। वर्ष 2014—15 के दौरान, पिछले वर्षों की सभी सघन जांचों के 78 लंबित पैराओं के जवाब प्रस्तुत किए गए और संतोषजनक अनुपालन एवं प्रणालीगत सुधार पर 52 पैरा बंद किए गए। इसके अलावा, ठेकेदारों से जुर्माने और निर्णीत हर्जाने के रूप में ₹4,81,53,578 वसूल किए गए।

2014—15 के दौरान किए गए कुछ प्रणालीगत सुधारों में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:-

- बोली में इंगित मूल्यों पर छूट की गणना में सटीकता
- प्री-कॉस्ट और कॉस्ट-इन-सिटू गर्डरों के लिए अलग दरों का प्रावधान
- रेविनिलि की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) निविदाओं को 'इंडिया ट्रेड जर्नल' में प्रकाशिन करने की व्यवस्था करना
- संविदागत वचनबद्धताओं के अनुसार मुख्य कार्मिकों की तैनाती करने में विफल रहने के मामले में दंडात्मक उपबंधों का अनुपालन
- निविदा सिमिति द्वारा प्रतिबंधित मदो की दरों के संबंध में अनुमान तैयार करने पर मार्गदर्शन
- बिल पास करने में पारदर्शिता बढाना।

वसूलीः

रेविनिलि के सतर्कता विभाग द्वारा किए गए निरीक्षणें और निरोधक जांचों के परिणामस्वरूप निष्पादन में खामियों के लिए ठेकेदारों पर ₹49,35,599 का जुर्माना लगाया और इनकी वसूली सुनिश्चित की गई।

जांच-पड़तालः

सतर्कता विभाग द्वारा समय—समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है। शिकायत में उठाए गए सत्यापन योग्य तथ्यों, यदि कोई हों, की जांच की गई और यथा उचित औचक जाचें की गई। 2014—15 के दौरान, एक शिकायत की जांच की गई थी, जिसके कारण रेविनिलि के एक कर्मचारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की सिफारिश की गई थी।

पिछले वर्ष के दौरान, सीवीसी के सीटीई द्वारा उठाए गए कतिपय मुद्दों पर विस्तृत जांच रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत की गई।

अनुशासनिक कार्यवाहीः

2014—15 के दौरान, दो बड़ी शास्ति और तीन प्रशासनिक कार्यवाही के मामलों को अंतिम रूप दे कर सीवीसी की सलाहनुसार, जुर्माना लगाया गया / प्रशासनिक कार्यवाही की गई।

सीवीसी / रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत आवधिक रिर्पोटें:

विभिन्न मामलों यथा निरीक्षण, शिकायतों, अनुशासनिक मामलों और विविध मामलों के विलंब की स्थिति आविधक मासिक, तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट के जरिये सीवीसी / रेलवे बोर्ड को समय—समय पर प्रस्तुत की जाती हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

रेविनिलि में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाने के साथ 28 अक्टूबर, 2014 से 1 नवंबर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। "भ्रष्टाचार पर वार—प्रौद्योगिकी एक हथियार" विषय पर रेविनिलि के अधिकारियों का एक संवाद सत्र का आयोजन रेविनिलि के कॉर्पोरेट ऑफिस में 27 अक्टूबर, 2014 को किया गया। इस अवसर पर रेविनिलि का नौंवा बुलेटिन भी जारी किया गया।

5. सहमति ज्ञापन

कंपनी ने रेविनिलि और रेल मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित सहमित ज्ञापन में यथा सम्मत प्रतिबद्ध लक्ष्यों को हासिल करके सार्वजनिक उपक्रम विभाग से वर्ष 2013—14 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की हैं। यह लगातार चौथा वर्ष है जब कंपनी को "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त हुई है।

2014—15 में कंपनी सहमित ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और यहां तक कि उन्हें पीछे छोड़ने में सफल रही। रेविनिलि ने परियोजना कार्यान्वयन के अंतर्गत 200 किमी के "उत्कृष्ट" लक्ष्य की तुलना में 210.05 किमी के दोहरीकरण का कार्य पूरा किया और परियोजनाओं के परियोजना खंड को विशिष्ट समयसीमा के अंदर पूरा करने के अंतर्गत 48.3 किमी के लक्ष्य की तुलना में 49.0 किमी के लक्ष्य को प्राप्त किया। 180 किमी के "उत्कृष्ट" लक्ष्य की तुलना में 184.89 किमी के रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया और परियोजनाओं के परियोजना खंड को विशिष्ट समयसीमा के अंदर पूरा करने के अंतर्गत 30.0 किमी के लक्ष्य की तुलना में 32.0 किमी का रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया। कंपनी 2014—15 के लिए एमओयू में निर्धारित सभी वित्तीय, उपक्रम विशिष्ट, सेक्टर विशिष्ट, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के सभी लक्ष्यों को भी पूरा करने में सफल रही। तदनुसार, कंपनी 2014—15 के लिए भी "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त करने की आशा कर रही है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने रेल मंत्रालय के साथ 2015—16 के लिए अपने वास्तविक, वित्तीय लक्ष्यों और अन्य सेक्टर विशिष्ट लक्ष्यों को निश्चित करने वाले एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ठर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय संबंधी विवरण

उर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समाहन

रेविनिलि पारंपरिक स्त्रोतों की सीमित प्रकृति और अपने उर्जा स्त्रोतों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के महत्व के प्रति सचेत है। कर्मचारियों के बीच उर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप कॉरपोरेट कार्यालय में उर्जा खपत में निरंतर कमी आई है। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट कार्यालय भवन में कई आधुनिक प्रणालियां लगाई गई है और पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकियां अपनाई गई हैं।

सोलर हीटर, सोलर लाइट जैसे पर्यावरण हितैषी उपकरण कंपनी के परियोजना कार्यालयों में लगाए जा रहे हैं।



As part of its remit, RVNL vigilance efforts were chiefly directed towards a series of preventive checks for addressing system deficiencies as well as corrective action for lapses wherever noted. In particular, these checks evaluated quality compliance with work procedures/ practices including quality control and assurance during project implementation.

Preventive measures:

During 2014-15, six preventive checks on establishment issues, as well as selected works items, were conducted and recommendations made for improved compliance in regard to maintenance of service & leave records of RVNL personnel. These checks also addressed issues of compliance with contractual provisions on project management consultancy.

Apart from these checks, inspections of five projects were carried out to evaluate contract management with a focus on tendering procedures and compliance with quality control and specification standards prescribed by the Company.

RVNL Vigilance actively pursued with the Management and CTEO (Chief Technical Examiner Organization) for resolution of various issues raised by CTE during their intensive examination of project execution. During the year 2014-15, replies to 78 pending paras of all intensive examinations in the previous years were submitted and 52 paras were closed on satisfactory compliance and system improvement. Additionally, recovery of ₹4,81,53,578/- was made from contractors towards penalties and liquidated damages.

Some major system improvements made during 2014-15 covered the following areas:-

- Certainty in calculation of discounts on the prices quoted in a bid.
- Provision of separate rates for pre-cast and cast-in-situ girders.
- Provision for publication of the International Competitive Bidding (ICB) tenders of RVNL in 'India Trade Journal'.
- Compliance with penal provisions in case of failure to deploy key personnel as per contractual commitments.
- Guidance on preparation of Estimates with regard to rates of items banned by Tender Committees.
- Enhancing transparency in passing of bills.

Recovery:

As a result of inspections and preventive checks conducted by the Vigilance department, a penalty of ₹49,35,599/- was levied on the contractors for deficiencies in performance and recovery of the same was ensured.

Investigation:

The complaints received by Vigilance from time to time were dealt with as per prescribed procedure. The verifiable facts, if any, raised in the complaints were investigated and surprise checks done, as deemed fit. During the year 2014-15, one compliant was investigated that led to a recommendation for administrative action against one RVNL employee.

A detailed investigation report on certain issues raised by CTE organization of CVC during prior year was submitted to Railway Board Vigilance for necessary action.

Disciplinary Action:

During the year 2014-15, two major penalty cases and three Administrative Action cases were concluded with the imposition of penalties/administrative actions, as advised by CVC.

Periodic reports to CVC/Railway Board:

The status of pendency of various matters namely inspections, complaints, disciplinary cases and miscellaneous matters was regularly apprised to CVC/Railway Board through periodic monthly, quarterly and annual reports.

Vigilance Awareness Week:

The Vigilance Awareness Week was celebrated in RVNL from 27th October to 1st November 2014 commencing with the administration of pledge by all officers and staff. An interactive session of RVNL officers on the theme - "Combating Corruption - Technology as an enabler" - was organized on 27th October 2014 in the Corporate Office of RVNL. RVNL's 9th Vigilance Bulletin was also released on the occasion.

5. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

The Company secured "Excellent" rating by Department of Public Enterprises for the year 2013-14 on the basis of achievement of the committed targets as agreed to in the Memorandum of Understanding signed between RVNL and Ministry of Railways . This is the fourth consecutive year for which the Company has been rated as "Excellent".

In 2014-15, the Company has been able to achieve the targets set in the MoU and even surpassed them. RVNL completed Doubling of 205.68 km against an "Excellent" target of 200 km under project implementation and 49.0 km against a target of 48.3 km under completion of projects section of projects with specific timelines. Completion of 184.9 km Railway Electrification was achieved against an excellent target of 180 km and 32 km of Railway Electrification against a target of 30.0 km under completion of projects section of projects with specific timelines. The Company was also able to meet the targets set for all financial, enterprise specific, sectors specific, Corporate Social Responsibility in the MoU for 2014-15. Accordingly, the Company is expecting to achieve an "Excellent" rating for 2014-15 as well.

During the year, the Company signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Ministry of Railways fixing its physical, financial targets and other sector specific targets for 2015-16.

6. PARTICULARS RELATING TO CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO ETC.

Conservation of Energy and Technology Absorption

RVNL is conscious of the limited nature of conventional sources and the importance of using our energy resources wisely. Initiatives taken to create awareness about conservation of energy among employees has resulted in a steady reduction in energy consumption at Corporate Office. In addition, various state of the art systems have been installed and environment friendly technology has been adopted in the Corporate Office building.

रेविनिलि के लिए इंटीग्रेटिड आईटी सोल्युशन का कार्यान्वयन

रेविनिल अपने कॉर्पोरेट ऑफिस और सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों में एक इंटीग्रेटिड आईटी सोल्युशन कार्यान्वित कर रहा है। प्रस्तावित सोल्युशन में परियोजना नियोजन, ई—निविदा, परियोजना निष्पादन की निगरानी, संबंधित वित्तीय कार्य और कर्मचारी प्रबंधन सहित सभी प्रमुख व्यापार प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इस संबंध में, मैसर्स एसेंटर को सिस्टम के लिए एक कंसलटेंट के रूप में नियुक्त किया गया है और मुख्य सोल्युशन मैसर्स एलएंडटी इन्फोटेक लि. द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जा रहा है। पे—रोल माडयूल के दिसंबर, 2015 तक ऑनलाइन होने की संभावना है। कर्मचारी स्वयं—सेवा सहित वित्त माडयूल, ईमेल सोल्युशन के अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में चालू होने की संभावना है। दूसरे माडयूल भी क्रमशः कार्यान्वित किए जाएंगें।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष 2014—15 के दौरान, कंपनी ने अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर ₹29.87 लाख एवं परियोजना प्रबंधन परामर्श पर ₹7.31 करोड़ व्यय किए। बहरहाल कंपनी ने कुछ भी विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की।

7. जोखिम प्रबंधन

रेविनिलि के पास निदेशक मंडल द्वारा यथोचित रूप से अनुमोदित एक औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति का उद्देश्य रेविनिलि के लिए विभिन्न जोखिमों की आवधिक रूप से समीक्षा करना और उन्हें समाप्त करने के लिए कदम उठाना है। संभावित जोखिमों और उन्हें नियंत्रित करने के उपायों के बारे में कर्मचारियों और अन्य भागीदारों मे जागरूकता बढ़ाने के भी प्रयास किए जाते हैं।

आपकी कंपनी के पास श्री मुकुल जैन, निदेशक (परिचालन) की अध्यक्षता वाली एक जोखिम प्रबंधन समिति है और श्री एस. के. धीमन, कार्यपालक निदेशक (परियोजना), डॉ. मोनिका अग्निहोत्री, महाप्रबंधक (विपणन), श्री अजय कुमार, ग्रुप महाप्रबंधक (एचआर) और श्री मुकेश कुमार सिंह महाप्रबंधक (वित्त) इसके सदस्य हैं। इस समिति ने वर्ष में चार बार यथा 27.06.2014, 26.09.2014, 18.12.2014 और 18.03.2015 को बैठकें की। समिति द्वारा पहचाने गए महत्वपूर्ण जोखिमों में परियोजना कार्यान्वयन में समय एवं लागत अधिवृद्धि से पैदा जोखिम, भूमि अधिग्रहण में देरी से जुड़े जोखिम, रेविनिलि परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए भारतीय रेल पर निर्भरता का जोखिम शामिल है। वर्ष के दौरान, समिति ने नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013, जो 01.01.2014 से लागू हो रहा है, के कारण उत्पन्न एक बड़े जोखिम की पहचान की है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब हो सकता है। ठेकेदारों के दावें न्यूनतम करने के लिए समिति के सुझाए गए कई उपायों को रेविनिलि द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और अनुपालन के लिए इकाइयों में परिपत्रित कर दिए गए हैं। कंपनी ने रेविनिलि में उपक्रम संबंधी जोखिम आकलन और प्रबंधन पर एक

विस्तृत दस्तावेज तैयार करने के लिए एक पेशेवर फर्म को नियुक्त किया है। फर्म ने विभिन्न स्टेकहोल्डरों से बात करने और परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के स्थलों का दौरा करने के बाद एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और परिपत्रित करने से पहले इसकी समीक्षा की जा रही है। समिति परियोजना निष्पादन के दौरान सामने आए जोखिमों का रिकार्ड रखने का भी प्रस्ताव करती है और परियोजना प्रबंधकों के मार्गदर्शन के लिए केस स्टडी का एक संकलन तैयार किया है।

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति में श्री के.के. अग्रवाल, अंशकालिक सरकारी निदेशक, श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक (कार्मिक), श्री विजय आनंद, निदेशक (पिरयोजना), श्री अशोक कृ. गंजू, निदेकश (वित्त) शामिल हैं। समिति ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति (सीएसआर नीति) तैयार की है और कंपनी द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यकलापों की प्रकृति और इनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया को इंगित करते हुए इसे स्वीकृति के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया है।

नीति में यथा उल्लिखित सीएसआर और संपोषणता का प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है:

- 1. परियोजना / कार्यक्रम रूप में कार्यान्वयन
- 2. रेविनिलि के परियोजना क्षेत्रों पर फोकस
- 3. शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर जोर
- देश के पिछड़े जिलों और समाज के कमजोर तबकों के विकास को प्राथमिकता देकर समाज का समावेशी विकास

वर्ष के दौरान, कंपनी ने सीएसआर कार्यों पर ₹4.54 करोड़ (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का लगभग 2.82 प्रतिशत) खर्च किए।

सीएसआर नीति इस लिंक के जिर्ये कंपनी की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है: http://www.rvnl.org/admin/uploaded1/leftdocument/20141117161351 CSR%20Policy%200ct%202014.pdf.

एसीएसआर कार्यकलाप संबंधी रिपोर्ट अनुलग्नक—"सी" के रूप में संलग्न है।

9. अनुसंधान और विकास

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशा—िनदेशों के अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तरीय समिति गठित की गई है। वर्ष के दौरान, बोर्ड स्तरीय समिति ने आरएंडडी के लिए पंचवर्षीय योजना (2011—2016) में निर्धारित मदों के कार्यान्वयन की स्थिति / प्रगति की समीक्षा की है और परियोजना प्रबंधन सिहत रेविनिल के लिए इंटीग्रेटिड आईटी सोल्युशन के विकास की परियोजना, जो पहले से प्रगति पर है, के अलावा नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए सभी कर्मचारियों से नए सुझाव मांगने का फैसला किया गया था। प्राप्त किए गए सुझावों की छानबीन करने के बाद, निम्नलिखित दो सुझाव मौलिक और कार्यान्वयन योग्य पाए गए और उन परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों द्वारा प्रायोगिक आधार पर इन्हें कार्यान्वित करने के आदेश दे दिए गए हैं, जहां से सुझाव प्राप्त हुए थे:

| क्र. सं. | चुनी गई परियोजना | कार्यान्वयन के लिए चिन्हित पीआईयू |
|----------|---|-----------------------------------|
| 1. | चालू रेल लाइन में 1.2 मीटर तक के स्पैन वाले मौजूदा पुलों का अगुरिंग एवं पुशिंग विधि द्वारा 1.2 मीटर के आरसीसी पाइप से प्रतिस्थापन। | चेन्नई |
| 2. | शहरी क्षेत्रों में कीमती जमीन बचाने के लिए प्रबलित अर्थ संरचनाओं का | कोलकाता / माजेरहाट |
| | प्रयोग शुरू करना। | |



Environment friendly equipments like solar heaters, solar lights etc are being installed in projects/ offices of the Company.

Implementation of an Integrated IT Solution for RVNL

RVNL is undertaking implementation of an Integrated IT Solution for Corporate office as well as all the Project Implementing Units. The proposed solution will cover computerization of all the core business processes including project planning, e- tendering, monitoring of project execution, associated finance functions and personnel management etc. In this regard, M/s Accenture have been appointed as Consultants for the system, and the main solution is being developed and implemented by M/s L&T Infotech Ltd. The pay-roll module is expected to go live by end of December 2015. Finance Module, email solution and Portal along with employee self-service are expected to be functional at the beginning of the next financial year. The other modules will be progressively taken up for implementation.

Foreign Exchange Earnings and Outgo

During the financial year 2014-15, the Company spent ₹29.87 lakh in foreign exchange on foreign travel of Company's officials etc. & ₹7.31 crore on Project Management Consultancy. The Company, however, did not earn any Foreign Exchange.

7. RISK MANAGEMENT

RVNL has a formal Risk Management Policy duly approved by the Board of Directors. The Policy aims to review the exposure of RVNL to various risks and the mitigation measures to be taken periodically. It also strives to increase awareness among its employees and other stakeholders about possible risks and measures to control the same.

Your Company has a Risk Management Committee under the chairmanship of Mr. Mukul Jain, Director (Operations) with Mr. S.K. Dhiman, ED (Projects), Dr. Monica Agnihotri, GM (Marketing), Mr. Ajay Kumar, GGM (HR) and Mr. Mukesh Kumar Singh, GM (F) as members. The Committee met four times during the year on 27.6.2014, 26.9.2014, 18.12.2014 and 18.3.2015. Significant risks identified by the Committee include risks arising from time and cost overrun in implementation of projects, risks associated with delay in land acquisition, risk of dependency on Indian Railways for financing RVNL projects etc. During the year Committee identified a major risk arising from New Land Acquisition Act 2013 coming into force from 1.1.2014 which may result in delays in project execution. A number of measures to minimize the claims of the contractors, recommended by the Committee, have been accepted by RVNL management and circulated to units for compliance.

The Committee has engaged a professional firm for preparing a detailed document on Enterprise Risk Assessment and Management in RVNL.

This firm after completing interactions with various stakeholders and site visits to the Project Implementation Units have submitted an interim report which is under review before circulation. The Committee has also proposed to document the risks faced during project execution, and prepare a compendium of case studies for guidance of project managers.

8. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

The Corporate Social Responsibility Committee comprises of Mr. K. K. Aggarwal, Part Time Official Director, Mrs. Gita Mishra, Director (Personnel), Mr. Vijay Anand, Director (Projects), Mr. Ashok K. Ganju, Director (Finance). The Committee has formulated and recommended a Corporate Social Responsibility policy (CSR policy) to the board for approval indicating the nature of activities to be undertaken by the Company and process for implementation of the same..

The key philosophy of CSR and Sustainability, as enshrined in the policy, activities is to meet the following broad objectives:

- 1. Implementation in project/programme mode
- 2. Focus on periphery of project areas of RVNL
- 3. Thrust areas of education and healthcare
- Inclusive growth of society with emphasis on development of weaker sections of society and in the backward districts of the country.

During the year, the Company has spent ₹4.54 crore (around 2.82% of the average net profit of last three financial years) on CSR initiatives.

The CSR policy may be accessed on the Company's website at the link http://www.rvnl.org/admin/uploaded1/leftdocument/20141117161351 CSR%20Policy%20Oct%202014.pdf.

The report on CSR activities is annexed as **Annexure - "C"**.

9. RESEARCH AND DEVELOPMENT

In accordance with the guidelines issued by Department of Public Enterprises, a Board level Committee headed by an independent Director has been constituted. During the year, the Board level Committee reviewed the status/progress of implementation of items identified in the five year plan for R&D (2011-16) and decided to seek fresh suggestions from all employees for taking up new projects in addition to the project for Development of an Integrated IT solution for RVNL including Project Management, which is already in progress. After scrutiny of the suggestions received, the following two ideas were found to be original and implementable and the same have been ordered for implementation on a trial basis by the Project Implementation Units from where the suggestions were received:-

| S.No. | Projects Chosen | PIU identified for implementation |
|-------|--|-----------------------------------|
| 1. | Replacement of existing bridges upto 1.2m span of running railway line with 1.2m RCC pipe by auguring cum pushing method | Chennai |
| 2. | Introduction for use of reinforced earth structures to save precious land in city areas. | Kolkata/Majerhat |

जिन कर्मचारियों से कार्यान्वयन योग्य सुझाव प्राप्त हुए थे, उन्हें समिति की अनुशंसा के अनुसार, रेविनिलि के प्रबंधन द्वारा नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

10. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए पहली बार रेविनिलि के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, जो रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। लेखें एसपीवी के निष्पादन और कार्यकलापों तथा एक इक्विटी भागीदार के रूप में इन कंपनियों और इनके पूर्ण स्वामित्व वाली एचएसआरसी में रेविनिलि के शेयर के आधार पर लेखें समेकित किए गए हैं। रेविनिलि के एकल लेखों में प्रदर्शित संबंधित प्रविष्टियों को तदनुसार प्रासंगिक लेखांकन मानकों (एएस 21 व 27) के अनुरूप समायोजित किया गया है। रेविनिलि के एकल लेखों और समेकित लेखों की महत्वपूर्ण प्रविष्टियों में अंतर की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

| मद | 31.03.2015 को आंकड़ें एकल | 31.03.2015 को आंकड़ें समेकित |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| टर्नओवर | 3141.97 | 3447.73 |
| अन्य आय | 96.05 | 120.40 |
| प्रत्यक्ष व्यय | 2890.81 | 3025.61 |
| अप्रत्यक्ष व्यय | 110.86 | 150.57 |
| कर पूर्व लाभ | 236.34 | 391.94 |
| कर पश्चात लाभ | 185.71 | 322.69 |
| आरक्षित निधियां और अधिशेष | 593.84 | 931.98 |
| निवल संपत्ति | 2678.86 | 3017.00 |

11. सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरण के लिए अनुलग्नक—''एफ'' के रूप में सलंग्न है।

12. निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 134(5) के अनुसरण में निदेशक इस बात की पृष्टि करते हैं कि:

- क) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया था
- ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन कर इन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया है और यथोचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान तैयार किए हैं जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कामकाज की स्थिति एवं कंपनी के लाभ एवं हानि की वास्तविक एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;
- ग) निदेशकों ने कंपनी की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखने में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;
- घ) निदेशकों ने वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर लेखे तैयार किए थे।

ड.) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां विकसित की और उन प्रणालियों ने उचित और प्रभावी ढंग से काम किया था।

13. निदेशक और अन्य प्रबंधकीय कर्मी

वर्ष के प्रारंभ (1.4.2014) में बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। कंपनी ने रेल मंत्रालय से इसके लिए नामांकन करने का अनुरोध किया है।

श्री आर. एस. शर्मा ने 10.06.20015 को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में 3 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.08.2015 को श्री अंजुम परवेज, कार्यपालक निदेशक (परियोजना निगरानी)/रेलवे बोर्ड को श्री वी पी दुडेजा, कार्यपालक निदेशक (निर्माण)/रेलवे बोर्ड के स्थान पर अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

निदेशक अपने सभी पूर्व साथियों का उनके बहुमूल्य योगदान के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं।

कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की ओर से घोषणा प्राप्त हो गई थी, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं।

रिपोर्ट की तारीख को कंपनी के निदेशकों की संख्या सात है, जिसमें से पांच फंक्शनल निदेशक हैं जिनमें एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और दो अंशकालिक सरकारी निदेशक शामिल हैं।



The employees from whom implementable suggestions were received have been given cash award by RVNL management as recommended by the Committee.

10. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In compliance with the requirements of Companies Act, 2013 the consolidated Financial Statements of RVNL have been prepared for the first time for the Financial Year 2014-15 which are presented in the Report. The accounts have been consolidated based on the performance

and activities of the SPVs and the share of RVNL in those entities as an equity partner and its wholly owned subsidiary HSRC. The related entries appearing in the Stand Alone Accounts of RVNL have been adjusted accordingly in consonance with the relevant accounting standards (AS 21 & 27). The salient features of differences in the significant entries between the Stand Alone Accounts of RVNL and the Consolidated Accounts are as under:

(₹ in crores)

| Item | Figures as at 31.3.2015 Stand Alone | Figures as at 31.3.2015 Consolidated |
|-------------------|--|---|
| Turn Over | 3141.97 | 3447.73 |
| Other Income | 96.05 | 120.40 |
| Direct Expenses | 2890.81 | 3025.61 |
| Indirect Expenses | 110.86 | 150.57 |
| PBT | 236.34 | 391.94 |
| PAT | 185.71 | 322.69 |
| Reserve & Surplus | 593.84 | 931.98 |
| Net Worth | 2678.86 | 3017.00 |

11. SUBSIDIARY, JOINT VENTURE AND ASSOCIATE COMPANIES

A report on the performance and financial position of subsidiary, associates and joint venture Company as per Companies Act 2013 is provided as **Annexure-"F"** to the Consolidated financial statement.

12. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, Directors confirm that-

- in the preparation of the Annual Accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;
- the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

 the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

13. DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNELS

At the beginning of the year (1.4.2014), there was only one Independent Director on the board. The Company has been requesting Ministry of Railways for nomination of the same.

Mr. R.S. Sharma completed his tenure of 3 years as Independent Director on the Board of RVNL on 10.6.2015. Mr. Anjum Pervez, ED (Project Monitoring)/ Railway Board was appointed as Part-Time Official Director vice Mr. V P Dudeja, ED (Works)/Railway Board by the Ministry of Railways on 28.8.2015.

The Directors would like to express their gratitude to all their predecessors for their invaluable contribution.

The Company had received declaration from the Independent Directors confirming that they meet the criteria of independence as prescribed under the Companies Act, 2013.

On the date of report, the strength of the Board of Directors of the Company is seven Directors comprising of five functional Directors including Chairman and Managing Director and two part-time official Directors.

रिपोर्ट की तारीख़ को निम्नलिखित निदेशक कार्यरत हैं:-

| 1. | श्री एस.सी. अग्निहोत्री |
|----|---------------------------|
| | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |

. 27.1.2010 से प्रबंधन निदेशक और 5.3.2013 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक [कार्यकाल 31.08.2018 तक बढ़ाया गया है]

| 2. | श्रीमती गीता मिश्रा |
|----|---------------------|
| | निदेशक (कार्मिक) |

 श्री मुकुल जैन निदेशक (परिचालन)

.. 16.6.2010 से [कार्यकाल 31.12.2016 तक बढ़ाया गया है]

 श्री विजय आनंद निदेशक (परियोजना) .. 9.4.2011 से

 श्री अशोक कृ. गंजू निदेशक (वित्त) 12.9.2011 से

श्री अंजुम परवेज,
 कार्य. निदे. (पिरयोजना निगरानी) / रेलवे बोर्ड,
 अंशकालिक (सरकारी) निदेशक

28.8.2015 से

 श्री के.के. अग्रवाल, कार्य. निदे. (डब्ल्यूपी) / रेलवे बोर्ड, अंशकालिक (सरकारी) निदेशक 22.1.2014 से

13.10.2008 से

महिला निदेशक

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक का होना जरूरी है। आपकी कंपनी में अक्टूबर, 2008 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक (कार्मिक) के रूप में श्रीमती गीता मिश्रा काम कर रही है।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति / इस्तीफा

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार श्री एस.सी. अग्निहोत्री, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अशोक कृ. गंजू, निदेशक (वित्त), एवं सीएफओ, और श्रीमती कल्पना दुबे, कंपनी सचिव मुंख्य प्रबंधकीय कर्मी (केएमपी) हैं

वर्ष के दौरान किसी भी केएमपी ने इस्तीफा नहीं दिया और न ही किसी नए केएमपी की नियुक्ति हुई।

बोर्ड द्वारा अपना और अपनी समितियों तथा एकल निदेशकों के कार्य निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन

एक सरकारी कंपनी होने के नाते रेविनिलि को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या फा. सं. 1/2/2014-CL.V के तहत बोर्ड द्वारा अपना और अपनी समितियों तथा एकल निदेशकों के कार्य निष्पादन के वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में धारा 134(3) (पी) के उपबंधों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। रेविनिलि के मामले में निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 के दौरान, कंपनी ने कामकाज करने के लिए पांच बोर्ड बैठकें दिनांक 12 मई, 2014, 15 जुलाई, 2014, 14 अक्टूबर, 2014, 13 जनवरी, 2015 और 26 मार्च, 2015 को आयोजित की।

14 लेखा-परीक्षक

क सांविधिक लेखा–परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए मैसर्स कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी का सांविधिक लेखा—परीक्षक नियुक्त किया। समीक्षाधीन लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान एवं मार्गदर्शन के लिए बोर्ड उनका आभारी है।

ख. सचिविक लेखा-परीक्षक

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2014—15 के लेखों का सचिविक लेखा—परीक्षा करने के लिए मैसर्स एस.सी बलूजा (पेशेवर कंपनी सचिव) को नियुक्त किया है।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिविक लेखा—परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक ''डी''** के रूप में संलग्न है।

15. प्रकटन

लेखा-परीक्षा समिति

लेखा-परीक्षा समिति में श्री मुकुल जैन, निदेशक (परिचालन), श्री के के अग्रवाल, अंशकालिक सरकारी निदेशक और श्री अंजुम परवेज, अंशकालिक



Mr. S.C. Agnihotri

Chairman and Managing Director

2. Ms. Gita Mishra Director (Personnel)

The following Directors are holding office as on the date of the report:-

3. Mr. Mukul Jain Director (Operations)

4. Mr. Vijay Anand Director (Projects)

5. Mr. Ashok K. Ganju, Director (Finance)

6. Mr. Anjum Parvez, ED (Project Monitoring)/Railway Board, Part-time (official) Director

7. Mr. K. K. Aggarwal, ED (W&P)/Railway Board, Part-time (official) Director

from 27.1.2010 as Managing Director and from 5.3.2013 onwards as CMD [Extended upto 31.8.2018] from 13.10.2008 onwards

> from 16.6.2010 onwards [Extended upto 31.12.2016]

> > from 9.4.2011 onwards

from 12.9.2011 onwards

from 28.8.2015 onwards

from 22.1.2014 onwards

Woman Director

In terms of the provisions of Section 149 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, a Company shall have at least one Woman Director on the Board of the Company, Your Company has Mrs. Gita Mishra as Director Personnel on the Board of the Company since October 2008.

Appointment/Resignations of Key Managerial Personnels

Mr. S C Agnihotri, Chairman & Managing Director, Mr. Ashok K Ganju, Director (Finance) & CFO and Mrs. Kalpana Dubey, Company Secretary are Key Managerial Personnel (KMP) as per the provisons of the Companies Act, 2013.

None of the KMP has resigned or appointed during the year under review.

Annual evaluation by the Board of its own performance and that of its **Committees and Individual Directors**

RVNL being a Government Company is exempted vide notification No. F.No.1/2/2014-CL.V dated 5.6.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, to comply with the provisions of Sec 134(3)(p) with respect to Annual evaluation by the Board of its own performance and that of its Committees and Individual Directors. In case of RVNL, the performance evaluation of Directors is done by the Ministry of Railways.

Number of Meetings of the Board

During 1st April, 2014 to 31st March, 2015, the Company held five Board meetings to transact business i.e, on 12th May, 2014, 15th July, 2014, 14th October, 2014, 13th January, 2015 and 26th March, 2015.

AUDITORS

Statutory Auditor

The Comptroller & Auditor General of India has appointed M/s Kumar Chopra & Associates Chartered Accountants as Statutory Auditors of the Company for the year ended 31st March, 2015. The Board would like to thank them for their valuable support and guidance during the audit of accounts under review.

b) **Secretarial Auditor**

The Board of Directors has appointed M/s S.C. Baluja (practicing Company Secretary) to conduct Secretarial Audit for financial year 2014-15.

The Secretarial Audit report for the financial year ended 31st March, 2015 is annexed herewith marked as **Annexure "D"** to this report.

15. DISCLOSURES

Audit Committee

The Audit Committee comprises of Mr. Mukul Jain, Director (Operations), Mr. K K Aggarwal, Part time Official Director and Mr. Anjum Pervez, Part time Official Director. All recommendations made by the Audit Committee were accepted by the Board.

Extract of Annual Return

Extract of the Annual Return of the Company is annexed herewith as Annexure "E" to this report.



सरकारी निदेशक शामिल हैं। लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार इस रिपोर्ट में अनुलग्नक''ई'' के रूप में संलग्न है।

16. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों पर सीएंडएजी की टिप्पणी भी इस रिपोर्ट का एक भाग होगी।

17. आभार

हम इस अवसर पर, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग,

विभिन्न बैंकों, एशियाई विकास बैंक, क्षेत्रीय रेलों, आईआरएफसी, राइट्स, इरकॉन, आरएलडीए और संयुक्त उपक्रम एसपीवी में हमारे इक्विटी भागीदारों से कंपनी को मिले उनके सतत् सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के समर्पण भाव, वचनबद्धता तथा निष्ठा के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, जिनके सहयोग से ही कंपनी नई चुनौतियों का सामना कर सकी, अवसरों को भुना सकी तथा देश में एक मुख्य अवसंरचना प्रदाता के रूप में अपने लिए अहम स्थान बना सकी। निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारियों का भी समीक्षा वर्ष के दौरान उनके द्वारा किए गए मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आखिरी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी के निदेशक अपने पूर्व अधिकारियों का भी कंपनी की उन्नित में उनके द्वारा प्रदान किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिसके बिना कंपनी द्वारा सभी विभागों में अपने निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना नामुमिकन था।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता / – (एस.सी. अग्निहोत्री)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 31.08.2015



16. COMMENTS OF COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL (C&AG) OF INDIA

The Comptroller & Auditor General of India has undertaken supplementary audit on the accounts of the Company for the year ended 31st March, 2015 under Section 139(5) of the Companies Act, 2013. The comments of the C & AG on the Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2015 shall also form part of this report.

17. ACKNOWLEDGEMENTS

We take this opportunity to gratefully acknowledge the cooperation, guidance and support received from Ministry of Railways (MoR), Ministry of Finance, Department of Public Enterprises, various banks, Asian Development Bank, the Zonal Railways, IRFC, RITES, IRCON, RLDA

and our equity partners in Joint Venture SPVs for their continued interest and support to the Company. The Directors would like to express their thanks for the devotion, commitment and dedication of each and every employee of the Company due to which your Company could face the new challenges and opportunities and create a niche for itself as a major provider of rail infrastructure in the country. The Directors also place on record their appreciation to the officials of Comptroller & Auditor General of India for their guidance during the year under review. Last but not the least, the Directors would like to express their deep appreciation and gratitude towards all their predecessors who have been associated with RVNL, for their invaluable contribution to the growth and development of the Company in attainment of the Company's aims and goals in all spheres.

For and on behalf of Board of Director Sd/-

(S. C. Agnihotri)

Chairman and Managing Director

New Delhi Dt: 31.8.2015



अनुलग्नक "ए"

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

इंडस्ट्री संरचना और विकासः

इन वर्षों के दौरान, भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी माल वाहक और यात्री वाहक के रूप में उभरी है। यह प्रतिदिन 12,617 गाड़ियों का परिचालन, 23 मिलियन से अधिक यात्रियों और 3 मिलियन टन माल की दुलाई करती है। यह भारत के ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है और रेलवे के इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, क्षमता और कार्यनिष्पादन राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों ने इस पर अपनी टिप्पणी में कहा है कि सकल घरेलू निवेश में भारतीय रेलवे का योगदान 1.2 प्रतिशत है और देश का सतत् आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए 2020 तक इसे 3 प्रतिशत तक पहुंचाना लाजिमी है।

बहरहाल, भारतीय रेल इस समय इन्फ्रास्ट्रक्चर की गंभीर कमी से जूझ रही है क्योंकि इसके यातायात वाहक मार्ग पूरी तरह से संतृप्त हैं यानी इन पर यातायात बोझ इनकी क्षमता से काफी अधिक है। यह उल्लेखनीय है कि उच्च घनन्व वाले नेटवर्क पर 1219 खंड हैं, जिनमें से 492 खंड 100 प्रतिशत से अधिक की क्षमता के साथ चल रहे हैं जबिक 228 खंड 80 से 100 प्रतिशत की क्षमता के साथ चल रहे हैं। दूसरी ओर इस दौरान सड़क क्षेत्र में काफी विकास हुआ है जिसके कारण यातायात में उनके शेयर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जबिक रेलवे के शेयर में 30 प्रतिशत की कमी आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि रेलवे के परंपरागत बल्क कार्गो जैसे कोयला, सीमेंट स्टील आदि के लिए भी यही सत्य है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यातायात शेयर में यह कमी राष्ट्र हित में भी नहीं है क्योंकि रेल को भू—यातायात का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल और पर्यावरण हितैषी साधन माना जाता है।

2015—16 का रेल बजट प्रस्तुत करते समय, श्री सुरेश प्रभु, माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि हमारे द्वारा पहचानी गई प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता मौजूदा उच्च घनत्व वाले नेटवर्क पर क्षमता को बढ़ाना है और हमारा मुख्य जोर आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, तीहरीकरण और विद्युतीकरण की परियोजनाओं पर रहेगा। अगले पांच वर्षों में रेल मंत्रालय, रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए ₹8.5 करोड़ जुटाएगा। इसके लिए, हमें वित्तपोषण के विभिन्न स्रोतों की पहचान करनी होगी। प्रारंभिक पहल के रूप में, रेल मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों के दौरान ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। निवेश के अन्य स्रोतों का भी पता लगाया जा रहा है।

वस्तुतः रेविनिल का गठन 2002 में रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्षमता के सृजन और संवर्धन के लिए गैर—बजटीय निवेश पहल के परिणास्वरूप हुआ था और तब इसे नेशनल रेल विकास योजना (NRVY) नाम दिया गया था, जिसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तदनुसार, इसने एसपीवी के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन के लिए धनराशि जुटाने में अहम भूमिका अदा की है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने पांच एसपीवी स्थापित किए हैं, जिसने भारतीय रेल के सीमित इक्विटी अंशदान के साथ महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित किया है। बहरहाल, इस समय कंपनी बाजार ऋणों से ईबीआर जुटाने में कंपनी की भूमिका (रेलवे बोर्ड के निर्णयानुसार) आईआरएफसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं तक सीमित कर दी गई है। रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश और परियोजनों के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर देने की मंत्रालय की नीति के दृष्टिगत, रेविनिलि को लगता है कि उसे देश के रेल नेटवर्क के विकास के लिए अतिरिक्त बजटीय

संसाधन जुटाने के लिए उसे दिए गए मूल अधिदेश के अनुसार, आने वाले वक्त में और बड़ी भृमिका निभानी होगी।

इन वर्षों में, रेल विकास निगम लिमिटेड ने रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की त्वरित सुपूर्वगी के मामले में अपनी विश्वसनीयता सफलतापूर्वक स्थापित की है। प्रारंभ में रेल विकास निगम लिमिटेड ने अपना कार्य दोहरीकरण, आमान परिवर्तन, नई लाइन और रेल विद्युतीकरण से जुड़ी परियोजनाओं के निष्पादन के साथ शुरू किया था। परियोजना निष्पादन के क्षेत्र में खुद को साबित करने के बाद, कंपनी ने दूसरे क्षेत्रों में भी प्रवेश किया, जहां यह विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को निष्पादित कर रही है जिनमें मेट्रो लाइनों और कारखानों का निर्माण शामिल है। रेल विकास निगम लिमिटेड को हिमालयन क्षेत्र में तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण ऋषिकंश—कर्णप्रयाग नई लाइन का कार्य भी सौंपा गया है। विस्तृत भू—तकनीकी और अन्य अध्ययनों के बाद, संरेखण का कार्य पूरा कर लिया गया है। हाल ही में, रेल विकास निगम लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश में मानुपल्ली—बिलासपुर नई लाइन का चुनौतीपूर्ण कार्य भी निष्पादन के लिए सौंपा गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड रेल विद्युतीकरण नेटवर्क के विस्तार के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रदाता के रूप में उभर रहा है।

रेल विकास निगम लिमिटेड ने देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क के निर्माण की अपार संभावनाओं का पता लगाया है और भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से हाई स्पीड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इसकी सहायक कंपनी के रूप में स्थापना की गई है। यह नई पहल सुनिश्चित करेगी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को देश में हाई स्पीड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी करें जबिक एचएसआरसी पीपीपी आधार पर दुनिया के सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर प्रणाली का परिचालन करने की योजना तैयार करेगा। तदनुसार, हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त वित्तीय मॉडल तैयार किया जाएगा।

रेल विकास निगम लिमिटेड – सारांश

रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, की स्थापना 2003 में भारतीय रेल के नेटवर्क की रुकावटों को दूर करने और दूरदराज के इलाकों के लिए पत्तन संपर्क और मल्टीमॉडल कॉरिडोर को सुगम बनाने के लिए बजटीय और गैर—बजटीय संसाधनों के जिर क्षेत्रमा संवर्धन की रेल पिरयोजनाओं जैसे आमान पिरवर्तन, नई लाइन, दोहरीकरण या तीसरी लाइन को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए नेशनल रेल विकास योजना के अंतर्गत की गई थी। स्वतंत्र रेल विद्युतीकरण, कोलकाता मेट्रो और कारखाना पिरयोजनाओं, पर्वतीय क्षेत्रों में चुनौतीपूण पिरयोजनाओं (जैसे उत्तराखण्ड में ऋषिकेश—कर्णप्रयाग और हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली—बिलासपुर) के कार्य मिलने से रेल विकास निगम लिमिटेड फास्ट ट्रैक मोड में रेल इंन्फ्रास्ट्रक्चर पिरयोजनाओं के प्रमुख प्रदाता के रूप में उभर रहा है।

रेल विकास निगम लिमिटेड टर्नकी आधार पर कार्य करता है और परियोजना संकल्पना से लेकर चालू करने तक सभी कार्य करता है। इसे सीधे उपयुक्त संसाधन जुटाने या परियोजना विशिष्ट एसपीवी या विभिन्न किस्म की परियोजनाओं के लिए उपयुक्त किसी अन्य वित्तपोषण निकाय का निर्माण करके संसाधन जुटाने का कार्य सौंपा गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड रेलवे सेक्टर में पीपीपी की नीति और विनियामक फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने में रेल मंत्रालय की सहायता कर रहा है।



Annexure "A"

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Industry Structure and Development:

Over the years Indian Railways has emerged as the world's fourth largest Rail freight carrier and largest passenger carrier. It runs 12,617 trains carrying over 23 million passengers and 3 million tonnes of freight per day. It is the backbone of India's transport infrastructure and the quality, capacity and the performance of Railways' infrastructure is of crucial importance for the nation. Experts have noted that the contribution of Indian Railways is around 1.2% of the GDP and that by 2020 it should reach about 3% to ensure sustainable economic development of the country.

However, Indian Railways is presently faced with a critical infrastructure deficit as the main traffic carrying routes are saturated. It has been highlighted that there are 1219 sections on the high density network, out of which 492 are running at a capacity of more than 100% and 228 sections are running at a capacity of between 80% to 100%At the same time the road sector has developed significantly resulting in a steady increase in the share of traffic being moved by roads at the cost of the Railways whose share has reduced to less than 30%. Alarmingly, this is also true for the traditional bulk cargo of Railways such as coal, cement, steel etc. On a wider perspective, reduction in traffic share is not in the national interest as the Railways are the most energy efficient and environment friendly mode of transport on land.

While presenting the Railways Budget 2015-16, Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Minister for Railways has stated that one of the priorities identified is to significantly improve capacity on the existing high density network and the emphasise will be on gauge conversion, doubling, tripling and electrification projects. Over the next 5 years, the Ministry envisages an investment of Rs. 8.5 lakh crore in railway infrastructure. For this, multiple sources of funding will have to be identified. As a preliminary initiative the Ministry of Railways has entered in an MoU with Life Insurance Corporation (LIC) for leveraging Rs. 1.5 lakh crore of investment during the next 5 years. Other sources of investment are also being explored.

In fact, RVNL was created in 2002 as a result of a non-budgetary investment initiative for the creation and augmentation of rail infrastructure called National Rail Vikas Yojana (NRVY) which was launched by the then Hon'ble Prime Minister of India, Shri Atal Behari Vajpayee. Accordingly, it has played a significant role in the raising of funds for project implementation through the SPV route. RVNL has established five SPVs, which have generated substantial revenues with only a limited contribution of equity by Indian Railways. However, the company's role in raising EBR from market borrowings has been limited to projects financed by IRFC (as decided by Railway Board). With the policy thrust of the Ministry for a major investment in rail infrastructure

and fast track implementation of projects, RVNL anticipates that it will have a major role to play as per its original mandate in the leveraging of Extra Budgetary Resources for development of the rail network of the country.

Over the years, RVNL has successfully established its credentials for fast track delivery of Railway infrastructure projects. Initially RVNL had started with the execution of doubling, gauge conversion, new lines and Railway electrification projects. Having established itself in the area of project execution, the Company has now diversified and is executing projects of varied types including construction of Metro lines and workshops. RVNL has also been assigned the technically challenging Rishikesh Karanprayag new line in Himalayas for execution. The alignment has now been finalised after detailed geo-technical and other studies. Recently another challenging project in Himachal Pradesh, namely Bhanupalli-Bilaspur new line, has also been assigned to RVNL for execution. RVNL is also emerging as a major provider in increasing the Railway Electrification network.

RVNL has also recognised the vast potential for building a High Speed Rail Network in the country and with the approval of President of India has formed High Speed Rail Corporation of India Ltd., as its subsidiary. This initiative will ensure that RVNL will have a significant role to play in the delivery of high speed rail infrastructure in the country while HSRC will plan for operating the system in partnership with global service providers on PPP basis. A suitable financial model for implementing HSR projects will have to be formulated accordingly.

Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) - A Synopsis

Rail Vikas Nigam Limited, a Public Sector Undertaking of Ministry of Railways, was created in 2003 under the National Rail Vikas Yojana (NRVY) to implement railway projects for capacity augmentation viz. gauge conversion, new line, doubling or third line through budgetary and non-budgetary resources to remove bottlenecks on the Indian Railways network, and to facilitate execution of port connectivity and multimodal corridors to the hinterland on a fast track basis. With the assignment of independent Railway Electrification works, metro works in Kolkata and construction of workshop projects, technically challenging projects in hilly regions (such as Rishikesh-Karanprayag, Bhanupalle-Bilaspur in Himachal Pradesh) RVNL has emerged as a major provider of rail infrastructure projects in fast track mode.

RVNL works on a turnkey basis and undertakes the full cycle of project development from concept to commissioning. It has been mandated to undertake resource mobilization directly, or by creation of project specific SPVs or any other financing structure, appropriate for various kind of projects.

ताकत / कमजोरी / अवसर / चेतावनी ताकत

- रेल विकास निगम लिमिटेड ने रणनीतिक भागीदारों के साथ मिलकर परियोजना विशिष्ट एसपीवी का निर्माण करके नई लाइनों के निर्माण के लिए निधियां जुटाने का कार्य सफलतापूर्वक किया है इसके मूल अधिदेश के अनुसार अधिक निधियां जुटाने के लिए इसके विशाल पूंजीगत आधार का लाभ उठाया जा सकता है।
- रेल मंत्रालय ने रेल विकास निगम लिमिटेड को परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के मकसद से निर्धारित सीमा के अंदर अनुमानों को स्वीकृति प्रदान करने और कितनी भी राशि के ठेके देने का अधिकार दिया है।
- रेल विकास निगम लिमिटेड को बड़ी राशि वाले ठेके देने का अधिकार मिल जाने से यह भारत में सर्वश्रेष्ठ इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियो को आकर्षित करने में समर्थ हुआ है।
- इसने संकल्पना से लेकर चालू करने तक के परियोजना विकास के सभी चरणों को पूरा करने में विशेषज्ञता विकसित कर ली है।
- रेल विकास निगम लिमिटेड ने एडीबी की कार्यविधियों का अनुपालन करने और सामाजिक—आर्थिक सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए परियोजना प्रभावितों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कौशल और विशेषज्ञता विकसित कर ली है।
- इसने अपनी निविदा प्रक्रिया में सुधार किया है और मल्टी-पैकेज निविदा जैसी एक नवीन अवधारणा शुरू की है जिसके परिणामस्वरूप शीघ्र निर्णय लिए जा रहे हैं और समग्र लागत में बचत हुई है।
- इसके पास अपनी सुपरिभाषित और मजबूत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है जिससे व्यय पर प्रभावी निगरानी और नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।
- यह ऐसा इकलौता संगठन है जिसके पास योग्य, विशेषज्ञ और तकनीकी ज्ञान से लैस कर्मचारी हैं।

कमजोरियां

- रेल विकास निगम लिमिटेड परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए काफी हद तक रेल मंत्रालय पर निर्मर है जिससे कंपनी का भावी विकास और परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन प्रभावित हो सकता है।
- रेल विकास निगम लिमिटेड को जोनल रेलवे के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है तदनुसार, इसको नक्शे और डिजाइन आदि को स्वीकृति देने का अधिकार नहीं है।
- जोनल रेलों से नक्शों के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने ट्रैफिक ब्लॉक आदि मिलने में विलंब के कारण अक्सर परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हो जाती है।
- परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नक्शों में फेरबदल करने से भी विलंब होता है।
- रेल विकास निगम लिमिटेड को परियोजानाओं के निष्पादन की योजना बनाने की आजादी नहीं है, उसे रेलवे द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं का पालन करना पडता है।
- रेल विकास निगम लिमिटेड को रियायत समझौते की शर्तों के साथ एसपीवी के जरिये परियोजनाओं को शुरू करने की स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय पर निर्भर रहना पडता है।

अवसर

- रेल विकास निगम लिमिटेड पिरयोजनाओं के निष्पादन के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है क्योंकि यह कंपनी विशिष्ट कार्य है और इसके पास पीपीपी मोड में पिरयोजनाओं को कार्यान्वित करने का अनुभव है।
- कोलकाता मेट्रो पिरयोजनाओं के कार्यान्वयन से रेल विकास निगम लिमिटेड ने देश के अन्य शहरों में मेट्रो पिरयोजनाओं को कार्यान्वित करने की विशेषज्ञता हासिल कर ली है।
- रेल विकास निगम लिमिटेड ने भारतीय रेलों के लिए प्रमुख कारखानों का निर्माण फास्ट ट्रैक मोड में सफलतापूर्वक किया है। इसलिए रेल विकास निगम लिमिटेड अन्य एजेंसियों के लिए भी बड़ी इमारतों, कारखानों, टाउनशिप का निर्माण शुरू कर सकता है।
- रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रमुख प्रदाता के रूप में रेल विकास निगम लिमिटेड के उदय को देखते हुए विदेशों में भी रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनों को प्राप्त करने के अवसर मिलने की संभावना है।
- रेल विकास निगम लिमिटेड हिमालयन क्षेत्र में ऋषिकेश—कर्णप्रयाग परियोजना को कार्यान्वित करने में जुटा है, वह पर्वतीय क्षेत्रों में इसी तरह की दूसरी परियोजनाएं हासिल कर सकता है।
- रेल विकास निगम लिमिटेड ने हाई स्पीड रेल परियोजनाओं का विकास और कार्यान्वयन करने के लिए हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से अपनी एक सहायक कंपनी का गठन किया है, जो निम्नलिखत अवसर मुहैया करा सकती है:
- -- देश में हाई स्पीड कॉरिडोर का कार्यान्वयन करना
- कुछ सेमी हाई स्पीड कार्य, जिनकी योजना रेल मंत्रालय द्वारा बनाई
 गई है, के लिए कुछ मार्गों का अपग्रेडेशन करना जैसे चेन्नई—बैंगलुरू—मैसूर (130 किमी) आदि।

चेतावनियां

- रेल सेक्टर में अपेक्षित अनुभव रखने वाले तकनीकी कर्मचारियों की कमी परियोजनाओं की डिलीवरी में प्रमुख बाधा है।
- रेल विकास निगम लिमिटेड में तकनीकी कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा भारतीय रेलों से प्रतिनियुक्ति पर है। प्रतिनियुक्ति की किसी भी प्रतिकूल शर्तों, जैसे प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों द्वारा रेलवे आवास को अपने पास रखने का प्रावधान, के कारण इन्हें आकर्षित करना या लंबे समय पर अपने साथ रखना मुश्किल होगा।
- भूमि अधिग्रहण संबंधी मसले परियोजनाओं की प्रगति को बिधत करते हैं।
- पिरयोजना निष्पादन के लिए क्लीयरेंस जैसे पेड़ों की कटाई, मेट्रो रेल पिरयोजनाओं के लिए वायाडक्ट का निर्माण करने के लिए उपयोगी सुविधाओं को हटाने में विलंब।
- कई परियोजनाएं मौजूदा चालू लाइनों पर निष्पादित की जा रही हैं जिससे सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है।
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में खराब कानून व्यवस्था परियोजनाओं पर प्रतिकृल प्रभाव डाल रही हैं।

औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंध काफी सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बने हुए हैं।

कार्यनीतियां

कंपनी फॉस्ट ट्रैक आधार पर रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के निष्पादन



Strengths/Weaknesses / Opportunities/Threats Strengths

- RVNL has successfully mobilized funds for the construction of new lines by creating project specific SPVs with strategic stakeholders.
 Its large capital base can be leveraged to raise funds as per its original mandate.
- MoR has delegated the authority to RVNL for sanctioning of estimates within prescribed limits and for awarding contracts of any value enabling RVNL to implement projects faster.
- As RVNL can award large value contracts, it has been able to attract the best infrastructure companies in India.
- It has developed expertise in undertaking all stages of project development - from concept to commissioning.
- RVNL has developed the requisite skills and experience to follow ADB procedures and ensure Resettlement and Rehabilitation of Project Affected Persons to implement socio-economic safeguards.
- It has refined its tendering processes and introduced innovative concepts like multi-package tenders resulting in faster decision making and savings in overall costs
- It has a sound and robust financial management system, allowing for effective monitoring and control of expenditure
- It is a lean organisation with a qualified, expert, technical manpower base.

Weaknesses

- RVNL is largely dependent on the Ministry of Railways for funding of projects which may prove detrimental for the future growth of the Company and for timely implementation of projects.
- RVNL has not been notified as a Zonal Railway and accordingly does not have the authority to approve drawings, designs etc.
- The progress of projects often gets impaired on account of delays in securing the necessary approvals for plans, granting of traffic blocks, etc. from Zonal Railways.
- Changes in approved plans by the Railways, during execution of projects, results in delays.
- RVNL does not have the freedom to plan execution of projects and has to follow priorities set by Railways.
- RVNL is dependent on MoR for approval of projects to be taken up through SPV route and terms of the Concession Agreement.

Opportunities

- RVNL can play a significant role in raising extra-budgetary resources for project execution as this is a specific mandate of the company and has experience of implementation of projects in PPP mode.
- With the work of implementation of Kolkata Metro projects, RVNL has developed expertise for implementation of metro projects in other cities across the country.

- RVNL has successfully constructed major workshops for Indian Railways in fast track mode. RVNL can thus undertake implementation of large buildings, factories, townships etc. for other agencies as well.
- With RVNL's growth as a major provider of a variety of rail infrastructure, there is an opportunity of securing rail infrastructure projects overseas.
- RVNL is implementing Rishikesh Karnaprayag project in the Himalayan region and can also take up more such projects in hilly terrain.
- RVNL has formed a subsidiary company for the development and implementation of High Speed Rail projects - High Speed Rail Corporation of India Ltd. which can provide opportunities for:
- -- Implementation of High Speed Corridors in the country
- upgradation of some routes for semi high speed operation as planned by MoR, e.g. Chennai-Bangaluru-Mysore (130 km) etc.

Threats

- The shortage of technical manpower, with requisite experience in the rail sector, is a major constraint in the delivery of projects.
- A large percentage of RVNL's skilled manpower is on deputation from Indian Railways. In case of adverse terms of deputation, e.g. with regard to provision for retaining railway accommodation by deputationists, it will be difficult to attract/retain them in the long run.
- Land acquisition issues hamper the progress of projects.
- Delays in clearances for project execution such as tree-cutting, removal of utilities from the construction of viaducts for metro rail projects etc.
- A number of projects are being executed along existing running lines, which makes safety a serious challenge.
- Projects are adversely affected due to poor law and order conditions such as those in Left Wing Extremist affected districts.

Industrial Relations

Industrial Relations remained harmonious and cordial.

Strategies

The Company is taking measures for ensuring cost control and timely delivery of projects, without any compromise on quality for the execution and delivery of rail infrastructure projects on a fast track basis. RVNL can play a significant role in Ministry of Railways efforts of raising extrabudgetary resources for project implementation, especially through the SPV route. Innovative models for project financing will also have to be explored. RVNL has also requested Ministry of Railways that it may be permitted to leverage its equity base to raise funds from the market as per its mandate.

RVNL has created a permanent cadre through absorption to provide institutional continuity and to reduce the dependence on seeking officers and staff on deputation from Railways. Most of the workforce consists of

और डिलीवरी में क्वालिटी पर कोई समझौता किए बगैर परियोजनाओं की लागत को नियंत्रित करने और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड परियोजना कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से गठित एसपीवी के जरिये अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने के लिए रेल मंत्रालय के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। परियोजना का वित्तपोषण करने के आधुनिक मॉडलों का पता लगाया जाएगा। रेल विकास निगम लिमटेड ने रेल मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया है कि उसे उसके अधिदेश के अनुसार मार्केट से निधियां जुटाने के लिए अपने इक्विटी आधार का लाभ उठाने की अनुमति दी जाए।

रेल विकास निगम लिमिटेड ने संस्थागत निरंतरता प्रदान करने और रेलों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों और कर्मचारियों पर निर्भरता कम करने के लिए समावेशन के जिरये स्थायी कैंडर का निर्माण किया है। जनशक्ति में अधिकांशतः रेलों और /या इसके पीएसयू का अनुभव रखने वाले योग्य तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं। जहां कहीं आवश्यक था, वहां रेल विकास निगम लिमिटेड ने अपनी परियोजना निष्पादन में विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त कराने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती भी की है।

सक्षम, कुशल और योग्य जनशक्ति का विकास करने के लिए एक विस्तृत और उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों से सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का अंतरण करने और रेल परियोजनाओं के निष्पादन से संबंधित कौशल हासिल करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी का मिशन, विजन और उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

मिशन

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक रेल ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना।

विजन

मजबूत वित्तीय आधार और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए वैश्विक निर्माण पद्धतियों के साथ रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के सर्वाधिक कुशल प्रदाता के रूप में उभरना।

उद्देश्य

- इन्फ्रास्ट्रक्चर विशेषकर रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को शुरू करना, सफलतापूर्वक विकास करना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन करना:
- परियोजना कार्यान्वयन के लिए वित्तीय और मानव संसाधन जुटाना;
- लागत में न्यूनतम वृद्धि के साथ परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन करना;
- किफायती संगठनात्मक सेट अप बनाए रखना;
- रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रबंधित रेल संबंधी परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढावा देना;
- देश में रेल संबंधी परियोजनाओं के सतत् विकास और पर्यावरण हितेषी निर्माण पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना निष्पादन कंपनी बनना;
- जहां कहीं जरूरी हो, रेल मंत्रालय की अनुमित से रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसंपितयां प्राप्त करना, खरीदना, लाइसेंस रियायत या सौंपना जिसमें संविदागत अधिकार और दायित्व शामिल हैं।

दुष्टिकोण

वर्ष 2015-16 के लिए रेल मंत्रालय और रेल विकास निगम लिमिटेड के बीच

निष्पादित समझौता ज्ञापन के अनुसार, रेल विकास निगम लिमिटेड वर्ष को दौरान 261 किलोमीटर का दोहरीकरण / तीसरी लाइन बिछाने और 210 किलोमीटर रेलमार्ग का विद्युतीकरण करने का कार्य सौंपा गया है।

चिंताएं

विगत वर्षों के दौरान रेल विकास निगम लिमिटेड ने परियोजना कार्यान्वयन के लिए अपनी संगठनात्मक क्षमता को बढ़ाया है और वर्ष 2014—15 में 3141 करोड़ रु. का टर्नओवर हासिल किया है। कंपनी अपने टर्नओवर में और वृद्धि करने की स्थिति में है, बहरहाल, इसके लिए उसे मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित वित्तपोषण की निरंतर उपलब्धता और अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने हेतु निदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। दीर्घकाल में, परियोजना विकास के लिए लगभग 18 माह का समय अपेक्षित होता है, इसलिए मंत्रालय को रेविनिलि को निष्पादन के लिए अतिरिक्त परियोजनाएं नियमित रूप से देनी होगी तािक विकास की गित को कायम रखा जा सकें।

अपर्याप्त निधियां, भूमि अधिग्रहण, उपयोगकर्ताओं द्वारा नक्शों को अंतिम रूप देने, अन्य सरकारी विभागों (मुख्यतया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) से मंजूरियों की समय पर क्लीयरेंस में विलंब और कानून व्यवस्था की स्थिति तथा रेल मंत्रालय से जरूरी सहयोग की कमी आदि परियोजना निष्पादन में मुख्य चिंता के क्षेत्र हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणलियां स्थापित की गई हैं जिनमें वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समय—समय पर समीक्षा, तकनीकी और वित्त विभागों की सूचना के आधार पर लागत नियंत्रण उपायों की कुशलता का मूल्यांकन शामिल है।

वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा खर्च की प्रगति और प्रकृति की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है और तत्संबंधी रिपोर्ट प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है। बजटीय समीक्षाएं भी की जाती हैं। बाहरी फर्म द्वारा आंतरिक अंकेक्षण की प्रणाली नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता सुनिश्चित करती है और कंपनी द्वारा खर्चों की उपयुक्तता और उनके हिसाब पर टिप्पणियां प्रस्तुत की जाती हैं। आंतरिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट की निदेशक मंडल की अंकेक्षण समिति द्वारा समय—समय पर समीक्षा की जाती है और सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नजर रखी जाती है। कंपनी के वार्षिक लेखों की सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक द्वारा संवीक्षा की जाती है और सीएजी द्वारा इसकी लेखा—परीक्षा की जाती है।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

रेल विकास निगम लिमिटेड एक ऐसे माहौल में अपने मानव संसाधनों को प्राप्त करने, उनका विकास करने उन्हें प्रेरित करने और उन्हें अपना बनाए रखने में संगठन की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसमें यह टीम वर्क और कर्मचारियों के बीच परस्पर सहयोग, कर्मचारियों के साथ—साथ संगठन के विकास और कल्याण में समुचित योगदान देता है। कर्मचारियों के कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने पर बल दिया जाता है।

अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए कपंनी ने रेल विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित भर्ती और पदोन्नित नीति के साथ समावेशन नीति के जरिये अपना स्थायी कैंडर का गठन किया है।

चेतावनीपूर्ण कथन

प्रबंधन चर्चा में कथन और कंपनी की ताकत, कार्यनीतियों, प्रोजेक्शन और अनुमानों का वर्णन करने वाली विश्लेषण रिपोर्ट प्रगतिशील कथन हैं जो लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ के अंतर्गत हैं। वास्तविक नतीजें आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों के अनुसार, व्यक्त या वर्णित नतीजों से अलग हो सकते हैं। पाठक सचेत रहें और प्रगतिशील कथनों पर अनावश्यक भरोसा न करें।



qualified technical ataff with experience in Railways and/or its PSUs. Wherever required, RVNL has also recruited specialists to provide expert guidance in its project implementation.

A comprehensive and appropriate training programme is being implemented to develop competent, suitably skilled and qualified manpower. Efforts are also being made to transfer skills and best practices from other infrastructure sectors and acquiring skills related to execution of Railway projects.

The Mission, Vision and Objectives of the Company as per the MoU are mentioned below:

Mission

To create state of the art Rail transport infrastructure to meet the growing demand.

Vision

To emerge as the most efficient provider of Rail infrastructure, with a sound financial base and global construction practices, for timely completion of projects.

Objectives

- To undertake and execute successfully project development, financing and implementation of projects relating to infrastructure, especially Rail infrastructure
- To mobilize financial and human resources for project implementation;
- Timely execution of projects with least cost escalation;
- To maintain a cost effective organizational set up;
- To encourage public private participation in Rail related projects managed by RVNL;
- To be an infrastructure Project Execution Company committed to sustainable development and environment friendly construction practices of Rail related projects in the country;
- To acquire, purchase, license, concession or assign Rail infrastructure assets including contractual rights and obligation with the approval of MoR whenever required.

Outlook

As per the MoU between RVNL and Ministry of Railways for the year 2015-16, RVNL has been assigned a target to achieve 261 km of Doubling/third line and 210 km of Railway Electrification during the year.

Concerns

Over the past few years RVNL has been augmenting its organisational capacity for project implementation and achieved a turnover of Rs. 3141 crore in 2014-15. The Company is in a position to further increase the turnover, which however, will be dependent on the continued availability of assured funding from the Ministry or directions with regard to raising of

Extra Budgetary Resources. In the long term, as project development requires a lead time of approximately 18 months, the Ministry will have to consider the regular assigning of additional projects to RVNL for execution so that the momentum of growth can be sustained.

Delays in land acquisition, finalization of plans by users, timely clearance of permissions from other government departments (mainly Ministry of Environment and Forests), law and order problems, and the continued support from Ministry of Railways are main concern areas in project execution.

Internal Control Systems

Effective internal control systems have been put in place for monitoring the implementation of projects including periodic reviews of the physical and financial progress, evaluation of efficiency of cost control measures based on inputs of both the Technical and Finance Departments.

Reviews of the progress and nature of expenditure is regularly conducted by the Finance and Accounts Department and reports thereon are submitted to Management. Budgetary reviews are also conducted. A system of internal audit by an external firm ensures the efficacy of control systems and also submission of comments on the appropriateness of incurrence of expenditure, and their accountal, by the Company. The reports of the internal auditor are periodically reviewed by Audit Committee of the Board of Directors and implementation of recommendations are monitored. The Annual Accounts of the Company are also subject to scrutiny by the Statutory Auditor appointed by CAG and Audit by CAG.

Human Resource Development and Industrial Relations

Rail Vikas Nigam Limited endeavors at enhancing the capabilities of the organization in acquiring, developing, motivating and retaining its human resources in an environment in which team work and cooperation among employees contributes to the growth and well being of individual employees as well as the organization as a whole. Emphasis is laid on employees maintaining work life balance.

To strengthen its position, the Company has formed a nucleus of its own permanent cadre through an Absorption Policy along with a Recruitment & Promotion Policy as approved by the Board of Directors of RVNL.

Cautionary Statement

Statements in the Management Discussion and Analysis Report describing the Company's strengths, strategies, projection and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied, depending upon economic conditions, government policies and other incidental factors. Readers are cautioned and not to place undue reliance on the forward

looking statements.



अनुलग्नक "बी"

कारपोरेट शासन संबंधी रिपोर्ट

1 कंपनी का कारपोरेट शासन दर्शन

रेल विकास निगम लिमिटेड में कारपोरेट शासन केवल विनियामक या संरचनात्मक उपायों तक सीमित नहीं है। आपकी कंपनी में यह एक संस्कृति है जो ट्रस्टीशिप, पारदर्शिता, सशक्तिकरण, जवाबदेही और कॉरपोट नैतिकता पर आधारित है।

आपकी कंपनी ने हमेशा अपने कारपोरेट शासन के आचरण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। जो है: "प्रोफेशनल निष्ठा, ईमानदारी, नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के अनुसार काम करना और पारदर्शिता और जवाबदेही को बरकरार रखकर और बढ़ावा देकर कुशल पेशेवर और लाभप्रद कंपनी बनना।"

रेल विकास निगम लिमिटेड ने बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के सदस्यों के लिए नैतिक आचरण और व्हिसल ब्लोअर नीति जैसी नीतियों को लागू करके कारपोरेट शासन को मजबूत करने के दिशा में कई कदम उठाए हैं। निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपकी कंपनी निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों का पालन करती हैं:

- कार्य-प्रदर्शन में उत्कृष्टता हासिल करने का जोश;
- टीम के रूप में काम करना;
- कामकाज में ईमानदारी और न्याय;
- शुरू की गई प्रतिबद्धताओं के लिए ठोस अनुपालन;
- कार्य को समय पर पूरा करना;
- व्यक्तियों की गरिमा और क्षमता का सम्मान;
- रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रति अनुराग और गर्व।

2. निदेशक मंडल

बोर्ड कंपनी की नीतियां और कार्यविधियां तैयार करता है तथा कंपनी के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इनके कार्यान्वयन पर नजर रखता है। निदेशक मंडल में अनुभवी प्रोफेशनल शामिल होते हैं जो कंपनी के मिशन (अर्थात् "बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक रेल ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना") और विजन (अर्थात् "परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मजबूत वित्तीय आधार और वैश्विक निर्माण पद्धतियों के सर्वाधिक कुशल प्रदाता के रूप में उभरना") के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करने के निरंतर प्रयास करते रहते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 में दी गई परिभाषा के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के तौर पर आपकी कंपनी में सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आपकी कंपनी के अंतर्नियमों में यह व्यवस्था है कि बोर्ड में निदेशकों की संख्या तीन से कम और बारह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

बोर्ड की संरचना

रेल विकास निगम लिमिटेड में मौजूदा निदेशकों की संख्या सात (7) है। बोर्ड के निदेशकों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित पांच (5) पूर्णकालिक निदेशक, (अंशकालिक) (सरकारी) निदेशक के रूप में दो (2) सरकारी नामित (रेल मंत्रालय की ओर से) शामिल है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशक के लिए आयु सीमा 60 वर्ष है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल के लिए या अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की जाती है।

रेल मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामिति निदेशक की बोर्ड से सेवानिवृत्ति नामांकन प्राधिकारी के स्वविवेक पर या रेल मंत्रालय के पदाधिकारी के रूप में उनको हटाए जाने पर होती है।

भारत सरकार द्वारा स्वंतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सामान्यतः 3 वर्ष के लिए की जाती है।



Annexure "B"

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. The Company's Corporate Governance Philosophy

At RVNL, Corporate Governance is not solely restricted to regulatory or structural remedies. At your Company, it is a culture, which is based on trusteeship, transparency, empowerment, accountability and corporate ethics.

Your Company has always shown commitment towards its Code of Corporate Governance, which is, "To act in accordance with the highest standards of professional integrity, honesty, ethical conduct and to be proficient, professional and profitable by upholding and promoting transparency and accountability."

RVNL has taken initiatives to strengthen the Corporate Governance framework internally by implementing policies viz., Code of Conduct for Board members and Senior Management and Whistle Blower Policy. To attain the set goals and targets, your Company has been guided by the following **key values:**

- Zeal to attain excellence in performance;
- To act as a team;
- Honesty and justice in dealings;
- Firm obedience to commitments undertaken;
- Timely completion of work;
- Respect for dignity and potential of individuals;
- Devotion and pride towards RVNL.

2. Board of Directors

The Board lays down the Company's policies and procedures and oversees their implementation to ensure attainment of the objectives of the Company. The Board of Directors consists of experienced professionals who constantly endeavour to set goals to align with the Company's Mission,

(i.e. "To create state of the art Rail transport infrastructure to meet the growing demand") and Vision, (i.e. "To emerge as the most efficient provider of Rail infrastructure, with a sound financial base and global construction practices, for timely completion of projects.)"

Your Company, being a Government Company, as defined under the Companies Act, 2013, appointment/nomination of all the Directors is done by President of India through Ministry of Railways. The Articles of Association of your Company provides that the strength of the Board shall not be less than three (3) Directors and not more than twelve (12). These Directors may be either whole-time Directors or part-time Directors.

Composition of the Board:

The present strength of the Board of RVNL comprises of seven (7) Directors. The composition of the Board includes five (5) whole-time Directors including Chairman and Managing Director, and two (2) Government Nominees (on behalf of Ministry of Railways) as (part-time) (official) Director.

The age limit of Chairman and Managing Director and other whole-time Directors is 60 years.

The Chairman and Managing Director and other whole-time Directors are appointed for a period of five years from the date of taking over of charge or till the date of superannuation of the incumbent or till further orders from the Government of India, whichever event occurs earlier.

Government Nominee Directors representing the Ministry of Railways, Government of India, retire from the Board at the discretion of the nominating authority or on their ceasing to be officials of the Ministry of Railways.

Independent Directors are appointed by the Government of India, usually for a tenure of 3 years.



वर्ष के दौरान, समितियों में उनकी डायरेक्टरशिप और सदस्यता / चेयरमैनशिप सहित रेल विकास निगम लिमिटेड के बोर्ड की संरचना नीचे सारणी में दी गई है :

रेल विकास निगम लिमिटेड का निदेशक मंडल

| क्र. सं. | निदेशकों की कैटेगरी | निदेशकों के नाम | रेविनिलि को छोड़कर पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में डायरेक्टरशिप / चेयरमैनशिप की संख्या * | रेविनिलि सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में समिति सदस्यता/चेयरमैनशिप की संख्या # | |
|-------------|--|--|--|---|---------------------|
| | | | | अध्यक्ष के रूप में | सदस्य के रूप में |
| | (क) पूर्णकालिक निदेशक | | | | |
| 1 | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक | श्री एस.सी. अग्निहोत्री | 1 {अध्यक्ष—एचएसआरसीआईएल} | शून्य | शून्य |
| 2 | निदेशक (वित्त) | श्री अशोक कृ. गंजू | 1 {निदेशक—एचएसआरसीआईएल} | शून्य | 3 |
| 3 | निदेशक (परिचालन) | श्री मुकुल जैन | 1 {निदेशक–एचएसआरसीआईएल} | 1 | 2 |
| 4 | निदेशक (कार्मिक) | सुश्री गीता मिश्रा | 1 {निदेशक–एचएसआरसीआईएल} | शून्य | 2 |
| 5 | निदेशक (परियोजना) | श्री विजय आनंद | 1 {निदेशक–एचएसआरसीआईएल} | शून्य | 2 |
| (ख) ३ | भंशकालिक (सरकारी) निदेशक | | | | |
| 6 | कार्यपालक निदेशक (निर्माण) रेलवे बोर्ड (28.06.2013) | श्री वी.पी. दुडेजा | 3 {निदेशक—पीपावाव रेलवे कं. लि.} {निदेशक—रेल इंफ्रास्ट्रक्चर} {निदेशक—कच्छ रेलवे कं. लि.} | कुछ नहीं | 2 |
| 7 | कार्यपालक निदेशक (डब्ल्यूएंडपी) रेलवे बोर्ड (22.01.2014) | श्री के.के. अग्रवाल | 3 {निदेशक—बीएमआरसीएल} {निदेशक—केएमआरसीएल} {निदेशक—सीएमआरएल} {निदेशक—एनसीआरसीटीसी} | कुछ नहीं | 4 |
| 8 | (अंशकालिक) (गैर—सरकारी) | प्रो. (डा.) एस.एस. चटर्जी (12.05.2014 तक) | 1 {निदेशक—इरकॉन} | कुछ नहीं | 3 |
| 9 | (स्वतंत्र) निदेशक | श्री आर.एस. शर्मा (10.06.2015 तक) | 4 {निदेशक—सीसीपीएल} {निदेशक—एसीपीएल} {निदेशक—हिंदुजा लैलेंड फिन. लि.} {निदेशक—जुबलीएंट एनर्जी} | कुछ नहीं | 4 |

- * इसमें विदेशी कंपनियां, धारा 8 की कंपनियां और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां की स्थिति शामिल नहीं है।
- # कारपोरेट शासन, 2010 पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, गणना करने के लिए अंकेक्षण समिति और शेयरधारक शिकायत समिति में सदस्यता / चेयरमैनशिप पर विचार किया गया है।

टिप्पणियां :

- 1 शब्द ''पूर्णकालिक'' फंक्शनल / कार्यकारी निदेशक (कंपनी का पूर्णकालिक कर्मचारी) को दर्शाता है।
- 2 शब्द ''अंशकालिक सरकारी'' सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक को दर्शाता है जो रेल मंत्रालय के अधिकारी होते हैं।



The composition of the Board of RVNL during the year, along with Directorships and memberships/chairmanships in the Committees held by them is reproduced in the table below:

Directors on the Board of RVNL

| S.No. | Category of Directors | Name of Directors | Number of Directorships/ Chairmanships in public limited companies excluding RVNL * | Total No. of Co Memberships/ Chairmanships limited compai including RVNI | in public |
|-------|--|---|---|--|-----------|
| | | | | As Chairman | As Member |
| | (a) Whole-time Directors | | | | |
| 1. | Chairman and Managing Director | Mr. S.C. Agnihotri | 1 {Chairman - HSRCIL} | Nil | Nil |
| 2. | Director (Finance) | Mr. Ashok K. Ganju | 1 {Director - HSCRIL} | Nil | 3 |
| 3. | Director (Operations) | Mr. Mukul Jain | 1 {Director - HSCRIL} | 1 | 2 |
| 4. | Director (Personnel) | Ms. Gita Mishra | Nil | Nil | 2 |
| 5. | Director (Projects) | Mr. Vijay Anand | 1 {Director - HSCRIL} | Nil | 2 |
| | (ii) Part-time (official) Directo | rs | | • | |
| 6. | Executive Director (Works) Railway Board (From 28.06.2013) | Mr. V. P. Dudeja | 3 {Director-Pipavav Rly. Co. Ltd.} {Director-Rail Infra. Structure} {Director-Kutch Railway Co. Ltd.} | Nil | 2 |
| 7. | Executive Director (W&P) Railway Board (From 22.01.2014) | Mr. K. K. Aggarwal | 3 {Director-BMRCL} {Director-KMRCL} {Director-CMRL} {Director-NCRTC) | Nil | 4 |
| 8. | (Part-time) (non-official) | Prof. (Dr.) S. S. Chatterji (upto 12.5.2014) | 1 { Director – IRCON} | Nil | 3 |
| 9. | (Independent) Directors | Mr. R.S. Sharma (upto10.06.2015.) | 4 {Director – CCPL} {Director-ACPL} {Director-Hinduja Leyland Fin. Ltd.} {Director-Jubilant Energy} | Nil | 4 |

- * Does not include Directorships of Foreign Companies, Section 8 Companies and Private Limited Companies.
- # Membership/Chairmanship in the Audit Committee and Shareholders' Grievance Committee have been considered for counting the number, as prescribed under DPE's Guidelines on Corporate Governance, 2010.

Notes:

- 1 The term ""whole time" indicates functional/ executive Directors (in the whole time employment of the Company)
- The term "part-time official" indicates the Directors nominated by Government (Ministry of Railways) on the Board of RVNL who are officials of the Ministry of Railways.
- The term "part-time non-official" indicates the Directors who are Independent and do not hold any office in the Government, and are appointed by the Ministry of Railways.
- 4 The number of directorships held by Directors of the Company is within the limit stipulated under Companies Act, 2013.
- 5 The Directorships and Memberships/Chairmanships are based on the latest disclosure received.

- 3 शब्द "अंशकालिक गैर-सरकारी" उन निदेशकों कों दर्शाता है जो स्वतंत्र होते हैं और जो सरकार में किसी पद पर नहीं होते हैं।
- 4 कंपनी के निदेशकों द्वारा धारित डायरेक्टरशिप की संख्या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के अंदर होती है।
- डायरेक्टरशिप और सदस्यता / चेयरमैनशिप प्राप्त नवीनतम प्रकटन पर आधारित हैं।
- 6 निदेशक वास्तव में एक-दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं और उनका कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं होता है।
- 7 कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों के सदस्य नहीं होता है या 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं होते हैं जैसा कि कारपोरेट शासन, मई, 2014 संबंधी डीपीई के दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।
- 8 कंपनियों के पूरे नामः

एचएसआरसी – हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड;

बीएमआरसी – बेंगलूरू मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड;
 केएमआरसीएल – कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड;
 ए एनसीआरटीसी – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम;

V सीएमआरएल – चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड; VI सीसीपीएल – कोरवैल्यू कन्सलटिंग (प्रा) लि. VII एसीपीएल – एवेंडस कैंपिटल (प्राइवेट) लि.

3) बोर्ड बैठकें, समिति बैठकें और कार्यविधियां

क. बोर्ड / समिति की बैठकों के लिए एजेंडा कार्यक्रम और चयन

- बोर्ड / सिमित के अध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद अग्रिम में उचित सूचना देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। अन्य व्याख्यात्मक विवरणों के साथ विस्तृत एजेंडा नोट्स बैठक के दौरान फोकरड चर्चा और प्रभावी निर्णय लेने के लिए सदस्यों को अग्रिम में परिपत्रित किए जाते हैं। जब किसी तात्कालिक किस्म के मुद्दे पर चर्चा की आवश्यकता होती है तो अल्प सूचना पर बैठक बुलाई जाती है या परिपत्रण द्वारा संकल्प पारित किया जाता है, जिसे पुष्टि के लिए निदेशक मंडल की अगली बैठक में रखा जाता है।
- जहां कहीं भी एजेंडा मद में किसी गोपनीय प्रकृति के दस्तावेज को जोड़ना व्यावहारिक नहीं होता है तो इसे बोर्ड / समिति के अध्यक्ष की स्वीकृति से बैठक के पटल पर रख दिया जाता है।
- विशेष और असाधारण पिरस्थितियों में अतिरिक्त और पूरक मदें बैठक के दौरान पटल पर रखी जाती है।
- संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए एजेंडा कागजों को संबंधित फंक्शनल निदेशक द्वारा प्रायोजित और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- विधिवत रूप से अनुमोदित एजेंडा कागज कंपनी सचिव या समिति के संयोजक द्वारा बोर्ड / समिति के सदस्यों को परिपत्रित किए जाते हैं।
- बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी सूचनाओं को देखने की अनुमित है। बोर्ड किसी भी ऐसे मुद्दे की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र है जो एजेंडा में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
- जब कभी आवश्यकता होती है, वित्त, पिरचालन, मानव संसाधन, संयुक्त उपक्रम पिरचालन पर बोर्ड / सिमिति के सम्मुख प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाती हैं।

ख. बोर्ड / समिति की बैठकों का कार्यवृत्त रिकार्ड करना

बोर्ड / सिमितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त विधिवत रूप से रिकार्ड किया जाता है। ड्राफ्ट कार्यवृत्त बोर्ड / सिमिति को उनके सुझावों और टिप्पणियों के लिए पिरपित्रित किए जाते हैं। सदस्यों से प्राप्त होने वाली टिप्पणियों को कार्यवृत्त में शामिल किए जाते हैं, जिन्हें अंत में बोर्ड / सिमित के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि अगली बैठक में की जाती है। सिमित की बैठकों के कार्यवृत्त को निदेशकों की सूचना के लिए बोर्ड बैठक के एजेंडा में शामिल किया जाता है।

ग. कानुनों का अनुपालन

रेल विकास निगम लिमिटेड का प्रयास रहता है कि उस पर लागू सभी कानूनों के प्रावधानों, नियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट ऑफिस लेवल के सभी विभागों और सभी परियोजना कार्यान्वयन यूनिटों से विधिवत रूप से हस्ताक्षरित सांविधिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है, जिसकी पुष्टि कंपनी सचिव द्वारा की जाती है और इसे हर वर्ष अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर कराने के बाद निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

घ. बोर्ड बैठकों की संख्या

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 2010 में कारपोरेट शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, रेल विकास निगम लिमिटेड की बोर्ड बैठकें तीन माह के अंतराल के भीतर बुलाई गई है।

1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 के दौरान, कंपनी ने कामकाज निपटाने के लिए पांच बोर्ड बैठकें आयोजित की, एक बैठक जून 2014 को समाप्त तिमाही में, एक बैठक सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में, एक बैठक दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में और दो बैठकें मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में आयोजित की गई।

निदेशक की अनुपस्थिति के सभी मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के तहत अवकाश प्रदान किया गया था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, रेल विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठकों की तारीखों का विवरण निम्नानुसार है:

| निदेशक मंडल की 66वीं बैठक | 12 मई, 2014 |
|---------------------------|------------------|
| निदेशक मंडल की 67वीं बैठक | 15 जुलाई, 2014 |
| निदेशक मंडल की 68वीं बैठक | 14 अक्टूबर, 2014 |
| निदेशक मंडल की 69वीं बैठक | 13 जनवरी, 2015 |
| निदेशक मंडल की 70वीं बैठक | 26 मार्च, 2015 |



- 6 Directors are not per se related to each other and do not have any pecuniary relationship or transaction with the Company.
- None of the Directors are member of more than 10 committees or Chairman of more than 5 committees as laid down in DPE's guidelines on Corporate Governance of May, 2010.
- 8 Full names of the referred companies:
- i. HSRC High Speed Rail Corporation of India Limited;
- ii. BMRC Bangalore Metro Rail Corporation Limited,
- iii. KMRCL Kolkata Metro Rail Corporation Limited
- iv. NCRTC National Capital Region Transport Corporation
- v. CMRL Chennai Metro Rail Limited; vi. CCPL – Corevalues Consulting (P) Lmited
- vii. ACPL Avendus Capital (P) Limited

3. Board Meetings, Committee meetings and Procedures

- a. Scheduling and selection of agenda for Board/Committee meetings
- The meetings are convened by giving appropriate advance notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/ Committee. Detailed agenda notes, along with other explanatory statements, are circulated in advance among the members for focused discussion and effective decision- making during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation, which are put up in the next meeting of the Board of Directors for ratification.
- Wherever it is not practical to attach a document to the agenda item, being confidential in nature, the same is tabled at the meeting with approval of Chairman of the Board/Committee
- In special and exceptional circumstances, additional or supplementary items are placed on table during the meeting
- The agenda papers are prepared by the concerned officials, sponsored by the concerned Functional Director and approved by the Chairman and Managing Director.
- Duly approved Agenda papers are circulated amongst the members of the Board/Committee by the Company Secretary or the convener of the Committee.
- The meetings are usually held at the Company's registered office.
- The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also, free to recommend any issue that it may consider important for inclusion in the agenda.
- Presentations are made to the Board/Committee covering Finance, Operations, Human Resources, Joint Venture operations, whenever required.

b. Recording of minutes of the Board/Committee meeting

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meetings are duly recorded. Draft minutes are circulated amongst all members of the Board/Committee for their suggestions and comments. The comments received by the members are incorporated in the minutes, which are finally approved by the Chairman of the Board/Committee. The finalized minutes are entered in the Minutes Book. The minutes of the Board meeting are confirmed in the next meeting. Minutes of the meetings of the committees are included in the agenda of the Board meeting for information of the Directors.

c. Compliance of laws

RVNL endeavours that all provisions of laws, rules and guidelines applicable to it are complied with. To ensure the same, a duly signed Statutory Compliance Certificate is obtained from all the Departments at Corporate Office level and all the Project Implementing Units which is consolidated by Company Secretary and put up to Board of Directors with the signature of Chairman and Managing Director on an annual basis.

d. Number of Board meetings

As per the guidelines on Corporate Governance released by Department of Public Enterprises in 2010, the Board meetings of RVNL are held within an interval of not more than 3 months.

During 1st April, 2014 to 31st March, 2015, the Company held five Board meetings to transact business with one meeting in the quarter ending June 2014, one meeting in quarter ending September 2014, one meeting in quarter ending December 2014 and two meetings in quarter ending March 2015.

In all cases of absence of a Director, Leave of Absence was granted under clause (b) of sub-section (1) of section 167 of the Companies Act, 2013.

Details of the dates of the meetings of Board of Directors of RVNL for the year under review are mentioned below:

| 12th May, 2014 |
|--------------------|
| 15th July, 2014 |
| 14th October, 2014 |
| 13th January, 2015 |
| 26th March, 2015 |
| |



ड़ बोर्ड बैठक और पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति 2013—14 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| क्र. सं. | निदेशकों के नाम और पदनाम | पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे पिछली वार्षिक | | |
|----------|---|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे | आम बैठक में बैठक में उपस्थित थे | पिछली वार्षिक आम उपस्थित थे |
| 1. | श्री एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक | 5 | 5 | हां |
| 2. | श्री वेद प्रकाश डुडेजा, कार्यपालक निदेशक (निर्माण), रेलवे बोर्ड / निदेशक (सरकारी)(28.06.2013से) | 5 | 3 | हां |
| 3. | श्री के.के. अग्रवाल कार्यपालक निदेशक (डब्ल्यूएंडपी), रेलवे बोर्ड निदेशक (सरकारी) (22.01.2013 से) (22.01.2014) | 5 | 5 | हां |
| 4. | सुश्री गीता मिश्रा, निदेशक (कार्मिक) | 5 | 4 | हां |
| 5. | श्री अशोक के. गंजू, निदेशक (वित्त) | 5 | 5 | हां |
| 6. | श्री मुकुल जैन निदेशक (परिचालन) | 5 | 5 | हां |
| 7. | श्री विजय आनंद निदेशक (परियोजना) | 5 | 5 | हां |
| 8. | प्रो. (डॉ.) एस.एस. चटर्जी, अंशकालिक (गैर सरकारी) निदेशक (12.05.2014 तक) | 1 | 1 | नहीं |
| 9. | श्री आर.एस. शर्मा (10.06.2015 तक) अंशकालिक (गैर सरकारी) निदेशक | 5 | 3 | नहीं |

च. निदेशकों द्वारा प्रकटन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 के तहत निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन के अनुसार, निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं है। सरकारी नामिति निदेशक रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं और इसलिए वे प्रोमोटर के रूप में जुड़े हैं।

चूंकि रेल विकास निगम लिमिटेड की पूरी चुकता पूंजी केन्द्र सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा नियंत्रित की जा रही है इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 152 (6) और 160 जिसके अनुसार दो तिहाई निदेशक ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए जिनका ऑफिस आम बैठक में रोटेशन द्वारा रिटायरमेंट द्वारा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार हो, उन्हें कंपनी मामले संबंधी मंत्रालय की दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना संख्या [एफ. सं. 1/2/2014—सीएल.वी] के तहत कंपनी से छूट प्राप्त है।

कंपनी ने कोई विवरणिका या प्रस्ताव पत्र जारी नहीं किया है।

4. बोर्ड समितिः

कंपनी ने रेल विकास निगम लिमिटेड की निदेशक मंडल की निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

- अंकेक्षण समिति;
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति;
- निवेश समिति:

- सीएसआर समिति;
- अनुसंधान एवं विकास समिति।

अंकेक्षण समिति

- सिमिति का कार्यक्षेत्र :
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा मई, 2010 में निर्धारित कारपोरेट शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्य करती हैं। समित के कार्यक्षेत्र का दायरा इस प्रकार है:
- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
- अंकेक्षण फीस निर्धारित करने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।
- सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक अंकेक्षकों को किए जाने वाले भुगतान को स्वीकृति प्रदान करना।
- निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में बोर्ड की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करनाः



e. Attendance in Board meetings and last AGM

The details of attendance of each Director in the Board meetings held during 2014-15 and in the last AGM are mentioned below:

| S.No | Name & Status of Directors | No. of Board meeting | No. of Board meetings held Last | |
|------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | Held (during their respective tenure) | Attended | AGM attended |
| 1. | Mr. S.C. Agnihotri , Chairman and Managing Director | 5 | 5 | Yes |
| 2. | Mr. Ved Prakash Dudeja, ED (Works), Railway Board/ Director (official) (from 28.06.2013 onwards) | 5 | 3 | Yes |
| 3. | Mr. K.K. Aggarwal, ED (W&P), Railway Board/Director (official) (from 22.01.2014 onwards) | 5 | 5 | Yes |
| 4. | Ms. Gita Mishra, Director (Personnel) | 5 | 4 | Yes |
| 5. | Mr.Ashok K. Ganju, Director (Finance) | 5 | 5 | Yes |
| 6. | Mr. Mukul Jain, Director (Operations) | 5 | 5 | Yes |
| 5. | Mr. Vijay Anand, Director (Projects) | 5 | 5 | Yes |
| 6. | Prof. (Dr.) S. S. Chatterji, Part-time (non-official) Director (upto 12.05.2014) | 1 | 1 | No |
| 7. | Mr .R. S. Sharma (upto 10.06.2015) Part-time (non-official) Director | 5 | 3 | No |

f. Disclosures by Directors

As per the disclosures made by Directors under section 184 of Companies Act, 2013, no relationship exists between the directors interse. The Government Nominee Directors are officials of Ministry of Railways and thus related to the promoter.

Since, the entire paid-up share capital of RVNL is being held by Central Government (Ministry of Railways), section 152 (6) and 160 of the Companies Act, 2013, which requires not less than 2/3rd of the Directors as persons whose office is liable to determination by retirement of directors by rotation at a general meeting, are exempted to the Company vide Notification no. [F.No.1/2/2014-CL.V]dated 5-6-2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs.

The Company has not issued any prospectus or Letter of Offer.

4. Committees of Board:

The Company has formed the following committees of Board of Directors of RVNL:

- Audit Committee;
- Nomination & Remuneration Committee;
- Investment Committee;
- CSR Committee;

Research & Development Committee;

Audit Committee

Scope of the Committee :

The Committee acts in accordance with the Terms of Reference as per Section 177 of Companies Act, 2013 and Guidelines of Corporate Governance laid down by Department of Public Enterprises in May, 2010. The scope of the Committee is:

- Oversight of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.
- Recommending to the Board the fixation of audit fees.
- Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.
- Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to:
- Matters required to be included in the Directors "Responsibility Statement" to be included in the Board's report under section 134(5) of the Companies Act, 2013;

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत निदेशकों के ''उत्तरदायित्व विवरण'' को बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना;
- लेखांकन नीतियों और पद्धितियों में कोई बदलाव, यदि कोई हो और तत्संबंधी कारण;
- प्रबंधन के निर्णय के कार्यान्वयन पर आधारित अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
- अंकेक्षण निष्कर्षों के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में किए गए बड़े समायोजन;
- वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन;
- किसी संबंधित पार्टी ट्रांजेक्शन का प्रकटन; और
- ड्राफ्ट अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यताएं।
- स्वीकृति के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- आंतिरक अंकेक्षकों के कार्यप्रदर्शन और आंतिरक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- आंतरिक अंकेक्षण विभाग की संरचना, ऑफिशियल हेडिंग और विभाग की स्टॉफिंग और विष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक अंकेक्षण की कवरेज और आवृति सहित आंतरिक अंकेक्षण फंक्शन, यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा करना।
- किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और तत्संबंधी अनुवर्त्ती कार्यवाही पर आंतरिक अंकेक्षकों और / या अंकेक्षकों के साथ चर्चा करना।
- ऐसे मामले, जिसमें आंतिरक नियंत्रण प्रणालियों के संदिग्ध कपट या अनियमितता या विफलता, जो महत्वपूर्ण प्रकृति की हो, की आंतिरक अंकेक्षकों / अंकेक्षकों / एजेंसियों द्वारा की गई किसी जांच की समीक्षा करना और मामले की सूचना बोर्ड को देना।
- अंकेक्षण शुक्त होने से पहले अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र के बारे में सांविधिक अंकेक्षकों के साथ चर्चा करना और साथ ही किसी चिंता वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए अंकेक्षण उपरांत चर्चा करना।
- जमाकर्ता, बाण्डधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में बड़ी चूक के कारणों की जांच करना।
- व्हिसल ब्लोअर प्रणाली की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
- सीएजी लेखा परीक्षा की अंकेक्षण टिप्पणियों पर की गई अनुवर्त्ती कार्यवाही की समीक्षा करना।
- संसद की सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति (COPU) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्त्ती कार्यवाही की समीक्षा करना।
- सांविधिक अंकेक्षकों, आंतरिक अंकेक्षकों और निदेशक मंडल के बीच संवाद का खुला मार्ग मुहैया कराना।
- कंपनी में सभी संबंधित पार्टियों के ट्रांजेक्शन की समीक्षा करना। इस प्रयोजन के लिए अंकेक्षण समिति एक सदस्य को प्राधिकृत कर सकती है जो संबंधित पार्टियों के ट्रांजेक्शनों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- सांविधिक अंकेक्षकों के साथ कवरेज की संपूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी अंकेक्षण संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए अंकेक्षण प्रयासों के बीच समन्वय की समीक्षा करना।

- सांविधिक अंकेक्षकों और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना।
- कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता और
- प्रबंधन की प्रतिक्रिया के साथ सांविधिक अंकेक्षकों और आंतिरक अंकेक्षकों के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें।
- सांविधिक अंकेक्षकों और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और उनकी समीक्षा करनाः
- पिछली अंकेक्षण सिफारिशों के साथ वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष।
 कार्यकलापों पर किसी प्रतिबंध और अपेक्षित सूचना तक पहुंच पर किसी रोक सहित अंकेक्षण कार्य के दौरान पेश आई कोई कठिनाई।
- अंतर–कारपोरेट ऋणों और निवेशों की जांच;
- जहां कहीं भी आवश्यक हो, उपक्रम अथवा कंपनी की पिरसंपत्तियों का मूल्यांकन;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मृल्यांकन;
- सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मदों द्वारा उगाहे गए ऋणों के अंतिम उपयोग की निगरानी।

व समिति की संरचना

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा मई, 2010 में कारपोरेट शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में निदेशक मंडल की अंकेक्षण समिति का गठन किया है। जब भी कंपनी के स्वतंत्र या अंशकालिक निदेशकों में कोई बदलाव होता है तो समिति का पुनगर्ठन किया जाता है। प्रशासनिक मंत्रालय से स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन के अभाव में रिपोर्ट की तिथि में समिति की संरचना निम्नानुसार है:

| निदेशक का नाम | पदनाम |
|---|---------|
| श्री मुकुल जैन, निदेशक (परिचालन) | अध्यक्ष |
| श्री के.के. अग्रवाल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक | सदस्य |
| श्री अंजुम परवेज, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक | सदस्य |

निदेशक (वित्त) अंकेक्षण समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं।

बैठकों में वित्त एवं लेखा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, आंतरिक अंकेक्षक और सांविधिक अंकेक्षकों के प्रमुख / प्रतिनिधि विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्ति के तौर पर भाग लेते हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव होते है।

सिमिति की बैठकें और उपस्थिति :

सार्वजनक उपक्रम विभाग द्वारा कारपोरेट शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अंकेक्षण समिति की बैठकें चार महीने के अंतराल पर अवश्य कराई जानी चाहिए। समिति वित्त वर्ष 2014—15 के दौरान पांच बार अर्थात् 12 मई, 2014, 15 जुलाई, 2014, 11 नवंबर, 2014, 13 जनवरी, 2015 और 26 मार्च, 2015 को बुलाई गई थी। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति नीचे दर्शाई गई है:



- Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
- Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
- Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
- Compliance with legal requirements relating to financial statements;
- Disclosure of any related party transactions; and
- Qualifications in the draft audit report.
- Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval.
- Reviewing, with the management, performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.
- Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.
- Discussion with internal auditors and/or auditors any significant findings and follow up there on.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/auditors/agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
- To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of nonpayment of declared dividends) and creditors.
- To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.
- To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit.
- To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertaking (COPU) of the Parliament.
- Provide an open avenue of communication between the statutory auditor, internal auditor and the Board of Directors.
- Review all related party transactions in the company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions.
- Review with the statutory auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.
- Consider and review the following with the Statutory auditor and the management:
- The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and

- Related findings and recommendations of the Statutory Auditor and Internal Auditor, together with the management response.
- Consider and review the following with the management, internal auditors and the Statutory auditor:
- Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations
- Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the activities or access to required information.
- Scrutiny of inter-corporate loans and investments;
- Valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary;
- Evaluation of internal financial controls and risk management systems:
- Monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters.
- Composition of the Committee

The Company has in place an Audit Committee of the Board of Directors pursuant to Section 177 of the Companies Act, 2013 and the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises in May, 2010. The Committee is reconstituted as and when there has been change in the Independent or part time Directors of the Company. In absence of nomination of Independent Directors from the Administrative Ministry, the composition of the Committee as on the date of report is as under:

| Name of the Director | Status |
|---|----------|
| Mr. Mukul Jain, | Chairman |
| Director (Operations) | |
| Mr. K K Aggarwal, | Member |
| Part-time official Director | |
| Mr. Anjum Pervez, Part-time official Director | Member |

Director (Finance) is a permanent invitee for the meetings of the Audit Committee.

The meetings are also attended by senior officials of F&A Department, head/representative of the Internal Auditor and Statutory Auditors as Special Invitees. Company Secretary is the Secretary to the Committee.

Meetings and Attendance of the Committee:

In accordance with the guidelines released by Department of Public Enterprises on Corporate Governance, the meetings of Audit Committee were held in an interval of less than four months. The Committee met four times during the financial year 2014-15, i.e. on 12th May 2014, 15th July 2014, 11th November, 2014, 13th January, 2015 and 26th March, 2015. The details of the attendance of each member are mentioned below:

| सदस्य का नाम और पदनाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थिति |
|---|---|----------|
| डॉ. एस. एस. चटर्जी, अध्यक्ष (जब से रिटायर्ड हुए है) | 1 | 1 |
| श्री मुकुल जैन, सदस्य | 5 | 5 |
| श्री आर. एस. शर्मा, (जब से रिटायर्ड हुए है) | 5 | 4 |
| श्री वी. पी. दुडेजा, सदस्य | 5 | 1 |

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

समिति का कार्यक्षेत्र

दूसरी आईडीए वेतन पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार वार्षिक बोनस / पीआरपी वेतन पूल और इसके वितरण के लिए नीति निर्धारित करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा कारपोरेट शासन पर जारी दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के अनुपालन में समिति का गठन किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के अनुसार समिति की नामावली बदलकर "नामांकन और परिश्रामिक समिति" हो गया। एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को कंपनी मामले संबंधी मंत्रालय की दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना संख्या [एफ. सं. 1/2/2014—सीएल.वी] के तहत धारा 178(2)/(3)/(4) के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है।

समिति की संरचनाः

सार्वजिनक उपक्रम विभाग द्वारा कारपोरेट शासन पर मई, 2010 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक के साथ समिति का गठन किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के अनुसार नामांकन और परिश्रामिक समिति में तीन या उससे अधिक गैर—कार्यपालक निदेशक होंगे जिनमें कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे। प्रशासिनक मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन के अभाव में रिटायरमेंट के बाद श्री आर.एस. शर्मा स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल है, आज की तिथि में रिपोर्ट की तिथि में समिति की संरचना निम्नानुसार है:

| निदेशक का नाम | पदनाम |
|---|-------|
| डॉ. के. के. अग्रवाल, अंशकालिक सरकारी निदेशक | सदस्य |
| श्री अंजुम परवेज, अंशकालिक सरकारी निदेशक | सदस्य |
| श्री अशोक कृ. गंजू, निदेशक (वित्त), | सदस्य |
| रेविनिलि (मताधिकार के बगैर) | |

श्री एस. सी. अग्निहोत्री, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा सुश्री गीता मिश्रा, निदेशक कार्मिक समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं। श्री अजय कुमार, जीजीएस (एचआर) समिति के सचिव हैं। वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थितिः

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, सिमित की एक बैठक आयोजित की गई और इनमें सभी सदस्य उपस्थित थे।

वर्ष 2014—15 के दौरान, रेल विकास निगम लिमिटेड के निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक का ब्यौराः

- अंशकालिक सरकारी (सरकारी नामिति) निदेशक कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी (सरकारी नामिति) निदेशक कोई पारीश्रमिक नहीं लेते हैं। वे केवल सरकारी अधिकारी के रूप में भारत सरकार (रेल मंत्रालय) से नियमित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।
- अंशकालिक गैर—सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक फीस कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर—सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 12000 रु. की बैठक फीस अदा की जाती है।

(आंकडे ₹ में)

| | | बैठक फीस | | (011479 (11) |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| क्र. सं. | निदेशक का नाम | बोर्ड बैठक | समिति बैठक | जोड़ |
| 1. | डा. एस.एस. चटर्जी | 12000 | 24000 | 36000 |
| 2. | श्री आर.एस. शर्मा | 36000 | 84000 | 120000 |
| | जोड़ | 48000 | 108000 | 156000 |



| Name of the Member with Status | Meetings held during their respective tenure | Attendance |
|---|--|------------|
| Dr. S. S. Chatterji, Chairman (since retired) | 1 | 1 |
| Mr. Mukul Jain, Member | 5 | 5 |
| Mr. R. S. Sharma, Member (since retired) | 5 | 4 |
| Mr. V.P. Dudeja, Member | 5 | 1 |

Nomination and Remuneration Committee

Scope of the Committee:

The Remuneration Committee has been constituted pursuant to clause 5.1 of the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises, to decide the annual bonus/PRP pay pool and policy for its distribution as per the recommendations of 2nd IDA Pay Revision Committee. The nomenclature of the Committee was changed to "Nomination and Remuneration Committee" pursuant to section 178 (1) of the Companies Act, 2013. The Company being a Government Company is exempted from compliance of the provisions of section 178(2)/(3)/(4) vide Notification no. F.No.1/2/2014-CL.V dated 5-6-2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs.

Composition of the Committee:

In accordance with the DPE's guidelines on Corporate Governance released in May 2010, the Committee was constituted with an Independent Director as Chairman. As per Section 178(1) of the Companies Act, 2013 the Nomination and Remuneration Committee shall constitute of three or more non-executive Directors out of which not less tnan one half shall be independent directors. In absence of nomination of Independent directors by the Administrative Ministry, after the retirement of Mr. R.S. Sharma as independent Director, the composition of the Committee as on the date of the report is as under:

| Name of the Director | Status |
|---|--------|
| Mr. K K Aggarwal , | Member |
| Part Time Official Director | |
| Mr. Anjum Pervez | Member |
| Part Time Official Director | |
| Mr. A K Ganju, | Member |
| Director Finance(without voting rights) | |

Mr. S. C. Agnihotri, Chairman and Managing Director and Ms Gita Mishra, Director Personnel are permanent invitees for the meetings of the Committee.

Mr. Ajay Kumar, GGM (HR) is Secretary to the Committee.

Meetings and Attendance during the year:

One meeting of the Committee was held during the financial year 2014-15 and it was attended by all the members.

Details of remuneration paid to Directors of RVNL during 2014-15

- Part-time official (Government nominee) Directors
 The part-time official (Government nominee) Directors on the Board of the Company do not draw any remuneration.
 They only draw regular remuneration from the Government of India (Ministry of Railways) as Government officials.
- Sitting fee to Part-time non- official independent Directors

 The part-time non-official (Independent) Directors on the Board of the Company are paid a sitting fee of ₹12,000/- for attending Board/Committee meetings.

(Figures in ₹)

| | | Sitting Fees | | |
|-----|---------------------|-----------------|---------|--------|
| S. | Name of the | Board Committee | | |
| No. | Director | Meeting | Meeting | Total |
| 1. | Dr. S. S. Chatterji | 12000 | 24000 | 36000 |
| 2. | Mr. R.S. Sharma | 36000 | 84000 | 120000 |
| | Total | 48000 | 108000 | 156000 |



वित्त वर्ष 2014-15 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों के परिश्रामिक का ब्यौरा

| 豖. | निदेशकों का नाम | वेतन | लीज/ | भत्तें | प्रदर्शन | अधिवर्षिता | बोनस/ | स्टाक | जोड़ |
|-----|--------------------------|----------|---------|--------|--------------|------------|---------|--------|----------|
| सं. | | | लाइसेंस | | संबंधित | लाभ (ईपीएफ | अनुग्रह | विकल्प | |
| | | | फीस | | वेतन/ | अथवा | राशि | | |
| | | | | | अनुग्रह राशि | एफएससी) | | | |
| 1. | श्री एस.सी. अग्निहोत्री, | 2757581 | 750000 | 136018 | 2198100 | 264313 | | | 6106012 |
| | अध्यक्ष और | | | | | | | | |
| | प्रबंध निदेशक | | | | | | | | |
| 2. | श्री अशोक कृ. गंजू | 2482187 | 600000 | 105251 | 1461240 | 238070 | | | 4886748 |
| | निदेशक (वित्त) | | | | | | | | |
| 3. | श्रीमती गीता मिश्रा | 2590692 | | 130295 | 1542420 | 247332 | | | 4510739 |
| | निदेशक (कार्मिक) | | | | | | | | |
| 4. | श्री मुकुल जैन | 2465405 | 600000 | 144401 | 1468110 | 235360 | | | 4913276 |
| | निदेशक (परिचालन) | | | | | | | | |
| 5. | श्री विजय आनंद | 2395118 | | 108505 | 1432260 | 229587 | | | 4165470 |
| | निदेशक (परियोजना) | | | | | | | | |
| | जोड़ | 12690983 | 1950000 | 624470 | 8102130 | 1214662 | | | 24582245 |

निवेश समिति

समिति का कार्यक्षेत्रः

सार्वजिनक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, इस प्रयोजन के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अधिशेष निधियों के अल्पकालिक अविनियोजन के निवेश निर्णय लेने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड की निवेश समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को समय—समय पर रेल विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

समिति की संरचनाः

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (पिरचालन) शामिल हैं। सुश्री मीनू डंग, जीएम (वित्त) समिति के सदस्य

सचिव हैं।

समिति की बैठकें और उपस्थितिः

समिति की बैठकें आमतौर पर साप्ताहिक आधार पर या आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जाती हैं और इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं।

अनुसंधान एवं विकास समिति

समिति का कार्यक्षेत्रः

रेल विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में दिनांक 24.10.2011 इस समिति का गठन किया गया है। समिति का गठन रेल विकास निगम लिमिटेड में अनुसंधान एवं विकास के कार्यान्वयन की प्रगति और सिस्टम सुधार पहल की निगरानी करने के लिए की गई है।

समिति की संरचनाः समिति की संरचना निम्नानुसार हैः

| निदेशक का नाम | पदनाम |
|---|-------|
| श्री के.के. अग्रवाल, अंशकालिक सरकारी निदेशक | सदस्य |
| श्री विजय आनंद, निदेशक (परियोजना) | सदस्य |
| श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक (कार्मिक) | सदस्य |
| श्री अशोक कृ. गंजू, निदेशक (वित्त) | सदस्य |
| श्री मुकुल जैन, निदेशक (परिचालन) | सदस्य |



Remuneration of whole-time Directors for financial year 2014-15

| S. | Name of Directors | Salary | Lease/ | Per- | Performance | Retirement | Bonus/ | Stock | Total |
|-----|-----------------------|----------|---------|----------|--------------|--------------|-----------|---------|----------|
| No. | | | Licence | quisites | Related Pay/ | Benefit | Ex-gratia | options | |
| | | | Fees) | | Ex-Gratia | (EPF or FSC) | | | |
| | | | | | Payment | | | | |
| 1. | Sh. S.C.Agnihotri | 2757581 | 750000 | 136018 | 2198100 | 264313 | | | 6106012 |
| | Chairman and | | | | | | | | |
| | Managing Director | | | | | | | | |
| 2. | Sh. Ashok K.Ganju | 2482187 | 600000 | 105251 | 1461240 | 238070 | | | 4886748 |
| | Director(Finance) | | | | | | | | |
| 3. | Smt. Gita Mishra | 2590692 | | 130295 | 1542420 | 247332 | | | 4510739 |
| | Director (Personnel) | | | | | | | | |
| 4. | Sh. Mukul Jain | 2465405 | 600000 | 144401 | 1468110 | 235360 | | | 4913276 |
| | Director (Operations) | | | | | | | | |
| 5. | Sh. Vijay Anand | 2395118 | | 108505 | 1432260 | 229587 | | | 4165470 |
| | Director (Projects) | | | | | | | | |
| | Total | 12690983 | 1950000 | 624470 | 8102130 | 1214662 | | | 24582245 |

Investment Committee

Scope of the Committee

In accordance with DPE guidelines, the Investment Committee of RVNL has been constituted to take investment decisions for short-term deployment of surplus funds as per financial delegation(s) of power for this purpose. The decision taken by the Committee is put up to the Board of Directors of RVNL regularly for information.

Composition of Committee

The Committee consists of Chairman & Managing Director, Director Finance and Director (Operations). Ms. Meenu Dang, GM (F) is Member Secretary to the Committee.

Meetings and attendance of the Committee

The meetings of the committee are held generally on weekly basis or as and when required, and are attended by all the members.

Research & Development Committee

Scope of the Committee

The Committee has been constituted by the Board of Directors of RVNL in accordance with the guidelines of Department of Public Enterprises (DPE) on 24.10.2011. The Committee has been constituted to monitor the progress of implementation of Research & Development, and system improvement initiatives in RVNL.

Composition of Committee: The composition of the Committee on the date of the report is as under:

| Name of the Director | Status |
|---|--------|
| Mr. K. K. Aggarwal, Part-time official Director | Member |
| Mr. Vijay Anand, Director (Projects) | Member |
| Mrs Gita Mishra, Director (Personnel) | Member |
| Mr. Ashok K. Ganju, Director (Finance) | Member |
| Mr. Mukul Jain, Director (Operations) | Member |



श्री एस. के. धीमन, कार्य. निदे. / प्रोजेक्ट समिति के सचिव हैं। समिति की बैठकें और उपस्थितिः

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, 15.07.2014 को समिति की बैठक आयाोजित हुई। उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| सदस्य का नाम और पदनाम | उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थिति |
|---------------------------------------|---|----------|
| श्री आर. एस. शर्मा, अध्यक्ष | 1 | 1 |
| श्री विजय आनंद, निदेशक (परियोजना) | 1 | 1 |
| श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक (कार्मिक) | 1 | 1 |
| श्री अशोक कृ. गंजू, निदेशक (वित्त) | 1 | 1 |
| श्री मुकुल जैन, निदेशक (परिचालन) | 1 | 1 |

कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

सीएसआर और संपोषणता समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) जिसे कंपनियों के सामाजिक दायित्व नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए और सीएसआर और संपोषणता पर 01.04.2015 को डीपीई के दिशानिदेशों के प्रावधानों के अनुपालन में पुनः गठित किया गया था।

सीएसआर समिति का दायरा निम्नानुसार है:

- (क) बोर्ड के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार करना और सिफारिश करना जो अनुसूची में उल्लिखित कंपनी द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों का संकेत करेगी;
- (ख) खंड (क) में संदर्भित गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि संस्तुत करना; और
- (ग) समय-समय पर कंपनी की कारपोरेट सामजिक नीति और कार्यक्रमों की निगरानी

चूंकि कंपनी के बोर्ड में प्रशानिक मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों का नामांकन लंबित है, रिपोर्ट की तिथि को समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

| निदेशक का नाम | स्थिति |
|---|------------------|
| सुश्री गीता मिश्रा, निदेशक (कार्मिक) | सदस्य एवं संयोजक |
| श्री अशोक कृ. गंजू, निदेशक (वित्त) | सदस्य |
| श्री विजय आनंद, निदेशक (परियोजना) | सदस्य |
| श्री के.के. अग्रवाल, अंशकालिक सरकारी निदेशक | सदस्य |

समिति की बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2014—15 के दौरान, 22.08.2014, 20.11.2014 और 26.03.2015 को समिति ने तीन बैठकें आयोजित की। बैठकों का ब्यौरा नीचे बताया गया हैः

| स्थिति सहित सदस्य का नाम | संबंधित अवधि के दौरान | उपस्थिति |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|
| | आयोजित बैठकें | |
| श्री आर.एस. शर्मा, अध्यक्ष | 3 | 1 |
| श्री विजय आनंद, निदेशक (परियोजना) | 3 | 3 |
| सुश्री गीता मिश्रा, निदेशक (कार्मिक) | 3 | 3 |
| श्री अशोक कृ. गंजू, निदेशक (वित्त) | 3 | 3 |



Mr. S.K. Dhiman, ED/Projects is Secretary to the Committee.

Meetings and attendance of the Committee

During the financial year 2014-15, the Committee had one meeting on 15.07.2014. The details of attendance are mentioned below:

| Name of the Member with Status | Meetings held during their respective tenure | Attendance |
|---------------------------------------|--|------------|
| Mr. R. S. Sharma, Chairman | 1 | 1 |
| Mr. Vijay Anand, Director (Projects) | 1 | 1 |
| Mrs Gita Mishra, Director (Personnel) | 1 | 1 |
| Mr. Ashok K Ganju, Director (Finance) | 1 | 1 |
| Mr. Mukul Jain, Director (Operations) | 1 | 1 |

Corporate Social Responsibility Committee

The Committee on CSR and Sustainability was reconstituted pursuant to provisions of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013 read with the Companies Social Responsibility Rules, 2014 and the DPE Guidelines on CSR and Sustainability issued on 01.04.2014.

The scope of the CSR Committee is as under:

- (a) formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company specified in Schedule VII;
- (b) recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in clause(a); and
- (c) monitor the Corporate Social Responsibility Policy and programmes of the company from time to time.

As nomination of Independent Directors by the Administrative Ministry on the Board of the company is pending, the existing composition of the Committee as on the date of the report is as under:

| Name of the Director | Status |
|---|-------------------|
| Mrs. Gita Mishra, Director (Personnel) | Member & Convenor |
| Mr. Ashok K. Ganju, Director (Finance) | Member |
| Mr. Vijay Anand, Director (Projects) | Member |
| Mr. K. K. Aggarwal, Part-Time Official Director | Member |

Meetings and attendance of the Committee

During the financial year 2014-15, the Committee had three meetings on 22.08.2014, 20.11.2014 and 26.03.2015. The details of attendance are mentioned below:

| Name of the Member with Status | Meetings held during their respective tenure | Attendance |
|---------------------------------------|--|------------|
| Mr. R. S. Sharma, Chairman | 3 | 1 |
| Mr. Vijay Anand, Director (Projects) | 3 | 3 |
| Mrs Gita Mishra, Director (Personnel) | 3 | 3 |
| Mr. Ashok K Ganju, Director (Finance) | 3 | 3 |



शेयरधारक शिकायत समिति

कंपनी ने शेयरधारक समिति का गठन नहीं किया है क्योंकि पूरी प्रदत्त शेयर पूंजी रेल मंत्रालय और इसके नामितियों के पास है।

साधारण बैठक

पिछली तीन वार्षिक साधारण और एक आसाधारण बैठकों की तारीख, समय, स्थान और इनमें पारित किए गए विशेष संकल्पों का ब्यौरा निम्नानूसार है:

| वर्ष | एजीएम / ईजीएम | तारीख | समय | स्थान | पारित विशेष संकल्प |
|---------|---------------|------------|----------|---------------------|--|
| 2014—15 | तीसरी ईजीएम | 29.04.2014 | 1100 बजे | समिति कक्ष, रेल भवन | जी हां, आरवीएनएल को मिनी रत्न केंटेगरी—1 रिथिति मिलने पर अध्यक्ष की शक्तियों में परिवर्तन दर्शाने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत एक विशेष संकल्प पास किया गया था। |
| 2013—14 | ग्यारवीं | 10.09.2014 | 1200 बजे | समिति कक्ष, रेल भवन | नहीं |
| 2012—13 | दसवीं | 18.09.2013 | 1200 बजे | समिति कक्ष, रेल भवन | नहीं |
| 2011—12 | नौवीं | 21.09.2012 | 1600 बजे | समिति कक्ष, रेल भवन | नहीं |

चालू वर्ष की वार्षिक साधारण बैठक

तारीख : 22 सितंबर, 2015

समय : 1230 बजे

स्थान : समिति कक्ष (कमरा सं. 237), द्वितीय तल, रेल भवन,

नई दिल्ली-110001

सहायक कंपनी

हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सार्वजिनक उपक्रम विभाग द्वारा कारपोरेट शासन पर मई, 2010 में जारी दिशानिर्देशों के अध्याय 6 में केवल उन सहायक कंपनियों को शामिल किया गया है जिनका टर्नओवर / निवल संपत्ति होल्डिंग कंपनी के 20 प्रतिशत से कम है। चूंकि हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का टर्नओवर / निवल संपत्ति वर्ष 2014—15 के दौरान रेल विकास निगम लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) के टर्नओसर या निवल संपत्ति के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं था इसलिए हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजिनक उपक्रम विभाग के उपरोक्त दिशानिर्देशों के तहत 'सहायक कंपनी' नहीं थी। अतः सहायक कंपनी से संबंधित प्रावधान रेल विकास निगम लिमिटेड पर लागू नहीं हैं। बहरहाल, रेल विकास निगम लिमिटेड की साड्यक कंपनी, हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की साड्यक कंपनी, हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त हमेशा रेल विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत करती है।

प्रकटन

- कंपनी ने निदेशकों या कंपनी में संभावित हित रखने वाले उनके संबंधियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुपालन में निदेशकों ने व्यक्तिगत रूप से प्रकटन किया है) के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन—देन नहीं किया है।
- कंपनी पर किसी सांविधिक प्राधिकारी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी कानून का अनुपालन नहीं करने के कारण कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

- कंपनी ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा कारपोरेट शासन पर मई, 2010 में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। कंपनी 2007—08 से अपने निदेशको की रिपोर्ट में कारपोरेट शासन और प्रबंधन चर्चा पर रिपोर्ट और विश्लेषण रिपोर्ट शामिल कर रही है। इन दिशानिर्देशों का अनुपालन 10.09.2014 को आयोजित कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक में अध्यक्ष के दिए गए भाषण में भी प्रदर्शित होता है।
- कंपनी को वित्तीय वर्ष 2013—14 के दौरान कोई अध्यक्षीय निदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
- रेल विकास निगम लिमिटेड की लेखा बिहयों में डेबिट किए गए व्यय रेविनिलि को सौंपी गई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किए गए हैं और ये परियोजना व्यय से संबंधित हैं।
- निदेशक मंडल पर कोई व्यक्तिगत व्यय नहीं किया गया केवल उनको छोड़कर जो संविदात्मक दायित्वों के रूप नियुक्ति की शर्तों के अनुसार हैं।
- वित्तीय व्ययों की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालयी व्ययों का ब्यौरा — वर्ष के दौरान, रेल मंत्रालय ने रेल विकास निगम लिमिटेड के राजस्व स्ट्रीम को युक्तिसंगत बनाया है। रेल विकास निगम लिमिटेड में प्रशासनिक व्ययों के आवंटन के सिद्धांतों को अंकेक्षण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। 2014—15 में कुल व्यय से प्रशासनिक व्यय का 3.53 प्रतिशत था।
- आपकी कंपनी ने रेल मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम विभाग को निर्धारित समय के भीतर कारपोरेट शासन पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
- कंपनी ने फंक्शनल निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति हर तीन महीने में मिलती है और समिति की सिफारिशें नियमित अंतराल पर निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

सीईओ / सीएफओ द्वारा प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया श्री एस. सी. अग्निहोत्री, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा श्री अशोक कृ. गंजू, निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत रूप



Shareholders' Grievance Committee

The Company has not constituted a Shareholders Grievance Committee as the entire-paid up share capital is held by Ministry of Railways and its nominees.

General Body Meetings

The details relating to date, time, venue and the Special Resolutions passed at the last three Annual General Meetings and Extra Ordinary General meeting of the Company are placed below:

| Year | AGM/EGM | Date | Time | Venue | Special Resolution passed |
|---------|---------|------------|-----------|--------------------------------|--|
| 2014-15 | 3rd EGM | 29.04.2014 | 1100 hrs. | Committee Room, Rail Bhawan | Yes, a special resolution was passed u/s 14 of the Companies Act, 2013 for alteration of Articles of Associations to reflect change in Powers of Chairman on grant of Miniratna Category-I status to RVNL. |
| 2013-14 | 11th | 10.09.2014 | 1200 hrs | Committee Room, Rail Bhawan | No |
| 2012-13 | 10th | 18.09.2013 | 1200 hrs | Committee Room, Rail Bhawan | No |
| 2011-12 | 9th | 21.09.2012 | 1600 hrs | Committee Room, Rail Bhawan | No |

Annual General Meeting of current year

Date : 22nd September, 2015

Time : 1230 hrs

Venue : Committee Room (Room No. 237), 2nd Floor, Rail Bhawan,

New Delhi - 110001

Subsidiary Company

High Speed Rail Corporation of India Limited is a 100% wholly owned subsidiary company of RVNL. Chapter 6 of the guidelines issued by Department of Public Enterprises in May 2010 on Corporate Governance covers only those subsidiaries, whose turnover or net worth is not less than 20% of the turnover/networth of the Holding Company. Since, the turnover / networth of HSRCIL did not exceed 20% of the turnover or net worth of RVNL (Holding company) during 2014-15, HSRCIL is not a 'subsidiary' under the above-mentioned DPE's guidelines. Therefore, provisions relating to subsidiary companies are not applicable to RVNL. However, the minutes of the Board meetings of HSRCIL, subsidiary of RVNL are invariably placed before the Board of Directors of RVNL.

Disclosures

- The Company has not entered into any significant related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by Directors individually pursuant to section 188 of Companies Act, 2013) having potential interest with the Company at large.
- The Company has not been imposed a penalty by any statutory authority owing to non-compliance under any law, during the last three years.
- The Company has complied with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE)

released in May 2010. RVNL has been including a Report on Corporate Governance and Management Discussion and Analysis Report in its Directors Report since 2007-08. The compliance to these Guidelines was also reflected in the Chairman's speech delivered at the last Annual General Meeting of the Company held on 10.9.2014.

- The Company has not received any Presidential directive during the financial year 2014-15.
- All items of expenditure debited in the Books of Accounts of RVNL are for the purpose of project execution entrusted to RVNL and are related to project expenditure.
- There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.
- Details of Administrative and office expenses as a percentage of total expenses vis-à-vis financial expenses – During the year, Ministry of Railways has rationalised the revenue stream of RVNL. The principles of allocation of administrative expenses in RVNL are approved by the Audit Committee. The percentage of administrative expenses to total turnover was 3.53 in 2014-15.
- Your Company has filed the report on Corporate Governance with the Ministry of Railways and Department of Public Enterprises in the stipulated time.
- The Company has set up a Risk Management Committee under the chairmanship of a Functional Director. The Committee meets on a quarterly basis and the recommendations of the Committee are put up to Board of Directors at regular intervals.

से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र रिपोर्ट में अनुलग्नक "ख-1" के रूप में संलग्न है।

बिजनस आचरण संहिता और नीतियां

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा कारपोरेट शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई बिजनस आचरण संहिता और नीतियां कंपनी के वेबसाइट www.rvnl.org. पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए सभी बोर्ड सदस्यों और सीनियर प्रबंधन कर्मियों से प्राप्त कन्फर्मेशन के आधार पर आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है। इस संबंध में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित घोषणा अनुलग्नक "ख—2" के रूप में संलग्न है और यह इस रिपोर्ट का भाग है।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा कारपोरेट शासन पर रेटिंग

सार्वजिनक उपक्रम विभाग ने वर्ष 2013—14 के दौरान, रेल विकास निगम लिमिटेड को कारपोरेट शासन की श्रेणी में "उत्कृष्ण" की रेटिंग दी है। समझौता ज्ञापन में सेक्टर विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति का स्वयं किए मूल्यांकन के आधार पर यह उम्मीद है कि रेल विकास निगम लिमिटेड 2014—15 में भी "उत्कृष्ट" की रेटिंग हासिल कर लेगा।

संवाद के माध्यम

अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय नतीजें और वार्षिक रिपोर्ट रेल विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट www.rvnl.org. पर प्रदर्शित की गई हैं। विभन्न विभागों के टेंडर, प्रदान किए गए टेंडरों / ठेकों का विवरण, रेविनिलि के भौतिक और वित्तीय प्लान और अधिकृत प्रेस विज्ञप्तियां रेविनिलि की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई हैं।

कारपोरेट शासन के तहत तैयार की गई नीतियां और योजनाएं जैसे बिजनस आचरण संहिता और व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचना, मुहैया कराई सूचना के अनुसार समय—समय पर अपडेट की जाती है। वेबसाइट का हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है।

शेयरधारक की सूचना

- 1 कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है।
- 2 लाभांश का भुगतानः घोषित लाभांश घोषणा के 5 दिनों के अंदर अदा किया जाता है।
- 3 शेयरधारिता का वितरण

| श्रेणी | धारित शेयरों की संख्या | शेयरधारिता का प्रतिशत |
|--|---------------------------|--------------------------|
| भारत के राष्ट्रपति के नाम से केन्द्र सरकार (रेल मंत्रालय) और इसके नामिति | 2085020100 | 100 |
| जोड़ | 2085020100 | 100 |

पद में परिवर्तन होने पर आमतौर पर एक सरकारी नामिति शेयरधारक से दूसरे को शेयरों का हस्तांतरण तकनीकी प्रवृति का होता है क्योंकि कंपनी की पूरी चुकता शेयर पूंजी भारत सरकार (रेल मंत्रालय) के पास होती है। हस्तांतरण को प्रभावी करने के लिए कंपनी सचिव को अधिकृत किया गया है और कोई हस्तांतरण लंबित नहीं है।

4 संयंत्र स्थल / परिचालन इकाइयां

रेल विकास निगम लिमिटेड के पास कोई संयंत्र स्थल या परिचालन इकाइयां नहीं हैं मगर पूरे देश में 15 से ज्यादा राज्यों में इसकी परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां हैं। इकाइयों की सूची का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है।

5 शेयरधारकों को सूचना

वार्षिक रिपोर्ट, जो वार्षिक साधारण बैठक से पहले शेयरधारकों को भेजी जाती है, के अलावा कंपनी की भौतिक और वित्तीय प्रगति से संबंधित आवधिक सूचना (सूचनाएं) नियमित रूप से रेल मंत्रालय, रेविनिलि का एकमात्र शेयरधाकर, को प्रस्तुत की जाती है।

6 अंकेक्षण अहर्ताएं

कंपनी ने पूर्ण वित्तीय विवरण सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए और कोई महत्वपूर्ण अहर्ता नहीं है।

7 बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

इस संबंध में, सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा कारपोरेट शासन पर जारी दिशानिर्देशों के खंड 3.7 के अनुसरण में कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित रेल विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए प्रशिक्षण नीति बनाई है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट www.rvnl.org पर भी अपलोड की गई है।

रेल विकास निगम लिमिटेड ने रेविनिलि के प्रोफाइल के बारे अपने बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए भी कुछ नए कदम उठाए हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा समय—समय पर रेविनिलि की कार्यप्रणाली से संबंधित सभी प्रासंगिक मसलों और महत्वपूर्ण विकास के बारे में अंशकालिक निदेशकों (सरकारी) और (गैर—सरकारी) जैसा भी मामला हो, को बताया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट, संस्था के अंतर्नियमों, रेविनिलि और रेल मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन सहित कंपनी से संबंधित दस्तावेज आवश्यकतानुसार उन्हें मुहैया कराए जाते हैं।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग और स्कोप द्वारा समय—समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निदेशक मनोनीत किए जाते हैं।

8 व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

रेल मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी होने के नाते रेल विकास निगम लिमिटेड मुख्य सतर्कता आयोग के अंतर्गत आता है और मुख्य सतर्कता आयोग के विशानिर्देशों के अनुसार, एक प्रणाली स्थापित की गई है या इसके सभी कर्मचारियों और क्लाइंट की किसी अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध कपट की सूचना सीवीओ या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सीधे देनी होती है। बहरहाल, कंपनी के अंदर सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट शासन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड की एक व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई गई है और निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद इसे कंपनी की वेबसाइट www.rvnl.org पर अपलोड कर दिया गया है।

किसी भी कंपनी को निदेशक मंडल की अंकेक्षण समिति तक पहुंचने से नहीं रोका नहीं गया है।

अनुपालन प्रमाणपत्र

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कारपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र को रिपोर्ट में अनुलग्नक "ख—3" के रूप में शामिल किया गया है।



CEO/CFO Certification

The certificate duly signed by Mr. S.C. Agnihotri, Chairman and Managing Director {CEO} and Mr. Ashok K. Ganju, Director (Finance) {CFO}, as presented to Board of Directors, is annexed as **Annexure "B-1"** to the report.

Code of Business Conduct and Ethics

The Code of Business Conduct and Ethics as prepared in accordance with the guidelines on Corporate Governance released by Department of Public Enterprises is posted on the website of the Company, www.rvnl.org.

The Compliance of the Code of Conduct has been affirmed on the basis of confirmation received from all the Board members and senior management personnel for the financial year 2014-15. A declaration to this effect, duly signed by the Chairman and Managing Director is placed at **Annexure "B-2"** and forms part of this report.

Rating on Corporate Governance by Department of Public Enterprises

Department of Public Enterprises has rated RVNL as "Excellent" under the category of Corporate Governance during 2013-14. On the basis of self evaluation of achievement of sector specific targets in the MoU, it is expected that RVNL will achieve an "Excellent" rating for 2014-15 also.

Means of Communication

The audited annual financial results and Annual Report are displayed on RVNL's website, www.rvnl.org. Tenders of various departments, details of tenders/contracts awarded, physical and financial Plan of RVNL along with other official news releases are also uploaded on the website of RVNL and the Central Public Procurement Portal of Government of India.

The policies and plans framed under Corporate Governance, viz., Code of Business Conduct and Whistle Blower Policy are placed on the Company's website. The information uploaded on the website of RVNL is updated from time to time according to the information provided. A Hindi Version of the website is also available.

Shareholders' Information

- 1. The Company's Financial Year is from 1st April to 31st March.
- Payment of Dividend: Dividend when declared is paid within 5 days of declaration.
- 3. Distribution of shareholding

| Category | No. of | % of share | |
|---------------------------|-------------|------------|--|
| | shares held | holding | |
| Central Government | 2085020100 | 100 | |
| (Ministry of Railways) in | | | |
| the name of President of | | | |
| India and its nominees | | | |
| Total | 2085020100 | 100 | |

Transfer of shares is normally technical in nature from one Government nominee shareholder to another upon change in incumbency, as the entire paid-up share capital of the Company is held by Government of India (Ministry of Railways). To effect the transfer, Company Secretary has been authorized and no transfer is pending.

4. Plant locations/Operating units

RVNL does not have plant locations or operating units but has its Project Implementing Units in more than fifteen states across the Country. A list of the units has been mentioned in the Report.

5. Information to Shareholders

Apart from the Annual Reports which are sent to shareholders before the Annual General Meeting, the periodical information(s) on the physical and financial progress of the Company are regularly submitted to Ministry of Railways, the sole shareholder of RVNL.

6. Audit Qualifications

The Company has been putting all efforts towards ensuring a regime of unqualified financial statements and there have been no significant qualifications.

7. Training of Board Members

In this regard, pursuant to clause 3.7 of the guidelines released by Department of Public Enterprises on Corporate Governance, the Company has framed a Training Policy for Board of Directors of RVNL, duly approved by the Board of Directors. The Policy is also posted on the Company's website, www.rvnl.org.

RVNL also takes initiatives to train its Board members about RVNL's

profile, business parameters, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of RVNL are imparted to part-time Directors {(official) and (non-official), as the case may be} by the management of RVNL from time to time. The documents related to the Company including Annual Reports, Memorandum and Articles of Association, MoU between RVNL and Ministry of Railways etc are provided to them as per requirement.

Director(s) are nominated on training programmes organized by DPE & SCOPE from time to time.

8. Whistle Blower Policy

RVNL, being a Government Company under Ministry of Railways, is covered by the Chief Vigilance Commission (CVC) and as per CVC guidelines, a mechanism is established for all its employees and clients to report on any unethical behaviour, actual or suspected fraud to the CVO or the Chairman and Managing Director directly. However, to encourage best Corporate Governance practices within the Company, a Whistle-blower Policy of RVNL has been prepared and after approval of the Board of Directors, is placed on the Company's website, www.rvnl.org.

No employee has been denied access to the Audit Committee of the Board of Directors.

Compliance Certificate

A Certificate obtained from a Practicing Company Secretary regarding compliance of the conditions of Corporate Governance in accordance with the guidelines issued by Department of Public Enterprises has been included as **Annexure "B-3"** to the Report.



अनुलग्नक "बी-1"

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों द्वारा आचार संहिता अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का घोषणा पत्र

मैं, एस.सी. अग्निहोत्री, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रेल विकास निगम लिमिटेड, एतत्द्वारा यह घोषण करता हूं कि वर्ष 2014–15 के दौरान बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने कंपनी की आचार संहिता तथा मुख्य मान्यताओं के अनुपालन की पुष्टि की है।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 22.05.2015

हस्ता./-

(एस.सी. अग्निहोत्री) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



Annexure "B-1"

Declaration by Chairman and Managing Director regarding compliance with the Code of Conduct by Board Members and Senior Management for the Financial Year 2014-15

I, S.C. Agnihotri, Chairman and Managing Director, Rail Vikas Nigam Limited, do hereby declare that all the members of the Board of Directors and the Senior Management team of the Company have affirmed their compliance with the Code of Conduct and key values of the Company during 2014-15.

Place: New Delhi

Date: 22.5.2015

Sd.-

(S.C. Agnihotri)

Chairman and Managing Director



अनुलग्नक "बी-2"

प्रबंध निदेशक और वित्त प्रमुख का प्रमाण पत्र

हमने वित्त वर्ष 2014—15 के लिए वित्तीय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा कर ली है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसारः

- i) इन विवरणों में कोई भी असत्य विवरण नहीं है या कोई भी वास्तविक तथ्य छिपाया नहीं गया है या कोई भी विवरण भ्रामक नहीं है;
- ii) ये विवरण कंपनी की वास्तविक एवं स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।
- iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा कार्य व्यवहार प्रविष्ट नहीं किया गया है जो गैर–कानूनी अथवा कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।
- iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण हेतु अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कार्य—कुशलता मूल्यांकन कर लिया है। हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन अथवा परिचालन में खामियां जिनकी हमें जानकारी है और इन खामियों को संशोधित के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों की सूचना दे दी है।
- v) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के साथ निम्नलिखित पर चर्चा की है:
- (क) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव;
- (ख) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव तथा जिन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में प्रकट किया गया है; और
- vi) ऐसा कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं है, जिसकी जानकारी कंपनी को न हो और न ही किसी ऐसे मामले की जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रबंधन या किसी कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो।

हस्ता./-एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हस्ता./-

अशोक कृ. गंजू निदेशक वित्त

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 3.8.2015



Annexure "B-2"

Chairman and Managing Director and Finance Head Certification

We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the financial year 2014-15 and to the best of our knowledge and belief:

- i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- ii) These statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- iii) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the year which are illegal or violative of the Company's code of conduct.
- iv) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Company pertaining to financial reporting. We have disclosed, to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls of which we are aware and the steps we have taken or propose to take or rectify these deficiencies.
- v) We have discussed with the auditors and the Audit Committee
- (a) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
- (b) Significant changes in accounting policies during the year, and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- vi) There was no instance of significant fraud of which we are not aware nor there has been involvement of management or an employee having significant role in the Company's under internal control system over financial reporting.

Sd/-

S.C. Agnihotri Chairman and Managing Director Sd/-

Ashok K. Ganju Director Finance/CFO

Place: New Delhi Date: 3.8.2015



अनुलग्नक बी-3

विनोद कुमार एंड कंपनी कंपनी सचिव सी एस विनोद कुमार एम. कॉम. एफसीएस, एल.एल.बी.

343, अजय पार्क, गली नंबर 10—11, नया बाजार, नजफगढ़, नई दिल्ली—110043 मोबाइल नंबरः 09212477250, 8800497844 vkaneja2001@gmail.com,fcsvinod@gmail.com पीएनबी खाता संख्या:0120002100742799, आईएफएस कोड PUNB0152200

अनुपालन प्रमाणपत्र

कॉर्पोरेट शासन के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार

सेवा में.

सदस्यगण,

रेल विकास निगम लिमिटेड,

प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस,

आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066

यह प्रमाणपत्र कॉपोरेट शासन पर कंपनी की संहिता में यथा उल्लिखित, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत रेल विकास निगम लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 14 मई, 2010 को जारी कॉपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में है।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट का हमने अध्ययन कर लिया है। इस संबंध में समीक्षा हेतु प्रस्तुत कंपनी द्वारा रखे गए संबंधित रिकार्ड और दस्तावेजों की भी हमने जांच कर ली हैं

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच केवल कॉपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक ही सीमित थी। कंपनी के वित्तीय विवरण पर न तो यह कोई लेखा परीक्षा है और न ही विचारों की अभिव्यक्ति।

हम यह टिप्पणी करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन है और न ही कंपनी की कार्य कुशलता या प्रभाव का दावा करता है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्य किए हैं।

हमारे विचार में और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार, तथा हमारे द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर और हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने हर प्रकार से कॉर्पोरेट शासन पर कंपनी की संहिता में यथा उल्लिखित कॉर्पोरेट शासन की अपरिहार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

विनोद कुमार एंड कंपनी

कंपनी सचिव

हस्ता./-

सीएस विनोद कुमार

(सी.पी. 5740 एफसीएस 5740)

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 02.05.2015



Annexure "B-3"

VINOD KUMAR & CO.

Company Secretaries CS Vinod Kumar M.Com. FCS. LL.B.

#343, Ajay Park, STREET NO. 10-11, NAYA BAZAR, NAJAFGARH NEW DELHI-I10043 CELL NO. 9212477250. 8800497844

vkaneja2001@gmail.com,fcsvinod@gmail.com

PNB ACCOUNT NUMBER 0120002100742799, IFS CODE: PUNB0152200

PAN:-AGEPA2325G

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

WITH THE CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE IN ACCORDANCE WITH GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE ISSUED BY DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

To

The Members of

RAIL VIKAS NIGAM LIMIT ED

1st Floor, August Krant i Bhawan, Bhikaji Cama Place,

R.K. Puram, New Delhi-I 10066

The Certificate is in respect of the Compliance of the conditions of corporate governance as issued by the Department of Public Enterprises on 14th May 2010, RAIL VIKAS NIGAM LIMITED, a Government Company under the Companies Act, 2013, for the year ended 31st March, 2015, as stipulated in the Company's code on corporate governance.

We have studied the Report on Corporate Governance of the said Company as approved by its Board of Directors. We have also examined the relevant records and documents maintained by the Company and furnished to us for our review in this regard.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to a review of procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Company.

We comment that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effect iveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

In our opinion and to the best of our information and on the basis of our review and according to the information and explanations given to us, we certify that the Company has complied with the mandatory requirements of Corporate Governance as stipulated in Company's code of corporate governance in all material respects.

FOR VINOD KUMAR & CO.
COMPANY SECRETARIES

Places: New Delhi

Dated: 02.05.2015

Sd/-CS VINOD KUMAR (CP 5740 FCS 5740)

अनुलग्नक "सी"

कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट

कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संपोषणीय नीति

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जनवरी, 2013 में जारी संशोधित दिशानिर्देशों और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के निदेशों के अनुसार रेल विकास निगम लिमिटेड ने जनवरी, 2014 में इसके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित अपनी सीएसआर और संपोषणीय नीति तैयार की है। सीएसआर नीति को रेविनिलि की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है:

http://www.rvnl.org/content.php?id=8

लक्ष्य और उद्देश्य

नीति में उल्लिखित बोर्ड के निम्निलिखित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संपोषणीय कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

- 1 परियोजना मोड में कार्यान्वयन
- रेल विकास निगम लिमिटेड के परियोजना क्षेत्रों की परिधि पर फोकस करना।
- 3 अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख
- 4 समाज के कमजोर तबकों और देश के पिछड़े जिलों के विकास पर जोर देने के साथ समाज का समावेशी विकास करना

रणनीतिक साझेदार

रेविनिलि ने अपनी सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2015—18) की अविध के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), मुंबई के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। TISS के साथ पहले हस्ताक्षरित एमओयू वित्तीय वर्ष 2014—15 तक वैध था।

रेल विकास निगम लिमिटेड सघन निगरानी, मूल्यांकन और फीडबैक के लिए फील्ड लेवल कमेटियों को शामिल करने के अलावा बेसलाइन सर्वे, मूल्यांकन अध्ययनों, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, कार्यान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन, अंकेक्षण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए विशेषज्ञ बाहरी एजेंसियों, एनसीएसआर केन्द्र और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पैनलबद्ध एनजीओ, रामाकृष्णा मिशन आदि की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा है।

रिपोर्टिंग और प्रकटन

रेल विकास निगम लिमिटेड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संपोषणीय कार्यकलापों पर एक विस्तृत रिपोर्ट वर्ष 2013—14 की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा, 15.04.2013 से रेल विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर "सीएसआर और संपोषणीय" के नाम से एक अलग शीर्षक तैयार किया गया है और सीएसआर और संपोषणीय से जुड़ी समस्त सूचनाएं नियमित आधार पर वेबवासाइट http://www.rvnl.org पर अपलोड की जा रही है।

संगठनात्मक संरचना

अनुमोदित सीएसआर और संपोषणीय नीति के अनुसार, रेल विकास निगम

लिमिटेड ने अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संपोषणीय एजेंडा को कार्यान्वित करने के लिए दो स्तरीय संगठनात्मक संरचना तैयार की है।

| टीयर | संरचना | | | |
|------|--|--|--|--|
| I | बोर्ड की सीएसआर समिति | | | |
| | एक स्वतंत्र निदेशक सहित चार निदेशक शामिल होते हैं। | | | |
| II | सीएसआर समिति पीआईयू लेवल | | | |
| | (फील्ड स्तरीय) | | | |
| | परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां, मुख्य परियोजना | | | |
| | प्रबंधक(सीपीएम) की अध्यक्षता में | | | |

बोर्ड स्तरीय समिति

रिपोर्ट की तिथि में निम्न लिखित सदस्य बोर्ड की सीएसआर समिति में शामिल हैं:

- (अ) श्री के.के. अग्रवाल, अंशकालिक सरकारी निदेशक, सदस्य
- (आ) श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक कार्मिक, सदस्य
- (इ) श्री अशोक कृ. गंजू, निदेशक वित्त, सदस्य
- (ई) श्री विजय आनंद, निदेशक परियोजना, सदस्य

समिति को कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक) द्वारा देखा जाता है जो रेविनिलि में सीएसआर कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी है।

समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2014—15 के दौरान, 22.08.2014, 20.11.2014 और 26.03.2015 को समिति ने तीन बैठकें आयोजित की।

बजट एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2014—15 के दौरान सीएसआर एवं संपोषणता गतिविधियों पर ₹4.54 करोड़ व्यय किए गए जो पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभ का 2.83 प्रतिशत है।

| | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | | |
| व्यय (करोड़ ₹ में) | 1.65 | 3.84 | 5.27 | 4.54 |
| तीन वित्तीय वर्षों का | 2.47 | 4.39 | 4.37 | 2.83 |
| औसत शुद्ध लाभ (कर पूर्व लाभ) का औसत % | | | | |

वर्ष 2014—15 के लिए सीएसआर परियोजनओं पर किया गया ₹4.54 करोड़ के कुल सीएसआर एवं संपोषणता व्यय में सीएसआर परियोजनाओं पर किया गया 96 प्रतिशत और शेष 4 प्रतिशत को एनसीएसआर हब (TISS) के पेशेवर प्रभारों के लिए दिया गया था।

सीएसआर परियोजनाएं

वर्ष 2014—15 के दौरान कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सीएसआर एवं संपोषणता परियोजनाओं का संक्षिप्त रूप से यहां नीचे बताया गया है।



Annexure "C"

Corporate Social Responsibility (CSR) Report

CSR Policy

In accordance with Section 135 of the Companies Act, 2013 and guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE), RVNL has formulated its CSR Policy duly approved by the Board of Directors (BoD) of RVNL in October 2014. The CSR policy has been uploaded on RVNL's website:

http://www.rvnl.org/content.php?id=8

Aims & objectives

CSR and Sustainability activities are being implemented to meet the following broad objectives underlined in the Policy:

- Implementation in project/ program mode
- Focus on periphery of project areas of RVNL
- Thrust areas of education & health care
- nclusive growth of society with emphasis on development of weaker sections of society and in the backward districts of the country

Strategic partners

RVNL entered into a MoU on 11.12.2014 with Tata Institute of Social Sciences, Mumbai (TISS) for a period of three years (FY 2015-18) to provide necessary support in implementation of CSR activities of RVNL. The MoU signed earlier with TISS was valid up to FY 2014-15.

RVNL is utilizing the services of NCSR Hub empanelled NGOs, specialized external agencies: TISS, TERI, Ramakrishna Mission etc for baseline surveys, needs assessment studies, preparation of project reports, project implementation, monitoring, evaluation, audit and social impact assessment studies apart from involvement of the field level Committees for close monitoring, evaluation and feedback.

Reporting & disclosures

A comprehensive report on CSR & Sustainability activities of RVNL has been made in the 11th Annual Report of RVNL for the year 2013-14. Also, with effect from 15.04.2013, a separate heading of CSR & Sustainability has been created on RVNL's website http://www.rvnl.org and all information related to CSR & Sustainability is being uploaded on the website on regular basis.

Organizational structure

As per the approved CSR Policy, RVNL has put in place a two tier organizational structure to steer the CSR agenda of RVNL:

| Tier | Structure | | | |
|------|--|--|--|--|
| I | CSR Committee of the Board | | | |
| | Comprises four Directors including one | | | |
| | Independent Director | | | |
| II | CSR Committee PIU Level | | | |
| | (at the field level) | | | |
| | Headed by Chief Project Manager (CPM) of Project | | | |
| | Implementation Units (PIU) | | | |

CSR Committee of the Board

The CSR Committee of the Board comprises the following members as on the date of the report:

- 1. Mr. K K Aggarwal, Part-Time Official Director Member
- 2. Mrs. Gita Mishra, Director Personnel, Member
- 3. Mr. Ashok K. Ganju, Director Finance, Member
- 4. Mr. Vijay Anand, Director Projects, Member

The Committee is assisted by Executive Director (Mech) who is the Nodal Officer for implementation of CSR in RVNL.

Committee meetings

During the year 2014-15, the CSR Committee of the Board held three meetings on 22.08.2014, 20.11.2014 and 26.03.2015.

Budget & expenditure

During the financial year 2014-15, ₹4.54 Crore has been spent on CSR & Sustainability activities, which is 2.83% of average net profit made during the three immediately preceding financial years.

| | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Expenditure (₹in crore) | 1.65 | 3.84 | 5.27 | 4.54 |
| % of average net profit (PBT) of three preceding financial years | 2.47 | 4.39 | 4.37 | 2.83 |


Out of the total CSR & Sustainability expenditure of ₹4.54 Crore for the year 2014-15, 96% expenditure is on CSR projects and balance 4% expenditure is due to professional charges made to NCSR Hub (TISS).

CSR projects

Status on the various *CSR* & *Sustainability* projects being implemented during the year 2014-15 is briefly discussed hereunder.

(1) सीएसआर परियोजना "विभिन्न रूप से सशक्त गरीब बच्चों की शिक्षा एवं विकास" को पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना के पिछड़े जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है।

सीएसआर परियोजना को चार वर्ष की अवधि के लिए ₹1.04 करोड़ की लागत पर इंस्टीट्यूट फॉर दि हैंडीकैप्ड एंड बैकवर्ड पीयूप्ल (आईएचबीपी), कोलकाता द्वारा लागू किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 की अवधि के लिए ₹32 लाख व्यय किए गए थे।



- Expenditure ₹ in crore
- % of average net profit (PBT) of three preceding financial years

आईएचबीपी, एक एनसीएसआर हब पैनलबद्ध गैर—सरकारी संगठन विभिन्न रूप से सशक्त गरीब बच्चों की शिक्षा और विकास के प्रति समर्पित है। पीआईयू कोलकाता द्वारा निष्पादित की जा रही सीएसआर परियोजना रेविनिल की जोका—बीबीडी बाग नई मेट्रो लाइन के समीप है।

परियोजना रिपोर्ट आईएचबीपी द्वारा तैयार की गई थी और 29.02.2012 को एनसीएसआर हब का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। रेविनिलि सीएसआर समिति द्वारा परियोजना 06.03.2013 को स्वीकृत की गई और परियोजना 01.04.2012 से शुरू हुई। परियोजना की निगरानी टीयर—II कोलकाता पीआईयू सीएसआर समिति द्वारा की जा रही है।

एक सौ विभिन्न रूप से सशक्त गरीब बच्चों जिनमें तीन तरह की अक्षमताएं है, यथा, 55 श्रवण बाधित बच्चें, (21 लड़के और 34 लड़कियां), 28 मानसिक रूप से विकलांग बच्चें (17 लड़के और 11 लड़कियां) और सेरेब्रल पलसी से ग्रस्त 17 बच्चों (14 लड़के एवं 3 लड़कियां) शामिल की गई है।

इन बच्चों की शिक्षा और विकास श्रवण रूप से बाधिक बच्चों के लिए 10:1, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए 6:1 और सेरेब्रल पलसी से ग्रस्त बच्चों के लिए 3:1 के बच्चों और अध्यापक अनुपात में पात्र और प्रशिक्षित अध्यापकों की गहन निगरानी में किया जा रहा है।

बच्चों को वर्दियां, किताबें, स्टेशनरी, शैक्षिक किटें, चिकित्सा सहायता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। माता—िपता से प्राप्त फीडबैक के अनुसार यह पाया गया है कि माता—िपता बच्चों की प्रगति से संतुष्ट है और इन बच्चों को शिक्षा, जागरूकता और समझ में समग्र सुधार से बहुत अधिक लाभ हुआ है।

एनसीएसआर हब (टीआईएसएस) मध्यावधि सामाजिक लेखा परीक्षा का सार, फरवरी, 2015

"फिलहाल आईएचबीपी समाज के पिछड़े और कमजोर तबकों के विभिन्न रूप से सशक्त बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। रेविनिलि की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत, आईएचबीपी सामान्यतः विभिन्न रूप से सशक्त बच्चों और समाज के लिए गुणवत्ता सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

अन्य गतिविधियों की तुलना में सीएसआर पहल की यह प्रकृति विशेष है क्योंकि रेविनिलि एक विशेष विद्यालय में 100 विभिन्न रूप से सशक्त बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखरेख करने को प्रयोजित करने से जुड़ा हुआ है।

आईएचबीपी के अध्यक्ष के अनुसार, वे वित्तीय समर्थन के लिए रेविनिलि पर पूरी तरह निर्भर है क्योंकि वे इंस्टीट्यूट के एकमात्र दीर्घकालिक निवेशक है और अधिकांश गतिविधियां रेविनिलि की सहायता से की जाती है। परियोजना समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े खंड के लिए है जो परियोजना के महत्व को बढाता है।

(2) "गरीब बच्चों को शैक्षिक समर्थन एवं स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराना" संबंधी सीएसआर परियोजना को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के पिछड़े जिले में किया जा रहा है और इसमें 52 गांवों वाली भांगर ब्लॉक की तीन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है जहां 20% अजा, 15% अजजा और 56% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय वाली 85,000 की आबादी शामिल है। सीएसआर परियोजना को छः वर्ष (वित्तीय वर्ष 2012–18) की अविध के लिए ₹3.85 करोड़ की कुल परियोजना से रामाकृष्णा मठ, नाऔरा द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में ₹68.74 लाख व्यय किया गया है।

पीआईयू कोलकाता द्वारा निष्पादित की जा रही सीएसआर परियोजना रेविनिलि की जोका—बीबीडी बाग नई मेट्रो लाइन के समीप है। 19.06.2012 को एनसीएसआर हब का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। रेविनिलि सीएसआर सिति द्वारा परियोजना 22.08.2012 को स्वीकृत की गई और परियोजना 01.10.2012 से शुरू हुई। परियोजना की निगरानी टीयर—II कोलकाता पीआईयू सीएसआर सिति द्वारा की जा रही है।

चार सौ गरीब बच्चों को (50 प्रतिशत लड़के एवं 50 प्रतिशत लड़कियां; 70 प्रतिशन अजा / अजजा, 10 प्रतिशत अपिव एवं 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय) को तीन सेंटरों— नऔरा, बेहुलबाड़ी एवं मुलचुट्की पर बच्चों की समग्र विकास के लिए एक सप्ताह में छ : दिन फ्री कोचिंग क्लास, फिजीकल प्रशिक्षण, खेल, योगा प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों को वर्दियां, किताबें, स्टेशनरी, शैक्षिक किटें, चिकित्सा सहायता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। माता—पिता से प्राप्त फीडबैक के अनुसार यह पाया गया है कि माता—पिता बच्चों की प्रगति से संतुष्ट है और इन बच्चों को शिक्षा, जागरूकता और समझ में समग्र सुधार से बहुत अधिक लाभ हुआ है।

स्वास्थ्य देखरेख डाक्टरों और चिकित्सा स्टाफ की एक योग्य टीम द्वारा उपलब्ध कराई जती है और इसमें निःशुल्क दवाइयों के साथ छः केंद्रों (नाऔरा, बेहुलबारी, मलमपोटा, चंदनेश्वर, डोगेरपाल एवं राजेंद्रपुर) पर आवधिक चैक शामिल है।

नाऔरा सेंटर पर दंत, ईएनटी, आंखों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के साथ—साथ पैथोलोजिकल जांच एवं होम्योपैथी की व्यवस्था की गई है। मोबाइल मेडिकल वैन और स्वास्थ्य जागरूकता कैंपों द्वारा भी चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है।


वर्ष 2014—15 के दौरान औसतन 2,160 मरीजों का उपचार किया गया था। गांवों के जरूरतमंद व्यक्तियों को उनको उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवा से बहुत अधिक लाभ मिला है।

एनसीएसआर हब (TISS) की मध्यावधि सामाजिक लेखा अवधि का सार,



(1) CSR project "Education & development of under privileged differently abled children" is being implemented in the backward District of South 24 Paraganas in the state of West Bengal.

The CSR project is being implemented by the Institute for the Handicapped and Backward People (IHBP), Kolkata at a total cost of ₹1.04 crore for a period of four years (FY 2012-16). ₹32 lakhs was spent in the year 2014-15.



- Expenditure ₹ in crore
- % of average net profit (PBT) of three preceding financial years

IHBP, a NCSR Hub empanelled NGO, is dedicated to the cause of education and development of underprivileged differently abled children. The CSR project is in the vicinity of Joka-BBD Bagh new metro line construction project of RVNL being executed by PIU Kolkata.

The project report was prepared by IHBP and approval of NCSR Hub was received on 29.2.2012. The project was sanctioned by the RVNL CSR Committee on 6.3.2012 and the project commenced on 1.4.2012. Project monitoring is being done by Tier-II Kolkata PIU CSR Committee.

One hundred under privileged differently abled children having three types of disabilities, namely, 55 hearing impaired children (21 boys & 34 girls), 28 mentally challenged children (17 boys & 11 girls) and 17 children with cerebral palsy (14 boys & 3 girls) have been covered in the project.

Education and development of these children are being done under the close supervision of well qualified and trained teachers with student to teacher ratio of 10:1 for hearing impaired, 6:1 for mentally challenged, 3:1 for cerebral palsy and dedicated support staff.

Children have been provided with school uniforms, books, stationary, educational kits, medical aid and nutritious meal. From the feedback obtained from parents, it is seen that parents are satisfied with the progress of the children and these children have immensely benefited with overall improvement in education, awareness and comprehension.

Extract of Mid-Term Social Audit Report of NCSR Hub (TISS) February 2015

"At present IHBP is providing quality education and training to differently abled children of underprivileged backward and weaker section of the society. Under this CSR initiative of RVNL, IHBP is giving quality service towards the differently abled children and society in general."

This type of CSR initiative is special in nature as compared to other types of programs because RVNL is directly associated in sponsoring the complete education, training and health support to 100 differently abled children in a special school.

According to the head of IHBP, they are totally dependent on RVNL for the financial support as they are the only long term investor to the institute and majority of activities are done with the help of RVNL. The project is for socially and economically backward section of society which increases the importance of the project.

(2) CSR project "Providing educational support to under privileged children & health support" is being implemented in the backward District of South 24 Paraganas in the state of West Bengal and covers a population of about 85,000 people comprising 20% SC, 15% ST and 56% from the minority community in three Gram Panchayats of Bhangar Block comprising 52 villages. The CSR project is being implemented by Ramakrishna Math, Naora for a total project cost of ₹3.85 Crore for a period of six years (FY 2012-18). ₹ 68.74 lakhs has been spent in the year 2014-15.

The CSR project is in the vicinity of Joka-BBD Bagh new metro line construction project of RVNL being executed by PIU Kolkata. Approval of CSR project was received from NCSR Hub on 19.06.2012. The project was sanctioned by the RVNL CSR Committee on 22.08.2012 and the project commenced on 01.10.2012. Project monitoring is being done by Tier-II Kolkata PIU CSR Committee.

Four hundred under privileged children (50% boys & 50% girls; 70% SC/ST, 10% OBC & 20% minority community) are given free coaching classes, physical training, sports, yoga training etc for 6 days in a week for overall development of the children at three centers- Naora, Behulabari & Mulchutki. These children are provided with uniforms, school bags, books, stationary, nutritious meal etc. From the feedback obtained from parents, it is seen that parents are extremely satisfied with the overall development of the children.

Health support is provided by a team of qualified doctors and medical staff and covers periodic health check up at six centers (Naora, Behulabari, Malampota, Chandaneswar, Dogerpar & Rajendrapur) along with free medicine.

Medical treatment facilities for Dental, ENT, Ophthalmology, as well as pathological tests & homeopathy have been set up at Naora center. Medical service is also rendered through mobile medical van and health awareness camps.

During the year 2014-15, an average of 2,160 patients per month were treated. Needy people from the villages have immensely benefited from the health support provided to them.

Extract of Mid-Term Social Audit Report of NCSR Hub (TISS) February

"At present RKM, Naora is imparting quality education for overall development and growth of 400 children belonging to underprivileged,

फरवरी 2015 "वर्तमान में आरकेएम, नाऔरा रेविनिल की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत पिछड़े जिलों में गरीब, पिछड़े अजा एवं अजजा समुदाय से संबंधित 400 बच्चों की समग्र विकास और वृद्धि के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा दे रहा है।"

पिछली रिपोर्ट में सिफारिश किए गए के अनुसार मिशन ने कम्पयूटर साक्षरता और अंग्रेजी बोलने जैसे नए कार्यक्रमों पर कार्य करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में ये दोनों कार्यक्रम कार्य कर रहे हैं और लाभार्थियों को लाभ दे रहे हैं।

स्कूलों में कोर्स करवाने के बाद अध्यापक उसी विषय में ट्यूशन के पैटर्न का पालन कर रहे हैं। कोंचिग क्लासों में आए लगभग सभी छात्रों ने विषय को समझने और प्रदर्शन देने में कोचिंग क्लासों को उपयोगी बताया है। पौष्टिक भोजन जो बच्चों को परोसा जाता है, इसे स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार किया जाता है। इससे स्थानीय समुदाय को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।

आरकेएम विभिन्न स्थानों में छः स्वास्थ्य केंद्रों को स्थापित कर दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिले में भांगर—। और केनिंग—॥ ब्लॉकों में तीन ग्राम पंचायतों की पिछड़ी जनता को निःशुल्क मेडिकल चैक—अप, निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करा रहा है।

इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर देखभाल योग्य डाक्टरों और पैरा चिकित्सा सहायकों / नर्सों द्वारा की जाती है। सीएसआर परियोजना के लिए वंचित और पिछड़ी जनता में बहुत अधिक जोश और समर्थन है।

इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि मठ द्वारा की जाने वाली सेवा इस क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य स्थितियों में योगदान में एक महत्वपूर्ण मार्ग निभाएगी। लंबे समय से वंचित समुदाय के लिए स्वास्थ्य कैंप एक सहारे की तरह है क्योंकि नजदीकी निजी अस्पताल बहुत दूर है। इससे हुआ है कि जनता बाहर आई है और डाक्टरों के निदान के महत्व को स्वीकार किया है।

जब एनसीएसआर टीम क्लीनिकों का दौरा और जनता के साथ संवाद करती है, यह पाया गया कि मोबाइल क्लीनिक अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं और जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है।

लेखा परीक्षा टीम ने नोट किया है कि गहन निगरानी, आवधिक दौरों और संवाद तथा अनुवर्तन द्वारा रेविनिलि इस सीएसआर परियोजना में बहुत अधिक सहयोगी और सहायक पार्टनर है। बहुत सकारात्मक फीडबैक और सभी साझेदारों पर कार्यक्रम के प्रभाव से लेखा परीक्षा टीम की राय है कि रेविनिलि को पिछड़े जिला में गरीब बच्चों और जनता की सुधार के लिए इस सीएसआर परियोजना को जारी रखना चाहिए और दीर्घकालिक में इसकी संपोषणता को जारी रखने के लिए इस परियोजना को जारी रखना चाहिए।"

(3) उत्तराखंड राज्य के पिछड़े जिले में "गरीब जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना" संबंधी परियोजना को तीन वर्ष की अविध (2013—16) के लिए ₹5 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2014—15 में ₹2.25 करोड़ व्यय किए गए हैं।

रेविनिलि की ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई लाइन परियोजना के समीप सीएसआर परियोजना को पीआईयू ऋषिकेश द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। टीआईएसएस द्वारा तैयार परियोजना रिपोर्ट के आधार पर सीएसआर परियोजना को बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा 26.11.2013 को स्वीकृत किया गया था। परियोजना की निगरानी टीयर—॥ ऋषिकेश पीआईयू सीएसआर समिति द्वारा की जा रही है।

रामाकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल, कनखल इस क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1901 में स्थापित एक 150 बिस्तरों वाला एक मल्टी—स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल / चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण, हरिद्वार जिले की जनता के अतिरिक्त, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ की गरीब जनता इस हॉस्पिटल की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रही है। सीएसआर परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं के आवर्धन पर विचार करती है क्योंकि हॉस्पिटल, कनखल में बढ़ते हुए मरीजों के लिए है।

सीएसआर परियोजना में मौजूदा ओपीडी बिल्डिंग में चौथे और पांचवें तल का निर्माण करना है। प्रस्तावित चौथा तल में एक पूर्ण रूप से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर कॉम्पलेक्स होगा और पांचवां तल पूरी तरह 50 बिस्तरों वाला पोस्ट ऑपरेटिव केयर वार्ड होगा जिसकी क्षमता 150 से बढ़ाकर 200 बिस्तर किया गया है, जो अधिक शल्य चिकित्साओं को सुकर बनाता है और शल्य चिकित्सा मामलों को साथ के भवनों में अंतरण करने के मामलों के मुद्दे को हल करेगा।

एनसीएसआर हब (टीआईएसएस) द्वारा लेखा परीक्षित मध्यावधि सामाजिक लेखा परीक्षा का सार, दिसंबर 2014

"कनखल पर आरके मिशन समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहा है और स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दे पर कार्य कर रहा है। समाज को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एक उच्च निवेश संबंधी मामला है, अभी तक जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक तत्व है।

हरिद्वार पर चिकित्सा सुविधाएं एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि यह एक पर्यटन क्षेत्र है जहां प्रतिदिन पूरे भारत से पर्यटक आते हैं। रेविनिलि के सहयोग से आरके मिशन प्रभावी तरीके से मामले से निबट रहा है जो जनता की स्वास्थ्य समस्याओं को न्यूनतम कर रहा है।"

(4) "सोलर होम लाइटिंग प्रणाली उपलब्ध कराना" संबंधी संपोषणता परियोजना को पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों दक्षिण 24 परगना एवं मृशिदाबाद के 350 घरों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

वर्ष 2014—15 में परियोजना ₹34.24 लाख की कुल लागत पर टेरी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। रामाकृष्ण मठ, नाऔरा इस परियोजना की निगरानी और संपोषणता साझेदार है। परियोजना लागत में ₹6 लाख का भुगतान संपोषणता निधि के रूप में रामाकृष्ण मठ, नाऔरा को किया गया था। कुल 350 घरों में दक्षिण 24 परगना के भांगर —I और केनिंग—II ब्लॉकों के 50 घरों और मुर्शिदाबाद जिले के जलंगी ब्लॉक में 300 घरों में सोलर होम लाइटिंग सिस्टम उपलब्ध कराई गई थी।

वर्ष 2014—15 के दौरान भांगर—I और केनिंग—II ब्लॉकों के 500 घरों को शामिल किया गया था। सोलर होम लाइटिंग प्रणाली में प्रत्येक घर में 2W+2W LED लैंप देना शामिल है।

एनसीएसआर हब (टीआईएसएस) द्वारा लेखा परीक्षित मध्याविध सामाजिक लेखा परीक्षा का सार, फरवरी, 2015

"रेविनिलि की सीएसआर एवं संपोषणता परियोजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों, दक्षिण 24 परगना भांगर—। और केनिंग—॥ ब्लॉकों में और मुर्शिदाबाद के पिछड़े जलंगी ब्लॉक में समाज के गरीब और कमजोर तबकों के 350 घरों में टेरी द्वारा सोलर होम लाइटिंग सफलतापूर्वक संस्थापित किया गया है।



backward, SC & ST communities in the backward District under CSR initiative of RVNL."

As recommended in previous report, Mission has started working on new programs such as computer literacy and English spoken classes. In the current study both these programs have been found working and providing benefits to the beneficiaries.

The teachers taking the tuition classes follow the same course pattern as followed in the school. Almost all the students have reported that the coaching classes have been very useful for the children to understand the subject and perform well. The nutritious food which is provided to the children is prepared by a group of local women. With this it can be concluded that the community is also involved in the process.

RKM is also providing free medical check-up, free medicines to the underprivileged people of three gram panchayats of Bhangar-I & Canning-II blocks in the backward district of South 24 Paraganas, West Bengal by establishing six health centers in various places.

Qualified Doctors and Para medical assistants/ nurses are looking after all these health centers. There is a great zeal and enthusiasm amongst the deprived and underprivileged people towards the CSR project.

It cannot be denied that the services Math provides will go a long way in contributing to better health conditions in this area. For these long deprived communities, the health camps are a boon, as the nearest private hospitals are very far away. It has made these people come out of their houses and recognize the importance of a doctor's diagnosis.

When the NCSR Hub Team visited the clinics and interacted with the people, it was found that the mobile clinics are functioning well and are providing health services to the people.

The audit team noted that RVNL has been a very co-operating and supporting partner in this CSR project through close monitoring, periodical visits, and interactions and follow up. In view of very positive feedback and impact the program has generated among the stakeholders, the audit team is of the opinion that RVNL should continue this CSR project for the betterment of the underprivileged children and people in the backward district and should continue this project for its sustainability on the long run".

(3) CSR project "Providing health support facilities to the under privileged people" from the backward districts in the state of Uttarakhand is being implemented by Ramakrishna Mission Sevashrama, Kankhal for a total project cost of ₹5 Crore for a period of three years (2013-16). ₹2.25 Crore has been spent in the year 2014-15.

The CSR project is in the vicinity of Rishikesh Karnaprayag new line construction project of RVNL being executed by PIU Rishikesh. The CSR project was sanctioned by the Board Level Committee on 26.11.2013 based on project report prepared by TISS and the project commenced on 25.12.2013. Project monitoring is being done by Tier-II Rishikesh PIU CSR Committee.

Ramakrishna Mission Sevashrama Hospital, Kankhal is a 150 bedded multi-specialty charitable hospital founded in 1901 to cater to the medical needs of this region. Due to non-availability of hospital/ medical facilities, the under privileged people from backward Districts of Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Chamoli, Champawat and Pithoragarh are availing the privilege of medical facilities of this hospital in addition to the people of Haridwar District. The CSR project envisages augmentation of health support facilities at its hospital, Kankhal in order to meet the increasing patient load.

The CSR project involves construction of 4th and 5th floors in the existing OPD Building. The proposed 4th floor will have a fully equipped operation theatres complex and 5th floor will have fully furnished 50 bedded post operative care ward which will augment the capacity of hospital from 150 to 200 beds, facilitate in handling additional surgeries and the post operative care unit will resolve the issue of transferring surgical cases to adjacent building.

Extract of Mid-Term Social Audit Report by NCSR Hub (TISS) December 2014

"The RK Mission at Kankhal is working for the betterment of society & is working on a major issue that is health. Providing health facilities to the society at minimum cost is a matter of high investments, so for that RVNL is a supporting element in providing health facilities to the public.

The medical facilities at Haridwar is an major issue as it is an tourist place and people from all over India visit it every day. RK Mission with the support of RVNL is addressing the issue in a very effective manner which is leading to minimizing of health problems among the people".

(4) Sustainability project of "**Providing solar home lighting system**" has been successfully implemented in 350 households in the backward District of South 24 Paraganas & Mursidabad in the state of West Bengal. The project has been implemented by TERI at a total cost of ₹34.24 lakhs in the year 2014-15. Ramakrishna Math, Naora is the monitoring and sustainability partner for this project. Out of the project cost, an amount of ₹6 lakhs has been paid to Ramakrishna Math, Naora as sustainability fund. Out of total 350 households, solar home lighting system was provided in 50 households in Bhangar-I and Canning-II blocks of South 24 Paraganas District and 300 households in Jalangi block of Mursidabad District

During the year 2014-15, 500 households were covered in Bhangar-I and Canning-II blocks. Solar home lighting system comprises 2W+2W LED lamps for households.

Extract of Mid-Term Social Audit Report of NCSR Hub (TISS) February 2015

"Solar home lighting systems has successfully installed by TERI in 350 households belonging to the underprivileged and weaker sections of society in Bhangar-I & Canning-II Blocks in the Backward District of South 24 Paraganas & Jalangi block of backward District of Mursidabad, West Bengal under CSR & Sustainability project of RVNL.



यह परियोजना उन स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हुई है जो पढ़ने के लिए केरोसिन लैंप का प्रयोग किया करते थे। सकारात्मक प्रभाव और साझेदारों की मांग को देखते हुए, लेखा परीक्षा टीम की राय है कि आरवीएनएल को इस प्रकार के और घरों की पहचान करनी चाहिए और वर्ष 2015—16 में इस परियोजना को जारी रखना चाहिए।"

(5) ''स्वच्छ भारत—स्वच्छ विद्यालय'' के अंतर्गत **''15 सरकारी स्कूलों में 19 शौचालय ब्लॉक उपलब्ध कराना''** संबंधी संपोषणता परियोजना को पश्चिम बंगाल राज्य के पिछड़े जिले दक्षिण 24 परगना में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।।

परियोजना को वर्ष 2014—15 में 30 लाख रूपए की कुल परियोजना लागत पर रामाकृष्ण मठ, नाऔरा द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

कुल 19 शौचालय ब्लॉकों में से भांगर—। के 12 स्कूलों में 15 शौचालय ब्लॉक (9 इकाइयां लड़कियों के लिए और 6 इकाइयां लड़कों के लिए) और केनिंग—॥ ब्लॉक में 3 स्कूलों में 4 शौचालय ब्लॉक (2 इकाइयां लड़कियों के लिए) शैर 2 इकाइयां लड़कों के लिए) है जिनमें जल प्रबंध, हाथ धोने की

व्यवस्थाएं हैं। परियोजना की निगरानी टीयर—II कोलकाता सीएसआर समिति द्वारा की जा रही है।

एनसीएसआर हब (टीआईएसएस) की लेखा परीक्षित मध्यावधि सामाजिक लेखा परीक्षा का सार, फरवरी 2015

"स्वच्छ विद्यालय—स्वच्छ भारत मिशन, के अंतर्गत पिछड़े जिले दक्षिण 24 परगना के भांगर-l एवं केनिंग—ll के स्कूलों में जल सुविधाओं के साथ शौचालय ब्लॉकों को उपलब्ध कराने के लिए रेविनिलि की पहल सकारात्मक है और स्वच्छता के इस प्रकार के दृष्टिकोण से कार्यान्वित करना साझेदारों के लिए बहुत उपयोगी है।

शौचालय ब्लॉक जिन्हें स्कूलों में निर्मित किया गया था, उनमें अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्रियों का उपयोग किया गया था और पूरी तरह से सुसज्जित है। शौचालय निर्माण के लिए बच्चों की प्रतिक्रया बहुत सकारात्मक है और विशेषकर छात्राओं ने कहा कि जहां पहले सफाई व्यवस्था की समस्या थी, अब समस्या समाप्त हो गई है।"



This project has proved to be a great boon to school going children who used to study under kerosene lamps. In view of positive impact and demand the stakeholders, the audit team is of the opinion that RVNL should identify more such households and continue the project in the year 2015-16"

(5) Sustainability project "**Providing 19 toilet blocks in 15 Government schools**" under "Swachh Bharat- Swachh Vidyalaya" initiative has been successfully implemented in the backward District of South 24 Paraganas in the state of West Bengal.

The project has been implemented by Ramakrishna Math, Naora for a total project cost of ₹30 lakhs in the year 2014-15.

Out of 19 toilet blocks, 15 toilet blocks (9 units for girls & 6 units for boys) in 12 schools in Bhangar-I block and 4 toilet blocks (2 units for girls & 2 units for boys) in 3 schools in Canning-II block with water arrangement,

hand wash etc have been provided. The project was monitored by Tier-II Kolkata PIU CSR Committee.

Extract of Mid-Term Social Audit Report of NCSR Hub (TISS) February 2015

"Under Swachh Vidyalaya- Swachh Bharat Mission, RVNL's CSR initiative for providing toilet blocks with water facilities in schools in Bhangar-I & Canning—II blocks in the backward District of South 24 Paraganas is very positive and stakeholders are very useful with the implementation of such hygienic point of view.

The toilet blocks which are constructed in the schools have used good quality of material and are well furnished. The children responded very positively for the construction of toilets and, especially girl students responded that previously there were problems of sanitation, now it is solved".



सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति नियम, 2014 के नियम 8(1) के अनुसार)

| क्र. सं. | मद | अनुपालन | | | | |
|----------|---|---|---------|----------------|--|--|
| 1. | परियोजनाओं अथवा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा सिहत रेविनिलि की सीएसआर नीति का संक्षिप्त रूपरेख और सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों को वेब लिंक को संदर्भ | रिपोर्ट में विस्तार से की गई चर्चा और संबंधित वेबलिंक संदर्भ आरवीएनएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://www.rvnl.org/content.php?id=8 1. कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार 14.10.2014 को आयोजित 68वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 55 / 14 के तहत आरवीएनएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति अक्टूबर, 2014 2. 11.12.2014 को टीआईएसएस के साथ एमओयू 3. एनसीएसआर हब द्वारा वर्ष 2014—15 के लिए उत्तराखंड में सीएसआर परियोजना की मध्याविध सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 4. एनसीएसआर हब (टीआईएसएस) द्वारा वर्ष 2014—15 के लिए सीएसआर | | | | |
| 2. | सीएसआर समिति की संरचना | एवं संपोषणता की मध्यावधि सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में विस्तार से की गई चर्चा और संबंधित वेबलिंक संदर्भ आरवीएनएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://www.rvnl.org/content.php?id=8: | | | | |
| | | 1) बोर्ड की सीएसआर समिति का गठन | | | | |
| 3. | पिछले तीन वर्षों के लिए | 7 | | | | |
| | आरवीएनएल का औसत शुद्ध | | 2011-12 | 1,19,32,79,364 | | |
| | लाभ (कर पूर्व लाभ) | | 2012-13 | 1,67,46,19,735 | | |
| | | | 2013-14 | 1,95,17,21,555 | | |
| | | औसत 1,60,65,40,218 | | | | |
| 4 | निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरो | न सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद #3 के अनुसार राशि का 2 प्रतिशत) ₹3,21,30,804 | | | | |
| 5 | वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान सीएसआर व्यय का ब्यौरा | | | | | |
| (ক) | वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की ज | लेए व्यय की जाने वाली कुल रााशि ₹4,54,47,097 | | | | |
| (ख) | शेष राशि, यदि कोई हो तो | पदि कोई हो तो कुछ नहीं | | | | |
| (ग) | वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय के तरीकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है | | | | | |



Annual Report on CSR Activities (as per Rule 8(1) of the Companies Corporate Social Responsibility Policy Rules, 2014)

| S.No. | Item | | Compliand | ce | | |
|-------|---|---|-----------|----|------------------------|--|
| 2. | A brief outline of the RVNL's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs The composition of the CSR Committee | Discussed in detail in the Report and related web-link references are available on RVNL's web-site: http://www.rvnl.org/content.php?id=8 1) CSR Policy October 2014 approved by BoD of RVNL vide Item No 55/14 of Minutes of 68th Meeting held on 14.10.2014 as per Section 135 of the Companies Act 2013 2) MoU with TISS dated 11.12.2014 3) Mid Term Social Audit Report of CSR Project in Uttarakhand for the year 2014-15 by NCSR Hub (TISS) 4) Mid Term Social Audit Report of CSR & Sustainability Projects for the year 2014-15 by NCSR Hub (TISS) Discussed in detail in the Report and related web-link references are available | | | | |
| | | on RVNL's web-site: http://www.rvnl.org/content.php?id=8: 1) Constitution of CSR Committee of the Board | | | | |
| 3. | Average net profit (Profit | | Year | | Profit Before Tax in ₹ | |
| | Before Tax) of RVNL for last three financial years | | 2011-12 | 2 | 1,19,32,79,364 | |
| | unos manolal yours | | 2012-13 | 3 | 1,67,46,19,735 | |
| | | | 2013-14 | | 1,95,17,21,555 | |
| | | Average 1,60,65,40,218 | | | | |
| 4 | Prescribed CSR expenditure (2 | (2% of the amount as in item #3 above) ₹3,21,30,804 | | | | |
| 5 | Details of CSR spent during the financial year 2014-15 | | | | | |
| (a) | Total amount to be spent for the | the financial year ₹4,54,47,097 | | | | |
| (b) | Amount unspent, if any | nspent, if any Nil | | | | |
| (c) | Manner in which the amount s | the amount spent during the financial year is detailed below | | | | |



वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान सीएसआर एवं संपोषणता पर व्यय का ब्यौरा

| सं. | सीएसआर परियोजना अथवा चुनी गई गतिविधि | क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है | परियोजना अथवा कार्यक्रम स्थानीय क्षेत्र, राज्य, जिला जहां परियोजना शुरू की गई थी | परियोजना अथवा कार्यक्रम—वार धनरााशि परिव्यय | परियोजना अथवा कार्यक्रम पर व्यय की गई धनराशि— (1) प्रत्यक्ष (2) अन्य खर्चे) | रिपोर्ट की गई अवधि तक किया गया संचयी व्यय | व्यय की गई राशि |
|-----|--|--|--|---|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | विशेष रूप से सशक्त गरीब बच्चों की शिक्षा एवं विकास | शिक्षा | दक्षिण 24 परगना का पिछड़ा जिला (पश्चिम बंगाल) | 3,203,903 | 3,203,903 (1) | 8,171,108 | इंस्टीट्यूट फॉर दि हैंडीकेंप्ड एवं बैकवर्ड पीयुप्ल, कोलकाता |
| 2 | गरीब बच्चों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना | शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं | दक्षिण 24 परगना का पिछड़ा जिला (पश्चिम बंगाल) | 6,873,878 | 6,873,878 (1) | 14,821,166 | रामाकृष्ण मठ, नाऔरा |
| 3 | सोलर होम लाइटिंग सिस्टम उपलब्ध कराना | पर्यावरणीय संपोषणता (पश्चिम बंगाल) | दक्षिण 24 परगना का पिछड़ा जिला | 3,141,825 | 3,141,825 (1) | 3,141,825 | टेरी, नई दिल्ली एवं रामाकृष्ण मठ, नाऔरा |
| 4 | गरीब जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना | स्वास्थ्य देखरेख | उत्तराखंड राजय के पिछड़े जिले | 22,500,000 | 22,500,000(1) | 27,500,000 | रामाकृष्ण मिशन सेवाश्रम, कनखल |
| 5 | स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों को उपलब्ध कराना | स्वच्छ भारत मिशन | दक्षिण 24 परगना का पिछड़ा जिला (पश्चिम बंगाल) | 3,000,000 | 3,000,000 (1) | 3,000,000 | रामाकृष्ण मिशन आश्रम, नाऔरा |
| 6 | पूरी हो चुकी सीएसआर परियोजना "आदिवासी लड़कों के लिए हॉस्टल सुविधाएं" के लिए शेष भुगतान | शिक्षा | नारायणपुर का पिछड़ा जिला (छत्तीसगढ़) | 4,564,174 | 4,564,174 (1) | 42,277,974 | रामाकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर |
| 7 | पूरी हो गई संपोषणता परियोजना "सोलर होम लाइटिंग" के लिए शेष भुगतान | पर्यावरणीय संपोषणता | दक्षिण 24 परगना का पिछड़ा जिला (पश्चिम बंगाल) | 333,300 | 333,300 (1) | 3,933,000 | टेरी, नई दिल्ली |
| 8 | एनसीएसआर हब (टीआईएसएस) के पेशेवर प्रभार | | | 1,830,000 | 1,830,000 (2) | | टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई |
| | कुल | | | 45,447,097 | 45,447,097 | | |

दायित्व विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल के कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी दायित्व विवरण को नीचे दर्शाया गया है:

"कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।"

हस्ता./-

हस्ता./-

आर.एस. शर्मा (अध्यक्ष, सीएसआर समिति) **एस.सी. अग्निहोत्री** (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक)

दिनांकः 26.03.2015



Details of expenditure on CSR & Sustainability during the financial year 2014-15

| No. | CSR Project or Activity identified | Sector in which project is covered | Project or Program local Area, State, District where project was undertaken | Amount Outlay Project or program wise | Amount Spent on project or program - (1) Direct (2) overheads | Cumm Expenditure upto the reporting period | Amount Spent: Director or through Implementing agency |
|-----|--|---|---|---|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Education & Development of under priviledged differently abled children | Education | Backward District of South 24 paragans (West bengal) | 3,203,920 | 3,203,920 (1) | 8,171,108 | Institute for the Handicapped & Backward People, Kolkata |
| 2 | Educational Support to under proviledged children & Health support | Education & Health Care | Backward District of South 24 paragans (West bengal) | 6,873,878 | 6,873,878 (1) | 14,821,166 | Ramkrishna Math, Naora |
| 3 | Providing solar home lighting system | Environmental Sustainability | Backward District of South 24 paragans (West bengal) | 3,141,825 | 3,141,825 (1) | 3,141,825 | TERI, New Delhi & Ramkrishna Math, Naora |
| 4 | Providing health support to the under priviledged people | Health Care | backward District of Uttarakhand | 22,500,000 | 22,500,000(1) | 27,500,000 | Ramkrishna Mission Serashrama, Kankhal |
| 5 | Providing toilet blocks in school | Swachh Bharat Mission | Backward District of South 24 paragans (West bengal) | 3,000,000 | 3,000,000 (1) | 3,000,000 | Ramkrishna Math, Naora |
| 6 | Balance payment for completed CSR project "Hostel Facilities for Tribal Boys" | Education | Backward district of narayanpur (Chhatisgarh) | 4,564,174 | 4,564,174 (1) | 42,277,974 | Ramkrishna Mission Ashrama, Narayanpur |
| 7 | Balance payment for completed Sustainability Project "Solar Home Lighting" | Environmental Sustainability | Backward District of South 24 paragans (West bengal) | 333,300 | 333,300 (1) | 3,933,000 | TERI, New Delhi |
| 8 | Professional charges to NCSR Hub (TISS) | | | 1830,000 | 1830,000 (2) | | Tata Insitute of Social Science, Mumbai |
| | Total | | | 45,447,097 | 45,447,097 | | |

RESPONSIBILITY STATEMENT

The Responsibility Statement of the Corporate Social Responsibility of the Board of Directors of the Company is reproduced below:

"The implementation and monitoring of Corporate Social Responsibility (CSR) Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company".

Sd/-

R.S. Sharma

(Chairman, CSR Committee)

Date: 26.03.2015

Sd/-**S.C. Agnihotri** (Chairman and Managing Director)



अनुलग्नक "डी"

एस. सी. बलूजा एक.सी.एस. कंपनी सचिव एस.सी. बलूजा एंड एसोसिएट्स (कंपनी सचिव) ए—105, तरंग अपार्टमेंट, प्लॉट 19, आई. पी, एक्सटेंशन, दिल्ली—110092, फोन:22725714, मोबाइल: 9811940854 ईमेल: blaujasc@rediffmail.com

फार्म नंबर एमआर—3 सचिविक लेखा परीक्षा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा (204) (1) कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुपालन में)

सेवा में.

सदस्यगण.

रेल विकास निगम लिमिटेड.

नई दिल्ली।

हमने मैसर्स रेल विकास निगम लिमिटेड (इसमें आगे जिसे "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कॉर्पोरेट पद्धितयों के पालन की सचिविक लेखा—परीक्षा कर ली है। सचिविक लेखा—परीक्षा इस विधि से संपन्न की गई है, जिसने हमें कार्पोरेट कार्यों / सांविधिक अनुपालन का मृल्यांकन करने और इन पर अपने मत व्यक्त करने के लिए उपयुक्त आधार मुहैया कराए हैं।

कंपनी की बिहयों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म और फाइल की गई विवरणी और कंपनी द्वार रखे जा रहे अन्य रिकार्ड, जो हमें मुहैया कराए गए और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा सचिविक लेखा परीक्षा के दौरान मुहैया कराई गई सूचना की जांच के आधार पर हम टिप्पणी करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की अविध के दौरान लेखा परीक्षा में इसमें नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया और यह भी कि कंपनी के पास इसमें नीचे की जा रिपोर्टिंग के अधीन उपयुक्त बोर्ड प्रोसेस और अनुपालन प्रणाली है।

हमने निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स रेल विकास निगम लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा रखी गई बहियों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म एवं फाइल की गई विवरणी और अन्य रिकार्डों की जांच कर ली है।

- I. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम
- ॥. प्रतिभृति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम; **लागू नहीं**
- III. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप—नियम; **लागू नहीं**
- IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं बाहरी वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम; लाग् नहीं
- V. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश; लागू नहीं
- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर्स), विनियम, 2011;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 1992;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;
- (ड़) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूचिबद्ध करना) विनियम, 2008;
- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के लिए रिजस्ट्रार) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ लेन–देन करने के संबंध में;



Annexure "D"

S.C. Baluja F.C.S. Company Secretary

S.C Baluja & Associates (Company Secretaries) A-105, Tarang Apartment, Plot 19, I.P. Extension, Delhi - 110092, Phone: 22725714, Mobile: 9811940854

E-mail: balujasc@rediffmail.com

Form No. MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2015

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule no. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014j

To

The Members,

M/s Rail Vikas Nigam Limited,

New Delhi

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by M/s Rail Vikas Nigam Limited (hereinafter called the "Company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company as made available to us and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 20 15 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by M/s Rail Vikas Nigam Limited ("the Company") for the financial year ended on March 31, 2015 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder; Not Applicable
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder; **Not Applicable**
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **Not Applicable**
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act"):- Not Applicable
- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (b) The Securities and Exchange Board ofIndia (Prohibition ofInsider Trading) Regulations, 1992;
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee StockPurchase Scheme) Guidelines, 1999;
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and



- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम, 2009 और
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी—खरीद), विनियम, 1998।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लिए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश;
- VII. कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान भुगतान अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, संविदा श्रमिक विनियम एवं निराकरण अधिनियम और उपरोक्त अधिनियमों के तहत श्रम विभाग द्वारा समय—समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं (कंपनी को विभिन्न परियोजना इकाइयों से प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें उल्लेख किया गया है कि परियोजना कामगारों के संबंध में सभी अनुपालन किए गए हैं। अतः प्रमाणपत्रों के आधार पर टिप्पणियां की गई हैं)।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच कर ली है:

- i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सचिविक मानक जारी किए गए हैं (लेखा परीक्षा अविध के लिए अधिसूचित नहीं किए गए हैं, इसलिए लेखा परीक्षा अविध के लिए कंपनी पर लागू नहीं हैं)
- ii. कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) साथ किया गया सूचीबद्धता समझौता, यिद लागू हों, लागू नहीं । समीक्षाधीन अविध के दौरान, कंपनी ने अधिनियमों के प्रावधानों, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, के तहत निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन ऊपर वर्णित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अपुपालन किया है:
- i. बोर्ड और लेखा परीक्षा सिमित की संरचना तथा कंपनी की सिमित का नामांकन और पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है क्योंकि कंपनी के पास उसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। केवल एक स्वतंत्र निदेशक होने के कारण स्वतंत्र निदेशकों की बैठक नहीं की जा सकी।

सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय द्वारा की जाती है।

ii. कंपनी ने सर्कुलर संकल्प द्वारा सीएसआर समिति का गठन किया है।

हम यह भी टिप्पणी करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशकों, गैर—कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन नहीं रखा गया है, जिसके कारण कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या नहीं है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव किया गया है, वो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिए गए, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजने भेजे गए थे, बैठक से पहले एजेंडा की मदों पर अधिक सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने तथा बैठक में पर्याप्त भागीदारी के लिए सिस्टम मौजूद है।

बैठकों के निर्णय सर्वसम्मति से पारित किए गए, अतः कार्यवृत्त के भाग के रूप में किसी सदस्य की असहमति वाली राय दर्ज नहीं की गई।

हम यह भी टिप्पणी करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और सुनिश्चित करते के लिए कंपनी के आकार और परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम यह भी टिप्पणी करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कोई विशिष्ट घटना / कार्यवाही नहीं हुई, जिनका ऊपर वर्णित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में कंपनी के मामलों पर प्रभाव पड़ा हों मगर कंपनी को अभी भी कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में अपने प्रबंधन का पुनर्गटन करने की आवश्यकता है।

कृते एस.सी. बलूजा एंड एसोसिएट

कंपनी सचिव हस्ता./– **एस.सी. बलूजा** कंपनी सचिव

एफसीएस—2721 सीपी—7475

तारीखः 27.08.2015 स्थानः नई दिल्ली



- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;
- (vi) Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises;
- (vii) Employee Provident Fund Act, Payment of Gratuity Act, Employee State Insurance Act, Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Payment of Bonus Act, Weekly Holiday Act, Industrial Disputes Act, Workmen Compensation Act, Contract Labour Regulation & Abolition Act and notifications issued by labour department from time to time under above acts (The Company has provided the certificates from different project units stating that all the compliances in respect of project workers are being made. Thus, the observations have been given on the basis of the certificates)

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. (Not notified for this audit period, hence, not applicable to the Company during the audit period)
- (ii) The Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchange(s), if applicable; **Not Applicable**During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations under the provisions of the Acts as stated above:
- (i) The composition of the Board, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee of the Company is not in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 as the Company does not have adequate number of independent directors on its Board. On account of having one independent director, a meeting of independent directors has not been convened.

The company being a government company, the directors are appointed by the Ministry of Railways.

The Company has formed the CSR committee by circular resolution.

We further report that

The Board of Directors of the Company is not duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors as the Company has does not have adequate number of independent directors on its Board. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the 'period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent atleast seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

The decisions in the meetings were passed unanimously hence, no dissenting members' views was required to be recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, there were no specific events / actions having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. referred to above but still the Company needs to restructure its management to be in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013.

For S.C. Baluja & Associates

Company Secretaries

Sd/-S.C. Baluja

Company Secretary FCS - 2721 CP- 7475

Date: 27.08.2015 Place : New Delhi

अनुलग्नक "ई"

| फार्म नं. एमजीटी 9 |
|---|
| वार्षिक विवरणी का सार |
| 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
| कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुपालन में |

। पंजीकरण और अन्य विवरणः

| i | सीआईएन | U74999DL2003G0I118633 |
|-----|---|---|
| ii | पंजीकरण की तारीख | 24.01.2003 |
| iii | कंपनी का नाम | रेल विकास निगम लिमिटेड |
| iv | कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी | सरकारी कंपनी |
| V | पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण | प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली—110066 |
| vi | क्या कंपनी सूचीबद्ध है | असूचीबद्ध |
| vii | रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हों, का नाम, पता और संपर्क विवरण | लागू नहीं |

ll कंपनी के मुख्य व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप कंपनी के कुल टर्नओवर में 10 प्रतिशत या अधिक का अंशदान करने वाले सभी व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप

| क्र. | मुख्य उत्पादों / सेवाओं के | उत्पाद/सेवा का | कंपनी के कुल टर्नओवर |
|------|--|----------------|----------------------|
| सं. | नाम और विवरण | एनआईसी कोड | का प्रतिशत |
| 1 | भीतरी प्रदेशों के पत्तनों को जोड़ने वाले रेलमार्गों के साथ महत्वपूर्ण रेल अवसंरचना और पत्तन संपक मुहैया करना। | 501 | 100% |

III धारिता, सहायक कंपनी और सहयोगी कंपनियों के विवरण

| क्र. सं. | कंपनी का नाम और पता | सीआईएन / जीएलएन | धारिता / सहायक कंपनी / सहयोगी कंपनी | धारित शेयर (प्रदत्त पूंजी का) का %) | लागू धारा |
|-------------|--|-----------------------|---|---|--------------|
| 1 | कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड | U45202DL2004PLC124267 | सहयोगी कंपनी | 50% | धारा 2(6) |
| 2 | भरूच दाहेज रेलवे कंपनी लि. | U45203DL2006PLC155511 | सहयोगी कंपनी | 35.46% | धारा 2(6) |
| 3 | कृष्णापटनम रेलवे कंपनी लिमिटेड | U45200TG2006PLC051378 | सहयोगी कंपनी | 30% | धारा 2(6) |
| 4 | हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड | U452030R2006PLC008959 | सहयोगी कंपनी | 35.23% | धारा २(६) |
| 5 | अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड | U452030R2009PLC010620 | सहयोगी कंपनी | 34.42% | धारा 2(6) |
| 6 | हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | U45204DL2012G0I239289 | सहायक कंपनी | 100% | धारा 2(87) |



Annexure "E"

FORM NO. MGT 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on financial year ended on 31.03.2015

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014.

I REGISTRATION & OTHER DETAILS:

| i | CIN | U74999DL2003G0l118633 |
|-----|---|---|
| ii | Registration Date | 24.01.2003 |
| iii | Name of the Company | RAIL VIKAS NIGAM LIMITED |
| iv | Category/Sub-category of the Company | GOVERNMENT COMPANY |
| V | Address of the Registered office & contact details | 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi-110066. |
| vi | Whether listed company | Unlisted |
| vii | Name , Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any. | N.A. |

II PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated

| SL No. | Name & Description of main products/services | NIC Code of the Product /service | % to total turnover of the company |
|-----------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | To create vital rail infrastructure and provide vital | 501 | 100% |
| | port linkage including the corridors connecting | | |
| | the port of Hinterlands | | |

III PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES

| SI | Name & Address of the Company | CIN/GLN | HOLDING/ | % OF SHARES | APPLICABLE |
|-----|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| No. | | | SUBSIDIARY/ ASSOCIATE | HELD(OF PAID UP CAPITAL) | SECTION |
| 1 | Kutch Railway Company Limited | U45202DL2004PLC124267 | Associate | 50% | Section 2(6) |
| 2 | Bharuch Dahej Railway Company Ltd. | U45203DL2006PLC155511 | Associate | 35.46% | Section 2(6) |
| 3 | Krishnapatnam Railway Company Ltd. | U45200TG2006PLC051378 | Associate | 30% | Section 2(6) |
| 4 | Haridaspur Paradip Railway Company Ltd. | U452030R2006PLC008959 | Associate | 35.23% | Section 2(6) |
| 5 | Angul Sukinda Railway Limited | U452030R2009PLC010620 | Associate | 34.42% | Section 2(6) |
| 6 | High Speed Rail Corporation of India Ltd. | U45204DL2012G0I239289 | Subsidiary | 100% | Section 2(87) |



(i) Category-wise Shareholding

IV शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष | के प्रारंभ में ध | गरित शेयरों की | । संख्या | | वर्ष के अंत मे | ं धारित शेयरों व | ी संख्या | वर्ष के दौरान जीम लग | |
|--|-------|------------------|----------------|--------------------|-------|----------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| | डीमैट | वास्तविक | जोड़ | कुल शेयरों का % | डीमैट | वास्तविक | जोड़ | कुल शेयरों का % | | |
| क. प्रमोटर | | | | | | | | | | |
| (1) भारतीय | | | | | | | | | | |
| क) एकल / एचयूएफ | | | | | | | | | | |
| ख)केन्द्र सरकार या राज्य सरकार | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | लागू नहीं | लागू नही |
| ग) कार्पोरेट निकाय | | | | | | | | | | |
| घ) बैंक / एफआई | | | | | | | | | | |
| ड.) कोई अन्य | | | | | | | | | | |
| उ) जोड़ः (क) (1) | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | लागू नहीं | लागू नई |
| (2) विदेशी | | | | | | | | | | |
| क) एनआरआई–एकल | | | | | | | | | | |
| ख) अन्य एकल व्यक्ति | | | | | | | | | | |
| ग) कॉपोरेट निकाय | | | | | | | | | | |
| घ) बैंक / एफआई | | | | | | | | | | |
| ड.) कोई अन्य | | | | | | | | | | |
| जोड़ (क) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क)= (क)(1)+(क)(2) | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | लागू नहीं | लागू नर्ह |
| ख. सार्वजनिक शेयरधारिता | | | | | | | | | | |
| (1) संस्थान | | | | | | | | | | |
| क) म्यूचुअल फंड | | | | | | | | | | |
| ख) बैंक / एफआई | | | | | | | | | | |
| ग) केन्द्र सरकार | | | | | | | | | | |
| घ) राज्य सरकार | | | | | | | | | | |
| ड.) उपक्रम पूंजी निधि | | | | | | | | | | |
| च) बीमा कंपनियां | | | | | | | | | | |
| छ) एफआईआईएस | | | | | | | | | | |
| ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधि | | | | | | | | | | |
| i) अन्य (उल्लेख करें) | | | | | | | | | | |
| उप जोड (ख)(1): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| (2) गैर—संस्थान | | | | | | | | | | |
| क) कार्पोरेट निकाय | | | | | | | | | | |
| i) भारतीय | | | | | | | | | | |
| ii) विदेशी | | | | | | | | | | |
| ख) एकल | | | | | | | | | | |
| i) 1 लाख रु. तक की नाममात्र की शेयर पूंजी रखने वाले एकल शेयरधारक | | | | | | | | | | |
| ii) 1 लाख रु. से अधिक की नाममात्र की शेयर पूंजी रखने वाले एकल शेयरधारक | | | | | | | | | | |
| ग) अन्य (उल्लेख करें) | | | | | | | | | | |
| उप जोड़ (ख)(2): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख)(1)+(ख(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ग. जीडीआर व एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारति शेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| कुल योग (क+ख+ग) | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | N.A. | N.A |



(i) Category-wise Shareholding IV SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share capital Break up as % to total Equity)

| Category of Shareholders | No. of | f Shares held at | the beginning | of the year | | No. of Shares | held at the end of | the year | % change the ye | |
|---|--------|------------------|---------------|----------------------|-------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|------|
| | Demat | Physical | Total | % of Total Shares | Demat | Physical | Total | % of Total Shares | | |
| A. Promoters | | | | | | | | | | |
| (1) Indian | | | | | | | | | | |
| a) Individual/HUF | | | | | | _ | | | | |
| b) Central Govt.or State Govt. | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | N.A. | N.A. |
| c) Bodies Corporates | | | | | | | | | | |
| d) Bank/Fl | | | | | | | | | | |
| e) Any other | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL:(A) (1) | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | N.A. | N.A. |
| (2) Foreign | | | | | | | | | | |
| a) NRI- Individuals | | | | | | | | | | |
| b) Other Individuals | | | | | | | | | | |
| c) Bodies Corp. | | | | | | | | | | |
| d) Banks/Fl | | | | | | | | | | |
| e) Any other | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL (A) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2) | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | N.A. | N.A. |
| B. PUBLIC SHAREHOLDING | | | | | | | | | | |
| (1) Institutions | | | | | | | | | | |
| a) Mutual Funds | | | | | | | | | | |
| b) Banks/Fl | | | | | | | | | | |
| C) Cenntral govt | | | | | | | | | | |
| d) State Govt. | | | | | | | | | | |
| e) Venture Capital Fund | | | | | | | | | | |
| f) Insurance Companies | | | | | | | | | | |
| g) FIIS | | | | | | | | | | |
| h) Foreign Venture Capital Funds | | | | | | | | | | |
| i) Others (specify) | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL (B)(1): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) Non Institutions | | | | | | | | | | |
| a) Bodies corporates | | | | | | | | | | |
| i) Indian | | | | | | | | | | |
| ii) Overseas | | | | | | | | | | |
| b) Individuals | | | | | | | | | | |
| i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs.1 lakhs | | | | | | | | | | |
| ii) Individuals shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakhs | | | | | | | | | | |
| c) Others (specify) | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL (B)(2): | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Public Shareholding(B) = (B)(1)+(B)(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total (A+B+C) | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | | 2085020100 | 2085020100 | 100% | N.A. | N.A. |



(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

| क्र. सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01.04.2014 को) | | | वर्ष के अंत में शेयरघारिता (31.03.2015 को) | | | वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत बदलाव |
|-------------|--|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों से बंधक ऋणभारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों से बंधक ऋणभारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत | |
| 1 | अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति | 2085020100 | 100 | 0 | 2085020100 | 100 | 0 | 0 |
| | कुल | 2085020100 | 100 | 0 | 2085020100 | 100 | 0 | 0 |

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में बदलाव (अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है तो बताएं)

| 豖. | | वर्ष के प्रारंभ | में शेयरधारिता | वर्ष (2014—15) के दौरान | | |
|-----|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------|--|
| सं. | | (01.04 | .2014 को) | संचयी शेयरधारिता | | |
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के | शेयरों की संख्या | कंपनी के | |
| | | | कुल शेयरों का | | कुल शेयरों | |
| | | | प्रतिशत | | का प्रतिशत | |
| | वर्ष के प्रारंभ में | 2085020100 | 100 | 2085020100 | 100 | |
| | (01.04.2014 को) | | | | | |
| | वृद्धि कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | हस्तांतरण / बोनस / स्वेद इक्विटी | | | | | |
| | आदि) को स्पष्ट करते हुए वर्ष के | | | | | |
| | दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में | | | | | |
| | तिथि–वार वृद्धि / कमी | | | | | |
| | वर्ष के अंत में | 2085020100 | 100 | 2085020100 | 100 | |
| | (31.03.2015 को) | | | | | |

(iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर व एडीआर धारकों के अलावा)

| क्र. | | वर्ष के अंत | में शेयरधारिता | वर्ष (2014—15) के दौरान संचयी | | | | | | |
|------|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| ₹і. | | (31.03.2 | 2015 को) | शेयरधारिता | | | | | | |
| | शीर्ष 10 शेयरधारकों में से | शेयरों की संख्या | कंपनी के | शेयरों की संख्या | कंपनी के | | | | | |
| | प्रत्येक के लिए | | कुल शेयरों का | | कुल शेयरों | | | | | |
| | | | प्रतिशत | | का प्रतिशत | | | | | |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | (01.04.2014) | | | | | | | | | |
| 2 | वृद्धि कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | हस्तांतरण/बोनस/स्वेद इक्विटी | | | | | | | | | |
| | आदि) को स्पष्ट करते हुए वर्ष के | | | | | | | | | |
| | दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में | | | | | | | | | |
| | तिथि—वार वृद्धि / कमी | | | | | | | | | |
| 3 | वर्ष के अंत में (या पृथक होने की | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | तारीख को, अगर वर्ष के दौरान | | | | | | | | | |
| | पृथक हुए हैं तो) | | | | | | | | | |



(ii) SHARE HOLDING OF PROMOTERS

| S. No. | Shareholders Name | Shareholding at the beggining of the year(As on 01.04.2014) | | | Shareholding at the end of the year(As on 31.03.2015) | | | % change in share holding during the year |
|-----------|--|---|--|--|--|-----|---|---|
| | | No. of shares | % of total shares of the company | % of shares pledged encumbered to total shares | No. of shares % of total shares of the company company % of shares pledged encumbered to total shares | | | |
| 1 | President of India through Chairman Railway Board | 2085020100 | 100 | 0 | 2085020100 | 100 | 0 | 0 |
| | Total | 2085020100 | 100 | 0 | 2085020100 | 100 | 0 | 0 |

(iii) CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING (SPECIFY IF THERE IS NO CHANGE)

| S. No. | | | beginning of the Year 1.04.2014) | Cumulative Share h the year(201 | |
|-----------|---|---------------|--|------------------------------------|----------------------------------|
| | | No. of Shares | % of total shares of the company | No of shares | % of total shares of the company |
| | At the beginning of the year (As on 01.04.2014) | 2085020100 | 100 | 2085020100 | 100 |
| | Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/sweat equity etc) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | At the end of the year (As on 31.03.2015) | 2085020100 | 100 | 2085020100 | 100 |

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Direcors, Promoters & Holders of GDRs & ADRs)

| S. No. | | Shareholding at the end of the year (As on 01.04.2014) | | Cumulative Share holding during the year (2014-15) | |
|-----------|---|---|--|---|----------------------------------|
| | For Each of the Top 10 Shareholders | No. of Shares | % of total shares of the company | No of shares | % of total shares of the company |
| 1 | At the beginning of the year (As on 01.04.2014) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/sweat equity etc) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year) | 0 | 0 | 0 | 0 |



(v) निदेशकों और केएमपी की शेयरधारिता

| 豖. | | | में शेयरधारिता | वर्ष (2014—15) के | |
|-----|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------|
| ₹і. | | (31.03. | 2015 को) | शेयरधार् | रेता |
| | प्रत्येक निदेशक और | शेयरों | कंपनी के | शेयरों | कंपनी के |
| | केएमपी के लिए | की संख्या | कुल शेयरों का | की संख्या | कुल शेयरों का |
| | | | प्रतिशत | | प्रतिशत |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (01.04.2014) | | | | |
| 2 | वृद्धि कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | हस्तांतरण / बोनस / स्वेद इक्विटी | | | | |
| | आदि) को स्पष्ट करते हुए वर्ष के | | | | |
| | दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में | | | | |
| | तिथि–वार वृद्धि / कमी | | | | |
| 3 | वर्ष के अंत में | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (31.03.2015) | | | | |

V ऋणभार

| बकाया ब्याज/उपचित मगर भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी का ऋणभार | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|--|--|--|
| | जमाराशियों सहित जमानती ऋण | गैर-जमानती ऋण | जमाराशियां | जोड़ | | | |
| वित्तीय वर्ष के प्रारंभ (01.04.2014 को) में ऋणभार | | | | | | | |
| i) मूल राशि | 0 | 21,174,000,002.00 | - | 21,174,000,002.00 | | | |
| ii) ब्याज, जो देय है मगर अदा नहीं किया गया है | 0 | | - | | | | |
| iii) उपचित ब्याज, मगर देय नहीं है | 0 | 6,547,141,203.00 | - | 6,547,141,203.00 | | | |
| | 0 | | | | | | |
| जोड (i+ii+iii) | 0 | 27,721,141,205.00 | - | 27,721,141,205.00 | | | |
| | 0 | | | | | | |
| वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन | | | | | | | |
| वृद्धि | 0 | 5,169,524,574.00 | - | 5,169,524,574.00 | | | |
| कमी | 0 | -3,882,290,141.00 | - | -3,882,290,141.00 | | | |
| शुद्ध परिवर्तन | 0 | 1,287,234,433.00 | - | 1,287,234,433.00 | | | |
| वित्तीय वर्ष के अंत (31.03.2015 को) में ऋणभार | | | | | | | |
| i) मूल राशि | 0 | 22,261,500,002.00 | - | 22,261,500,002.00 | | | |
| ii) ब्याज, जो देय है मगर अदा नहीं किया गया है | 0 | - | - | - | | | |
| iii)उपचित ब्याज, मगर देय नहीं ह | 0 | 6,746,875,636.00 | - | 6,746,875,636.00 | | | |
| जोड़ (i+ii+iii) | 0 | 29,008,375,638.00 | - | 29,008,375,638.00 | | | |



(v) Shareholding of Directors & KMP

| SI No. | | | lding at the the year | Cumulative Share holding during the year | | | |
|-----------|---|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| | For Each of the Directors & KMP | No. of Shares | % of total shares of the company | No of shares | % of total shares of the company | | |
| 1 | At the beginning of the year (As on 01.04.2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/sweat equity etc) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | At the end of the year (As on 31.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

V INDEBTEDNESS

| Indebtedness of the Company includin | g interest outstanding/accru | ed but not due for payment | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|----------|--------------------|
| | Secured Loans excluding deposits | Unsecured Loans | Deposits | Total Indebtedness |
| Indebtness at the beginning of the financial year (As on 01.04.2014) | | | | |
| i) Principal Amount | 0 | 21,174,000,002.00 | - | 21,174,000,002.00 |
| ii) Interest due but not paid | 0 | | - | |
| iii) Interest accrued but not due | 0 | 6,547,141,203.00 | - | 6,547,141,203.00 |
| | 0 | | | |
| Total (i+ii+iii) | 0 | 27,721,141,205.00 | - | 27,721,141,205.00 |
| | 0 | | | |
| Change in Indebtedness during the financial year | | | | |
| Additions | 0 | 5,169,524,574.00 | - | 5,169,524,574.00 |
| Reduction | 0 | -3,882,290,141.00 | - | -3,882,290,141.00 |
| Net Change | 0 | 1,287,234,433.00 | - | 1,287,234,433.00 |
| Indebtedness at the end of the financial year(As on 31.03.2015) | | | | |
| i) Principal Amount | 0 | 22,261,500,002.00 | - | 22,261,500,002.00 |
| ii) Interest due but not paid | 0 | - | - | - |
| iii) Interest accrued but not due | 0 | 6,746,875,636.00 | - | 6,746,875,636.00 |
| Total (i+ii+iii) | 0 | 29,008,375,638.00 | - | 29,008,375,638.00 |



V निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

| क्र. सं. | Ч | ारिश्रमिक का विवरण | | | एमडी / डब्ल्यू | एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम | | |
|-------------|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|--|
| 1 | सकल वेतन | एस सी अग्निहोत्री (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) | अशोक कृ गंजू (निदेशक/वित्त/ सीएफओ) | गीता मिश्रा (निदेशक, कार्मिक) | मुकुल जैन (निदेशक, परिचालन) | विजय आनंद (निदेशक, परियोजना) | | |
| | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन | 5,969,994.00 | 4,781,497.00 | 4,380,444.00 | 4,768,875.00 | 4,056,965.00 | 23,957,775.00 | |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) की शर्तों के तहत वैल्यु | 136,018.00 | 105,251.00 | 130,295.00 | 144,401.00 | 108,505.00 | 624,470.00 | |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ | - | | - | - | - | - | |
| 2 | स्टॉक विकल्प | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | स्वेद इक्विटी | | - | - | - | - | - | |
| 4 | कमीशन | - | - | - | - | - | - | |
| | लाभ के % के रूप में | - | - | - | - | - | - | |
| | अन्य (उल्लेख करें) | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | अन्य, कृपया उल्लेख करें | | - | - | - | - | - | |
| | जोड़ (क) | 6,106,012.00 | 4,886,748.00 | 4,510,739.00 | 4,913,276.00 | 4,165,470.00 | 24,582,245.00 | |

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिकः

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | निवे | शिकों के नाम | |
|---------|---|--------------|--------------|----------|
| 1 | स्वतंत्र निदेशक | एस एस चटर्जी | आर एस शर्मा | कुल राशि |
| | (क) बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए फीस | 36000 | 120000 | 156000 |
| | (ख) कमीशन | 0 | | 00 |
| | (ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें | 0 | 0 | 0 |
| | कुल (1) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक | 0 | 0 | 0 |
| | (क) बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए फीस | 0 | 0 | 0 |
| | (ख) कमीशन | 0 | 0 | 0 |
| | (ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें | 0 | 0 | 0 |
| | जोड़ (2) | 0 | 0 | 0 |
| | जोड़ (B)=(1+2) | 0 | 0 | 0 |
| | कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक | 36000 | 120000 | 156000 |



VI REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:

| SI. No | Particul | ars of Remuneration | | | Name of the N | ID/WTD/Manager | Total Amount |
|-----------|--|--|--|--|--|------------------------------------|---------------|
| 1 | Gross salary | S C Agnihotri (Chairman and Managing Director) | Ashok K Ganju (Director Finance/CFO) | Gita Mishra (Director Personnel) | Mukul Jain (Director Operations) | Vijay Anand (Director Projects) | |
| | (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax. 1961. | 5,969,994.00 | 4,781,497.00 | 4,380,444.00 | 4,768,875.00 | 4,056,965.00 | 23,957,775.00 |
| | (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961 | 136,018.00 | 105,251.00 | 130,295.00 | 144,401.00 | 108,505.00 | 624,470.00 |
| | (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961 | - | | - | - | - | - |
| 2 | Stock option | - 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Sweat Equity | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Commission | - | - | - | - | - | - |
| | as % of profit | - | - | - | - | - | - |
| | others (specify) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Others, please specify | - | - | - | - | - | - |
| | Total (A) | 6,106,012.00 | 4,886,748.00 | 4,510,739.00 | 4,913,276.00 | 4,165,470.00 | 24,582,245.00 |

B. Remuneration to other directors:

| SI.No | Particulars of Remuneration | Name (| of the Directors | |
|-------|---|---------------|------------------|--------------|
| 1 | Independent Directors | S S Chatterji | R S Sharma | Total Amount |
| | (a) Fee for attending board committee meetings | 36000 | 120000 | 156000 |
| | (b) Commission | 0 | 0 | 0 |
| | (c) Others, please specify | 0 | 0 | 0 |
| | Total (1) | 0 | 00 | |
| 2 | Other Non Executive Directors | 0 | 0 | 0 |
| | (a) Fee for attending board committee meetings" | 0 | 0 | 0 |
| | (b) Commission | 0 | 0 | 0 |
| | (c) Others, please specify. | 0 | 0 | 0 |
| | Total (2) | 0 | 0 | 0 |
| | Total (B) = (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| | Total Managerial Remuneration | 36000 | 120000 | 156000 |



ग. एमडी / प्रंबधक / डब्ल्यूटीडी से इतर प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | | प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी | | | | | |
|----------|---|------|--------------------------|------|------------|--|--|--|
| 1 | सकल वेतन | सीईओ | कम्पनी सचिव | सीईओ | कुल | | | |
| | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन | 0 | 862,795 | 0 | 862,795.00 | | | |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) की शर्तों के तहत वैल्यु | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | स्टॉक विकल्प | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | स्वेद इक्विटी | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | कमीशन | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | लाभ के % के रूप में | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | अन्य (उल्लेख करें) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | अन्य, कृपया उल्लेख करें | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | जोड़ | 0 | 862,795 | 0 | 862,795.00 | | | |

VII जुर्माना/दंड/अपराध का योग

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | जुर्माना/दंड/लगाए गए कुल शुल्क का ब्यौरा | प्राधिकारी (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय) | की गई अपील, यदि कोई हों (ब्यौरा दें) | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|---|---|---|--|--|--|--|
| क. कंपनी | क. कंपनी | | | | | | | | |
| जुर्माना | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | | | | |
| दंड | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | | | | |
| योग | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | | | | |
| | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | | | | |
| ख. निदेशक | | | | | | | | | |
| जुर्माना | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | | | | |
| दंड | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | | | | |
| योग | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | | | | |
| | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | | | | |
| ग. अन्य चूककर्ता अधिव | कारी | | | | | | | | |
| जुर्माना | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | | | | |
| दंड | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | | | | |
| योग | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | | | | |



C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

| SI. No. | Particulars of Remuneration | Key Managerial Personnel | | | | |
|---------|--|--------------------------|-------------------|-----|------------|--|
| 1 | Gross Salary | CEO | Company Secretary | CF0 | Total | |
| | (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961. | 0 | 862,795 | 0 | 862,795.00 | |
| | (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Stock Option | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sweat Equity | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | as % of profit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | others, specify | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Others, please specify | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total | 0 | 862,795 | 0 | 862,795.00 | |

VII PENALTIES/PUNISHMENT/COMPPOUNDING OF OFFENCES

| Туре | Section of the Companies Act | Brief Description | Details of Penalty/ Punishment/Compounding fees imposed | Authority (RD/NCLT/Court) | Appeal made if any (give details) |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|
| A. COMPANY | | | | | |
| Penalty | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Punishment | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Compounding | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| B. DIRECTORS | | | | | |
| Penalty | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Punishment | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Compounding | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| C. OTHER OFFICERS | IN DEFAULT | | | | |
| Penalty | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Punishment | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Compounding | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |



रेल विकास निगम लिमिटेड 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र

| | | | | <u> </u> | |
|--|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| विवरण | टिप्पणी | | १५ को शेष | | 3.2014 को शेष |
| | | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) |
| l. इक्विटी और दायिताएं | | | | | |
| (1) शेयरधारकों की निधियां | | | | | |
| (क) शेयर पूंजी | 3 | 2085,02,01,000 | | 2085,02,01,000 | |
| (ख) आरक्षित एवं अधिशेष | 4 | <u>593,84,26,907</u> | 2678,86,27,907 | 452,94,46,169 | 2537,96,47,169 |
| (2) आबंटन के लिए लंबित | | | | | |
| शेयर आवेदन धनराशि | | | | | |
| (3) गैर—चालू दायिताएं | 5 | | | | |
| (क) दीर्घकालिक ऋण | | 2052,90,83,335 | | 1953,15,00,002 | |
| (ख) अन्य दीर्घकालिक ऋण | | 461,06,25,063 | | 437,47,77,714 | |
| (ग) दीर्घावधि प्रावधान | | 5,08,10,375 | 2519,05,18,774 | 3,55,87,891 | 2394,18,65,607 |
| (4) चालू दायिताएं | 6 | | | | |
| (क) अल्पकालिक ऋण | | 9571,12,66,477 | | 7099,28,96,801 | |
| (ख) व्यापार के लिए देय | | 44,96,65,543 | | 52,83,96,938 | |
| (ग) अन्य चालू दायिताएं | | 929,04,14,975 | | 866,94,66,825 | |
| (घ) लघुकालिक प्रावधान | | 75,48,97,616 | 10620,62,44,610 | 59,70,05,065 | 8078,77,65,629 |
| जोड़ | | | 15818,53,91,291 | | 13010,92,78,405 |
| II. परिसंपत्तियां | | | | | |
| (1)गैर—चालू परिसंपत्तियां | | | | | |
| (क) अचल परिसंपत्तियां | 7 | | | | |
| (i)मूर्त परिंपत्तियां | | 57,622,668 | | 6,93,67,843 | |
| (ii)अमूर्त परिसंपत्तियां | | 259,820 | | 81,896 | |
| (iii)निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | | 14,244,837 | | 1,28,52,369 | |
| (iv)विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | | 16,575,496 | | 75,27,894 | |
| (ख) गैर–चालू निवेश | 8 | 595,10,74,110 | | 486,76,73,250 | |
| (ग) गैर-दीर्घावधि ऋण और अग्रिम | 9 | 465,38,74,527 | | 444,64,79,216 | |
| (घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां | 10 | 498,46,38,611 | 1567,82,90,069 | 478,43,69,903 | 1418,83,52,371 |
| (2) चालू परिसंपत्तियां | | | | | |
| (क) चालू परियोजना कार्य | 11 | 11564,75,73,252 | | 9276,90,40,121 | |
| (ख) व्यापार प्राप्य | 12 | 190,92,06,553 | | 62,52,44,095 | |
| (ग) नकदी और बैंक जमा राशि | 13 | 1290,98,55,316 | | 1228,84,93,300 | |
| (घ) लघुकालिक ऋण और अग्रिम | 14 | 264,67,25,107 | | 258,04,26,951 | |
| (ड़) परियोजना कार्य के लिए अग्रिम | 15 | 864,15,69,683 | | 709,61,38,411 | |
| (च) अन्य चालू परिसंपत्तियां | 16 | 752,171,313 | 14250,71,01,223 | 561,583,156 | 11592,09,26,034 |
| जोड़ | | | <u>15818,53,91,291</u> | | 13010,92,78,405 |
| सामान्य सूचना | 1 | | | | |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार | 2 | | | | |
| | | 1 से 38 टिप्पणियां | वित्तीय विवरणों के अंतर्निह | हेत भाग है | |
| यह हमारी आज की | | | | | |
| तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में तुलन पः | त्र है। | | | | |
| कुमार चोपड़ा एवं एसोसिएट्स के वि | लिए | ब | ोर्ड के लिए एवं उनकी | ओर से | |
| चार्टेड एकाउंटेंट्स | | | | | |
| फर्म रजिस्ट्रेशन संख्याः 000131एन | क | | | | |
| हस्ता./— | हस्ता. / - | | हस्ता./- | | हस्ता./— |
| आर.के. अग्रवाल | एस.सी. अग्नि | | अशोक कृ. गंजू | | कल्पना दुबे |
| भागीदार | अध्यक्ष और प्रबंध | | निदेशक वित्त | | कंपनी सचिव |
| M. No. 081510 ਭਾਸਤ: ਜੁਣੀ ਵਿਵਾਜੀ | DIN: 01637 | dop | DIN: 01970462 | | |
| स्थानः नई दिल्ली | | | | | |

दिनांक : 11.08.2015



Balance Sheet as at 31st March 2015

| Particulars | Notes | Balances Amount (₹) | As at 31.03.2015 Amount (₹) | Balances Amount (₹) | As at 31.03.2014 Amount (₹) |
|---|-------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| I. EQUITY AND LIABILITIES | | | | | |
| (1) Shareholders' Funds | | | | | |
| (a) Share Capital | 3 | 2085,02,01,000 | | 2085,02,01,000 | |
| (b) Reserves and Surplus | 4 | 593,84,26,907 | 2678,86,27,907 | 452,94,46,169 | 2537,96,47,169 |
| (2)Share Application Money | | | | | |
| Pending Allotment | _ | | | | |
| (3)Non-Current Liabilities | 5 | 0050 00 00 005 | | 1050 15 00 000 | |
| (a) Long-Term Borrowings | | 2052,90,83,335 | | 1953,15,00,002 | |
| (b) Other Long Term Liabilities | | 461,06,25,063 | 0540 05 40 774 | 437,47,77,714 | 000440.05.007 |
| (c) Long-Term Provisions | 0 | 5,08,10,375 | 2519,05,18,774 | 3,55,87,891 | 2394,18,65,607 |
| (4)Current Liabilities | 6 | 0.571 10.00 477 | | 7000 00 00 001 | |
| (a) Short Term Borrowings | | 9571,12,66,477 | | 7099,28,96,801 | |
| (b) Trade Payables | | 44,96,65,543 | | 52,83,96,938 | |
| (c) Other Current Liabilities | | 929,04,14,975 | 10000 00 11 010 | 866,94,66,825 | 0070 77 05 000 |
| (d) Short-Term Provisions | | 75,48,97,616 | 10620,62,44,610 | 59,70,05,065 | 8078,77,65,629 |
| TOTAL | | | <u>15818,53,91,291</u> | | 13010,92,78,405 |
| II. ASSETS | | | | | |
| (1)Non-Current Assets | | | | | |
| (a) Fixed Assets | 7 | | | | |
| (i)Tangible Assets | | 57,622,668 | | 6,93,67,843 | |
| (ii)Intangible Assets | | 259,820 | | 81,896 | |
| (iii)Capital Work in Progress | | 14,244,837 | | 1,28,52,369 | |
| (iv)Intangible Assets under development | | 16,575,496 | | 75,27,894 | |
| (b) Non-Current Investments | 8 | 595,10,74,110 | | 486,76,73,250 | |
| (c) Long-Term Loans and Advances | 9 | 465,38,74,527 | | 444,64,79,216 | |
| (d) Other Non-Current Assets | 10 | 498,46,38,611 | 1567,82,90,069 | 478,43,69,903 | 1418,83,52,371 |
| (2)Current Assets | | | | | |
| (a) Project-Work-in-Progress | 11 | 11564,75,73,252 | | 9276,90,40,121 | |
| (b) Trade Receivables | 12 | 190,92,06,553 | | 62,52,44,095 | |
| (c) Cash and Bank Balances | 13 | 1290,98,55,316 | | 1228,84,93,300 | |
| (d) Short-Term Loans and Advances | 14 | 264,67,25,107 | | 258,04,26,951 | |
| (e) Advances for Project Work | 15 | 864,15,69,683 | | 709,61,38,411 | |
| (f) Other Current Assets | 16 | 752,171,313 | 14250,71,01,223 | 561,583,156 | 11592,09,26,034 |
| TOTAL | | | <u>15818,53,91,291</u> | | 13010,92,78,405 |
| General Information | 1 | | | | |
| Summary of Significant | | | | | |
| Accounting Policies | 2 | The notes 1 to 38 fo | | | |

The notes 1 to 38 form an integral part of the Financial Statements

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

This is the Balance Sheet

referred to in our report of even date

For Kumar Chopra & Associates

Chartered Accountants

Firm Registration Number.: 000131N

Sd/-Sd/-Sd/-Sd/-R.K. AggarwalS.C. AgnihotriAshok K. GanjuKalpana DubeyPartnerChairman and Managing DirectorDirector FinanceCompany SecretaryM. No. 081510DIN : 01637856DIN : 01970462

Place: New Delhi Date: 11.08.2015



31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

| विवरः | ण | टिप्पणी | 31.03.2015 क राशि (₹) | ो समाप्त वर्ष को शेष राशि (₹) | 31.03.2014 को उ राशि (₹) | प्तमाप्त वर्ष को शेष राशि (₹) |
|-------|-------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| l. | परिचालन से प्राप्त राजस्व (टर्नओवर) | 17 | | 3141,96,94,938 | | 2492,36,61,338 |
| II. | अन्य आय | 18 | | 96,05,10,638 | | 105,10,76,409 |
| III. | कुल राजस्व (I + II) | | | 3238,02,05,576 | | 2597,47,37,747 |
| IV. | व्यय: | | | | | |
| | परिचालन पर व्यय | 19 | | 2890,81,14,305 | | 2310,22,61,029 |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 20 | | 74,85,88,571 | | 57,40,64,470 |
| | अन्य व्यय | 21 | | 26,21,15,433 | | 22,98,29,785 |
| | सीएसआर और आरएंडडी व्यय | 22 | | 4,66,87,497 | | 5,75,39,436 |
| | कुल व्यय | | | 2996,55,05,806 | | 2396,36,94,720 |
| V. | मूल्यहास और कर पूर्व लाभ (III-IV) | | | 241,46,99,770 | | 201,10,43,027 |
| VI. | मूल्यहास और परिशोधन व्यय | 7 | | 5,12,07,942 | | 5,93,21,473 |
| VII. | कर पूर्व लाभ (V - VI) | | | 236,34,91,828 | | 195,17,21,554 |
| VIII. | कर व्ययः | | | | | |
| | (1) आयकर | | | | | |
| (ক) | चालू कर | | 48,97,51,974 | | 37,56,26,969 | |
| (ख) | पिछले वर्षों का | | 1,65,93,232 | | 18,84,713 | |
| | (2) आस्थगित कर | | - | 50,63,45,206 | | 37,75,11,682 |
| IX | वर्ष के लिए लाभ (हानि) (VII - VIII) |) | | 185,71,46,622 | | 157,42,09,873 |
| Χ | प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः | | | | | |
| | मूल | | | 0.89 | | 0.76 |

यह हमारी आज की तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में लाभ और हानि का विवरण है।

1 से 38 टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अंतर्निहित भाग है

कुमार चोपड़ा एवं एसोसिएट्स के लिए चार्टेंड एकाउंटेंट्स फर्म रजिस्ट्रेशन संख्याः 000131एन क बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./— आर.के. अग्रवाल भागीदार M. No. 081510 हस्ता. / – एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DIN : 01637856

हस्ता. / – अशोक कृ. गंजू निदेशक वित्त DIN : 01970462 **हस्ता./**– **कल्पना दुबे** कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली दिनांक : 11.08.2015



Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March 2015

| Parti | culars | Notes | Figures for the Yea Amount (₹) | r Ended 31.03.2015 Amount (₹) | Figures for the Year Amount (₹) | Ended 31.03.2014 Amount (₹) |
|-------|---|-------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| I. | Revenue from Operations (Turnover) | 17 | | 3141,96,94,938 | | 2492,36,61,338 |
| II. | Other Income | 18 | | 96,05,10,638 | | 105,10,76,409 |
| III. | Total Revenue (I + II) | | | 3238,02,05,576 | | 2597,47,37,747 |
| IV. | Expenses: | | | | | |
| | Expenses on Operations | 19 | | 2890,81,14,305 | | 2310,22,61,029 |
| | Employee Benefits Expenses | 20 | | 74,85,88,571 | | 57,40,64,470 |
| | Other Expenses | 21 | | 26,21,15,433 | | 22,98,29,785 |
| | CSR and R&D Expenses | 22 | | 4,66,87,497 | | 5,75,39,436 |
| | Total Expenses | | | 2996,55,05,806 | | 2396,36,94,720 |
| V. | Profit Before Depreciation and Tax (III-I | V) | | 241,46,99,770 | | 201,10,43,027 |
| VI. | Depreciation and Amortisation Expens | e 7 | | 5,12,07,942 | | 5,93,21,473 |
| VII. | Profit Before Tax (V - VI) | | | 236,34,91,828 | | 195,17,21,554 |
| VIII. | Tax Expense: | | | | | |
| | (1) Income Tax | | | | | |
| | (a) Current Tax | | 48,97,51,974 | | 37,56,26,969 | |
| | (b) Earlier Years | | 1,65,93,232 | | 18,84,713 | |
| | (2) Deferred Tax | | | 50,63,45,206 | | 37,75,11,682 |
| IX | Profit (Loss) for the Year (VII - VIII) | | | 185,71,46,622 | _ | 157,42,09,873 |
| Χ | Earnings Per Equity Share: | | | | | |
| | Basic | | | 0.89 | | 0.76 |

This is the Statement of Profit & Loss referred to in our report of even date

The notes 1 to 38 form an integral part of the Financial Statements

For Kumar Chopra & Associates

Chartered Accountants FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Firm Registration Number.: 000131N

Sd/-Sd/-Sd/-R.K. AggarwalS.C. AgnihotriAshok K. GanjuKalpana DubeyPartnerChairman and Managing DirectorDirector FinanceCompany SecretaryM. No. 081510DIN: 01637856DIN: 01970462

Place: New Delhi Date: 11.08.2015



31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

| क्र. विवरण टिप्पणी | | 03.2015 को शेष | | 3.2014 को शेष |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| सं. | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) |
| 1 (क) परिचालनिक गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | | | |
| कर और अन्य असामान्य मदों से पूर्व शुद्ध लाभ | 236,34,91,828 | | 195,17,21,554 | |
| जोड़ेः के लिए समायोजन : | | | | |
| मूल्यहास | 5,12,07,942 | | 5,93,21,473 | |
| अन्य आय | (893,320,296) | | 868,645,186) | |
| प्राप्त लाभांश | (50,000,000) | | (175,000,000) | |
| बट्टे खाते में डाले गए प्रारंभिक व्यय | - | | | |
| कार्यशील पूंजी पूर्व परिचालन लाभ | 147,13,79,474 | | 96,73,97,841 | |
| (ख) कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजनः | | | | |
| परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लि | ए समायोजनः | | | |
| व्यापार प्राप्य | (1,283,962,458) | | 1,972,019,028 | |
| लघुकालिक ऋण और अग्रिम | (66,298,156) | | (1,235,945,748) | |
| दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम | (207,395,311) | | 84,588,518 | |
| अन्य चालू परिसंपत्तियां | (24,614,552,560) | | (5,335,579,799) | |
| अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां | (200,268,708) | | _(4,784,369,903) | |
| | (26,372,477,193) | | (9,299,287,904) | |
| (ग) परिचालन दायिताओं में (वृद्धि)/ (कमी) के लिए समायोजनः | | | | |
| देय प्राप्य | (78,731,395) | | (1,045,219,225) | |
| अन्य चालू दायिताएं | 598,316,516 | | 3,968,482,924 | |
| अन्य दीर्घकालिक दायिताएं | 235,847,349 | | (90,528,318) | |
| लघुकालिक प्रावधान | (87,452,655) | | (223,477,130) | |
| दीर्घकालिक प्रावधान | 15,222,484 | | 12,165,813 | |
| | 683,202,300 | | 2,621,424,064 | |
| परिचालन से उत्सर्जित नकदी | (24,217,895,419) | | (5,710,465,999) | |
| प्रत्यक्ष कर भुगतान / प्राप्ति (टीडीएस के रूप में कुल प्राप्ति | (318,000,000) | | (250,084,713) | |
| परिचालनिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह (क) 2 निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी : | (24,535,895,419) | (24,535,895,419) | (5,960,550,712) | (5,960,550,712) |
| पूंजीगत अग्रिम सहित अचल परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय | (51,491,634) | | (72,328,619) | |
| अचल संपत्तियों की बिक्री से आमदनी | 1,410,873 | | 748,000 | |
| नकदी और नकदी समतुल्य न समझे जाने वाला बैंक शे | ाष | | | |
| नकदी और नकदी समतुल्य न समझे जाने वाला —खरीद— | | | | |
| - जराय- दीर्घकालिक निवेशों की खरीदः | • | | | • |
| -संयुक्त उपक्रम- | (1,083,400,860) | | (725,218,750) | |
| ब्याज से आय (राजस्व) | (1,000,400,000) | | (123,210,130) | |
| न्अन्य- | 89,33,20,296 | | 86,86,45,186 | |
| -अन्य- प्राप्त लामांश | 03,00,20,230 | | 00,00,40,100 | |
| -संयुक्त उपक्रम | 5,00,00,000 | | 17,50,00,000 | |
| –संबुपत उपग्रम निवेश गतिविधियों से / | (190,161,325) | (190,161,325) | 246,845,817 | 246,845,817 |
| (में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी उत्सर्जन (ख) | (130,101,020) | (150,101,023) | 270,040,017 | 270,0 1 0,017 |



Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March 2015

| S. Particulars | Figures for the perio | | Figures for the period | |
|--|---|------------------|------------------------|-----------------|
| No. | Amount (₹) | Amount (₹) | Amount (₹) | Amount (₹) |
| 1 (a) Cash Flow from Operating Activities Net Profit Before Taxation, and Extraordinary Ite | ms 236,34,91,828 | | 195,17,21,554 | |
| Add: Adjustment for : | 1115 230,34,91,020 | | 190,17,21,004 | |
| Depreciation | 5,12,07,942 | | 5,93,21,473 | |
| Other Income | (893,320,296) | | (868,645,186) | |
| Dividend Received | (50,000,000) | | (175,000,000) | |
| Preliminary expenses written off | (30,000,000) | | (173,000,000) | |
| Operating Profit Before Working Capital Chan | - 1/7 12 70 /7/ | | 96,73,97,841 | |
| (b) Adjustments for Changes in Working Capital: | yes 147,13,79,474 | | 30,73,37,041 | |
| Adjustments for (Increase)/Decrease in Operation | ating Accete: | | | |
| Trade Receivables | (1,283,962,458) | | 1,972,019,028 | |
| Short-Term Loans and Advances | (66,298,156) | | (1,235,945,748) | |
| Long-Term Loans and Advances | (207,395,311) | | 84,588,518 | |
| Other Current Assets | (24,614,552,560) | | (5,335,579,799) | |
| Other Non- Current Assets | (200,268,708) | | (4,784,369,903) | |
| Other Non- Guitent Assets | (26,372,477,193) | | (9,299,287,904) | |
| (c) Adjustments for (Increase)/Decrease in | (20,372,477,193) | | (5,255,207,504) | |
| Operating Liabilities: | | | | |
| Trade Payables | (78,731,395) | | (1,045,219,225) | |
| Other Current Liabilities | 598,316,516 | | 3,968,482,924 | |
| Other Long -Term Liabilities | 235,847,349 | | (90,528,318) | |
| Short Term Provisions | (87,452,655) | | (223,477,130) | |
| Long Term Provisions | 15,222,484 | | 12,165,813 | |
| | 683,202,300 | | 2,621,424,064 | |
| Cash Generated from Operations | (24,217,895,419) | | (5,710,465,999) | |
| Direct Taxes Paid/Received (Net of TDS) | (318,000,000) | | (250,084,713) | |
| Cash Flow from Operating Activities (A) | (24,535,895,419) | (24,535,895,419) | (5,960,550,712) | (5,960,550,712) |
| 2 Cash from Investment Activities :- | | | | |
| Capital Expenditure on Fixed Assets, Including Capital Advances | (51,491,634) | | (72,328,619) | |
| Proceeds from Sale of Fixed Assets | 1,410,873 | | 748,000 | |
| Bank Balances not Considered as Cash and Cash Equivalents | - | | - | |
| Current Investments not Considered as Cash and Cash Equivalents: | | | | |
| - Purchased | - | | - | |
| Purchase of Long Term Investments: | | | | |
| - Joint Venture | (1,083,400,860) | | (725,218,750) | |
| Interest Income (Revenue) | , | | , | |
| - Others | 89,33,20,296 | | 86,86,45,186 | |
| Dividend Received | | | | |
| - Joint Venture | 5,00,00,000 | | 17,50,00,000 | |
| Net Cash Generated from / (used in) Investing Activities (B) | (190,161,325) | (190,161,325) | 246,845,817 | 246,845,817 |



31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

| _ | विवरण टिप्पणी | 0.4.00 | 2015 7 77 | | 2011 |
|-----|--|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 豖. | Iddsal Icadil | | 3.2015 को शेष | | 3.2014 को शेष |
| सं. | | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) |
| 3 | वित्तपोषण से नकदी प्रवाह: | | | | |
| | शेयर पूंजी (शेयर आवेदन धनराशि सहित) जारी करन | ने प्राप्त आय | | | |
| | दीर्घकालिक ऋण से प्राप्त आमदनी | 273,00,00,000 | | 440,00,00,000 | |
| | दीर्घावधि ऋणों का पुनर्भुगतान | (1,732,416,667) | | (1,642,500,000) | |
| | अल्पकालिक ऋणों से आय | 31,195,016,667 | | 24,615,266,668 | |
| | अल्पकालिक ऋणों का पुनर्भुगतान | (6,476,646,991) | | (15,341,025,913) | |
| | लाभांश और तत्संबंधी कर | (368,534,250) | | (315,886,500) | |
| | आरक्षित निधियों का उपयोग | | | | |
| | वित्तपोषण गतिविधियों से/ | 2534,74,18,759 | 2534,74,18,759 | 1171,58,54,255 | 1171,58,54,255 |
| | (में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी उत्सर्जन (ग) | | | | |
| | नकदी एवं नकदी समतुल्य में | | 621,362,015 | | 6,002,149,360 |
| | शुद्ध वृद्धि / (कमी) (कमख+ग) | | | | |
| | वर्ष की शुरूआत में नकदी एवं नकदी समतुल्य | | 1228,84,93,300 | | 628,63,43,939 |
| | 31 मार्च, 2014 को नकदी एवं नकदी समतुल्य | | 1290,98,55,316 | | 1228,84,93,300 |
| | नकदी एवं नकदी समतुल्य | | | | |
| | नकदी और चैक इन हैंड | 9,92,932 | | 68,59,17,140 | |
| | अनुसूचित बैंकों में जमा शेष | | | | |
| | चालू खाते में | 101,88,62,384 | | 158,25,76,160 | |
| | सावधि खाते में | 1189,00,00,000 | | 1002,00,00,000 | |
| | | | | | |

टिप्पणियां:

उपरोक्त रोकड़ प्रवाह विवरण दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाऊंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि में तैयार किया गया है। – जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध और पुनःव्यवस्थित किया गया है।

यह हमारी आज की तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में तुलन पत्र है।

कुमार चोपड़ा एवं एसोसिएट्स के लिए चार्टेंड एकाउंटेंट्स बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्याः 000131एन क

हस्ता./— आर.के. अग्रवाल भागीदार M. No. 081510 स्थानः नई दिल्ली हस्ता. / – एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DIN : 01637856 हस्ता. / — अशोक कृ. गंजू निदेशक वित्त DIN : 01970462 हस्ता./— कल्पना दुबे कंपनी सचिव

स्थानः नइ दिल्ला दिनांक : 11.08.2015



Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March 2015

| S. No. | Particulars | Figures for the period Amount (₹) | l ended 31.03.2015 Amount (₹) | Figures for the period Amount (₹) | ended 31.03.2014 Amount (₹) |
|-----------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | Cash Flow from Financing Activities :- | | | | |
| | Proceeds from issuance of share capital (includ | ing share application mo | ney) | | |
| | Proceeds from Long Term Borrowings | 273,00,00,000 | | 440,00,00,000 | |
| | Repayment of Long -Term Borrowings | (1,732,416,667) | | (1,642,500,000) | |
| | Proceeds from Short Term Borrowings | 31,195,016,667 | | 24,615,266,668 | |
| | Repayment of Short -Term Borrowings | (6,476,646,991) | | (15,341,025,913) | |
| | Dividend and Tax thereon | (368,534,250) | | (315,886,500) | |
| | Utilisation of Reserve | | | | |
| | Net Cash Generated from / (used in) Financing Activities (C) | 2534,74,18,759 | 2534,74,18,759 | 1171,58,54,255 | 1171,58,54,255 |
| | Net Increase/(Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A+B+C) | | 621,362,015 | | 6,002,149,360 |
| | Cash & Cash Equivalent at the beginning of th | e Year | 1228,84,93,300 | | 628,63,43,939 |
| | Cash & Cash Equivalent at the March 31, 201 | 5 | 1290,98,55,316 | | 1228,84,93,300 |
| | Cash and Cash Equivalents | | | | |
| | Cash and Cheques in Hand | 9,92,932 | | 68,59,17,140 | |
| | Balance with Scheduled Banks | | | | |
| | On Current Account | 101,88,62,384 | | 158,25,76,160 | |
| | On term Deposit Account | 1189,00,00,000 | | 1002,00,00,000 | |

Notes:

The above Cash flow statement has been prepared under the indirect method setout in AS-3 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date

Kumar Chopra & Associates FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD Chartered Accountants

Firm Registration Number.:000131N

Sd/-Sd/-Sd/-Sd/-R.K. Aggarwal
PartnerS.C. Agnihotri
Chairman and Managing DirectorAshok K. Ganju
Director FinanceKalpana Dubey
Company SecretaryM. No. 081510DIN : 01637856DIN : 01970462

Place: New Delhi Date: 11.08.2015

⁻ Previous year's figures have been regrouped and rearranged, wherever necessary.

1. सामान्य सूचना

रेल विकास निगम लिमिटेड (रेविनिल) जो रेल मंत्रालय (एमओआर), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ 24 जनवरी, 2003 को की गई थी। कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

क. रेल आधारभूत परियोजनाओं को तीव्र गित से कार्यान्वयन करना ख. परियोजना निष्पादन के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाना कंपनी रेल मंत्रालय द्वारा सौंपें गए विभिन्न प्रकार की रेल अवसंरचना परियोजनाएं जिनमें दोहरीकरण (तीसरी / चौथी लाइन), आमान परिवर्तन, नई लाइनें, रेल विद्युतीकरण, बड़े पुल, कारखानों, उत्पादन इकाइयां और कोलकाता मेट्रो रेल प्रणाली का विस्तार शामिल है, का कार्यान्वयन कर रही है। कंपनी ने भारतीय रेल वित्त निगम से समग्र रूप से ₹2895,90,00,001 संचयी रूप ऋण लिया है। ₹669,74,99,999 के मूलधन के संचयी पुर्नभुगतान के बाद शुद्ध ऋण ₹2226,15,00,002 है। कंपनी द्वारा रेल मंत्रालय के लिए निष्पादित परियोजनाओं की कुल लागत ₹16026,59,73,745 है जिसमें से ₹1974,80,62,020 की परियोजनााएं कंपनी की ओर से क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निष्पादित की गई है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

2.1 तैयारी का आधार

रेल विकास निगम लिमिटेड (रेविनिल) का वित्तीय विवरण, कंपनियों (लेखा) नियमों, 2014 (यथा संशोधित) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लेखांकन मानकों के अनुपालन में भारत में सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के आधार पर तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को मौजूदा चुनौतियों, प्रोद्भूत आधार और ऐतिहासिक लागत के चालू प्रचलित सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। बहरहाल, कतिपय वृद्धि और उपभोक्ताओं के अन्य दावें, जो निश्चय/स्वीकृत नहीं किए जाते हैं, उन्हें लेखों में नहीं दर्शाया जाता, कंपनी द्वारा अपनाई महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां दर्शाई गई है।

2.2 अनुमानों का प्रयोग

प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान यथोचित और विवेकी है। इस प्रकार के आकलन के कारण भविष्य के परिणामों में अंतर आ सकता है और वास्तविक परिणाम एवं आकलन के बीच अंतर का परिणाम / कार्य संपन्न होने वाली अविध में स्वीकार किया जाता है।

2.3 नकदी प्रवाह विवरण

लेखाकरण मानक "3" के "नकदी प्रवाह विवरण" के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि द्वारा नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है जिसमें कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों को नकदी प्रवाह के रूप में दर्शाया गया है। नकदी और बैंक अथशेष के मूल्य परिवर्तन की संभावना नगण्य होती है और इसकी समयाविध आगामी तीन माह तक होती है, को कंपनी के नकदी प्रवाह विवरण के नकदी समतुल्य में सम्मिलत किया गया है।

2.4 विशेष और अपवादिक मदें

किसी घटना अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय अथवा व्यय जो स्पष्ट रूप से कंपनी की सामान्य गतिविधियों से अलग हो, को विशेष मदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार की घटनाओं / व्यवसायों का वित्तीय विवण में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार कोई बाह्रय घटना जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हो, से आय अथवा व्यय में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हों, को भी विशेष मद माना गया है और इनका उल्लेख भी इसी रूप में किया गया है।

कुछ निश्चित अवसर पर कंपनी की सामान्य गतिविधियों से संबंधित आय अथवा व्यय के किसी मद का आकार, प्रकार अथवा घटना इस प्रकार की होती है जिसका उल्लेख करने से कंपनी के निष्पादन को समझने में मदद मिलती है, इस प्रकार की आय अथवा व्यय को अपवादिक मद के रूप में वगीकृत किया गया है और इनका उल्लेख इसी रूप में लेखा टिप्पणियों में किया गए हैं।

2.5 मूर्त अचल परिसंपत्तियां

मूर्त अचल परिसंपत्तियों की लागत का निर्धारण उनके मूल्य से संचित मूल्यहास और संचित क्षिति को घटाकर किया गया है। इस प्रकार की लागत में भूमि अधिग्रहण लागत के साथ—साथ इनवर्ड माल भाड़ा शुल्क, ड्यूटियां और कर एवं भूमि अधिग्रहण से संबंधिति आक्सिमक व्यय सम्मिलित होते हैं। व्यय राशि में आवश्यक अचल परिसंपति के प्रयोग की तारीख तक इनके अधिग्रहण के लिए गई ऋण राशि भी शामिल है।

2.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त पिरसंपत्तियों में लाइसेंस शुल्क, इन—हाउस प्रयोग के लिए आवश्यक अन्य साफ्टवेयर की लागत और सिस्टम साफ्टवेयर की अन्य कार्यान्वयन लागत शामिल है। लागत को उस वर्ष में पूंजगत किया जाता है जिसमें आवश्यक साफ्टवेयर को प्रयोग के लिए खरीदा जाता है। अमूर्त पिरसंपत्ति की लागत में इसकी खरीद मूल्य, किसी प्रकार का आयात शुल्क और अन्य कर एवं पंरिसंपत्ति को प्रयोग के लिए चालू करने हेतु प्रत्यक्ष व्यय शामिल है।

2.7 मूल्यहास

5000 या इससे कम मूल्य के की किसी परिसंपत्ति का मूल्यहास खरीद वर्ष में ही 100 प्रतिशत की दर से कम हो जाता है। परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवट आयु का मूल्यहास यथानुपात आधार पर सीधी अविध द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:

| फर्नीचर और फिक्सचर | 4 वर्ष |
|--|--------|
| कम्पयूटर | 3 वर्ष |
| कार्यालय उपस्कर (मोबाइल फोन को छोड़कर) | 5 वर्ष |
| मोबाइल फोन | 2 वर्ष |

लीजशुदा सुधार का परिशोधन लीज अवधि के दौरान उस वर्ष अथवा अनुसूची ॥ के अंतर्गत वर्ष की उस अवधि से किए जाते हैं, जो भी कम हो, तब से परिकलित किए जाते हैं। पूंजीकृत साफ्टवेयर लागत का परिशोधन 33.33 प्रतिशत की दर से यथानुपात आधार पर केवल उन मामलों को छोड़कर किया जाता है जहां उपयोगी अनुमानित आयु तीन वर्ष से कम होती है।

(i) फर्नीचर एवं फिक्सचर और (ii) मोबाइल फोन एवं टेबलेट के मामलों को छोड़कर एसएलएम विधि पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में उल्लेखानुसार उपयोगी है। इन परिसंपत्तियों की कोटियों में, प्रबंधन ने इन परिसंपत्तियों में निहित आर्थिक लाभ और अन्य कारक जैसे तकनीकी बाधाओं और टूट—फूट को ध्यान में रखकर उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया है।

"1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने अपनी स्थिर परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन का पुनर्आकलन किया है। इस पुनर्आकलन के परिणामस्वरूप, आलोच्य अविध के लिए प्रभारित किए जाने की दर पिछली लागू दर के समान है और अतिरिक्त प्रभाव शून्य है।"

2.8 परिसंपत्तियों की क्षति

वस्तुसूची से अतिरिक्त सभी परिसंपत्तियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित तत्वों में ब्याज से अतिरिक्त निवेश की तब समीक्षा की जाता है, जब कभी भी घटनाएं अथवा परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन हो कि अग्रेषित की जाने वाली वसूल



1. GENERAL INFORMATION

Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), a fully owned Public Sector Undertaking under the Ministry of Railways (MoR), Government of India was incorporated under the Companies Act,1956 on 24th January, 2003 with an authorised share capital of ₹3000 crore. The objectives of the Company include: (i) Fast track implementation of rail infrastructure projects(ii) Raising extra budgetary resources for project execution.

The Company is implementing various types of Rail infrastructure projects assigned by MoR including doubling (including 3rd/4th lines), gauge conversion, new lines, railway electrification, major bridges, workshops, Production Units and extension of the Kolkata Metro Rail System.

The Company has cumulatively borrowed funds aggregating to ₹2895,90,00,001 from Indian Railway Finance Corporation (IRFC). After cumulative repayment of Principal of ₹669,74,99,999 the net borrowing is ₹2226,15,00,002. The total cost of projects executed for MoR by the Company is ₹16026,59,73,745 out of this ₹1974,80,62,020 worth of projects has been executed by Zonal Railways on behalf of the Company.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.1 Basis of Preparation

The financial statements of Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards notified under the Companies (Accounts) Rules, 2014 (as amended) and the relevant provisions of the Companies Act, 2013. These financial statements have been drawn up in accordance with the going-concern principle, on accrual basis and on a historical cost basis. However, certain escalation and other claims by customers, which are not ascertainable / acknowledged, are not taken into account. The significant accounting policies adopted by the Company are given below.

2.2 Use of Estimates

Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known/materialize.

2.3. Cash Flow Statement

The Cash Flow Statement is prepared by the indirect method set out in Accounting Standard "3" on "Cash Flow Statements" and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the Company. Cash and bank balance that have insignificant risk of change in value, which have durations up to three months, are included in the Company's cash and cash equivalents in the cash flow statement.

2.4 Extraordinary and Exceptional Items

Income or Expenses that arise from events or transactions, that are clearly distinct from the ordinary activities of the Company, are classified as Extraordinary items. Specific disclosure of such events/transactions is made in the financial statements. Similarly, any external event beyond the control of the company, significantly impacting income or expense, is also treated as an extraordinary item and disclosed as such.

On certain occasions, the size, type or incidence of an item of income or expense, pertaining to the ordinary activities of the Company, is such that its disclosure improves an understanding of the performance of the Company. Such income or expense is classified as an exceptional item and accordingly disclosed in the Notes to Accounts.

2.5 Tangible Fixed Assets

Tangible Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment in value. Such cost includes acquisition cost inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental expenses related to acquisition. The expenses also include borrowing cost attributable to acquisition of qualifying fixed assets up to the date the asset is ready for its intended use.

2.6 Intangible Assets

Intangible assets comprise of license fees, other implementation costs for system software and other application software acquired for in-house use. The costs are capitalized in the year in which the relevant software is implemented for use. The cost of an intangible asset comprises its purchase price, including any import duties and other taxes, and any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use.

2.7 Depreciation

Depreciation on individual assets acquired for ₹5000/- or less is depreciated at the rate of 100% taking in to consideration the commercial life in the year of purchase itself. Depreciation is provided on pro-rata basis on straight-line method over the estimated useful lives of the assets determined as follows:

Furniture and Fixture 4 Years
Computers 3 Years
Office Equipments (Excluding Mobile Phones) 5 Years
Mobile Phones 2 Years

Leasehold improvements are amortized 'over the period of lease' from the year in which such improvements are capitalized or 'over useful life' as computed under schedule II, whichever is less. Capitalized software costs are amortized @ 33.33% on pro-rata basis except where the estimated useful life is less than three years.

Depreciation on SLM method is in consonance with the useful specified in Schedule II of the Companies Act, 2013, except in the case of (i) Furniture & Fixtures and (ii) Mobiles Phones & Tablets. In both the categories of these assets, Management has estimated the useful life after taking into consideration the economic benefits embodied in these assets and other factors such as technical obsolescence and wear and tear etc.

"In accordance with the provisions of the Companies Act 2013, effective from 1st April, 2014, the Company has reassessed the remaining useful lives of its fixed assets. As a consequence of such reassessment, the rate of charge for depreciation for the period is equal to the previously applied rate of charges and additional impact is NIL."

2.8 Impairment of Assets

All assets other than inventories, investments other than interest in Jointly Controlled Entities (JCEs) are reviewed for impairment, whenever events

किए जाने योग्य नहीं है। जिन परिसंपत्तियों के मूल्य उनकी वसूलनीय राशि से अधिक हैं, उन्हें वसूलनीय राशि से हटा दिया गया है।

29 निवेश

संयुक्त रूप से नियंत्रित तत्व (जेसीई) में ब्याज सहित दीर्घाविध निवेश के मूल्य में किसी प्रकार के ह्वास को शामिल किए जाने के बाद यदि यह अस्थाई प्रकृति की न हो तो लागत में दर्शाया जाता है। अल्पाविध निवेश लागत के बाजार मूल्य से कम दर पर किया जाता है। ऐसी विनिवेश राशि का निर्धारण विशिष्ट पहचान के आधार पर किया जाता है।

2.10 वस्तु-सूची

- (क) चालू परियोजना निर्माण कार्य का मूल्यांकन संविदा दर के आधार पर किया गया है और कार्यस्थलों पर मौजूद निर्माण सामग्री को लागत के रूप में दिखया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए जोनल रेलों को किए गए भुगतान को चालू परियोजना निर्माण कार्य के लिए लागत के रूप में शामिल किया गया है।
- (ख) परियोजनाएं जिनका कार्य समाप्त हो गया हैं, उन्हें परिचालन हेतु चालू परियोजना कार्य से रेलों को सौंपा जा रहा है। भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं कों एएस 19 के अनुपालन में गैर—चालू / चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत "लीज प्राप्य" के रूप में दिखाया गया है।
- (ग) उन परियोजनाओं का कार्य समाप्त समझा गया है जिन पर वर्ष के अंत तक अद्यतन प्रत्याशित लागत का कम से कम 95 प्रतिशत वहन किया जा चुका है।

2.11 राजस्व अभिज्ञान

राजस्व की पहचान कार्य की प्रकृति के आधार पर की गई है जब इन्हें व्यवहारिक पहलूओं को ध्यान में रखकर आंका सके और इनकी वसूली निश्चित रूप से हो। निर्माण / परियोजना संबंधी गतिविधि से राजस्व की पहचान निम्नानुसार की जाती है:

- (क) रेल मंत्रालय (एमओआर) के लिए निष्पादित परियोजनाएं: परियोजना निष्पादन से राजस्व का विनिश्चय कुल लागत राशि के साथ—साथ रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत मार्जिन राशि और इस संबंध में तदुपरांत यदि कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया, को जोड़कर किया गया है।
- (ख) विशेष प्रयोजन परियोजना एवं अन्य से संबंधित जेसीई (संयुक्त रूप से नियंत्रित तत्व) के निक्षेप कार्य (लागत संविदा)ः संविदा राजस्व का विनिश्चय उपभोक्ता के साथ तय प्रतिशत के आधार पर कुल लागत में अनुपातिक मार्जिन (डीएंडजी प्रभार) को जोड़कर किया गया है।
- (ग) भारेविनि वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में, रेल मंत्रालय से प्राप्त किश्तों पर ब्याज घटक को भारेविनि से लिए ऋणों पर देय ब्याज घटाया जाता है।
- (घ) ग्राहक द्वारा स्वीकार्य वर्ष में अथवा स्वीकार किए जाने का साक्ष्य मिलने पर दावों को आय के रूप में माना गया है।
- (इ) निवेश पर ब्याज की गणना संभूति आधार की गई है जिसमें स्त्रोत पर कर कटौती शामिल है।
- (च) प्राप्ति अधिकार की समस्या उत्पन्न होने पर आय के अन्य मदों की गणना की जाती है।

2.12 कर्मचारी लाभ

क) अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

संपूर्ण कर्मचारी हितलाभ, जिन्हें सेवा समर्पित करने के 12 महीने के भीतर पूर्ण भुगतान आवश्यक है, को अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत गया है। वेतन, परिश्रामिक और अल्पावधि अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति इत्यादि जैसे हितलाभ उस अवधि में मान्य होते हैं जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा समर्पित की होती है।

ख) दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

दीर्घावधि अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति जैसे दीर्घवधि कर्मचारी हितलाभ दायिता, उसी रूप में मान्य जैसा कि नीचे उल्लेखित (ग)(पपप) में परिभाषित हितलाभ योजना के मामले में हुआ है।

ग) नियुक्ति उपरांत हितलाभ

- i. पिरमाषित अंशदान योजनाः कंपनी द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भविष्य योजना और कर्मचारी राज्य बीमा योजना से संबंधित पिरभाषित अंशदान राशि का योगदान किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत किया गया अंशदान / देय राशि, उस अवधि के लिए मान्य होता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान की गई होती है।
- ii. पिरभाषित अंशदान योजनाः कंपनी रेविनिलि मेडिकल और कल्याण योजना के संबंध में रेविनिलि मेडिकल एंड वेलफेयर ट्रस्ट में पिरभाषित अंशदान का योगदान करती है। इन योजनाओं के अंतर्गत किया गया अंशदान/देय राशि, उस अविध के लिए मान्य होता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान की गई होती है।
- iii. परिभाषित हितलाभ योजनाः ग्रेच्यूटी, नियुक्ति उपरांत एक परिभाषित हितलाभ योजना है। तुलन पत्र में दर्शाई गई दायिता तुलन पत्र की तारीख को परिभाषित हितलाभ दायिता की वर्तमान मूल्य है जिसमें से योजनागत परिसंपत्तियों के शुद्ध मूल्य को घटाया जाना है। परिभाषित हितलाभ दायिता की गणना एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा संभावित यूनिट क्रडिट (पीयूसी) विधि का प्रयोग करके किया गया है। लाभ एवं हानि लेखे में बीमांकिक लाभ एवं हानि का उल्लेख तुरंत कर दिया गया है।
- घ) प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत स्टाफ के रिटायरमेंट हितलाभ की गणना रेल मंत्रालय के दिशा—िनदेशों के अनुसार किया गया है।

2.13 विदेशी मुद्रा व्यापार

विदेशी मुद्रा लेन—देन की गणना सौदे की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के आधर पर किया जाता है। निपटारे के कारण हुए लाभ / हानि को लाभ एवं हानि लेख में प्रभारित / जमा किया गया है।

2.14 ऋण लागत

ऋण लागत जो किसी अर्हक परिसंपत्ति के भूमि अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन के लिए आरोप्य है, को ऐसी परिसंपत्ति के लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीगत माना जाता है जब तक परिसंपत्ति प्रयोग के लिए तैयार न हो जाए। अर्हक परिसंपत्ति उस परिसंपत्ति को कहते है जिसे प्रयोग के लिए तैयार होने में बहुत समय लगता है। उन्य सभी ऋण लागत को उस अविध में व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसमें यह राशि खर्च हुई होती है।

2.15 आय पर कर

चालू वर्ष की आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार कर योग्य आय तथा जमा कर और कर—मूल्यांकन / अपील के प्रत्याशित परिणामों के आधार पर किया गया है।

तुलन पत्र में न्यूनतम वैकल्पिक कर को परिसंपत्ति के रूप में माना गया है, बशर्तें कि भविष्य में इससे होने वाले आार्थिक लाभ का फायदा कंपनी को मिले।

आस्थिगित कर की वार्षिक गणना खाते में दर्शाई गई आय तथा कर योग्य आय के बीच के अंतर के आधार पर तुलन पत्र की तारीख को इससे संबंद्ध कर की दर और कानून सम्मत आधार पर किया गया है।



or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Assets, whose carrying amount value exceeds their recoverable amount, are written down to the recoverable amount.

2.9 Investments

Long-term investments, including interests in incorporated Jointly Controlled Entities (JCEs), are carried at cost, after providing for any diminution, other than temporary, in value of such investments. Short-term investments are carried at lower of cost or market value. The determination of carrying amount of such investments is done on the basis of specific identification.

2.10 Inventories

- (a) Project Work-in-Progress is valued at the contract rates and construction material at site is stated at cost. Payments made to Zonal Railways for acquiring land included in project Work-in-Progress is stated at cost.
- (b) Projects completed and handed over to Railways for operations are being transferred from Project Work in Progress to the Railways. IRFC funded projects are shown as ""Lease Receivable"" under the heads Non-current/ Current assets in Compliance with AS 19. (c) Projects are treated as completed where at least 95% of the latest anticipated cost has been incurred till the end of year."

2.11 Revenue Recognition

Revenue is recognized based on the nature of activity, when consideration can be reasonably measured and there exists reasonable certainty of its recovery. Revenue from construction/project related activity is recognized as follows:

- (a) Projects executed for Ministry of Railways (MOR): Revenue from project execution is determined by adding aggregate cost plus margin agreed with MOR and any subsequent clarifications received in this respect.
- (b) Deposit works (cost plus contract) related to JCEs (Jointly Controlled Entities) in the form of Special Purpose Vehicles and others): Contract revenue is determined by adding the aggregate cost plus proportionate margin (Direction & General Charges) based on fixed percentage as agreed with the customer.
- (c) In case of IRFC funded projects, interest component on installments received from Ministry of Railway's in netted against the interest payable on IRFC borrowings.
- (d) Claims are accounted as income in the year of acceptance by client or evidence of acceptance received.
- (e) Interest on investment is accounted on accrual basis, inclusive of related tax deducted at source.
- Other items of income are accounted as and when the right to receive arises.

2.12 Employee Benefits

a) Short Term Employee Benefits

All employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service are classified as short term employee benefits. Benefits such as salaries, wages, and short-term compensated absences, etc. are recognized in the period in which the employee renders the related service.

b) Long Term Employee Benefits

The obligation for long-term employee benefits such as long-term compensated absences, is recognized in the same manner as in the case of defined benefit plans as mentioned in (c) (ii) below

c) Post Employment Benefits

- i. Defined contribution plans: The Company makes defined contribution to the Regional Provident Fund Commissioner in respect of provident fund scheme, CGIS and employee state insurance scheme. The contribution paid/payable under the schemes is recognized during the period in which the employee renders the related service.
- ii. Defined contribution plans: The Company makes defined contribution to the RVNL Medical and Welfare Trust in respect of RVNL Medical and Welfare Scheme. The contribution paid/payable under the schemes is recognized during the period in which the employee renders the related service.
- ii. Defined benefit plans: Gratuity is a post employment defined benefit plan. The liability recognized in the balance sheet is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated by an independent actuary using Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognised immediately in the Profit & Loss Account.
- d) Retirement benefits of the 'staff on deputation' have been accounted for on the basis of the guidelines of the Ministry of Railways.

2.13 Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign currency are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transactions. Gains / Losses arising out of settlement are charged / credited to the profit and loss account.

2.14 Borrowing Cost

Borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of cost of such asset till such time as the asset is ready for its intended use. A qualifying asset is an asset that necessarily requires a substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

2.15 Taxes on Income

Tax on income for the current year is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, and based on the expected outcome of the assessment/appeals.

Minimum Alternative Tax is recognized as an asset in the Balance Sheet when it is probable that future economic benefit associated with it will flow to the company.

Deferred tax is recognized annually on timing differences between the accounting income and the taxable income for the year and quantified



2.16 पट्टा किराया

परिचालिनिक लीज से संबंधित लीज किराए को लाभ एवं हानि खाते के विवरण के अधीन चालू परियोजना निर्माण कार्य में प्रभारित किया गया है।

2.17 वित्तीय लीज

वित्तीय लीज के मामले में कानूनी स्वामित्व के मामले में सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों को अंतरित किया जाता है और वित्तीय लीज पर दी गई परिसंपत्तियों को सामान्य लीज किराया / अनुबंधित मूल्य वसूली पर पूंजीकृत किया जाता है और बिक्री के रूप में समझा जाता है।

2.18 प्रावधान और आकस्मिकताएं

किसी पूरानी घटना के कारण वर्तमान में नकदी संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए विश्वसनीय अनुमान के माध्यम से कंपनी द्वारा प्रावधान किया जाता है। ऐसी संभावित दायिताएं जिसमें नकदी संसााधनों की आवश्यकता पड़ने की संभावना न हों, की स्थिति में आकस्मिक दायित्व का उल्लेख किया गया है, आकिस्मक परिसंपत्तियों की पहचान नहीं हो पाई, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को प्रावधान, आकरिमक दायिताओं और आकरिमक परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

2.19 प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर आमदनी निर्धारित करने के लिए कंपनी द्वारा कर पश्चात लाभ पर विचार किया जाता है। प्रति शेयर आमदनी की गणना के लिए प्रयुक्त

शेयरों की संख्या, वर्ष के दौरान बकाया औसत शेयरों की संख्या के समतुल्य होता है। प्रति शेयर अविमश्रण आमदनी की गणना यह मानकर नहीं की जानी चाहिए कि वर्ष के दौरान कोई अविमश्रण नहीं हुआ है।

2.20 निर्णीत हर्जाना और जुर्मानें

"ठेके के निष्पादन अथवा ठेके के रद्द होने के कारण उत्पन्न क्रेडिट मदों को परियोजना के अंतिम रूप तक पूरा होने तक "अन्य चालू दायिताओ" के अंतर्गत "प्रतिधारण राशि" के रूप में अग्रेषित किया जाता है। तत्पश्चात, अर्थात परियोजना के अंतिम रूप से बंद होने पर निर्णीत हर्जानों और जुर्माने के ऐसे शेष को संबंधित परियोजना की कुल लागत से क्रेडिट किया जाता है।"

2.21 पूर्व अवधि नीति

"पूर्व अवधि से संबंधित आय / अवधि और प्रत्येक मामले में ₹50,000 / — तक के पूर्वभूगतान व्यय को चालू वर्ष के आय / व्यय के रूप में समझा जाता है।"

2.22 गतावधि चैक नीति

वे चैक जो 3 महीने की वैध अवधि के भीतर क्लीयर नहीं हुए है उन्हें गतावधि चैक खाते में क्रेडिट किया जाता है। मदें जो 3 वर्ष से अधिक से पूराने है और गतावधि चैक खाते में क्लीयर नहीं हो सके हैं, उन्हें उस खाते में क्रेडिट किया जाता है जो कर्मचारियों के वेतन से कटौतियों को छोड़कर जिन्हें विविध आय से क्रेडिट किया जाता है, सिवाए भुगतान करते समय डेबिट किया गया था. में डेबिट किया जाता है।

कुमार चोपड़ा एवं एसोसिएट्स के लिए चार्टेड एकाउंटेंटस फर्म रजिस्ट्रेशन संख्याः 000131एन क

हस्ता./-आर.के. अग्रवाल भागीदार M. No. 081510

स्थानः नई दिल्ली दिनांक : 11.08.2015

हस्ता./-एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

DIN: 01637856

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./-अशोक कृ. गंजू निदेशक वित्त DIN: 01970462

हस्ता./-कल्पना दुबे कंपनी सचिव



using the tax rates and laws substantially enacted as on the Balance Sheet date.

2.16 Lease Rentals

Lease rental in respect of operating lease is charged to project work in progress under Statement of the Profit and Loss.

2.17 Financial Lease

In case of financial lease substantially all the risks and rewards incidental to legal ownership are transferred and assets given on finance lease are capitalised at the normal sale price/contracted price and treated as sales.

2.18 Provisions and Contingencies

The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of obligation. A disclosure of a contingent liability is made where there is a possible obligation that probably will not require an outflow of resources or where a reliable estimate of the obligation cannot be made. Contingent assets are not recognised. Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

2.19 Earnings Per Share

In determining earnings per share, the Company considers the Net Profit after Tax. The number of shares used in computing basic earnings per

share is the weighted average number of shares outstanding during the year. The dilutive earnings per share is not computed as there is no dilution involved during the year.

2.20 Liquidated Damages and Penalties

"Credit items arising on account of Liquidated Damages and Penalties during execution of contract or due to termination of contract etc. are carried as "Retention Money" under "other Current Liabilities" until the final Closure of the Project. Thereafter, i.e. on financial closure of the Project, such leftover balances of liquidity Damages and Penalties are credited to the total cost of the concerned project."

2.21 Prior Period Policy

"Income/expenditure relating to prior period and prepaid expenses not exceeding ₹50,000/- in each case when treated as income/expenditure of the current year".

2.22 Stale Cheques Policy

Cheques which have not been cleared within the validity period of 3 months are credited to the stale cheque account. Items which are more than 3 yrs old and could not be cleared in stale cheque account are credited to the head which was earlier debited while making payments except deductions made from salary of staff which are credited to misc income.

For Kumar Chopra & Associates

Chartered Accountants

Firm Registration Number.: 000131N

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-R.K. Aggarwal Partner M. No. 081510 Sd/-S.C. Agnihotri Chairman and Managing Director DIN: 01637856 Sd/-Ashok K. Ganju Director Finance DIN: 01970462 Sd/-Kalpana Dubey Company Secretary

Place: New Delhi Date: 11.08.2015



3. अंश पूंजीः

| क्र. विवरण सं. | | 31.03.2015 को राशि (₹) | | 31.03.2014 को राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| (क) प्राधिकृतः | | | | |
| प्रत्येक 10 रुपए मूल्य के 3,00,00,00,000 इ | क्विटी शेयर | 3000,00,00,000 | | 3000,00,00,000 |
| (ख) निर्गतः | | | | |
| 10 रुपए मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 2,08,50,20,100 |) इक्विटी शेयर | 2085,02,01,000 | | 2085,02,01,000 |
| (ग) अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त | | | | |
| 10 रुपए मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 2,08,50,20,100 |) इक्विटी शेयर | 2085,02,01,000 | | 2085,02,01,000 |
| (100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग रेल मंत्रालय के | ह पास है) | | | |
| जोड़ | | 2085,02,01,000 | | 2085,02,01,000 |
| (घ) शेयरो की संख्या को मिलाना | | | | |
| इक्विटी शेयरः | 31. | .03.2015 को | 31.0 | 3.2014 को |
| | | .00.2010 4/1 | 31.0 | 3.2014 WI |
| | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | उ.2014 का राशि |
| अथशेष वर्ष के दौरान वृद्धि | | | | राशि |
| अथशेष वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| C | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष | शेयरों की संख्या 2,085,020,100 - 2,085,020,100 | राशि 20,850,201,000 - 20,850,201,000 | शेयरों की संख्या 208,50,20,100 - | राशि 2085,02,01,000 - |
| वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष | शेयरों की संख्या 2,085,020,100 - 2,085,020,100 ब्यौरा जिनके पास 5 प्रतिशत | राशि 20,850,201,000 - 20,850,201,000 | शेयरों की संख्या 208,50,20,100 - | राशि 2085,02,01,000 - 2085,02,01,000 |
| वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष | शेयरों की संख्या 2,085,020,100 - 2,085,020,100 ब्यौरा जिनके पास 5 प्रतिशत | राशि 20,850,201,000 - 20,850,201,000 से ज्यादा शेयर है: 03.2015 को | शेयरों की संख्या 208,50,20,100 - 208,50,20,100 31.03.20 | राशि 2085,02,01,000 - 2085,02,01,000 |
| वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष | शेयरों की संख्या 2,085,020,100 - 2,085,020,100 ब्यौरा जिनके पास 5 प्रतिशत 31.0 | राशि 20,850,201,000 - 20,850,201,000 से ज्यादा शेयर है: 03.2015 को | शेयरों की संख्या 208,50,20,100 - 208,50,20,100 31.03.20 | साशि 2085,02,01,000 - 2085,02,01,000 14 को |

1 शेयर संबंधी अधिकारी, वरीयता और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: कंपनी के पास एक ही प्रकार के 10 रुपए मूल्य के शेयर मौजूद है। प्रयेक शेयरहाल्डर को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार होता है। परिसमापन की स्थिति में, सभी वरीयतापूर्ण राशि के वितरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को उनके शेयरों के अनुपात में प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं।

4 आरक्षित एवं अधिशेष

| | 31.03.2015 को | | | 31.03.2014 को |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | राशि (₹) | | | राशि (₹) |
| (क) सामान्य आरक्षित निधि | | | | |
| तुलन पत्र के अनुसार | 610,000,000 | | 51,00,00,000 | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 100,000,000 | | 100,000,000 | |
| | | 710,000,000 | | 61,00,00,000 |
| (ख) लाभ एवं हानि विवरणः | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार | 3,900,535,434 | | 278,33,25,677 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | | | | |
| कर पश्चात लाभ | 1,857,146,622 | | 157,42,09,873 | |
| जोड़ेः सीएसआर और संपोषण निधि में अंतरण | 18,910,735 | | 5,27,12,644 | |
| घटाएं: सीएसआर व्ययों के लिए प्रावधान | - | | - | |
| | | | (40,665,385) | |
| जोड़ेः अनुसंधान एवं विकास व्यय | 7,871,049 | | 83,50,189 | |
| घटाएं: अनुसंधान एवं विकास निधि में प्रावधान | (7,871,049) | | (6,777,564) | |
| घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि को अंतरण | (100,000,000) | | (100,000,000) | |
| घटाएं: प्रस्तावित लाभांश (०.18 प्रति इक्विटी शेयर) | (372,000,000) | | (315,000,000) | |
| घटाएं: लाभांश पर अतिरिक्त कर | (76,165,884) | | (55,620,000) | |
| वर्ष के दौरान शुद्ध वृद्धि | 1,327,891,474 | 5,228,426,908 | 111,72,09,757 | 390,05,35,434 |



3 Share Capital:

| S. No. | Particulars | | as at March 31, 2019 Amount (₹) | 5 a | ns at March 31, 2014 Amount (₹) |
|-----------|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| (a) | Authorised: | | | | |
| | 3,00,00,00,000 Equity Shares of ₹10 Each | | 3000,00,00,000 | | 3000,00,00,000 |
| (b) | Issued: | | | | |
| | 2,08,50,20,100 Equity Shares of ₹10 Each fu | lly paid up | 2085,02,01,000 | | 2085,02,01,000 |
| (c) | Subscribed & Fully paid up | | | | |
| | 2,08,50,20,100 Equity shares of ₹10 Each ful | ly paid up | 2085,02,01,000 | | 2085,02,01,000 |
| | (100% Shareholding with MoR) | | | | |
| | Total | | 2085,02,01,000 | | 2085,02,01,000 |
| (d) | Reconciliation of number of Shares: | | | | |
| | Equity Shares: | As at | March 31, 2015 | As at Mar | ch 31, 2014 |
| | | No. of Shares | Amount | No. of Shares | Amount |
| Bala | nce at the beginning of the Year | 2,085,020,100 | 20,850,201,000 | 208,50,20,100 | 2085,02,01,000 |
| Add | ition during the Year | - | - | - | - |
| Bala | nnce at the End of the Year | 2,085,020,100 | 20,850,201,000 | 208,50,20,100 | 2085,02,01,000 |
| (e) | Details of shares held by each Shareholder H | olding more than 5% Shar | es: | | |
| | | As at I | March 31, 2015 | As at Marc | ch 31, 2014 |
| | | No. of Shares held | % holding | No. of Shares held | % holding |
| Min | stry of Railways (MoR) | 208,50,20,100 | 100 | 208,50,20,100 | 100 |

1. Rights, Preferences and Restrictions attaching to shares

Equity Shares: The Company has one class of Equity Shares having a par value of ₹ 10 per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

4 Reserves and Surplus

| 4 | Reserves and Surplus | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | As at March 31, 201 | 5 | As | at March 31, 2014 |
| | | Amount (₹) | | | Amount (₹) |
| (a) | General Reserve | | | | |
| | As per last Balance Sheet | 610,000,000 | | 51,00,00,000 | |
| | Addition during the Year | 100,000,000 | | 100,000,000 | |
| | | | 710,000,000 | | 61,00,00,000 |
| (b) | Statement of Profit & Loss: | | | | |
| | As per last Balance Sheet | 3,900,535,434 | | 278,33,25,677 | |
| | Addition during the Year | | | | |
| | Profit after Tax | 1,857,146,622 | | 157,42,09,873 | |
| | Add: Transfer from CSR Fund | 18,910,735 | | 5,27,12,644 | |
| | | - | | - | |
| | Less: Provision for CSR Expenses | - | | (40,665,385) | |
| | Add: Research & Development Expenses | 7,871,049 | | 83,50,189 | |
| | Less: Provision for R& D Expenses | (7,871,049) | | (6,777,564) | |
| | Less: Transfer to General Reserve | (100,000,000) | | (100,000,000) | |
| | Less: Proposed Dividend (Rs. 0.18 Per Equity Share) | (372,000,000) | | (315,000,000) | |
| | Less: Additional Tax on Dividend | (76,165,884) | | (55,620,000) | |
| | Net Addition during the Year | 1,327,891,474 | 5,228,426,908 | 111,72,09,757 | 390,05,35,434 |

| | | 5,938,426,907 | | 452,94,46,169 |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| घटाएं: अनुसंधान एवं विकास व्यय | (7,871,049) | (0) | (8,350,189) | (0) |
| जोड़ेः अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रावधान | 7,871,049 | | 67,77,564 | |
| तुलन पत्र के अनुसार | (0) | | 15,72,625 | |
| (घ) अनुसंघान एवं विकास निधि | | | | |
| | | - | | 1,89,10,735 |
| घटाएं: प्रतिधारित आमदनी को अंतरण | (18,910,735) | | (52,712,644) | |
| जोड़ेः सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान | - | | 4,06,65,385 | |
| (ग) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और संपोषण निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार | 18,910,735 | | 3,09,57,994 | |
| सं. | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) |
| क्र. विवरण | | 31.03.2015 को | | 31.03.2014 को |

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि को पिछले 3 वित्तीय वर्ष के औसत कर पूर्व लाभ के 2 प्रतिशत की दर से सृजित किया गया है। (बहरहाल, डीपीई के दिशानिदेशों के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि को पिछले 3 वित्तीय वर्ष के औसत कर पूर्व लाभ के 3 प्रतिशत की दर से सृजित किया गया है।) 2014—15 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के मुकाबले सीएसआर गतिविधियों पर 2 प्रतिशत औसत कर पूर्व लाभ अर्थात ₹3,21,29,340 / के मुकाबले ₹4,54,47,097 / का व्यय किया गया।
- (2) डीपीई के दिशा—निदेशों के अनुसार पिछले वर्ष के कर पश्चात लाभ के 0.5 प्रतिशत से अनुसंधान एवं विकास निधि को तैयार किया गया है। इसके लिए तर्क बदलते व्यवसायिक माहौल, अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव, कड़े गुणवत्ता नियंत्रण मानदंड, बढ़ती आशाएं और उपभोक्ताओं की मांगें, प्रौद्योगिकी अंतरण की कमी और प्रतिस्पर्धियों की तकनीकी जानकारी आदि का तर्क दिया गया है।
- 5. गैर-चालू दायिताएं
- (क) दीर्घकालिक ऋण
- (i) भारतीय रेल वित्त निगम (चालू परियोजनाएं)

प्रतिभूतिरहितः

| | | 2052,90,83,335 | | 1953,15,00,002 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| घटाएं: पूरी हो चुकी परियोजनाओं को अंतरण | - | 2052,90,83,335 | - | 1953,15,00,002 |
| घटाएं: 12 माह के भीतर किया जाने वाला पुनर्भुगतान | (1,732,416,667) | | (1,642,500,000) | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 273,00,00,000 | | 440,00,00,000 | |
| अथशेष | 1953,15,00,002 | | 1677,40,00,002 | |
| | | | | |

पुनर्भुगतान की शर्तेः

- (1) प्रत्येक वर्ष की ऋण पर 3 वर्ष की ऋणस्थगन अविध होती है। इस ऋणस्थगत अविध के दौरान किसी प्रकार के ब्याज और मूलधन देय नहीं होगा। ऋणस्थगन अविध की समाप्ति के पश्चात ब्याज वार्षिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा और ऋण का भुगतान (12 वर्ष तक) साल में एक बार किया जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा रेविनिलि को बाद की देनदारियों के लिए आवश्यक फंड उपलब्ध कराया जाएगा। देनदारी सेवाओं को रेविनिलि के बुक के माध्यम से पास की जाएगी।
- (2) कंपनी ने वर्ष के दौरान भारतीय रेल वित्त निगम से ₹273,00,00,000 (पिछले वर्ष ₹440,00,00,000) का ऋण लिया। बकाया ऋण ₹2226,15,00,002 (पिछले वर्ष ₹2117,40,00,002) का है जिसमें अगले 12 महीनों की चालू दायिता अर्थात देय पुनर्भुगतान ₹173,24,16,667 (पिछले वर्ष ₹164,25,00,000) शामिल है।

(ख) अन्य गैर–चालू दायिताएं

उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं (भारेविनि–चालू परियोजनाएं)

| कुल | | 461,06,25,063 | | 437,47,77,714 |
|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| घटाएं: 12 माह के दौरान किया गया पुनर्भुगतान | (54,54,99,372) | 89,24,731 | | |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 55,44,24,103 | | | |
| अथशेष | - | | | |
| उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं (भारेविनि– पूरी | हो चुकी परियोजनाएं) | | | |
| घटाएं: 12 माह के दौरान किया गया पुनर्भुगतान | (165,81,77,853) | 460,17,00,332 | (224,11,29,832) | 437,47,77,714 |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 188,51,00,471 | | 215,06,01,514 | |
| अथशेष | 437,47,77,714 | | 446,53,06,032 | |



| S. Particulars | as at Mar | ch 31, 2015 | as at Mar | ch 31, 2014 |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| No. | Rupees (₹) | Rupees(₹) | Amount (₹) | Amount (₹) |
| (c) Corporate Social Responsibility and Sustainabi | lity Fund | | | |
| As per last Balance Sheet | 18,910,735 | | 3,09,57,994 | |
| Add: Provision for CSR Expenses | - | | 4,06,65,385 | |
| Less: Transfer to Retained earnings | (18,910,735) | | (52,712,644) | |
| | | - | | 1,89,10,735 |
| (d) Research & Development Fund | | | | |
| As per last Balance sheet | (0) | | 15,72,625 | |
| Add: Provision for R& D Expenses | 7,871,049 | | 67,77,564 | |
| Less: Research & Development Expenses | (7,871,049) | (0) | (8,350,189) | (0) |
| | | 5,938,426,907 | | 452,94,46,169 |

- (1) As per the Companies Act, 2013, Corporate Social Responsibility Fund has been created @ 2% of Average PBT of immediately 3 Financial Year (However, as per DPE's guidelines, Corporate Social Responsibility Fund was created @ 3% of Average PAT of immediately 3 Financial Year). The expenditure of ₹4,54,47,097/- has been incurred on CSR activities during the year 2014-15 in comparision 2% of average PBT i.e. ` 3,21,29,340/- as required by the companies act 2013.
- (2) As per DPE's guidelines Research & Development Fund has been created @ 0.5% of PAT of previous year. The rationale behind it is the changed business environment, highly competitive markets, the rapid pace of change in technology, stringent quality control criteria, heightened expectations and demands of customers, lack of transfer of technology and know- how from competitors, etc.
- 5 Non-Current Liabilities
- (a) Long term borrowings
- (i) Indian Railway Finance Corporation (ongoing projects)

Unsecured:

| | | 2052,90,83,335 | | 1953,15,00,002 |
|--|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| less: Transfer on Completed Projects | - | 2052,90,83,335 | - | 1953,15,00,002 |
| Less: Repayment to be made within 12 mon | ths (1,732,416,667) | | (1,642,500,000) | |
| Addition during the Year | 273,00,00,000 | | 440,00,00,000 | |
| Opening Balance | 1953,15,00,002 | | 1677,40,00,002 | |

Terms of Repayment:

- (1) There is a moratorium period of 3 years for each year's loan. During the said moratorium period no amount on account of interest and principal shall be payable. The interest shall be charged on yearly basis and repayment of loan shall be once in a year (for a period of 12 years) after the completion of moratorium period. Ministry of Railways would make available to RVNL the required funds thereafter, to enable them to do the debservicing. The debt servicing will pass through RVNL books.
- (2) Company has borrowed funds ₹273,00,00,000 (Previous year ₹440,00,00,000) during the year from Indian Railway Finance Corporation (IRFC). The outstanding borrowing is ₹2226,15,00,002 (Previous Year ₹2117,40,00,002), which includes current liability i.e. repayable in next twelve months ₹173,24,16,667 (Previous Year ₹164,25,00,000).
- (b) Other Non- Current Liabilities

Interest accrued but not due (IRFC-Ongoing Projects)

| Total | | 461.06.25.063 | | 437.47.77.714 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Less: Repayment to be made within 12 months | (54,54,99,372) | 89,24,731 | | |
| Add: Interest Accrued during the Period | 55,44,24,103 | | | |
| Opening Balance | - | | | |
| Interest accrued but not due (IRFC-Completed | Projects) | | | |
| Less: Repayment to be made within 12 months | (165,81,77,853) | 460,17,00,332 | (224,11,29,832) | 437,47,77,714 |
| Add: Interest Accrued during the Year | 188,51,00,471 | | 215,06,01,514 | |
| Opening Balance | 437,47,77,714 | | 446,53,06,032 | |
| | | | | |



| क्र. विवरण | | 31.03.2015 को | | 31.03.2014 को |
|------------|----------|---------------|----------|---------------|
| सं. | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) |

वित्तीय वर्ष 2014—15 में 9.56 प्रतिशत की दर से संवितरित राशि पर ब्याज दायिता का अनुमान लगाया गया है (वर्ष 2013—14 में संवितरित राशि के लिए लागू दर 9.60 प्रतिशत) है। भारेविनि ऋण राशि पर ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं इसे चालू परिसंपत्तियों एवं गैर—चालू परिसंपत्तियों (अगले 12 महीनों में गैर—वसूलनीय के लिए) के अंतर्गत रेल मंत्रालय से वसूले जाने वाले के रूप में तुलनपत्र में दिखाया गया है और चालू दायिताओं एवं गैर—चालू दायिताओं के अंतर्गत ब्याज देय लेकिन बकाया नहीं भारेविनि को देय है।

भारेविनि से दीर्घकालिक और लघुकालिक ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं को 'चालू परियोजनाएं' और 'पूरी हो चुकी रेल मंत्रालय को अंतरित परियोजनाएं' के लिए अलग से दिखाया गया है।

(ग) दीर्घकालिक प्रावधान

अधिवर्षिता लाभों के लिए प्रावधान

| कृल | (,=35,125) | 5,08,10,375 | (2,220,020) | 3,55,87,891 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| घटाएं: 12 माह के दौरान किया गया पुनर्भुगतान | (4,685,128) | 5,08,10,375 | (3,098,628) | 3,55,87,891 |
| घटाएं: बकाया होने के 12 महीनों के भीतर अंतरण | 1,33,01,012 | | 1,02,04,441 | |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,99,07,612 | | 1,52,64,441 | |
| अथशेष | 3,55,87,891 | | 2,34,22,078 | |

कर्मचारी हितलाभ

रेविनिलि कर्मचारियों के लिए

परिभाषित हितलाभ योजना के लेखाकरण मानक—15 के अंतर्गत "कर्मचारी हितलाभ" में निम्नलिखित का उल्लेख किया जाना आवश्यक है:

निर्धारित लाभ दायिता के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक अथशेष और इतिशेषों के खातों का मिलान

| विवरण | अवकाश न | अवकाश नकदीकरण | | ग्रेच्युएटी | |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | (₹) | | (₹) | |
| | 2014-15 | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 | |
| अथशेष | 2,23,59,168 | 1,45,85,880 | 1,28,21,672 | 99,32,796 | |
| ब्याज लागत | 17,44,015 | 13,12,729 | 10,00,090 | 8,93,952 | |
| वर्तमान सेवा लागत | 55,56,298 | 34,62,767 | 52,20,055 | 38,14,291 | |
| भुगतान किए गए लाभ | (10,19,450) | (2,66,645) | (7,69,537) | (262,505) | |
| दायिता से संबंधित बीमांकिक (लाभ / हानि) | 48,10,597 | 32,64,437 | 9,81,193 | (15,56,862) | |
| इतिशेष | 3,34,50,628 | 2,23,59,168 | 1,92,53,473 | 1,28,21,672 | |

| विवरण | अर्धवेतन अवकाश | | | |
|----------------|----------------|-----------|--|--|
| | (₹) | | | |
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| अथ शेष | 40,73,127 | - | | |
| चालू सेवा लागत | 5,95,364 | 40,73,127 | | |
| इतिशेष | 46,68,491 | 40,73,127 | | |

ग्रेच्यूटी लाभ अधिवर्षिता अथवा त्यागपत्र अथवा मृत्यु देने पर कर्मचारियों को देय होता है। ग्रेच्यूटी की राशि पिछली सेवा और ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान के अनुसार जाने के समय वेतन के अनुसार होता है।

कंपनी प्रत्येक वर्ष सेवा के लिए अर्ध वेतन अवकाश की अनुमति देता है और उपयोग नहीं किए गए भाग को अधिकतम संचय की अविध के अध्यधीन आगे भी अग्रेषित किया जा सकता है। यह लाभ कर्मचारी को उसकी सेवा अविध के दौरान केवल बीमार पड़ने पर ही उपलब्ध होता है। जाने (अधिवर्षिता, आहरण, मृत्यु) पर अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण की अनुमति नहीं दी जाती है।

कर्मचारी की अधिवर्षिता पर अर्धवेतन अवकाश सहित अवकाश नकदीकरण देय है। अवकाश नकदीकरण की राशि पिछली सेवा और अधिवर्षिता के समय वेतन पर आधारित होती है।

ग्रेच्यूटी और अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान के लिए कोई निवेश नहीं किया गया है।



S. Particulars as at March 31, 2015 as at March 31, 2014 No. Rupees (\vec{z}) Rupees (\vec{z}) Amount (\vec{z}) Amount (\vec{z})

The interest liability has been assessed on the amount disbursed in financial year 2014-15 at the rate of 9.56% (rates applicable for the amount disbursed in the year 2013-14 is 9.60%) The interest accrued but not due on the IRFC loan amount has been shown in the Balance Sheet as recoverable from MOR under Current Assets & Non-Current assets (for the interest non recoverable in next 12 Months) and the interest payable but not due under the Current Liabilities and Non-Current Liabilities (for the interest not payable in next 12 Months) payable to IRFC.

Long-term and Short-term Interest accrued but not due from IRFC have been separately shown for 'ongoing projects' and 'completed projects transferred to MOR'

(c) Long term Provisions

Provision for Retirement Benefits

| Total | | 5,08,10,375 | | 3,55,87,891 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Less: Transfer to due within next twelve months | (4,685,128) | 5,08,10,375 | (3,098,628) | 3,55,87,891 |
| Add: Transfer from due within 12 months | - | | - | |
| Add: Addition during the Year | 1,99,07,612 | | 1,52,64,441 | |
| Opening Balance | 3,55,87,891 | | 2,34,22,078 | |

Employee Benefits

The disclosure required under Accounting Standard-15 "Employees Benefit" in respect of defined benefit plan is:

Reconciliation of opening and closing balances of the present value of the defined benefit obligation

| Particulars | Leave En | cashment | Gra | tuity |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | (| ₹) | | (₹) |
| | 2014-15 | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 |
| Opening Balance | 2,23,59,168 | 1,45,85,880 | 1,28,21,672 | 99,32,796 |
| Interest Cost | 17,44,015 | 13,12,729 | 10,00,090 | 8,93,952 |
| Current Service Cost | 55,56,298 | 34,62,767 | 52,20,055 | 38,14,291 |
| Benefit Paid | (10,19,450) | (2,66,645) | (7,69,537) | (262,505) |
| Actuarial (Gain/Loss) on Obligation | 48,10,597 | 32,64,437 | 9,81,193 | (15,56,862) |
| Closing Balance | 3,34,50,628 | 2,23,59,168 | 1,92,53,473 | 1,28,21,672 |

| Particulars | Half pa (₹ | y Leave ^(*) |
|----------------------|---------------|---------------------------|
| | 2014-15 | 2013-14 |
| Opening Balance | 40,73,127 | - |
| Current Service Cost | 5,95,364 | 40,73,127 |
| Closing Balance | 46,68,491 | 40,73,127 |

Gratuity Benefit is payable to employees on retirement or resignation or death. The amount of gratuity payable is based on past service and salary at time of exit as per Payment of Gratuity Act, 1972.

"Company allows Half Pay Leave for every year of service and unutilized portion can be carried forward subject to restrictions on maximum accumulation. This benefit is available only in the event of employee falling sick during the tenure of his service. No encashment is allowed on accumulated Half Pay Leave on exit (retirement, withdrawal, death) from the company."

Leave Encashment including Half pay Leave is payable to employees on retirement. The amount of Leave Encashment payable is based on past service and salary at time of retirement.

There are no Investment held against the provision for gratuity and leave encashment.

[&]quot;For RVNL Employees"



| बीमांकिक पूर्वानुमानः | 2014-15 | 2013-14 |
|-----------------------|--|--|
| मूल्यांकन विधिः | परियोजना यूनिट क्रेडिट विधि | परियोजना यूनिट क्रेडिट विधि |
| छूट की दरः | 7.80% | 7.80% |
| वेतन वृद्धि दरः | 6.50% | 6.50% |
| रिटायरमेंट आयुः | 60 वर्ष | 60 वर्ष |
| आहरण दरः | ग्रेजुएटेड स्केल के अनुसार कम आयु के मामलों में 3 प्रतिशत और अधिक आयु के मामलों में 1 प्रतिशत | ग्रेजुएटेड स्केल के अनुसार कम आयु के मामलों में 3 प्रतिशत और अधिक आयु के मामलों में 1 प्रतिशत |
| मृत्यु दरः | यूएलटी (2006–08) द्वारा प्रकाशित मृत्यु दर तालिका | यूएलटी (2006–08) द्वारा प्रकाशित मृत्यु दर तालिका |

| क) अत्यकालिक ऋण गरतीय रेल वित्त निगम (चालू परियोजनाए) प्रतिमृतिरहितः अध्यशेष 1,64,25,00,000 1,55,91,66,667 जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 घटाएं वर्ष के दौरान पुनर्मुगतान (1,64,25,00,000) 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,000 परियोजना अग्रिम पूंजी रेल मंत्रालय असुरक्षितः अध्यशेष 41,60,48,02,809 31,87,86,46,389 वर्ष के दौरान वृद्धि 22,83,12,00,000 17,53,92,00,000 घटाएं वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 34,241,80,562 61,01,18,22,247 7,81,30,43,580 41,60,48,02,809 घटाएं वर्ष के दौरान वृद्धि 22,83,12,00,000 17,53,92,00,000 घटाएं वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 34,241,80,562 61,01,18,22,247 7,81,30,43,580 41,60,48,02,809 परियोजना अग्रिम पूंजी (पूंजी निधि) रेल मंत्रालय असुरक्षितः अध्यशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि - 14,60,48,76,53 8,54,29,59,411 4,31,34,62,595 8,58,76,47,064 प्रारंपित ऋण की चुकौती के लिए रेल मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम असुरक्षितः | क्र | . विवरण | 3 | 1.03.2015 को | 31 | .03.2014 को |
|---|-------|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| क) अन्तर्गतिक ऋण गरतीय रेल वित्त निगम (बालू परियोजनाए) प्रतिमृतिरहितः अधरोष 1,64,25,00,000 1,55,91,66,667 जोड़े वर्ष के दौरान वृद्धि 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 घटाएं वर्ष के दौरान पुनर्मुगतान (1,64,25,00,000) 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,000 गरियोजना अग्रिम पूंजी रेल मंत्रालय असुरक्षितः अधरोष 41,60,48,02,809 31,87,86,46,389 वर्ष के दौरान वृद्धि 22,83,12,00,000 17,53,92,00,000 घटाएं वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 34,241,80,562 61,01,18,22,247 7,81,30,43,580 41,60,48,02,809 परियोजना अग्रिम पूंजी (पूंजी निधि) रेल मंत्रालय असुरक्षितः अधरोष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि | सं | | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) |
| भारतीय रेल वित्त निगम (वालू परियोजनाए) प्रतिभूतिरहितः अधशेष 1,64,25,00,000 1,55,91,66,667 जोड़े वर्ष के दौरान वृद्धि 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 घटाएं वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (1,64,25,00,000) 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,000 परियोजना अग्रिम पूंजी रेल मंत्रालय असुरक्षितः अधशेष 41,60,48,02,809 31,87,86,46,389 वर्ष के दौरान वृद्धि 22,83,12,00,000 17,53,92,00,000 घटाएं: वर्ष के दौरान अंतिरित परियोजनाएं 34,241,80,562 61,01,18,22,247 7,81,30,43,580 41,60,48,02,809 परियोजना अग्रिम पूंजी (पूंजी निधि) रेल मंत्रालय असुरक्षितः अधशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि | 6 | चालू दयिताए | | | | |
| प्रतिभृतिरहितः अधशेष 1,64,25,00,000 1,55,91,66,667 जोड़े वर्ष के दौरान वृद्धि 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 घटाएं: वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (1,64,25,00,000) 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,000 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,000 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,00 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,00 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,00 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,00 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,00 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,00 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,00 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,90,00 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,90,00 1,73,24,16,667 | (ক) | अल्पकालिक ऋण | | | | |
| अध्यशेष 1,64,25,00,000 1,55,91,66,667 जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 घटाएं: वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (1,64,25,00,000) 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,000 घटाएं: वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (1,64,25,00,000) 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,000 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 घटाएं: वर्ष के दौरान अग्रिम पूंजी रेल मंत्रालय अग्रुरिसतः अथ्यशेष 41,60,48,02,809 31,87,86,46,389 वर्ष के दौरान वृद्धि 22,83,12,00,000 17,53,92,00,000 घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 34,241,80,562 61,01,18,22,247 7,81,30,43,580 41,60,48,02,809 चर्ष मंत्रालय अग्रुरिसतः अथ्यशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि | (i) | भारतीय रेल वित्त निगम (चालू परियोजनाएं) | | | | |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 घटाएं: वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (1,64,25,00,000) 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,000 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,91,66,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,91,66,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,91,66,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,91,66,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,91,66,267 (1,55,91,66,667) 1,64,25,91,66,267 (1,55,91,66,667) 1,64,25,91,66,267 (1,55,91,66,667) 1,64,25,267 (1, | | प्रतिभूतिरहितः | | | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (1,64,25,00,000) 1,73,24,16,667 (1,55,91,66,667) 1,64,25,00,000 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,64,25,00,000 1,73,24,16,667 1,753,92,00,000 1,7 | | अथशेष | 1,64,25,00,000 | | 1,55,91,66,667 | |
| 1,73,24,16,667 1,64,25,00,000 परियोजना अग्रिम पूंजी रेल मंत्रालय असुरक्षितः अथशेष 41,60,48,02,809 31,87,86,46,389 वर्ष के दौरान वृद्धि 22,83,12,00,000 17,53,92,00,000 घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 34,241,80,562 61,01,18,22,247 7,81,30,43,580 41,60,48,02,809 परियोजना अग्रिम पूंजी (पूंजी निधि) रेल मंत्रालय असुरक्षितः अथशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि | | जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,73,24,16,667 | | 1,64,25,00,000 | |
| परियोजना अग्रिम पूंजी रेल मंत्रालय असुरक्षितः अथशेष 41,60,48,02,809 31,87,86,46,389 वर्ष के दौरान वृद्धि 22,83,12,00,000 17,53,92,00,000 घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 34,241,80,562 61,01,18,22,247 7,81,30,43,580 41,60,48,02,809 परियोजना अग्रिम पूंजी (पूंजी निधि) रेल मंत्रालय असुरक्षितः अथशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 44,687,653 8,54,29,59,411 4,31,34,62,595 8,58,76,47,064 iv) मारेविनि ऋण की चुकौती के लिए रेल मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम असुरक्षितः | | घटाएं: वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | (1,64,25,00,000) | 1,73,24,16,667 | (1,55,91,66,667) | 1,64,25,00,000 |
| रेल मंत्रालय असुरक्षितः अथशेष 41,60,48,02,809 31,87,86,46,389 वर्ष के दौरान वृद्धि 22,83,12,00,000 17,53,92,00,000 घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 34,241,80,562 61,01,18,22,247 7,81,30,43,580 41,60,48,02,809 iii) परियोजना अग्रिम पूंजी (पूंजी निधि) रेल मंत्रालय असुरक्षितः अथशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 44,687,653 8,54,29,59,411 4,31,34,62,595 8,58,76,47,064 iii) भारेविनि ऋण की चुकौती के लिए रेल मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम असुरक्षितः | | | | 1,73,24,16,667 | | 1,64,25,00,000 |
| अधुरक्षितः अधशेष 41,60,48,02,809 31,87,86,46,389 वर्ष के दौरान वृद्धि 22,83,12,00,000 17,53,92,00,000 घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 34,241,80,562 61,01,18,22,247 7,81,30,43,580 41,60,48,02,809 iii) परियोजना अग्रिम पूंजी (पूंजी निधि) रेल मंत्रालय अधुरक्षितः अधशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि | (ii) | | | | | |
| अधशेष 41,60,48,02,809 31,87,86,46,389 वर्ष के दौरान वृद्धि 22,83,12,00,000 17,53,92,00,000 घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 34,241,80,562 61,01,18,22,247 7,81,30,43,580 41,60,48,02,809 स्ति मंत्रालय असुरक्षितः अधशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि | | रेल मंत्रालय | | | | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि 22,83,12,00,000 17,53,92,00,000 घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 34,241,80,562 61,01,18,22,247 7,81,30,43,580 41,60,48,02,809 परियोजना अग्रिम पूंजी (पूंजी निधि) रेल मंत्रालय असुरक्षितः अथशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 44,687,653 8,54,29,59,411 4,31,34,62,595 8,58,76,47,064 असुरक्षितः असुरक्षितः | | | | | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतिरत परियोजनाएं 34,241,80,562 61,01,18,22,247 7,81,30,43,580 41,60,48,02,809 iii) परियोजना अग्रिम पूंजी (पूंजी निधि) रेल मंत्रालय असुरक्षितः अथशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि | | | 41,60,48,02,809 | | 31,87,86,46,389 | |
| iii) परियोजना अग्रिम पूंजी (पूंजी निधि) रेल मंत्रालय असुरक्षितः अथशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएः वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 44,687,653 8,54,29,59,411 4,31,34,62,595 8,58,76,47,064 iv) भारेविनि ऋण की चुकौती के लिए रेल मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम असुरक्षितः | | | 22,83,12,00,000 | | 17,53,92,00,000 | |
| रेल मंत्रालय असुरक्षितः अथशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएंः वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 44,687,653 8,54,29,59,411 4,31,34,62,595 8,58,76,47,064 iv) भारेविनि ऋण की चुकौती के लिए रेल मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम असुरक्षितः | | | 34,241,80,562 | 61,01,18,22,247 | 7,81,30,43,580 | 41,60,48,02,809 |
| असुरक्षितः अथशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएः वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 44,687,653 8,54,29,59,411 4,31,34,62,595 8,58,76,47,064 iv) भारेविनि ऋण की चुकौती के लिए रेल मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम असुरक्षितः | (iii) | 2, 22, | | | | |
| अथशेष 8,58,76,47,064 12,90,11,09,659 वर्ष के दौरान वृद्धि | | | | | | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | | • | | | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 44,687,653 8,54,29,59,411 4,31,34,62,595 8,58,76,47,064 iv) भारेविनि ऋण की चुकौती के लिए रेल मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम असुरक्षितः | | | 8,58,76,47,064 | | 12,90,11,09,659 | |
| iv) भारेविनि ऋण की चुकौती के लिए रेल मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम असुरक्षितः | | | - | | - | |
| असुरक्षितः | | - | | 8,54,29,59,411 | 4,31,34,62,595 | 8,58,76,47,064 |
| · · | (iv) | · · | से प्राप्त अग्रिम | | | |
| 3 30 06 46 038 3 40 E0 33 331 | | • | | | | |
| 1, 1, 1, 1, 1, 1 | | अथशेष | 3,39,96,46,928 | | 3,49,58,33,331 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि 1,64,25,00,000 1,55,91,66,668 | | C C | | | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 1,36,52,78,775 3,67,68,68,153 1,65,53,53,071 3,39,96,46,928 | | | 1,36,52,78,775 | 3,67,68,68,153 | 1,65,53,53,071 | 3,39,96,46,928 |
| | (v) | | | | | |
| असुरक्षितः | | _ | | | | |
| अथशेष 11,65,50,00,000 8,25,50,00,000 | | | | | | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि 3,98,00,00,000 3,40,00,00,000 | | c | 3,98,00,00,000 | | 3,40,00,00,000 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं 15,63,50,00,000 11,65,50,00,000 | | घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं | | 15,63,50,00,000 | | 11,65,50,00,000 |



| ACTUARIAL ASSUMPTIONS: | 2014-15 | 2013-14 |
|-------------------------|---|---|
| Method Of Valuation : | Project Unit Credit Method | Project Unit Credit Method |
| Discount Rate : | 7.80% | 7.80% |
| Salary Escalation Rate: | 6.50% | 6.50% |
| Retirement Age: | 60 Years | 60 Years |
| Withdrawal Rate: | 3% at younger ages and reducing to 1% at older ages according to graduated scale. | 3% at younger ages and reducing to 1% at older ages according to graduated scale. |
| Mortality Rate | India Assured Lives Mortality (2006-08) Ult. | India Assured Lives Mortality (2006-08) Ult. |

| S. | Particulars | as at I | March 31, 2015 | as at N | Narch 31, 2014 |
|-------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| No. | | Rupees (₹) | Rupees(₹) | Amount (₹) | Amount (₹) |
| 6 | Current Liabilities | | | | |
| (a) | Short Term Borrowings | | | | |
| (i) | Indian Railways Finance Corporation (On Goin | ng Projects) | | | |
| | Unsecured: | | | | |
| | Opening Balance | 1,64,25,00,000 | | 1,55,91,66,667 | |
| | Add: Addition during the Year | 1,73,24,16,667 | | 1,64,25,00,000 | |
| | Less: Repayment during the Year | (1,64,25,00,000) | 1,73,24,16,667 | (1,55,91,66,667) | 1,64,25,00,000 |
| | | | 1,73,24,16,667 | | 1,64,25,00,000 |
| (ii) | Project Advance Capital | | | | |
| | Ministry of Railways | | | | |
| | Unsecured: | | | | |
| | Opening Balance | 41,60,48,02,809 | | 31,87,86,46,389 | |
| | Addition during the Year | 22,83,12,00,000 | | 17,53,92,00,000 | |
| | Less: Projects Transferred during the Year | 34,241,80,562 | 61,01,18,22,247 | 7,81,30,43,580 | 41,60,48,02,809 |
| (iii) | Project Advance (Capital Fund) | | | | |
| | Ministry of Railways | | | | |
| | Unsecured: | | | | |
| | Opening Balance | 8,58,76,47,064 | | 12,90,11,09,659 | |
| | Addition during the Year | - | | - | |
| | Less: Projects Transferred during the Year | 44,687,653 | 8,54,29,59,411 | 4,31,34,62,595 | 8,58,76,47,064 |
| (iv) | Advance from MoR IRFC loan Repayment | | | | |
| | Unsecured: | | | | |
| | Opening Balance | 3,39,96,46,928 | | 3,49,58,33,331 | |
| | Addition during the Year | 1,64,25,00,000 | | 1,55,91,66,668 | |
| | Less: Projects Transferred during the Year | 1,36,52,78,775 | 3,67,68,68,153 | 1,65,53,53,071 | 3,39,96,46,928 |
| (v) | Misc. Advance Capital (Metro project) | | | | |
| | Unsecured: | | | | |
| | Opening Balance | 11,65,50,00,000 | | 8,25,50,00,000 | |
| | Addition during the Year | 3,98,00,00,000 | | 3,40,00,00,000 | |
| | Less: Projects transferred during the Year | | 15,63,50,00,000 | | 11,65,50,00,000 |
| | | | | | |

| क्र. विवरण | 0.4 | .03.2015 को | 24 | 03.2014 को |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| क्र. विवरण सं. | उ1 राशि (₹) | .03.2015 का राशि (₹) | 31. राशि (₹) | 03.2014 का राशि (₹) |
| | (1) | (III (C) | (I) | (1) |
| (vi) परियोजना अग्रिम पूंजी बांड्स | 004 70 00 000 | | 004 70 00 000 | |
| अथशेष | 321,79,00,000 | | 321,79,00,000 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | 204 70 00 000 | - | 004 70 00 000 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं | | 321,79,00,000 | | 321,79,00,000 |
| (vii) परियोजना अग्रिम संरक्षा निधि | | | | |
| अथशेष | 40,54,00,000 | | 39,00,00,000 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 32,01,00,000 | | 1,54,00,000 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं | - | 72,55,00,000 | - | 40,54,00,000 |
| (viii) विकास निधि—3 | | | | |
| अथशेष | 48,00,00,000 | | 2,10,00,000 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 63,88,00,000 | | 45,90,00,000 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं | - | 111,88,00,000 | - | 48,00,00,000 |
| (ix) मांग—2 के अंतर्गत एचएसआर अध्ययन | | | | |
| अथशेष | - | | - | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 5,00,00,000 | | - | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाए | - | 5,00,00,000 | - | - |
| | | 95,71,12,66,477 | | 70,99,28,96,801 |
| रेल मंत्रालय से प्राप्त निधियों को रेल मंत्रालय द्वारा सं बाद परिसंपत्तियां क्षेत्रीय रेलों को सौंप दी गई है जिसे | | | | क़ रूप से पूरा करने के |
| (ख) व्यापार देय | | | | |
| लघु, छोटे एवं मध्यम | | - | | - |
| अन्य | | 44,96,65,543 | | 52,83,96,938 |
| | | 44,96,65,543 | | 52,83,96,938 |
| (ग) अन्य चालू दायिताएं | | | | |
| पेशगी धनराशि | | 53,97,78,080 | | 53,59,74,175 |
| परफारमेंस प्रतिभूति जमा राशि | | 226,58,93,488 | | 192,78,84,410 |
| विविध ऋणदाता कर्मचारी | | 3,83,67,336 | | 3,89,10,261 |

3,83,67,336 3,89,10,261 विविध ऋणदाता अन्य 3,38,19,130 5,36,48,566 विविध जमा राशि 15,55,67,209 13,60,84,904 रूकौनी राशि 55,64,47,879 45,63,71,682 शुल्क एवं कर 15,76,63,827 13,67,17,660 चैक जारी किए गए परंतु क्लीयर नहीं हुए 1,09,81,624 5,42,05,095 निक्षेप कार्यों के लिए ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त किया गए 331,69,05,986 307,12,52,775 उपार्जित ब्याज किन्तु ऋण पर अदेयः (भारेविनि) अथशेष 98,99,06,181 217,23,63,489 जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि 165,81,77,853 224,11,29,832 घटाएं: वर्ष के दौरान भुगतान (2,239,790,141)1,590,751,201 (1,058,672,524)217,23,63,489 ब्याज उपार्जित लेकिन ऋण पर देय नहीं: (भारेविनि-पूरी हो गई) अथशेष जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि 545,499,372 545,499,372 घटाएं: वर्ष के दौरान भुगतान अन्य दायिता 7,53,13,087 8,16,14,092 बकाया व्यय 30,79,626 47,86,847 929,04,14,975 866,94,66,825



| S. Particulars | as at N | March 31, 2015 | as at M | arch 31, 2014 |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| No. | Rupees (₹) | Rupees(₹) | Amount (₹) | Amount (₹) |
| (vi) Project Advance Capital Bonds | | | | |
| Opening Balance | 321,79,00,000 | | 321,79,00,000 | |
| Addition during the Year | - | | - | |
| Less: Projects Transferred during the Year | | 321,79,00,000 | | 321,79,00,000 |
| (vii) Project Advance Safety Fund | | | | |
| Opening Balance | 40,54,00,000 | | 39,00,00,000 | |
| Addition during the Year | 32,01,00,000 | | 1,54,00,000 | |
| Less: Projects Transferred during the Year | - | 72,55,00,000 | - | 40,54,00,000 |
| (viii) Development Fund-3 | | | | |
| Opening Balance | 48,00,00,000 | | 2,10,00,000 | |
| Addition during the Year | 63,88,00,000 | | 45,90,00,000 | |
| Less: Projects Transferred during the Year | - | 111,88,00,000 | - | 48,00,00,000 |
| (ix) HSR Studies under Demand-2 | | | | |
| Opening Balance | - | | - | |
| Addition during the Year | 5,00,00,000 | | - | |
| Less: Projects Transferred during the Year | - | 5,00,00,000 | - | - |
| | | 95,71,12,66,477 | | 70,99,28,96,801 |

^{1.} Funds received by the Company from MoR are utilized for executing projects assigned by MoR. After physical completion of a project, the assets are to be transferred to the concerned Zonal Railway who would add the value of assets in their Block Account.

(b) Trade Payable

| | Micro ,Small & Medium Enterprises | | - | | - |
|-----|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Others | | 44,96,65,543 | | 52,83,96,938 |
| | | | 44,96,65,543 | | 52,83,96,938 |
| (c) | Other current liabilities | | | | |
| | Earnest Money | | 53,97,78,080 | | 53,59,74,175 |
| | Performance Security Deposit | | 226,58,93,488 | | 192,78,84,410 |
| | Sundry Creditors Staff | | 3,83,67,336 | | 3,89,10,261 |
| | Sundry Creditors Others | | 5,36,48,566 | | 3,38,19,130 |
| | Misc. Deposit | | 13,60,84,904 | | 15,55,67,209 |
| | Retention money | | 55,64,47,879 | | 45,63,71,682 |
| | Duties & Taxes | | 15,76,63,827 | | 13,67,17,660 |
| | Cheque issud but not cleared | | 1,09,81,624 | | 5,42,05,095 |
| | Advance received from Customers against [| Deposit Works | 331,69,05,986 | | 307,12,52,775 |
| | Interest Accrued but not due on Loan: (IRF | C) | | | |
| | Opening Balance | 217,23,63,489 | | 98,99,06,181 | |
| | Add: Addition during the Year | 165,81,77,853 | | 224,11,29,832 | |
| | Less: Payment during the Year | (2,239,790,141) | 1,590,751,201 | (1,058,672,524) | 217,23,63,489 |
| | Interest Accrued but not due on Loan: (IRF | C-Completed) | | | |
| | Opening Balance | | | | |
| | Add: Addition during the Period | | 545,499,372 | 545,499,372 | |
| | Less: Payment during the Period | | | | |
| | Other Liabilities | | 7,53,13,087 | | 8,16,14,092 |
| | Expenses Payable | | 30,79,626 | | 47,86,847 |
| | | | 929,04,14,975 | | 866,94,66,825 |



| क्र. विवरण सं. | राशि (₹) | 31.03.2015 को राशि (₹) | राशि (₹) | 31.03.2014 को राशि (₹) |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ्ध) अल्पकालिक प्रावधान | (1) | | (1) | (1) |
| (घ) अल्पकालिक प्रावधान (i) कर के लिए प्रावधान | | | | |
| अथशेष | 12,74,26,969 | | 11,02,17,718 | |
| जवराप जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 18,83,45,206 | | 12,74,26,969 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन | (1,27,26,969) | 18,83,45,206 | (1,102,17,718) | 12,74,26,969 |
| (ii) देय लाभांश | (1,21,20,303) | 10,00,40,200 | (1,102,17,710) | 12,74,20,303 |
| देय लाभांश | 31,50,00,000 | | 27,00,00,000 | |
| पंप लानारा जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 3,720,00,000 | | 31,50,00,000 | |
| जाङ्. पर्प के दोरान यृाद्ध घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन | (31,50,00,000) | 372,000,000 | (2,700,00,000) | 31,50,00,000 |
| (iii) विदेश सेवा अंशदान के लिए प्रावधान | (31,30,00,000) | 372,000,000 | (2,700,00,000) | 31,30,00,000 |
| अध्यशेष | 6,09,82,875 | | 5,61,12,699 | |
| अथराप जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 2,62,43,755 | | 2,00,00,000 | |
| जाङ्ग येष के दौरान पृद्धि घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन | (2,40,10,940) | 6,32,15,690 | (1,51,29,824) | 6,09,82,875 |
| (iv) पीआरपी / पीएलआई के लिए प्रावधान | (2,40,10,940) | 0,32,13,090 | (1,31,29,024) | 0,09,02,073 |
| अधशेष | 7 51 20 145 | | 12 20 20 211 | |
| अथराप जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 7,51,29,145 7,00,00,000 | | 13,28,28,211 6,15,00,000 | |
| जाङ्ग वर्ष के दौरान यृद्धि घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन | | 7.01 50.606 | | 7 51 00 145 |
| (v) रिटायरमेंट के लि, प्रावधान | (71,978,519) | 7,31,50,626 | (1,191,99,066) | 7,51,29,145 |
| | 00.00.070 | | 10.00 500 | |
| अथशेष | 36,66,076 | | 10,96,598 | |
| घटाएं: दीर्घावधि प्रावधानों से / को अंतरण | 4,685,128 | 0.500.047 | 3,098,628 | 00.00.070 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन | (17,88,987) | 6,562,217 | (5,29,150) | 36,66,076 |
| (vi) एलटीसी के लिए प्रावधान | 10.00.000 | | 0.00.000 | |
| अथशेष | 12,00,000 | | 6,00,000 | |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 5,85,971 | 40.00.077 | 12,40,370 | 40.00.000 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन | (1,62,094) | 16,23,877 | (6,40,370) | 12,00,000 |
| (vii) रेविनिलि वेलफेयर स्कीम | | | | |
| अथशेष | | - | 5,00,00,000 | |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 5,00,00,000 | | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन | - | 50,000,000 | (5,00,00,000) | - |
| (viii) रेविनिलि मेडिकल स्कीम | | | | |
| अथशेष | 1,36,00,000 | | 2,72,00,000 | |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,56,42,104 | | 1,36,00,000 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन | (2,92,42,104) | | (2,72,00,000) | 1,36,00,000 |
| | | <u>75,48,97,616</u> | | <u>59,70,05,065</u> |

6 (घ)(1) के लिए फुट नोट आयकरः

- 1 आयकर अधिनियम के अनुसार की गई गणना के आधार पर आयकर का प्रावधान रखा गया है।
- 2 लेखा मानकों के उपबंधों का अनुपालन और सामान्य विवेक के आधार पर कंपनी ने आस्थिगित कर संपत्ति को शामिल नहीं किया है क्योंकि उनकी वसूली होना निश्चित नहीं था।

6 (घ)(iii) के लिए फुट नोट

विदेश सेवा अंशदानः

अधिकांश अधिकारी / कर्मचारी भारतीय रेल से प्रतिनियुक्ति पर है। रेविनिलि अधिवर्षिता लाभों के लिए भारतीय रेल में विदेश सेवा अंशदान का भुगतान कर रही है।

6 (घ)(vii) एवं (viii) के लिए फुट नोट

रेविनिलि मेडिकल और वेलफेयर स्कीम

कंपनी ने रेविनिलि ने चिकित्सा योजना में ₹1,56,42,104 (पिछले वर्ष ₹1,36,00,000) और रेविनिलि चिकित्सा और कल्याण ट्रस्ट की पूंजी निधि में ₹5,00,00,000 का योगदान दिया है।



| S. Particulars | as at M | arch 31, 2015 | as at Ma | arch 31, 2014 |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| No. | Rupees (₹) | Rupees(₹) | Amount (₹) | Amount (₹) |
| (d) Short-term provision | | | | |
| (i) Provision for Taxation | | | | |
| Opening Balance | 12,74,26,969 | | 11,02,17,718 | |
| Add: Addition during the Year | 18,83,45,206 | | 12,74,26,969 | |
| Less: Adjustment during the Year | (1,27,26,969) | 18,83,45,206 | (1,102,17,718) | 12,74,26,969 |
| (ii) Dividend Payable | | | | |
| Opening Balance | 31,50,00,000 | | 27,00,00,000 | |
| Add: Addition during the Year | 3,720,00,000 | | 31,50,00,000 | |
| Less: Adjustment during the Year | (31,50,00,000) | 372,000,000 | (2,70,000,000) | 31,50,00,000 |
| (iii) Provision for Foreign Service Contribution | | | | |
| Opening Balance | 6,09,82,875 | | 5,61,12,699 | |
| Add: Addition during the Year | 2,62,43,755 | | 2,00,00,000 | |
| Less: Adjustment during the Year | (2,40,10,940) | 6,32,15,690 | (1,51,29,824) | 6,09,82,875 |
| (iv) Provision for PRP/PLI | | | | |
| Opening Balance | 7,51,29,145 | | 13,28,28,211 | |
| Add: Addition during the Year | 7,00,00,000 | | 6,15,00,000 | |
| Less: Adjustment during the Year | (7,19,78,519) | 7,31,50,626 | (1,191,99,066) | 7,51,29,145 |
| (v) Provision for Retirement Benefit | | | | |
| Opening Balance | 36,66,076 | | 10,96,598 | |
| Less: Transfer from/to long term Provisions | 4,685,128 | | 3,098,628 | |
| Less: Adjustment during the Year | (17,88,987) | 6,562,217 | (5,29,150) | 36,66,076 |
| (vi) Provision for LTC | | | | |
| Opening Balance | 12,00,000 | | 6,00,000 | |
| Add: Addition during the Year | 5,85,971 | | 12,40,370 | |
| Less: Adjustment during the Year | (1,62,094) | 16,23,877 | (6,40,370) | 12,00,000 |
| (vii) RVNL Welfare Scheme | | | | |
| Opening Balance | | - | 5,00,00,000 | |
| Add: Addition during the year | 5,00,00,000 | | | |
| Less: Adjustment during the Year | - | 5,00,00,000 | (5,00,00,000) | - |
| (viii) RVNL Medical Scheme | | | | |
| Opening Balance | 1,36,00,000 | | 2,72,00,000 | |
| Add: Addition during the Year | 1,56,42,104 | | 1,36,00,000 | |
| Less: Adjustment during the Year | (2,92,42,104) | - | (2,72,00,000) | 1,36,00,000 |
| | • | 75,48,97,616 | , | 59,70,05,065 |

"Foot Note for 6(d) (i) Income Tax:"

- 1. Provision for Income Tax has been made as Tax computed under the Income Tax Act.
- 2. In compliance with provisions of Accounting Standards and based on general prudence, the Company has not recognised the Deferred Tax Assets as there is no reasonable certainity of their realisation.

"Foot Note for 6(d) (iii)Foreign Service Contribution:"

The majority of the officers / staff employed in RVNL are on deputation from Indian Railways. RVNL is paying Foreign Service Contribution to the Indian Railways towards retirement benefits.

"Foot Note for 6(d) (vii) & (viii) RVNL Medical and Welfare Scheme"

Company has contributed ₹1,56,42,104 (previous year ₹1,36,00,000) in the RVNL Medical Scheme and ₹5,00,00,000 in Capital Fund of RVNL Medical and Welfare Trust.



7. अचल परिसंपत्तियां

| | | सकल | ब्लॉक | | | मूल्हहास | हास | | शुद्ध ब | ब्लॉक |
|---|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| सकल ब्लॉक | 31, मार्च 2014 तक लागत | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान विलोपन / | 31, मार्च 2015 तक | 31, मार्च 2014 तक | वर्ष के दौरान | बिक्री / समायोजन | 31, मार्च 2015 तक | 31, मार्च 2015 | 31, मार्च 2015 तक |
| | (F) | अधिवृद्धि | समायोजन | लागत | लागत | मूल्यहास | पर मूल्यहास | | (£) | (F) |
| | (૨) તેમબ | (Հ) ડેમબ્ર | क्ष्मए (र) | (४) ठेफक | (Հ) તેમબ | (૮) તેમબ | (૪) તેમબ | (Հ) તેમજ | (Հ) նետ | (૪) તેમબ |
| क. मूर्त परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | |
| लीजहोल्ड में सुधार | 8,52,79,687 | 56,31,098 | | 9,09,10,785 | 5,89,61,346 | 1,27,35,401 | 1 | 7,16,96,748 | 1,92,14,037 | 2,63,18,341 |
| फर्नीचर और फिक्चर | 5,67,32,889 | 97,24,368 | 1,472,314 | 6,49,84,943 | 4,82,72,916 | 87,16,664 | 1,237,150 | 5,57,52,430 | 92,32,513 | 84,59,973 |
| ईडीपी परिसंपत्तियां | 8,99,08,683 | 1,51,27,906 | 2,799,757 | 10,22,36,832 | 6,81,68,884 | 1,75,84,078 | 1,764,881 | 8,39,88,081 | 1,82,48,750 | 2,17,39,799 |
| कार्यालय उपस्कर | 5,97,35,238 | 91,49,150 | 1,637,283 | 6,72,47,105 | 4,68,85,506 | 1,09,30,682 | 1,496,450 | 5,63,19,738 | 1,09,27,367 | 1,28,49,732 |
| जोड़ | 29,16,56,497 | 3,96,32,522 | 59,09,354 | 32,53,79,665 | 22,22,88,652 | 4,99,66,826 | 44,98,481 | 26,77,56,997 | 5,76,22,668 | 6,93,67,845 |
| ख. अमूर्त परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | |
| सॉफ्टवेयर | 88,71,188 | 14,19,040 | 1,250 | 1,02,88,978 | 87,89,292 | 12,41,116 | 1,250 | 1,00,29,158 | 2,59,820 | 81,896 |
| जोड़ | 88,71,188 | 14,19,040 | 1,250 | 1,02,88,978 | 87,89,292 | 12,41,116 | 1,250 | 1,00,29,158 | 2,59,820 | 81,896 |
| ग. पूंजीगत चालू कार्य | | | | | | | | | | |
| मल्टी फंक्शनल कॉम्पलेक्स* | 12,852,369 | 13,92,468 | - | 1,42,44,837 | | - | - | | 1,42,44,837 | 12,852,369 |
| जोड़ | 12,852,369 | 1,392,468 | • | 14,244,837 | | - | - | | 14,244,837 | 12,852,369 |
| घ. विकासाधाीन अमूर्त संबंधी परिसंपत्ति कार्य | | | | | | | | | | |
| उपक्रम संसाधन योजना | 7,527,894 | 90,47,602 | | 1,65,75,496 | | ı | - | , | 1,65,75,496 | 7,527,894 |
| जोड़ | 7,527,894 | 9,047,602 | | 16,575,496 | | • | | • | 16,575,496 | 7,527,894 |
| जोड़ (क+ख+ग+घ) | 32,09,07,948 | 5,14,91,632 | 59,10,604 | 36,64,88,976 | 23,10,77,944 | 5,12,07,942 | 44,99,731 | 27,77,86,155 | 8,87,02,821 | 8,98,30,004 |
| पिछले वर्ष | 25,43,80,527 | 7,23,28,619 | 58,01,197 | 32,09,07,949 | 32,09,07,949 17,68,09,671 | 5,93,21,473 | 50,53,197 | 23,10,77,947 | 8,98,30,002 | |
| | | | | | | | | | | |

^{*} कंपनी ने मल्टीप्लेक्स कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए आरएलडीए के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना को पूर्णत अपने संसाधनों से वित्तपोषित किया जा रहा है।

[&]quot;1 अप्रेल, 2014 से प्रमावी कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंनुसार कंपनी ने अपनी स्थिर परिसंपतियों की शेष उपयोगी जीवन का पुनर्आकलन किया है। इस पुनर्आकलन के परिणामस्वरूप, अवधि के लिए मूल्यहास के लिए प्रमार की दर पुरानी प्रमारित की गई के समान है, इसलिए अतिरिक्त प्रमाव शून्य है।"

| به |
|------------|
| |
| S |
| |
| |
| As |
| |
| |
| |
| ㅁ |
| |
| a |
| |
| <u>≍</u> . |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | | GROSS | GROSS BLOCK | | | DEPRECIATION | HATION | | NET BLOCK | ГОСК |
|---|--|--------------------------------------|---|--|---|---|--|--|---------------------------------------|--|
| Block of Assets | Cost up to March 31, 2014 Rupees (₹) | Additions during the Year Rupees (₹) | Deletions / Adjustments during the Year Rupees (₹) | Cost up to 31st March 2015 Rupees (₹) | Cost up to March 31, 2014 Rupees (₹) | Depreciation during the Year Rupees (₹) | Depreciation on Sale / Adjustments Rupees (₹) | Up to 31st March, 2015 Rupees (₹) | As at March 31, 2015 Rupees (₹) | As at March 31, 2014 Rupees (₹) |
| A.Tangible Assets | | | | | | | | | | |
| Lease Hold Improvements | 8,52,79,687 | 56,31,098 | - | 9,09,10,785 | 5,89,61,346 | 1,27,35,401 | 1 | 7,16,96,748 | 1,92,14,037 | 2,63,18,341 |
| Furniture and Fixtures | 5,67,32,889 | 97,24,368 | 1,472,314 | 6,49,84,943 | 4,82,72,916 | 87,16,664 | 1,237,150 | 5,57,52,430 | 92,32,513 | 84,59,973 |
| EDP Assets | 8,99,08,683 | 1,51,27,906 | 2,799,757 | 10,22,36,832 | 6,81,68,884 | 1,75,84,078 | 1,764,881 | 8,39,88,081 | 1,82,48,750 | 2,17,39,799 |
| Office Equipments | 5,97,35,238 | 91,49,150 | 1,637,283 | 6,72,47,105 | 4,68,85,506 | 1,09,30,682 | 1,496,450 | 5,63,19,738 | 1,09,27,367 | 1,28,49,732 |
| TOTAL | 29,16,56,497 | 3,96,32,522 | 59,09,354 | 32,53,79,665 | 22,22,88,652 | 4,99,66,826 | 44,98,481 | 26,77,56,997 | 5,76,22,668 | 6,93,67,845 |
| B. Intangible Assets | | | | | | | | | | |
| Softwares | 88,71,188 | 14,19,040 | 1,250 | 1,02,88,978 | 87,89,292 | 12,41,116 | 1,250 | 1,00,29,158 | 2,59,820 | 81,896 |
| TOTAL | 88,71,188 | 14,19,040 | 1,250 | 1,02,88,978 | 87,89,292 | 12,41,116 | 1,250 | 1,00,29,158 | 2,59,820 | 81,896 |
| C. Capital Work in Progress | | | | | | | | | | |
| Multi Functional Complex* | 12,852,369 | 13,92,468 | • | 1,42,44,837 | | - | - | | 1,42,44,837 | 12,852,369 |
| TOTAL | 12,852,369 | 1,392,468 | | 14,244,837 | - | - | - | | 14,244,837 | 12,852,369 |
| D. Intangible Assets under Development | | | | | | | | | | |
| Enterprise Resource Planning | 7,527,894 | 90,47,602 | - | 1,65,75,496 | | • | 1 | - | 1,65,75,496 | 7,527,894 |
| TOTAL | 7,527,894 | 9,047,602 | • | 16,575,496 | | • | | - | 16,575,496 | 7,527,894 |
| T0TAL (A+B+C+D) | 32,09,07,948 | 5,14,91,632 | 59,10,604 | 36,64,88,976 | 23,10,77,944 | 5,12,07,942 | 44,99,731 | 27,77,86,155 | 8,87,02,821 | 8,98,30,004 |
| Previous Year | 25,43,80,527 | 7,23,28,619 | 58,01,197 | 32,09,07,949 | 17,68,09,671 | 5,93,21,473 | 50,53,197 | 23,10,77,947 | 8,98,30,002 | |

* Company has entered into MOU with RLDA for construction of Multifunctional Complex. Project is funded out of its own sources.

"In accordance with the provisions of the Companies Act 2013, effective from 1st April, 2014, the Company has reassessed the remaining useful lives of its fixed assets. As a consequence of such reassessment, the rate of charge for depreciation for the period is equal to the previously applied rate of charges and additional impact is NIL."



| क्र. सं. | विवरण | राशि (₹) | 31.03.2015 को राशि (₹) | 31.03.2014 को राशि (₹) राशि (ं | |
|-------------|---|------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| 8 | गैर—चालू निवेश | | | | |
| | निगमित संयुक्त उद्यमों में पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर | | | | |
| | (लागत अनुद्धत) | | | | |
| | कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड | N. | 100.00.00.000 | 100 00 00 000 | |
| | 10 रुपए मूल्य प्रत्येक वाले 10,00,00,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शे एवं 10 रुपए मूल्य प्रत्येक वाले 2,50,00,000 पूर्ण प्रदत्त बोनस | यर शेयर | 100,00,00,000 | 100,00,00,000 | |
| | हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड, 10 रुपए कीमत वार्ट 17,00,00,000 के इक्विटी पूर्णतः प्रदत शेयर | ने | 170,00,00,000 | 2,50,000 | |
| | कृष्णपट्नम रेलवे कंपनी लिमिटेड 10 रुपए मूल्य प्रत्येक वाले 8,10,00,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर | | 81,00,00,000 | 81,00,00,000 | |
| | भक्तच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड, 10 रुपए मूल्य प्रत्येक वाले 5,50,00,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर | | 55,00,00,000 | 55,00,00,000 | |
| | अंगुल सुकिंदा रेलवे कंपनी लिमिटेड 10 रुपए मूल्य प्रत्येक वा 18,90,00,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर एवं | ले | 189,00,00,000 | 80,71,73,250 | |
| | सहायक कंपनी में पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (अनुद्धत लागत)(कंपनी की लागत में शामिल नहीं) | | | | |
| | हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | | 10,74,110 | 5,00,000 | |
| | 10 रुपए मूल्य प्रत्येक वाले 1,07,411 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर | | | | |
| | आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धनराशि | | | | |
| | हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड | | | 169,97,50,000 | |
| | | | - | 169,97,50,000 | |
| | | | | 400 70 70 000 | |
| 9 | दीर्घावधि ऋण और अग्रिम | | <u>595,10,74,110</u> | 486,76,73,250 | |
| - | रेल मंत्रालय से वसूलनीय (चालू परियोजनाएं) (उपार्जित | | 46,01,7,00,332 | 4,37,47,77,714 | |
| (47) | परंतु बकाया नहीं) (असुरक्षित को बेहतर समझा गया है।) | | 40,01,7,00,032 | ٣١,١١,١٢, ١٦ | |
| (ख) | रेल मंत्रालय से वसूलनीय (पूरी हो चुकी परियोजनाएं) (ब्याज-पूरी हो चुकी परियोजनाएं)(असुरक्षित लेकिन अच्छा समझा जाता है) रेल मंत्रालय से वसूलनीय | | 8,924,731 | | |
| (ग) | कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम | | 96,12,360 | 1,30,45,298 | |
| | प्रतिभूति जमाराशि | | 3,36,37,104 | 5,86,56,204 | |
| () | | | 4,65,38,74,527 | 4,44,64,79,216 | |
| 10. | अन्य गैर—चालू परिसंपत्तियां | | | | |
| | अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां | | | | |
| | अथशेष | | 4,78,43,69,903 | | |
| | जोड़ेः अवधि के दौरान अंतरण | | 1,75,61,35,640 | 534,59,53,059 | |
| | घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन | | (79,25,45,051) | | |
| | घटाएं: 12 महीनों में किया गया पुनर्भुगतान | | (7,6,33,21,881) | 56,15,83,156 | |
| | | | 4,98,46,38,611 | 4,78,43,69,903 | |



| S. No. | Particulars | as at M Rupees (₹) | arch 31, 2015 Rupees(₹) | as at Mar Amount (₹) | ch 31, 2014 Amount (₹) |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 8 | Non-current investment | | | | |
| | Fully paid up Equity Share in Incorporated Joint Ventures (unquoted-at-cost) | | | | |
| | Kutch Railways Company Limited | | | | |
| | 10,00,00,000 Equity Share of ₹10 Each fully paid up & | | 1,00,00,00,000 | | 1,00,00,00,000 |
| | 2,50,00,000 Bonus Shares of ₹10 Each fully paid up | | | | |
| | Haridaspur Paradip Railways Company Limited, 17,00,00 Equity Share of ₹10 Each fully paid up | ,000 | 1,70,00,00,000 | | 2,50,000 |
| | Krishnapatnam Railways Company Limited, 8,10,00,000 Equity Share of ₹10 Each fully paid up | | 81,00,00,000 | | 81,00,00,000 |
| | Bharuch Dahej Railways Company Limited, 5,50,00,000 E Share of ₹10 Each fully paid up | Equity | 55,00,00,000 | | 55,00,00,000 |
| | Angul Sukinda Railways Company Limited, | | | | |
| | 18,90,00,000 Equity Share of ₹10 Each fully paid up & | | 1,89,00,00,000 | | 80,71,73,250 |
| | Fully paid up Equity Share in Subsidiary Company (unqu (Out of Company's Fund) | uoted-at-cost) | | | |
| | High Speed Rail Corporation of India Limited | | 10,74,110 | | 5,00,000 |
| | 1,07,411 Equity share of ₹10 Each fully paid up | | | | |
| | Share Application Money pending Allotment | | | | |
| | Haridaspur Paradip Railway Company Limited | | | | 1,69,97,50,000 |
| | | | - | 169,97,50,000 | |
| | | | 5,95,10,74,110 | | 4,86,76,73,250 |
| 9 | Long Term Loans & Advances | | | | |
| (a) | Recoverable from Ministry of Railways (For On Going Proj (Interest Accrued but not due) (Unsecured, considered good | | 46,01,7,00,332 | | 4,37,47,77,714 |
| (b) | Recoverable from Ministry of Railways (Competed Project (Interest -Completed Projects) (Unsecured, considered go | | 8,924,731 | | |
| (c) | Employees Loan & Advances | | 96,12,360 | | 1,30,45,298 |
| (d) | Security Deposits | | 3,36,37,104 | | 5,86,56,204 |
| | | | 4,65,38,74,527 | | 4,44,64,79,216 |
| 10. | Other Non-Current Assets | | | | |
| | Lease Receivables | | | | |
| | Opening Balance | | 4,78,43,69,903 | | |
| | Add: Transfer during the Period | | 1,75,61,35,640 | | 534,59,53,059 |
| | Less: Adjustment during the year | | (79,25,45,051) | | |
| | Less: Repayment to be made within 12 months | | (7,6,33,21,881) | | 56,15,83,156 |
| | | | 4,98,46,38,611 | | 4,78,43,69,903 |

| क्र. सं | विवरण | 01.04.2014 को अथशेष | 01.04.2014 से 31.03.2015 तक अधिवृद्धि | 01.04.2014 से 31.03.2015 तक अंतरित परियोजनाएं | 31 मार्च, 2015 को | 31 मार्च, 2014 को |
|------------|---|------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| | | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) |
| 11 | चालू परियोजना कार्य | | | | | |
| 1 | सिविल कार्य | | | | | |
| | पुल | 1811,19,56,762 | 569,03,52,432 | 49,24,65,948 | 2330,98,43,246 | 1811,19,56,762 |
| | सिविल कार्य | 184,23,86,092 | (184,173,273) | 46,37,57,878 | 119,44,54,941 | 184,23,86,092 |
| | प्रारंभिक परियोजना व्यय | 72,61,81,059 | 26,19,70,048 | 1,20,03,014 | 97,61,48,093 | 72,61,81,059 |
| | उपकरण प्लांट एवं मशीनरी | 17,50,83,196 | 132,487,618 | 121,782,070 | 18,57,88,744 | 17,50,83,196 |
| | फार्मेशन | 889,64,30,882 | 284,03,76,180 | 458,871,838 | 1127,79,35,225 | 889,64,30,882 |
| | भूमि | 134,43,41,491 | 36,92,68,359 | (62,790,560) | 177,64,00,410 | 134,43,41,491 |
| | रेलपथ | 2932,50,59,458 | 869,95,07,728 | 1,834,131,766 | 3619,04,35,420 | 2932,50,59,458 |
| | विस्तृत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग (सिविल) | 94,058,420.89 | 3,12,32,111 | 4,489,434 | 12,08,01,098 | 9,40,58,421 |
| | स्टेशन भवन | 503,34,00,705 | 231,84,97,042 | 743,717,844 | 660,81,79,903 | 503,34,00,705 |
| | कुल सिविल कार्य (क) | 6554,88,98,066 | 2015,95,18,246 | 4,068,429,232 | 8163,99,87,080 | 6554,88,98,066 |
| 2 | सिगनल एवं दूरसंचार कार्य | | | | | |
| | विस्तृत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग | 24,77,21,684 | 5,72,893 | 3,666,481 | 24,46,28,096 | 24,77,21,684 |
| | सिगनल व्यवस्था | 261,22,01,279 | 123,16,69,861 | 146,981,624 | 369,68,89,516 | 261,22,01,279 |
| | दूरसंचार व्यवस्था | 8,70,92,387 | 1,52,69,661 | 1,217,983 | 10,11,44,065 | 8,70,92,387 |
| | सिगनल एवं दूरसंचार कार्य | 495,75,61,272 | 54,37,77,739 | 273,833,808 | 522,75,05,203 | 495,75,61,272 |
| | कुल सिगनल एवं दूरसंचार कार्य (ख) | 790,45,76,622 | 179,12,90,154 | 425,699,896 | 927,01,66,880 | 790,45,76,622 |
| 3 | इलेक्ट्रिकल कार्य | | | | | |
| | सामान्य विद्युतीकरण | 362,74,59,927 | 116,09,82,692 | 19,71,38,522 | 459,13,04,097 | 362,74,59,927 |
| | विस्तृत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल | 7) 20,527,512.49 | 2,86,52,080 | | 4,91,79,593 | 2,05,27,512 |
| | शिरोपरित विद्युत उपस्कर | 913,88,47,418 | 244,67,18,435 | 11,84,26,559 | 1146,71,39,295 | 913,88,47,418 |
| | कुल इलेक्ट्रिकल कार्य (ग) | 1278,68,34,857 | 363,63,53,208 | 31,55,65,081 | 1610,76,22,985 | 1278,68,34,857 |
| 4 | निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्य | य | | | | |
| | अथशेष | 141,73,54,454 | | 11,32,81,305 | 144,15,93,581 | 141,73,54,454 |
| | परियोजना संबंधी प्रत्यक्ष व्यय | | | | | 0 |
| | परियोजना प्रबंधन परामर्श | 366,489,558 | 67,73,09,948 | 7,22,83,423 | 60,50,26,525 | 36,64,89,558 |
| | रेलों को निदेश एवं सामान्य प्रभार | 32,936,160 | 3,79,76,019 | 2,775,500 | 3,52,00,519 | 3,29,36,160 |
| | निर्माण अवधि के दौरान कुल आकस्मिक व्यय | 181,67,80,172 | 71,52,85,967 | 18,83,40,228 | 208,18,20,625 | 181,67,80,172 |
| | घटाएं: अग्रिम व्यवस्था पर ब्याज | 261,905,286 | 44,87,79,272 | 6,627,055 | 44,21,52,217 | 26,19,05,286 |
| | शुद्ध आकस्किम व्यय का प्रत्येक परियोजना पर किए गए खर्च के अनुपा में परियोजनाओं को विभाजित (घ) | 155,48,74,886 त | 26,65,06,695 | 18,17,13,173 | 1,639,668,408 | 155,48,74,886 |



| SI No. | Particulars | Opening Balance as at 01.04.2014 | Addition from 01.04.2014 to 31.03.2015 | Project Transferred from 1.4.2014 to 31.03.2015 | As at March 31, 2015 | As at March 31, 2014 |
|-----------|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| | | Rupees(₹) | Rupees(₹) | Rupees(₹) | Rupees(₹) | Rupees(₹) |
| 11 | Project Work-in-Progress | | | | | |
| 1 | Civil Works | | | | | |
| | Bridges | 1811,19,56,762 | 569,03,52,432 | 49,24,65,948 | 2330,98,43,246 | 1811,19,56,762 |
| | Civil Works | 184,23,86,092 | (184,173,273) | 46,37,57,878 | 119,44,54,941 | 184,23,86,092 |
| | Preliminary Project Expenditure | 72,61,81,059 | 26,19,70,048 | 1,20,03,014 | 97,61,48,093 | 72,61,81,059 |
| | Equipments Plants and Machinery | 17,50,83,196 | 132,487,618 | 121,782,070 | 18,57,88,744 | 17,50,83,196 |
| | Formation | 889,64,30,882 | 284,03,76,180 | 458,871,838 | 1127,79,35,225 | 889,64,30,882 |
| | Land | 134,43,41,491 | 36,92,68,359 | (62,790,560) | 177,64,00,410 | 134,43,41,491 |
| | Permanent Way | 2932,50,59,458 | 869,95,07,728 | 1,834,131,766 | 3619,04,35,420 | 2932,50,59,458 |
| | Detailed Design & Engineering (Civil) | 94,058,420.89 | 3,12,32,111 | 4,489,434 | 12,08,01,098 | 9,40,58,421 |
| | Station Buildings | 503,34,00,705 | 231,84,97,042 | 743,717,844 | 660,81,79,903 | 503,34,00,705 |
| | Total Civil Work (A) | 6554,88,98,066 | 2015,95,18,246 | 4,068,429,232 | 8163,99,87,080 | 6554,88,98,066 |
| 2 | S & T Work | | | | | |
| | Detailed Design & Engineering | 24,77,21,684 | 5,72,893 | 3,666,481 | 24,46,28,096 | 24,77,21,684 |
| | Signaling Arrangement | 261,22,01,279 | 123,16,69,861 | 146,981,624 | 369,68,89,516 | 261,22,01,279 |
| | Telecommunication Arrangement | 8,70,92,387 | 1,52,69,661 | 1,217,983 | 10,11,44,065 | 8,70,92,387 |
| | Signaling & Telecom Works | 495,75,61,272 | 54,37,77,739 | 273,833,808 | 522,75,05,203 | 495,75,61,272 |
| | Total S & T Work (B) | 790,45,76,622 | 179,12,90,154 | 425,699,896 | 927,01,66,880 | 790,45,76,622 |
| 3 | Electrical Works | | | | | |
| | General Electrification | 362,74,59,927 | 116,09,82,692 | 19,71,38,522 | 459,13,04,097 | 362,74,59,927 |
| | Detailed Design & Engineering (Electrical) | 20,527,512.49 | 2,86,52,080 | | 4,91,79,593 | 2,05,27,512 |
| | Overhead Electric Equipment | 913,88,47,418 | 244,67,18,435 | 11,84,26,559 | 1146,71,39,295 | 913,88,47,418 |
| | Total Electrical Work (C) | 1278,68,34,857 | 363,63,53,208 | 31,55,65,081 | 1610,76,22,985 | 1278,68,34,857 |
| 4 | Incidental Expenditure during Construction Period | | | | | |
| | Opening Balance | 141,73,54,454 | | 11,32,81,305 | 144,15,93,581 | 141,73,54,454 |
| | Project related Direct Expenditure | | | | | 0 |
| | Project management Consultancy | 366,489,558 | 67,73,09,948 | 7,22,83,423 | 60,50,26,525 | 36,64,89,558 |
| | Direction & General Charges to Railways | 32,936,160 | 3,79,76,019 | 2,775,500 | 3,52,00,519 | 3,29,36,160 |
| | Total Incidental Expenditure During Construction Period | 181,67,80,172 | 71,52,85,967 | 18,83,40,228 | 208,18,20,625 | 181,67,80,172 |
| | Less: Interest on Mobilisation Advance | 261,905,286 | 44,87,79,272 | 6,627,055 | 44,21,52,217 | 26,19,05,286 |
| | Net Incidental expenditure Apportioned to Projects in the ratio of spending on individual projects to project expenditure (D) | 155,48,74,886 | 26,65,06,695 | 18,17,13,173 | 1,639,668,408 | 155,48,74,886 |



| क्र. सं | विवरण | 01.04.2014 को अथशेष | 01.04.2014 से 31.03.2015 तक अधिवृद्धि | 01.04.2014 से 31.03.2015 तक अंतरित परियोजनाए | 31 मार्च, 2015 को रं | 31 मार्च, 2014 को |
|------------|---|------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|
| | | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) |
| 5 | अन्य | | | | | |
| | आवंटन लंबित व्यय | 40,26,73,572 | 128,163,606 | - | 53,08,37,178 | 40,26,73,572 |
| | शुद्ध परियोजना निष्पादन आय | 457,21,07,541 | 218,87,19,861 | 23,40,08,012 | 652,68,19,390 | 457,21,07,541 |
| | कुल अन्य (ड़) | 497,47,81,113 | 231,68,83,467 | 23,40,08,012 | 705,76,56,568 | 497,47,81,113 |
| | | | | | | |
| | कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं | 9276,99,65,546 | 2817,05,51,769 | 522,54,15,394 | 11571,51,01,921 | 9276,99,65,546 |
| | घटाएंः निर्गत सामग्री से जमा | 7,60,725 | 1,500 | 411,539 | 350,686 | 7,60,725 |
| | घटाएं: अंतरित परियोजनाओं पर परिनिध | र्गारित क्षति 1,64,700 | | 67,013,283 | 67,177,983 | 1,64,700 |
| | रेल मंत्रालय के लिए कुल निर्माणार्ध परियोजनाएं | ोन 9276,90,40,121 | 2817,05,50,269 | 529,20,17,138 | 11564,75,73,252 | 9276,90,40,121 |

- 1 भूमि अधिग्रहण के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा संबंधित प्राधिकरणों को किए गए भुगतान को चालू निर्माण कार्यों मेंशामिल किया गया है। इस कार्य के लिए कुल ₹177,64,00,410 (पिछले वर्ष ₹134,43,41,491) का भुगतान किया गया है। इस प्रकार से अधिगृहीत भूमि संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के नाम पर दर्ज है।
- 2 कंपनी द्वारा रेल मंत्रालय की परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। इनमें से कुछ परियोजननाएं ऐसी है जिन्हें प्रारंभ में कंपनी को हस्तांतरित किया गया था किंतु उन पर निर्माण कार्य पहले से चालू था और इन परियोजनाओं को हस्तांतरण से पहले कुछ क्षेत्रीय रेलों द्वारा इन पर धनराशि व्यय की गई थी। कंपनी के गठन से पहले इन परियोजनाओं पर संबंधित क्षेत्रोां रेलों द्वारा व्यय की गई राशि को लेखों में नहीं दर्शाया गया है।
- 3 प्रबंधन के अनुसार चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम के मुल्य, सामान्य व्यवसाय की स्थिति में तुलन पत्र में उल्लिखित मुल्य से कम नहीं होगी।
- 4 "निविदा की शर्तों के अनुसार अग्रिम व्यवस्था के लिए देय ब्याज की रिकवरी ठेकेदारों से की जा रही है।"
- 5 क्षेत्रीय रेलों को पूरी परियोजना के सौंपने / चालू हो जाने और जहां परियोजना के लिए बुक व्यय वित्तीय वर्ष के अंत में कार्य की प्रत्याशित लागत के कम से कम 95 प्रतिशत हो, इसे लेखों में परियोजनाएं के वित्तीय अंतरण को पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के अंतरण के लिए रेल मंत्रालय के दिनांक 17.12.2013 के संयुक्त पद्धित आदेश के पैरा 5.1.1 के अनुपालन में किया गया है।

| क्र. विवरण · | 31 मार्च, 2015 को | 31 मार्च, 2014 को |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| सं. | राशि (₹) | राशि (₹) |
| 12 व्यापार प्राप्य | | |
| (क) छः माह से अधिक | | |
| असुरक्षित किंतु बेहतर समझा जाता है | 61,87,15,823 | 37,26,07,957 |
| (ख) अन्य (छः माह से कम) | | |
| असुरक्षित किंतु बेहतर समझा जाता है | 129,04,90,730 | 25,26,36,138 |
| | 190,92,06,553 | 62,52,44,095 |
| 13 नकदी और बैंक शेष | | |
| नकदी एवं समतुल्य | | |
| (i) बैंकों में अथशेष | | |
| चालू खाता | 101,88,62,384 | 158,25,76,160 |
| सावधि जमाएं (परिपक्वता ३ माह से कम) | 704,00,00,000 | 646,00,00,000 |
| (ii) चैक—इन—हैंड | - | 68,49,38,000 |
| (iii) पेशगी | 9,92,932 | 9,79,140 |
| | 805,98,55,316 | 872,84,93,300 |



| SI No. | Particulars | Opening Balance as at 01.04.2014 | | Project Transferre from 1.4.2014 to 31.03.2015 | d As at March 31, 2015 | As at March 31, 2014 |
|-----------|---|-------------------------------------|----------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 5 | Others | | | | | |
| | Expenditure Pending Allocation | 40,26,73,572 | 128,163,606 | - | 53,08,37,178 | 40,26,73,572 |
| | Management fees | 457,21,07,541 | 218,87,19,861 | 23,40,08,012 | 652,68,19,390 | 457,21,07,541 |
| | Total Others (E) | 497,47,81,113 | 231,68,83,467 | 23,40,08,012 | 705,76,56,568 | 497,47,81,113 |
| | | | | | | |
| | Total Project Work in Progress | 9276,99,65,546 | 2817,05,51,769 | 522,54,15,394 | 11571,51,01,921 | 9276,99,65,546 |
| | Less: Credit from Release Material | 7,60,725 | 1,500 | 411,539 | 350,686 | 7,60,725 |
| | Less: Deposit (LD, Penalty & Misc Depo | osit) 1,64,700 | - | 67,013,283 | 67,177,983 | 1,64,700 |
| | | | | | | |
| | Net Project Work in Progress for MOR Projects | 9276,90,40,121 | 2817,05,50,269 | 529,20,17,138 | 11564,75,73,252 | 9276,90,40,121 |

- 1 Land cost included in Project Work in Progress represents payments made through various Zonal Railways/ to concerned authority for the purpose of acquisition of land. The total payment made amounts to ₹177,64,00,410 (Previous year: ₹134,43,41,491). The land so acquired is in the name of the concerned Zonal Railway.
- The Company is executing projects assigned by MOR. In some of the projects, initially transferred to the Company, work was already in progress and some of the Zonal Railways had incurred expenditure on those projects prior to their transfer to the Company. The expenditure made by the concerned Railways prior to the formation of the Company has not been taken into account.
- In the opinion of the Management, the value of current assets, loans and advances on realization in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these have been stated in the Balance Sheet.
- 4 Interest on mobilization Advance, recovered from the Contractors as per the terms and conditions of the contract, is being credited to the project.
- In Compliance of para 5.1.1 of joint procedure order of MoR dated 17/12/2013 for transfer of completed projects financial transfers of projects have been carried out in the accounts after handing over / commissioning of the full project to the Zonal Railway and where the expenditure booked against the project at the end of the financial year is at least 95 % of the latest anticipated cost of the work.

| S. No. | Particulars | as at March 31, 2015 Rupees(₹) | as at March 31, 2014 Amount (₹) |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 12 | Trade Receivables | | |
| (a) | More than 6 months | | |
| | Unsecured-Considered good | 61,87,15,823 | 37,26,07,957 |
| (b) | Other (less than 6 months) | | |
| | Unsecured-Considered good | 129,04,90,730 | 25,26,36,138 |
| | | 190,92,06,553 | 62,52,44,095 |
| 13 | Cash and Bank Balances | | |
| | Cash and Cash Equivalent | | |
| (i) | Balances with Bank | | |
| | Current Account | 101,88,62,384 | 158,25,76,160 |
| | Fixed Deposits (Maturity less than 3 Mor | nths) 704,00,00,000 | 646,00,00,000 |
| (ii) | Cheque-in-Hand | - | 68,49,38,000 |
| (iii) | Imprest | 9,92,932 | 9,79,140 |
| | | 805,98,55,316 | 872,84,93,300 |
| | | | |



| क्र. विवरण सं. | 31 मार्च, 2015 को राशि (₹) | 31 मार्च, 2014 को राशि (₹) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| अन्य बैंक शेष | vivi (v) | |
| (i) बैंकों में अथशेष | | |
| अनुसूचित बैंकों में टर्म डिपोजिट | 485,00,00,000 | 356,00,00,000 |
| 31312 111 1 3 1 13 111 13 | 4,850,000,000 | 356,00,00,000 |
| | 1290,98,55,316 | 1228,84,93,300 |
| 14 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम | | <i>in hand</i> |
| नकीदी अथवा किसी अन्य तरीके से अथवा मूल्य के बराबर प्राप्त अग्रिमः (असुरक्षित किंतु बेहतर समझा जाता है) | | |
| (क) रेल मंत्रालय से वसूलनीय (ब्याज) (चालू परियोजनाएं) | 159,07,51,201 | 217,23,63,489 |
| (ख) रेल मंत्रालय से वसूलनीय (चालू परियोजनाएं) | 545,499,372 | - |
| (ग) सावधि जमाओं पर उपार्जित ब्याज | 3,68,99,993 | 10,47,50,408 |
| (घ) अग्रिम व्यवस्था पर उपार्जित ब्याज | 6,99,97,065 | 4,23,63,241 |
| (ड़) प्रतिभूमि जमा | 41,80,678 | 21,57,375 |
| (च) अग्रिम कर और स्त्रोत पर कर कटौती | 26,31,88,848 | 21,36,29,701 |
| (छ) अन्य | 13,62,07,950 | 4,51,62,737 |
| | 264,67,25,107 | 258,04,26,951 |
| 15 परियोजना कार्य के लिए अग्रिम | | |
| (क) क्षेत्रीय रेलों को अग्रिम | 92,57,00,507 | 65,58,51,822 |
| (ख) स्लीपरों के लिए अग्रिम | 124,81,36,448 | 104,61,73,445 |
| (ग) अग्रिम व्यवस्था | 266,68,04,431 | 336,02,94,756 |
| (घ) अन्य अग्रिम | 380,09,28,297 | 203,38,18,388 |
| | <u>864,15,69,683</u> | <u>709,61,38,411</u> |
| 16 अन्य चालू परिसंपत्तियां | | |
| लीज प्राप्य | | |
| अथशेष | 56,15,83,156 | - |
| जोड़ः वर्ष के दौरान वृद्धि | 76,33,21,881 | 56,15,83,156 |
| घटाएं: 12 माह के भीतर किया जाने वाला पुनर्भुगतान | 572,733,724 | |
| | 75,21,71,313 | 56,15,83,156 |



| S. No | Particulars | as at March 31, 2015 Rupees(₹) | as at March 31, 2014 Rupees(₹) |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Other Bank Balances | () | - (-) |
| (i) | Balances with Bank | | |
| (-) | Term Deposit in Schedule Bank | 485,00,00,000 | 356,00,00,000 |
| | 4, | 4,850,000,000 | 356,00,00,000 |
| | | 1290,98,55,316 | 1228,84,93,300 |
| 14 | Short Term Loan & Advances | | |
| | Advance Receivable in Cash or in kind or for value to be Received: (Unsecured, considered good) | | |
| (a) | Recoverable from Ministry of Railway (Interest) (On going Projects) | 159,07,51,201 | 217,23,63,489 |
| (b) | Recoverable from Ministry of Railway (Completed Projects) | 545,499,372 | - |
| (c) | Interest accrued on Fixed Deposit | 3,68,99,993 | 10,47,50,408 |
| (d) | Interest accrued on Mobilization Advance | 6,99,97,065 | 4,23,63,241 |
| (e) | Security Deposit | 41,80,678 | 21,57,375 |
| (f) | Advance Tax and Tax Deducted at Source | 26,31,88,848 | 21,36,29,701 |
| (g) | Others | 13,62,07,950 | 4,51,62,737 |
| | | 264,67,25,107 | 258,04,26,951 |
| 15 | Advances for Project Work | | |
| (a) | Advances to Zonal Railways | 92,57,00,507 | 65,58,51,822 |
| (b) | Advances for Sleepers | 124,81,36,448 | 104,61,73,445 |
| (c) | Mobilisation Advances | 266,68,04,431 | 336,02,94,756 |
| (d) | Other Advances | 380,09,28,297 | 203,38,18,388 |
| | | 864,15,69,683 | 709,61,38,411 |
| 16 | Other Current Assets | | |
| | Lease Receivables | | |
| | Opening Balance | 56,15,83,156 | - |
| Ado | : Transfer during the Period | 76,33,21,881 | 56,15,83,156 |
| Les | s: Repayment to be made within 12 months | 572,733,724 | |
| | | 75,21,71,313 | 56,15,83,156 |



| क्र. विवरण | 31.03.2015 | के अंत में आंकड़े | 31.03.2014 | के अंत में आंकड़े |
|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| सं. | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) |
| 17 परिचालन से राजस्वः | | | | |
| (चालू निर्माण कार्य (परियोजना गतिविधियां) से टर्नओवर | | | | |
| - रेल मंत्रालय परियोजनाओं से | 2425,63,45,480 | | 1925,91,77,258 | |
| - रेल मंत्रालय मेट्रो परियोजनाओं से | 351,89,33,068 | | 297,23,75,292 | |
| - रेल मंत्रालय राष्ट्रीय परियोजनाओं से | 11,60,19,730 | | 2,51,59,007 | |
| - रेल मंत्रालय परियोजनाओं से (क्षेत्रीय रेलों द्वारा | | | | |
| निष्पादित) । | 279,251,991 | | 92,96,25,958 | |
| - निक्षेप कार्य से – परियोजना (एसपीवी) | 273,14,22,238 | | 135,63,46,344 | |
| - निक्षेप कार्य से – परियोजना (अन्य) | 51,77,22,431 | 3141,96,94,938 | 38,09,77,480 | 2492,36,61,338 |
| | | 3141 96 94 938 | | 2492 36 61 338 |

रेलवे बोर्ड के दिनांक 04.01.2012 के पत्र सं. 2004 / डब्ल्यू—1 / रेविनिलि / 15 के अनुसार रेविनिलि द्वारा समेकित प्रबंधन शुल्क की गणना रेल मंत्रालय की मेट्रो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रेविनिलि द्वारा व्यय राशि का 9.25 प्रतिशत, अन्य योजना शीर्ष के मामलें 8.5 प्रतिशत और राष्ट्रीय परियोजना के मामले में 10 प्रतिशत की दर से की जाएगी। रेल मंत्रालय के निदेशों के अनुसार परियोजना प्रबंधन से संबंधित सभी प्रकार के परामर्शी व्यय को प्रत्यक्ष रूप से परियोजना से प्रभारित किया जा रहा है। रेलवे को परियोजना लागत का अधिकतम 0.25 प्रतिशत देय डीएंडजी प्रभार को संबंधित जोनल रेलवे को वास्तव में रिलीज किए जाने वाले फंड के परियोजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटित किया गया है। डीएंडजी (पर्यवेक्षण) व्यय को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जा रहा है। निविदा फार्मों की बिक्री और अन्य आय जैसी विविध प्राप्तियों को लाभ एवं हानि खाता में क्रेडिट किया गया है।

18 अन्य आय

| | | 96,05,10,638 | | 105,10,76,409 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (ग) विविध आय | | 1,71,90,342 | | 74,31,223 |
| (ख) लाभांश आयः | | 5,00,00,000 | | 17,50,00,000 |
| – अन्य–सकल | 6,96,02,457 | 89,33,20,296 | 11,29,97,871 | 86,86,45,186 |
| – बैंक –सकल | 82,37,17,839 | | 75,56,47,315 | |
| (क) ब्याज आय | | | | |

अन्य से प्राप्त ब्याज में विशेष प्रयोजन परियोजनाओं (एसपीवी) के नाम बकाया अथशेष पर प्राप्त ब्याज सम्मिलित हैं।

19 परिचालन व्यय

(निर्माण और परियोजना संबंधित गतिविधियों पर प्रत्यक्ष व्यय)

| – निक्षेप कार्य से – परियोजना (अन्य) | 47,80,84,366 | 2890,81,14,305 | 35,03,66,263 | 2310,22,61,029 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| – निक्षेप कार्य से – परियोजना (एसपीवी) | 244,81,99,531 | | 124,39,15,366 | |
| – रेल मंत्रालय परियोजनाओं से (क्षेत्रीय रेलों द्वार | ग निष्पादित) 279,251,991 | | 92,96,25,958 | |
| – रेल मंत्रालय राष्ट्रीय परियोजनाओं से | 10,54,72,482 | | 2,28,71,824 | |
| – रेल मंत्रालय मेट्रो परियोजनाओं से | 320,97,15,718 | | 272,07,09,649 | |
| – रेल मंत्रालय परियोजनाओं से | 2238,73,90,218 | | 1783,47,71,969 | |
| · | • | | | |

- 1. कंपनी द्वारा जारी संविदा के अंतर्गत चालू निर्माण कार्यों पर हुए व्यय की पहचान इंजीनियर के माप एवं जांच प्रमाणपत्र के बाद ही किया गया है।
- रेल मंत्रालय की परियोजनाओं पर कंपनी की ओर से क्षेत्रीय रेलों द्वारा परियोजना निष्पादन पर व्यय राशि की गणना संबंधिवत क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त अनुमानित व्यय विवरण के आधार पर किया जाता है और फाइनल व्यय विवरण प्राप्त हो जाने पर आवंबटन के हिसाब से सामायोजित किया जाता है।
- 3. वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजनाएं जो यातायात के लिए खोल दी गई है / जिनका कार्य पूरा हो चुका है और रेलों को प्रस्तुत की गई वे ₹522,50,03,855 (पिछले वर्ष ₹1912,78,12,305) है। उसमें से रेल मंत्रालय के स्रोतों से वित्तपोषित पूरी हो चुकी परियोजनाओं की कीमत ₹346,88,68,216 (पिछले वर्ष ₹1212,65,06,175) और भारेविनि द्वारा वित्तपोषित ₹175,61,35,640 (पिछले वर्ष ₹700,13,06,130) है।
 - रेल मंत्रालय की परियोजनाओं के लिए वित्तीय समायोजनों को तुलन पत्र में क्रमशः परियोजना अग्रिम (पूंजी) और परियोजना अग्रिम (पूंजी निधि) में अग्रेषित किया गया है परिणामस्वरूप ऋण निधियों और चालू परियोजना कार्य में ₹522,50,03,855 (पिछले वर्ष ₹700,13,06,130) की कमी आई और लीज प्राप्य के रूप में तदनुरूपी परिसंपत्तियों का सृजन रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए पद्धति आदेश और लीज के लिए लेखाकरण मानकों के अनुसार किया गया।
 - चूंकि अभी भी कुछ छुटपुट कार्यों को किया जाना शेष है, वित्तीय समायोजन की तिथि के बाद परियोजनाओं पर वहन किया गया व्यय कार्य पूरा होने के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के समय क्लीयर किया जाएगा।



| S. | Particulars | Figures for the year | r ended 31.03.2015 | Figures for the year | ended 31.03.2014 |
|----|--|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| No | | Rupees (₹) | Rupees (₹) | Rupees (₹) | Rupees (₹) |
| 17 | Revenue from Operation: | | | | |
| | (Turnover from Construction Work in Progress (Project Activity)) | | | | |
| | - From MoR Projects | 2425,63,45,480 | | 1925,91,77,258 | |
| | - From MoR Metro Projects | 351,89,33,068 | | 297,23,75,292 | |
| | - From MoR National Projects | 11,60,19,730 | | 2,51,59,007 | |
| | - From MoR Projects (Executed by Zonal | | | | |
| | Railways) | 279,251,991 | | 92,96,25,958 | |
| | - From Deposit Work - Projects (SPV) | 273,14,22,238 | | 135,63,46,344 | |
| | - From Deposit Work - Project (Others) | 51,77,22,431 | 3141,96,94,938 | 38,09,77,480 | 2492,36,61,338 |
| | | | 3141,96,94,938 | | 2492,36,61,338 |

In accordance with Railway Board's letter No. 2004/W-1/RVNL/15 dated 04.01.2012 RVNL has accounted Consolidated Management fee @ 9.25% in case of Metro Projects, 8.5% in case of Other Plan Heads and 10% in case of National Projects on the expenditure incurred by RVNL on MoR projects. As per the directions of MoR, all expenditure in the nature of consultancies related to Project Management are being charged directly to project. D&G charges payable to Railway up to 0.25 % of cost of projects are allocated to the projects on actual funds released to the respective Zonal Railway, Expenditure incurred on D&G (Supervision) are being charged to the Profit & Loss account. The miscellaneous receipts from sale proceeds of Tender and other income has been credited to the P&L account.

18 Other income

| | | 96,05,10,638 | | 105,10,76,409 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (c) Misc Income | | 1,71,90,342 | | 74,31,223 |
| (b) Dividend income: | | 5,00,00,000 | | 17,50,00,000 |
| - Others - Gross | 6,96,02,457 | 89,33,20,296 | 11,29,97,871 | 86,86,45,186 |
| - Banks - Gross | 82,37,17,839 | | 75,56,47,315 | |
| (a) Interest income | | | | |

Interest from others" includes interest from Special Purpose Vehicles (SPVs) against balances outstanding.

19 Expenses on Operations

(Direct Expenses on Construction and Project related Activity)

| | | 2890,81,14,305 | | 2310,22,61,029 |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| - Incurred on Deposit Work - Projects (Others) | 47,80,84,366 | 2890,81,14,305 | 35,03,66,263 | 2310,22,61,029 |
| - Incurred on Deposit Work - Projects (SPV) | 244,81,99,531 | | 124,39,15,366 | |
| - Incurred on Projects (Zonal Railway) | 279,251,991 | | 92,96,25,958 | |
| - Incurred on MoR National Projects | 10,54,72,482 | | 2,28,71,824 | |
| - Incurred on MoR Metro Projects | 320,97,15,718 | | 272,07,09,649 | |
| - Incurred on MoR Projects | 2238,73,90,218 | | 1783,47,71,969 | |
| (= | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |

- 1 Expenditure on Work in Progress against contracts awarded by the Company is recognized on completion of measurements and testing certified by the Engineer.
- Expenditure of execution of projects done by the Zonal Railways on behalf of the Company on MOR projects is accounted for on the basis of statement of estimated expenditure received from respective Zonal Railways and is adjusted allocation-wise as and when the final expenditure statement is received.
- 3. The value of projects commissioned / completed and put to use by Railways during financial year are ₹522,50,03,855 (Previous year ₹1912,78,12,305). Out of the same, the value of completed projects funded through MOR sources are of ₹346,88,68,216 (previous year ₹1212,65,06,175) and IRFC funded are of ₹175,61,35,640 (previous year ₹700,13,06,130). The financial adjustments for MoR projects have been carried out against Project Advance (Capital) and Project Advance (Capital Fund) respectively in the Balance Sheet leading to a reduction in Loan Funds and Project Work in Progress to the tune of ₹522,50,03,855 (previous year ₹1912,78,12,305). Further with regard to IRFC funded projects, Project Work in Progress has been reduced by the amount of ₹175,61,35,640 (Previous Year 700,13,06,130) and corresponding asset as Lease Receivable has been created in accordance with the procedure order finalized by MoR and in accordance with Accounting Standard for lease. As some minor works may still be required, the expenditure incurred on projects subsequent to the date of financial adjustments will be cleared at the time of drawing the completion reports. "



| क्र. विवरण सं. | 31.03.2015 के अंत में आंकड़े राशि (₹) राशि (₹) | 31.03.2014 के अंत में आंकड़े राशि (₹) राशि (₹) |
|--|---|--|
| 4 रेविनिलि के राजस्व भाग के यौक्तिकरण से परियोजनाओं को र्स दिनांक 04.01.2012 के पत्र सं. 2004 / डब्ल्यू–1 / रेविनिलि / 15 | ोधे आबंटन किए जाने योग्य पर्यवेक्षण और निगरान , क्षेत्रीय रेलों के व्यय की बुकिंग के पैटर्न और साम | ी पर वहन किए गए व्यय को रेलवे बोर्ड के ान्य लेखाकरण पद्धतियों के अनुसार समीक्षा |
| की गई है। निक्षेप कार्यों (एसपीवी और अन्य) पर निष्पादन संबंधी | इस खाते पर वहन किया गया व्यय लाभ एवं हानि | विवरण में प्रभारित किया गया है । |
| 20 कर्मचारी हितलाभ व्यय | | |
| (क) वेतन और मजदूरी | 63,28,86,427 | 51,65,89,984 |
| (ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान | 3,06,35,654 | 2,76,47,731 |
| (ग) कर्मचारी कल्याण व्यय | 8,50,66,490 | 2,98,26,755 |
| | 74,85,88,571 | 57,40,64,470 |
| 21 अन्य व्यय | | |
| (क) बिजली एवं ईंधन | 1,39,19,326 | 1,37,69,725 |
| (ख) किराया | 3,46,57,105 | 2,48,36,180 |
| (ग) दर एवं कर (आयकर को छोड़कर) | 10,000 | 2,000 |
| (घ) विविध व्यय | 47,53,602 | 1,53,62,625 |
| (ड़) लेखा परीक्षकों को भुगतान | | |
| (i) लेखा परीक्षक के रूप में | 505,620 | 370,788 |
| (ii) कर संबंधी मामलों के लिए | 196,630 | 112,360 |
| (iii) अन्य सेवाओं के लिए | 140,450 | 84,270 |
| (iv) अन्य व्यय | 78,079 | 75,600 |
| (च) विज्ञापन और व्यापार विपणन | 3,07,00,566 | 2,64,16,173 |
| (छ) परियोजना प्रबंधन परामर्श | 4,63,16,130 | 4,10,28,282 |
| (ज) प्रिंटिंग और स्टेशनरी | 1,95,40,309 | 1,75,01,077 |
| (झ)यातायात एवं स्थानीय कन्वेन्स | 1,93,68,810 | 1,84,95,672 |
| (ञ) संचार | 2,15,78,252 | 2,20,29,202 |
| (ट) पुस्तकें एवं आवधिक | 1,76,221 | 1,48,680 |
| (ठ) पूर्व अवधि मदें | - | 57,17,794 |
| (ड) पेशेवर फीस परामर्श | - | <u>-</u> |
| (ढ) कानूनी और पेशेवर प्रभार | 1,94,07,305 | 1,42,25,638 |
| (ण) परामर्श फीस | 2,04,21,109 | 1,23,24,761 |
| (त) अन्य व्यय | 2,74,45,920 | 1,68,48,958 |
| (थ) क्षेत्रीय रेलों को डीएंडजी | 29,00,000 | 4,80,000 |
| | 5,44,24,103 | |
| | 5,44,24,103) | |
| , | 26,21,15,433 | 22,98,29,785 |
| उपरोक्त वर्णित अवधि के लिए भारेविनि ऋण पर देय ब्याज / बकाय अर्थात अजमेर—फुलेरा—रिंगस—रेवाड़ी, को बंद कर दिया गया है। | | |
| 22 डीपीई दिशानिदेशों के अनुसार अन्य व्यय | | |
| (क) सीएसआर एवं सपोषणता व्यय | 4,54,47,097 | 5,27,12,644 |
| (ख) सीएसआर (पिछले वर्ष) | - | - |
| (ग) अनुसंधान और विकास व्यय | 1,02,88,002 | 1,23,54,686 |
| घटाएं: आरएंडी के लिए परियोजना को अंतरित | - | - |
| घटाएं: चालू पूंजीगत कार्य को अंतरित | (9,047,602) | (7,527,894) |
| - | 4,66,87,497 | 5,75,39,436 |



| With the rationalisation of the revenue stream of RVILL. the expenses incurred on supervision and monitoring directly allocable to the projects have been reviewed in terms of Railway Board's lettern 2004/W-1/RVII/15 diated 04/01/2012, the pattern of booking of expenditure on Zonal Railways and general accounting practises. The expenditure incurred on this account related to execution of Deposit Works (in SPV and others) have been diaryed to the Statement of Profit and Loss. 20 Employee benefits expenses (a) Salaries and Wages (b) Contribution to Provident & Other Funds (c) Staff Welfare Expenses (a) Salaries and Wages (c) Staff Welfare Expenses (a) Power & Fuel (a) Power & Fuel (b) Bent (c) Rates & Taxes (excluding income Tax) (c) Rates & Taxes (excluding income Tax) (d) Miscellaneous Expenditure (d) Miscellaneous Expenditure (e) Payment to Auditors (ii) For Taxation Matters (iii) For Taxation Matters (iii) For Taxation Matters (iii) For Taxation Matters (iii) For Depenses (iii) For Depenses (iii) For Depenses (iii) Profit Bandespense Promotion (iii) Advertisement and Business Promotion (iii) Advertisement and Business Promotion (iii) Profit Bandespense Promotion (iii) Profit Bandespense Promotion (iii) Profit Bandespense (iiii) Profit Bandespense (iii) Profit Bandespens | S. No | Particulars D. | Figures for the year e Rupees (₹) | nded 31.03.2015 Rupees (₹) | Figures for the year ended 31.03.2014 Rupees (₹) Rupees (₹) |
|--|----------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| (a) Salaries and Wages (b) Contribution to Provident & Other Funds (c) Staff Welfare Expenses. 2. | 4. | been reviewed in terms of Railway Board's letter no 20 and general accounting practises. The expenditure incl | 04/W-1/RVNL/15 dated | 04/01/2012, the pattern | of booking of expenditure on Zonal Railways |
| (b) Contribution to Provident & Other Funds (c) Staff Welfare Expenses. | 20 | Employee benefits expense | | | |
| Color Col | | . , | | | 51,65,89,984 |
| 1 | | (b) Contribution to Provident & Other Funds | | 3,06,35,654 | 2,76,47,731 |
| 2 | | (c) Staff Welfare Expenses. | | 8,50,66,490 | 2,98,26,755 |
| (a) Power & Fuel 1,39,19,326 1,37,69,725 (b) Rent 3,46,57,105 2,48,36,180 (c) Rates & Taxes (excluding Income Tax) 10,000 2,000 (d) Miscellaneous Expenditure 47,53,602 1,53,62,625 (e) Payment to Auditors 7505,620 370,788 (ii) For Taxation Matters 196,630 112,360 (iii) For Other Services 140,450 84,277 (iv) For Expenses 78,079 75,600 (f) Advertisement and Business Promotion 3,07,00,566 2,641,61,73 (g) Project Management Consultancy 4,63,16,130 4,10,28,282 (h) Printing and Stationery 1,95,40,309 1,75,010,07 (i) Travelling & Local Conveyance 1,93,68,810 1,84,95,672 (i) Communication 2,15,78,252 2,20,29,202 (k) Books & Periodicals (i) Prior Period Items (i) Prior Period Items 2,24,71,75 (ii) Professional Fees Consultancy 1,74,590 1,23,24,761 (ii) Consultant Fee (iii) Consultant F | | | | 74,85,88,571 | 57,40,64,470 |
| (b) Rent | 21 | | | | |
| (c) Rates & Taxes (excluding Income Tax) 10,000 2,000 (d) Miscellaneous Expenditure 47,53,602 1,53,62,625 (e) Payment to Auditors 370,788 (ii) For Taxation Matters 196,630 112,360 (iii) For Other Services 140,450 84,270 (iv) For Expenses 78,079 75,600 (j) Advertisement and Business Promotion 3,07,00,566 2,641,16,173 (g) Project Management Consultancy 4,63,16,130 4,10,28,282 (h) Printing and Stationery 1,93,68,810 1,84,95,672 (j) Communication 2,15,78,252 2,20,29,202 (k) Books & Periodicals 1,76,221 1,48,680 (j) Prior Period Items - - (m) Consultant Fee 2,04,21,109 1,23,24,761 (n) Consultant Fee 2,04,21,109 1,23,24,761 (o) Other expenses 2,74,45,920 1,84,895 (p) D & Gr Zonal Railway 29,00,000 4,80,000 (e) Interest on Loan from IRFC (Compete Project) 55,44,24,103 - Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44 | | (a) Power & Fuel | | 1,39,19,326 | 1,37,69,725 |
| (d) Miscellaneous Expenditure 47,53,602 1,53,62,625 (e) Payment to Auditors (c) Payment to Auditor (c) Payment to Auditors (c) | | (b) Rent | | 3,46,57,105 | 2,48,36,180 |
| (e) Payment to Auditors (i) As Auditor (i) As Auditor (ii) For Taxation Matters (iii) For Taxation Matters (iii) For Other Services (iii) For Other Services 140,450 (iii) For Expenses 78,079 75,600 (f) Advertisement and Business Promotion 3,07,00,566 2,64,16,173 (g) Project Management Consultancy 4,63,16,130 4,10,28,282 (h) Printing and Stationery 1,95,40,309 1,75,01,077 (i) Travelling & Local Conveyance 1,93,68,810 1,84,95,672 (i) Communication (k) Books & Periodicals (i) Prior Period Items (ii) Legal and Professional Charges (iii) Consultant Fee (iii) Consulta | | (c) Rates & Taxes (excluding Income Tax) | | | 2,000 |
| (i) As Auditor (ii) For Taxation Matters (196,630 112,360 (iii) For Taxation Matters (196,630 112,360 (iii) For Other Services 140,450 84,270 (iv) For Expenses 78,079 75,600 (ft) Advertisement and Business Promotion 3,07,00,566 2,64,16,173 (gt) Project Management Consultancy 4,63,16,130 4,10,28,282 (ht) Printing and Stationery 1,95,40,309 1,75,01,077 (gt) Travelling & Local Conveyance 1,93,68,810 1,84,95,672 (gt) Communication 2,15,78,252 2,20,29,202 (kt) Books & Periodicals 1,76,221 1,84,86,672 (gt) Communication 5,717,794 (mt) Professional Fees Consultancy 5,717,794 (mt) Professional Fees Consultancy 7,794 (mt) Legal and Professional Charges 1,94,07,305 1,42,25,638 (gt) Other expenses (gt) District Region 1,64,84,8958 (gt) District Region 1,6 | | (d) Miscellaneous Expenditure | | 47,53,602 | 1,53,62,625 |
| | | . , , | | | |
| Material | | (i) As Auditor | | | 370,788 |
| (iv) For Expenses 78,079 75,600 (f) Advertisement and Business Promotion 3,07,00,566 2,64,16,173 (g) Project Management Consultancy 4,63,16,130 4,10,28,282 (h) Printing and Stationery 1,95,40,309 1,75,01,077 (i) Travelling & Local Conveyance 1,93,68,810 1,84,95,672 (j) Communication 2,15,78,252 2,20,29,202 (k) Books & Periodicals 1,76,221 1,48,680 (j) Prior Period Items - 57,17,794 (m) Professional Fees Consultancy - 57,17,794 (m) Legal and Professional Charges 1,94,07,305 1,42,25,638 (n) Consultant Fee 2,04,21,109 1,23,24,761 (o) Other expenses 2,74,45,920 1,68,49,958 (p) D & Gto Zonal Railway 29,00,000 4,80,000 (q) Interest neceivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) - Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) - Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) - Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55, | | . , | | 196,630 | 112,360 |
| (f) Advertisement and Business Promotion 3,07,00,566 2,64,16,173 (g) Project Management Consultancy 4,63,16,130 4,10,28,282 (h) Printing and Stationery 1,95,40,309 1,75,01,077 (i) Travelling & Local Conveyance 1,93,68,810 1,84,95,672 (j) Communication 2,15,78,252 2,20,29,202 (k) Books & Periodicals 1,76,221 1,48,680 (j) Prior Period Items - 57,17,794 (m) Professional Fees Consultancy - - (m) Legal and Professional Charges 1,94,07,305 1,42,25,638 (n) Consultant Fee 2,04,21,109 1,23,24,761 (o) Other expenses 2,74,45,920 1,68,48,958 (p) D & G to Zonal Railway 29,00,000 4,80,000 (q) Interest on Loan from IRFC (Compete Project) 55,44,24,103 - Less: Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MOR/ payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewari GC, has been disclosed. 22,84,24,103 22,98,29,785 Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MOR/ payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewa | | (iii) For Other Services | | 140,450 | 84,270 |
| (g) Project Management Consultancy (h) Printing and Stationery (i) Travelling & Local Conveyance (j) Communication (j) Communication (j) Communication (j) Project Period Items (l) Prior Period Items (l) Professional Fees Consultancy (m) Legal and Professional Charges (n) Consultant Fee (n) Legal and Professional Charges (n) Consultant Fee (o) Other expenses (p) D & G to Zonal Railway (q) Interest on Loan from IRFC (Compete Project) (g) Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MoR/ payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewari GC, has been disclosed (a) CSR Expenses & Sustainability Expenses (a) CSR Expenses & Sustainability Expenses (a) CSR Expenses (Previous Year) (c) Research & Development Expenses Less: Transferred to Project for R&D Less: Transferred to Project for R&D Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) (1,047,602) (1,057,894) (1,058,686) (1,058,687 | | | | | |
| (h) Printing and Stationery 1,95,40,309 1,75,01,077 (i) Travelling & Local Conveyance 1,93,68,810 1,84,95,672 (j) Communication 2,15,78,252 2,20,29,202 (k) Books & Periodicals 1,76,221 1,48,680 (l) Prior Period Items - 57,17,794 (m) Professional Fees Consultancy - - (m) Legal and Professional Charges 1,94,07,305 1,42,25,638 (n) Consultant Fee 2,04,21,109 1,23,24,761 (o) Other expenses 2,74,45,920 1,68,48,958 (p) D & G to Zonal Railway 29,00,000 4,80,000 (q) Interest on Loan from IRFC (Compete Project) 55,44,24,103 - Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) - Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MoR payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewari GC, has been disclosed. 22 Other Expenses as per DPE Guidelines 4,54,47,097 5,27,12,644 (b) CSR Expenses (Previous Year) - - (c) Research & Development Expenses 1,02,88,002 1,23,54,686 | | (f) Advertisement and Business Promotion | | | |
| 1,93,68,810 | | (2) | | 4,63,16,130 | |
| (i) Communication 2,15,78,252 2,20,29,202 (k) Books & Periodicals 1,76,221 1,48,680 (l) Prior Period Items - 57,17,794 (m) Professional Fees Consultancy - 57,17,794 (m) Professional Fees Consultancy - (m) Legal and Professional Charges 1,94,07,305 1,42,25,638 (n) Consultant Fee 2,04,21,109 1,23,24,761 (o) Other expenses 2,74,45,920 1,68,48,958 (p) D & G to Zonal Railway 29,00,000 4,80,000 (q) Interest on Loan from IRFC (Compete Project) 55,44,24,103 Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) 26,21,15,433 22,98,29,785 Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MOR/ payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewari GC, has been disclosed. 22 Other Expenses as per DPE Guidelines (a) CSR Expenses & Sustainability Expenses (Previous Year) - 5,27,12,644 (b) CSR Expenses (Previous Year) - 5,27,12,646 (b) CSR Expenses (Previous Year) - 1,02,88,002 1,23,54,686 Less: Transferred to Project for R&D - 6,20,47,602 (9,047,602) (7,527,894) | | | | | |
| (k) Books & Periodicals 1,76,221 1,48,680 (l) Prior Period Items - 57,17,794 (m) Professional Fees Consultancy - - (m) Legal and Professional Charges 1,94,07,305 1,42,25,638 (n) Consultant Fee 2,04,21,109 1,23,24,761 (o) Other expenses 2,74,45,920 1,68,48,958 (p) D & G to Zonal Railway 29,00,000 4,80,000 (q) Interest on Loan from IRFC (Compete Project) 55,44,24,103 - Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) - Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MOR/ payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewari GC, has been disclosed. 22 Other Expenses as per DPE Guidelines (a) CSR Expenses & Sustainability Expenses 4,54,47,097 5,27,12,644 (b) CSR Expenses (Previous Year) - - (c) Research & Development Expenses 1,02,88,002 1,23,54,686 Less: Transferred to Project for R&D - - Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) (7,527,894) | | | | | |
| (I) Prior Period Items | | W. | | | |
| (m) Professional Fees Consultancy - | | • • | | 1,76,221 | |
| (m) Legal and Professional Charges 1,94,07,305 1,42,25,638 (n) Consultant Fee 2,04,21,109 1,23,24,761 (o) Other expenses 2,74,45,920 1,68,48,958 (p) D & G to Zonal Railway 29,00,000 4,80,000 (q) Interest on Loan from IRFC (Compete Project) 55,44,24,103 - Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) - Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MOR/ payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewari GC, has been disclosed. 22,98,29,785 22 Other Expenses as per DPE Guidelines 4,54,47,097 5,27,12,644 (b) CSR Expenses (Previous Year) - - (c) Research & Development Expenses 1,02,88,002 1,23,54,686 Less: Transferred to Project for R&D - - Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) (7,527,894) | | | | - | 57,17,794 |
| (n) Consultant Fee 2,04,21,109 1,23,24,761 (o) Other expenses 2,74,45,920 1,68,48,958 (p) D & G to Zonal Railway 29,00,000 4,80,000 (q) Interest on Loan from IRFC (Compete Project) 55,44,24,103 - Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) - Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MOR/ payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewari GC, has been disclosed. 22 Other Expenses as per DPE Guidelines 4,54,47,097 5,27,12,644 (b) CSR Expenses (Previous Year) - - (c) Research & Development Expenses 1,02,88,002 1,23,54,686 Less: Transferred to Project for R&D - - Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) (7,527,894) | | | | - | - |
| (o) Other expenses (p) D & G to Zonal Railway 29,00,000 4,80,000 (q) Interest on Loan from IRFC (Compete Project) 55,44,24,103 Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) 26,21,15,433 22,98,29,785 Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MOR/ payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewari GC, has been disclosed. 22 Other Expenses as per DPE Guidelines (a) CSR Expenses & Sustainability Expenses (previous Year) - 5,27,12,644 (b) CSR Expenses (Previous Year) (c) Research & Development Expenses 1,02,88,002 1,23,54,686 Less: Transferred to Project for R&D | | , , , | | 1,94,07,305 | 1,42,25,638 |
| (p) D & G to Zonal Railway (q) Interest on Loan from IRFC (Compete Project) Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MOR/ payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewari GC, has been disclosed. 22 Other Expenses as per DPE Guidelines (a) CSR Expenses & Sustainability Expenses (a) CSR Expenses (Previous Year) (b) CSR Expenses (Previous Year) (c) Research & Development Expenses Less: Transferred to Project for R&D Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) (4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4,80,000 6,60,100 6 | | (n) Consultant Fee | | 2,04,21,109 | |
| (q) Interest on Loan from IRFC (Compete Project) 55,44,24,103 Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) - 26,21,15,433 22,98,29,785 Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MOR/ payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewari GC, has been disclosed. 22 Other Expenses as per DPE Guidelines (a) CSR Expenses & Sustainability Expenses (a) CSR Expenses (Previous Year) - 5,27,12,644 (b) CSR Expenses (Previous Year) - 1,23,54,686 Less: Transferred to Project for R&D Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) (7,527,894) | | | | | |
| Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55,44,24,103) Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MOR/ payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewari GC, has been disclosed. 22 Other Expenses as per DPE Guidelines (a) CSR Expenses & Sustainability Expenses (a) CSR Expenses (Previous Year) (b) CSR Expenses (Previous Year) (c) Research & Development Expenses 1,02,88,002 1,23,54,686 Less: Transferred to Project for R&D Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) (7,527,894) | | | | 29,00,000 | 4,80,000 |
| Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MOR/ payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewari GC, has been disclosed. 22 Other Expenses as per DPE Guidelines (a) CSR Expenses & Sustainability Expenses (a) CSR Expenses (Previous Year) (c) Research & Development Expenses (c) Research & Development Expenses Less: Transferred to Project for R&D Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) 22,98,29,785 22,98,29,785 24,89,29,785 25,27,12,644 25,27,12,644 25,27,12,644 25,27,12,644 26,27 | | * | | | |
| Interest/ payable on IRFC Loan for the above mentioned period, recoverable from MOR/ payable to IRFC, for completed/ transferred project - i.e. Ajmer-Phulera-Ringus-Rewari GC, has been disclosed. 22 Other Expenses as per DPE Guidelines (a) CSR Expenses & Sustainability Expenses (b) CSR Expenses (Previous Year) (c) Research & Development Expenses 1,02,88,002 1,23,54,686 Less: Transferred to Project for R&D Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) (7,527,894) | | Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC | (55,44,24,103) | | |
| 22 Other Expenses as per DPE Guidelines (a) CSR Expenses & Sustainability Expenses 4,54,47,097 5,27,12,644 (b) CSR Expenses (Previous Year) - - (c) Research & Development Expenses 1,02,88,002 1,23,54,686 Less: Transferred to Project for R&D - - Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) (7,527,894) | | | riod, recoverable from N | | |
| (a) CSR Expenses & Sustainability Expenses 4,54,47,097 5,27,12,644 (b) CSR Expenses (Previous Year) - - (c) Research & Development Expenses 1,02,88,002 1,23,54,686 Less: Transferred to Project for R&D - - Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) (7,527,894) | | | | | |
| (b) CSR Expenses (Previous Year) - - (c) Research & Development Expenses 1,02,88,002 1,23,54,686 Less: Transferred to Project for R&D - - Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) (7,527,894) | | • | | 4 54 47 097 | 5 27 12 644 |
| (c) Research & Development Expenses1,02,88,0021,23,54,686Less: Transferred to Project for R&DLess: Transferred to Capital Working Progress(9,047,602)(7,527,894) | | , | | - | - |
| Less: Transferred to Project for R&D - Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) (7,527,894) | | , | | 1 02 88 002 | 1 23 54 686 |
| Less: Transferred to Capital Working Progress (9,047,602) (7,527,894) | | | | - | - |
| | | • | | (9.047.602) | (7.527 894) |
| | | gg. | | 4,66,87,497 | 5,75,39,436 |



23 निक्षेप निर्माण कार्य (एसपीवी एवं अन्य)

23.1 एसपीवी और अन्य पािर्टियों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को निक्षेप निर्माण कार्य माना गया है। इस प्रकार की परियोजनाओं के मामलों में तदनुरूपी चालू परिसंपत्तियों और दायिताओं की पहचान इन पर किए गए स्वीकृत खर्च और पर्यवेक्षण प्रभार के आधार पर किया गया है। प्राप्त अग्रिम को चालू दायिताओं में दर्शाया गया है तथा परियोजना निष्पादन के कारण वसुलनीय राशि को विविध ऋण के रूप में दिखाया गया है।

23.2 निक्षेप और एसपीवी निर्माण कार्यों की लागतें:

| विवरण | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | (₹) | (₹) |
| निक्षेप निर्माण कार्यों की लागत | 292,62,83,897 | 159,42,81,629 |
| स्वीकृत लाभ / हानि | 32,28,60,772 | 14,30,42,195 |
| प्राप्त अग्रिम | 331,69,05,986 | 188,62,13,102 |
| उपभोक्ताओं द्वारा देय कुल राशि | 190,92,06,553 | 62,52,44,095 |
| वहन की गई लागत की संचित राशि | 1859,79,93,639 | 1567,17,09,742 |
| स्वीकृत लाभ / हानि की संचित राशि | 167,09,27,726 | 134,80,66,954 |

24. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

कंपनी को आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उनकी हैसियत संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः वर्ष के अंत में भूगतान किए गए / देय ब्याज सहित अदेय राशि, यदि कोई हो, का उल्लेख, जैसाकि इस अधिनियम में अपेक्षित है, वर्तमान समय में निश्चित नहीं है।

25. विदेशी मुद्रा में व्यय

| विवरण | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | (₹) | (₹) |
| यात्रा व्यय | 29,86,520 | 44,22,062 |
| परियोजना प्रबंधन परामर्श | 7,30,70,467 | 37,47,331 |

26. आकस्मिक दायिताएं

कंपनी द्वारा ऋण के रूप में न माने गए पंचाट के कारण ठेकेदारों द्वारा किए गए दावों के संबंध में आकस्मिक दायिता ॄ682,33,39,602 (पिछले वर्ष ₹160,07,75,130) है। कोई दावा यदि किसी परियोजना लागत का भाग बनता है तो उसे संबंधित क्लाइंटों द्वारा वसूला जाएगा।

27. पूंजी प्रतिबद्धता

मल्टी-फंक्शनल कॉम्पलेक्सों के लिए पूंजीगत प्रतिबद्धता ₹79,25,729 (पिछले वर्ष ₹57,00,000)है।

27.1 अन्य प्रतिबद्धता

परियोजना व्यय के प्रति संविदागत भुगतानों के लिए प्रतिबद्धता ₹1137,03,40,000 (पिछले वर्ष ₹102,1143,43,00,000) है।

28. प्रबंधकीय परिश्रामिक

| विवरण | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | (₹) | (₹) |
| वेतन एवं भत्ते | 2,33,67,583 | 2,90,82,159 |
| भविष्य निधि एवं अन्य निधि | 12,14,662 | 14,38,366 |

29. आमदनी प्रति शेयरः

प्रति शेयर आमदनी की गणना करने के लिए निम्नलिखित गणकों एवं अभिदायकों का उपयोग किया गया है:

| विवरण | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | (₹) | (₹) |
| शेयरधारों को दिए जाने वाले लाभ (₹) (क) | 185,71,46,622 | 157,42,09,873 |
| वर्ष के अंत में देय मूल इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (अदद) (ख) | 208,50,20,100 | 208,50,20,100 |
| वर्ष के अंत में बकाया भारित इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (अदद) (ग) | 208,50,20,100 | 208,50,20,100 |
| इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य | 10 | 10 |
| प्रति शेयर मूल आमदनी (क / ग) | 0.89 | 0.76 |



23. Deposit Works (SPVs and others)

23.1 Works being executed for SPVs and others parties are treated as a Deposit Work. The corresponding current assets and liabilities in respect of such projects have been recognized on the basis of expenditure incurred plus supervision charges as agreed. The advance received is disclosed under Current Liabilities and the amount recoverable on account of project execution under Sundry Debtors.

23.2 Costs incurred on Deposit and SPV Works:

| Particulars | Year Ended March 31,2015 | Year Ended March 31,2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | (₹) | (₹) |
| Costs incurred for Deposit Works | 292,62,83,897 | 159,42,81,629 |
| Recognized Profit/Loss | 32,28,60,772 | 14,30,42,195 |
| Advance received | 331,69,05,986 | 188,62,13,102 |
| Gross Amount due from Customers | 190,92,06,553 | 62,52,44,095 |
| Cumulative amount of costs incurred | 1859,79,93,639 | 1567,17,09,742 |
| Cumulative amount of recognized Profit/Loss | 167,09,27,726 | 134,80,66,954 |

24. Micro, Small and Medium Enterprises

The Company has not received any intimation from "Suppliers" regarding their status under the Micro, Small and medium enterprises Development Act, 2005 and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year-end together with interest paid/payable as required under the said Act is not ascertainable presently.

25. Expenditure in Foreign Currency

| Particulars | Year Ended March 31,2015 | Year Ended March 31,2014 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (₹) | (₹) |
| Travel expenses | 29,86,520 | 44,22,062 |
| Project Management Consultancy | 7,30,70,467 | 37,47,331 |

26. Contingent Liabilities

Contingent liability in respect of claims by the contractor on account of Arbitration not acknowledged as debts by the Company is ₹682,33,39,602 (Previous year ₹160,07,75,130). A claim if any will be form part of the project cost and reimbursable by respective Clients.

27. Capital Commitment

Capital commitment towards Multifunctional Complex is ₹79,25,729 (Previous year ₹57,00,000).

27.1 Other Commitment

Commitment towards Contractual Payments of Project expenditure is ₹11370,03,40,000 (Previous year ₹10211,43,00,000).

28. Managerial Remuneration

| Particulars | Year Ended March 31,2015 | Year Ended March 31,2014 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (₹) | (₹) |
| Salary & allowances | 2,33,67,583 | 2,90,82,159 |
| Provident fund and other fund | 12,14,662 | 14,38,366 |

29. Earnings per Share:

The numerators and denominators used to calculate Basic Earnings per Share are:

| Particulars | Year Ended March 31,2015 | Year Ended March 31,2014 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | (₹) | (₹) |
| Profit Attributable to the shareholders (₹) (A) | 185,71,46,622 | 157,42,09,873 |
| Basic average number of Equity Shares outstanding at end of Year (Nos.) (B) | 208,50,20,100 | 208,50,20,100 |
| Weighted average number of Equity Shares outstanding at the end of Year (Nos.) (C) | 208,50,20,100 | 208,50,20,100 |
| Nominal value of Equity Shares (₹) | 10 | 10 |
| Basic Earnings per share (₹) (A/C) | 0.89 | 0.76 |



30. पार्टी के संबंध मं प्रकटन (एएस-18):

30.1 संयुक्त उद्यमः

कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड कृष्णपत्तनम रेलवे कंपनी लिमिटेड भक्तच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड

30.2 सहायक कंपनी

हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

30.3 मुख्य प्रबंधन अधिकारीः

श्री एस.सी. अग्निहोत्रीः प्रबंध निदेशक श्री अशोक कृष्ण गंजूः निदेशक वित्त सुश्री गीता मिश्राः निदेशक कार्मिक मुकुल जैनः निदेशक परिचालन श्री विजय आनंदः निदेशक परियोजना

30.4 उद्यम जिनमें निदेशकों के हित सम्मिलित है:

हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

30.5 संबंधित पार्टियों के साथ व्यवसाय का उल्लेखः

| विवरण | व्या | पार | देय | राशि** |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | (₹ में) | | (₹ में) | |
| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में |
| उपरोक्त (28) में उल्लिखित मुख्य कार्मिकों के परिश्रामिकों | * | * | * | * |
| एचपीआरसीएल | | | | |
| शेयर आवेदन धनराशि | - | 36,80,00,000 | | |
| वर्ष के लिए ब्याज भुगतान / देय ब्याज | 33,723,639 | 87,85,691 | | |
| देय एमओबी. अग्रिम पर ब्याज | 20,123,883 | 62,04,253 | | |
| परियोजना व्यय | 155,50,06,315 | 72,46,08,993 | 29,72,64,051 | 136,446,556 |
| बीडीआरसीएल | | | | |
| शेयर आवेदन धनराशि | - | 12,10,00,000 | | |
| वर्ष के लिए ब्याज भुगतान/देय ब्याज | 56,69,786 | 2,33,64,500 | | |
| देय एमओबी. अग्रिम पर ब्याज | 402,822 | | | |
| परियोजना व्यय | 9,58,04,306 | 15,30,22,503 | (1,82,93,527) | 19,81,51,883 |
| केपीआरसीएल | | | | |
| शेयर आवेदन धनराशि | | _ | | |
| वर्ष के लिए ब्याज भुगतान/देय ब्याज | 2,90,53,607 | 808,47,680 | | |
| देय एमओबी. अग्रिम पर ब्याज | 1,17,11,570 | 3,67,26,126 | | |
| परियोजना व्यय | 84,19,00,532 | 15,71,38,480 | 156,74,03,372 | 28,59,25,678 |
| एएसआरएल | | | | |
| शेयर आवेदन धनराशि | 108,28,26,750 | 23,62,18,750 | | |
| वर्ष के लिए ब्याज भुगतान / देय ब्याज | 11,55,425 | - | | |
| देय एमओबी. अग्रिम पर ब्याज | 15,91,397 | 45,84,391 | | |
| परियोजना व्यय | 23,87,11,085 | 32,15,76,368 | 1,41,78,955 | (1,50,48,232) |
| हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | | | | |
| शेयर पूंजी | 5,74,110 | | _ | |
| कंपनी व्ययों का भुगतान | 2,38,88,644 | 34,83,919 | 2,80,34,512 | 47,19,978 |

^{*} कृपया टिप्पणी संख्या 28 देखें

^{**} ये संयुक्त उद्यमों की विभिन्न परियोजनाओं पर हुए खर्च की वसूलनीय राशि और सहायक कंपनियों के विविध को दर्शाते हैं।



30. Related Party Disclosures (AS-18):

30.1 Joint Ventures:

Kutch Railway Company Limited Haridaspur Paradip Railway Company Limited Krishnapatnam Railway Company Limited Bharuch Dahej Railway Company Limited Angul Sukinda Railway Limited

30.2 Subsidiary company

High Speed Rail Corporation of India Limited

30.3 Key Management Personnel:

Sh. S.C. Agnihotri: Managing Director Sh. Ashok Krishna Ganju: Director Finance Ms. Gita Mishra: Director Personnel Sh. Mukul Jain: Director Operation Sh. Vijay Anand: Director Projects

30.4 Enterprises in which Directors interest exist:

High Speed Rail Corporation of India Limited

30.5 Disclosure of transactions with related parties:

| Particulars | Transa | actions | Outstand | ing Amount** |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | (in ₹) | | (in ₹) | |
| | Year ended March 31, 2015 | Year ended March 31, 2014 | Year ended March 31, 2015 | Year ended March 31, 2014 |
| Remuneration to Key Personnel (28) above | * | * | * | * |
| HPRCL | | | | |
| Investment in Shares | - | 36,80,00,000 | | |
| Interest paid/payable for the year | 33,723,639 | 87,85,691 | | |
| "Interest on Mob. AdvancePayable" | 20,123,883 | 62,04,253 | | |
| Expenditure towards project | 155,50,06,315 | 72,46,08,993 | 29,72,64,051 | 136,446,556 |
| BDRCL | | | | |
| Investment in Shares | - | 12,10,00,000 | | |
| Interest paid/payable for the year | 56,69,786 | 2,33,64,500 | | |
| Expenditure of Vadodara Office apportioned | 402,822 | | | |
| Expenditure towards project | 9,58,04,306 | 15,30,22,503 | (1,82,93,527) | 19,81,51,883 |
| KPRCL | | | | |
| Investment in Shares | - | - | | |
| Interest paid/payable for the year | 2,90,53,607 | 808,47,680 | | |
| "Interest on Mob. AdvancePayable" | 1,17,11,570 | 3,67,26,126 | | |
| Expenditure towards project | 84,19,00,532 | 15,71,38,480 | 156,74,03,372 | 28,59,25,678 |
| ASRL | | | | |
| Investment in Shares | 108,28,26,750 | 23,62,18,750 | | |
| Interest paid/payable for the year | 11,55,425 | - | | |
| "Interest on Mob. AdvancePayable" | 15,91,397 | 45,84,391 | | |
| Expenditure towards project | 23,87,11,085 | 32,15,76,368 | 1,41,78,955 | (1,50,48,232) |
| High Speed Rail Corporation of India Limited | | | | |
| Investment in Shares | 5,74,110 | | - | |
| Payment towards expenses of company | 2,38,88,644 | 34,83,919 | 2,80,34,512 | 47,19,978 |

^{*} See note No. 28

^{**} These represent amounts recoverable on account of expenditure incurred on various projects of Joint Ventures and Misc Expenses of Subsidiary



31. संयुक्त उद्यम/संयुक्त उपक्रमों के संबंध में प्रकटनः

| संयुक्त उद्यम का नाम | मूल भागीदार, देश का नाम | 31 मार्च, 2015 को स्वामित्व का अनुपात | 31 मार्च, 2014 का स्वामित्व का अनुपात |
|--|--|---|---|
| कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड | रेल विकास निगम, इंडिया | 50% | 50% |
| | कांडला पोर्ट ट्रस्ट, इंडिया | 26% | 26% |
| | मुंद्रा पोर्ट एसईजेड | 20% | 20% |
| | गुजरात सरकार, भारत | 4% | 4% |
| हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी | रेल विकास निगम लिमिटेड, भारत | 33.33% | 48.43% |
| लिमिटेड (एचपीआरसीएल) | आईडीसीओ (ओडिशा सरकार) | 0.35% | 0.66% |
| | एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रिज लिमिटेड, भारत | 5.88% | 10.91% |
| | पारादीप पोर्ट ट्रस्ट | 10.00% | 10.00% |
| | रूंगला माइंस लिमिटेड | 5.88% | 10.91% |
| | जिंदल स्टील एवं पॉवर लिमिटेड | 0.98% | 1.82% |
| | स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड | 0.98% | 1.82% |
| | पॉस्को इंडिया लिमिटेड | 5.40% | 10.00% |
| | एमएसपीएल लिमिटेड | 2.94% | 5.45% |
| | ओएमसी | 14.70% | _ |
| | ओडिशा सरकार | 19.60% | _ |
| कृष्णपट्नम रेलवे कंपनी | रेल विकास निगम लिमिटेड, भारत | 30% | 30% |
| लिमिटेड (केआरसीएल) | कृष्णपट्नम पोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत | 30% | 30% |
| | ब्रम्हनी इंडस्ट्रिज लिमिटेड | 12% | 12% |
| | नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन | 15% | 15% |
| | आंध्र प्रदेश सरकार | 13% | 13% |
| भरूच दाहेज रेलवे कंपनी | रेल विकास निगम लिमिटेड, भारत | 33.33% | 26.00% |
| लिमिटेड (बीडीआरसीएल) | अदानी पेट्रोनेट (दाहेज) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया | 10.50% | 10.50% |
| | गुजरात मेरीटाइम बोर्ड, इंडिया | 10.82% | 10.82% |
| | दाहेज सेज लिमिटेड, इंडिया | 6.06% | 6.06% |
| | जीएनएफसी | 8.20% | 8.20% |
| | हिंडाल्को इंडस्ट्रिज लिमिटेड, इंडिया | 8.20% | 8.20% |
| | जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इंडिया | 6.06% | 6.06% |
| | गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉर्प लिमिटेड | 10.82% | 10.82% |
| | इक्विटी का अंतर | 6.00% | 13.33% |
| अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड | रेल विकास निगम लिमिटेड, इंडिया | 31.50% | 45% |
| (एएसआरएल) | जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, इंडिया | 10.00% | 25% |
| | भूषण स्टील एंड पॉवर लिमिटेड | - | 20% |
| | ओडिशा सरकार | 21.30% | - |
| | ओएमसी | 10.50% | - |
| | आईडीसीओ (ओडिशा सरकार) | 0.70% | 10% |
| | कॉनकोर | | 26.00% |
| हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | रेल विकास निगम लिमिटेड, इंडिया | 100% | 100% |

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में हिस्सेदारी से संबंधित परिसंपत्तियों, दायिताओं, आय और व्यय की औसत राशि का विस्तृत ब्यौरा निम्नवत है:



31. Disclosure in respect of Joint Venture/Subsidiary:

| Name of the Joint Venture | Partner(s), Country of Origin | Proportion of Ownership Interest as at March 31, 2015 | Proportion of Ownership Interest as at March 31, 2014 |
|---|---|--|--|
| Kutch Railway Company | Rail Vikas Nigam Limited, India | 50% | 50% |
| Limited | Kandla Port Trust, India | 26% | 26% |
| | Mundra Port SEZ | 20% | 20% |
| | Government of Gujarat, India | 4% | 4% |
| Haridaspur Paradip Railway | Rail Vikas Nigam Limited, India | 33.33% | 48.43% |
| Company Limited ((HPRCL) | IDCO (Govt of Odisha) | 0.35% | 0.66% |
| | Essel Mining and Industries Ltd., India | 5.88% | 10.91% |
| | Paradeep Port Trust | 10.00% | 10.00% |
| | Rungla Mines Ltd | 5.88% | 10.91% |
| | Jindal Steel & Power Ltd | 0.98% | 1.82% |
| | Steel Authority of India Limited | 0.98% | 1.82% |
| | POSCO India Limited | 5.40% | 10.00% |
| | MSPL LTD | 2.94% | 5.45% |
| | OMC | 14.70% | - |
| | Govt of Odisha | 19.60% | - |
| Krishnapatanam Railway | Rail Vikas Nigam Limited, India | 30% | 30% |
| Company Limited (KRCL) | Krishnapatnam Port Corporation Limited, India | 30% | 30% |
| | Bramhany Industries Limited | 12% | 12% |
| | National Mineral Development Corporation | 15% | 15% |
| | Government of Andhra Pradesh | 13% | 13% |
| Bharuch Dahej Railway | Rail Vikas Nigam Limited, India | 33.33% | 26.00% |
| Company Limited (BDRCL) | Adani Petronet (Dahej) Port Private Limited, India | 10.50% | 10.50% |
| | Gujarat Maritime Board, India | 10.82% | 10.82% |
| | Dahej SEZ Limited, India | 6.06% | 6.06% |
| | GNFC | 8.20% | 8.20% |
| | Hindalco Industries Limited, India | 8.20% | 8.20% |
| | Jindal Rail Infrastructure Limited, India | 6.06% | 6.06% |
| | Guj. Industrial Dev. Corp Ltd | 10.82% | 10.82% |
| | Equity Gap | 6.00% | 13.33% |
| Angul Sukinda Railway | Rail Vikas Nigam Limited, India | 31.50% | 45% |
| Limited (ASRL) | Jindal Steel and Power Limited, India | 10.00% | 25% |
| | Bhushan Steel & Power Ltd | - | 20% |
| | Govt of Odisha | 21.30% | - |
| | OMC | 10.50% | - |
| | IDCO (Govt of Odisha) | 0.70% | 10% |
| | CONCOR | 26.00% | |
| High Speed Rail Corporation of India limited | Rail Vikas Nigam Limited, India | 100% | 100% |
| COLPOTATION OF INDIA INTINEU | | | |

Details of the aggregate amounts of the assets, liabilities, income and expenditure related to the interest in the Jointly Controlled Entities are as under:



क. कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड

| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में (अनंतिम) (₹ में) | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में (अंकेक्षित) (₹ में) |
|--|--|---|
| प्रारंभिक व्यय के अतिरिक्त परिसंपत्तियां | 703,01,00,000 | 531,15,00,000 |
| दायिताएं | 275,55,50,000 | 219,68,00,000 |
| आय | 359,34,00,000 | 258,87,00,000 |
| व्यय | 225,91,00,000 | 177,16,00,000 |

आकिस्मिक दायिताएं : ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं) पूंजीगत प्रतिबद्धता : ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ 16.055 करोड़)

ख. हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड

| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में (अनंतिम) (₹ में) | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में (अंकेक्षित) (₹ में) |
|--|--|---|
| प्रारंभिक व्यय के अतिरिक्त परिसंपत्तियां | 171,95,87,742 | 227,56,27,847 |
| दायिताएं | 11,16,79,089 | 7,20,62,847 |
| आय | 8,138 | 1,58,76,972 |
| व्यय | 2,71,984 | 7,27,68,613 |

आकिस्मिक दायिताएं : ₹ कुछ नहीं ((पिछले वर्ष ₹ 0.46 करोड़) पूंजीगत प्रतिबद्धता : ₹ कुछ नहीं ((पिछले वर्ष ₹ 606.79 करोड़)

ग. कृष्णपट्नम रेलवे कंपनी लिमिटेड

| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में (अनंतिम) (₹ में) | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में (अंकेक्षित) (₹ में) |
|--|--|---|
| प्रारंभिक व्यय के अतिरिक्त परिसंपत्तियां | 184,39,45,903 | 147,54,55,784 |
| दायिताएं | 109,09,91,808 | 70,88,88,050 |
| आय | 18,79,02,824 | 11,10,26,782 |
| व्यय | 20,15,16,462 | 11,43,99,232 |

आकिस्मिक दायिताएं : ₹ कुछ नहीं ((पिछले वर्ष ₹ 255.78 करोड़) पूंजीगत प्रतिबद्धता : ₹ 1.12 crore ((पिछले वर्ष ₹ 1.12 करोड़)

घ. भारूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड

| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में (अनंतिम) (₹ में) | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में (अंकेक्षित) (₹ में) |
|--|--|---|
| प्रारंभिक व्यय के अतिरिक्त परिसंपत्तियां | 147,42,08,135 | 108,22,50,757 |
| दायिताएं | 93,67,02,071 | 68,66,95,183 |
| आय | 45,01,39,662 | 20,38,82,898 |
| व्यय | 31,45,81,928 | 18,49,85,404 |

आकस्मिक दायिताएं : ₹ कुछ नहीं ((पिछले वर्ष ₹ 9.31 करोड़) पूंजीगत प्रतिबद्धता : ₹ कुछ नहीं ((पिछले वर्ष ₹ 6.76 करोड़)



a. Kutch Railway Company Limited

| | As at March 31, 2015 (Provisional) (in ₹) | As at March 31, 2015 (Audited) (in ₹) |
|--|---|---|
| Assets excluding preliminary expenditure | 703,01,00,000 | 531,15,00,000 |
| Liabilities | 275,55,50,000 | 219,68,00,000 |
| Income | 359,34,00,000 | 258,87,00,000 |
| Expenditure | 225,91,00,000 | 177,16,00,000 |

Contingent liabilities : ₹ NII (Previous year ₹ NiI)

Capital commitment : ₹ Nil (Previous year ₹ 16.055 crore)

b. Haridaspur Paradip Railway Company Limited

| | As at March 31, 2015 (Provisional) (in ₹) | As at March 31, 2015 (Audited) (in ₹) |
|--|---|---|
| Assets excluding preliminary expenditure | 171,95,87,742 | 227,56,27,847 |
| Liabilities | 11,16,79,089 | 7,20,62,847 |
| Income | 8,138 | 1,58,76,972 |
| Expenditure | 2,71,984 | 7,27,68,613 |

Contingent liabilities : ₹ Nil (Previous year ₹ 0.46 crore)
Capital commitment : ₹ Nil (Previous year ₹ 606.79 crore)

c. Krishnapatnam Railway Company Limited

| | As at March 31, 2015 (Provisional) (in ₹) | As at March 31, 2015 (Audited) (in ₹) |
|--|---|---|
| Assets excluding preliminary expenditure | 184,39,45,903 | 147,54,55,784 |
| Liabilities | 109,09,91,808 | 70,88,88,050 |
| Income | 18,79,02,824 | 11,10,26,782 |
| Expenditure | 20,15,16,462 | 11,43,99,232 |

Capital commitment : ₹ Nil (Previous year ₹ 255.78 crore)

Contingent liabilities : ₹ 1.12 crore (Previous year ₹ 1.12 crore)

d. Bharuch Dahej Railway Company Limited

| | As at March 31, 2015 (Provisional) (in ₹) | As at March 31, 2015 (Audited) (in ₹) |
|--|---|---|
| Assets excluding preliminary expenditure | 147,42,08,135 | 108,22,50,757 |
| Liabilities | 93,67,02,071 | 68,66,95,183 |
| Income | 45,01,39,662 | 20,38,82,898 |
| Expenditure | 31,45,81,928 | 18,49,85,404 |

Contingent liabilities : ₹ NII(Previous year ₹ 9.31 crore)
Capital commitment : ₹ NiI (Previous year ₹ 6.76 crore)



इ. अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड

| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में (अनंतिम) (₹ में) | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में (अंकेक्षित) (₹ में) |
|--|--|---|
| प्रारंभिक व्यय के अतिरिक्त परिसंपत्तियां | 177,71,04,072 | 111,73,89,707 |
| दायिताएं | 51,75,200 | 24,90,31,355 |
| आय | 4,55,490 | 1,73,61,993 |
| व्यय | 8,71,590 | 13,00,225 |

आकिस्मिक दायिताएं : ₹कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं) पूंजीगत प्रतिबद्धता : ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ 492.00 करोड़)

च) हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में (अनंतिम) (₹ में) | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में (अंकेक्षित) (₹ में) |
|--|--|---|
| प्रारंभिक व्यय के अतिरिक्त परिसंपत्तियां | 6,03,22,697 | 3,37,75,698 |
| दायिताएं | 6,20,64,638 | 3,68,70,945 |
| आय | 13,33,004 | 8,877 |
| व्यय | 5,53,808 | 28,58,906 |

आकस्मिक दायिताएं : ₹ कुछ नहीं पूंजीगत प्रतिबद्धता : ₹ कुछ नहीं

32 व्यापार खंड

चूंकि कंपनी की व्यवसाय गतिविधियां एक क्षेत्र के अंतर्गतघरेलू बाजार में रेल परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित है, अतः इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' में उल्लिख्ति एएस—17 लागू नहीं है।

33. लीज किराया

33.1 कंपनी के कार्यालय और आवासीय परिसरों की लीजिंग प्रकृति ऑपरेटिंग लीज की तरह है। किराए की दर हुडकों से प्राप्त प्रस्ताव पत्र के आधार रेविनिलि और हुडकों की सहमित से तय किए गए हैं। नई दिल्ली स्थित कॉरपोरेट कार्यालय के लिए हुडकों और कंपनी के बीच कोई औपचारिक लीज करार नहीं हुआ है और इसे शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

33.2 वित्तीय लीज

लीज पर दी गई परिसंपत्तियों की कीमत को पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं पर ऋण पर आईआरएफसी को देय प्रतिपक्षी दायिता में दिखाया गया है जो टिप्पणी 5 में स्पष्ट है, रेल मंत्रालय द्वारा समायोजित किए जा रहे आईआरएफसी के प्रति ऋण पुनर्भुगतान द्वारा उत्तरोत्तर परिसमापन किया जा रहा है। लीज मे सकल निवेश पर भावी न्यूनतम लीज भृगतान निम्नानुसार है:

| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में (₹ में) | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में (₹ में) |
|--|--|--|
| एक वर्ष से अधिक नही | 752,171,313 | 572,733,724 |
| एक वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं | 3,653,145,750 | 2,916,901,242 |
| पांच वर्ष से अधिक | 1,331,492,861 | 1,863,241,173 |
| | 5.736.809.924 | 5.346.953.059 |

34. परिचालन चक्र

कंपनी का परिचालन चक्र, परियोजनाओं के शुरू होने और उन्हें पूरा होने के लिए आवश्यक समय पर आधारित होता है। परियोनाओं के पूर्ण होने की अवधि प्रत्येक प्ररियोजना की अलग—अलग होती है। समायतः यह अविध 12 माह से 60 माह की होती है। परियोजना चक्र को 12 महीने से अधिक का अनुमान रखकर परियोनजाओं से संबंधित सभी परिसंपत्तियों और दायिताओं को चालू और गैर—चालू के रूप में वगीकृत किया गया है।

35. पूरी हो चुकी पिरयोजनाओं के अंतरण के लिए दिनांक 17.12.2013 का पद्धितगत आदेश संख्या 2011 / एसी-॥ / 1 / 6 / रेविनिलि के अनुसार कंपनी ने ₹522,50,03,855 (पिछले वष ₹1912,78,12,305) की पिरयोजनाएं अंतरित की है ।



e. Angul Sukinda Railway Limited

| | As at March 31, 2015 (Provisional) (in ₹) | As at March 31, 2014 (Audited) (in ₹) | |
|--|---|---|--|
| Assets excluding preliminary expenditure | 177,71,04,072 | 111,73,89,707 | |
| Liabilities | 51,75,200 | 24,90,31,355 | |
| Income | 4,55,490 | 1,73,61,993 | |
| Expenditure | 8,71,590 | 13,00,225 | |

Contingent liabilities : ₹ Nil(Previous year ₹ Nil)

Capital commitment : ₹ Nil(Previous year ₹ 492.00 crore)

(f) High Speed Rail Corporation of India limited

| | As at March 31, 2015 (Provisional) (in ₹) | As at March 31, 2014 (Audited) (in ₹) |
|--|---|---|
| Assets excluding preliminary expenditure | 6,03,22,697 | 3,37,75,698 |
| Liabilities | 6,20,64,638 | 3,68,70,945 |
| Income | 13,33,004 | 8,877 |
| Expenditure | 5,53,808 | 28,58,906 |

Contingent liabilities : ₹ Nil Capital commitment : ₹ Nil

32. Business Segments

As the business activity of the Company falls within a single segment viz. construction of Railway projects in the domestic market, the disclosure requirement of AS-17 on 'Segment Reporting' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is not applicable.

33. Lease Rentals

33.1 The company's leasing arrangements in respect of offices and residential premises are in the nature of operating lease. The rent is being charged on rates agreed to between HUDCO and RVNL based on letter of offer received from HUDCO and agreed to by RVNL. The formal lease agreement between the Company and HUDCO for lease of Corporate Office, New Delhi has not been executed and is under approval of Ministry of Urban Development.

33.2 Financial Lease

The value of assets given on lease is reflected against contra liability payable to IRFC towards loan on completed projects as appearing in note 5, which is liquidated progressively through loan repayment to IRFC being arranged by MoR.

Future minimum lease payments of gross investment in the lease are as follow:

| | 31st March 2015(in ₹) | 31st March 2014(in ₹) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Not later than one year | 752,171,313 | 572,733,724 |
| Later than one year and not later than five years | 3,653,145,750 | 2,916,901,242 |
| Later than five years | 1,331,492,861 | 1,863,241,173 |
| | 5,736,809,924 | 5,346,953,059 |

34. Operating Cycle

The operating cycle of the Company is based on the time required from initiation of the project to completion of the project. The period required for completion varies from project to project. However, in general, the duration is more than 12 months and may extend upto 5 to 6 years, and sometimes even beyond this period, depending on the progress of the work upto when the project is fully physically transferred to Railways for operations and financial progress to the extent of 95% of the latest anticipated cost has been achieved.

35. In accordance to procedure order no. 2011/AC-II/1/6/RVNL dated 17/12/2013 for transfer of completed projects, the company transferred projects worth ₹522,50,03,855 (previous year ₹1912,78,12,305/-).



36. राज्य विद्युत बोर्ड / पब्लिक कंपनियों को जारी की गई प्रतिभूतियां

विद्युत कनेक्शनों के लिए हाई टेंशन पॉवर लाइनों के प्रावधान के लिए इलेक्ट्रिक बोर्डी / सार्वजनिक कंपनियों को किए गए भुगतान को परियोजना लागत के भाग के रूप में शामिल किया जा रहा है।

- 37. पुराने चैकों के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण ₹2,18,056 के पुराने चैक को क्रेडिट किया गया जिसे पहले डेबिट किया गया और ₹7,22,112 को वर्ष के दौरान विविध में क्रेडिट किया गया।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना किए जाने योग्य बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, उनका पुनः समूहीकरण और पुनः एकत्रण किया गया है।

कुमार चोपड़ा एवं एसोसिएट्स के लिए

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

चार्टेड एकाउंटेंटस

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्याः 000131एन क

हस्ता./-आर.के. अग्रवाल भागीदार M. No. 081510

स्थानः नई दिल्ली दिनांक : 11.08.2015

हस्ता./-एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

DIN: 01637856

हस्ता./-अशोक कृ. गंजू निदेशक वित्त DIN: 01970462

हस्ता./-कल्पना दुबे कंपनी सचिव



36. Securities released to state Electricity Board / Public Companies

- Securities paid to Electricity Boards/ Public Companies towards provision of High Tension Power Lines for electricity connections are booked as project expenditure being part of the project cost.
- **37.** There is change in accounting policy in respect of stale cheque As per Accounting Policy no 2.22 items of ₹2,18,056/- credited to the head which was earlier debited and ₹7,22,112/- has credited to Misc Income during the year.
- 38. Previous year's figures have been regrouped and rearranged, wherever necessary to make comparable with those of the current year.

For Kumar Chopra & Associates

Chartered Accountants

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Firm Registration Number.: 000131N

Sd/-R.K. Aggarwal Partner M. No. 081510 Place: New Delhi

Date: 11.08.2015

Sd/-S.C. Agnihotri Chairman and Managing Director DIN: 01637856 Sd/-Ashok K. Ganju Director Finance DIN: 01970462 Sd/-Kalpana Dubey Company Secretary





बी—12 (ग्राउण्ड फ्लोर), कालिंदी कॉलोनी, महारानी बाग के नजदीक, नई दिल्ली — 110065 फोन: +9111-26913033, 26916363, 41627363

फैक्स: +91-11-26328533

इ—मेल : kca_delhi@yahoo.co.in www.kcaconsultancy.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्य

रेल विकास निगम लिमिटेड

1. एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **रेल विकास निगम लिमिटेड** के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2015 का तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण, वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

2. एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अपेक्षाओं के अनुसार इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विशिष्ट लेखांकन मानकों सिहत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और रोकड़ प्रवाह को वास्तविक और सिह रूप को प्रस्तुत करते हैं। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपत्तियों के संरक्षा उपायों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुसाण और धोखाधिड़ियों एवं अन्य अनियमितताओं को रोकना एवं जांच करना; उचित लेखांकन पद्धतियों का चयन और प्रयोग करना; ऐसे निर्णय लेना और अनुमान तैयार करना जो उचित एवं विवेकपूर्ण हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, जो वित्तीय विवरणों, जो जो वास्तविक तथा सही स्थिति प्रस्तुत करते हो और किसी भी मिथ्या कथन से मुक्त हो चाहे धोखाधड़ी से हो या चूक से हो, को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, शामिल हैं।

3. लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय प्रस्तुत करना है।

हमने उन सभी अधिनियम, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और मुद्दों के प्रावधानों का ध्यान रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। वे मानक अपेक्षित है जिनका अनुपालन हम नैतिक अपेक्षाओं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करने और लेखा परीक्षा करने के लिए करते है ताकि वित्तीय विवरण किसी भी मिथ्या कथन से मुक्त हो।

किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में धनराशि और प्रकटन के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पद्धितयों का निष्पादन शामिल है। चुनी गई पद्धित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों के मिथ्या कथन के जोखिम का आकलन करना शामिल है, चाहे ये धोखाधड़ी से हो या चूक से हों। इन जोखिम आकलनों को तैयार करने में लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो लेखा परीक्षा को डिजाइन करने के संबंध में एक वास्तविक और सही तस्वीर पेश करते हो जोिक उन स्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन किसी अभिमत को व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए न हो, चाहे कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो और ये नियंत्रण कुशलता से कार्य कर रहे हो। किसी लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तैयार लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगति के साथ—साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए प्रमाण एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

अभिमत्त

हमारे अभिमत्त तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण इस अधिनियम के तहत अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुरूप वास्तविक तथा सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं:





B-12 (G.F.), Kalindi Colony, Near Maharani Bagh, new Delhi - 11006 Ph.: +9111-26913033, 26916363, 41627363

Fax: +91-11-26328533 E-mail: kca_delhi@yahoo.co.in www.kcaconsultancy.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of

Rail Vikas Nigam Limited.

1. Report on the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of **Rail Vikas Nigam Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2015, the Statement of Profit and Loss, the Cash flow statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

2. Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

4. Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India,



- क) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च, 2015 को कंपनी की स्थिति;
- ख) लाभ एवं हानि विवरण के मामले में, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ; और
- ग) रोकड़ प्रवाह के मामले में, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- अधिनियम की धारा 143(11) की उपधारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 ("आदेश") की अपेक्षाओं के अनुसार हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुलग्नक। पर प्रस्तुत करते हैं।
- अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार हमने अनुपालन को II. अनुलग्नक प्में दिया है।
- अधिनियम की धारा 143(3) की उपधारा (3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगें और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
- हमारे अभिमत में संबंधित कानून द्वारा जैसा अपेक्षित था, के अनुसार यथोचित लेखा बहियों को रखा गया था, जैसा इन बहियों की जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रकट होता है।
- इस रिपोर्ट द्वारा देखे जाने वाले वित्तीय विवरण, लाभ एवं हानि और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं। ग.
- हमारे अभिमत में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में है।
- कंपनी कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जुन, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियां को कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के तहत छूट प्राप्त है।
- कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मदों के संबंध में, हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावों का प्रकटन किया है– वित्तीय विवरण का नोट सं. 26 देखें i.
- कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि नहीं थी। ii.
- ऐसी कोई भी राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(FRN: 000131N)

हस्ता./-

(आर.के. अग्रवाल)

साझेदार

(M. No 081510)

दिनांकः 11.08.2015

हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली



- a) In the case of the Balance Sheet, state of affairs of the company as at 31st March 2015;
- b) In the case of Statement of Profit and Loss, of the profit for the year ended on that date; and
- c) In the case of the Cash flow statement, of the cash flows for the year ended on that date

5. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- I. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of subsection (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure I, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the order, to the extent applicable.
- II. As required by the directions issued by the Comptroller and Auditor-General of India, in terms of sub section (5) of section 143 of the Act, we give in the compliance in the Annexure II.
- III. As required by sub-section (3) of Section 143 of the Act, we report that:
- a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
- c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Cash flow statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- e. In terms of Ministry of Company Affairs notification no. GSR 463 (E) dated 5th June 2015, Government Companies are exempt from applicability of provisions of section 164 (2) of Companies Act 2013.
- f. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements- Refer Note No 26 to the financial statement.
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For Kumar Chopra & Associates
Chartered Accountants
(FRN: 000131N)
Sd/(R.K. Aggarwal)
Partner

Place of signature : New Delhi Partner

Date: 11.08.2015 (M. No 081510)



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक I

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 5(1) के संबंध में स्वतंत्र निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

- 1. क) कंपनी ने अचल परिसंपतियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित विवरणों को पूर्ण रूप से दर्शाने वाला दस्तावेजों के रिकार्डी को उचित रूप से तैयार किया है।
 - ख) प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपतियों को वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। इन सत्यापनों के अनुसार कोई विसंगति नहीं पाई गई है।
- 2. क) कंपनी रेल अवसंरचना संबंधी पिरयोजनाओं को कार्यान्वित करने और वस्तुसूची के व्यवसाय में है, इसमें मुख्यतया वे पिरयोजनाएं शामिल हैं, जिनके कार्य प्रगित पर हैं। वर्ष के दौरान, वस्तुसूची की भौतिक रूप से जांच की गई और मूल्यांकन बहियों में इनको दर्ज किया गया। व्यवसाय और वस्तुसूची की प्रकृति को देखते हुए भौतिक जांच की आवृति हमारी दृष्टि में उचित है।
 - ख) कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में प्रबंधन द्वारा वस्तुसूचियों की भौतिक जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रियाएं उचित और पर्याप्त हैं।
 - ग) कंपनी ने वस्तुसूचियों के सही रिकार्ड रखें और भौतिक जांच के दौरान कोई बड़ी खामी सामने नहीं आई।
- कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत रखे गए रिजस्टर में दर्ज कंपनियों, फर्मों या दूसरे पक्षों को ऋण जमानती या गैर जमानती ऋण प्रदान नहीं किया।
- 4. हमारी दृष्टि में और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सामग्रियों और अचल परिसंपितयों की खरीद और माल (परियोजनाओं) की बिक्री के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धित है। लेखा परीक्षा अविध के दौरान कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रमुख कमजोरियों को दूर करने में निरंतर खामी का कोई भी मामला न तो हमारे सामने आया है और न ही सूचित किया गया है।
- 5. हमें उपलब्ध कराई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा प्राप्त नहीं की है।
- 6. केन्द्र सरकार ने कंपनी के किसी भी उत्पाद के लिए अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकार्ड का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया है।
- 7. क) कंपनी उस पर लागू भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकायों सहित विवाद रहित सांविधिक बकायों को उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है। हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31.03.2015 को किसी भी सांविधिक बकाये के संबंध में कोई विवादग्रस्त देय राशि अपनी देय होने की तिथि से छः माह से अधिक की अविध के लिए देय नहीं है।
 - ख) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए स्पष्टीकरणों के अनुसार आयकर अथवा बिक्री कर अथवा संपत्ति कर अथवा सेवा कर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा मूल्य वर्धित कर अथवा उपकर का कोई बकाया नहीं है, जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।
 - ग) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में कोई धनराशि अंतरित करने की जरूरत नहीं पड़ी।
- 31.03.2015 को वित्तीय विवरणों में कोई संचयी हानियां नहीं है कंपनी ने चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष किसी रोकड़ हानि को वहन नहीं किया है।
- 9. हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों अथवा ऋणपत्र धारकों को बकायों के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
- 10. हमें उपलब्ध कराई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा लिए गए ऋण पर कोई गारंटी नहीं दी है।
- साविध ऋण उन्हीं कार्यों में इस्तेमाल किए गए, जिनके लिए ऋण लिया गया था।
- 12. हमें उपलब्ध कराई सूचना और स्पष्टकरणों के अनुसार, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है।

कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(FRN: 000131N) हस्ता./—

(आर.के. अग्रवाल)

साझेदार

(M. No 081510)

हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 11.08.2015



ANNEXURE I TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Annexure to the Independent Auditors' Report referred to in paragraph 5(I) of our report of even date on the standalone financial statements of Rail Vikas Nigam Limited, for the Year ended 31st March, 2015

- 1. a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.
 - b) The fixed assets have been physically verified by the management during the year at reasonable interval. No material discrepancies were noticed on such verification.
- 2. a) The company is in business of implementing railway infrastructure projects and the inventory primarily consists of project work in progress. The inventories are physically verified during the year and the same is recorded in the measurement book. Keeping in view the nature of business and inventory, the frequency of physical verification in our opinion is reasonable.
 - b) The procedures of physical verification of inventories followed by management are reasonable and adequate in relation to the size of the company and nature of its business.
 - c) The company is maintaining proper records of inventories and no material discrepancies were noticed on physical verification.
- The company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Act.
- 4. In our opinion and according to the information and explanation given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the company and nature of its business with regard to purchases of inventories and fixed assets and for the sale of goods (projects). During the audit, we have not observed any continuing failure to correct major weaknesses in the internal control system of the company.
- 5. According to the information and explanation given to us the company has not accepted any deposit during the year from the public.
- 6. The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section 148(1) of the Act for any of the products of the company.
- 7. a) The company is regular in depositing with the appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, wealth tax, service tax, custom duty, excise duty, value added tax, cess and other statutory dues as applicable to it. According to the information and explanation given to us, no undisputed amount payable in respect of any statutory dues were outstanding as at 31-03-2015 for a period of more than six months from the date they become payable.
 - b) According to the information and explanation given to us, there are no dues of income tax or sales tax or wealth tax or service tax or custom duty or excise duty or value added tax or cess which have not been deposited on account of any dispute.
 - c) During the year, no amount was required to be transferred to investor education and protection fund in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 1956 and rules made thereunder.
- 8. There are no accumulated losses of the company as on 31.03.2015. The company has not incurred cash losses in current financial year and in the immediate preceding financial year.
- 9. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not defaulted in repayment of dues to a financial institutions or bank or debenture holders.
- 10. As per the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from bank or financial institutions.
- 11. The term loans have been applied for the purpose for which loans were obtained.
- 12. According to the information and explanation given to us, no fraud on or by the company has been noticed or reported during the course of audit.

For Kumar Chopra & Associates
Chartered Accountants
(FRN: 000131N)
Sd/(R.K. Aggarwal)
Partner
(M. No 081510)

Place of signature: New Delhi

Date: 11.08.2015



स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक ॥

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 5 (II) के संदर्भ में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

| क्र. सं. | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निदेश | हमारी रिपोर्ट | तत्संबंधी की गई कार्रवाई | कंपनी के लेखों और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव |
|-------------|---|--|--|---|
| 1 | यदि कंपनी को विनिवेश के लिए चुना जाता है तो विनिवेश प्रक्रिया की विधि और वर्तमान चरण सिहत परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों और भूमि सिहत) का मूल्यांकन और दायिताओं (वचनबद्ध और सामान्य आरक्षित सिहत) के अनुसार एक संपूर्ण स्थिति रिपोर्ट की जांच की जाए। | वर्ष 2014—15 के दौरान किसी भी विनिवेश को नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कंपनी को भारत सरकार द्वारा विनिवेश के लिए नहीं चुना गया। | किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। | कुछ नहीं |
| 2 | कृपया बताएं कि उधार / ऋणों / ब्याज को माफ / समाप्त करने का कोई मामला हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और संलग्न राशि बताएं। | हमें उपलब्ध कराए गए रिकार्ड और सूचना के अनुसार किसी बड़े उधार /ऋण /ब्याज को माफ / समाप्त करने का कोई मामला हुआ | किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। है। | कुछ नहीं |
| 3 | क्या थर्ड पार्टियों के पास रखी वस्तुसूची और सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा जाता है। | थर्ड पार्टियों के पास कोई वस्तुसूची नहीं है और रेविनिलि द्वारा सरकार अथवा किसी भी अन्य प्राधिकरणों से कोई भी उपहार के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है। | किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। | कुछ नहीं |
| 4 | मामलों की लंबिता के कारणों और सभी कानूनी मामलों (विदेशी और स्थानीय) पर व्यय के लिए निगरानी तंत्र की स्थिति / प्रभाविता सहित लंबित मामलों / पंचाट मामलों के आयु—वार विश्लेषण दिया जाए। | हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, रेविनिलि के ठेकेदारों से संबंधित 27 कानूनी / पंचाट मामलें लंबित हैं। इन मामलों का आयु—वार विश्लेषण निम्नानुसार है: मामलों की आयु मामलों की संख्या 2 वर्ष से कम 18 2—3 वर्ष 1 वर्षों से अधिक 8 पंचाट में मामलों के लंबित होने के सामान्य कारण है (i) सुनवाई चल रही है या पूरी हो गई लेकिन अधिकरण द्वारा निर्णय नहीं दिया गया है (ii) अतिरिक्त ब्यौरों / दस्तावेजों की कमी से पंचाट प्रक्रिया चल रही है। (iii) कुछ मामलों में अभी तक बहस शुरू नहीं हुई है। मध्यस्थों की नियुक्ति ठेकेदारों के साथ ठेका अनुबंध निर्धारित पद्धित के अनुसार की गई है। मध्यस्थों / वकीलों को रेविनिलि द्वारा निर्धारित दरों अथवा जैसा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकद्वारा अनुमोदित किया गया है, के अनुसार भुगतान किया गया है। | कंपनी के विरुद्ध दायर कानूनी मामलों की समीक्षा की गई है। लेखांकन मानक—29 के अनुसार, राशि का प्रकटन, लेखों में यदि कोई प्रावधान हो तो प्रावधानों / दायिता के लिए समायोजन के बाद लेखों के नोट्स में आकस्मिक दायिता के रूप में किया गया है | प्रकटन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 26 में दिया गया है। |

कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(FRN: 000131N) हस्ता. / —

(आर.के. अग्रवाल)

साझेदार

(M. No 081510)

हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 11.08.2015



ANNEXURE II TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Annexure to the Independent Auditors' Report referred to in paragraph 5(II) of our report of even date on the standalone financial statements of Rail Vikas Nigam Limited for the Year ended 31st March, 2015

| S. No. | CAG's Directions | Our Report | Action Taken thereon | Impact on accounts and financial statements of the company |
|-----------|--|---|--|---|
| 1. | If the Company has been selected for disinvestment, a complete status report in terms of valuation of Assets (including intangible assets and land) and Liabilities (including Committed and General Reserves) may be examined including the mode and present stage of disinvestment process | No disinvestment has been taken place during the year 2014-15 Further as per information provided to us. RVNL has not been selected for disinvestment by Government of India during the year. | No action required. | NIL |
| 2 | Please report whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc., if any, the reasons there for and the amount involved | As per record and information provided to us, there are no case of waiver/write off of debts/loans/interest etc. | No action required. | NIL |
| 3 | Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gifts from Govt. or other authorities | No inventory is lying with third parties and no asset has been received as gifts from Government or any other authorities by RVNL. | No action required. | NIL |
| 4 | A report on age-wise analysis of pending legal/arbitration cases including the reasons of pendency and existence/effectiveness of monitoring mechanism for expenditure on all legal cases (foreign and local) may be given. | As per record and information provided to us, there are 27 legal/ arbitration cases pending relating to contractors. Age-wise statement of these cases is as follows: Age of cases Less than 2 years 1 More than years Cases under arbitration are generally pending due to (i)hearing in process or completed but not yet pronounced by the tribunal (ii) arbitration proceedings are in process for want of additional details/documents (iii) argument has not yet started in some cases. Arbitrators are appointed as per the procedure prescribed in the Contract Agreement with the Contractors. Payment to the Arbitrators/lawyers are paid as per the rates prescribed by RVNL or as approved by CMD. | The legal cases have been reviewed and for cases filed against the company. In terms of AS-29, the amount has been disclosed as contingent liability in notes to accounts after adjusting for provision/ liability if any provided in the accounts | Disclosure has been given at note no. 26 to financial statement. |

For Kumar Chopra & Associates Chartered Accountants (FRN: 000131N) Sd/-(R.K. Aggarwal)

Partner (M. No 081510)

Place of signature : New Delhi Date: 11.08.2015



गोंपनीय



भारतीय लेखा परीक्षा एवम् लेखा विभाग कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्ष, रेलवे—वाणिज्यिक काफमो, भारतीय रेल, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली—110 002

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR AUDIT (RLY-COMMERCIAL) COFMOW, INDIAN RAILWAYS, TILAK BRIDGE, NEW DELHI- 110002

सं.पीडीए/आरसी/पीएसयू/32-13/रेविनिलि/2015-16/404

दिनांकः 21.09.2015

सेवा में.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेल विकास निगम लिमिटेड, प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली—110066

विषयः 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (एकल), नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी। महोदय.

वर्ष 2014—15 के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (एकल), नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत 'शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र' संलग्न है। वित्तीय विवरणों (एकल) पर शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया जाए। कंपनी की मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की छः प्रतियां यथाशीघ्र हमारे कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

कृपया पत्र की पावती उपलब्ध कराएं।

आपका,

संलग्नकः यथोक्त

हस्ता. /— दिनेश भार्गव प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, (रेलवे वाणिज्य)



Confidential



भारतीय लेखा परीक्षा एवम् लेखा विभाग कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्ष, रेलवे—वाणिज्यिक काफमो, भारतीय रेल, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली—110 002

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR AUDIT (RLY-COMMERCIAL) COFMOW, INDIAN RAILWAYS, TILAK BRIDGE, NEW DELHI- 110002

No. PDA/RC/PSU/32-13/RVNL/2015-16/404

Dated:21.09.2015

To

The Chairman and Managing Director,
Rail Vikas Nigam Limited,

1st Floor, August Kranti Bhavan,
Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi - 110066

Subject: Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Rail Vikas Nigam Limited (Standalone), New Delhi for the year ended 31st March 2015.

Sir,

The Nil Comments Certificate under Section 143 (6) (b) of the Companies Act. 2013 on the Financial Statements of Rail Vikas Nigam Limited (Standalone), New Delhi for the year 2014-15 is enclosed. The Nil Comments Certificate on the Financial Statements (Standalone) may be placed before the Annual General Meeting along with Financial Statements of the Company in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013. Six copies of the printed Annual Reports of the Company may please be sent to this office at the earliest.

Receipt of the letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl: As above

Sd/-(Dinesh Bhargav) Principal Director of Audit (Railway Commercial)



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के अधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करने की जिम्मेदारी है। कहा गया है कि उनके द्वारा यह कार्य दिनांक 11.08.2015 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया गया है।

मैने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों को देखे बगैर की गई और यह मुख्यतया सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकार्ड की जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा की गई लेखा—परीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी सामने नहीं आई है, जिसके कारण सांविधिक लेखा—परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी करने पड़ें या इसमें कुछ जोड़ना पड़े।

भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और की ओर से

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 21.09.2015 हस्ता. /— दिनेश भार्गव प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, (रेलवे वाणिज्य)



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF RAIL VIKAS NIGAM LIMITED, NEW DELHI FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015

The preparation of financial statements of **RAIL VIKAS NIGAM LIMITED**, **NEW DELHI** for the year ended 31 March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 11-08-2015.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of **RAIL VIKAS NIGAM LIMITED, NEW DELHI** for the year ended 31 March 2015. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on the behalf of the Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi Date: 21.09.2015 Sd/-(Dinesh Bhargav) Principal Director of Audit (Railway Commercial)



रेल विकास निगम लिमिटेड 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र

| | Particulars | Note | Balance as Amount (₹) | at March 31, 2015 Amount (₹) |
|-----|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| I. | इक्विटी और दायिताएं | | | |
| (1) | शेयरधारकों की निधियां | | | |
| | (क) शेयर पूंजी | 2 | 2085,02,01,000 | |
| | (ख) आरक्षित एवं अधिशेष | 3 | 931,98,25,516 | 3017,00,26,516 |
| (2) | गैर–चालू दायिताएं | 4 | | |
| | (क) दीर्घकालिक ऋण | | 2186,14,95,398 | |
| | (ख) अन्य दीर्घकालिक दायिताएं | | 712,89,23,094 | |
| | (ग) दीर्घावधि प्रावधान | | 5,57,57,456 | |
| | (घ) आस्थगित कर दायिता (शुद्ध) | | 37,54,56,617 | 2942,16,32,565 |
| (3) | चालू दायिताएं | 5 | | |
| | (क) अल्पकालिक ऋण | | 9576,83,54,994 | |
| | (ख) व्यापार के लिए देय | | 50,09,28,353 | |
| | (ग) अन्य चालू दायिताएं | | 934,01,52,948 | |
| | (घ) लघुकालिक प्रावधान | | 82,93,03,027 | 10643,87,39,322 |
| | जोड़ | | | 16603,03,98,403 |
| II. | परिसंपत्तियां | | | |
| (1) | गैर-चालू परिसंपत्तियां | | | |
| | (क) अचल परिसंपत्तियां | 6 | | |
| | (i) मूर्त परिंपत्तियां | | 375,22,74,925 | |
| | (ii) अमूर्त परिसंपत्तियां | | 12,41,248 | |
| | (iii) निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | | 296,21,77,067 | |
| | (iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | | 1,65,75,496 | |
| | (ख) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम | 7 | 503,06,85,882 | |
| | (ग) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां | 8 | 498,46,38,611 | 1674,75,93,229 |
| (2) | चालू परिसंपत्तियां | | | |
| | (क) चालू परियोजना कार्य | 9 | 11567,38,13,300 | |
| | (ख) व्यापार प्राप्य | 10 | 213,04,23,067 | |
| | (ग) नकदी और बैंक जमा राशि | 11 | 1869,26,92,864 | |
| | (घ) लघुकालिक ऋण और अग्रिम | 12 | 339,21,34,946 | |
| | (ड.) परियोजना कार्य के लिए अग्रिम | 13 | 864,15,69,683 | |
| | (च) अन्य चालू परिसंपत्तियां | 14 | 75,21,71,313 | 14928,28,05,173 |
| | जोड़ | | | 16603,03,98,403 |
| | वित्तीय विवरण के नोट के साथ देखें | | | |
| | महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार | 1 | | |
| | | १ से ३५ टिप्पणियां वित्तीय विव | प्रणों के अंतर्निहित भाग | - हੇ |

1 से 35 टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अंतर्निहित भाग है

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

यह हमारी आज की तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में तुलन पत्र है।

कुमार चोपड़ा एवं एसोसिएट्स के लिए

चार्टेंड एकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्याः 000131एन

हस्ता. / – आर.के. अग्रवाल भागीदार M. No. 081510 स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 31.08.2015 हस्ता. / – एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DIN : 01637856

हस्ता./— अशोक कृ. गंजू निदेशक वित्त DIN: 01970462 हस्ता./– कल्पना दुबे कंपनी सचिव



RAIL VIKAS NIGAM LIMITED Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2015

| | Particulars | Note | Balance as Amount (₹) | at March 31, 2015 Amount (₹) |
|-----|--|------|--------------------------|---------------------------------|
| I. | EQUITY AND LIABILITIES | | | |
| (1) | Shareholders' Funds | | | |
| | (a) Share Capital | 2 | 2085,02,01,000 | |
| | (b) Reserves and Surplus | 3 | 931,98,25,516 | 3017,00,26,516 |
| (2) | Non-Current Liabilities | 4 | | |
| | (a) Long-Term Borrowings | | 2186,14,95,398 | |
| | (b) Other Long Term Liabilities | | 712,89,23,094 | |
| | (c) Long-Term Provisions | | 5,57,57,456 | |
| | (d) Deferred Tax Liabilities (Net) | | 37,54,56,617 | 2942,16,32,565 |
| (3) | Current Liabilities | 5 | | |
| | (a) Short Term Borrowings | | 9576,83,54,994 | |
| | (b) Trade Payables | | 50,09,28,353 | |
| | (c) Other Current Liabilities | | 934,01,52,948 | |
| | (d) Short-Term Provisions | | 82,93,03,027 | 10643,87,39,322 |
| | TOTAL | | | 16603,03,98,403 |
| II. | ASSETS | | | |
| (1) | Non-Current Assets | | | |
| | (a) Fixed Assets | 6 | | |
| | (i)Tangible Assets | | 375,22,74,925 | |
| | (ii)Intangible Assets | | 12,41,248 | |
| | (iii)Capital Work in Progress | | 296,21,77,067 | |
| | (iv)Intangible Assets under development | | 1,65,75,496 | |
| | (b) Long-Term Loans and Advances | 7 | 503,06,85,882 | |
| | (c) Other Non-Current Assets | 8 | 498,46,38,611 | 1674,75,93,229 |
| (2) | Current Assets | | | |
| | (a) Project-Work-in-Progress | 9 | 11567,38,13,300 | |
| | (b) Trade Receivables | 10 | 213,04,23,067 | |
| | (c) Cash and Bank Balances | 11 | 1869,26,92,864 | |
| | (d) Short-Term Loans and Advances | 12 | 339,21,34,946 | |
| | (e) Advances for Project Work | 13 | 864,15,69,683 | |
| | (f) Other Current Assets | 14 | 75,21,71,313 | 14928,28,05,173 |
| | TOTAL | | | 16603,03,98,403 |
| | See accompanying notes to the financial statements | | | |
| | Summary of Significant Accounting Policies | 1 | | |

The notes 1 to 35 form an Integral part of the Financial Statements

This is the Consolidated Balance Sheet referred to in our report of even date

For Kumar Chopra & Associates

Chartered Accountants

Firm Registration Number.: 000131N

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-Sd/-Sd/-Sd/-R.K. AggarwalS.C. AgnihotriAshok K. GanjuKalpana DubeyPartnerChairman and Managing DirectorDirector FinanceCompany SecretaryM. No. 081510DIN: 01637856DIN: 01970462

Place: New Delhi Date: 31.08.2015



रेल विकास निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

| | विवरण | टिप्पणी | | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष को शेष | |
|-------------|---|--------------|----------------|-------------------------------------|--|
| | | | राशि (₹) | राशि (₹) | |
| l. | परिचालन से प्राप्त राजस्व (टर्नओवर) | 15 | | 34,477,306,929 | |
| | | | | | |
| II. | अन्य आय | 16 | | 1,204,035,200 | |
| III. | कुल राजस्व (I + II) | | | 35,681,342,129 | |
| IV. | व्यय: | | | | |
| | परिचालन पर व्यय | 17 | | 30,256,131,309 | |
| | कर्मचारी हितलाभ व्यय | 18 | | 719,366,606 | |
| | अन्य व्यय | 19 | | 263,484,868 | |
| | वित्तीय लागत | 20 | | 99,828,611 | |
| | डीपीई दिशा–निदेशों के अनुसार अन्य व्यय | 21 | | 46,687,497 | |
| | कुल व्यय | | | 31,385,498,890 | |
| V. | मूल्यह्रास और कर पूर्व लाभ (III-IV) | | | 4,295,843,239 | |
| VI. | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 6 | | 376,437,736 | |
| VII. | कर पूर्व लाभ (V - VI) | | | 3,919,405,503 | |
| VIII. | कर व्यय: | | | | |
| | (1) आयकर | | | | |
| | (क) चालू कर | | 628,469,601 | | |
| | (ख) पिछले वर्षों का | | 24,491,911 | | |
| | (2) आस्थगित कर | | 39,568,788 | 69,25,30,299 | |
| IX | वर्ष के लिए लाभ (हानि) (VII - VIII) | | | 322,68,75,203 | |
| Χ | प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः | | | | |
| | मूल | | | 1.55 | |
| | हमारी आज की तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण है। | | | | |
| | 35 टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अंतर्निहित भाग है | | | | |
| _ | र चोपड़ा एवं एसोसिएट्स के लिए | बोर्ड के लिए | एवं उनकी ओर से | | |
| चाट फर्म | ंड एकाउंटेंट्स रजिस्ट्रेशन संख्याः 000131एन | | | | |
| फर्म | रजिस्ट्रेशन संख्याः 000131एन | | | | |

हस्ता. / – आर.के. अग्रवाल भागीदार M. No. 081510 स्थानः नई दिल्ली दिनांक : 31.08.2015 हस्ता. / – एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DIN : 01637856 हस्ता. / — अशोक कृ. गंजू निदेशक वित्त DIN : 01970462 हस्ता./– कल्पना दुबे कंपनी सचिव



RAIL VIKAS NIGAM LIMITED

Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March 2015

| | Particulars | Notes | Figures for the Year Ended 31.03.2015 | |
|-------|---|-------|---------------------------------------|----------------|
| | | | Amount (₹) | Amount (₹) |
| l. | Revenue from Operations (Turnover) | 15 | | 34,477,306,929 |
| | | | | |
| II. | Other Income | 16 | | 1,204,035,200 |
| | Total December (L. 11) | | | 05 004 040 400 |
| III. | Total Revenue (I + II) | | | 35,681,342,129 |
| IV. | Expenses: | | | |
| | Expenses on Operations | 17 | | 30,256,131,309 |
| | Employee Benefits Expenses | 18 | | 719,366,606 |
| | Other Expenses | 19 | | 263,484,868 |
| | Finance Cost | 20 | | 99,828,611 |
| | Other Expenses as per DPE Guidelines | 21 | | 46,687,497 |
| | Total Expenses | | | 31,385,498,890 |
| V. | Profit Before Depreciation and Tax (III-IV) | | | 4,295,843,239 |
| VI. | Depreciation and Amortisation Expense | 6 | | 376,437,736 |
| VII. | Profit Before Tax (V - VI) | | | 3,919,405,503 |
| VIII. | Tax Expense: | | | |
| | (1) Income Tax | | | |
| | (a) Current Tax | | 628,469,601 | |
| | (b) Earlier Years | | 24,491,911 | |
| | (2) Deferred Tax | | 39,568,788 | 69,25,30,299 |
| IX | Profit (Loss) for the Year (VII - VIII) | _ | | 322,68,75,203 |
| Χ | Earnings Per Equity Share: | | | |
| | Basic | | | 1.55 |

This is the Consolidated Statement of Profit & Loss referred to in our report of even date

The notes 1 to 35 form an integral part of the Financial Statements

For Kumar Chopra & Associates

Chartered Accountants FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Firm Registration Number.: 000131N

Sd/-Sd/-Sd/-Sd/-R.K. AggarwalS.C. AgnihotriAshok K. GanjuKalpana DubeyPartnerChairman and Managing DirectorDirector FinanceCompany SecretaryM. No. 081510DIN: 01637856DIN: 01970462

Place: New Delhi Date: 31.08.2015



31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष को शेष | |
|-------------|---|-------------------------------------|------------------|
| | | राशि (₹) | राशि (₹) |
| 1 | (क) परिचालनिक गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | |
| | कर और अन्य असामान्य मदों से पूर्व शुद्ध लाभ | 391,94,05,503 | |
| | जोड़ेः के लिए समायोजन : | | |
| | मूल्यहास | 37,64,37,736 | |
| | अन्य आय | (118,65,57,981) | |
| | प्राप्त लाभांश | | |
| | बट्टे खाते में डाले गए प्रारंभिक व्यय | | |
| | कार्यशील पूंजी पूर्व परिचालन लाभ | 310,92,85,257 | |
| | (ख) कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजनः | | |
| | परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन : | | |
| | व्यापार प्राप्य | (1,227,880,761) | |
| | लघुकालिक ऋण और अग्रिम | (351,316,395) | |
| | दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम | (371,791,706) | |
| | अन्य चालू परिसंपत्तियां | (24,640,792,607) | |
| | अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां | (200,268,708) | |
| | | (26,792,050,177) | |
| | (ग) परिचालन दायिताओं में (वृद्धि)/(कमी) के लिए समायोजनः | | |
| | देय प्राप्य | (62,294,274) | |
| | अन्य चालू दायिताएं | 349,892,477 | |
| | अन्य दीर्घकालिक दायिताएं | 947,610,051 | |
| | लघुकालिक प्रावधान | 173,049,137 | |
| | दीर्घकालिक प्रावधान | 16,795,692 | |
| | | 1,425,053,083 | |
| | परिचालन से उत्सर्जित नकदी | (22,257,711,837) | |
| | प्रत्यक्ष कर भुगतान / प्राप्ति (टीडीएस के रूप में कुल प्राप्ति) | (692,530,299) | |
| | परिचालनिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह (क) | (22,950,242,137) | (22,950,242,137) |
| 2 | निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी :- | | |
| | पूंजीगत अग्रिम सहित अचल परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय | (557,068,874) | |
| | अचल संपत्तियों की बिक्री से आमदनी | 10,642,937 | (557,068,874) |
| | नकदी और नकदी समतुल्य न समझे जाने वाला बैंक शेष | - | |
| | नकदी और नकदी समतुल्य न समझे जाने वाला चालू निवेशः | | |
| | - खरीद | - | |
| | दीर्घकालिक निवेशों की खरीदः | | |
| | - संयुक्त उपक्रम | 849,875,000 | |
| | ब्याज से आय (राजस्व) | | |
| | - अन्य | 118,65,57,981 | |
| | प्राप्त लाभांश | | |
| | - संयुक्त उपक्रम | <u></u> | |
| | निवेश गतिविधियों से /(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी उत्सर्जन (ख) | 1,490,007,044 | 1,490,007,0443 |
| | | | |



Consolidated Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March 2015

| S. No. | · | | for the Year Ended 31.03.2015 | |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|
| | | Amount (₹) | Amount (₹) | |
| 1 | (a) Cash Flow from Operating Activities | | | |
| | Net Profit Before Taxation, and Extraordinary Items | 391,94,05,503 | | |
| | Add: Adjustment for : | | | |
| | Depreciation | 37,64,37,736 | | |
| | Other Income | (118,65,57,981) | | |
| | Dividend Received | | | |
| | Preliminary expenses written off | | | |
| | Operating Profit Before Working Capital Changes | 310,92,85,257 | | |
| | (b) Adjustments for Changes in Working Capital: | | | |
| | Adjustments for (Increase)/Decrease in Operating Assets: | | | |
| | Trade Receivables | (1,227,880,761) | | |
| | Short-Term Loans and Advances | (351,316,395) | | |
| | Long-Term Loans and Advances | (371,791,706) | | |
| | Other Current Assets | (24,640,792,607) | | |
| | Other Non- Current Assets | (200,268,708) | | |
| | | (26,792,050,177) | | |
| | (c) Adjustments for (Increase)/Decrease in Operating Liabilities: | | | |
| | Trade Payables | (62,294,274) | | |
| | Other Current Liabilities | 349,892,477 | | |
| | Other Long -Term Liabilities | 947,610,051 | | |
| | Short Term Provisions | 173,049,137 | | |
| | Long Term Provisions | 16,795,692 | | |
| | | 1,425,053,083 | | |
| | Cash Generated from Operations | (22,257,711,837) | | |
| | Direct Taxes Paid/Received (Net of TDS) | (692,530,299) | | |
| | Cash Flow from Operating Activities (A) | (22,950,242,137) | (22,950,242,137) | |
| 2 | Cash from Investment Activities :- | | | |
| | Capital Expenditure on Fixed Assets, Including Capital Advances | (557,068,874) | | |
| | Proceeds from Sale of Fixed Assets | 10,642,937 | (557,068,874) | |
| | Bank Balances not Considered as Cash and Cash Equivalents | - | | |
| | Current Investments not Considered as Cash and Cash Equivalents: | | | |
| | - Purchased | - | | |
| | Purchase of Long Term Investments: | | | |
| | - Joint Venture | 849,875,000 | | |
| | Interest Income (Revenue) | | | |
| | - Others | 118,65,57,981 | | |
| | Dividend Received | | | |
| | - Joint Venture | - | | |
| | Net Cash Generated from / (used in) Investing Activities (B) | 1,490,007,044 | 1,490,007,0443 | |
| | | | | |



| क्र. सं. | विवरण | |)3.2015 को 1 वर्ष को शेष |
|-------------|--|-----------------|-----------------------------|
| | | राशि (₹) | राशि (₹) |
| 3 | वित्तपोषण से नकदी प्रवाह:- | | |
| | शेयर पूंजी (शेयर आवेदन धनराशि सहित) जारी करने प्राप्त आय | | |
| | दीर्घकालिक ऋण से प्राप्त आमदनी | 273,00,00,000 | |
| | दीर्घावधि ऋणों का पुनर्भुगतान | (321,10,87,233) | |
| | अल्पकालिक ऋणों से आय | 3,123,57,94,179 | |
| | अल्पकालिक ऋणों का पुनर्भुगतान | (647,66,46,991) | |
| | लाभांश और तत्संबंधी कर | (4,291,17,500) | |
| | आरक्षित निधियों का उपयोग | 1,121,14,794 | |
| | वित्तपोषण गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी उत्सर्जन (ग) | 2,396,10,57,249 | 2,396,10,57,249 |
| | नकदी एवं नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग) | | 25,00,22,157 |
| | वर्ष की शुरूआत में नकदी एवं नकदी समतुल्य | | 1,619,18,70,707 |
| | 31 मार्च, 2014 को नकदी एवं नकदी समतुल्य | | 1,869,26,92,864 |
| | नकदी एवं नकदी समतुल्य | | |
| | नकदी और चैक इन हैंड | 10,21,089 | |
| | अनुसूचित बैंकों में जमा शेष | | |
| | चालू खाते में | 827,90,33,193 | |
| | | | |

टिप्पणियां:

सावधि खाते में

उपरोक्त रोकड़ प्रवाह विवरण दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाऊंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस—3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि में तैयार किया गया है। — जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध और पुनःव्यवस्थित किया गया है।

यह हमारी आज की तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण है। 1 से 35 टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अंतर्निहित भाग है

कुमार चोपड़ा एवं एसोसिएट्स के लिए चार्टेंड एकाउंटेंट्स फर्म रजिस्ट्रेशन संख्याः 000131एन

> हस्ता. / — एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DIN : 01637856

स्थानः नई दिल्ली दिनांक : 31.08.2015

हस्ता./-

भागीदार

M. No. 081510

आर.के. अग्रवाल

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

1041,26,38,582

हस्ता. / — अशोक कृ. गंजू निदेशक वित्त DIN : 01970462 हस्ता./– कल्पना दुबे कंपनी सचिव



| S. | Particulars | Figures for the | Year Ended |
|-----|-------------|-----------------|------------|
| No. | | 31.03. | 2015 |
| | | Amount (₹) | Amount (₹) |
| | | | |

| Cash Flow from Financing Activities :- | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Proceeds from issuance of share capital (including share application money) | | |
| Proceeds from Long Term Borrowings | 273,00,00,000 | |
| Repayment of Long -Term Borrowings | (321,10,87,233) | |
| Proceeds from Short Term Borrowings | 3,123,57,94,179 | |
| Repayment of Short -Term Borrowings | (647,66,46,991) | |
| Proposed Dividend and Tax thereon | (4,291,17,500) | |
| Utilisation of Reserve | 1,121,14,794 | |
| Net Cash Generated from / (used in) Financing Activities (C) | 2,396,10,57,249 | 2,396,10,57,249 |
| Net Increase/(Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A+B+C) | | 25,00,22,157 |
| Cash & Cash Equivalent at the beginning of the Year | | 1,619,18,70,707 |
| Cash & Cash Equivalent at the March 31, 2015 | | 1,869,26,92,864 |
| Cash and Cash Equivalents | | |
| Cash and Cheques in Hand | 10,21,089 | |
| Balance with Scheduled Banks | | |
| On Current Account | 827,90,33,193 | |
| On term Deposit Account | 1041,26,38,582 | |

Notes:

The above Cash flow statement has been prepared under the indirect method setout in AS-3 issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Cash & Cash Equivalent at the beginning of the Year is unaudited.

This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date

Kumar Chopra & Associates

Chartered Accountants FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Firm Registration Number.: 000131N

Sd/-Sd/-Sd/-Sd/-S.C. Agnihotri R.K. Aggarwal Ashok K. Ganju **Kalpana Dubey** Partner Chairman and Managing Director **Director Finance** Company Secretary M. No. 081510 DIN: 01637856 DIN: 01970462

Place: New Delhi Date: 31.08.2015



1 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार

1.1 तैयारी का आधार

रेल विकास निगम लिमिटेड (रेविनिलि) का वित्तीय विवरण, कंपनियों (लेखा) नियमों, 2014 (यथा संशोधित) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लेखांकन मानकों के अनुपालन में भारत में सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के आधार पर तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को मौजूदा चुनौतियों, प्रोद्भूत आधार और ऐतिहासिक लागत के चालू प्रचलित सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। बहरहाल, कतिपय वृद्धि और उपभोक्ताओं के अन्य दावें, जो निश्चय / स्वीकृत नहीं किए जाते हैं, उन्हें लेखों में नहीं दर्शाया जाता, कंपनी द्वारा अपनाई महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां दर्शाई गई है।

1.2 समेकित किए जाने का आधार

- क) रेल विकास निगम लिमिटेड और उसके सहायक उपक्रमों का समेकित वित्तीय विवरण को लेखाकरण मानक (एएस)21— "समेकित वित्तीय विवरणों" के अनुसार अंतर समूह शेषों और अंतर समूह संव्यवहारों को पूरी तरह समाप्त करने के बाद परिसंपत्तियों, दायिताओं, आय और व्यय की बुक वैल्यू को जोड़ते हुए पंक्ति—दर—पंक्ति आधार पर समेकित किया गया है।
- ख) संयुक्त उपक्रम में कंपनी का हित लेखाकरण मानक (एएस)27 "संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" द्वारा बताई गई विधि के अनुसार यथानुपार समेकित विधि का प्रयोग करते हुए समेकित किया गया है।
- ग) जहां तक संभव हो समेकित वित्तीय विवरणों को एक ही परिस्थितियों में एक समान जैसे संव्यवहारों एवं अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखाकरण नीतियों का प्रयोग किया जाता है और उसी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जैसे कंपनी (आरवीएनएल) पृथक वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करती है।
- घ) सहायक कंपनियों और एसोसिएट्स में निवेश के अतिरिक्त को लेखाकरण मानक निवेश पर लेखाकरण पर (एएस)27 के अनुसार लेखांकित किया गया है।

1.3 अनुमानों का प्रयोग

प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान यथोचित और विवेकी है। इस प्रकार के आकलन के कारण भविष्य के परिणामों में अंतर आ सकता है और वास्तविक परिणाम एवं आकलन के बीच अंतर का परिणाम / कार्य संपन्न होने वाली अवधि में स्वीकार किया जाता है।

1.4 नकदी प्रवाह विवरण

लेखाकरण मानक "3" के "नकदी प्रवाह विवरण" के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि द्वारा नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है जिसमें कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों को नकदी प्रवाह के रूप में दर्शाया गया है। नकदी और बैंक अथशेष के मूल्य परिवर्तन की संभावना नगण्य होती है और इसकी समयावधि आगामी तीन माह तक होती है, को कंपनी के नकदी प्रवाह विवरण के नकदी समत्लय में सम्मिलित किया गया है।

1.5 विशेष और अपवादिक मदें

किसी घटना अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय अथवा व्यय जो स्पष्ट रूप से कंपनी की सामान्य गतिविधियों से अलग हो, को विशेष मदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार की घटनाओं / व्यवसायों का वित्तीय विवण में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार कोई बाहृय घटना जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हो, से आय अथवा व्यय में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हों, को भी विशेष मद माना गया है और इनका उल्लेख भी इसी रूप में किया गया है।

कुछ निश्चित अवसर पर कंपनी की सामान्य गतिविधियों से संबंधित आय अथवा व्यय के किसी मद का आकार, प्रकार अथवा घटना इस प्रकार की होती है जिसका उल्लेख करने से कंपनी के निष्पादन को समझने में मदद मिलती है, इस प्रकार की आय अथवा व्यय को अपवादिक मद के रूप में वगीकृत किया गया है और इनका उल्लेख इसी रूप में लेखा टिप्पणियों में किया गए हैं।

1.6 मूर्त अचल परिसंपत्तियां

मूर्त अचल परिसंपित्तियों की लागत का निर्धाारण उनके मूल्य से संचित मूल्यहास और संचित क्षति को घटाकर किया गया है। इस प्रकार की लागत में भूमि अधिग्रहण लागत के साथ—साथ इनवर्ड माल भाड़ा शुल्क, ड्यूटियां और कर एवं भूमि अधिग्रहण से संबंधिति आकस्मिक व्यय सम्मिलित होते हैं। व्यय राशि में आवश्यक अचल परिसंपित के प्रयोग की तारीख तक इनके अधिग्रहण के लिए गई ऋण राशि भी शामिल है।

1.7 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपित्तियों में लाइसेंस शुल्क, इन—हाउस प्रयोग के लिए आवश्यक अन्य साफ्टवेयर की लागत और सिस्टम साफ्टवेयर की अन्य कार्यान्वयन लागत शामिल है। लागत को उस वर्ष में पूंजगत किया जाता है जिसमें आवश्यक साफ्टवेयर को प्रयोग के लिए खरीदा जाता है। अमूर्त परिसंपित की लागत में इसकी खरीद मूल्य, किसी प्रकार का आयात शुल्क और अन्य कर एवं पंरिसंपित को प्रयोग के लिए चालू करने हेतु प्रत्यक्ष व्यय शामिल है।

1.8 पूंजीगत चालू परियोजना कार्यः

क) व्यय जिनकी संयुक्त उपक्रम (अंगुल सुकिंदा रेलवे कंपनी लिमिटेड, कृष्णपटनम रेलवे कंपनी लिमिटेड) द्वारा किए जा रही परियोजनाओं के रूप में प्रत्यक्ष रूप से पहचान की जा सकती है, उन्हें "पूंजीगत चालू परियोजना कार्य" में डेबिट किया जाता है। निम्न धनराशियों को पूंजीगत चालू परियोजना कार्य से घटाया जाता है:

(i) परियोजना निष्पादन के संबंध में जुटाए गए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज (ii) निविदा पत्रों की से प्राप्त राशि



1. Summary of Significant Consolidated Accounting Policies

1.1 Basis of Preparation

The Consolidated Financial Statements of Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards notified under the Companies (Accounts) Rules, 2014 (as amended) and the relevant provisions of the Companies Act, 2013. These financial statements have been drawn up in accordance with the going-concern principle, on accrual basis and on a historical cost basis. However, certain escalation and other claims by customers, which are not ascertainable / acknowledged, are not taken into account. The significant accounting policies adopted by are given below.

1.2 Principles of Consolidation

- a) The Consolidated Financial Statements of Rail Vikas Nigam Limited and subsidiary have been consolidated line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intra-group balances and intra-group transactions in accordance with Accounting Standard (AS)21 "Consolidated Financial Statements".
- b) The Company's Interest in Joint Ventures is consolidated by using the proportionate consolidation method as per the method given by Accounting Standard (AS) 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures".
- c) As far as possible, the consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances and are presented in the same manner as the Company's (RVNL) separate financial statements.
- d) Investments other than in subsidiaries and associates have been accounted as per Accounting Standard (AS) 13 on Accounting for Investments".

1.3 Use of Estimates

Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known / materialize.

1.4. Cash Flow Statement

The Cash Flow Statement is prepared by the indirect method set out in Accounting Standard "3" on "Cash Flow Statements" and presents the cash flows by operating, investing and financing activities. Cash and bank balance that have insignificant risk of change in value, which have durations up to three months, are included in cash and cash equivalents in the cash flow statement.

1.5 Extraordinary and Exceptional Items

Income or Expenses that arise from events or transactions, that are clearly distinct from the ordinary activities, are classified as Extraordinary items. Specific disclosure of such events/transactions is made in the financial statements. Similarly, any external event beyond the control, significantly impacting income or expense, is also treated as an extraordinary item and disclosed as such.

On certain occasions, the size, type or incidence of an item of income or expense, pertaining to the ordinary activities, is such that its disclosure improves an understanding of the performance. Such income or expense is classified as an exceptional item and accordingly disclosed in the Notes to Accounts.

1.6 Tangible Fixed Assets

Tangible Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment in value. Such cost includes acquisition cost inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental expenses related to acquisition. The expenses also include borrowing cost attributable to acquisition of qualifying fixed assets up to the date the asset is ready for its intended use.

1.7 Intangible Assets

Intangible assets comprise of license fees, other implementation costs for system software and other application software acquired for in-house use. The costs are capitalized in the year in which the relevant software is implemented for use. The cost of an intangible asset comprises its purchase price, including any import duties and other taxes, and any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use.

1.8 Capital Project Work in Progress:

- a) Expenditure which can be directly identified with the Project undertaken by the JVs (Angul Sukinda Railway Co. Ltd., Krishnapatanam Railway Co. Ltd.) are debited to "Capital Project Work in Progress". The following amounts are reduced from the Capital Work in Progress: (i) Interest earned on the Mobilization Advances given in respect of the project execution(ii) Amount received on sale of tender.
- b) Project under which assets are not ready for their intented use and other capital work in progress are carried at cost comprising direct cost, related incidental expenses and attributable interest. (Haridaspur Paradip Railway Co. Ltd.)



ख) परियोजना जिसकी परिसंपत्तियां उनके नियत उपयोग के लिए तैयार नहीं है और अन्य पूंजीगत चालू परियोजना कार्या को अग्रेषित किया जाता है जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकरिमक व्यय और आरोप्य ब्याज (हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड)

1.9 मूल्यहास

5000 या इससे कम मूल्य के की किसी परिसंपत्ति का मूल्यहास खरीद वर्ष में ही 100 प्रतिशत की दर से कम हो जाता है। परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवट आयु का मूल्यहास यथानुपात आधार पर सीधी अवधि द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:

| फर्नीचर और फिक्सचर | 4 व | ार्ष |
|--|------|------|
| कम्पयूटर | 3 व | ार्ष |
| कार्यालय उपस्कर (मोबाइल फोन को छोड़कर) | 5 व | ार्ष |
| मोबाइल फोन | 2 व | ार्ष |
| स्टेशन भवन | 30 d | ार्ष |
| रेलपथ | 15 व | ार्ष |
| संरचना | 15 व | ार्ष |
| मशीनरी एवं संयंत्र (परियोजना) | 15 व | ार्ष |
| पुल | 30 d | ार्ष |
| वाहन | 8 व | ार्ष |

लीजशुदा सुधार का परिशोधन लीज अवधि के दौरान उस वर्ष अथवा अनुसूची प्य के अंतर्गत वर्ष की उस अवधि से किए जाते हैं, जो भी कम हो, तब से परिकलित किए जाते हैं। पूंजीकृत साफ्टवेयर लागत का परिशोधन 33.33 प्रतिशत की दर से यथानुपात आधार पर केवल उन मामलों को छोड़कर किया जाता है जहां उपयोगी अनुमानित आयु तीन वर्ष से कम होती है। लोगो और वेबसाइट की पूंजीकृत लागत को यथानुपात आधार पर पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित की जाती है।

फर्नीचर एवं फिक्सचर और मोबाइल फोन एवं टेबलेट के मामलों को छोड़कर एसएलएम विधि पर मूल्यह्नास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में उल्लेखानुसार उपयोगी है। इन परिसंपत्तियों की कोटियों में, प्रबंधन ने इन परिसंपत्तियों में निहित आर्थिक लाभ और अन्य कारक जैसे तकनीकी बाधाओं और टूट—फूट को ध्यान में रखकर उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया है।

"1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने अपनी स्थिर परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन का पुनर्आकलन किया है। इस पुनर्आकलन के परिणामस्वरूप, आलोच्य अवधि के लिए प्रभारित किए जाने की दर पिछली लागू दर के समान है और अतिरिक्त प्रभाव शून्य है।"

अंगुल सुकिंदा रेलवे कंपनी लिमिटेड और कृष्णपटनम रेलवे कंपनी लिमिटेड अपनी स्टैंड एलोन बैंलेंस शीट में मूल्यह्वास प्रभारित करते समय WDV विधि का पालन कर रहे हैं, बहरहाल उपर्युक्त संयुक्त उपक्रमों के समेकित मूल्यह्वास के उद्देश्य से स्ट्रेट लाइन विधि (एसएलएम) पुनर्गणना और तदनुसार पुनःसमायोजन किया गया है।

1.10 परिसंपत्तियों की क्षति

वस्तुसूची से अतिरिक्त सभी परिसंपत्तियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित तत्वों में ब्याज से अतिरिक्त निवेश की तब समीक्षा की जाता है, जब कभी भी घटनाएं अथवा परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन हो कि अग्रेषित की जाने वाली वसूल किए जाने योग्य नहीं है। जिन परिसंपत्तियों के मूल्य उनकी वसूलनीय राशि से अधिक हैं, उन्हें वसूलनीय राशि से हटा दिया गया है।

1.11 वस्तु—सूची

- (क) चालू परियोजना निर्माण कार्य का मूल्यांकन संविदा दर के आधार पर किया गया है और कार्यस्थलों पर मौजूद निर्माण सामग्री को लागत के रूप में दिखया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए जोनल रेलों को किए गए भुगतान को चालू परियोजना निर्माण कार्य के लिए लागत के रूप में शामिल किया गया है।
- (ख) परियोजनाएं जिनका कार्य समाप्त हो गया हैं, उन्हें परिचालन हेतु चालू परियोजना कार्य से रेलों को सौंपा जा रहा है। भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं कों एएस 19 के अनुपालन में गैर—चालू / चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत "लीज प्राप्य" के रूप में दिखाया गया है। उन परियोजनाओं का कार्य समाप्त समझा गया है जिन पर वर्ष के अंत तक अद्यतन प्रत्याशित लागत का कम से कम 95 प्रतिशत वहन किया जा चुका है।

1.12 राजस्व अभिज्ञान

राजस्व की पहचान कार्य की प्रकृति के आधार पर की गई है जब इन्हें व्यवहारिक पहलूओं को ध्यान में रखकर आंका सके और इनकी वसूली निश्चित रूप से हो। निर्माण / परियोजना संबंधी गतिविधि से राजस्व की पहचान निम्नानुसार की जाती है:

(क) रेल मंत्रालय (एमओआर) के लिए निष्पादित परियोजनाएं: परियोजना निष्पादन से राजस्व का विनिश्चय कुल लागत राशि के साथ—साथ रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत मार्जिन राशि और इस संबंध में तदुपरांत यदि कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया, को जोड़कर किया गया है।



1.9 Depreciation

Depreciation on individual assets acquired for ₹5000/- or less is depreciated at the rate of 100% taking in to consideration the commercial life in the year of purchase itself. Depreciation is provided on pro-rata basis on straight-line method over the estimated useful lives of the assets determined as follows:

| Furniture and Fixture | 4 Years |
|---|----------|
| Computers | 3 Years |
| Office Equipments (Excluding Mobile Phones) | 5 Years |
| Mobile Phones | 2 Years |
| Station Building | 30 Years |
| P-Way | 15 Years |
| Formation | 15 Years |
| Plant & Machinery (Project) | 15 Years |
| Bridges | 30 Years |
| Vehicles | 8 Years |

Leasehold improvements are amortized 'over the period of lease' from the year in which such improvements are capitalized or 'over useful life' as computed under schedule II, whichever is less. Capitalized software costs are amortized @ 33.33% on pro-rata basis except where the estimated useful life is less than three years. Capitalized cost of Logo and website are amortized over a period of five years on prorata basis.

Depreciation on SLM method is in consonance with the useful life specified in Schedule II of the Companies Act, 2013, except in the case of Furniture & Fixtures and Mobiles Phones & Tablets. In both the categories of these assets, Management has estimated the useful life after taking into consideration the economic benefits embodied in these assets and other factors such as technical obsolescence and wear and tear etc.

"In accordance with the provisions of the Companies Act 2013, effective from 1st April, 2014, the Company has reassessed the remaining useful lives of its fixed assets. As a consequence of such reassessment, the rate of charge for depreciation for the period is equal to the previously applied rate of charges and additional impact is NIL."

Angul Sukinda Railway Ltd. (ASRL) and Krishnapatanam Railway Ltd. (KPRCL) are following WDV method while charging depreciation in their stand alone Balance Sheet, however for the purpose of consolidation depreciation of above mentioned JVs have been recomputed as per Straight Line Method (SLM) and adjustments have been done accordingly.

1.10 Impairment of Assets

All assets other than inventories, investments other than interest in Jointly Controlled Entities (JCEs) are reviewed for impairment, whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Assets, whose carrying amount value exceeds their recoverable amount, are written down to the recoverable amount.

1.11 Inventories

- (a) Project Work-in-Progress is valued at the contract rates and construction material at site is stated at cost. Payments made to Zonal Railways for acquiring land included in project Work-in-Progress is stated at cost.
- "(b) Projects completed and handed over to Railways for operations are being transferred from Project Work in Progress to the Railways. IRFC funded projects are shown as "Lease Receivable" under the heads Non-current/ Current assets in Compliance with AS 19. Projects are treated as completed where at least 95% of the latest anticipated cost has been incurred till the end of year."

1.12 Revenue Recognition

Revenue is recognized based on the nature of activity, when consideration can be reasonably measured and there exists reasonable certainty of its recovery. Revenue from construction/project related activity is recognized as follows:

- (a) Projects executed for Ministry of Railways (MOR): Revenue from project execution is determined by adding aggregate cost plus margin agreed with MOR and any subsequent clarifications received in this respect.
- (b) Deposit works (cost plus contract) related to JCEs (Jointly Controlled Entities) in the form of Special Purpose Vehicles and others): Contract revenue is determined by adding the aggregate cost plus proportionate margin (Direction & General Charges) based on fixed percentage as agreed with the customer.



- (ख) विशेष प्रयोजन परियोजना एवं अन्य से संबंधित जेसीई (संयुक्त रूप से नियंत्रित तत्व) के निक्षेप कार्य (लागत संविदा)ः संविदा राजस्व का विनिश्चय उपभोक्ता के साथ तय प्रतिशत के आधार पर कुल लागत में अनुपातिक मार्जिन (डीएंडजी प्रभार) को जोड़कर किया गया है।
- (ग) भारेविनि वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में, रेल मंत्रालय से प्राप्त किश्तों पर ब्याज घटक को भारेविनि से लिए ऋणों पर देय ब्याज घटाया जाता है।
- (घ) ग्राहक द्वारा स्वीकार्य वर्ष में अथवा स्वीकार किए जाने का साक्ष्य मिलने पर दावों को आय के रूप में माना गया है।
- (ड़) निवेश पर ब्याज की गणना संभूति आधार की गई है जिसमें स्त्रोत पर कर कटौती शामिल है।
- (च) प्राप्ति अधिकार की समस्या उत्पन्न होने पर आय के अन्य मदों की गणना की जाती है।
- (छ) संयुक्त उपक्रमों की परिचालन आय परिचालन के लिए कंपनी को देय आमदनी में हिस्से के लिए रेलों से जब भी सूचना प्राप्त होने पर प्रोद्भूत आधार पर दर्शाया जाता है।

1.13 लागत की पहचान

परिचालन राजस्व और परिचालन एवं अनुरक्षण लागत को क्षेत्रीत रेलों द्वारा सूचित अनंतिम आंकड़ों के अनुसार पहचान की जाती है। (केपीआरसीएल, बीडीआरसीएल और कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड)

1.14 कर्मचारी लाभ

क) अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

संपूर्ण कर्मचारी हितलाभ, जिन्हें सेवा समर्पित करने के 12 महीने के भीतर पूर्ण भुगतान आवश्यक है, को अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत गया है। वेतन, परिश्रामिक और अल्पावधि अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति इत्यादि जैसे हितलाभ उस अवधि में मान्य होते हैं जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा समर्पित की होती है।

ख) दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

दीर्घावधि अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति जैसे दीर्घवधि कर्मचारी हितलाभ दायिता, उसी रूप में मान्य जैसा कि नीचे उल्लेखित (ग)(पपप) में परिभाषित हितलाभ योजना के मामले में हुआ है।

ग) नियुक्ति उपरांत हितलाभ

- पिरभाषित अंशदान योजनाः कंपनी द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भविष्य योजना और कर्मचारी राज्य बीमा योजना से संबंधित पिरभाषित अंशदान राशि का योगदान किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत किया गया अंशदान / देय राशि, उस अविध के लिए मान्य होता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान की गई होती है।
- ii. पिरभाषित अंशदान योजनाः कंपनी रेविनिलि मेडिकल और कल्याण योजना के संबंध में रेविनिलि मेडिकल एंड वेलफेयर ट्रस्ट में पिरभाषित अंशदान का योगदान करती है। इन योजनाओं के अंतर्गत किया गया अंशदान / देय राशि, उस अविध के लिए मान्य होता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान की गई होती है।
- iii. परिभाषित हितलाभ योजनाः ग्रेच्यूटी, नियुक्ति उपरांत एक परिभाषित हितलाभ योजना है। तुलन पत्र में दर्शाई गई दायिता तुलन पत्र की तारीख को परिभाषित हितलाभ दायिता की वर्तमान मूल्य है जिसमें से योजनागत परिसंपत्तियों के शुद्ध मूल्य को घटाया जाना है। परिभाषित हितलाभ दायिता की गणना एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा संभावित यूनिट क्रडिट (पीयूसी) विधि का प्रयोग करके किया गया है। लाभ एवं हानि लेखे में बीमांकिक लाभ एवं हानि का उल्लेख तुरंत कर दिया गया है।
- घ) प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत स्टाफ के रिटायरमेंट हितलाभ की गणना रेल मंत्रालय के दिशा—िनदेशों के अनुसार किया गया है।

1.15 विदेशी मुद्रा व्यापार

विदेशी मुद्रा लेन—देन की गणना सौदे की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के आधर पर किया जाता है। निपटारे के कारण हुए लाभ / हानि को लाभ एवं हानि लेख में प्रभारित / जमा किया गया है।

1.16 ऋण लागत

ऋण लागत जो किसी अर्हक परिसंपत्ति के भूमि अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन के लिए आरोप्य है, को ऐसी परिसंपत्ति के लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीगत माना जाता है जब तक परिसंपत्ति प्रयोग के लिए तैयार न हो जाए। अर्हक परिसंपत्ति उस परिसंपत्ति को कहते है जिसे प्रयोग के लिए तैयार होने में बहुत समय लगता है। उन्य सभी ऋण लागत को उस अवधि में व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसमें यह राशि खर्च हुई होती है।

१ १७ आय पर कर

चालू वर्ष की आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार कर योग्य आय तथा जमा कर और कर-मूल्यांकन/अपील के प्रत्याशित परिणामों के आधार पर किया गया है।

तूलन पत्र में न्यूनतम वैकल्पिक कर को परिसंपत्ति के रूप में माना गया है, बशर्तें कि भविष्य में इससे होने वाले आर्थिक लाभ का फायदा कंपनी को मिलेगा।



- (c) In case of IRFC funded projects, interest component on installments received from railways in netted against the interest payable on IRFC borrowings.
- (d) Claims are accounted as income in the year of acceptance by client or evidence of acceptance received.
- (e) Interest on investment is accounted on accrual basis, inclusive of related tax deducted at source.
- (f) Other items of income are accounted as and when the right to receive arises.
- (g) The operating income of the JVs are recognized on accrual basis upon the information as and when received from Railways for the share of revenue due to the company for the operations. The period for which revenue is not intimated by Railway, same is recognized and accounted for on pro-rata estimated basis.

1.13 Cost Recognition

Operating revenue and Operation & Maintenance Cost are recognised as per provisional figures advised by Zonal Railways. (KPRCL, BDRCL and Kutch Railway Co. Ltd.)

1.14 Employee Benefits

a) Short Term Employee Benefits

All employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service are classified as short term employee benefits. Benefits such as salaries, wages, and short-term compensated absences, etc. are recognized in the period in which the employee renders the related service.

b) Long Term Employee Benefits

The obligation for long-term employee benefits such as long-term compensated absences, is recognized in the same manner as in the case of defined benefit plans as mentioned in (c) (ii) below

c) Post Employment Benefits

- Defined contribution plans: The Company makes defined contribution to the Regional Provident Fund Commissioner in respect of provident fund scheme, CGIS and employee state insurance scheme. The contribution paid/payable under the schemes is recognized during the period in which the employee renders the related service.
- ii. Defined contribution plans: The Company makes defined contribution to the RVNL Medical and Welfare Trust in respect of RVNL Medical and Welfare Scheme. The contribution paid/payable under the schemes is recognized during the period in which the employee renders the related service.
- ii. Defined benefit plans: Gratuity is a post employment defined benefit plan. The liability recognized in the balance sheet is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated by an independent actuary using projected unit credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognised immediately in the Profit & Loss Account.
- d) Retirement benefits of the 'staff on deputation' have been accounted for on the basis of the guidelines of the Ministry of Railways.

1.15 Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign currency are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transactions. Gains / Losses arising out of settlement are charged / credited to the profit and loss account.

1.16 Borrowing Cost

Borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of cost of such asset till such time as the asset is ready for its intended use. A qualifying asset is an asset that necessarily requires a substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

1.17 Taxes on Income

Tax on income for the current year is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, and based on the expected outcome of the assessment/appeals.

Minimum Alternative Tax is recognized as an asset in the Balance Sheet when it is probable that future economic benefit associated with it will flow to the company.

Deferred tax is recognized annually on timing differences between the accounting income and the taxable income for the year and quantified using the tax



आस्थिगित कर की वार्षिक गणना खाते में दर्शाई गई आय तथा कर योग्य आय के बीच के अंतर के आधार पर तुलन पत्र की तारीख को इससे संबंद्ध कर की दर और कानून सम्मत आधार पर किया गया है। गैर समाहित मूल्यहास/अग्रेषित हानियों के संबंध में आस्थिगित कर परिसंपत्तियों को जहां तक निश्चित हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरूद्ध इस प्रकार की आस्थिगित कर परिसंपत्तियों को वसुला जा सकता है।

1.18 पट्टा किराया

परिचालिनिक लीज से संबंधित लीज किराए को लाभ एवं हानि खाते के विवरण के अधीन चालू परियोजना निर्माण कार्य में प्रभारित किया गया है।

1.19 वित्तीय लीज

वित्तीय लीज के मामले में कानूनी स्वामित्व के मामले में सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों को अंतरित किया जाता है और वित्तीय लीज पर दी गई परिसंपत्तियों को सामान्य लीज किराया / अनुबंधित मूल्य वसूली पर पूंजीकृत किया जाता है और बिक्री के रूप में समझा जाता है।

1.20 प्रावधान और आकस्मिकताएं

किसी पुरानी घटना के कारण वर्तमान में नकदी संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए विश्वसनीय अनुमान के माध्यम से कंपनी द्वारा प्रावधान किया जाता है। ऐसी संभावित दायिताएं जिसमें नकदी संसााधनों की आवश्यकता पड़ने की संभावना न हों, की स्थिति में आकस्मिक दायित्व का उल्लेख किया गया है, आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान नहीं हो पाई, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को प्रावधान, आकस्मिक दायिताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

1.21 परिशोधित क्षतियां और जुर्माने

ठेके के निष्पादन के दौरान अथवा ठेका रद्द होने के कारण परिशोधित क्षतियों और जुर्मान के कारण उत्पन्न क्रेडिट मदों को परियोजना के अंतिम रूप से समापन होने तक "अन्य चालू दायितओं" के अंतर्गत "रूकौनी धन" के रूप में अग्रेषित किया जाता है। उसके बाद अर्थात परियोजना के वित्तीय समापन होने पर परिशोधित क्षतियों और जुर्माने के इस प्रकार के शेषों को संबंधित परियोजना की कुल लागत में क्रेडिट कर दिया जाता है।

1.22 गतावधि चैक नीति

वे चैक जो 3 महीने की वैध अवधि के भीतर क्लीयर नहीं हुए है उन्हें गताविध चैक खाते में क्रेडिट किया जाता है। मदें जो 3 वर्ष से अधिक से पुराने है और गताविध चैक खाते में क्लीयर नहीं हो सके हैं, उन्हें उस खाते में क्रेडिट किया जाता है जो कर्मचारियों के वेतन से कटौतियों को छोड़कर जिन्हें विविध आय से क्रेडिट किया जाता है, सिवाए भुगतान करते समय डेबिट किया गया था, में डेबिट किया जाता है।

कुमार चोपड़ा एवं एसोसिएट्स के लिए चार्टेंड एकाउंटेंट्स फर्म रजिस्ट्रेशन संख्याः 000131एन बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता. / – आर.के. अग्रवाल भागीदार M. No. 081510 थानः नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली दिनांक : 31.08.2015 हस्ता. / – एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DIN : 01637856

हस्ता. / — अशोक कृ. गंजू निदेशक वित्त DIN: 01970462 हस्ता./– कल्पना दुबे कंपनी सचिव



rates and laws substantially enacted as on the balance sheet date. Deferred tax assets in respect of unabsorbed depreciation/brought forward losses are recognized to the extent there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

1.18 Lease Rentals

Lease rental in respect of operating lease is charged to project work in progress under Statement of the Profit and Loss.

1.19 Financial Lease

In case of financial lease substantially all the risks and rewards incidental to legal ownership are transferred and assets given on finance lease are capitalised at the normal sale price/contracted price and treated as sales.

1.20 Provisions and Contingencies

The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of obligation. A disclosure of a contingent liability is made where there is a possible obligation that probably will not require an outflow of resources or where a reliable estimate of the obligation cannot be made. Contingent assets are not recognised. Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

1.21 Liquidated Damages and Penalties

"Credit items arising on account of Liquidated Damages and Penalties during execution of contract or due to termination of contract etc. are carried as "
Retention Money" under " other Current Liabilities" until the final Closure of the Project. Thereafter, i.e. on financial closure of the Project, such leftover
balances of liquidity Damages and Penalties are credited to the total cost of the concerned project."

1.22 Stale Cheques

Cheques which have not been cleared within the validity period of 3 months are credited to the stale cheque account. Items which are more than 3 yrs old and could not be cleared in stale cheque account are credited to the head which was earlier debited while making payments except deductions made from salary of staff which are credited to misc income.

Kumar Chopra & Associates

Chartered Accountants FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Firm Registration Number.: 000131N

Sd/-Sd/-Sd/-Sd/-R.K. AggarwalS.C. AgnihotriAshok K. GanjuKalpana DubeyPartnerChairman and Managing DirectorDirector FinanceCompany SecretaryM. No. 081510DIN: 01637856DIN: 01970462

Place: New Delhi Date: 31.08.2015



2 अंश पूंजीः

| | | 31.03.2015 को राशि (₹) |
|--|---------------|---------------------------|
| (क) प्राधिकृतः | | |
| प्रत्येक 10 रुपए मूल्य के 3,00,00,000 इक्विटी शेयर | | 30,000,000,000 |
| (ख) निर्गतः | | |
| 10 रुपए मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 2,08,50,20,100 इक्विटी शेयर | | 20,850,201,000 |
| (ग) अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त | | |
| 10 रुपए मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 2,08,50,20,100 इक्विटी शेयर | | 20,850,201,000 |
| (100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग रेल मंत्रालय के पास है) | | |
| जोड़ | | 20,850,201,000 |
| (घ) शेयरो की संख्या को मिलान | | |
| इक्विटी शेयरः | | |
| | As at Marc | h 31, 2015 |
| | No. of Share | Amount (₹) |
| अथशेष | 2,085,020,100 | 20,850,201,000 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | | |
| वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष | 208,50,20,100 | 2085,02,01,000 |

(ड़) उन प्रत्येक शेयरहोल्डर्स के शेयरों का ब्यौरा जिनके पास 5 प्रतिशत से ज्यादा शेयर है:

As at March 31, 2015

No. of Shares held % **holding** 2,085,020,100 100

रेल मंत्रालय (एमओआर)

1 शेयर संबंधी अधिकारी, वरीयता और प्रतिबंध

इक्विटी शेयरः कंपनी के पास एक ही प्रकार के ₹10 मूल्य के शेयर मौजूद है। प्रयेक शेयरहाल्डर को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार होता है। परिसमापन की स्थिति में, सभी वरीयतापूर्ण राशि के वितरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को उनके शेयरों के अनुपात में प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं।

3 आरक्षित एवं अधिशेष

| | 31.03. | 2015 को |
|--|---------------|---------------|
| | राशि (₹) | राशि (₹)) |
| (क) सामान्य आरक्षित निधि | | |
| तुलन पत्र के अनुसार | 653,976,095 | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 350,000,000 | 1,003,976,095 |
| ((ख) लाभ एवं हानि विवरणः | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार | 5,589,984,405 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | | |
| कर पश्चात लाभ | 3,226,875,203 | |
| जोड़ेः सीएसआर और संपोषण निधि में अंतरण | 18,910,735 | |
| घटाएं: आरक्षित निधि को मूल्यहास | (1,088,763) | |
| जोड़ेः अनुसंधान एवं विकास व्यय | 7,871,049 | |
| घटाएं: अनुसंधान एवं विकास निधि में प्रावधान | (7,871,049) | |
| घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि को अंतरण | (100,000,000) | |
| घटाएं: प्रस्तावित लाभांश (0.15 प्रति इक्विटी शेयर) | (372,000,000) | |
| लाभांश पर अतिरिक्त कर | (81,255,297) | |
| वर्ष के दौरान शुद्ध वृद्धि | 2,691,441,879 | 8,281,426,284 |



2 Share Capital:

| | | As at 31.03.2015 Amount (₹) |
|---|--------------------|--------------------------------|
| (a) Authorised: | | |
| 3,00,00,00,000 Equity Shares of ₹10 Each | | 30,000,000,000 |
| (b) Issued: | | |
| 2,08,50,20,100 Equity Shares of ₹10 Each fully paid up | | 20,850,201,000 |
| (c) Subscribed & Fully paid up | | |
| 2,08,50,20,100 Equity shares of ₹10 Each fully paid up | | 20,850,201,000 |
| (100% Shareholding with MoR) | | |
| Total | | 20,850,201,000 |
| (d) Reconciliation of number of Shares: | | |
| Equity Shares: | | |
| | As at Marc | th 31, 2015 |
| | No. of Share | Amount (₹) |
| Balance at the beginning of the Year | 2,085,020,100 | 20,850,201,000 |
| Addition during the Year | - | - |
| Balance at the End of the Year | 208,50,20,100 | 2085,02,01,000 |
| (e) Details of shares held by each Shareholder Holding more than 5% Shares: | | |
| | A | s at March 31, 2015 |
| | No. of Shares held | % holding |
| Ministry of Railways (MoR) | 2,085,020,100 | 100 |

1. Rights, Preferences and Restrictions attaching to shares

Equity Shares: The Company has one class of Equity Shares having a par value of ₹10 per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

3 Reserves and Surplus

| | As at March | 31, 2015 |
|---|---------------|---------------|
| | Amount (₹) | Amount (₹) |
| (a) General Reserve | | |
| As per last Balance Sheet | 653,976,095 | |
| Addition during the Year | 350,000,000 | 1,003,976,095 |
| (b)Statement of Profit & Loss: | | |
| As per last Balance Sheet | 5,589,984,405 | |
| Addition during the Year | | |
| Profit after Tax | 3,226,875,203 | |
| Add: Transfer from CSR and Sustainability Fund | 18,910,735 | |
| Less: Depreciation charged to reserve | (1,088,763) | |
| Add: Transfer from Research & Development Fund | 7,871,049 | |
| Less: Transfer to Research & Development Fund | (7,871,049) | |
| Less: Transfer to General Reserve | (100,000,000) | |
| Less: Proposed Dividend (Rs. 0.15 Per Equity Share) | (372,000,000) | |
| Less: Additional Tax on Dividend | (81,255,297) | |
| Net Addition during the Year | 2,691,441,879 | 8,281,426,284 |



(ग) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और संपोषण निधि

| पिछले तुलन पत्र के अनुसार | 18,910,735 | |
|------------------------------------|--------------|---|
| घटाएं: लाभ एवं हानि विवरण को अंतरण | (18,910,735) | - |

(घ) अनुसंधान एवं विकास निधि

| तुलन पत्र के अनुसार | - | |
|------------------------------------|-------------|---|
| जोड़ेः लाभ एवं हानि विवरण से अंतरण | 7,871,049 | |
| घटाएं: लाभ एवं हानि विवरण को अंतरण | (7,871,049) | - |

ड़) पूंजी आरक्षित निधि

| तुलन पत्र के अनुसार | 34,423,137 | |
|----------------------|------------|-------------|
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | 34,423,137 |
| | | 931,825,516 |

1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि को पिछले 3 वित्तीय वर्ष के औसत कर पूर्व लाभ के 2 प्रतिशत की दर से सृजित किया गया है। (बहरहाल, डीपीई के दिशानिदेशों के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि को पिछले 3 वित्तीय वर्ष के औसत कर पूर्व लाभ के 3 प्रतिशत की दर से सृजित किया गया है।) 2014—15 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के मुकाबले सीएसआर गतिविधियों पर 2 प्रतिशत औसत कर पूर्व लाभ अर्थात ₹3,21,29,340 / – के मुकाबले ₹4,54,47,097 / – का व्यय किया गया।

(2) डीपीई के दिशा—िनदेशों के अनुसार पिछले वर्ष के कर पश्चात लाभ के 0.5 प्रतिशत से अनुसंधान एवं विकास निधि को तैयार किया गया है। इसके लिए तर्क बदलते व्यवसायिक माहौल, अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव, कड़े गुणवत्ता नियंत्रण मानदंड, बढ़ती आशाएं और उपभोक्ताओं की मांगें, प्रौद्योगिकी अंतरण की कमी और प्रतिस्पर्धियों की तकनीकी जानकारी आदि का तर्क दिया गया है।

4 गैर-चालू दायिताएं

| | 31 | .03.2015 को |
|--|-----------------|----------------|
| | राशि (₹) | राशि (₹) |
| (क) दीर्घकालिक ऋण | | |
| (i) सुरक्षितः | | |
| बैंकों से | | |
| केनरा बैंक (भारूच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड)* | 726,635,362 | |
| बैंकों का कंसोर्टियम (कृष्णपटनम रेलवे कंपनी लिमिटेड)** | 605,776,700 | 1,332,412,062 |
| | | |
| (ii) प्रतिभूतिरहितः | | |
| भारतीय रेल वित्त निगम | | |
| अथशेष | 19,531,500,002 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 2,730,000,000 | |
| घटाएं: 12 माह के भीतर किया जाने वाला पुनर्भुगतान | (1,732,416,667) | 20,529,083,335 |

क. बैंकों से ऋणों की अवधि

1. ब्याज की दर

जोड़

21,861,495,398

2. प्रतिभृति

प्रतिभूत दायित्व, प्रतिभूत पार्टियों के संतुष्टि के अनुसार, रियायत अनुबंध के अंतर्गत अनुमेय सीमा तक सुरक्षित होना चाहिए:

क) वर्तमान और भावी दोनों, ऋणी की सभी स्थिर परिसंपत्तियों को पहली बंधक रखना और प्रभारित करना (बचाना और परियोजना स्थल को छोड़कर);

^{*}ब्याज दर (बैंक आधार दर +1:) है, बहरहाल, अवधि के दौरान केनरा बैंक से मियादी ऋण पर बैंक की बकाया राशि पर 10.75: प्रति वर्ष की दर से बैंक द्वारा ब्याज दर निश्चित की गई थी।

^{**}बैंकरों के कंसींटियम से लिए गए ऋण के लिए लागू ब्याज दर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधार दर जमा 1.5: है।



| (c) | Corporate Social Responsibility | v and Sustainahility Fund |
|-----|----------------------------------|---------------------------|
| 161 | CUI DUI ALE SUCIAI NESDUIISIDIII | v anu ouotanianinty i unu |

| | As nor lest Dalance Chest | 10.010.705 | |
|-----|---|--------------|-------------|
| | As per last Balance Sheet | 18,910,735 | |
| | Less: Transfer to Statement of Profit and Loss | (18,910,735) | - |
| (d) | Research & Development Fund | | |
| | As per last Balance sheet | - | |
| | Add: Transfer from Statement of Profit and Loss | 7,871,049 | |
| | Less: Transfer to Statement of Profit and Loss | (7,871,049) | - |
| e) | Capital Reserve | | |
| | As per last Balance sheet | 34,423,137 | |
| | Addition during the year | - | 34,423,137 |
| | | | 931,825,516 |

- (1) As per the Companies Act, 2013 Corporate Social Responsibility Fund has been created @ 2% of Average PBT of immediately 3 Financial Year (However, as per DPE's guidelines, Corporate Social Responsibility Fund was created @ 3% of Average PAT of immediately 3 Financial Year). The expenditure of ₹4,54,47,097/- has been incurred on CSR activities during the year 2014-15 in comparision 2% of average PBT i.e. ₹3,42,84,340/- as required by the Companies Act 2013.
- (2) As per DPE's guidelines Research & Development Fund has been created @ 0.5% of PAT of previous year. The rationale behind it is the changed business environment, highly competitive markets, the rapid pace of change in technology, stringent quality control criteria, heightened expectations and demands of customers, lack of transfer of technology and know-how from competitors, etc.

4 Non-Current Liabilities

| | As at March | 31, 2015 |
|--|-----------------|----------------|
| | Amount (₹) | Amount (₹) |
| (a) Long term borrowings | | |
| (i) Secured: | | |
| From Banks | | |
| Canara Bank (Bharuch Dahej Railway Co. Ltd.)* | 726,635,362 | |
| Consortium of Banks (Krishnapatnam Railway Co. Ltd.)** | 605,776,700 | 1,332,412,062 |
| (ii) Unsecured: | | |
| Indian Railway Finance Corporation | | |
| Opening Balance | 19,531,500,002 | |
| Addition during the Year | 2,730,000,000 | |
| Less: Repayment to be made within 12 months | (1,732,416,667) | 20,529,083,335 |
| Total | | 21,861,495,398 |

A. Terms of Loan from Banks

1. Rate of Interest

*Interest rate is (Bank base rate +1%), However during the period the interest rate was fixed by the bank @ 10.75% p.a on balance amount due with the bank on term loan from Canara Bank.

**The Applicable Interest rate is applicable base rate of SBI plus spread of 1.5% for loan taken from consortium of bankers.

2. Security

The Secured Obligations shall, to the satisfaction of the Secured Parties, be secured to the extent permitted under the Concession Agreement by:-

- a) a first mortgage and charge on all the Borrower's immovable properties, both present and future (save and except Project Site);
- b) a first charge on all the Borrower's tangible moveable assets, including movable plant and machinery, machinery spares, tools and accessories, furniture, fixtures, vehicles and all other movable assets, both present and future (save and except the Rolling Stocks);
- c) a first charge on all bank accounts of the Borrower, including but not limited to the Trust and Retention Account and the Retention Accounts, or any account in substitution thereof established and opened pursuant to the provisions of the TRA Agreement or any of the Project Documents wherein all



- ख) वल संयंत्र और मशीनरी, मशीनों के कलपूर्जें, औजार और सहयोगी उपकरण, फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन और अन्य सभी चल परिसंपत्तियां, वर्तमान और भावी दोनों (बचाना और चल स्टाक को छोड़कर) सहित ऋणी की अमूर्त अस्तियों पर पहली बार प्रभारित किया जाना।
- ग) ऋणी के सभी बैंक खातों को पहली बार प्रभारित करना जिसमें ट्रस्ट एवं रूकौनी खाता और रूकौनी खाता अथवा विकल्प में कोई भी खाता जिससे सिद्ध होता है, तक सीमित नहीं है और टीआरए अनुबंध परियोजना दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार खुला जिसमें सभी राजस्व, गिरावट, प्राप्त और ऋणी के अन्य निधियां समय–समय पर जमा होगी और सभी अनुमेय निवेश अथवा अन्य प्रतिभृतियां टीआरए खाते को क्रेडिट सभी राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं;
- घ) परियोजना से संबंधित ऋणी के सभी प्राप्यों (कर और लाभांश के लिए प्रावधानों के बाद ऋणी के लाभों सहित (यदि इस अनुबंध के अंतर्गत अनुमेय हो)) पर पहली प्रभारित करना;
- ड़) ऋणी की सभी मौजूदा और भावी अमूर्त अस्तियां जिसमें गुडविल, बौद्धिक संपदा, उपक्रम शामिल है लेकिन तक सीमित नहीं, पर पहली बार प्रभारित करना!
- च) ऋणी की अनेपक्षित पूंजी पर पहली बार प्रभारित करना;
- छ) पहली बार प्रभार्य / सुरक्षा ब्याज को सौंपना
- (i) परियोजना दस्तावेजों (रियायत अनुबंध को छोड़कर) के अंतर्गत ऋणी के सभी अधिकारों, शीर्ष, ब्याज, लाभ, दावों और मांग पर; जैसा समय—समय पर संशोधित, विभिन्न अथवा पूरक के अनुसार; और
- (ii) परियोजना दस्तावेजों (रियायत अनुबंध को छोड़कर) किसी भी पार्टी द्वारा उपलब्ध कांट्रेक्टर गारंटी, परिशोधन क्षति और निष्पादन बांडों सहित किसी भी लैटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी के अंतर्गत ऋणी के सभी अधिकारों, शीर्ष, ब्याज, लाभ, दावों और मांग पर; जैसा समय—समय पर संशोधित, विभिन्न अथवा पूरक के अनुसार;

बशर्तें कि उपरोक्त वर्णित रहन, प्रभारण, कार्यभाार और गारंटियां बिना किसी निष्पादन अथवा किसी एक अथवा अन्य को प्राथमिकता बिना ऋणदातों के बीच सभी संदर्भों में एकसमान होंगी।

3 पुनर्भुगतान की शर्तेः

बैंकों के कंर्सोटियम से ली गई सुविधा 15 (पंद्रह) वर्षों (4 (चार) वर्षों की निर्माण अवधि और 1 (एक) वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित) डोर—टू—डोर अवधि का होगा। सुविधा का भुगतान जून, 2017 से शुरू और मार्च, 2027 तक की अवधि तक 40 (चालीस) एक समान तिमाही किश्तों में होगा।

वार्षिक पुनर्भुगतान चार एकसमान तिमाही किश्तों में बंटा हुआ है। ब्याज का भुगतान मासिक रूप से होगा। डोर टू डोर अवधि 13 से 15 वर्षों की है।

ख. भारेविनि से ऋण

- (1) प्रत्येक वर्ष की ऋण पर 3 वर्ष की ऋणस्थगन अविध होती है। इस ऋणस्थगत अविध के दौरान किसी प्रकार के ब्याज और मूलधन देय नहीं होगा। ऋणस्थगन अविध की समाप्ति के पश्चात ब्याज वार्षिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा और ऋण का भुगतान (12 वर्ष तक) साल में एक बार किया जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा रेविनिलि को बाद की देनदारियों के लिए आवश्यक फंड उपलब्ध कराया जाएगा। देनदारी सेवाओं को रेविनिल के बुक के माध्यम से पास की जाएगी।
- (2) कंपनी ने वर्ष के दौरान भारतीय रेल वित्त निगम से ₹273,00,00,000 (पिछले वर्ष ₹440,00,00,000) का ऋण लिया। बकाया ऋण ₹2226,15,00,002 (पिछले वर्ष ₹2117,40,00,002) का है जिसमें अगले 12 महीनों की चालू दायिता अर्थात देय पुनर्भुगतान ₹173,24,16,667 (पिछले वर्ष ₹164,25,00,000) शामिल है।

| (ख) अन्य गैर—चालू दायिताएं | 3 | 1.03.2015 को |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | - 11Ω1 (₹) | - 1101 (₹) |

| | | राशि (र) | राशि (र) |
|-------|--|-----------------|---------------|
| (i) | उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं (भारेविनि—चालू परियोजनाएं)* | | |
| | अथशेष | 4,374,777,714 | |
| | जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,885,100,471 | |
| | घटाएं: 12 माह के दौरान किया गया पुनर्भुगतान | (1,658,177,853) | 4,601,700,332 |
| (ii) | उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं (भारेविनि– पूरी हो चुकी परियोजनाएं) | | |
| | अथशेष | - | |
| | जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 554,424,103 | |
| | घटाएं: 12 माह के दौरान किया गया पुनर्भुगतान | (545,499,372) | 8,924,731 |
| (iii) | क्षेत्रीय रेलों को देय** | | |
| | परिचालन एवं अनुरक्षण पर अतिरिक्त प्रभार के लिए आस्थगित दायिता | 2,417,742,436 | |
| | लीज ली गई भूमि का किराया प्रभार | 100,555,594 | 2,518,298,030 |
| | क्ल | | 7,128,923,094 |

^{*&#}x27;वित्तीय वर्ष 2014—15 में 9.56 प्रतिशत की दर से संवितरित राशि पर ब्याज दायिता का अनुमान लगाया गया है (वर्ष 2013—14 में संवितरित राशि के लिए लागू दर 9.60 प्रतिशत) है। भारेविनि ऋण राशि पर ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं इसे चालू परिसंपत्तियों एवं गैर—चालू परिसंपत्तियों (अगले 12 महीनों में गैर—वसूलनीय के लिए) के अंतर्गत रेल मंत्रालय से वसूले जाने वाले के रूप में तुलनपत्र में दिखाया गया है और चालू दायिताओं एवं गैर—चालू दायिताओं के अंतर्गत (ब्याज अगले 12 महीनों में देय नहीं) ब्याज देय लेकिन बकाया नहीं भारेविनि को देय है।

भारेविनि से दीर्घकालिक और लघुकालिक ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं को 'चालू परियोजनाएं' और 'पूरी हो चुकी रेल मंत्रालय को अंतरित परियोजनाएं' के लिए अलग से दिखाया गया है।

^{**}परिचालन एवं अनुरक्षण लागत में अतिरिक्त खर्चों (अर्थात रेसुब, लेखा, चिकित्सा एवं कार्मिकों के लिए वेतन और तत्संबंधी अधिवर्षिता लाभों डीसीआरजी, पेंशन, अवकाश वेतन आदि) के कारण आस्थगित व्यय शामिल है जो क्षेत्रीय रेलों को देय नहीं है/थे क्योंकि इन्हें लाइन के परिचालन के निश्चित वर्षों के लिए आस्थगित रखा गया था और ये परिचालन शुरू होने के छठें से ग्यारहवें वर्ष तक 5 से 20 वर्षों की अवधि में कंपनी द्वारा देय होंगे।



revenues, Drawdowns, Receivables and other funds of the Borrower shall be deposited from time to time and all Permitted Investments or other securities representing all amounts credited to the TRA Account;"

- d) a first charge on all Receivables (including profits of the Borrower after provisions for Tax and dividends (if any as permitted under this Agreement)) of the Borrower pertaining to the Project;"
- e) a first charge on all intangibles of the Borrower including but not limited to goodwill, intellectual property rights, undertakings, present and future; f) a first charge on the uncalled capital of the Borrower;"
- g) a first charge/assignment of the security interest
- (i) on all the rights, title, interest, benefits, claims and demands whatsoever of the Borrower in, to and under the Project Documents (excluding the Concession Agreement); all as amended, varied or supplemented from time to time; and
- (ii) all the rights, title, interest, benefits, claims and demands whatsoever of the Borrower in, to and under any letter of credit, guarantee including contractor guarantees, liquidated damages and performance bonds provided by any party to the Project Documents (excluding the Concession Agreement); Provided that the aforesaid, mortgages, charges, assignments and guarantees shall in all respects rank pari-passu inter-se amongst the Lenders without any preference or priority to one over the other or others."

3 Terms of Repayment

The Facility taken from consortium of banks shall have a door-to-door tenure of 15 (fifteen) years (including a construction period of 4 (four) years and moratorium period of 1 (one) year). The Facility shall be repaid in 40 (forty) equal quarterly instalments starting from June, 2017 and ending on March, 2027."

The annual repayment to be sub-divided into four equal quarterly installments. Interest to be served at monthly rests. Door to door tenor of 13 to 15 years

B. Loan from IRFC

- (1) There is a moratorium period of 3 years for each year's loan. During the said moratorium period no amount on account of interest and principal shall be payable. The interest shall be charged on yearly basis and repayment of loan shall be once in a year (for a period of 12 years) after the completion of moratorium period. Ministry of Railways would make available to RVNL the required funds thereafter, to enable them to do the debt servicing. The debt servicing will pass through RVNL books.
- (2) Company has borrowed funds ₹273,00,00,000 (Previous year ₹440,00,00,000) during the year from Indian Railway Finance Corporation (IRFC). The outstanding borrowing is ₹2226,15,00,002 (Previous Year ₹2117,40,00,002), which includes current liability i.e. repayable in next twelve months ₹173,24,16,667 (Previous Year ₹164,25,00,000).

| (b) | Other Non- Current Liabilities | As at Mai | rch 31, 2015 |
|-------|---|-----------------|---------------|
| | | Amount (₹) | Amount (₹) |
| (i) | Interest accrued but not due (IRFC-ongoing projects)* | | |
| | Opening Balance | 4,374,777,714 | |
| | Add: Interest Accrued during the Year | 1,885,100,471 | |
| | Less: Repayment to be made within 12 months | (1,658,177,853) | 4,601,700,332 |
| (ii) | Interest accrued but not due (IRFC-Completed Projects) | | |
| | Opening Balance | - | |
| | Add: Interest Accrued during the Year | 554,424,103 | |
| | Less: Repayment to be made within 12 months | (545,499,372) | 8,924,731 |
| (iii) | Payable to Zonal Railways** | | |
| | Deferred Liability for Overhead Charges on Operation & Maintenance Cost | 2,417,742,436 | |
| | Land Leased Rental Charges | 100,555,594 | 2,518,298,030 |
| | Total | | 7,128,923,094 |

^{*}The interest liability has been assessed on the amount disbursed in financial year 2014-15 at the rate of 9.56% (rates applicable for the amount disbursed in the year 2013-14 is 9.60%) The interest accrued but not due on the IRFC loan amount has been shown in the Balance Sheet as recoverable from MOR under Current Assets & Non-Current assets (for the interest non recoverable in next 12 Months) and the interest payable but not due under the Current Liabilities and Non-Current Liabilities (for the interest not payable in next 12 Months) payable to IRFC.

Long-term and Short-term Interest accrued but not due from IRFC have been separately shown for 'ongoing projects' and 'completed projects transferred to MOR'

^{**}The Operation & Maintenance cost includes deferred expenses on account of overhead (i.e. salary for RPF, Accounts, Medical & Personnel and corresponding retirement benefits-DCRG, Pension, Leave salary etc.) which are/were not payable to Zonal Railways as it is deferred for the certain years of operation of the line and the same shall be payable by Company over a period of 5 to 20 years commencing from the 6th to 11th year of operation.



(c) दीर्घकालिक प्रावधान अधिवर्षिता लाभों के लिए प्रावधान

31.03.2015 को

| | राशि (₹) | राशि (₹) |
|--|-------------|------------|
| अथशेष | 38,961,764 | |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि | 21,481,995 | |
| घटाएं: बकाया होने के 12 महीनों के भीतर अंतरण | - | |
| घटाएं: 12 माह के दौरान किया गया पुनर्भुगतान | (4,686,303) | 55,757,456 |
| योग | | 55,757,456 |

कर्मचारी हितलाभ

ग्रेच्यूटी लाभ अधिवर्षिता अथवा त्यागपत्र अथवा मृत्यु देने पर कर्मचारियों को देय होता है। ग्रेच्यूटी की राशि पिछली सेवा और ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान के अनुसार जाने के समय वेतन के अनुसार होता है।

कंपनी प्रत्येक वर्ष सेवा के लिए अर्ध वेतन अवकाश की अनुमित देता है और उपयोग नहीं किए गए भाग को अधिकतम संचय की अविध के अध्यधीन आगे भी अग्रेषित किया जा सकता है। यह लाभ कर्मचारी को उसकी सेवा अविध के दौरान केवल बीमार पड़ने पर ही उपलब्ध होता है। जाने (अधिवर्षिता, आहरण, मृत्यु) पर अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण की अनुमित नहीं दी जाती है।

कर्मचारी की अधिवर्षिता पर अर्धवेतन अवकाश सहित अवकाश नकदीकरण देय है। अवकाश नकदीकरण की राशि पिछली सेवा और अधिवर्षिता के समय वेतन पर आधारित होती है।

ग्रेच्यूटी और अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान के लिए कोई निवेश नहीं किया गया है।

(घ) आस्थगित कर दायिता (शुद्ध)

31.03.2015 को राशि (₹) आस्थगित कर दायिता (शुद्ध) 375,456,617

31 मार्च 2015 को कंपनी (बीडीआरसीएल और कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड), इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम की आस्थगित कर दायिता / अस्तियों में 'आय पर करों के लिए लेखाकरण' पर लेखाकरण मानक—22 के अंतर्गत आस्थगित कर दायिताओं और आस्थगित कर अस्तियां के प्रमुख घटक शामिल है, जिनका ब्यौरा यहां नीचे दिया गया है:

i) के कारण आस्थगित कर दायिता

446,098,466 मूल्यहास जोड़ (क) 446,098,466 के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियां प्रावधान 1,695,983 मुल्यहास और अनसमाहित व्यापार हानि 68.945.866 जोड (ख) 70,641,849 शृद्ध आस्थगित कर दायिता (ए-बी) 375,456,617 चालू दयिताएं 31.03.2015 को राशि (₹) राशि (₹)

(क) अल्पकालिक ऋण

(i) भारतीय रेल वित्त निगम

असुरक्षितः अथशेष जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएंः वर्ष के दौरान पूनर्भृगतान

164,25,00,000

173,24,16,667

(1,642,500,000) 173,24,16,667 गया है। एक परियोजना को वास्तविक रूप से

 रेल मंत्रालय से प्राप्त निधियों को रेल मंत्रालय द्वारा सौंपी गई परियोजनाओं के लिए उपयोग किया गया है। एक परियोजना को वास्तविक रूप से पूरा करने के बाद परिसंपत्तियां क्षेत्रीय रेलों को सौंप दी गई है जिसे वो अपने ब्लॉक लेखा में परिसंपत्तियों की कीमत में जोड़ेंगे।



(c) Long term Provisions

Provision for Retirement Benefits

 As at March 31, 2015

 Amount (₹)
 Amount (₹)

 Opening Balance
 38,961,764

 Add: Addition during the year
 21,481,995

 Add: Transfer from due within 12 months

 Less: Transfer to due within next twelven months
 (4,686,303)
 55,757,456

 Total
 55,757,456

Employee Benefits

Gratuity Benefit is payable to employees on retirement or resignation or death. The amount of gratuity payable is based on past service and salary at time of exit as per Payment of Gratuity Act, 1972.

Company allows Half Pay Leave for every year of service and unutilized portion can be carried forward subject to restrictions on maximum accumulation. This benefit is available only in the event of employee falling sick during the tenure of his service. No encashment is allowed on accumulated Half Pay Leave on exit (retirement, withdrawal, death) from the company.

Leave Encashment including Half pay Leave is payable to employees on retirement. The amount of Leave Encashment payable is based on past service and salary at time of retirement.

There are no Investment held against the provision for gratuity and leave encashment.

(d) Deferred Tax Liablity (Net)

As at March 31, 2015

Amount (₹)

Deferred Tax Liability (Net)

375,456,617

375,456,617

The Deferred Tax Liability/Asset of the company (BDRCL and Kutch Railway Co. Ltd.), its subsidiaries and joint ventures as at 31st March, 2015 comprises of the major components of Deferred Tax Liabilities and Deferred Tax Assets under Accounting Standard-22 on 'Accounting for Taxes on Income' the details of the same given here under:

i) Deferred Tax Liablity on Account of

 Depreciation
 446,098,466

 Total (A)
 446,098,466

 Deferred Tax Assets on Account of
 1,695,983

 Provisions
 68,945,866

 Total (B)
 70,641,849

 Net Deferred Tax Liablity (A-B)
 375,456,617

Current Liabilities As at March 31, 2015

Amount (₹) Amount (₹)

(a) Short Term Borrowings

(i) Indian Railways Finance Corporation

Unsecured:

Opening Balance 164,25,00,000
Add: Addition during the Year 173,24,16,667

Less: Repayment during the Year (1,642,500,000) 173,24,16,667

Funds received by the Company from MoR are utilized for executing projects assigned by MoR. After physical completion of a project, the
assets are to be transferred to the concerned Zonal Railway who would add the value of assets in their Block Account.



2. भारेविनि ऋण के लिए, कृपया नोट संख्या 5 में पुनर्भुगतान की शर्तों के अंतर्गत फुट नोट का संदर्भ ले।

| 2. भारावान ऋण के लिए, कृपया नाट संख्या 5 म पुनमुगतान का शता के अंतरात फुट (ii) परियोजना अग्रिम पूंजी | | |
|---|-----------------|----------------|
| रेल मंत्रालय | | |
| असुरक्षितः | | |
| अथशेष | 4160,48,02,809 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 2283,12,00,000 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं | (3,424,180,562) | 6101,18,22,247 |
| (iii) परियोजना अग्रिम पूंजी (पूंजी निधि) | | |
| रेल मंत्रालय | | |
| असुरक्षितः | | |
| अथशेष | 858,76,47,064 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं | (44,687,653) | 854,29,59,411 |
| (iv) भारेविनि ऋण की चुकौती के लिए रेल मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम | | |
| असुरक्षितः | | |
| अथशेष | 339,96,46,928 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 164,25,00,000 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं | (1,365,278,775) | 367,68,68,153 |
| (v) विविध अग्रिम पूंजी (मेट्रो परियोजना) | | |
| असुरक्षितः | | |
| अथशेष | 1165,50,00,000 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 398,00,00,000 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं | - | 1563,50,00,000 |
| (vi) परियोजना अग्रिम पूंजी बांड्स | | , , , |
| अथशेष | 321,79,00,000 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं | | 321,79,00,000 |
| पटारः पर पर परान जातारा जारपालनार् (vii) परियोजना अग्रिम संरक्षा निधि | _ | 021,73,00,000 |
| अथशेष | 40,54,00,000 | |
| जयराप वर्ष के दौरान वृद्धि | 32,01,00,000 | |
| पप के दोरान पृद्धि घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं | 32,01,00,000 | 72,55,00,000 |
| | - | 72,55,00,000 |
| (viii) विकास निधि—3 | 40.00.00.000 | |
| अथशेष | 48,00,00,000 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 63,88,00,000 | 444 00 00 000 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं | - | 111,88,00,000 |
| (ix) मांग—2 के अंतर्गत एचएसआर अध्ययन | | |
| अथशोष | - | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 5,00,00,000 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरित परियोजनाएं | - | 5,00,00,000 |
| (x) बैंकों से ऋण | | |
| सुरक्षित | | |



(x) Loan from Banks Secured

| 2. | For IRFC Loan, Please refer to the foot-note under Terms of Repayment in Note No. 5. | | |
|-------|--|-----------------|----------------|
| (ii) | Project Advance Capital | | |
| | Ministry of Railways | | |
| | Unsecured: | | |
| | Opening Balance | 4160,48,02,809 | |
| | Addition during the Year | 2283,12,00,000 | |
| | Less: Projects Transferred during the Year | (3,424,180,562) | 6101,18,22,247 |
| (iii) | Project Advance (Capital Fund) | | |
| | Ministry of Railways | | |
| | Unsecured: | | |
| | Opening Balance | 858,76,47,064 | |
| | Addition during the Year | - | |
| | Less: Projects Transferred during the Year | (44,687,653) | 854,29,59,411 |
| (iv) | Advance from MoR for IRFC loan Repayment | | |
| ` ' | Unsecured: | | |
| | Opening Balance | 339,96,46,928 | |
| | Addition during the Year | 164,25,00,000 | |
| | Less: Projects Transferred during the Year | (1,365,278,775) | 367,68,68,153 |
| (v) | Misc. Advance Capital (Metro project) | | |
| | Unsecured: | | |
| | Opening Balance | 1165,50,00,000 | |
| | Addition during the Year | 398,00,00,000 | |
| | Less: Projects transferred during the Year | - | 1563,50,00,000 |
| (vi) | Project Advance Capital Bonds | | |
| | Opening Balance | 321,79,00,000 | |
| | Addition during the Year | - | |
| | Less: Projects Transferred during the Year | - | 321,79,00,000 |
| (vii) | Project Advance Safety Fund | | |
| | Opening Balance | 40,54,00,000 | |
| | Addition during the Year | 32,01,00,000 | |
| | Less: Projects Transferred during the Year | - | 72,55,00,000 |
| (viii | Development Fund-3 | | |
| | Opening Balance | 48,00,00,000 | |
| | Addition during the Year | 63,88,00,000 | |
| | Less: Projects Transferred during the Year | - | 111,88,00,000 |
| (ix) | HSR Studies under Demand-2 | | |
| | Opening Balance | - | |
| | Addition during the Year | 5,00,00,000 | |
| | Less: Projects Transferred during the Year | - | 5,00,00,000 |



केनरा बैंक से ऋण 5,70,88,518 5,70,88,518

जोड

9576,83,54,994

रेल मंत्रालय से प्राप्त निधियों को रेल मंत्रालय द्वारा सौंपी गई परियोजनाओं के लिए उपयोग किया गया है। एक परियोजना को वास्तविक रूप से पूरा करने के बाद परिसंपत्तियां क्षेत्रीय रेलों को सौंप दी गई है जिसे वो अपने ब्लॉक लेखा में परिसंपत्तियों की कीमत में जोड़ेंगे।

| (b) (ख) व्यापार देय | s at March 31, 2015 |
|--|---------------------|
| | Amount (₹) |
| लघु, छोटे एवं मध्यम | - |
| अन्य | 500,928,353 |
| | 50,09,28,353 |
| (ग) अन्य चालू दायिताएं | |
| पेशगी धनराशि परफारमेंस एवं प्रतिभूति जमा राशि | 280,56,71,568 |
| विविध ऋणदाता | 9,20,15,901 |
| विविध जमा राशि | 13,99,54,207 |
| शुल्क एवं कर | 16,76,80,843 |
| चैक जारी किए गए परंतु क्लीयर नहीं हुए | 1,13,98,728 |
| रूकौनी राशि | 55,64,47,879 |
| निक्षेप कार्यों के लिए ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त किया गए | 331,03,43,583 |
| उपार्जित ब्याज किन्तु ऋण पर अदेयः (भारेविनि—चालू परियोजना कार्य) | 159,07,51,201 |
| ब्याज प्रोद्भूत लेकिन ऋण पर देय नहींः (भारेविनि–संपूर्ण) | 54,54,99,372 |
| रेल मंत्रालय से अग्रिम | 3,00,00,000 |
| ब्याज प्रोद्भूत लेकिन बैंक ऋणों पर देय नहीं | 66,53,895 |
| अन्य दायिता | 7,82,22,009 |
| बकाया व्यय | 55,13,762 |
| | 934,01,52,948 |
| (घ) अल्पकालिक प्रावधान | |
| (i) कर के लिए प्रावधान | 26,26,14,461 |
| (ii) देय लाभांश | 37,20,00,000 |
| (iii) विदेश सेवा अंशदान के लिए प्रावधान | 6,32,15,690 |
| (iv) पीआरपी / पीएलआई के लिए प्रावधान | 7,31,50,626 |
| (v) रिटायरमेंट के लिए प्रावधान | 66,98,373 |
| (vi) एलटीसी के लिए प्रावधान | 16,23,877 |
| (vii) रेविनिलि वेलफेयर स्कीम | 5,00,00,000 |
| (viii) रेविनिलि मेडिकल स्कीम | - |
| | 82,93,03,027 |

6(घ)(1) के लिए फुट नोट

आयकर:

आयकर अधिनियम के अनुसार की गई गणना के आधार पर आयकर का प्रावधान रखा गया है।

(घ)(iii) के लिए फुट नोट

विदेश सेवा अंशदानः

अधिकांश अधिकारी / कर्मचारी भारतीय रेल से प्रतिनियुक्ति पर है। रेविनिलि अधिवर्षिता लाभों के लिए भारतीय रेल में विदेश सेवा अंशदान का भुगतान कर रही है।

6 (घ)(vii) एवं (viii) के लिए फुट नोट

रेविनिलि मेडिकल और वेलफेयर स्कीम

कंपनी ने रेविनिलि ने चिकित्सा योजना में ₹1,56,42,104 (पिछले वर्ष ₹1,36,00,000) और रेविनिलि चिकित्सा और कल्याण ट्रस्ट की पूंजी निधि में ₹5,00,00,000 का योगदान दिया है।



Loan from Canara Bank 5,70,88,518 5,70,88,518

Total 9576,83,54,994

Funds received by the Company from MoR are utilized for executing projects assigned by MoR. After physical completion of a project, the assets are to be transferred to the concerned Zonal Railway who would add the value of assets in their Block Account.

| (b) | Trade Payable | As at March 31, 2015 |
|--------|--|----------------------|
| | | Amount (₹) |
| | Micro ,Small & Medium Enterprises | - |
| | Others | 500,928,353 |
| | | 50,09,28,353 |
| (c) | Other current liabilities | |
| | Earnest Money & Performance Security Deposit | 280,56,71,568 |
| | Sundry Creditors | 9,20,15,901 |
| | Misc. Deposit | 13,99,54,207 |
| | Duties & Taxes | 16,76,80,843 |
| | Cheque issued but not encashed | 1,13,98,728 |
| | Retention Money | 55,64,47,879 |
| | Advance received from Customers against Deposit Works | 331,03,43,583 |
| | Interest Accrued but not due on Loan: (IRFC-Ongoing) | 159,07,51,201 |
| | Interest Accrued but not due on Loan: (IRFC-Completed) | 54,54,99,372 |
| | Advance from Ministry of Railways | 3,00,00,000 |
| | Interest Accrued but not due on Bank Loans | 66,53,895 |
| | Other Liabilities | 7,82,22,009 |
| | Expenses Payable | 55,13,762 |
| | | 934,01,52,948 |
| (d) | Short-term provision | |
| (i) | Provision for Taxation | 26,26,14,461 |
| (ii) | Dividend Payable | 37,20,00,000 |
| (iii) | Provision for Foreign Service Contribution | 6,32,15,690 |
| (iv) | Provision for PRP/PLI | 7,31,50,626 |
| (v) | Provision for Retirement Benefit | 66,98,373 |
| (vi) | Provision for LTC | 16,23,877 |
| . , | RVNL Welfare Scheme | 5,00,00,000 |
| (viii) |) VNL Medical Scheme | - |
| ` ' | | 82,93,03,027 |
| | | |

"Foot Note for 6(d) (i)

Income Tax :"

Provision for Income Tax has been made as Tax computed under the Income Tax Act.

Foot Note for 6(d) (iii)

Foreign Service Contribution:

The majority of the officers / staff employed in RVNL are on deputation from Indian Railways. RVNL is paying Foreign Service Contribution to the Indian Railways towards retirement benefits.

Foot Note for 6(d) (vii) & (viii)

RVNL Medical and Welfare Scheme

Company has contributed ₹1,56,42,104 (previous year ₹1,36,00,000) in the RVNL Medical Scheme and ₹5,00,00,000 in Capital Fund of RVNL Medical and Welfare Trust.



| 2 | 2 | | | | | | | | ; |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| सकल ब्लॉक | सकल ब्लॉक | | | | मृल्हहास | | | | शुद्ध ब्लॉक |
| | 1 अप्रैल 2014 | वर्ष के | वर्ष के | 31, मार्च 2015 | 1 अप्रैल | वर्ष के दौरान | बिक्री / | 31, मार्च | 31 मार्च, |
| | भे | दौरान अधिवृद्धि | दौरान विलोपन / समायोजन | तक लागत | 2014 को | मूल्यहास | समायोजन पर मूल्यहास | 2015 तक | 2015 • |
| | ₩ | H~ | * | ₩ | H~ | h~ | * | ** | ** |
| मूर्त परिसंपत्तियां | | | | | | | | | |
| परियोजनागत परिसंपत्तियां | | | | | | | | | |
| स्टेशन भवन | 536,097,498 | 3,716,262 | - | 539,813,760 | 57,381,867 | 2,698,545 | - | 60,080,411 | 479,733,349 |
| भूमे | 79,830,609 | - | - | 79,830,609 | - | 1 | - | - | 79,830,609 |
| ત્યુંલ | 116,717,282 | 3,663,652 | , | 120,380,934 | 3,401,700 | 18,983,587 | 1 | 22,385,287 | 97,995,647 |
| रेल पथ | 3,076,765,890 | 72,882,431 | - | 3,149,648,321 | 810,297,199 | 227,223,769 | - | 1,037,520,968 | 2,112,127,353 |
| संरचना (रेल पथ बिछाने के लिए आधार) | 287,620,242 | 2,508,907 | _ | 290,129,149 | 46,367,416 | 17,292,574 | - | 63,659,990 | 226,469,159 |
| संयंत्र एवं मशीनरी (परियोजना) | 840,296,191 | 45,236,458 | 8,847,989 | 876,684,659 | 145,121,559 | 56,032,740 | - | 201,154,299 | 675,530,360 |
| जोड़ (क) | 4,937,327,712 | 128,007,710 | 8,847,989 | 5,056,487,432 | 1,062,569,740 | 322,231,215 | - | 1,384,800,955 | 3,671,686,477 |
| अन्य मूर्त परिसंपत्तियां | | | | | | | | | |
| कार | 4,574,959 | - | _ | 4,574,959 | 2,185,720 | 922,537 | - | 3,108,257 | 1,466,702 |
| कम्पयूटर | 1,428,137 | 150,805 | 932,750 | 646,192 | 1,159,353 | 251,461 | 1,065,716 | 345,098 | 301,094 |
| ईडीपी परिसंपत्तियां | 90,124,790 | 15,258,438 | 2,799,757 | 102,583,471 | 68,204,302 | 17,685,488 | 1,764,881 | 84,124,909 | 18,458,562 |
| संयंत्र एवं मशीनरी (अन्य) | 2,034,247 | 367,129 | 1,056,270 | 1,345,106 | 547,879 | 309,726 | 513,915 | 343,691 | 1,001,415 |
| फर्नीचर और फिक्चर | 61,506,068 | 12,034,136 | 1,684,760 | 71,855,444 | 50,306,179 | 9,384,077 | 1,487,063 | 58,203,192 | 13,652,252 |
| कार्यालय उपस्कर | 60,219,625 | 9,494,723 | 1,652,185 | 68,062,163 | 46,920,331 | 11,067,734 | 1,499,199 | 56,488,866 | 11,573,298 |
| लीज धारिता सुधार | 85,694,826 | 6,244,214 | - | 91,939,040 | 59,018,603 | 12,902,435 | | 71,921,038 | 20,018,001 |
| कार्यालय भवन | • | 14,324,668 | - | 14,324,668 | - | 207,544 | - | 207,544 | 14,117,124 |
| जोड़ (ख) | 305,582,651 | 57,874,114 | 8,125,721 | 355,331,043 | 228,342,368 | 52,731,001 | 6,330,773 | 274,742,596 | 80,588,447 |
| कुल मूर्त परिसंपत्तियां (क+ख) | 5,242,910,363 | 185,881,824 | 16,973,711 | 5,411,818,476 | 1,290,912,108 | 374,962,216 | 6,330,773 | 1,659,543,551 | 3,752,274,925 |
| अमूर्त परिसंपत्तिया | | | | | | | | | |
| सॉफ्टवेयर | 9,421,706 | 1,427,407 | 1,250 | 10,847,863 | 9,230,807 | 1,309,031 | 1,250 | 10,538,588 | 309,275 |
| अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां | 1,455,062 | 1 | 1 | 1,455,062 | 232,077 | 291,012 | 1 | 523,089 | 931,973 |
| कुल अमूर्त परिसंपत्तियां | 10,876,768 | 1,427,407 | 1,250 | 12,302,925 | 9,462,884 | 1,600,043 | 1,250 | 11,061,677 | 1,241,248 |
| | 5,253,787,131 | 187,309,230 | 16,974,961 | 5,424,121,401 | 1,300,374,992 | 376,562,260 | 6,332,023 | 1,670,605,228 | 3,753,516,173 |
| विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | | | | | | | | | |
| उद्यम स्रोत योजना | 7,527,894 | 9,047,602 | • | 16,575,496 | | 1 | 1 | ı | 1,65,75,496 |
| कुल विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | 7,527,894 | 9,047,602 | • | 16,575,496 | • | • | 1 | 1 | 16,575,496 |

अचल परिसंपत्तियां

अप्रैल, 2014 से प्रमावी कंपनी अधिनेयम, 2013 के प्रावधानों के अंनुसार कंपनी ने अपनी स्थिर परिसंपतियों की शेष उपयोगी जीवन का पुनर्आकलन किया है। इस पुनर्आकलन के परिणामस्वरूप, अवधि के लिए मूल्यहास के लिए प्रमार की दर पुरानी प्रमारित की गई के समान है, इसलिए अतिरिक्त प्रमाव शून्य है।" समेकित करने के उदेश्य से उन्हें एकसमान बनाने के लिए एसपीवी का मूल्यहास को पुनः आकलित किया गया है। च<u>ो</u>ट:



| 2 | \cap | 1 | 4 | _ | 2 | \cap | 1 | 5 | |
|---|---------|-----|---|---|---|---------|-----|--------|--|
| _ | \circ | - 1 | - | _ | _ | \circ | - 1 | \sim | |

| Block of Assets | GROSS BLOCK | | | | DEPRECIATION | | | | NET BLOCK |
|---|-------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| | As at 1st April 2014 | Additions during the Year | Deletions / Adjustments during the Year | Cost up to 31st March 2015 | As at 1st April 2014 | Depreciation during the Year | Depreciation on Sale / Adjustments | Up to 31st March 2015 | As at March 31, 2015 |
| | Rupees | Rupees | Rupees | Rupees | Rupees | Rupees | Rupees | Rupees | Rupees |
| Tangible Assets | | | | | | | | | |
| Project Assets | | | | | | | | | |
| Station Building | 536,097,498 | 3,716,262 | 1 | 539,813,760 | 57,381,867 | 2,698,545 | 1 | 60,080,411 | 479,733,349 |
| Land | 79,830,609 | - | 1 | 79,830,609 | - | 1 | 1 | - | 79,830,609 |
| Bridges | 116,717,282 | 3,663,652 | 1 | 120,380,934 | 3,401,700 | 18,983,587 | - | 22,385,287 | 97,995,647 |
| P-Way | 3,076,765,890 | 72,882,431 | ı | 3,149,648,321 | 810,297,199 | 227,223,769 | 1 | 1,037,520,968 | 2,112,127,353 |
| Formation (Base For Laying Tracks) | 287,620,242 | 2,508,907 | 1 | 290,129,149 | 46,367,416 | 17,292,574 | 1 | 63,659,990 | 226,469,159 |
| Plant & Machinery (Project) | 840,296,191 | 45,236,458 | 8,847,989 | 876,684,659 | 145,121,559 | 56,032,740 | - | 201,154,299 | 675,530,360 |
| Total (A) | 4,937,327,712 | 128,007,710 | 8,847,989 | 5,056,487,432 | 1,062,569,740 | 322,231,215 | - | 1,384,800,955 | 3,671,686,477 |
| Other Tangible Assets | | | | | | | | | |
| Car | 4,574,959 | - | _ | 4,574,959 | 2,185,720 | 922,537 | - | 3,108,257 | 1,466,702 |
| Computer | 1,428,137 | 150,805 | 932,750 | 646,192 | 1,159,353 | 251,461 | 1,065,716 | 345,098 | 301,094 |
| EDP Assets | 90,124,790 | 15,258,438 | 2,799,757 | 102,583,471 | 68,204,302 | 17,685,488 | 1,764,881 | 84,124,909 | 18,458,562 |
| Plant & Machinery (Others) | 2,034,247 | 367,129 | 1,056,270 | 1,345,106 | 547,879 | 309,726 | 513,915 | 343,691 | 1,001,415 |
| Furniture & Fixture | 61,506,068 | 12,034,136 | 1,684,760 | 71,855,444 | 50,306,179 | 9,384,077 | 1,487,063 | 58,203,192 | 13,652,252 |
| Office Equipment | 60,219,625 | 9,494,723 | 1,652,185 | 68,062,163 | 46,920,331 | 11,067,734 | 1,499,199 | 56,488,866 | 11,573,298 |
| Lease Hold Improvement | 85,694,826 | 6,244,214 | • | 91,939,040 | 59,018,603 | 12,902,435 | - | 71,921,038 | 20,018,001 |
| Office Building | - | 14,324,668 | - | 14,324,668 | _ | 207,544 | - | 207,544 | 14,117,124 |
| Total (B) | 305,582,651 | 57,874,114 | 8,125,721 | 355,331,043 | 228,342,368 | 52,731,001 | 6,330,773 | 274,742,596 | 80,588,447 |
| Total Tangible Assets (A+B) | 5,242,910,363 | 185,881,824 | 16,973,711 | 5,411,818,476 | 1,290,912,108 | 374,962,216 | 6,330,773 | 1,659,543,551 | 3,752,274,925 |
| Intangible Assets | | | | | | | | | |
| Softwares | 9,421,706 | 1,427,407 | 1,250 | 10,847,863 | 9,230,807 | 1,309,031 | 1,250 | 10,538,588 | 309,275 |
| Other Intangible Assets | 1,455,062 | - | _ | 1,455,062 | 232,077 | 291,012 | - | 523,089 | 931,973 |
| Total Intangible Assets | 10,876,768 | 1,427,407 | 1,250 | 12,302,925 | 9,462,884 | 1,600,043 | 1,250 | 11,061,677 | 1,241,248 |
| | 5,253,787,131 | 187,309,230 | 16,974,961 | 5,424,121,401 | 1,300,374,992 | 376,562,260 | 6,332,023 | 1,670,605,228 | 3,753,516,173 |
| Intangible Assets under Development | | | | | | | | | |
| Enterprise Resource Planning | 7,527,894 | 9,047,602 | - | 16,575,496 | | - | - | 1 | 1,65,75,496 |
| Total Intangible Assets under development | 7,527,894 | 9,047,602 | - | 16,575,496 | • | ı | 1 | • | 16,575,496 |

6. Fixed Assets

Note:

(1) In accordance with the provisions of the Companies Act 2013, effective from 1st April, 2014, the Company has reassessed the remaining useful lives of its fixed assets. As a consequence of such reassessment, the rate of charge for depreciation for the period is equal to the previously applied rate of charges and additional impact is NIL."

(2) Depreciation of SPVs has been reworked to make them uniform for the purpose of consolidation.



नोट 6 (iii): चालू पूंजी कार्य

| चालू पूंजी कार्य | 01.04.2014 को | अधिवृद्धि | निबटान/अंतरित परियोजनाएं | 01.04.2015 को |
|---|---------------|-------------|--------------------------|---------------|
| क. प्रत्यक्ष परियोजना व्यय | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| सिविल कार्य | | | | |
| सिविल कार्य | 18,130,285 | 239,106 | - | 18,369,391 |
| भिलड़ी रनिंग रूम | 10,737,182 | - | - | 10,737,182 |
| मल्टी फंक्शनल कॉम्पलेक्स का विकास | 12,852,369 | 1,392,468 | - | 14,244,837 |
| मध्यवर्ती ब्लॉक खंड | 23,619,462 | 16,012,566 | - | 39,632,028 |
| नई दिल्ली कार्यालय | 510,253 | - | (510,253) | |
| रेलपथ | 102,986,387 | 8,492,836 | - | 111,479,223 |
| प्रारंभिक परियोजना व्यय | 15,589,977 | (1,491,616) | | 14,098,361 |
| लंबित आबंटन व्यय | - | - | - | - |
| शिरोपरि एवं भूमिगत क्रासिंग का अंतरण | 760,584 | - | | 760,584 |
| परियोजन लाइन ०५ पर व्यय | - | 314,362 | - | 314,362 |
| साइट सुविधाएं | 5,421,377 | 5,575,585 | - | 10,996,961 |
| फार्मेशन | 191,711,856 | 278,314,024 | - | 470,025,881 |
| भूमि* | 912,969,678 | 54,306,227 | _ | 967,275,905 |
| स्टेशन भवन | 21,360,133 | 2,824,351 | _ | 24,184,484 |
| उपकरण प्लांट एवं मशीनरी | 27,739 | _,0_0,000 | _ | 27,739 |
| पुल संबंधी काय | 550,193,407 | 410,991,116 | - | 961,184,523 |
| विस्तृत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग (सिविल) | 584,941 | 752,097 | - | 1,337,037 |
| निदेश एवं सामान्य प्रभार** | 97,941,496 | 32,917,933 | _ | 130,859,429 |
| विभागीय प्रभार | - | 18,899,417 | _ | 18,899,417 |
| सिगनल एवं दूरसंचार | | 1,111, | | -,, |
| सिगनल एवं दूरसंचार | 18,195,372 | 2,353,040 | - | 20,548,412 |
| विस्तृत डिजाइन इंजीनियरिंग | 18,263,430 | | _ | 18,263,430 |
| निदेश एवं सामान्य प्रभार एसएंडटी | 3,117,135 | 113,017 | _ | 3,230,152 |
| बिजली | 5,111,100 | | | -,, |
| बिजली संबंधी कार्य | 50,123,355 | 11,048,327 | - | 61,171,681 |
| भवन का विद्युतीकरण | 3,155,240 | 4,908,000 | - | 8,063,240 |
| शिरोपरि विद्युत उपस्कर | 89,942,691 | 30,114 | _ | 89,972,805 |
| निदेश एवं सामान्य प्रभार | 11,791,455 | 805,617 | _ | 12,597,072 |
| वित्त लागत | 56,262,050 | 56,108,645 | _ | 112,370,695 |
| रेविनिल को ब्याज | - | - | _ | - |
| निर्माण के दौरान ब्याज | _ | 2,795,986 | _ | 2,795,986 |
| घटाएं: निविदा की बिक्री | 9,161,180 | 3,513,471 | _ | 12,674,651 |
| घटाएं: प्राप्त अग्रिम पर ब्याज | 7,404,600 | 7,038,709 | _ | 14,443,309 |
| घटाएं: बैंक निक्षेपों पर ब्याज | | 82,881,313 | _ | 82,881,313 |
| घटाएं: निधि और अधिशेष से अंतरण | 67,020,803 | 5,241,204 | _ | 72,262,007 |
| जोड | 2,132,661,270 | 809,028,522 | (510,253) | 2,941,179,539 |
| ख. निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (आईईडीसी) | 13,029,824 | 7,967,704 | - | 20,997,528 |
| जोड़ (क+ख) | 2,145,691,094 | 816,996,226 | (510,253) | 2,962,177,067 |

^{*} चालू पूंजी परियोजना कार्य शीर्ष के अंतर्गत लीजधारक भूमि क्षेत्रीय रेलों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए किए गए भुगतानों का प्रतिनिधित्व करता है। बहरहाल, अधिगृहीत / अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का स्वामित्व अभी भी क्षेत्रीय रेलों के पास है और कंपनी रियायत अवधि अर्थात 30 वर्षों अथवा 14 प्रतिशत की दर से इक्विटी निवेश के एक समान शुद्ध वर्तमान मूल्य प्राप्त होने तक भुगतान तक भूमि पर लीजधारक अधिकारों को रखेगा, रियायत अनुबंध रद्द रहेगा और परियोजना लाइन रेलवे द्वारा वापिस ली जाएगी।

इसलिए कंपनी द्वारा अधिगृहीत भूमि (क्षेत्रीय रेलवे) रियायत अनुबंध की अवधि तक कंपनी की परिसंपत्ति रहेगी और उसके बाद क्षेत्रीय रेलों से भूमि की कीमत के भुगतान पर क्षेत्रीय रेलों को सौंप दी जाएगी। इसलिए कंपनी द्वारा भूमि की कीमत का परिशोधन नहीं किया गया है।



Note 6 (iii): Capital Work In Progress

| Capital Work In Progress | As at 1 April 2014 | Additions. | Disposal/ Transfer | As at 31st March 2015 |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| A. Direct Project Expenditure | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| Civil Work | | | | |
| Civil Work | 18,130,285 | 239,106 | - | 18,369,391 |
| Bhildi Running Room | 10,737,182 | - | - | 10,737,182 |
| Devlopment of Multi Functional Complex | 12,852,369 | 1,392,468 | - | 14,244,837 |
| Intermidiate Block Section | 23,619,462 | 16,012,566 | - | 39,632,028 |
| New Delhi Office | 510,253 | - | (510,253) | - |
| P.Way | 102,986,387 | 8,492,836 | - | 111,479,223 |
| Preliminary Project Expenditure | 15,589,977 | (1,491,616) | - | 14,098,361 |
| Expenditure Pending Allocation | - | - | - | - |
| Shifting Overhead & Under Ground Crossing | 760,584 | - | | 760,584 |
| Expenditure on Project Line 05 | - | 314,362 | - | 314,362 |
| Site Facilities | 5,421,377 | 5,575,585 | - | 10,996,961 |
| Formation | 191,711,856 | 278,314,024 | - | 470,025,881 |
| Land* | 912,969,678 | 54,306,227 | - | 967,275,905 |
| Station & Building | 21,360,133 | 2,824,351 | - | 24,184,484 |
| Equipment Plant & Machinery | 27,739 | - | - | 27,739 |
| Bridge Work | 550,193,407 | 410,991,116 | - | 961,184,523 |
| Detail Design Engg. (CIVIL) | 584,941 | 752,097 | - | 1,337,037 |
| Direction & General Charges** | 97,941,496 | 32,917,933 | - | 130,859,429 |
| Departmental Charges | | 18,899,417 | - | 18,899,417 |
| Signaling & Telecom | | | | |
| Signaling & Telecom | 18,195,372 | 2,353,040 | - | 20,548,412 |
| Detailed Design Engineering | 18,263,430 | - | - | 18,263,430 |
| Direction & General Charges S&T | 3,117,135 | 113,017 | - | 3,230,152 |
| Electrical | | | | |
| Electrical Work | 50,123,355 | 11,048,327 | - | 61,171,681 |
| Electrification of Building | 3,155,240 | 4,908,000 | - | 8,063,240 |
| Overhead Electric Equipment | 89,942,691 | 30,114 | - | 89,972,805 |
| Direction & General Charges | 11,791,455 | 805,617 | - | 12,597,072 |
| Finance Cost | 56,262,050 | 56,108,645 | - | 112,370,695 |
| Interest to RVNL | - | - | - | - |
| Interets During Construction | - | 2,795,986 | - | 2,795,986 |
| Less: Sale of Tender | 9,161,180 | 3,513,471 | - | 12,674,651 |
| Less: Interest On Mobilization Advance | 7,404,600 | 7,038,709 | - | 14,443,309 |
| Less: Interest on Bank deposits | - | 82,881,313 | - | 82,881,313 |
| Less: Transfer from Reserve and Surplues | 67,020,803 | 5,241,204 | | 72,262,007 |
| Total | 2,132,661,270 | 809,028,522 | (510,253) | 2,941,179,539 |
| B. Incidental Expenditure During Construction (IEDC) | 13,029,824 | 7,967,704 | - | 20,997,528 |
| Total (A+B) | 2,145,691,094 | 816,996,226 | (510,253) | 2,962,177,067 |

^{*} Leasehold Land, under the head Capital Work in Progress represents payments made for land acquisition through Zonal Railways. The title of land acquired/to be acquired will, however continue to remain with the Zonal Railway and the Company will hold the leasehold rights on the Land till the period of Concession Agreement i.e., 30 years or on attainment of the Net Present Value (NPV) payback equal to equity investment @14%, whichever is earlier. In case the NPV payback is reached earlier then 30 years, the concession agreement would stand terminated and the project line would be repossessed by railway.

The Leasehold Land so acquired by the Company (through Zonal Railway) will remain the property of Company till the period of Concession Agreement and thereafter will revert to Zonal Railway, upon payment of the value of land from the Zonal Railway. Hence no amortization for land value has been done by the Company.



7. गैर-चालू निवेश

| | 31 मार्च, 2015 को |
|---|-------------------|
| | राशि (₹) |
| (क) रेल मंत्रालय से प्राप्य (चालू परियोजनाओं पर) (ब्याज प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं) (असुरक्षित लेकिन अच्छा समझा गया) | 4,601,700,332 |
| (ख) रेल मंत्रालय से प्राप्य (पूरी हो चुकी परियोजनाएं)(ब्याज प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं) | 8,924,731 |
| (ग) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम | 9,612,360 |
| (घ) सुरक्षा जमाएं | 34,991,601 |
| (ड़) पूंजी परिसंपत्तियों के लिए अग्रिम | 375,456,858 |
| | 503,06,85,882 |
| 8. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां | |
| लीज प्राप्य | 498,46,38,611 |
| | 498,46,38,611 |

9. चालू परियोजना काय

| क्र सं | | 01.04.2014 को अथशेष | 01.04.2014 से 31.03.2015 तक अधिवृद्धि | 01.04.2014 से 31.03.2015 तक अंतरित परियोजनाएं | 31 मार्च, 2015 को |
|-----------|--|------------------------|---|---|----------------------|
| | | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) |
| 1 | सिविल कार्य | | | | |
| | पुल | 1811,19,56,762 | 569,03,52,432 | 49,24,65,948 | 2330,98,43,246 |
| | सिविल कार्य | 184,23,86,092 | (184,173,273) | 46,37,57,878 | 119,44,54,941 |
| | प्रारंभिक परियोजना व्यय | 72,61,81,059 | 26,19,70,048 | 1,20,03,014 | 97,61,48,093 |
| | उपकरण प्लांट एवं मशीनरी | 17,50,83,196 | 132,487,618 | 121,782,070 | 18,57,88,744 |
| | फार्मेशन | 889,64,30,882 | 284,03,76,180 | 458,871,838 | 1127,79,35,225 |
| | भूमि | 134,43,41,491 | 36,92,68,359 | (62,790,560) | 177,64,00,410 |
| | रेलपथ | 2932,50,59,458 | 869,95,07,728 | 1,834,131,766 | 3619,04,35,420 |
| | विस्तृत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग (सिविल) | 94,058,420.89 | 3,12,32,111 | 4,489,434 | 12,08,01,098 |
| | स्टेशन भवन | 503,34,00,705 | 231,84,97,042 | 743,717,844 | 660,81,79,903 |
| | कुल सिविल कार्य (क) | 6554,88,98,066 | 2015,95,18,246 | 4,068,429,232 | 8163,99,87,080 |
| 2 | सिगनल एवं दूरसंचार कार्य | | | | |
| | विस्तृत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग | 24,77,21,684 | 5,72,893 | 3,666,481 | 24,46,28,096 |
| | सिगनल व्यवस्था | 261,22,01,279 | 123,16,69,861 | 146,981,624 | 369,68,89,516 |
| | दूरसंचार व्यवस्था | 8,70,92,387 | 1,52,69,661 | 1,217,983 | 10,11,44,065 |
| | सिगनल एवं दूरसंचार कार्य | 495,75,61,272 | 54,37,77,739 | 273,833,808 | 522,75,05,203 |
| | कुल सिगनल एवं दूरसंचार कार्य (ख) | 790,45,76,622 | 179,12,90,154 | 425,699,896 | 927,01,66,880 |
| 3 | इलेक्ट्रिकल काय | | | | |
| | सामान्य विद्युतीकरण | 362,74,59,927 | 116,09,82,692 | 19,71,38,522 | 459,13,04,097 |
| | विस्तृत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) | 20,527,512.49 | 2,86,52,080 | | 4,91,79,593 |
| | शिरोपरि विद्युत उपस्कर | 913,88,47,418 | 244,67,18,435 | 11,84,26,559 | 1146,71,39,295 |
| | कुल इलेक्ट्रिकल कार्य (ग) | 1278,68,34,857 | 363,63,53,208 | 31,55,65,081 | 1610,76,22,985 |
| | | | | | |

4 निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय



7. Long Term Loans & Advances

| | | As at March 31, 2015 |
|-----|--|----------------------|
| | | Amount (₹) |
| (a) | Recoverable from Ministry of Railways (on going projects)(Interest Accrued but not due) (Unsecured, considered good) | 4,601,700,332 |
| (b) | Recoverable from Ministry of Railways (Completed projects)(Interest Accrued but not due) | 8,924,731 |
| (c) | Employees Loan & Advances | 9,612,360 |
| (d) | Security Deposits | 34,991,601 |
| (e) | Advacne for Capital Assets | 375,456,858 |
| | | 503,06,85,882 |
| 8. | Other Non-Current Assets | |
| Lea | se Receivables | 498,46,38,611 |
| | | 498,46,38,611 |

9. Project Work-in-Progress

| S. No. | Particulars | Opening Balance as at 01.04.2014 | Addition from 01.04.2014 to 31.03.2015 | Project Transferred from 1.4.2014 to 31.03.2015 | As at March 31, 2015 |
|-----------|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|
| | | Rupees (₹) | Rupees (₹) | Rupees (₹) | Rupees (₹) |
| 1 | Civil Works | | | | |
| | Bridges | 1811,19,56,762 | 569,03,52,432 | 49,24,65,948 | 2330,98,43,246 |
| | Civil Works | 184,23,86,092 | (184,173,273) | 46,37,57,878 | 119,44,54,941 |
| | Preliminary Project Expenditure | 72,61,81,059 | 26,19,70,048 | 1,20,03,014 | 97,61,48,093 |
| | Equipments Plants and Machinery | 17,50,83,196 | 132,487,618 | 121,782,070 | 18,57,88,744 |
| | Formation | 889,64,30,882 | 284,03,76,180 | 458,871,838 | 1127,79,35,225 |
| | Land | 134,43,41,491 | 36,92,68,359 | (62,790,560) | 177,64,00,410 |
| | Permanent Way | 2932,50,59,458 | 869,95,07,728 | 1,834,131,766 | 3619,04,35,420 |
| | Detailed Design & Engineering (Civil) | 94,058,420.89 | 3,12,32,111 | 4,489,434 | 12,08,01,098 |
| | Station Buildings | 503,34,00,705 | 231,84,97,042 | 743,717,844 | 660,81,79,903 |
| | Total Civil Work (A) | 6554,88,98,066 | 2015,95,18,246 | 4,068,429,232 | 8163,99,87,080 |
| 2 | S & T Work | | | | |
| | Detailed Design & Engineering | 24,77,21,684 | 5,72,893 | 3,666,481 | 24,46,28,096 |
| | Signaling Arrangement | 261,22,01,279 | 123,16,69,861 | 146,981,624 | 369,68,89,516 |
| | Telecommunication Arrangement | 8,70,92,387 | 1,52,69,661 | 1,217,983 | 10,11,44,065 |
| | Signaling & Telecom Works | 495,75,61,272 | 54,37,77,739 | 273,833,808 | 522,75,05,203 |
| | Total S & T Work (B) | 790,45,76,622 | 179,12,90,154 | 425,699,896 | 927,01,66,880 |
| 3 | Electrical Works | | | | |
| | General Electrification | 362,74,59,927 | 116,09,82,692 | 19,71,38,522 | 459,13,04,097 |
| | Detailed Design & Engineering (Electrical) | 20,527,512.49 | 2,86,52,080 | | 4,91,79,593 |
| | Overhead Electric Equipment | 913,88,47,418 | 244,67,18,435 | 11,84,26,559 | 1146,71,39,295 |
| | Total Electrical Work (C) | 1278,68,34,857 | 363,63,53,208 | 31,55,65,081 | 1610,76,22,985 |
| 4 | Incidental Europelituus duvina | | | | |

4 Incidental Expenditure during Construction Period



| स्थित (१) साशि (१) | क्र | . विवरण सं. | 01.04.2014 को अथशेष | 01.04.2014 से 31.03.2015 तक अधिवृद्धि | 01.04.2014 से 31.03.2015 तक अंतरित परियोजनाएं | 31 मार्च, 2015 को |
|---|-----|--|------------------------|---|---|----------------------|
| परियोजना संबंधी प्रत्यक्ष व्यय परियोजना प्रबंधन परामर्श 366,489,558 67,73,09,948 7,22,83,423 60,50,26,525 रेलों को निर्देश एवं सामान्य प्रमार 32,936,160 3,79,76,019 2,775,500 3,52,00,519 निर्माण अवधि के दौरान 32,936,160 3,79,76,019 2,775,500 3,52,00,519 निर्माण अवधि के दौरान 481,67,80,172 71,52,85,967 18,83,40,228 208,18,20,625 कुल आकरिमक व्यय घटाएं: अग्निम व्यवस्था पर व्याज 261,905,286 44,87,79,272 6,627,055 44,21,52,217 शुद्ध आकरिमक व्यय का प्रत्येक परियोजना परियोजनाओं को विभाजित (घ) 5 अन्य आवंदन लंबित व्यय 40,26,73,572 128,163,606 - 53,08,37,178 प्रवंधन फीस 457,21,07,541 218,87,19,861 23,40,08,012 652,68,19,390 कुल अन्य (इ) 497,47,81,113 231,68,83,467 23,40,08,012 705,76,56,568 कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं 9276,99,65,546 2817,05,51,769 522,54,15,394 11571,51,01,921 घटाएं: जारी सामग्री से क्रेडिट 7,60,725 1,500 411,539 350,686 घटाएं: निर्वेश (एलडी, जुर्माना एवं विविध जमाएं) 1,64,700 - 67,013,283 67,177,983 रेल मंत्रालय परियोजनाओं के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 6 अन्य ग्रारंभिक परियोजना व्यय 3,03,447 2,62,16,601 - 2,65,20,048 घटाएं: निविदा को बिक्री (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | | | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) | राशि (₹) |
| परियोजना प्रबंधन परामर्शं 366,489,558 67,73,09,948 7,22,83,423 60,50,26,525 रेलों को निर्देश एवं सामान्य प्रमार 32,936,160 3,79,76,019 2,775,500 3,52,00,519 निर्माण अविध के दौरान कुल आकरिसक व्यय घटाएं: अग्रिम व्यवस्था पर व्याज 261,905,286 44,87,79,272 6,627,055 44,21,52,217 शुद्ध आकरिसक व्यय का प्रत्येक परियोजना परियोजना परियोजना परियोजनाओं को विभाजित (घ) 5 अव्य आवंदन लंबित व्यय 40,26,73,572 128,163,606 - 53,08,37,178 प्रबंधन फीस 457,21,07,541 218,87,19,861 23,40,08,012 652,68,19,390 कुल अन्य (इ) 497,47,81,113 231,68,83,467 23,40,08,012 652,68,19,390 कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं 9276,99,65,546 2817,05,51,769 522,54,15,394 11571,51,01,921 घटाएं: जारी सामग्री से क्रेडिट 7,60,725 1,500 411,539 350,686 घटाएं: निर्वेश (एलडी, जुर्माना एवं विविध जमाएं) 1,64,700 - 67,013,283 67,177,983 रेल मंत्रालय परियोजनाएं 9276,90,40,121 2817,05,50,269 529,20,17,138 11564,75,73,252 शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं 9276,90,40,121 2817,05,50,269 529,20,17,138 11564,75,73,252 शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं (क्) (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | | अथशेष | 141,73,54,454 | | 11,32,81,305 | 144,15,93,581 |
| रेलों को निदेश एवं सामान्य प्रमार 32,936,160 3,79,76,019 2,775,500 3,52,00,519 निर्माण अविध के दौरान कुल आकरिमक व्यय घटाएं: अग्रिम व्यवस्था पर व्याज 261,905,286 44,87,79,272 6,627,055 44,21,52,217 शुद्ध आकरिमक व्यय घर विष परियोजना परियोजना परियोजना परियोजना परियोजनाओं को विभाजित (घ) 5 अन्य आवंटन लंबित व्यय 40,26,73,572 128,163,606 - 53,08,37,178 प्रवंधन फीस 457,21,07,541 218,87,19,861 23,40,08,012 652,68,19,390 कुल अन्य (इ) 497,47,81,113 231,68,83,467 23,40,08,012 705,76,56,568 कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं 9276,99,65,546 2817,05,51,769 522,54,15,394 11571,51,01,921 घटाएं: जारी सामग्री से क्रेडिट 7,60,725 1,500 411,539 350,686 घटाएं: निर्कष (एलडी; जुर्माना एवं विविध जमाएं) 1,64,700 - 67,013,283 67,177,983 रेल मंत्रालय परियोजनाओं के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 6 अन्य ग्रारंभिक परियोजना व्यय 3,03,447 2,62,16,601 - 2,65,20,048 घटाएं: निविदा की विकी (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,65,40,048 | | परियोजना संबंधी प्रत्यक्ष व्यय | | | | |
| निर्माण अविध के दौरान कुल आकरिमक व्यय घटाएं: अग्रिम व्यवस्था पर ब्याज 261,905,286 44,87,79,272 6,627,055 44,21,52,217 शुद्ध आकरिमक व्यय घर प्रत्येक परियोजना पर किए गए खर्च के अनुपात में परियोजनाओं को विमाजित (घ) 55 अन्य आवंटन लंबित व्यय 40,26,73,572 128,163,606 - 53,08,37,178 प्रकंघन फीस 457,21,07,541 218,87,19,861 23,40,08,012 652,68,19,390 कुल अन्य (ङ) 497,47,81,113 231,68,83,467 23,40,08,012 705,76,56,568 कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं 9276,99,65,546 2817,05,51,769 522,54,15,394 11571,51,01,921 घटाएं: जारी सामग्री से क्रेडिट 7,60,725 1,500 411,539 350,686 घटाएं: निर्कषेप (एलडी, जुर्माना एवं विविध जमाएं) 1,64,700 - 67,013,283 67,177,983 स्वात्य परियोजनाएं 9276,90,40,121 2817,05,50,269 529,20,17,138 11564,75,73,252 गुर्स निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 67 अन्य प्रिस्त परियोजना व्यय 3,03,447 2,62,16,601 - 2,65,20,048 घटाएं: निविदा की बिक्री (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,65,24,048 | | परियोजना प्रबंधन परामर्श | 366,489,558 | 67,73,09,948 | 7,22,83,423 | 60,50,26,525 |
| म्हल आकिस्मिक व्यय चिटाएं: अग्रिम व्यवस्था पर ब्याज 261,905,286 44,87,79,272 6,627,055 44,21,52,217 सुद्ध आकिस्मिक व्यय का प्रत्येक परियोजना पर किए गए खर्च के अनुपात में परियोजनाओं को विमाजित (घ) 155,48,74,886 26,65,06,695 18,17,13,173 1,639,668,408 वर्ष परियोजनाओं को विमाजित (घ) 5 अन्य आवंटन लंबित व्यय 40,26,73,572 128,163,606 - 53,08,37,178 प्रवंधन फीस 457,21,07,541 218,87,19,861 23,40,08,012 652,68,19,390 कुल अन्य (इ) 497,47,81,113 231,68,83,467 23,40,08,012 705,76,56,568 कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं 9276,99,65,546 2817,05,51,769 522,54,15,394 11571,51,01,921 घटाएं: जारी सामग्री से क्रेडिट 7,60,725 1,500 411,539 350,686 घटाएं: निक्षेप (एलडी, जुर्माना एवं विविध जमाएं) 1,64,700 - 67,013,283 67,177,983 रुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 9276,90,40,121 2817,05,50,269 529,20,17,138 11564,75,73,252 सुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 2,65,20,048 घटाएं: निविदा की विक्री (120,000) (160,000) - 2,65,20,048 घटाएं: निविदा की विक्री (120,000) (160,000) - 2,65,24,0,048 | | रेलों को निदेश एवं सामान्य प्रभार | 32,936,160 | 3,79,76,019 | 2,775,500 | 3,52,00,519 |
| पुद्ध आकस्मिक व्यय का प्रत्येक परियोजना पर किए गए खर्च के अनुपात में परियोजनाओं को विमाजित (घ) 5 अन्य आवंटन लंबित व्यय 40,26,73,572 128,163,606 - 53,08,37,178 प्रवंधन फीस 457,21,07,541 218,87,19,861 23,40,08,012 652,68,19,390 कुल अन्य (इ) 497,47,81,113 231,68,83,467 23,40,08,012 705,76,56,568 कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं 9276,99,65,546 2817,05,51,769 522,54,15,394 11571,51,01,921 घटाएं: जारी सामग्री से क्रेडिट 7,60,725 1,500 411,539 350,686 घटाएं: निक्षेप (एलडी, जुर्माना एवं विविध जमाएं) 1,64,700 - 67,013,283 67,177,983 रेल मंत्रालय परियोजनाओं के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 6 अन्य प्रारंभिक परियोजना व्यय 3,03,447 2,62,16,601 - 2,65,20,048 घटाएं: निविदा की बिक्री (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | | | 181,67,80,172 | 71,52,85,967 | 18,83,40,228 | 208,18,20,625 |
| पर किए गए खर्च के अनुपात में परियोजनाओं को विभाजित (घ) 5 अन्य अावंटन लंबित व्यय 40,26,73,572 128,163,606 - 53,08,37,178 प्रवंधन फीस 457,21,07,541 218,87,19,861 23,40,08,012 652,68,19,390 कुल अन्य (इ) 497,47,81,113 231,68,83,467 23,40,08,012 705,76,56,568 कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं 9276,99,65,546 2817,05,51,769 522,54,15,394 11571,51,01,921 घटाएं: जारी सामग्री से क्रेडिट 7,60,725 1,500 411,539 350,686 घटाएं: निक्षेप (एलडी, जुर्माना एवं विविध जमाएं) 1,64,700 - 67,013,283 67,177,983 रेल मंत्रालय परियोजनाओं के लिए 9276,90,40,121 2817,05,50,269 529,20,17,138 11564,75,73,252 पुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 6 अन्य प्रारंभिक परियोजना व्यय 3,03,447 2,62,16,601 - 2,65,20,048 घटाएं: निविदा की बिक्री (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | | घटाएं: अग्रिम व्यवस्था पर ब्याज | 261,905,286 | 44,87,79,272 | 6,627,055 | 44,21,52,217 |
| आवंटन लंबित व्यय 40,26,73,572 128,163,606 - 53,08,37,178 प्रबंधन फीस 457,21,07,541 218,87,19,861 23,40,08,012 652,68,19,390 कुल अन्य (इ) 497,47,81,113 231,68,83,467 23,40,08,012 705,76,56,568 कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं 9276,99,65,546 2817,05,51,769 522,54,15,394 11571,51,01,921 घटाएं: जारी सामग्री से क्रेडिट 7,60,725 1,500 411,539 350,686 घटाएं: निक्षेप (एलडी, जुर्माना एवं विविध जमाएं) 1,64,700 - 67,013,283 67,177,983 रेल मंत्रालय परियोजनाओं के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 9276,90,40,121 2817,05,50,269 529,20,17,138 11564,75,73,252 प्रार्टीमक परियोजना व्यय 3,03,447 2,62,16,601 - 2,65,20,048 घटाएं: निविदा की बिक्री (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | | पर किए गए खर्च के अनुपात में | 155,48,74,886 | 26,65,06,695 | 18,17,13,173 | 1,639,668,408 |
| प्रबंधन फीस 457,21,07,541 218,87,19,861 23,40,08,012 652,68,19,390 कुल अन्य (इ) 497,47,81,113 231,68,83,467 23,40,08,012 705,76,56,568 कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं 9276,99,65,546 2817,05,51,769 522,54,15,394 11571,51,01,921 घटाएं: जारी सामग्री से क्रेडिट 7,60,725 1,500 411,539 350,686 घटाएं: निक्षेप (एलडी, जुर्माना एवं विविध जमाएं) 1,64,700 - 67,013,283 67,177,983 रेल मंत्रालय परियोजनाओं के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 9276,90,40,121 2817,05,50,269 529,20,17,138 11564,75,73,252 शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 2,62,16,601 - 2,65,20,048 घटाएं: निविदा की बिक्री (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | 5 | अन्य | | | | |
| कुल अन्य (इ) 497,47,81,113 231,68,83,467 23,40,08,012 705,76,56,568 कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं 9276,99,65,546 2817,05,51,769 522,54,15,394 11571,51,01,921 घटाएं: जारी सामग्री से क्रेडिट 7,60,725 1,500 411,539 350,686 घटाएं: निक्षेप (एलडी, जुर्माना एवं विविध जमाएं) 1,64,700 - 67,013,283 67,177,983 रेल मंत्रालय परियोजनाओं के लिए 9276,90,40,121 2817,05,50,269 529,20,17,138 11564,75,73,252 शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) | | आवंटन लंबित व्यय | 40,26,73,572 | 128,163,606 | - | 53,08,37,178 |
| कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं 9276,99,65,546 2817,05,51,769 522,54,15,394 11571,51,01,921 घटाएं: जारी सामग्री से क्रेडिट 7,60,725 1,500 411,539 350,686 घटाएं: निक्षेप (एलडी, जुर्माना एवं विविध जमाएं) 1,64,700 - 67,013,283 67,177,983 रेल मंत्रालय परियोजनाओं के लिए 9276,90,40,121 2817,05,50,269 529,20,17,138 11564,75,73,252 सुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 525,20,048 घटाएं: निविदा की बिक्री (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए सुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | | प्रबंधन फीस | 457,21,07,541 | 218,87,19,861 | 23,40,08,012 | 652,68,19,390 |
| घटाएं: जारी सामग्री से क्रेडिट 7,60,725 1,500 411,539 350,686 घटाएं: निक्षेप (एलडी, जुर्माना एवं विविध जमाएं) 1,64,700 - 67,013,283 67,177,983 रेल मंत्रालय परियोजनाओं के लिए 9276,90,40,121 2817,05,50,269 529,20,17,138 11564,75,73,252 शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 6 अन्य प्रारंभिक परियोजना व्यय 3,03,447 2,62,16,601 - 2,65,20,048 घटाएं: निविदा की बिक्री (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | | कुल अन्य (इ) | 497,47,81,113 | 231,68,83,467 | 23,40,08,012 | 705,76,56,568 |
| घटाएं: निक्षेप (एलडी, जुर्माना एवं विविध जमाएं) 1,64,700 - 67,013,283 67,177,983 रेल मंत्रालय परियोजनाओं के लिए 9276,90,40,121 2817,05,50,269 529,20,17,138 11564,75,73,252 शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 6 अन्य प्रारंभिक परियोजना व्यय 3,03,447 2,62,16,601 - 2,65,20,048 घटाएं: निविदा की बिक्री (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | | कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं | 9276,99,65,546 | 2817,05,51,769 | 522,54,15,394 | 11571,51,01,921 |
| रेल मंत्रालय परियोजनाओं के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 9276,90,40,121 2817,05,50,269 529,20,17,138 11564,75,73,252 शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 6 अन्य प्रारंभिक परियोजना व्यय 3,03,447 2,62,16,601 - 2,65,20,048 घटाएं: निविदा की बिक्री (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | | घटाएं: जारी सामग्री से क्रेडिट | 7,60,725 | 1,500 | 411,539 | 350,686 |
| शुद्ध निर्माणाधीन परियोजनाएं(क) 6 अन्य प्रारंभिक परियोजना व्यय 3,03,447 2,62,16,601 - 2,65,20,048 घटाएं: निविदा की बिक्री (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | | घटाएं: निक्षेप (एलडी, जुर्माना एवं विविध जमाएं) | 1,64,700 | - | 67,013,283 | 67,177,983 |
| प्रारंभिक परियोजना व्यय 3,03,447 2,62,16,601 - 2,65,20,048 घटाएं: निविदा की बिक्री (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | | | 9276,90,40,121 | 2817,05,50,269 | 529,20,17,138 | 11564,75,73,252 |
| घटाएं: निविदा की बिक्री (120,000) (160,000) - (280,000) अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | 6 | अन्य | | | | |
| अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) 1,83,447 2,60,56,601 - 2,62,40,048 | | प्रारंभिक परियोजना व्यय | 3,03,447 | 2,62,16,601 | - | 2,65,20,048 |
| | | घटाएं: निविदा की बिक्री | (120,000) | (160,000) | - | (280,000) |
| सकल जोड़ (क + ख) 9276,92,23,568 2819,66,06,870 529,20,17,138 11567,38,13,300 | | अन्य के लिए शुद्ध निर्माणाधीन परियोजना कार्य (ख) | 1,83,447 | 2,60,56,601 | - | 2,62,40,048 |
| | | सकल जोड़ (क + ख) | 9276,92,23,568 | 2819,66,06,870 | 529,20,17,138 | 11567,38,13,300 |

- 1 भूमि अधिग्रहण के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा संबंधित प्राधिकरणों को किए गए भुगतान को चालू निर्माण कार्यों मेंशामिल किया गया है। इस कार्य के लिए कुल ₹177,64,00,410 (पिछले वर्ष ₹134,43,41,491) का भुगतान किया गया है। इस प्रकार से अधिगृहीत भूमि संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के नाम पर दर्ज है।
- 2 कंपनी द्वारा रेल मंत्रालय की परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। इनमें से कुछ परियोजनाएं ऐसी है जिन्हें प्रारंभ में कंपनी को हस्तांतरित किया गया था किंतु उन पर निर्माण कार्य पहले से चालू था और इन परियोजनाओं को हस्तांतरण से पहले कुछ क्षेत्रीय रेलों द्वारा इन पर धनराशि व्यय की गई थी। कंपनी के गठन से पहले इन परियोजनाओं पर संबंधित क्षेत्रोां रेलों द्वारा व्यय की गई राशि को लेखों में नहीं दर्शाया गया है।
- 3 प्रबंधन के अनुसार चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम के मूल्य, सामान्य व्यवसाय की स्थिति में तुलन पत्र में उल्लिखित मूल्य से कम नहीं होगी।
- 4 "निविदा की शर्तों के अनुसार अग्रिम व्यवस्था के लिए देय ब्याज को ठेकेदारों से वसूला जा रहा है, परियोजना में क्रेडिट किया जा रहा है।"
- 5 क्षेत्रीय रेलों को पूरी परियोजना के सौंपने / चालू हो जाने और जहां परियोजना के लिए बुक व्यय वित्तीय वर्ष के अंत में कार्य की प्रत्याशित लागत के कम से कम 95 प्रतिशत हो, इसे लेखों में परियोजनाएं के वित्तीय अंतरण को पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के अंतरण के लिए रेल मंत्रालय के दिनांक 17.12.2013 के संयुक्त पद्धित आदेश के पैरा 5.1.1 के के अनुपालन में किया गया है।



| S. Particulars No. | Opening Balance as at 01.04.2014 | Addition from 01.04.2014 to 31.03.2015 | Project Transferred from 1.4.2014 to 31.03.2015 | As at March 31, 2015 |
|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------|
| | Rupees (₹) | Rupees (₹) | Rupees (₹) | Rupees (₹) |
| Opening Balance | 141,73,54,454 | | 11,32,81,305 | 144,15,93,581 |
| Project related Direct Expenditure | | | | |
| Project management Consultancy | 366,489,558 | 67,73,09,948 | 7,22,83,423 | 60,50,26,525 |
| Direction & General Charges to Railways | 32,936,160 | 3,79,76,019 | 2,775,500 | 3,52,00,519 |
| Total Incidental Expenditure During Construction Period | 181,67,80,172 | 71,52,85,967 | 18,83,40,228 | 208,18,20,625 |
| Less: Interest on Mobilisation Advance Net | 261,905,286 | 44,87,79,272 | 6,627,055 | 44,21,52,217 |
| Incidental expenditure Apportioned to Projects in the ratio of spending on individual projects project expenditure (D) | | 26,65,06,695 | 18,17,13,173 | 1,639,668,408 |
| 5 Others | | | | |
| Expenditure Pending Allocation | 40,26,73,572 | 128,163,606 | - | 53,08,37,178 |
| Management fees | 457,21,07,541 | 218,87,19,861 | 23,40,08,012 | 652,68,19,390 |
| Total Others (E) | 497,47,81,113 | 231,68,83,467 | 23,40,08,012 | 705,76,56,568 |
| Total Project Work in Progress | 9276,99,65,546 | 2817,05,51,769 | 522,54,15,394 | 11571,51,01,921 |
| Less: Credit from Release Material | 7,60,725 | 1,500 | 411,539 | 350,686 |
| Less: Deposit (LD, Penalty & Misc Deposit) | 1,64,700 | - | 67,013,283 | 67,177,983 |
| Net Project Work in Progress for MOR Projects (A) | 9276,90,40,121 | 2817,05,50,269 | 529,20,17,138 | 11564,75,73,252 |
| 6 Others | | | | |
| Preliminary Project Expenditure | 3,03,447 | 2,62,16,601 | - | 2,65,20,048 |
| Less: Sale of Tender | (120,000) | (160,000) | - | (280,000) |
| Net Project Work in Progress for Others (B) | 1,83,447 | 2,60,56,601 | - | 2,62,40,048 |
| Grand Total (A+B) | 9276,92,23,568 | 2819,66,06,870 | 529,20,17,138 | 11567,38,13,300 |

- 1 Land cost included in Project Work in Progress represents payments made through various Zonal Railways/ to concerned authority for the purpose of acquisition of land. The total payment made amounts to ₹177,64,00,410 (Previous year: ₹134,43,41,491). The land so acquired is in the name of the concerned Zonal Railway.
- The Company is executing projects assigned by MOR. In some of the projects, initially transferred to the Company, work was already in progress and some of the Zonal Railways had incurred expenditure on those projects prior to their transfer to the Company. The expenditure made by the concerned Railways prior to the formation of the Company has not been taken into account.
- 3 In the opinion of the Management, the value of current assets, loans and advances on realization in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these have been stated in the Balance Sheet.
- 4 "Interest on mobilization Advance, recovered from the Contractors as per the terms and conditions of the contract, is being credited to the project."
- In Compliance of para 5.1.1 of joint procedure order of MoR dated 17/12/2013 for transfer of completed projects financial transfers of projects have been carried out in the accounts after handing over / commissioning of the full project to the Zonal Railway and where the expenditure booked against the project at the end of the financial year is at least 95 % of the latest anticipated cost of the work.

रेल विकास निगम लिमिटेड Rail Vikas Nigam Limited

| 10 व्यापार प्राप्य | |
|--|--------------------------------|
| | 31.03.2015 को |
| | राशि (₹) |
| (क) छः माह से अधिक | |
| असुरक्षित किंतु बेहतर समझा जाता है | 432,898,772 |
| (ख) अन्य (छः माह से कम) | |
| असुरक्षित किंतु बेहतर समझा जाता ह | 1,697,524,295 |
| | 213,04,23,067 |
| 11 नकदी और बैंक शेष अन्य बैंक शेष | |
| | |
| | 1,098,097,338 |
| चालू खाता सावधि जमाएं (3 माह से कम की परिपक्वता अवधि) | 7,180,935,855 |
| (ii) चैक इन हैंड | 23,489 |
| (iv) नकद | - |
| (iii) पेश्चगी | 997,599 |
| | 828,00,54,282 |
| अन्य बैंक शेष | |
| (i) बैंकों में अथशेष | |
| अनुसूचित बैंकों में टर्म डिपोजिट | 10,412,638,582 |
| | 10,412,638,582 |
| | |
| 10 | 1869,26,92,864 |
| 12 अल्पाविध ऋण एवं अग्रिम नकदी अथवा किसी अन्य तरीके से अथवा मूल्य के बराबर प्राप्त अग्रिमः | |
| नकदा अथवा किसा अन्य तराक स अथवा मूल्य क बराबर प्राप्त आग्रमः (असुरक्षित किंतु बेहतर समझा जाता है) | |
| (क) रेल मंत्रालय से वसूलनीय (ब्याज) | 2,136,250,573 |
| (ख) सावधि जमाओं पर उपार्जित ब्याज | 204,925,434 |
| (ग) अग्रिम व्यवस्था पर उपार्जित ब्याज | 69,997,065 |
| (ड़) प्रतिभूमि जमा | 4,180,678 |
| (च) स्मृति कर और स्रोत पर कर की कटौती | 313,649,108 |
| (इ) अन्य | 156,609,644 |
| (ड़) न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट शीर्ष | 506,522,444 |
| | |
| | 339,21,34,946 |
| 13 परियोजना कार्य के लिए अग्रिम | |
| ((क) क्षेत्रीय रेलों को अग्रिम | 925,700,507 |
| (ख) स्लीपरों के लिए अग्रिम | 1,248,136,448 |
| (ग) अग्रिम व्यवस्था (घ) अन्य अग्रिम | 2,666,804,431 3,800,928,297 |
| (a) জন্ম আমূদ | 864,15,69,683 |
| 14 अन्य चालू परिसंपत्तियां | |
| लीज प्राप्य | 752,171,313 |
| | , , |
| | 75,21,71,313 |
| | |



| 10 | Trade Receivables | |
|-------------|--|----------------------|
| | Trade Hoodivasies | As at March 31, 2015 |
| | | Amount (₹) |
| (a) | More than 6 months | 400 000 770 |
| (b) | Unsecured-Considered good | 432,898,772 |
| (b) | Other (less than 6 months) | 1 007 504 005 |
| | Unsecured-Considered good | 1,697,524,295 |
| 44 | Cook and Doub Polances | 213,04,23,067 |
| 11 | Cash and Bank Balances | |
| (i) | Cash and Cash Equivalent | |
| (i) | Balances with Bank Current Account | 1 000 007 220 |
| | | 1,098,097,338 |
| /ii\ | | 7,180,935,855 |
| (ii) | Cheque-in-Hand Cash-in-Hand | 23,489 |
| (iii) | | 997,599 |
| (iv) | Imprest | 828,00,54,282 |
| Ωŧh | er Bank Balances | 020,00,34,202 |
| (i) | Balances with Bank | |
| (1) | Term Deposit in Schedule Bank | 10,412,638,582 |
| | Torri Boposit in Goriculio Bank | 10,412,638,582 |
| | | 10,412,000,002 |
| | | 1869,26,92,864 |
| 12 | Short Term Loan & Advances | 1000,100,001 |
| | Advance Receivable in Cash or in kind or for value to be Received: | |
| | (Unsecured, considered good) | |
| (a) | Recoverable from Ministry of Railway (Interest) | 2,136,250,573 |
| (b) | Interest accrued on Fixed Deposit | 204,925,434 |
| (c) | Interest accrued on Mobilization Advance | 69,997,065 |
| (d) | Security Deposit | 4,180,678 |
| (e) | Advance Tax and Tax Deducted at Source | 313,649,108 |
| (f) | Others | 156,609,644 |
| (g) | MAT Credit Entitlment | 506,522,444 |
| (0) | | , , |
| | | 339,21,34,946 |
| 13 | Advances for Project Work | |
| | (a) Advances to Zonal Railways | 925,700,507 |
| | (b) Advances for Sleepers | 1,248,136,448 |
| | (c) Mobilisation Advances | 2,666,804,431 |
| | (d) Other Advances | 3,800,928,297 |
| | | 864,15,69,683 |
| 14 | Other Current Assets | |
| | Lease Receivable | 752,171,313 |
| | | |
| | | 75,21,71,313 |

| | विवरण | 31 | .03.2015 को |
|--------------|---|----------------|----------------|
| | | राशि (₹) | राशि (₹) |
| 15 | परिचालन से राजस्वः | | |
| | चालू निर्माण कार्य (परियोजना गतिविधियां) से टर्नओवर | | |
| | - रेल मंत्रालय परियोजनाओं से | 2425,63,45,480 | |
| | - रेल मंत्रालय मेट्रो परियोजनाओं से | 351,89,33,068 | |
| | - रेल मंत्रालय राष्ट्रीय परियोजनाओं से | 11,60,19,730 | |
| | - रेल मंत्रालय परियोजनाओं से (क्षेत्रीय रेलों द्वारा निष्पादित) | 27,92,51,991 | |
| | - निक्षेप कार्य से – परियोजना (एसपीवी) | 181,48,31,395 | |
| | - निक्षेप कार्य से — परियोजना (अन्य) | 51,77,22,431 | 3050,31,04,095 |
| | से टर्नओवर | | |
| | विभाजित माल यातायात आमदनी | | 397,42,02,834 |
| | | | 3447,73,06,929 |
| \ | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | | |

रेलवे बोर्ड के दिनांक 04.01.2012 के पत्र सं. 2004 / डब्ल्यू—1 / आरवीएनएल / 15 के अनुसार रेविनिलि द्वारा समेकित प्रबंधन शुल्क की गणना रेल मंत्रालय की मेट्रो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रेविनिलि द्वारा व्यय राशि का 9.25 प्रतिशत, अन्य योजना शीर्ष के मामलें 8.5 प्रतिशत और राष्ट्रीय परियोजना के मामलें में 10 प्रतिशत की दर से की जाएगी। रेल मंत्रालय के निदेशों के अनुसार परियोजना प्रबंधन से संबंधित सभी प्रकार के परामर्शी व्यय को प्रत्यक्ष रूप से परियोजना से प्रभारित किया जा रहा है। रेलवे को परियोजना लागत का अधिकतम 0.25 प्रतिशत देय डीएंडजी प्रभार को संबंधित जोनल रेलवे को वास्तव में रिलीज किए जाने वाले फंड के परियोजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटित किया गया है। डीएंडजी (पर्यवेक्षण) व्यय को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जा रहा है। निविदा फार्मों की बिक्री और अन्य आय जैसी विविध प्राप्तियों को लाभ एवं हानि खाता में क्रेडिट किया गया है।

16 अन्य आय

| | (क) ब्याज आय | | |
|----|--|----------------|----------------|
| | – बैंक –सकल | 112,80,66,748 | |
| | – अन्य–सकल | 5,84,91,233 | 1,186,557,981 |
| | (ख) लाभांश आयः | | - |
| | (ग) विविध आय | | 17,477,219 |
| | | | 120,40,35,200 |
| 17 | परिचालन व्यय | _ | |
| | (निर्माण और परियोजना संबंधी गतिविधि के प्रत्यक्ष व्यय) | | |
| | – रेल मंत्रालय परियोजनाओं से | 2238,73,90,218 | |
| | – रेल मंत्रालय मेट्रो परियोजनाओं से | 320,97,15,718 | |
| | – रेल मंत्रालय राष्ट्रीय परियोजनाओं से | 10,54,72,482 | |
| | – परियोजनाओं पर वहन किया गया (क्षेत्रीय रेलों द्वारा) | 27,92,51,991 | |
| | – निक्षेप कार्य पर वहन किया गया – परियोजना (एसपीवी) | 162,70,77,256 | |
| | – निक्षेप कार्य पर वहन किया गया – परियोजना (अन्य) | 47,80,84,366 | 2808,69,92,030 |
| | (संविभाजित माल यातायात आमदनी के प्रत्यक्ष व्यय) | | |
| | परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय | 155,65,69,838 | |
| | अन्य लागतें | 61,25,69,440 | 216,91,39,278 |
| | | | |

- 1. कंपनी द्वारा जारी संविदा के अंतर्गत चालू निर्माण कार्यों पर हुए व्यय की पहचान इंजीनियर के माप एवं जांच प्रमाणपत्र के बाद ही किया गया है।
- 2. रेल मंत्रालय की परियोजनाओं पर कंपनी की ओर से क्षेत्रीय रेलों द्वारा परियोजना निष्पादन पर व्यय राशि की गणना संबंधधित क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त अनुमानित व्यय विवरण के आधार पर किया जाता है और फाइनल व्यय विवरण प्राप्त हो जाने पर आवंबटन के हिसाब से सामायोजित किया जाता है।

3025,61,31,309



| Particulars | As at Ma | As at March 31, 2015 | |
|--|----------------|----------------------|--|
| | Amount (₹) | Amount (₹) | |
| Revenue from Operation: | | | |
| Turnover from Construction Work in Progress | | | |
| - From MoR Projects | 2425,63,45,480 | | |
| - From MoR Metro Projects | 351,89,33,068 | | |
| - From MoR National Projects | 11,60,19,730 | | |
| - From MoR Projects (Executed by Zonal Railways) | 27,92,51,991 | | |
| - From Deposit Work - Projects (SPV) | 181,48,31,395 | | |
| - From Deposit Work - Project (Others) | 51,77,22,431 | 3050,31,04,095 | |
| Turnover from | | | |
| Apportioned frieght earnings | | 397,42,02,834 | |
| | _ | 3447,73,06,929 | |

In accordance with Railway Board's letter No. 2004/W-1/RVNL/15 dated 04.01.2012 RVNL has accounted Consolidated Management fee @ 9.25% in case of Metro Projects, 8.5% in case of Other Plan Heads and 10% in case of National Projects on the expenditure incurred by RVNL on MoR projects. As per the directions of MoR, all expenditure in the nature of consultancies related to Project Management are being charged directly to project. D&G charges payable to Railway up to 0.25 % of cost of projects are allocated to the projects on actual funds released to the respective Zonal Railway, Expenditure incurred on D&G (Supervision) are being charged to the Profit & Loss account. The miscellaneous receipts from sale proceeds of Tender and other income has been credited to the P&L account.

16 Other income

1

15

| | | 3025,61,31,309 |
|--|---|---|
| Overhead Costs | 61,25,69,440 | 216,91,39,278 |
| Operation & Maintenance Expenses | 155,65,69,838 | |
| (Direct Expenses on Freight apportioned earnings) | | |
| - Incurred on Deposit Work - Projects (Others) | 47,80,84,366 | 2808,69,92,030 |
| - Incurred on Deposit Work - Projects (SPV) | 162,70,77,256 | |
| - Incurred on Projects (Zonal Railway) | 27,92,51,991 | |
| - Incurred on MoR National Projects | 10,54,72,482 | |
| - Incurred on MoR Metro Projects | 320,97,15,718 | |
| - Incurred on MoR Projects | 2238,73,90,218 | |
| (Direct Expenses on Construction and Project related Activity) | | |
| Expenses on Operations | | |
| | _ | 120,40,35,200 |
| (c) Misc Income | | 17,477,219 |
| (b) Dividend income: | | - |
| - Others - Gross | 5,84,91,233 | 1,186,557,981 |
| - Banks - Gross | 112,80,66,748 | |
| (a) Interest income | | |
| | - Banks - Gross - Others - Gross (b) Dividend income: (c) Misc Income Expenses on Operations (Direct Expenses on Construction and Project related Activity) - Incurred on MoR Projects - Incurred on MoR Metro Projects - Incurred on MoR National Projects - Incurred on Projects (Zonal Railway) - Incurred on Deposit Work - Projects (SPV) - Incurred on Deposit Work - Projects (Others) (Direct Expenses on Freight apportioned earnings) Operation & Maintenance Expenses | - Banks - Gross - Others - Gross - S,84,91,233 (b) Dividend income: (c) Misc Income Expenses on Operations (Direct Expenses on Construction and Project related Activity) - Incurred on MoR Projects - Incurred on MoR Metro Projects - Incurred on MoR National Projects - Incurred on Projects (Zonal Railway) - Incurred on Projects (Zonal Railway) - Incurred on Deposit Work - Projects (SPV) - Incurred on Deposit Work - Projects (Others) - Incurred on Maintenance Expenses - Incurred on Maintenance Expenses |

- 1. Expenditure on Work in Progress against contracts awarded by the Company is recognized on completion of measurements and testing certified by the Engineer.
- Expenditure of execution of projects done by the Zonal Railways on behalf of the Company on MOR projects is accounted for on the basis of statement of estimated expenditure received from respective Zonal Railways and is adjusted allocation-wise as and when the final expenditure statement is received.



- 3. वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजनाएं जो यातायात के लिए खोल दी गई है ∕ जिनका कार्य पूरा हो चुका है और रेलों को प्रस्तुत की गई वे (₹522,50,03,855 (पिछले वर्ष ₹1912,78,12,305) है। उसमें से रेल मंत्रालय के स्रोतों से वित्तपोषित पूरी हो चुकी परियोजनाओं की कीमत ₹346,88,68,216 (पिछले वर्ष ₹1212,65,06,175) और भारेविनि द्वारा वित्तपोषित ₹175,61,35,640 (पिछले वर्ष (₹700,13,06,130) है।
 - रेल मंत्रालय की परियोजनाओं के लिए वित्तीय समायोजनों को तुलन पत्र में क्रमशः परियोजना अग्रिम (पूंजी) और परियोजना अग्रिम (पूंजी निधि) में अग्रेषित किया गया है परिणामस्वरूप ऋण निधियों और चालू परियोजना कार्य में (₹522,50,03,855 (पिछले वर्ष ₹1912,78,12,305) की कमी आई इसके अतिरिक्त, भारेविनि वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए, चालू परियोजना कार्य की राशि में 175,61,35,640 (पिछले वर्ष ₹700,13,06,130) की कमी आई और लीज प्राप्य के रूप में तदनुरूपी परिसंपत्तियों का सुजन रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए पद्धित आदेश और लीज के लिए लेखाकरण मानकों के अनुसार किया गया।
 - चूंकि अभी भी कुछ छुटपुट कार्यों को किया जाना शेष है, वित्तीय समायोजन की तिथि के बाद परियोजनाओं पर वहन किया गया व्यय कार्य पूरा होने के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के समय क्लीयर किया जाएगा।
- 4 रेविनिलि के राजस्व भाग के यौक्तिकरण से परियोजनाओं को सीधे आबंटन किए जाने योग्य पर्यवेक्षण और निगरानी पर वहन किए गए व्यय को रेलवे बोर्ड के दिनांक 04.01.2012 के पत्र सं. 2004 / डब्ल्यू—1 / रेविनिलि / 15, क्षेत्रीय रेलों के व्यय की बुकिंग के पैटर्न और सामान्य लेखाकरण पद्धतियों के अनुसार समीक्षा की गई है। निक्षेप कार्यों (एसपीवी और अन्य) पर निष्पादन संबंधी इस खाते पर वहन किया गया व्यय लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

| | का गई है। निक्षप काया (एसपावा और अन्य) पर निष्पादन संबंधा । इस खात पर वहन किया गया व्यय लाम एवं हानि विवर | | |
|------|---|-----------|-------------|
| | विवरण | | 3.2015 को |
| | | राशि (₹) | राशि (₹) |
| 18 | कर्मचारी हितलाभ व्यय | | |
| | (क) वेतन और मजदूरी | | 607,897,267 |
| | (ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान | | 30,081,490 |
| | (ग) कर्मचारी कल्याण व्यय | | 81,387,849 |
| | | - | 719,366,606 |
| 19 | अन्य व्यय | | |
| (ক) | बिजली एवं ईंधन | | 13,281,695 |
| (ख) | किराया | | 36,166,493 |
| (ग) | दर एवं कर (आयकर को छोड़कर) | | 38,073 |
| (ঘ) | विविध व्यय | | 6,691,000 |
| (ভ়) | लेखा परीक्षकों को भुगतान | | |
| | (i) लेखा परीक्षक के रूप में | | 793,216 |
| | (ii) कर संबंधी मामलों के लिए | | 220,173 |
| | (iii) अन्य सेवाओं के लिए | | 132,312 |
| | (iv) अन्य व्यय | | 79,423 |
| च) | विज्ञापन और व्यापार विपणन | | 29,128,013 |
| (छ) | परियोजना प्रबंधन परामर्श | | 44,537,252 |
| (ज) | प्रिंटिंग और स्टेशनरी | | 18,658,048 |
| (झ) | यातायात एवं स्थानीय कन्वेन्स | | 19,700,598 |
| (স) | संचार | | 20,656,241 |
| (ਟ) | पुस्तकें एवं आवधिक | | 185,934 |
| (ਰ) | पूर्व अवधि मदें | | (857,789) |
| (ভ) | पेशेवर फीस परामर्श | | - |
| (ਫ) | कानूनी और पेशेवर प्रभार | | 22,989,249 |
| (আ) | परामर्श फीस | | 20,421,109 |
| (ਗ) | अन्य व्यय | | 27,763,828 |
| (থ) | क्षेत्रीय रेलों को डीएंडजी | | 2,900,000 |
| (द) | भारेविनि के ऋण पर ब्याज (पूरी हो चुकी परियोजना) 554 | 1,424,103 | |
| | घटाएं: भारेविनि से ऋण पर रेल मंत्रालय को प्राप्य ब्याज (554,42 | 4,103.00) | - |
| | | - | 263,484,868 |



- 3. The value of projects commissioned / completed and put to use by Railways during financial year are ₹522,50,03,855 (Previous year ₹1912,78,12,305). Out of the same, the value of completed projects funded through MOR sources are of ₹346,88,68,216 (previous year ₹1212,65,06,175) and IRFC funded are of ₹175,61,35,640 (previous year ₹700,13,06,130). The financial adjustments for MoR projects have been carried out against Project Advance (Capital) and Project Advance (Capital Fund) respectively in the Balance Sheet leading to a reduction in Loan Funds and Project Work in Progress to the tune of ₹522,50,03,855 (previous year ₹1912,78,12,305). Further with regard to IRFC funded projects, Project Work in Progress has been reduced by the amount of ₹175,61,35,640 (Previous Year ₹700,13,06,130) and corresponding asset as Lease Receivable has been created in accordance with the procedure order finalized by MoR and in accordance with Accounting Standard for lease.As some minor works may still be required, the expenditure incurred on projects subsequent to the date of financial adjustments will be cleared at the time of drawing the completion reports."
- 4. With the rationalisation of the revenue stream of RVNL, the expenses incurred on supervision and monitoring directly allocable to the projects have been reviewed in terms of Railway Board's letter no 2004/W-1/RVNL/15 dated 04/01/2012, the pattern of booking of expenditure on Zonal Railways and general accounting practises. The expenditure incurred on this account related to execution of Deposit Works (for SPV and others) have been charged to the Statement of Profit and Loss.

| | Particulars | As at Marc | ch 31, 2015 |
|-----|---|----------------|-------------|
| | | Amount (₹) | Amount (₹) |
| 18 | Employee benefits expense | | |
| | (a) Salaries and Wages | | 607,897,267 |
| | (b) Contribution to Provident & Other Funds | | 30,081,490 |
| | (c) Staff Welfare Expenses. | | 81,387,849 |
| | | - | 719,366,606 |
| 19 | Other Expenses | | |
| (a) | Power & Fuel | | 13,281,695 |
| (b) | Rent | | 36,166,493 |
| (c) | Rates & Taxes (excluding Income Tax) | | 38,073 |
| (d) | Miscellaneous Expenditure | | 6,691,000 |
| (e) | Payment to Auditors | | |
| | (i) As Auditor | | 793,216 |
| | (ii) For Taxation Matters | | 220,173 |
| | (iii) For Other Services | | 132,312 |
| | (iv) For Expenses | | 79,423 |
| (f) | Advertisement and Business Promotion | | 29,128,013 |
| (g) | Project Management Consultancy | | 44,537,252 |
| (h) | Printing and Stationery | | 18,658,048 |
| (i) | Travelling & Local Conveyance | | 19,700,598 |
| (j) | Communication | | 20,656,241 |
| (k) | Books & Periodicals | | 185,934 |
| (l) | Prior Period Items | | (857,789) |
| (m) | Professional Fees Consultancy | | - |
| (m) | Legal and Professional Charges | | 22,989,249 |
| (n) | Consultant Fee | | 20,421,109 |
| (0) | Other expenses | | 27,763,828 |
| (p) | D & G to Zonal Railway | EE 4 40 4 400 | 2,900,000 |
| (q) | Interest on loan from IRFC (Completed Project) | 554,424,103 | |
| | Less: Interest receivable from MoR on loan from IRFC (55) | 54,424,103.00) | - |
| | | : | 263,484,868 |

20 वित्तीय लागत

(क) ब्याज लागत 99,828,611

9,98,28,611

21 डीपीई दिशानिदेशों के अनुसार अन्य व्यय

(क) सीएसआर एवं सपोषणता व्यय

(ख) अनुसंधान और विकास व्यय

घटाएं: चालू पूंजीगत कार्य को अंतरित

45,447,097

10,288,002

(9,047,602)

4,66,87,497

22 निक्षेप निर्माण कार्य (एसपीवी एवं अन्य)

22.1 एसपीवी और अन्य पािर्टियों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को निक्षेप निर्माण कार्य माना गया है। इस प्रकार की परियोजनाओं के मामलों में तदनुरूपी चालू परिसंपत्तियों और दायिताओं की पहचान इन पर किए गए स्वीकृत खर्च और पर्यवेक्षण प्रभार के आधार पर किया गया है। प्राप्त अग्रिम को चालू दायिताओं में दर्शाया गया है तथा परियोजना निष्पादन के कारण वसूलनीय राशि को विविध ऋण के रूप में दिखाया गया है।

23 आकस्मिक दायिता

23.1 कंपनी द्वारा ऋण के रूप में न माने गए पंचाट के कारण ठेकेदारों द्वारा किए गए दावों के संबंध में आकस्मिक दायिता ₹682,33,39,602 और लीज किराया फीस के लिए ₹11,33,26,027 है। कोई दावा यदि किसी परियोजना लागत का भाग बनता है तो उसे संबंधित क्लाइंटों द्वारा वसूला जाएगा।

23.2 सेवा कर के संबंध में मांग ₹116,64,114,068 और आयकर के संबंध में मांग ₹2,00,57,787 है।

24 पूंजी वचनबद्धता

पूंजी वचनबद्धता ₹404,49,97,842 है।

24.1 अन्य वचनबद्धता

परियोजना व्यय के संविदागत भुगतान के लिए वचनबद्धता ₹1138,77,63,353 है।

25. प्रबंधकीय परिश्रामिक

| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में |
|---------------------------|-----------------------------------|
| | (₹) |
| वेतन एवं भत्ते | 2,33,67,583 |
| भविष्य निधि एवं अन्य निधि | 12,14,662 |

26. आमदनी प्रति शेयरः

प्रति शेयर आमदनी की गणना करने के लिए निम्नलिखित गणकों एवं अभिदायकों का उपयोग किया गया है:

| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में |
|---|-----------------------------------|
| | (₹) |
| शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभ (₹) (क) | 322,68,75,203 |
| मूल इक्विटी शेयरों की औसत संख्या | 208,50,20,100 |
| वर्ष के अंत में बकाया भारित इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (ग) | 208,50,20,100 |
| इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) | 10 |
| प्रति शेयर मूल आमदनी (क/ग) | 1.55 |



20 Finance Cost

(a) Interest Cost 99,828,611

| | | 9,98,28,611 |
|-----|---|-------------|
| 21 | Other Expenses as per DPE Guidelines | |
| (a) | CSR Expenses & Sustainability Expenses | 45,447,097 |
| (b) | Research & Development Expenses | 10,288,002 |
| | Less: Transferred to Capital Working Progress | (9,047,602) |
| | | 4,66,87,497 |

22. Deposit Works (SPVs and others)

22.1 Works being executed for SPVs and others parties are treated as a Deposit Work. The corresponding current assets and liabilities in respect of such projects have been recognized on the basis of expenditure incurred plus supervision charges as agreed. The advance received is disclosed under Current Liabilities and the amount recoverable on account of project execution under Sundry Debtors.

23. Contingent Liabilities

- 23.1 In respect of claims by the contractor on account of Arbitration not acknowledged as debts by the Company is ₹682,33,39,602/- and ₹11,33,26,027/- for claim of Lease rental fees . A claim if any will be form part of the project cost and reimbursable by respective Clients.
- 23.2 In respect of demand of Service Tax of is ₹ 116,64,14,068/- and Income Tax of is ₹2,00,57,787/-.

24. Capital Commitment

Capital commitment is ₹404, 49,97,842/-

24.1 Other Commitment

Commitment towards Contractual Payments of Project expenditure is ₹1138,77,63,353/-.

25. Managerial Remuneration

| | Year Ended March 31,2015 | |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| | (₹) | |
| Salary & Allowances | 2,33,67,583 | |
| Provident fund and other Fund | 12,14,662 | |

26. Earnings per Share:

The numerators and denominators used to calculate Basic Earnings per Share are:

| | Year Ended March 31,2015 |
|--|--------------------------|
| | (₹) |
| Profit Attributable to the shareholders (7) (A) | 322,68,75,203 |
| Basic average number of Equity Shares | 208,50,20,100 |
| Weighted average number of Equity Shares outstanding at the end of Year (Nos.) (C) | 208,50,20,100 |
| Nominal value of Equity Shares (₹) | 10 |
| Basic Earnings per share (₹) (A/C) | 1.55 |



27 पार्टी के संबंध मं प्रकटन (एएस-18):

27.1 संयुक्त उद्यमः

कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड कृष्णपत्तनम रेलवे कंपनी लिमिटेड भारूच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड

27.2 सहायक कंपनी

हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

27.3 मुख्य प्रबंधन अधिकारीः

श्री एस.सी. अग्निहोत्रीः प्रबंध निदेशक श्री अशोक कृष्ण गंजूः निदेशक वित्त सुश्री गीता मिश्राः निदेशक कार्मिक मुकुल जैनः निदेशक परिचालन श्री विजय आनंदः निदेशक परियोजना

27.4 उद्यम जिनमें निदेशकों के हित सम्मिलित है:

हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

27.5 संबंधित पक्षों के साथ ट्रांजेक्शनों का प्रकटनः

| विवरण | ट्रांजेक्शन | बकाया रकम** |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष |
| प्रमुख कार्मिकों का पारिश्रमिक (27.3) उपरोक्त | 2,45,82,245 | |
| एचपीआरसीएल | | |
| वर्ष के लिए प्रदत्त / देय ब्याज | 2,18,41,735 | |
| "देय मोबा. अग्रिम पर ब्याज" | 1,30,33,603 | |
| परियोजना के लिए व्यय | 1,00,71,28,442 | 20,38,11,054 |
| बीडीआरसीएल | | |
| बीडीआरसीएल | 36,59,353 | |
| वड़ोदरा कार्यालय का व्यय अनुभाजित | 2,59,987 | |
| परियोजना के लिए व्यय | 6,18,33,33,811 | (1,17,31,124) |
| केपीआरसीएल | | |
| वर्ष के लिए प्रदत्त / देय ब्याज | 2,03,37,525 | |
| ''देय मोबा. अग्रिम पर ब्याज'' | 81,98,099 | |
| परियोजना के लिए व्यय | 58,93,30,372 | 1,09,71,84,561 |
| एएसआरएल | | |
| वर्ष के लिए प्रदत्त / देय ब्याज | 7,57,692 | |
| ''देय मोबा. अग्रिम पर ब्याज'' | 10,43,588 | |
| परियोजना के लिए व्यय | 15,65,39,242 | 92,98,114 |
| हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | | |
| कंपनी के व्ययों के लिए भुगतान | 2,38,88,644 | - |

^{**} ये संयुक्त उपक्रम की विभिन्न परियोजनाओं पर किए गए व्यय और सहायक कंपनियों के विविध व्ययों की मद में वसूली योग्य राशियों को दर्शा रहे हैं।



27. Related Party Disclosures (AS-18):

27.1 Joint Ventures:

Kutch Railway Company Limited Haridaspur Paradip Railway Company Limited Krishnapatnam Railway Company Limited Bharuch Dahej Railway Company Limited Angul Sukinda Railway Limited

27.2 Subsidiary company

High Speed Rail Corporation of India Limited

27.3 Key Management Personnel:

Sh. S.C. Agnihotri: Managing Director
Sh. Ashok Krishna Ganju: Director Finance
Ms. Gita Mishra: Director Personnel
Sh. Mukul Jain: Director Operation
Sh. Vijay Anand: Director Projects

27.4 Enterprises in which Directors interest exist:

High Speed Rail Corporation of India Limited

27.5 Disclosure of transactions with related parties:

| Particulars | Transactions | Outstanding Amount** Year ended March 31, 2015 | |
|--|---------------------------|--|--|
| | Year ended March 31, 2015 | | |
| Remuneration to Key Personnel (27.3) above | 2,45,82,245 | | |
| HPRCL | | | |
| Interest paid/payable for the year | 2,18,41,735 | | |
| "Interest on Mob. Advance Payable" | 1,30,33,603 | | |
| Expenditure towards project | 1,00,71,28,442 | 20,38,11,054 | |
| BDRCL | | | |
| Interest paid/payable for the year | 36,59,353 | | |
| Expenditure of Vadodara Office apportioned | 2,59,987 | | |
| Expenditure towards project | 6,18,33,33,811 | (1,17,31,124) | |
| KPRCL | | | |
| Interest paid/payable for the year | 2,03,37,525 | | |
| " Interest on Mob. Advance Payable " | 81,98,099 | | |
| Expenditure towards project | 58,93,30,372 | 1,09,71,84,561 | |
| ASRL | | | |
| Interest paid/payable for the year | 7,57,692 | | |
| " Interest on Mob. Advance Payable " | 10,43,588 | | |
| Expenditure towards project | 15,65,39,242 | 92,98,114 | |
| High Speed Rail Corporation of India Limited | | | |
| Payment towards expenses of company | 2,38,88,644 | - | |

^{**} These represent amounts recoverable on account of expenditure incurred on various projects of Joint Ventures and Misc Expenses of Subsidiary



28. संयुक्त उद्यम/संयुक्त उपक्रमों के संबंध में प्रकटनः

| संयुक्त उद्यम का नाम | 31 मार्च, 2015 को स्वामित्व का अनुपात | |
|--|---|--------|
| कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड | रेल विकास निगम, इंडिया | 50% |
| | कांडला पोर्ट ट्रस्ट, इंडिया | 26% |
| | मुंद्रा पोर्ट एसईजेड | 20% |
| | गुजरात सरकार, भारत | 4% |
| हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड | रेल विकास निगम लिमिटेड, भारत | 33.33% |
| (एचपीआरसीएल) | आईडीसीओ (ओडिशा सरकार), भारत | 0.35% |
| | एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रिज लिमिटेड, भारत | 5.88% |
| | पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, भारत | 10.00% |
| | रूंगला माइंस लिमिटेड, भारत | 5.88% |
| | जिंदल स्टील एवं पॉवर लिमिटेड, भारत | 0.98% |
| | स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत | 0.98% |
| | पॉस्को इंडिया लिमिटेड, भारत | 5.40% |
| | एमएसपीएल लिमिटेड, भारत | 2.94% |
| | ओएमसी | 14.70% |
| | ओडिशा सरकार, भारत | 19.60% |
| कृष्णपट्नम रेलवे कंपनी लिमिटेड (केआरसीएल) | रेल विकास निगम लिमिटेड, भारत | 30% |
| | कृष्णपट्नम पोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत | 30% |
| | ब्रम्हनी इंडस्ट्रिज लिमिटेड | 12% |
| | नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन | 15% |
| | आंध्र प्रदेश सरकार, भारत | 13% |
| भक्तच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड (बीडीआरसीएल) | रेल विकास निगम लिमिटेड, भारत | 33.33% |
| | अदानी पेट्रोनेट (दाहेज) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया | 10.50% |
| | गुजरात मेरीटाइम बोर्ड, इंडिया | 10.82% |
| | दाहेज सेज लिमिटेड, इंडिया | 6.06% |
| | जीएनएफसी | 8.20% |
| | हिंडाल्को इंडस्ट्रिज लिमिटेड, इंडिया | 8.20% |
| | जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इंडिया | 6.06% |
| | गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉर्प लिमिटेड, इंडिया | 10.82% |
| | इक्विटी का अंतर | 6.00% |
| अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड (एएसआरएल) | रेल विकास निगम लिमिटेड, इंडिया | 31.50% |
| | जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, इंडिया | 10.00% |
| | ओडिशा सरकार, इंडिया | 21.30% |
| | ओएमसी, इंडिया | 10.50% |
| | आईडीसीओ (ओडिशा सरकार), इंडिया | 0.70% |
| | कॉनकोर, इंडिया | 26.00% |
| हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | रेल विकास निगम लिमिटेड, इंडिया | 100% |



28. Disclosure in respect of Joint Venture/Subsidiary:

| Name of the Joint Venture | Partner(s), country of origin | Proportion of ownership interest as at March 31, 2015 | | |
|---|--|---|--|--|
| Kutch Railway Company Limited | Rail Vikas Nigam Limited, India | 50% | | |
| | Kandla Port Trust, India | 26% | | |
| | Mundra Port SEZ, India | 20% | | |
| | Government of Gujarat, India | 4% | | |
| Haridaspur Paradip Railway Company | Rail Vikas Nigam Limited, India | 33.33% | | |
| Limited ((HPRCL) | IDCO (Govt of Odisha), India | 0.35% | | |
| | Essel Mining and Industries Ltd., India | 5.88% | | |
| | Paradeep Port Trust, India | 10.00% | | |
| | Rungla Mines Ltd, India | 5.88% | | |
| | Jindal Steel & Power Ltd, India | 0.98% | | |
| | Steel Authority of India Limited, India | 0.98% | | |
| | POSCO India Limited, India | 5.40% | | |
| | MSPL LTD, India | 2.94% | | |
| | OMC, India | 14.70% | | |
| | Govt of Odisha, India | 19.60% | | |
| Krishnapatanam Railway Company Limited (KRCL) | Rail Vikas Nigam Limited, India | 30% | | |
| | Krishnapatnam Port Corporation Limited, India | 30% | | |
| | Bramhany Industries Limited, India | 12% | | |
| | National Mineral Development Corporation, India | 15% | | |
| | Government of Andhra Pradesh, India | 13% | | |
| Bharuch Dahej Railway Company Limited (BDRCL) | Rail Vikas Nigam Limited, India | 33.33% | | |
| | Adani Petronet (Dahej) Port Private Limited, India | 10.50% | | |
| | Gujarat Maritime Board, India | 10.82% | | |
| | Dahej SEZ Limited, India | 6.06% | | |
| | GNFC, India | 8.20% | | |
| | Hindalco Industries Limited, India | 8.20% | | |
| | Jindal Rail Infrastructure Limited, India | 6.06% | | |
| | Guj. Industrial Dev. Corp Ltd, India | 10.82% | | |
| | Equity Gap | 6.00% | | |
| Angul Sukinda Railway Limited (ASRL) | Rail Vikas Nigam Limited, India | 31.50% | | |
| | Jindal Steel and Power Limited, India | 10.00% | | |
| | Govt of Odisha, India | 21.30% | | |
| | OMC, India | 10.50% | | |
| | IDCO (Govt of Odisha), India | 0.70% | | |
| | CONCOR, India | 26.00% | | |
| High Speed Rail Corporation of India limited | Rail Vikas Nigam Limited, India | 100% | | |



29. व्यापार खंड

चूंकि व्यापार गतिविधि एकल क्षेत्र यथा घरेलू बाजार में रेल परियोजनाओं का निर्माण में आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाऊंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'खंड रिपोर्टिंग' पर एएस—17 की प्रकटन आवश्यकताएं लागू नहीं है।

30 लीज किराया

30.1 कार्यालय और आवासीय परिसरों के संबंध में कंपनी के लीज प्रबंध परिचालन लीज प्रकृति की है। हुडको से प्राप्त प्रस्तुत ऑफर पत्र और आरवीएनएल की तत्संबंधी सहमति के आधार पर हुडको और आरवीएनएल के बीच सहमति पर किराया प्रभारित किया जा रहा है। कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली के लिए कंपनी और हुडको के बीच औपचारिक लीज अनुबंध को निष्पादित नहीं किया गया है और यह शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदनाधीन है।

30.2 वित्तीय लीज

लीज पर दी गई परिसंपत्तियों की कीमत नोट 5 में बताए गए के अनुसार पूरी हो चुकी परियोजनाओं पर ऋण के लिए भारेविनि को देय प्रतिदायिता के विरूद्ध लीज पर दी गई परिसंपत्तियों की कीमत के रूप में है जिसे रेल मंत्रालय द्वारा भारेविनि को ऋण पुनर्भुगतान द्वारा उत्तरोतर परिशोधन किया जा रहा है।

लीज में सकल निवेश के भावी न्यूनतम लीज भुगतान निम्नानुसार है:

| | 31 मार्च, 2015(₹ में) |
|--|-----------------------|
| एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं | 752,691,157 |
| एक वर्ष से अधिक पुराना लेकिन पांच वर्ष से अधिक पुराने नहीं | 3,653,145,750 |
| पांच वर्ष से अधिक पुराने | 1,331,492,861 |
| | 5,737,329,768 |
| 30.3 परिचालन लीज (कच्छ रेलवे) | |
| सकल लीज किराया | 2,860,466 |
| घटाएं: वसूला गया | 28,085 |
| शुद्ध लीज किराया | 2,832,381 |
| एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं | 1,039,688 |

31. परिचालन चक्र

कंपनी का परियाल चक्र परियोजना शुरू होने से परियोजना पूरा होने तक के अपेक्षित समय पर आधारित है। पूरा होने का समय परियोजना दर परियोजना अलग—अलग है। बहरहाल, सामान्यतः अविध 12 महीनों से अधिक की है और 5 से 6 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और कभी—कभी, इस अविध के बाद भी, कार्य की प्रगति पर निर्भर करते हुए जब परियोजना परिचालन के लिए पूरी तरह रेलवे को अंतरित हो और अद्यतन प्रत्याशित लागत का 95 प्रतिशत तक वित्तीय प्रगति प्राप्त हो जाए।

32. राज्य विद्युत बोर्ड / पब्लिक कंपनियों को जारी प्रतिभूतियां

विद्युत कनेक्शनों के लिए हाई टेंशन पॉवर लाइनों के प्रावधान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड/सार्वजनिक कंपनियों को भुगतान की गई प्रतिभूतियां परियोजना लागत के भाग रूप में है।

- 33. लेखांकन नीति सं. 2.24 के अनुसार पुराने चैकों के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन हुआ है, ₹2,18,056 की मदों को क्रेडिट किया गया है जिसे पहले डेबिट किया गया था और ₹7,22,112 को वर्ष के दौरान विविधि आया में क्रेडिट किया गया था।
- 34. एएस-21 के पैरा 30 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण का पहला वर्ष होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।



29. Business Segments

As the business activity falls within a single segment viz. construction of Railway projects in the domestic market, the disclosure requirement of AS-17 on 'Segment Reporting' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is not applicable.

30. Lease Rentals

30.1 The company's leasing arrangements in respect of offices and residential premises are in the nature of operating lease. The rent is being charged on rates agreed to between HUDCO and RVNL based on letter of offer received from HUDCO and agreed to by RVNL. The formal lease agreement between the Company and HUDCO for lease of Corporate Office, New Delhi has not been executed and is under approval of Ministry of Urban Development.

30.2 Financial Lease

The value of assets given on lease is reflected against contra liability payable to IRFC towards loan on completed projects as appearing in note 5, which is liquidated progressively through loan repayment to IRFC being arranged by MoR.

Future minimum lease payments of gross investment in the lease are as follow:

| | 31st March 2015(in ₹) |
|---|-----------------------|
| Not later than one year | 752,691,157 |
| Later than one year and not later than five years | 3,653,145,750 |
| Later than five years | 1,331,492,861 |
| | 5,737,329,768 |
| 3 Operating Lease (Kutch Railway) | |
| Gross lease Rent | 2,860,466 |
| Less: Recovered | 28,085 |
| Net Lease Rent | 2,832,381 |
| Not later than one year | 1,039,688 |

31. Operating Cycle

30.3

The operating cycle of the Company is based on the time required from initiation of the project to completion of the project. The period required for completion varies from project to project. However, in general, the duration is more than 12 months and may extend upto 5 to 6 years, and sometimes even beyond this period, depending on the progress of the work upto when the project is fully physically transferred to Railways for operations and financial progress to the extent of 95% of the latest anticipated cost has been achieved.

32. Securities released to state Electricity Board / Public Companies

Securities paid to Electricity Boards/ Public Companies towards provision of High Tension Power Lines for electricity connections are booked as project expenditure being part of the project cost.

- **33.** There is change in accounting policy in respect of stale cheque As per Accounting Policy no 2.24 items of ₹2,18,056/- credited to the head which was earlier debited and ₹7,22,112/- has been credited to Misc Income during the year.
- 34. Previous year's figures have not been provided being the first year of the Consolidated Financial Statement in terms of para 30 of AS-21.



35. संयुक्त उद्यम / सहायक के संबंध में प्रकटीकरणः

| कंपनी का नाम | शुद्ध परिसंपत्तियां परिसंपत्तियां घटा | अर्थात कुल कुल दायिता | लाभ अथवा हानि में हिस्सा | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | समेकित शुद्ध परिसंपत्ति के रूप% में | समेकित शुद्ध राशि (रुपए में) समेकित शुद्ध परिसंपत्ति के रूप% में | | - राशि (रुपए में) तें | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1) मुख्य कंपनी | 69% | 20,711,619,329 | 57.55% | 1,857,146,622 | |
| 2) सहायक भारतीय कंपनी | | | | | |
| (i) हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड | -0.01% | (1,846,195) | 0.02% | 674,943 | |
| 3) संयुक्त उपक्रम (अनुपातिक समेकन के रूप में) | | | | | |
| (i) कृष्णपटनम रेलवे कंपनी लिमिटेड | 2% | 746,070,619 | 0.52% | 16,817,510 | |
| (ii) अंगुल सुकिंदा रेलवे कंपनी लिमिटेड | 6% | 1,936,360,316 | -0.14% | (4,379,958) | |
| (iii) भारूच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड | 2% | 591,619,452 | 1.66% | 53,436,770 | |
| (iv) हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड | 6% | 1,700,000,000 | -0.76% | (24,490,141) | |
| (v) कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड | 15% | 4,486,202,993 | 41.14% | 1,327,669,458 | |
| जोड़ | 100% | 30,170,026,515 | 100% | 3,226,875,204 | |

कुमार चोपड़ा एवं एसोसिएट्स

चार्टेड एकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्याः 000131एन

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./— आर.के. अग्रवाल भागीदार M. No. 081510 हस्ता. / – एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DIN: 01637856 हस्ता./— अशोक कृ. गंजू निदेशक वित्त DIN: 01970462 हस्ता./– कल्पना दुबे कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली दिनांक : 31.08.2015



35. Disclosure in respect of Joint Venture/Subsidiary:

| Name of the entity | Net Assets i.e. tota total liabi | | Share in profit or loss | |
|--|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| | As % of consolidated net assets | Amount (in Rs.) | As % of consolidated net assets | Amount (in Rs.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Parent | 69% | 20,711,619,329 | 57.55% | 1,857,146,622 |
| 2) Subsidiary Indian | | | | |
| (i) High Speed Rail Corporation Ltd. | -0.01% | (1,846,195) | 0.02% | 674,943 |
| 3) Joint Ventures (as per proportionate consolidation) | | | | |
| (i) Krishnapatanam Railway Co. Ltd. | 2% | 746,070,619 | 0.52% | 16,817,510 |
| (ii) Angul Sukinda Railway Co. Ltd. | 6% | 1,936,360,316 | -0.14% | (4,379,958) |
| (iii) Bharuch Dahej Railway Company Limited | 2% | 591,619,452 | 1.66% | 53,436,770 |
| (iv) Haridaspur Paradip Railway Company Limited | 6% | 1,700,000,000 | -0.76% | (24,490,141) |
| (v) Kutch Railway Company Limited | 15% | 4,486,202,993 | 41.14% | 1,327,669,458 |
| Total | 100% | 30,170,026,515 | 100% | 3,226,875,204 |

For Kumar Chopra & Associates

Chartered Accountants

Firm Registration Number.: 000131N

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-R.K. Aggarwal Partner M. No. 081510 Place: New Delhi

Date: 31.08.2015

Sd/-S.C. Agnihotri Chairman and Managing Director DIN: 01637856 Sd/-Ashok K. Ganju Director Finance DIN: 01970462 Sd/-Kalpana Dubey Company Secretary



रेल विकास निगम लिमिटेड Rail Vikas Nigam Limited

कर पूर्व लाभ

टर्नओकर

निवेश

(राशि ₹ में)

सहायक कंपनियों /सहयोगी कंपनियों /संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण की विशेषताओं को दशनि वाला विवरण

भाग "क" सहायक कंपनियां

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के परंतुक के अनुपालन में)

100 शेयरधारिता % ।ф प्रस्तावित 0 लाभांश 1,04,254 6,74,942 कर उपरांत लाभ कराधान के लिए प्रावधान

7,79,196

0

0

कुल देनदारियां 10,74,110 (29,20305) 6,00,24,583 6,00,24,583 कुल परिसंपतियां और अधिशेष निधियां आरक्षित शेयर पूंजी कंपनी के मामले में संबंधित विसीय वर्ष की अंतिम तारीख को सूचित मुद्रा एवं विनिमय दर विदेशी सहायक लागू नहीं हाई स्पीड रेल कॉपीरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का सहायक नाम

H. 원

टिप्पणी: वर्ष के दौरान कोई सहायक कंपनी गठित या बंद नहीं की गई।

230



(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of Section 129 read with Rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of Subsidiaries/Associate Companies/Joint Ventures

Part "A": Subsidiaries

(Amount in ₹)

| Proposed % of Dividend shareholding | 100 |
|--|---|
| Proposed Dividend | 0 |
| Profit after taxation | 1,04,254 6,74,942 |
| Provision for taxation | |
| Profit before taxation | 0 7,79,196 |
| Turnover | 0 |
| Investments Turnover | 0 |
| Total Liabilities | 6,00,24,583 |
| Total assets | 10,74,110 (29,20305) 6,00,24,583 6,00,24,583 |
| Reserves & surplus | (29,20305) |
| Share capital | 10,74,110 |
| Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant financial year in the case of foreign | Not Applicable |
| Name of the Subsidiary | HIGH SPEED RAIL CORPORATION OF INDIA |
| Na of 1 Subsi | HIGH RAIL CORF OF IN |

Note: No subsidiaries were formed or ceased during the year.



भाग ''ख'' सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुपालन में विवरण

| सहयोगी कंपनी/संयुक्त का नाम | अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड | भरूच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड | हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड | कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड | कृष्णापटनमउद्यम रेलवे कंपनी लिमिटेड |
|---|--|--|---|---|--|
| 1. तुलन पत्र के अंकेक्षण की पिछली तारीख | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 31.03.2015 |
| 2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यम के शेयर | | | | | |
| संख्या | ₹10 प्रति शेयर के हिसाब से 18,90,00,000 के इक्विटी शेयर | ₹10 प्रति शेयर के हिसाब से 5,50,00,000 इक्विटी शेयर | ₹10 प्रति शेयर के हिसाब से 16,99,99,995 इक्विटी शेयर | ₹10 प्रति शेयर के हिसाब से 12,49,99,994 इक्विटी शेयर | ₹10 प्रति शेयर के हिसाब से 8,10,00,000 इक्विटी शेयर |
| सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि | ₹189 करोड़ | ₹55 करोड़ | ₹170 करोड़ | ₹ 125 करोड़ | ₹81 करोड़ |
| प्रदत्त पूंजी की धारिता प्रतिशत की सीमा | 34.42% | 35.46% | 35.23% | 50% | 30% |
| 3. प्रभाव किस तरीके से महत्वपूर्ण है, इसका विवरण | टिप्पणी 2 | टिप्पणी 2 | टिप्पणी 2 | टिप्पणी 2 | टिप्पणी 2 |
| 4. सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किए जाने का कारण | | | - | - | - |
| 5. नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के लिए आरोप्य निवल संपत्ति | ₹193.61 करोड़ | ₹59 करोड़ | ₹170 करोड़ | ₹ 446.12 करोड़ | ₹74.61 करोड़ |
| 6. वर्ष के लिए लाभ / हानि | | v | | | |
| i. समेकन में लिया गया | ₹4.54 लाख (हानि) | ₹5.22 करोड़ | | ₹137.76 करोड़ | ₹2.05 करोड़ (हानि) |
| ii. मेकन में नहीं लिया गया | | | | | |

टिप्पणी

- 1. वर्ष के दौरान कोई संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी गठित या बंद नहीं की गई।
- 2. शेयर पूंजी में प्रतिशत धारिता के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव रहा ।
- 3. उपरोक्त विवरण प्रत्येक सहयोगी कंपनी के कार्यनिष्पादन और वित्तीय स्थिति को भी दर्शाता है।

कुमार चोपड़ा एवं एसोसिएट्स बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

चार्टेड एकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्याः 000131एन

हस्ता./-आर.के. अग्रवाल भागीदार M. No. 081510

स्थानः नई दिल्ली दिनांक : 31.08.2015 हस्ता. / – एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DIN: 01637856 हस्ता. / — अशोक कृ. गंजू निदेशक वित्त DIN : 01970462 हस्ता./-कल्पना दुबे कंपनी सचिव



Part "B": Associates and Joint Ventures Statement pursuant to Section 129 (3) of the companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures

| Name of Associates/ Joint Ventures | Angul Sukinda Railway Limited | Bharuch Dahej Railway Company Limited | Haridaspur Paradip Railway Company Limited | Kutch Railway Company Limited | Krishnapatnam Railway Company Limited |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. Latest audited Balance Sheet Date | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 31.03.2015 |
| 2. Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end | | 4 | | | |
| Number | 18,90,00,000 Equity | 5,50,00,000 | 16,99,99,995 | 12,49,99,994 | 8,10,00,000 |
| | Shares of ₹10 each | Equity Shares of ₹10 each | Equity Shares of ₹10 each | Equity Shares of ₹10 each | equity Shares of ₹10 each |
| Amount of Investment in Associates/Joint Venture | ₹189 Crore | ₹55 Crore | ₹170 Crore | ₹125 Crore | ₹81 crore |
| Extent of Holding % of the Paid up capital | 34.42% | 35.46% | 35.23% | 50% | 30% |
| 3. Description of how there is significant influence | Note 2 | Note 2 | Note 2 | Note 2 | Note 2 |
| 4. Reason why the associate/ joint venture is not consolidated | | - | - | - | - |
| 5. Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet | ₹193.61 Crore | ₹59 Crore | ₹170 Crore | ₹446.12 Crore | ₹74.61 Crore |
| 6. Profit / Loss for the year | | | | | |
| i. Considered in Consolidation | ₹4.54 Lakhs (Loss) | ₹5.22 Crore | | ₹137.76 Crore | ₹2.05 Crore (Loss) |
| ii. Not Considered in Consolidation | | | | | |

Note

- 1. No Joint Ventures or Associate Companies were formed or ceased during the year.
- 2. There is significant influence due to percentage (%) holding in the Share Capital
- 3. The above statement also indicates performance and financial position of each of the Associates.

For Kumar Chopra & Associates


Chartered Accountants FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Firm Registration Number.: 000131N

Sd/-Sd/-Sd/-Sd/-R.K. AggarwalS.C. AgnihotriAshok K. GanjuKalpana DubeyPartnerChairman and Managing DirectorDirector FinanceCompany SecretaryM. No. 081510DIN: 01637856DIN: 01970462

Place: New Delhi Date: 31.08.2015





बी–12 (ग्राउण्ड फ्लोर), कालिंदी कॉलोनी, महारानी बाग के नजदीक, नई दिल्ली – 110065 फोन: +9111-26913033, 26916363, 41627363 फैक्स: +91-11-26328533

इ—मेल : kca_delhi@yahoo.co.in www.kcaconsultancy.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य,

रेल विकास निगम लिमिटेड

1. समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने रेल विकास निगम लिमिटेड (इसके आगे इसे "नियंत्रक कंपनी" कहा गया है) और उसकी सहयोगी कंपनी (नियंत्रक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ "समूह" कहा गया है) और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, (संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का नोट संख्या 35 देखें) जिसमें 31 मार्च 2015 को समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण, वर्ष के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसे बाद में "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल हैं।

2. समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अपेक्षाओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों तैयार किए जाने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विशिष्ट लेखांकन मानकों सिहत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों सिहत समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित रोकड़ प्रवाह को वास्तविक और सही रूप को प्रस्तुत करता हो। समूह और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में शामिल कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल समूह और इसके संयुक्त रूप नियंत्रित कंपनियों की परिसंपत्तियों के संरक्षा उपायों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकाडों के अनुरक्षण और धोखाधड़ियों एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं जांच करने; उचित लेखांकन पद्धितयों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय लेना और अनुमान तैयार करना जो उचित एवं विवेकपूर्ण हो; और पर्याप्त वित्तीय नियंत्रणों को डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जो वास्तविक तथा सही स्थिति प्रस्तुत करते हो और किसी भी मिथ्या कथन से मुक्त हो, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकाडों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, चाहे धोखाधड़ी से हो या चूक से हो, जिसे जैसा ऊपर बताया गया है, नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है, के लिए जिम्मेदार है।

3. लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय प्रस्तुत करना है।

हमने उन सभी अधिनियम, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और मुद्दों के प्रावधानों का ध्यान रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। वे मानक अपेक्षित है जिनका अनुपालन हम नैतिक अपेक्षाओं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करने और लेखा परीक्षा करने के लिए करते है ताकि समेकित वित्तीय विवरण किसी भी मिथ्या कथन से से मुक्त हो।

किसी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में धनराशि और प्रकटन के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पद्धितयों का निष्पादन शामिल है। चुनी गई पद्धित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के मिथ्या कथन के जोखिम का आकलन करना शामिल है, चाहे ये धोखाधड़ी से हो या चूक से। इन जोखिम आकलनों को तैयार करने में लेखा परीक्षक समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में नियंत्रक कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो लेखा परीक्षा को डिजाइन करने के संबंध में एक वास्तविक और सही तस्वीर पेश करते हो जोकि उन स्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन किसी अभिमत को व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए न हो, चाहे नियंत्रक कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो और ये नियंत्रण कुशलता से कार्य कर रहे हो। किसी लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तैयार लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगित के साथ—साथ समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे और अन्य मुद्दों के संबंध में नीचे उप–पैरा (क) से संबंधित अपनी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, पर्याप्त है और समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उचित है।





B-12 (G.F.), Kalindi Colony, Near Maharani Bagh, new Delhi - 11006 Ph.: +9111-26913033, 26916363, 41627363

Fax: +91-11-26328533 E-mail: kca_delhi@yahoo.co.in www.kcaconsultancy.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of

Rail Vikas Nigam Limited.

1. Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying Consolidated financial statements of **Rail Vikas Nigam Limited** (hereinafter referred to as "the Holding Company") and its subsidiary (the holding Company and its subsidiary together referred to as "the group") and its jointly controlled entities, (Refer Note No 35 of the attached consolidated financial statements) comprising of the Consolidated Balance sheet as at 31st March, 2015, the Consolidated Statement of Profit and Loss, the Consolidated Cash flow statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated financial statements").

2. Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation of these consolidated financial statement in terms of requirements of the Companies Act, 2013 ("the Act") that give a true and fair view of the Consolidated financial position, Consolidated financial performance and Consolidated cash flows of the Group including its Jointly controlled entities in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its jointly controlled entities are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and its Jointly controlled entities and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Holding Company, as aforesaid.

3. Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Holding Company's preparation of the Consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Holding Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Holding Company's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and other auditors in terms of their reports referred to in sub-paragraph (a) of the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Consolidated financial statements.



4. सापेक्ष अभिमत के लिए आधार

भक्तच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड (बीडीआरसीएल)

क) पश्चिम रेलवे ने लीज किराया के लिए ₹65.31 करोड़ की मांग की है। उपलब्ध सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार जून, 2008 से मार्च, 2015 तक की अवधि से संबंधित उपर्युक्त मांग में से ₹31.96 करोड़ रियायत अनुबंध और संबंधित नीतियों के अनुसार स्पष्ट रूप से देय नहीं है।

कंपनी ने वाणिज्यिक गतिविधियों की शुरूआत की तिथि से तुलनपत्र की तिथि तक भूमि लीज किराए के लिए ₹33.35 करोड़ उपार्जित किए है। तदनुसार, कंपनी ने ₹31.96 करोड़ की आकस्मिक दायिता का प्रकटन किया है।

जैसा कंपनी द्वारा बताया गया है प्रबंधन ने हाल ही में बकाया राशि के आस्थगन के लिए अनुरोध किया है और ऊपर बताए गए के अनुसार पूर्व अविध के लिए जारी दावों का विरोध कर रही है।

प्रबंधन के निर्णयानुसार, फिलहाल किसी और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है और, अतिरिक्त राशि, यदि बकाया हो तो, उसे उस समय लेखाबद्ध किया जाएगा जब इस प्रकार की अतिरिक्त दायिता स्पष्ट हो।

बहरहाल, पश्चिम रेलवे के बार—बार के अनुस्मारकों के आधार पर और इस रिपोर्ट के हस्ताक्षरित होने की तिथि तक कोई मजबूत समझौता अथवा संधि नहीं हुई है, हम अतिरिक्त दायिता का निर्धारण करने में असमर्थ है, यदि कोई वास्तविक रूप से फलीभूत होती है।

उपर्युक्त का बाद में यदि वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव होता है, उसका पता नहीं लगा सकते।

ख) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा एक अन्य रेल एसपीवी को चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एक स्पष्टीकरण के लिए संदर्भ मांगा गया है, जो सुझाता है कि एसपीवी की "परिसंपत्तियों के अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में समझते हुए लेखांकन मानक 26—अमूर्त परिसंपत्तियों" के अनुसार लेखाबद्ध किया जाए। चूंकि प्रबंधन की राय है कि यह स्पष्टीकरण उन कारकों को ध्यान में रख कर नहीं दिया गया था जो बीडीआरसीएल पर लागू होते हैं, कंपनी ने परियोजनागत परिसंपत्तियों की प्रकृति की व्याख्या करते हुए कारपोरेट मंत्रालय और आईसीएआई को एक हवाला दिया है और एक समीक्षा चाही है और प्रबंधन आश्वस्त है कि उनके दृष्टिकोण का समर्थन किया जाएगा। इस मामले में लंबित स्पष्टता से एसपीवी ने अपनी लेखांकन नीतियों के अनुसार अपनी परियोजनाग अचल परिसंपत्तियों का लेखांकन करना चालू रखा है और "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में इन परिसंपत्तियों के लेखांकन के विरूद्ध इन परिसंपत्तियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्रभाग ग में निर्धारित के अनुसार उपयोगी जीवन का अनुपालन किया है और इसे अनुसूची प्रभाग क और परिपत्र संख्या (जीएसआर सं. 237ई) के तहत संशोधन के अनुसार इसे परिशोधित किया है।

यह एक महत्वपूर्ण मामला होने के कारण, विभिन्न बिंदुओं से एसपीवी प्रबंधन दृढ़तापूर्वक रूप से विश्वास करता है कि इस संबंध में अनुपालन की जा रही लेखांकन नीति उचित है और परिसंपत्तियों की सही प्रकृति को प्रदर्शित करती है।

जैसा प्रबंधन द्वारा बताया गया है चूंकि दृष्टिकोण के बिंदु से असमानता फिलहाल निश्चित करने योग्य नहीं है और चूंकि प्रबंधन इस मामले पर प्रतीक्षा कर रहा है, कंपनी के वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त का कोई प्रभाव होता है, तो कंपनी निश्चित नहीं कर सकती है।

II. कृष्णपट्नम रेलवे कंपनी लिमिटेड (केआरसीएल)

एसपीवी द्वारा राजस्व और परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों (ओएंडएम) को दक्षिण मध्य रेलवे द्वरा उपलब्ध कराए गए परामशौँ / गणना पत्रों के आधार पर बुक किया गया है और इसकी पुष्टि के लिए विस्तृत प्रमाणित करने वाले अनुषांगिक रिकार्डों और पद्धतियां उपलब्ध नहीं है।

केआरसीएल दक्षिण मध्य रेलवे के कृष्णपट्नम रेलवे स्टेशन से बफर पोर्ट तक लगभग 10 किमी खंड की लंबाई पर आमदनी का अनुमान लगा रही है। इसलिए, बताई गई आमदनी इसके विषय में समान है।

दमरे से इससे संबंधित किसी भी सूचना की अनुपलब्धता के कारण चरण 1 और चरण 3 से संबंधित आय को अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आमदनी बुकिंग से संबंधित सभी सहायक साक्ष्य दमरे द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित है और सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त आमदनी का समविभाजन, ओएंडएम व्ययों, सेवा कर दावों, ऊपरी अंतरिम व्ययों और बकाया शेष के संबंध में दक्षिण मध्य रेलवे की पुष्टि की प्राप्ति न होने को देखते हुए अंतिम आंकड़े विभिन्न हो सकते हैं।

सापेक्ष अभिमत

हमारी राय में और हमें उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना और दी गई स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त सापेक्ष अभिमत पैरा के लिए आधार पैरा में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों के सिवाए, उपर्युक्त वर्णित समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2015 को समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के मामलों की समेकित स्थित; वर्ष के अंत की तिथि को उनके समेकित लाभ और उनके समेकित रोकड़ प्रवाह के संबंध में अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं, इस तरह देते हैं जो अपेक्षित है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एक सच्ची और सही तस्वीर पेश करते हैं।

6. विशेष ध्यान दी जाने वाली बातें

हम संबंधित सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में वर्णित निम्न मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड

बैंकों के पास जमाओं पर अर्जित ब्याज के लिए नीति में परिवर्तन हुआ है, पहले बैंकों के पास जमा अर्जित ब्याज को लाभ और हानि खाते में लिया जाता था। चालू वित्तीय वर्ष से वर्ष के दौरान बैंकों के पास जमाओं पर अर्जित ब्याज को कार्यशील पूंजी में लिया गया है। यदि कंपनी पूर्ववर्ती नीति को जारी



4. Basis for Qualified Opinion

I. BHARUCH DAHEJ RAILWAY COMPANY LIMITED (BDRCL)

a) Western Railway has raised a demand for lease rental amounting to ₹65.31 Crore. As per the information available and explanation provided, Rs. 31.96 Crore out of the above demand pertaining to the period June, 2008 to March, 2015 is clearly not payable as per the concession agreement and related policies.

The company has accrued for land lease rental amount to ≤ 33.35 Crore commencing from the date of commencement of commercial activities till balance sheet date. Accordingly, the company has disclosed contingent liability of Rs 31.96 Crore.

Management has currently requested for deferral of the amount due as provided by the company and is contesting the claim raised for prior period as explained above.

As per the management, no further provision is currently required and, additional amount payable, if any, shall be accounted for at that point of time, when such additional liability is crystallized.

However, based on constant reminders from Western Railway and no concrete settlement or negotiation in place till date of signing of this report, we are unable to ascertain the additional liability, if any that may eventually crystallize.

Consequently the impact, if any, of the above on the financial statements of the company could not be ascertained.

By Reference is invited to a clarification issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to another Rail SPV through Ministry of Corporate Affairs (MCA), suggesting that assets of the SPV should be accounted for in accordance with "Accounting Standard 26-Intangible Assets", treating the same as intangible assets. Since in the Management's perception, this clarification did not take into account several relevant factors that apply to BDRCL, the company has made a reference to MCA and ICAI explaining the nature of project assets, seeking a review and the Management is confident that its views will be upheld. Pending clarity in this matter, SPV has continued to account for the project assets as Fixed Assets in accordance with its accounting policy and has followed useful life as prescribed in the Schedule II Part C of the Companies Act, 2013 for those assets as against accounting for of these assets as "Intangible assets" and amortising the same as per Schedule II Part A and amendment therein vide Circular no. (GSR No. 237 E).

This being a significant matter, with various points of view, SPV'S management strongly believes that the accounting policy followed by them in this regard is appropriate and reflects fairly the nature of the assets etc. As explained by management since the outcome of the above mentioned disparity of points of view is currently un-ascertainable and since management is awaiting the conclusion on this matter, the impact, if any, of the above on the financial statements of the company could not be ascertained.

II. KRISHNAPATNAM RAILWAY COMPANY LIMITED (KRCL)

The Revenue and Operation & Maintenance (O&M) Expenses by the SPV have been booked based on the basis of advices/calculation sheets provided by South Central Railway (SCR) and not making available the detailed substantiating collateral records and procedures for verification of the same.

The KRCL is anticipating earnings on Length of about 10 Km section from Krishnapatnam Railway Station to the Buffer of Port from South Central Railway. Hence, the revenue reported is subject to the same.

The income pertaining to Phase 1 and Phase 3 cannot be segregated due to non availability of any information from SCR pertaining to same.

Further, all supporting evidences related to revenue bookings controlled and managed by SCR only and not made available for verification.

Further in view of non-receipt of the confirmation of South Central Railways regarding apportionment of revenue, 0 & M expenses, service tax claims, overhead provisional expenses and the outstanding balance, final figures could vary.

5. Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group and its jointly controlled entities as at 31st March 2015; and their consolidated profit and their consolidated cash flows for the year ended on that date.

6. Emphasis of Matter

We draw attention to the following matters mentioned in the auditor's reports of the respective subsidiaries and jointly controlled entities:

I. ANGUL SUKINDA RAILWAY LTD.

There is a change in the policy for Interest earned on deposits with banks, earlier Interest earned on deposits with bank had been taken to the profit



रखती तो कार्यशील पूंजी ₹13.83 करोड़ अधिक होती और कंपनी का लाभ उतना ही बढ़ गया होता। (31.5% स्वामित्व ब्याज होने के कारण समेकित वित्तीय विवरणों पर अनुपातिक प्रभाव ₹4.35 करोड़)

II. हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी नीति बदल दी है क्योंकि व्यय पूरे करने के लिए शेयर पूंजी के रूप में शामिल धन को बैंकों में साविध जमाओं ∕ फ्लेक्सी खातों पर रखने से ब्याज आय अर्जित होती है, इसलिए इसे लाभ और हानि विवरण द्वारा भेजने की पद्धित की अपेक्षा प्राप्तियों और व्यय को सीधे कार्यशील पूंजी में भेजना शुरू कर दिया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन इसका परिणाम शुद्ध प्रभाव कार्यशील पूंजी में ₹8.96 करोड़ की परिणामी कमी से वर्ष के लाभ में उतनी कमी का शुद्ध प्रभाव है। (33.33% स्वामित्व ब्याज होने के कारण समेकित वित्तीय विवरणों पर अनुपातिक प्रभाव ₹2.99 करोड़)

III. कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड

पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2013—14 से पश्चिम रेलवे ने संविभाजित आमदनी में कंपनी के हिस्से को "बुक रूट" की अपेक्षा "कैरिड रूट" के आधार पर आकलित करना शुरू किया है। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के लिए बांटी गई आमदनी ₹41.09 करोड़ घट गई। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्षों 2011—12 एवं 2012—13 के लिए इस मद में कुल ₹31.02 करोड़ राशि घटाई गई है। कंपनी ने रेलवे के विभिन्न स्तरों पर संविभाजित आमदनी की गणना की इस विधि का विरोध किया है। पूर्ववर्ती वर्षों (2006—07 से 2010—11 तक) के लिए इस मद में लगभग ₹53.5 करोड़ घटाए हैं। उपर्युक्त दोनों विधियों के औसत राशि की गणना ₹53.5 करोड़ (लगभग) है। इसके प्रभाव से बाद के वर्षों में जब कभी भी पश्चिम रेलवे द्वारा सूचित किया जाएगा आरक्षित और विविध देनदारों में ₹53.5 करोड़ की कमी होगी। (50% स्वामित्व ब्याज होने के कारण समेकित वित्तीय विवरणों पर अनुपातिक प्रभाव ₹26.75 करोड़ है)

IV. भारूच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड

पश्चिम रेलवे के साथ परिचालन और अनुरक्षण अनुबंध जो अन्य बातों के साथ अधिकार एवं दायित्व, कंपनी द्वारा भारूच दाहेज सामनी रेलवे लाइन के परिचालन के परिणामस्वरूप उत्पन्न कंपनी की संविभाजित आय एवं व्यय का हिस्सा परिभाषित करता है, अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हुआ है, यद्यपि रेल मंत्रालय से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। बहरहाल कंपनी ने इस अनुबंध से उत्पन्न परिचालन आय और व्यय की पहचान की है जिसे अभी भी औपचारिक रूप दिया जाना है। कंपनी द्वारा लेखाबद्ध परिचालन आय एवं परिचालन व्यय पश्चिम रेलवे द्वारा उपलब्ध अंतरिम आंकड़ो पर आधारित है और अंतिम आंकड़े विभिन्न हो सकते हैं।

उपर्युक्त मदों के संबंध में हमारे अभिमत प्रमाणित नहीं है।

7. अन्य मामलें

हमने एक सहायक और पांच संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2015 को ₹784.50 करोड़ की कुल परिसंपित्तयों, 330.11 करोड़ रुपए की कुल आमदनी और उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ₹250.85 करोड़ के शुद्ध रोकड़ प्रवाह को दर्शाते हैं, जैसा समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचना को अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत केवल इन सहायक एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के संबंध में शामिल धनराशि और प्रकटन से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की की उप—धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट पूर्ण रूप से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत और नीचे कानूनी एवं नियामक संबंधी आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपर्युक्त मामलों के संबंध में आशोधित नहीं है और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें और वित्तीय विवरण / वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है।

8. अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- I. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2015 ("आदेश") द्वारा जैसा अपेक्षा की गई है, भारत में निगमित नियंत्रक कंपनी, सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणियों के आधार पर हमने अनुलग्नक प्प्में जहां तक लागू हो, आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण प्रस्तु करते हैं।
- II. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के उप पैरा (5) के अनुसार जैसा अपेक्षा की गई है, भारत में निगमित नियंत्रक कंपनी, सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणियों के आधार पर हमने अनुलग्नक प्यमें सम्मति दी हैं।
- III. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा जैसा अपेक्षा की गई है, जहां तक लागू हो, हम रिपोर्ट करते हैं, किः
- क हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगें और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
- ख हमारे अभिमत से उपरोक्त वर्णित समेकित वित्तीय विवरणों की तैयार से संबंधित कानून द्वारा जैसा अपेक्षित था, के अनुसार यथोचित लेखा पुस्तकों को रखा गया था, जैसा इन पुस्तकों की जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से लक्षित होता है।
- ग इस रिपोर्ट द्वारा देखे जाने वाले समेकित वित्तीय विवरण और लाभ एवं हानि और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए तैयार लेखा पुस्तकों के अनुसार है।
- घ हमारे अभिमत में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, में



and loss account. From current financial year the interest earned during year on deposits with bank has been taken to the capital work in progress. Had the company continued to apply the earlier policy, capital work in progress would have been higher by ₹13.83 crores and profit of the company would have been higher to that extent. (Proportionate impact on consolidated Financial statements ₹4.35 Crores being 31.5% ownership interest)

II. HARIDASPUR PARADIP RAILWAY COMPANY LTD.

During the year, the company has changed its policy and routed the receipts and expenditure directly to Capital Work in Progress as against the earlier practice of routing it through statement of Profit and Loss since the interest income earned on fixed deposits/flexi accounts out of the funds infused as share capital for meeting. This change of accounting policy has net impact of decrease in profit of the year Rs. 8.96 Crores with a consequential decrease in capital work in Progress to that extent. (Proportionate impact on consolidated Financial statements ₹2.99 Crores being 33.33% ownership interest)

III. KUTCH RAILWAY CO. LTD.

Since the previous financial year i.e. 2013-14, Western Railway has computed Company's share of apportioned earnings on the basis of "carried route" instead of "booked route". Accordingly, apportioned earnings has been reduced by ₹41.09 crores for the curent financial year. Further, a total amount of ₹31.02 crores has been deducted on this account for the financial years 2011-12 & 2012-13. The company has contested against this method of calculation of apportioned earnings at various levels in Railways. The approximate amount of ₹53.5 crores may be deducted on this account for earlier financial years (from 2006-07 to 2010-11). The average amount of both of above methods works out to be Rs. 53.5 crores (approx.). The impact of the same will be reduction in Reserves and Sundry Debtors by ₹53.5 crores (approx.) in the subsequent years as and when advised by the Western Railway. (Proportionate impact on consolidated Financial statements ₹26.75 Crores being 50% ownership interest)

IV. BHARUCH DAHEJ RAILWAY COMPANY LTD.

The Operation and Maintenance Agreement with the Western Railway that defines among others, right & obligations, the share of Income & Expenses to be apportioned to the Company arising out of the operation of the Bharuch Dahej Samni Railway Line by the Company has not yet been signed although an in-principal approval has been received from the Ministry of Railways. The Company has however recognized the operating income and expenses arising out of this arrangement which is yet to be formalized. The Operating Income & Operating Expenses accounted for by the Company are based on provisional figures made available by the Western Railway and the final figures could vary.

Our Opinion is not qualified in respect of above matters.

7. Other Matters

We did not audit the financial statements/financial information of one subsidiary and five jointly controlled entities, whose financial statements/ financial information reflect total assets of ₹784.50 Crore as at 31st March, 2015, total revenue of ₹330.11 Crore. and net cash flows amounting to 250.08 Crore for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements/financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiary and jointly controlled entities, and our report in terms of sub-section (3) and (11) of section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiary and jointly controlled entities, is based solely on the reports of such other auditors.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on the legal and regulatory requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements/financial information certified by the Management.

8. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Act, based on the comments in the auditors' reports of the holding company, subsidiary company, and jointly controlled companies incorporated in India, we give in the Annexure I, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the order, to the extent applicable.
- II. As required by the directions issued by the Comptroller and Auditor-General of India, in terms of sub section (5) of section 143 of the Act, based on the comments in the auditors' reports of the holding company, subsidiary company, and jointly controlled companies incorporated in India, we give in the compliance in the Annexure II.
- III. As required by Section 143(3) of the Act, we report, to the extent applicable, that:
- a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.
- b. In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statement have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports to other auditors.



विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में है।

- ड़ कारपोरेट मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू किए जाने से छूट प्राप्त है और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनी और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च, 2015 को भारत में निगमित सहायक कंपनी और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के निदेशकों में से कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
- च कंपनी (लेखा और लेखा परीक्षक) नियमों, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मदों के संबंध में, हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः
- i. समेकित वित्तीय विवरण समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों पर मुकदमेबाजी के लंबित प्रभावों का प्रकटन किया है— समेकित वित्तीय विवरण का संदर्भ नोट सं. 23
- ii. समूह और इसके द्वारा सामूहिक रूप से नियंत्रित कंपनियों के पास व्यूत्पन्न अनुबंधों सिहत दीर्घकालिक अनुबंधों पर पहले से देखी गई किसी प्रकार की वास्तविक हानि नहीं थी।
- iii. ऐसी कोई भी राशि नहीं थी जिसे भारत में निगमित नियंत्रित कंपनी और इसकी सहायक एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि को अंतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(FRN: 000131N)

हस्ता./—

(आर.के. अग्रवाल)

साझेदार

(M. No 081510)

हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 31.08.2015



- c. The consolidated Balance Sheet, the consolidated Statement of Profit and Loss and consolidated Cash flow statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.
- d. In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- e. In terms of Ministry of Company Affairs notification no. GSR 463 (E) dated 5th June 2015, Government Companies are exempt from applicability of provisions of section 164 (2) of Companies Act 2013 and on the basis of the reports of the statutory auditors of its subsidiary company and its jointly controlled companies incorporated in India, none of the directors of the subsidiary company and its jointly controlled companies incorporated in India is disqualified as on 31st March, 2015 from being appointed as a director in terms of section 164(2) of the act.
- f. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the group and jointly controlled entities- Refer Note No 23 to the consolidated financial statements.
- ii. The group and its jointly controlled entities did not have any material foreseeable losses on long-term contracts including derivative contracts.
- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Holding Company and its subsidiary and jointly controlled companies, incorporated in India.

For Kumar Chopra & Associates
Chartered Accountants
(FRN: 000131N)

Sd/-(R.K. Aggarwal) Partner (M. No 081510)

Place of signature : New Delhi

Date: 31.08.2015



स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए **रेल विकास निगम लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 8(1) में संदर्भित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

- क) कच्छ रेलवे कंपनी, एक संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जहां लेखा परीक्षकों ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ब्यौरें अद्यतन नहीं किए गए है, के सिवाए समूह और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों ने स्थिर परिसंपित्तयों के मात्रात्मक ब्यौरों और स्थिति सहित पूरे ब्यौरों को दर्शाते हुए उचित रिकार्डों को तैयार किया है।
 - ख) कच्छ रेलवे कंपनी, एक संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जहां लेखा परीक्षकों ने बताया है कि वहां सभी परिसंपत्तियों और प्रमुख स्थिर परिसंपत्तियों के सत्यापन का कोई अनुमोदित नियमित कार्यक्रम नहीं है, इसे वर्ष के दौरान उचित अंतरालों पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है, के सिवाए वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उचित अंतरालों पर स्थिर परिसंपत्तियों को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया और इस प्रकार के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई है।
- 2. क) समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में जहां लागू हो, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा नियमित अंतरालों पर वस्तुसूची को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। व्यापार और वस्तुसूची की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारे अभिमत में भौतिक सत्यापन उचित है।
 - ख) समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों और इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में प्रबंधन द्वारा अनुपालन की गई वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन की पद्धति तर्कसंगत है।
 - ग) समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में जहां लागू हो, वस्तुसूची यथोचित रिकार्डों को रखा गया था और कोई भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी।
- 3. समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों ने अधिनियम की धारा 189 के अंतगत तैयार रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित, किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया है।
- 4. हमारे अभिमत और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कच्छ रेलवे कंपनी, एक संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जहां लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट किया है कि कंपनी के आकार और इसके बिजनस की प्रकृति, स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद के लिए और सेवा की बिक्री के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। परिचालन एवं अनुरक्षण अनुबंध के अनुसार आज की तिथि तक संयुक्त पद्धित आदेश तैयार नहीं किया गया है और संयुक्त पद्धित के अनुमोानदन के बिना उपर्युक्त अनुबंध में बताए गए अनुसार गणनाओं के आधार पर पश्चिम रेलवे द्वारा बताए गए अनुसार यातायात और संबंधित लागतों के अंतरिम आंकड़ों को लेखाबद्ध किया गया है, के सिवाए वस्तुसूची और स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद और माल एवं सेवा की बिक्री के संबंध में समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों और उनके व्यापार की प्रकृति में संबंधित कंपनियों के आकार को देखते हुए वहां पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धितयां है। लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरी को ठीक करने के लिए किसी भी सतत विफलता का प्रेक्षण नहीं किया है।
- हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार समूह और इसकी संयुक्त रूप से कंपनियों ने वर्ष के दौरान जनता से किसी जमा को स्वीकार नहीं किया है।
- 6. केंद्र सरकार ने समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के किसी भी उत्पाद को अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण करना निर्धारित नहीं किया है।
- 7. क) उपलब्ध कराई गई सूचना और समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्टे के अनुसार, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां सामान्यतः जैसा लागू हो, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकायों सिहत विवाद रिहत सांविधिक बकायों को उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है। हमें उपलब्ध कराई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31.03.2015 को कोई भी सांविधिक बकाया अपनी देय होने की तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के लिए देय नहीं है।
 - ख) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए स्पष्टीकरणों और समूह एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में संबंधित कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपार्टों के अनुसार, 31 मार्च 2015 को आयकर अथवा बिक्री कर अथवा संपत्ति कर अथवा सेवा कर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा मूल्य वर्धित कर अथवा उपकर के ब्यौरें, जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, निम्नानुसार है:



ANNEXURE I TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Annexure to the Independent Auditors' Report referred to in paragraph 8(I) of our report of even date on the consolidated financial statements of **Rail Vikas Nigam Limited** for the Year ended 31st March, 2015

- 1. a) The Group and its Jointly controlled entities have maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets except for Kutch Railway Company, a jointly controlled entity, where auditor has reported that details for the financial year 2014-15 have not been updated.
 - b) The fixed assets have been physically verified by the management during the year at reasonable interval and no material discrepancies were noticed on such verification except for Kutch Railway Company, a jointly controlled entity, where auditor has reported that there is no approved regular program of verification for all assets and major fixed assets have not been physically verified by the management at reasonable intervals during the year.
- a) Where applicable in the group and its jointly controlled entities, inventories have been physically verified by the management at reasonable intervals during the year. Keeping in view the nature of business and inventory, the frequency of physical verification in our opinion is reasonable.
 - b) The procedures of physical verification of inventories followed by management are reasonable and adequate in relation to the size of the Group and its Jointly controlled entities and nature of its business.
 - c) Where applicable in the Group and its Jointly controlled entities, proper records of inventories are maintained and no material discrepancies were noticed on physical verification.
- 3. The Group and its Jointly controlled entities have not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Act.
- 4. In our opinion and according to the information and explanation given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the respective companies in the Group and its Jointly controlled entities and nature of their business with regard to purchases of inventories and fixed assets and for the sale of goods and services except for Kutch Railway Company, a jointly controlled entity, where auditor has reported that internal control system needs improvement to commensurate with the size of company and nature of its business, for purchase of fixed assets and for sale of service. Also Joint Procedure Order has not been formed till date in terms of Operation & Maintenance agreement and the provisional figures of income from traffic and respective costs are accounted as advised by WR based on calculation as detailed in the said agreement without approval of Joint Procedure Order. During the audit, we have not observed any continuing failure to correct major weaknesses in the internal control systems.
- 5. According to the information and explanation given to us the Group and its Jointly controlled entities have not accepted any deposit during the year from the public.
- 6. The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section 148(1) of the Act for any of the products of the Group and its Jointly controlled entities.
- 7. a) According to the information and explanation given and as per the audit reports of respective companies in the Group and its Jointly controlled entities, the Group and its Jointly controlled entities are generally regular in depositing with the appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, wealth tax, service tax, custom duty, excise duty, value added tax, cess and other statutory dues as applicable to it. According to the information and explanation given to us, no undisputed amount payable in respect of any statutory dues were outstanding as at 31-03-2015 for a period of more than six months from the date they become payable.
 - b) According to the information and explanation given to us, and the audit reports of the respective companies in the Group and its Jointly controlled entities, the particulars of income tax or sales tax or wealth tax or service tax or custom duty or excise duty or value added tax or cess as at 31st March, 2015, which have not been deposited on account of any dispute are as under:



| संयुक्त रूप से नियंत्रित | अधिनियम का | विवादग्रस्त बकायों | धनराशि | अवधि जिससे राशि | अधिकरण जहां |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---|
| कंपनी | नाम | की प्रकृति | (लाख रुपए में) | संबंधित है | विवाद लंबित है |
| हरिदासपुर पारादीप | आयकर | आयकर मांग | 32.67 | आकलन वर्ष | सीआईटी |
| रेलवे कं. लिमिटेड | अधिनियम, 1961 | | (अनुपातिक) | 2010—11 | (अपील) |
| कच्छ रेलवे कं. लिमिटेड | आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर मांग | 53.87 (अनुपातिक) | आकलन वर्ष 2012—13 | धारा 154 के अंतर्गत सुधार |
| कच्छ रेलवे कं. लिमिटेड | सेवा कर कानून | सेवा कर मांग | 10679.50 (अनुपातिक) | - | अस्वीकृति का उत्तर 06.01.2015 को जमा किया गया है। |

- कंपनी अधिनियम, 1956 और इसके संबंध में बनाए नियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में किसी धन राशि को ग) अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।
- समेकित वित्तीय विवरणों में 31.03.2015 को कोई संचयी हानियां नहीं है और चालू वित्तीय वर्ष और तत्कालीन पूर्ववर्ती वर्षों में किसी रोकड़ हानि को वहन नहीं किया गया है।
- समूह एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में संबंधित कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपार्टी और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए स्पष्टीकरणों के अनुसार, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में से किसी भी कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों अथवा ऋणपत्र धारकों को बकायों के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
- समूह एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में संबंधित कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपार्टी और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए स्पष्टीकरणों के अनुसार, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में से किसी भी कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।
- हमारे अभिमत और हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, एक समग्र आधार पर, हमारा अभिमत है कि समृह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों ने उद्देश्य के लिए मियादी ऋणों के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए ऋण प्राप्त हो गए थे।
- हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में किसी कंपनी में धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं पाया गया है।

कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट (FRN: 000131N)

हस्ता./-

(आर.के. अग्रवाल)

साझेदार

(M. No 081510)

हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 31.08.2015



| Jointly controlled company | Name of statute | Nature of disputed dues | Amount (Rs .in lakhs) | Period to which amount relates | Forum where dispute is pending |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| Haridaspur Paradip. Railway Co. Ltd | Income Tax Act, 1961 | Income Tax demand | 32.67 (proportionate) | A.Y. 2010-11 | CIT (Appeals) |
| Kutch Railway Co. Ltd. | Income Tax Act, 1961 | Income Tax demand | 53.87 (proportionate) | A.Y. 2012-13 | Rectification u/s 154 |
| Kutch Railway Co. Ltd. | Service Tax Law | Service Tax demand | 10679.50 (proportionate) | - | Reply of non acceptance filed on 06.01.2015 |

- c) During the year, no amount was required to be transferred to investor education and protection fund in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 1956 and rules made thereunder.
- 8. In the consolidated Financial statements there are no accumulated losses as on 31.03.2015 and have not incurred cash losses in current financial year and in the immediate preceding financial year.
- According to the audit reports of respective companies in the Group and its Jointly controlled entities and the information and explanations given to
 us, none of the companies in the Group and its Jointly controlled entities has defaulted in repayment of dues to a financial institutions or bank or
 debenture holders.
- 10. According to the audit reports of respective companies in the Group and its Jointly controlled entities and the information and explanations given to us, none of the companies in the Group and its Jointly controlled entities has given any guarantee for loans taken by others from bank or financial institutions.
- 11. In our opinion and according to the information and explanations given to us, on an overall basis, we are of the opinion that the respective companies in the Group and its Jointly controlled entities have applied term loans for the purpose for which loans were obtained.
- 12. According to the information and explanation given to us, no fraud on or by the respective companies in the Group and its Jointly controlled entities has been noticed or reported during the course of audit.

For Kumar Chopra & Associates
Chartered Accountants
(FRN: 000131N)

Sd/-(R.K. Aggarwal) Partner (M. No 081510)

Place of signature : New Delhi

Date: 31.08.2015



स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक ॥

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए **रेल विकास निगम लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 8 (I) में संदर्भित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

| क्र. सं. | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निदेश | हमारी रिपोर्ट | तत्संबंधी की गई कार्रवाई | कंपनी के लेखों और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव |
|-------------|--|---|---|--|
| 1 | यदि कंपनी को विनिवेश के लिए चुना जाता है तो विनिवेश प्रक्रिया की विधि और वर्तमान चरण सहित रिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों और भूमि सहित) का मूल्यांकन और दायिताओं (वचनबद्ध और सामान्य आरक्षित सहित) के अनुसार एक संपूर्ण स्थिति रिपोर्ट की जांच की जाए। | वर्ष 2014—15 के दौरान किसी भी विनिवेश को नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कपंनियों, जहां कहीं भी लागू हो, आलोच्य वर्ष में किसी भी कंपनी को भारत सरकार द्वारा विनिवेश के लिए नहीं चुना गया। | आवश्यकता नहीं है। | कुछ नहीं |
| 2 | कृपया रिपोर्ट करे कि उधार / ऋणों / ब्याज को माफ / समाप्त करने का कोई मामला हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और संलग्न राशि बताएं। | उपलब्ध रिकार्ड और सूचना के अनुसार किसी बड़े उधार /ऋण / ब्याज को माफ / समाप्त करने का कोई मामला हुआ है। | किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। | कुछ नहीं |
| 3 | क्या थर्ड पार्टियों के पास रखी वस्तुसूची और सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा जाता है। | थर्ड पार्टियों के पास कोई वस्तुसूची नहीं है और आरवीएनएल द्वारा सरकार अथवा किसी भी अन्य प्राधिकरणों से कोई भी उपहार प्राप्त नहीं किया गया है। | किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। | कुछ नहीं |
| 4 | मामलों की लंबिता के कारणों और सभी कानूनी मामलों (विदेशी और स्थानीय) पर व्यय के लिए निगरानी तंत्र की स्थिति / प्रभाविता सहित लंबित मामलों / पंचाट मामलों के आयु—वार विश्लेषण दिया जाए। | कपंनियों की रिपोर्टों के अनुसार जहां कहीं भी लागू हो और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, आरवीएनएल के ठेकेदारों से संबंधित 27 कानूनी/पंचाट मामलें है और 3 मामलें कार्मिक/सेवा कर/आयकर से संबंधित कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड के है। इन मामलों का आयु—वार विश्लेषण निम्नानुसार है: | कंपनी के विरूद्ध दायर कानूनी मामलों की समीक्षा की गई है। लेखांकन मानक—29 के अनुसार, राशि का प्रकटन, लेखों में यदि कोई प्रावधान हो तो प्रावधानों / दायिता के | प्रकटन को वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 26 में दिया गया है। |
| | | मामलों की आयु मामलों की संख्या 2 वर्ष से कम 20 2—3 वर्ष 1 वर्षों से अधिक 9 पंचाट में मामलों के लंबित होने के सामान्य कारण है (i) सुनवाई चल रही है या पूरी हो गई लेकिन अधिकरण द्वारा निर्णय नहीं दिया गया है (ii) अतिरिक्त ब्यौरों / दस्तावेजों की कमी से पंचाट प्रक्रिया चल रही है। (iii) कुछ मामलों में अभी तक बहस शुरू नहीं हुई है। मध्यस्थों की नियुक्ति ठेकेदारों के साथ ठेका अनुबंध निर्धारित पद्धति के अनुसार की गई है। मध्यस्थों / वकीलों को आरवीएनएल द्वारा | लिए समायोजन के बाद लेखों के नोट्स में आकस्मिक दायिता के रूप में किया गया है | |
| | | निर्धारित दरों अथवा जैसा प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया है, के अनुसार भुगतान किया गया है। | | |

कृते कुमार चोपड़ा एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(FRN: 000131N)

हस्ता./— (आर.के. अग्रवाल)

साझेदार

(M. No 081510)

हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 31.08.2015



ANNEXURE II TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Annexure to the Independent Auditors' Report referred to in paragraph 8(I) of our report of even date on the consolidated financial statements of Rail Vikas Nigam Limited for the Year ended 31st March, 2015

| S. No. | CAG's Directions | Our Report | Action Taken thereon | Impact on accounts and financial statements of the company |
|-----------|--|---|--|---|
| 1. | If the Company has been selected for disinvestment, a complete status report in terms of valuation of Assets (including intangible assets and land) and Liabilities (including Committed and General Reserves) may be examined including the mode and present stage of disinvestment process | No disinvestment has been taken place during the year 2014-15 Further as per information provided to us. RVNL has not been selected for disinvestment by Government of India during the year. | No action required. | NIL |
| 2 | Please report whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc., if any, the reasons there for and the amount involved | As per record and information provided to us, there are no case of waiver/write off of debts/loans/interest etc. | No action required. | NIL |
| 3 | Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gifts from Govt. or other authorities | No inventory is lying with third parties and no asset has been received as gifts from Government or any other authorities by RVNL | · | NIL |
| 4 | A report on age-wise analysis of pending legal/arbitration cases including the reasons of pendency and existence/effectiveness of monitoring mechanism for expenditure on all legal cases (foreign and local) may be given. | As per record and information provided to us, there are 27 legal/ arbitration cases pending relating to contractors. Age-wise statement of these cases is as follows: Age of cases No. of cases Less than 2 years 20 2-3 years 1 More than years 9 Cases under arbitration are generally pending due to (i)hearing in process or completed but not yet pronounced by the tribunal (ii) arbitration proceedings are in process for want of additional details/documents (iii) argument has not yet started in some cases. Arbitrators are appointed as per the procedure prescribed in the Contract Agreement with the Contractors. Payment to the Arbitrators/lawyers are paid as per the rates prescribed by RVNL or as approved by CMD | provision/ liability if any provided in the accounts | Disclosure has been given at note no. 26 to financial statement. |

Chartered Accountants (FRN: 000131N) Sd/-(R.K. Aggarwal)

For Kumar Chopra & Associates

Partner (M. No 081510)

Place of signature : New Delhi Date: 31.08.2015



गोंपनीय



भारतीय लेखा परीक्षा एवम् लेखा विभाग कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्ष, रेलवे—वाणिज्यिक काफमो, भारतीय रेल, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली—110 002

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR AUDIT (RLY-COMMERCIAL) COFMOW, INDIAN RAILWAYS, TILAK BRIDGE, NEW DELHI- 110002

सं.पीडीए/आरसी/पीएसयू/32-13/रेविनिलि/2015-16/405

दिनांकः 21.09.2015

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेल विकास निगम लिमिटेड, प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली—110066

विषयः 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

वर्ष 2014—15 के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत 'शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र' संलग्न है। समेकित वित्तीय विवरणों पर शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया जाए। कंपनी की मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की छः प्रतियां यथाशीघ्र हमारे कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

कृपया पत्र की पावती उपलब्ध कराएं।

आपका,

संलग्नकः यथोक्त

हस्ता. /— दिनेश भार्गव प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, (रेलवे वाणिज्य)



Confidential



भारतीय लेखा परीक्षा एवम् लेखा विभाग कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्ष, रेलवे—वाणिज्यिक काफमो, भारतीय रेल, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली—110 002

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR AUDIT (RLY-COMMERCIAL) COFMOW, INDIAN RAILWAYS, TILAK BRIDGE, NEW DELHI- 110002

No. PDA/RC/PSU/32-13/RVNL/2015-16/405

То

The Chairman and Managing Director,
Rail Vikas Nigam Limited,

1st Floor, August Kranti Bhavan,
Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi - 110066

Subject: Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Consolidated Financial Statements of Rail Vikas Nigam Limited, New Delhi for the year ended 31s1 March 2015.

Sir,

The Nil Comments Certificate under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Consolidated Financial Statements of **Rail Vikas Nigam Limited**, **New Delhi** for the year 2014-15 is enclosed. The Nil Comments Certificate on the Consolidated Financial Statements may be placed before the Annual General Meeting along with Financial Statements of the Company in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013. Six copies of the printed Annual Reports of the Company may please be sent to this office at the earliest.

Receipt of the letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Dated: 21.09.2015

Encl: As above

Sd/-(Dinesh Bhargav) Principal Director of Audit (Railway Commercial)



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के अधार पर अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करने की जिम्मेदारी है। कहा गया है कि उनके द्वारा यह कार्य दिनांक 31.08.2015 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया गया है।

मैने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए **रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली** के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पिटत धारा 143(6)(ए) के तहत पूरक लेखा परीक्षा की है। हमने उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों (संलग्न सूची के अनुसार) के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों को देखे बगैर की गई और यह मुख्यतया सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकार्ड की जांच तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई लेखा—परीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी सामने नहीं आई है, जिसके कारण सांविधिक लेखा—परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी करने पड़ें या इसमें कुछ जोड़ना पड़े।

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 21.09.2015 भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक

के लिए और की ओर से

हस्ता. /दिनेश भार्गव
प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा,
(रेलवे वाणिज्य)

अनुलग्नक

रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की सूची नीचे दी गई है, जिनके लिए 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ए) के तहत पूरक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियांः

- 1. भरूच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड
- अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF RAIL VIKAS NIGAM LIMITED, NEW DELHI FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2015

The preparation of financial statements of **Rail Vikas Nigam LIMITED**, **New Delhi** for the year ended 31 March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent aud it in accordance with the standards on auditing prescri bed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 31-08-2015.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India. have conducted a supplementary audit under section

143(6) (a) read with section 129(4) of the Act of the consolidated financial statements of Rail Vikas Nigam Limited for the year ended 31 March 2015. We did not conduct supplementary audit of the financial statements of Subsidiaries, Associate Companies and Jointly Controlled Entities (as per list enclosed) for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors" report.

For and on the behalf of the Comptroller & Auditor General of India

Sd/-(Dinesh Bhargav) Principal Director of Audit (Railway Commercial)

Place: New Delhi Date: 11.09.2015

Annexure

List of subsidiaries and jointly controlled entities of RAIL VIKAS NIGAM LIMITED, NEW DELHI for which Supplementary audit was not conducted under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Companies Act, 2013 for the year 2014-15.

Jointly Controlled Entities

- 1. Bharuch Dahej Railway Company Limited
- 2. Angul Sukinda Railway Limited

हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेल विकास निगम लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाला एक उपक्रम)

निदेशक रिपोर्ट

गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को कंपनी की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है जिसमें 31 मार्च, 2015 (1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015) को समाप्त वित्त वर्ष में कंपनी के लेखा परीक्षित लेखे, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है।

भारत के राष्ट्रपित (रेल मंत्रालय) ने देश में हाई स्पीड रेल गिलयारों के विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) निगमित करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को निदेश जारी किए। तत्पश्चात, रेविनिलि ने 25 जुलाई, 2012 को अपने पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम के रूप में हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचएचआरसी) को निगमित किया गया और इसे 18 अगस्त, 2012 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाणपत्र मिला। कंपनी का अपना पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है।

कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार अथवा रेल विकास निगम लिमिटेड (रेविनिल) अथवा समय—समय पर इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सृजित प्राधिकरण और पीपीपी, ईपीसी अथवा किसी अन्य योजना अथवा मॉडल आधारित शुरू करने अथवा तत्संबंधी गतिविधियों करने के लिए, जैसा भी अनुमोदित हो, भारत अथवा विदेश में हाई स्पीड रेल परियोजनाओं और किसी अन्य रेल आधारित यातायात में सभी प्रकार के चल स्टाक सहित योजना, डिजाइन तैयार करने, विकास, निर्माण, उन्हें असेंबल करने, फेब्रीकेटिंग, प्रोसेसिंग, रेल अवसंरचना और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने, अनुरक्षण और वित्तपोषण करने से संबंधित सभी व्यवसायों की शुरूआत करने और गतिविधियां करना है।

व्यापार निष्पादन

 दिल्ली—चंडीगढ़—अमृतसर समर्पित उच्च गति गलियारे का पूर्व—व्यवहार्यता अध्ययन

रेल मंत्रालय ने 350 किमीप्रघं की गति वाले दिल्ली— चंडीगढ़—अमृतसर समर्पित उच्च गति गलियारे के लिए पूर्व—व्यवहार्यता अध्ययन कार्य सौंपा गया है

एचएसआरसी / आरवीएनएल द्वारा मैसर्स सिस्ट्रा के साथ कंसोर्टियम में मैसर्स राइट्स के दिल्ली—चंडीगढ़—अमृतसर के बीच उच्च गति रेल गलियारे के लिए पूर्व—व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। इस अध्ययन की प्रारंभिक रिपोर्ट और अंतरिम रिपोर्ट 31.10.2015 को पेश की गई। अध्ययन के जून, 2015 तक पूरा होने की संभावना है।

 रेल मंत्रालय और एडिमिनिस्टर ऑफ नेशनल रेलवे एडिमिनिस्ट्रेशन एवं वाइस—िमिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ चाइना के बीच सहमित ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना:

रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार और चीन सरकार के बीच 18 सितंबर, 2014 को हस्ताक्षरकर्ता के रूप मे अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय और श्री एलयू डोंगफू, एडमिनिस्ट्रेटर ऑर नेशनल रेलवे एडिमिनिस्ट्रेशन एवं वाइस—मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ चाइना ने एक सहमित ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 18 सितंबर, 2014 को सहयोग बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान पर हस्ताक्षरित किए गए थे जिसमें रेलवे में निम्न दो परियोजनओं को शुरू किया गया था। उसके बाद 15.05.2015 को एनआरए, चाइना और रेल मंत्रालय के बीच भी एक पर भी सहमित हुई थी जो सितंबर, 2014 में पहले एक्शन प्लान हस्ताक्षरित करने के बाद की गई प्रगति के संबंध में है।

(क) चेन्नई-बेंगलूरू-मैसूर खंड का उन्नयन

चेन्नई—बेंगलूरू—मैसूर खंड पर 160 किमीप्रघं तक गति बढ़ाने के लिए पूर्वव्यवहार्यता के लिए 27.10.2014 को चेंगडु में एचएसआरसी और सीआरईईसी (चाइना रेलवे एरयूआन इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड) के बीच समझौते की शर्तों और कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने के लिए आरवीएनएल / एचएसआरसी के प्रतिनिमंडल ने 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2014 तक चाइना का दौरा किया था। तत्पश्चात, सीआरईईसी से 16 विशेषज्ञों ने भारत का दौरा किया और 23 नवंबर, से 30 नवंबर, 2014 तक एक ऑन—दि—स्पॉट सर्वेक्षण और विस्तृत बैठकें और साइट पर दौरें किए। प्रारंभिक रिपोर्ट 12 फरवरी, 2015 और अंतरिम रिपोर्ट 09.06.2015 को प्रस्तुत की गई। व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है।

(ख) दिल्ली—चेन्नई उच्च गति गलियारा व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट)

चाइना सर्वे एंड डिजाइन ग्रुप (सीआरएसएसडीजी) एवं एचएसआरसी ने दिल्ली और चेन्नई के बीच एक उच्च गित रेल गिलयार के लिए पिरयोजना की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिनांक 28.11.2014 को सियुआन के मुख्यालय, वुहान, चाइना पर समझौते की शर्तों और कार्ययोजना पर हस्ताक्षर किए। इस पर सहमित हुई है कि परियोजना व्यवहार्यता अध्ययन को चाइना पक्ष द्वारा वित्तपोषित किया जाए। 31.03.2015 को रेल मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया गया है कि चूंकि यह एक बहुत लंबा गिलयारा है, न केवल परियोजना के निर्माण की लागत उच्च होगी बिल्क व्यवहार्यता अध्ययन की लागत और समय भी अधिक लगेगा इसलिए अध्ययन केवल दिल्ली—नागपुर खंड का ही किया जाएगा।

सीआएसएसडी ने मार्च, 2015 में भारत में एक ऑन—दि—स्पॉट सर्वे किया और आगरा, भोपाल, नागपुर, हैदाबाद, विजयवाड़ा और चेन्नई का दौरा किया और 17.07.2015 को योजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की भारतीय साझेदारों द्वारा जांच की गई और सितंबर, 2015 में चर्चा की योजना है। एनआरए टू सियुआन द्वारा वित्तपोषण की सहमति के बाद सीआएसएसडीजी एवं एचएचआरसी बाद में कार्य पद्धतियों पर चर्चा करेंगे।



HIGH SPEED RAIL CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Wholly owned Subsidiary of Rail Vikas Nigam Limited)

DIRECTORS' REPORT

Distinguished Shareholders,

The Directors of your Company are privileged in presenting the 3rd Annual Report of the Company together with the Audited Statements of Accounts and Auditors' Report for the year ended 31st March, 2015.

President of India (Ministry of Railways) issued directions to Rail Vikas Nigam Ltd. (RVNL) for incorporating an SPV for development of High Speed Rail Corridors in the country. Subsequently, RVNL incorporated High Speed Rail Corporation of India Limited (HSRC) on 25th July 2012 as its Wholly owned Subsidiary and the Certificate of Commencement of Business was received on 18th August, 2012. The Company has its registered office in New Delhi.

The main objects of the Company are to enter into and carry on all business related to planning, designing, development, construction, manufacturing, assembling, fabricating, processing, installing, maintenance, operation and financing of Railway infrastructure and related logistic support systems, including rolling stock, of all types in India and abroad of High Speed Rail Projects and any other Rail-based traffic, as may be approved by the Government of India or Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) or any other Authority specifically created for this purpose from time to time, and to undertake any or all activities connected thereto, on PPP, EPC or any other scheme or model basis.

Business Performance

Pre-feasibility study of dedicated High Speed corridor of Delhi-Chandigarh-Amritsar.

Ministry of Railways had assigned the work of conducting the prefeasibility study for Delhi-Chandigarh-Amritsar dedicated High Speed corridor with a speed potential of 350 kmph.

M/s SYSTRA S.A in a consortium with M/s RITES has been engaged by HSRC/RVNL for pre-feasibility study for High Speed Rail Corridor between Delhi—Chandigarh-Amritsar.The Inception Report and Interim Report-I of this study on 31.1.2015. The study is likely to be completed by June 2015.

2. Signing of MoU between MoR and Administrator of National Railway Administration & Vice-Minister of Transport of China:

A Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on enhancing technical cooperation in rail way sector, was signed on 18th September, 2014 with chairman,

Railway Board, Ministry of Railways of India and Mr. LU Dongfu, Administrator of National Railway Administration & Vice-Minister of Transport of China as signatories. Under this MoU, an Action Plan for enhancing cooperation was signed on 18th September, 2014, within which the following two projects have been taken up in railways. A subsequent Action Plan was also agreed to between NRA, China and MoR on 15.05.2015 which refers to progress made since the signing of first Action Plan in September, 2014.

A. Upgrading of Chennai-Bangalore-Mysore section

A delegation of RVNL/HSRC visited China from 26th October to 1st November, 2014 to sign the TERMS OF AGREEMENT AND WORK PLAN between HSRC and CREEC (China Railway Eryuan Engineering Group Company Limited) in Chengdu on 27.10.2014 for a feasibility study for Speed Raising up to 160 kmph on Chennai-Bangalore-Mysore Section. Thereafter, sixteen experts from CREEC visited India and carried out an on-the-spot survey from 23rd November to 30th November, 2014 and had extensive meetings and site visits. The Inception Report has been submitted on 12th February, 2015 and Interim Report on 09.06.2015. The feasibility study is in progress.

Delhi-Chennai High Speed Corridor Feasibility Study Report (Detailed Project Report)

China Railway Siyuan Survey and Design Group (CRSSDG) & HSRC signed TERMS OF AGREEMENT AND WORK PLAN at SIYUAN Headquarter, Wuhan, China on 28.11.2014 for preparation of a Project Feasibility Study Report (Detailed Project Report) for a high speed rail corridor between Delhi and Chennai. It has been agreed that the Project Feasibility Study Report will be taken up with financing by the Chinese side. Ministry of Railways has approved on 31.03.2015 that the Study will be done for only Delhi-Nagpur section instead of the complete Delhi-Chennai section, as it is a very long corridor and not only will the construction cost of the project be high but the Feasibility Study will be at a considerable cost and time as well.

CRSSDG carried out an on-the-spot survey in India in March 2015 and visited Agra, Bhopal, Nagpur, Hyderabad, Vijayawada and Chennai, and has submitted the Planning Report on 17.7.2015. The report has been examined by Indian counter parts and discussions are planned in September, 2015. After the funding is

 मुंबई—अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का विकास अर्थात चुनौतियां निर्धारित करना, वित्तपोषण के विकल्पों को तलाशना, आदिः

रेल मंत्रालय ने मुंबई—अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के विकास के लिए अन्य कदम उठाने यथा चुनौतियां निर्धारित करना, वित्तपोषण विकल्पों को तलाशने के लिए आरवीएनएल/एचएसआरसी को अधिकृत किया है। हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने एचएसआर परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और निर्माण में आने वाली बाधाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए परामर्शदाताओं द्वारा तैयार संरेखण के यौक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीका ने अंतिम रिपोर्ट जुलाई, 2015 में प्रस्तुत कर दी है।

4. चार प्रमुख शहरों अर्थात नई दिल्ली—मुंबई—चेन्नई— कोलकाता—नई दिल्ली को जोड़ने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के डायमंड चतुमुर्ज के लिए व्यवहार्यता अध्ययन

रेल मंत्रालय ने एक खुली वैश्विक निविदा द्वारा चार बड़े शहरों यथा नई दिल्ली—मुंबई—कोलकाता—नई दिल्ली को जोड़ने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के डायमंड चतुभुर्ज नेटवर्क के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने का कार्य आरवीएनएल / एचएसआरसी को सौंपा है। तकनीकी बोलियां 18.03.2015 तक खुली हुई थी और 02.07.2015 को अंतिम रूप दिया गया।

वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी के निगमन के लिए आरवीएनएल द्वारा वहन किए गए प्रारंभिक व्यय के बदले आरवीएनएल को शेयरों के आबंटन के कारण एचएसआरसी की प्रदत्त पूंजी वर्ष के दौरान ₹ 5,00,000 से बढ़कर ₹10,74,110 हो गई। एचएसआरसी की ओर से आरवीएनएल द्वारा वहन किए व्यय के कारण 31.03.2015 को कंपनी की चालू दायिताएं ₹6,18,70,778 की वृद्धि हुई है। 31.03.2015 तक परियोजना पर वहन किया गया कुल व्यय मुख्यतः वेतन, यात्रा. आदि पर किया गया है।

ब्याज आय के कारण 2014—15 के दौरान अन्य आय बढ़कर ₹13,33,004 हो गई। ₹7,79,196 के व्यय को प्रति संतुलित करने के बाद और कर दायिता को पूरी करने के बाद ₹6,74,196 का मामूली अधिशेष हुआ।

वित्तीय वर्ष 2014–15 और 2013–14 के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के महत्वपूर्ण आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं:

वर्ष 2013—14 एवं 2014—15 में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के महत्वपूर्ण संसूचक नीचे दर्शाए गए है:

(राशि ₹ में)

| क्र.सं. | विवरण | वित्तीय वर्ष 2014—15 | वित्तीय वर्ष 2013—14 |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | प्राधिकृत शेयर पूंजी | 5,00,00,000 | 5,00,00,000 |
| 2 | प्रदत्त शेयर पूंजी | 10,74,110 | 5,00,000 |
| 3 | पूंजी प्रगति पर | 2,62,40,048 | कुछ नहीं |
| 4 | सकल आय | 13,33,004 | 8,877 |
| 5 | परिचालन आय | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 6 | कर पूर्व लाभ | 7,79,196 | (28,50,029) |
| 7 | शुद्ध मान | (18,46,195) | (30,95,247) |
| 8 | प्रति शेयर आमदनी | 9 | (57) |

पूंजी संरचना

₹5 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी की तुलना में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी, 10,74,110 लाख रुपए है।

लाभांश

चूंकि कंपनी ने अभी तक अपनी किसी भी व्यवसायिक गतिविधि की शुरूआत नहीं की, कंपनी ने वर्ष 2014–15 के लिए किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं की।

सावधि जमाएं

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जनता से कोई भी सावधि जमा प्राप्त नहीं की है।

आरक्षित निधि

चूंकि कंपनी को परिचालन गतिविधियों की शुरूआत करनी है और किसी भी

आय अथवा लाभ का अर्जन नहीं किया है, कंपनी ने सामान्य आरक्षित निधियों में कोई राशि अंतरित नहीं की है।

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

कंपनी पर उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन प्रावधान लागू नहीं है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का अर्जन अथवा व्यय नहीं हुआ है लेकिन विदेश यात्रा मद में लगभग 71,00,000 रुपए की विदेशी मुद्रा संबंधी व्यय हुआ।

अध्यक्षीय निदेश

2014–15 के दौरान कंपनी को रेल मंत्रालय से कोई भी अध्यक्षीय निदेश प्राप्त नहीं हुआ।

आंतरिक रिपोर्टें

"प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट" और "कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट" इस



committed by NRA to Siyuan, CRSSDG & HSRC will discuss further modalities.

3. Development of Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Corridor viz. fixing of the milestones, exploring funding options etc:

Ministry of Railways (MoR) has authorized RVNL/HSRC, to take further steps for development of Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Corridor viz. fixing of milestones, exploring funding options etc. HSRC has made significant contribution in rationalizing the alignment prepared by Consultants to ensure feasibility and constructability of HSR project. JICA has submitted the final report in July, 2015. Further action will be taken after the report has been studied.

Feasibility Study for Diamond Quadrilateral Network of High Speed Rail Corridors connecting four major metros i.e. New Delhi-Mumbai-Chennai-Kolkata-New Delhi:

Ministry of Railways (MoR) has entrusted RVNL/HSRC the work of carrying out the Feasibility Study for Diamond Quadrilateral Network of High Speed Rail Corridors connecting four major

metros i.e. New Delhi-Mumbai-Chennai-Kolkata-New Delhi through an open global tender. Technical bids were opened on 18.3.2015 and finalized on 2.7.2015. Financial bid are under evaluation.

Financial Performance

During the year the Paid-up Share Capital of HSRC has increased from ₹5,00,000/- to ₹10,74,110/- due to allotment of shares to RVNL in lieu of preliminary expenditure incurred by RVNL for incorporation of the Company. There is an increase in the current liabilities of the Company to ₹6,18,70,778/- as at 31.3.2015 due to expenditure incurred by RVNL on behalf of HSRC. The total expenditure incurred on the project upto 31.3.2015 is ₹2.62 crore which has been incurred mainly on salary, travel, etc.

There is an increase in other income to $\le 13,33,004$ /- during 2014-15 on account of interest income. After offsetting an expenditure of $\le 7,79,196$ /- and meeting tax liability there is a small surplus of $\le 6,74,642$ /-.

The significant indicators of financial performance of the Company for the financial year 2014-15 and 2013-14 are mentioned below:

(Amount (in ₹)

| S.No | Particulars | FY 2014-15 | FY 2013-14 |
|------|--------------------------|-------------|-------------|
| 1 | Authorized Share Capital | 5,00,00,000 | 5,00,00,000 |
| 2. | Paid-up share Capital | 10,74,110 | 5,00,000 |
| 3. | Capital work in progress | 2,62,40,048 | Nil |
| 4. | Total Income | 13,33,004 | 8,877 |
| 5. | Operating Income | Nil | Nil |
| 6. | Profit before Tax | 7,79,196 | (28,50,029) |
| 7. | Net Worth | (18,46,195) | (30,95,247) |
| 8. | Earnings Per Share | 9 | (57) |

Capital Structure

The Paid-up Share Capital of the Company is ₹10,74,110/- against the Authorized Share Capital of ₹5 crore.

Dividend

Since the company has not yet started its commercial activities, and the limited financial transaction, the Company has not declared any dividend for the year 2014-15.

Fixed Deposits

The Company has not accepted any fixed deposits from public during the year under review.

Reserves

As the Company is yet to commence its operational activities the Company has not transferred any amount to General Reserves.

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earning and Outgo

The provisions of conservation of energy, technology absorption are not applicable to the Company. During the year under review, there is no foreign exchange earnings there is an outgo of ₹71,00,000/- (approx) on account of travel.

Presidential Directive

No Presidential Directive was received during the year.

Integral Reports

"Management Discussion and Analysis Report" and "Corporate Governance Report" form an integral part of this Director's Report, which are placed at **Annexure-I & II.**



निदेशक रिपोर्ट का एक आंतरिक भाग है जो अनुलग्नक—I एवं II पर संलग्न है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल में नियंत्रक कंपनी, रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा नामित चार (4) अंशकालिक निदेशक है। वर्ष के दौरान निम्न निदेशक थेः

श्री एस.सी. अग्निहोत्री अध्यक्ष श्री मुकुल जैन निदेशक श्री अशोक कृ. गंजू निदेशक

श्री विजय आनंद निदेशक

बोर्ड बैठकों की संख्या

बिजनस संव्यवहार करने के लिए वर्ष के दौरान 30 मई, 2014, 7 जुलाई, 2014, 21 अक्टूबर, 2014 और 13 जनवरी, 2015 को बोर्ड की पांच (5) बैंठकें हुई

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत जैसा अपेक्षित किया गया है, कंपनी के निदेशक पुष्टि करते हैं कि:—

- वार्षिक लेखे तैयार करने में आर्थिक खर्चों से संबंधित उचित व्याख्याओं के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा इसमें कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है;
- ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान किए है जो व्यवहारिक एवं उचित है तथा वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की कार्यप्रणाली तथा उस अविध के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि विवरण की स्वच्छ तस्वीर पेश करते हैं।
- iii) कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्ति की रक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य प्रकार की अनियमिततओं का पता

- लगाने और उन्हें रोकने के लिए निदेशकों ने पर्याप्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण की ओर उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया है।
- iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किए हैं।
- प) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की है और ये प्रणालियां पर्याप्त थी और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी की वार्षिक रिटर्न का सार इस रिपोर्ट के साथ यहां अनुलग्नक—III के रूप में संलग्न है।

लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार ने वर्ष 2014—15 के लिए मैसर्स एएसएपी एंड एसोसिएट्स, चार्टड एकाउंटेंट्स को वैधानिक लेखाकार नियुक्त किया है, बोर्ड वैधानिक लेखाकारों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी भी इस रिपोर्ट का एक भाग होगी।

आभार

हम स्वामित्वधारक कंपनी रेविनिलि, रेल मंत्रालय तथा स्वामित्व धारक कंपनी के सभी सर्मचारियों का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं तथा आभार व्यक्त करते हैं, जिसके प्रयासों से कंपनी को आगे बढ़ने में मदद मिली।

बोर्ड निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता. / – **मुकुल जैन** निदेशक हस्ता./— अशोक कृ. गंजू निदेशक

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 10.08.2015



Board of Directors

The Board of Directors consists of four (4) part-time Director nominated by the Holding Company, Rail Vikas Nigam Limited.

The following Directors held office during the year:

| Sh. S. C .Agnihotri | Chairman |
|---------------------|----------|
| Sh. Mukul Jain | Director |
| Sh. Ashok K. Ganju | Director |
| Sh. Vijay Anand | Director |

Number of Board Meetings

The Board met five (5) times on 30th May, 2014, 7th July, 2014, 15th July, 2014, 21st October, 2014 and 13th January, 2015 during the year for transacting business.

Directors' Responsibility Statement

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, Directors confirm that-

- in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit of the company for that period;
- c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the

- company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.
- the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Extract of Annual return

Extract of the Annual Return of the Company is annexed herewith as **Annexure-III** to this report.

Auditors

The Comptroller & Auditor General of India appointed M/s ASAP & Associates, Chartered Accountants as Company's Statutory Auditors for the year 2014-15. The Board would like to place on record their sincere thanks for the valuable services rendered by Statutory Auditors.

Comments Comptroller & Auditor General of India

The Comptroller & Auditor General of India has undertaken supplementary audit on the accounts of the Company for the year ended 31st March, 2015 under Section 139 (5) of the Companies Act, 2013. The comments of the C & AG on the Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2015 shall also form part of this report.

Acknowledgements

We record our appreciation and thanks to the Ministry of Railways and Holding company, RVNL for their continued support to the Company, and also the employees of the Holding company for their efforts to take the company forward.

For and on behalf of Board of Directors



अनुलग्नक – 1

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण

सार

कंपनी को 25 जुलाई, 2012 को रेल मंत्रालय के अंतर्गत 'ए' श्रेणी के रूप में अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक कंपनी के रूप में अस्तित्व में आई।

उद्देश्य

भारत और विदशों में आधुनिक हाई स्पीड रेल प्रणालियां का निर्माण और परिचालन

दृष्टिकोण

शानदार वित्तीय आधार के साथ उच्च गति रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना डेवलेपर के रूप में उभरना और वैश्विक निर्माण, अनुरक्षण और परिचालनिक पद्धतियों में विशेषज्ञता समूह का निर्माण करना

उद्देश्य

- सामान्य और विशेषकर उच्च गित रेल में रेल अवसंरचना के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण और विशेषज्ञता विकसित कर परियोजना कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधनों को विकसित करना।
- परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा इन–हाउस ज्ञान आधार को विकसित और बेहतर करना।
- मौजूदा पिरसंपत्तियों की ईष्टतम उपयोगिता और उच्चतर गित क्षमता के लिए उन्हें अपग्रेड करने के लिए विशेषज्ञता और ज्ञान आधार को विकसित करना।
- > एक किफायती संगठनात्मक ढांचे को बनाए रखना।
- पिरयोजना विकास को शुरू करना और चुनी गई उच्च गति पिरयोजनाओं का कार्यान्वयन
- देश और विदेश में उच्च गित रेल संबंधी परियोजनाओं के निरंतर विकास और पर्यावरण हितैषी निर्माण के प्रति वचनबद्ध रेल अवसंरचना परियोजना प्रबंधन कंपनी
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार परियोजनाओं का कुशल और समय पर निष्पादन सुनिश्चित करना।
- परियोजना कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाना।
- रेल संबंधी परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रोत्साहित करना।

वित्तीय निष्पादन

चूंकि कंपनी को अभी वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करनी है, अतः कंपनी ने वर्ष के दौरान परिचालनिक टर्नओवर रिकार्ड नहीं किया है। बहरहाल, कंपनी को निवेश की गई राशि पर 13,33,004 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए।

शक्तियां

 संगठन परियोजना विकास के सभी चरणों को करने में विशेषज्ञता विकसित कर रहा है – अवधारणा से यातायात के लिए खोलने तक – व्यवहार्यता/अर्थक्षमता अध्ययन, डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट), परियोजना विशेष एसपीवी के वित्तपोषण / ढांचा तय करना, ईपीसी ठेकेदारों की निविदा जारी करना, परियोजना पर्यवेक्षण, यातायात के लिए खोलने तक आदि शामिल है।

- एचएसआरसी विभिन्न उच्च गित रेल गिलयारों के स्वर्णिम चतुभुर्ज के व्यवहार्यता अध्ययनों में शामिल अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों वाली बहु अध्ययन टीमों के साथ कार्य कर रहा है।
- एचएसआरसी उच्च गित रेल अवसंरचना पिरयोजनाओं के कार्यान्वयन और वित्तपोषण के लिए सार्वजिनक निजी भागीदारी मॉडल विकसित कर सकता है।
- एचएसआारसी एडीबी पद्धितयों के अनुपालन और भूमि अधिग्रहण से हटाए गए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास और सामाजिक—आर्थिक संरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने के संबंध में परियोजना लागू करने के लिए अपेक्षित कौशल और अनुभव वाली अंतरराष्ट्रीय टीमों के साथ कार्य कर रही है और कार्य करना सीख रही है।
- इसके पास एक शानदार और मजबूत वित्तीय प्रबंधन है जो प्रभावी निगरानी और व्यय पर निगरानी करने देता है।

कमजोरियां

- एचएसआरसी के पास एक बहुत छोटी टीम है और श्रमशक्ति के लिए मूल संगठन पर रहना होता है।
- एचएसआर अधिकारियों और कर्मचारियों यहां तक कि भारतीय रेल के लिए भी एक नया विषय है। बाजार में प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता होती है जो समय खाने वाली प्रक्रिया है।
- एचएसआरसी को उच्च गित रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए शिक्तयां नहीं दी गई है।
- एचएसआर परियोजनाएं उच्च पूंजी निवेश वाली है और लंबी सगर्भता अविध होती हैअ और निजी इक्विटी द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। इससे, इस प्रकार की परियोजनाएं संख्या में कुछ ही होंगी और मुख्यतः जनता के धन से वित्तपोषित किया जाएगा।

अवसर

- उच्च गति रेल परियोजना एक नया क्षेत्र है और एचएसआरसी की स्थिति अद्वितीय है।
- एचएसआर परियोजनाएं भारत सरकार के लिए प्राथिमकता परियोजनाएं हैं।
- मुंबई—अहमदाबाद कॉरिडोर का व्यवहार्यता अध्ययन लगभग पूरा होने वाला है और परियोजना को छोटे समय के नोटिस पर शुरू किया जा सकता है।
- डायमंड चतुभूर्ज के छः और कॉरिडोरों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन



Annexure - "I"

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

An Overview

The company was incorporated on 25th July, 2012 as a Wholly owned Subsidiary (WoS) of Rail Vikas Nigam Limited, a schedule 'A' CPSE under Ministry of Railways.

Mission

Creation and operation of state-of-the-art High Speed Rail Systems in India and Abroad.

Vision

To emerge as project developer for implementation of high speed rail projects with a sound financial base and to build a pool of expertise in global construction, maintenance and operational practices.

Objectives

- To develop human resources for project implementation by skill development training and developing expertise for specific areas of rail infrastructure in general and high speed rail in particular.
- > To develop and improve existing knowledge base in-house to provide consulting services.
- > To develop expertise and a knowledge base for optimum utilization of existing assets and up-grading them for higher speed potential.
- > To maintain a cost effective organizational set up.
- To undertake the project development and implementation of identified High Speed projects.
- To be a rail infrastructure Project Management Company committed to sustainable development and environment friendly construction of high speed rail related projects in the country and abroad.
- To ensure efficient and timely execution of projects as per International norms.
- > To mobilize financial resources for project implementation.
- > To encourage public private participation in rail related projects.

Financial Performance

The company has not recorded any operating turnover during the year, as the Company is yet to start its commercial activities. The Company, however, earned an interest on deposits amounting to ₹13,33,004/-

Strengths

The organization is developing expertise in undertaking all stages
of project development - from concept to commissioning including feasibility/bankability studies, DPR (Detailed Project
Report), financing/structuring of project specific SPVs, tendering
for EPC contractors, project supervision, commissioning etc.

- HSRC is working with multiple study teams consisting of international experts involved in conducting Feasibility studies of various High Speed Rail corridors of Diamond Quadrilateral.
- HSRC can develop Private Public Partnership (PPP) models for implementation and financing of High Speed Rail infrastructure projects
- HSRC is working and learning with international teams having the
 requisite skills and experience to implement projects following ADB
 procedures and ensuring Resettlement and Rehabilitation of
 Project Affected Persons displaced by land acquisition and
 implementing socio-economic safeguards.
- It has a sound and robust financial management system, which allows for effective monitoring and control of expenditure.

Weaknesses

- HSRC has a very small team and has to depend on the parent organization for manpower.
- HSR is a new subject for officers and staff of even Indian Railways.
 Trained People are not available in the market. Officers/staff deployed need to be trained on the job which is a time consuming process.
- HSRC has not been empowered to take decisions on all issues relevant to implementation of the High Speed rail projects.
- HSR projects are highly capital intensive and have long gestation period and are not favoured by private equity. Thus, such projects will be few in number and predominantly funded by public money.

Opportunities

- High speed rail project is a niche area and position of HSRC is unique.
- HSR projects are priority projects for the Government of India.
- Feasibility study of Mumbai-Ahmedabad corridor is nearing completion and project can be taken up for execution at a short notice.
- Feasibility studies for six more corridors of Diamond Quadrilateral have been taken up and expected to be completed by December 2016.
- HSRC has recently been entrusted with the work of conducting feasibility studies for six corridors of Diamond Quadrilateral of High Speed Rail network.
- HSRC has been working as Project Integrator for up-gradation of

शुरू हो गया है और दिसंबर, 2016 तक पूरा होने की आशा है।

- एचएसआरसी को हाल ही में हाई स्पीड रेल नेटवर्क के डायमंड चतुभुर्ज के छः कॉरिडोरों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने का कार्य हाल ही में सौंपा गया है।
- एचएसआरसी ने चुने गए मौजूदा रेल खंडों को 160 किमीप्रघं के उन्नयन के लिए प्रोजेक्ट इंटीग्रेटर के रूप में कार्य कर रहा है।
- कोलकाता मेट्रो के लिए पिरयोजनाओं का कार्यान्वयन। यह एचएसआरसी को पूरे देश में नए शहरों में मेट्रो
- प्रोजेक्टों के कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञता विकसित करने के लिए अवसर देगा।

खतरें

- रेल मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं को अभी भी स्वीकृत किया जाना है।
- पिरयोजनाओं की सुपुर्दगी में अपेक्षित अनुभव वाली तकनीकी श्रमशक्ति की कमी एक प्रमुख बाध्यता होगी।
- निधियों की उपलब्धता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियों के स्रोतों पर अति—निर्भरता किसी भी समय एक वित्तीय संकट खड़ा कर सकती है जो कंपनी के लिए दीर्घकाल में अहितकर सिद्ध होता है।

- भूमि अधिग्रहण मुद्दे को शीघ्रता से हल किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि परियोजनों की प्रगति में रूकावट न हो।
- परियोजना निष्पादन के लिए क्लीयरेंस में देरियां, जैसे वन संबंधी क्लीयरेंस, पेड़ काटने की अनुमित, सुविधाओं के अंतरण के लिए विभिन्न विभागों का अनुमोदन आदि।
- परियोजना सुपुर्दगी में देरी से एचएसआरसी की छवि पर विपरीत प्रभाव पड सकता है।

जोखिम एवं चुनौतियां

उच्च गति रेल परियोजनाओं में भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा विशिष्ट नीति—निर्देश जारी करने पर निर्भर करेगा।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

परिचालनिक गतिविधियां प्रारंभ करने के बाद ही कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाएगी।

मानव संसाधन

कंपनी के रोल पर कोई कर्मचारी नहीं है। वर्तमान में कंपनी की सभी गतिविधियां अतिरिक्त दायित्वों/कर्तव्यों और कंपनी द्वारा किए जा रहे उनके आंशिक वेतन के आधार पर आरवीएनल के कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।



identified existing rail sections to 160 kmph.

 Implementation of projects for Kolkata Metro. This will give HSRC an opportunity to develop expertise for implementation of metro projects in new cities across the country.

Threats

- Projects are yet to be sanctioned by the Ministry of Railways.
- The shortage of technical manpower with required experience will be a major constraint in the delivery of projects.
- Availability of funds is a critical requirement for implementation of projects.
- This over-dependence for sourcing of funds for implementation of projects may create a financial crisis at any time which may prove detrimental in the long term for the company.
- Land acquisition issues require to be resolved expeditiously so that the progress of projects is not hampered.
- Delays in clearances for project execution, such as forest

- clearance, tree cutting permission, approvals of various departments for diversion of utilities etc.
- Delays in project delivery may have an adverse impact on the image of HSRC.

Risks and Concerns

High Speed Rail projects are highly capital intensive. The implementation of these projects will depend on specific policy directives of the Government of India.

Internal Control Systems

The internal control system of the Company will be established with the taking up of operational activities.

Human Resources

The Company has no personnel on its rolls. At present, all activities of the Company are being managed by personnel of RVNL as additional responsibilities/duties and based on utilization their part salary is paid by the Company.

अनुलग्नक - 2

कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1 कारपोरेट गवर्नें स पर कंपनी का दर्शन

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा मई, 2010 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा—निदेशों में यथा उल्लिखित कॉरपोरे गवर्नेंस के सिद्वांतों तथा उपायों को लागू करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

2 स्थापना

पांच करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी तथा ₹10,74,110 की प्रदत्त शेयर पूंजी के साथ इस कंपनी की स्थापना 25 जुलाई, 2012 की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में हुई। इस कंपनी की समस्त प्रदत्त शेयर पूंजी स्वामित्वधारक कंपनी रेविनिल के पास है।

3 निदेशक मंडल

कंपनी के बोर्ड में चार निदेशक शामिल है जिनके नाम श्री एस.सी. अग्निहोत्री, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेविनिलि, श्री मुकुल जैन, निदेशक (परिचालन), रेविनिलि, श्री अशोक कृ. गंजू, निदेशक (वित्त), रेविनिलि तथा श्री विजय आनंद, निदेशक (परियोजना), रेविनिलि है।

बोर्ड निदेशकों के नाम एवं उनकी कोटि, अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक पद तथा समिति अध्यक्ष / सदस्य पद का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| क्र.सं. | नाम | निदेशक की कोटि पूर्णकालिक/अंशकालिक | अन्य निदेशकों की संख्या एचएसआरसी को छोड़कर | समितियों में सदस्यता** | |
|---------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------|
| | | पूर्णकालक/ अराकालिक | पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक/अध्यक्ष पदों की संख्या* | अध्यक्ष के रूप में | सदस्य के रूप में |
| 1. | श्री एस.सी. अग्निहोत्री | अंशकालिक अध्यक्ष | 1 | | |
| 2. | श्री मुकुल जैन | अंशकालिक निदेशक | 1 | | 1 |
| 3. | श्री अशोक कृ. गंजू | अंशकालिक निदेशक | 1 | | |
| 4. | श्री विजय आनंद | अंशकालिक निदेशक | 1 | | |

- * इसमें निजी कंपनियों, धारा 8 की कंपनियों और विदेशी कंपनियों में निदेशक पद शामिल नहीं है।
- * इसमें लेखा परीक्षा समिति तथा शेयरधारक / शिकायत समिति के अलावा बोर्ड की समितियों के अध्यक्ष / सदस्य पद शामिल नहीं।

3.1 बोर्ड की बैठकों की तारीख एवं संख्या तथा बोर्ड की बैठकों तथा वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति

कंपनी की परिचालनिक गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए निदेशक मंडल ने 5 बैठकें आयोजित की।

| क्र.सं. | नाम एवं पद | वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकें 8वीं बोर्ड बैठक — 30.05.2014 9वीं बोर्ड बैठक — 07.07.2014 10वीं बोर्ड बैठक — 15.07.2014 11वीं बोर्ड बैठक — 21.10.2014 12वीं बोर्ड बैठक — 13.01.2015 | | वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति |
|---------|-------------------------|--|----------|---------------------------------|
| | | कार्यकाल के दौरान आयोजित | उपस्थिति | |
| 1. | श्री एस.सी. अग्निहोत्री | 5 | 5 | हां |
| 2. | श्री मुकुल जैन | 5 | 5 | हां |
| 3. | श्री अशोक कृ. गंजू | 5 | 5 | हां |
| 4. | श्री विजय आनंद | 5 | 5 | हां |



Annexure - "II"

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's Philosophy on Corporate Governance

Initiatives are being taken to implement Corporate Governance principles and measures as contained in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises May 2010 issued by the Department of Public Enterprises.

2. Incorporation

The Company was incorporated on 25th July, 2012 as a Wholly owned Subsidiary of RVNL Ltd. with an Authorized Share Capital of ₹5 crore and paid up share capital of ₹10,74,110. The Holding Company, RVNL, holds the entire paid-up share capital of the Company.

3. Board of Directors

The Board of the Company comprises of four directors namely Shri S. C. Agnihotri, Chairman and Managing Director, RVNL, Shri Mukul Jain, Director (Operations), RVNL, Shri Ashok K. Ganju, Director (Finance), RVNL and Shri Vijay Anand, Director (Projects), RVNL.

The names and categories of Directors on the Board, number of Directorships and Committee Chairmanship/ Membership held by them in other companies are as under:

| S. No. | Name and | Category of Directors | No. of Directorships/ | No. of Committee Membership** | | |
|--------|-----------------|------------------------|---|-------------------------------|-----------|--|
| | Designation | Whole Time / Part Time | Chairmanships held in public limited companies excluding HSRC* | As Chairman | As Member | |
| 1. | S. C .Agnihotri | Part Time Chairman | 1 | - | - | |
| 2. | Mukul Jain | Part Time Director | 1 | - | 1 | |
| 3. | Ashok K. Ganju | Part Time Director | 1 | - | - | |
| 4. | Vijay Anand | Part Time Director | 1 | - | - | |

^{*} Does not include Directorship in Private Companies, Section 8 Companies and Foreign Companies.

3.1 Board Meetings with date and attendance at the Board meetings and Annual General Meeting.

The Board of Directors met 5 times during the year to discuss the operational activities of the Company.

| S. No. | Name and Designation | 9th Board Meeting - 07.07. 10th Board Meeting - 15.07 11th Board Meeting - 21.10 | 8th Board meeting - 30.05.2014 9th Board Meeting - 07.07.2014 10th Board Meeting - 15.07.2014 11th Board Meeting - 21.10.2014 12th Board Meeting - 13.01.2015 | |
|--------|----------------------|--|---|-----|
| 1. | Sh. S. C .Agnihotri | 5 | 5 | Yes |
| 2. | Sh. Mukul Jain | 5 | 5 | Yes |
| 3. | Sh. Ashok K. Ganju | 5 | 5 | Yes |
| 4. | Sh. Vijay Anand | 5 | 5 | Yes |

^{**} Does not include Chairmanship / Membership in the Board of Committees other than the Audit Committee and Shareholders'/Grievance Committees.



4. निदेशकों का वेतन

अंशकालिक निदेशकों को कोई सिटिंग शुल्क नहीं दिया जाता है।

5. आचार संहिता

कंपनी के सभी निदेशक स्वामित्वधारक कंपनी, रेविनिलि के पूर्णकालिक निदेशक है। वे रेविनिलि द्वारा बनाई गई आचार संहिता का अनुपालन कर रहे हैं।

6. निदेशक मंडल की समितियां

जब कभी भी आवश्यक होगा, लेखा परीक्षा समिति, वेतन समिति का गठन किया जाएगा।

7. वार्षिक आम बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी अपनी तीसरी आम सभा का आयोजन करेगी।

8. संचार के साधन

कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का ब्यौरा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है, जिसमें लेखा परीक्षित लेखे, वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, सभी सदस्यों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को परिपत्रित की जा रही कारपोरेट गवर्नैस पर रिपोर्ट का भी उल्लेख है।



4. Remuneration of Directors

No sitting fee is paid to the part – time Directors.

5. Code of Conduct

All Directors of the company are whole-time Directors of the holding company, RVNL. They have been following the Code of Conduct laid down by RVNL.

6. Committees of the Board of Directors

Audit committee, Remuneration committee etc will be constituted as and when the need arises.

7. Annual General Meeting

The Company will hold its third Annual General meeting in accordance with the provisions of section 96 of the Companies Act, 2013.

8. Means of Communication

All important information pertaining to the Company has been mentioned in the Annual Report of the Company containing inter-alia Audited Financial Statement, Directors' Report, Report on Corporate Governance which is being circulated to the members and others entitled thereto.



अनुलग्नक - 3

| फार्म नं. एमजीटी 9 |
|---|
| वार्षिक विवरणी का सार |
| 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
| कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुपालन में |

I पंजीकरण और अन्य विवरणः

| i | सीआईएन | U45204DL2012G0I239289 | | |
|-----|--|---|--|--|
| ii | पंजीकरण की तारीख | 24.01.2003 | | |
| iii | कंपनी का नाम | हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | | |
| iv | कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी | सरकारी कंपनी | | |
| ٧ | पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण | कमरा नंबर 260, प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, | | |
| | | भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली—110066 | | |
| vi | क्या कंपनी सूचीबद्ध है | असूचीबद्ध | | |
| vii | रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हों, का नाम, | लागू नहीं | | |
| | पता और संपर्क विवरण | | | |

ll कंपनी के मुख्य व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप कंपनी के कुल टर्नओवर में 10 प्रतिशत या अधिक का अंशदान करने वाले सभी व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप

| क्र. | मुख्य उत्पादों / सेवाओं के नाम और विवरण | उत्पाद/सेवा का | कंपनी के कुल टर्नओवर का |
|------|---|----------------|-------------------------|
| स. | | एनआईसी कोड | प्रतिशत |
| 1 | भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हाई स्पीड रेल प्रणाली और अन्य रेल आधारित यातायात से संबंधित सभी व्यापार में प्रवेश हेतु | 501 | 100% |

III धारिता, सहायक कंपनी और सहयोगी कंपनियों के विवरण

| क्र. | कंपनी का नाम और पता | सीआईएन / जीएलएन | धारिता / सहायक कंपनी / सहयोगी कंपनी | धारित शेयर (प्रदत्त पूंजी का) का %) | लागू धारा |
|------|------------------------|-----------------------|---|---|-----------|
| 1 | रेल विकास निगम लिमिटेड | U74999DL2003G0I118633 | धारिता कंपनी | 100% | 2(46) |



ANNEXURE - III

| FORM NO. MGT 9 |
|---|
| EXTRACT OF ANNUAL RETURN |
| as on financial year ended on 31.03.2015 |
| Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014. |

I REGISTRATION & OTHER DETAILS:

| i | CIN | U45204DL2012G0I239289 | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|
| ii | Registration Date | 24.01.2003 | | | | |
| iii | Name of the Company | HIGH SPEED RAIL CORPORATION OF INDIA LIMITED | | | | |
| iv | Category/Sub-category of the Company | GOVERNMENT COMPANY | | | | |
| ٧ | Address of the Registered office & contact details | Room No.260,1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi-110066. | | | | |
| vi | Whether listed company | Unlisted | | | | |
| vii | Name , Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any. | N.A. | | | | |

II PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated

| SL No. | Name & Description of main products/services | NIC Code of the Product /service | % to total turnover of the company |
|-----------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | To enter into & carry on all Business related to High | 501 | 100% |
| | speed Rail systems & other rail based traffic as | | |
| | approved by Government of India | | |

III PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated

| S. No | Name & Address of the Company | CIN/GLN | HOLDING/ Subsidiary/ Associate | % OF SHARES HELD | APPLICABLE SECTION |
|----------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | RAIL VIKAS NIGAM LIMITED | U74999DL2003G0I118633 | HOLDING COMPANY | 100% | 2(46) |



IV शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

(i)

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के | प्रारंभ में धारित | शेयरों की र | नंख्य <u>ा</u> | | वर्ष के अंत में | धारित शेयरों की | ो संख्या | वर्ष के दौरान % बदलाव | Ŧ |
|--|---------|-------------------|-------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---|
| | डीमैट | वास्तविक | जोड़ | कुल शेयरों का % | डीमैट | वास्तविक | जोड़ | कुल शेयरों का % | | |
| क. प्रमोटर | | | | | | | | | | |
| (1) भारतीय | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| क) एकल / एचयूएफ | | | | | | | | | | |
| ख) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार | | | | | | | | | | |
| ग) कार्पोरेट निकाय | | 50,000 | | 100 | | 107,411 | | 100 | 114 | |
| घ) बैंक / एफआई | | | | | | | | | | |
| ड.) कोई अन्य | | | | | | | | | | |
| उप जोड़ः (क) (1) | | | | | | | | | | |
| (2) विदेशी | | | | | | | | | | |
| क) एनआरआई–एकल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ख) अन्य एकल व्यक्ति | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ग) कॉपोरेट निकाय | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | _ |
| घ) बैंक / एफआई | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ड.) कोई अन्य | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| उप जोड़ (क)(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क)= (क)(1)+(क)(2) | | 50,000.00 | - | 100.00 | - | 107,411.00 | - | 100.00 | | |
| ख. सार्वजनिक शेयरधारिता | | | | | | | | | | |
| (1) संस्थान | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| क) म्यूचुअल फंड | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ख) बैंक / एफआई | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ग) केन्द्र सरकार | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| घ) राज्य सरकार | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ड.) उपक्रम पूंजी निधि | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| च) बीमा कंपनिया | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| छ) एफआईआईएस | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधि | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| झ) अन्य (उल्लेख करें) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ਰਧ जोड़ (ख) (1): | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (2) गैर–संस्थान | | | | | | | | | | |
| क) कार्पोरेट निकाय | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| i) भारतीय | T | 0 | | | | | | | | |
| ii) विदेशी | | 0 | | | | | | | | |
| ख) एकल | | 0 | | | | | | | | |
| i) 1 लाख रु. तक की नाममात्र की शेयर पूंजी रखने वाले एकल शेयरधारक | | 0 | | | | | | | | |
| ii) 1 लाख रु. से अधिक की नाममात्र की शेयर पूंजी रखने वाले एकल शेयरधारक | | 0 | | | | | | | | |
| ब) अन्य (उल्लेख करें) | | 0 | | | | | | | | |
| उप जोड़ (ख) (2): | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख)(1)+(ख)(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ग. जीडीआर व एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारति शेयर | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| कुल योग (क+ख+ग) | | 50,000.00 | - | 100.00 | - | 107,411.00 | - | 100.00 | 114 | |



IV SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share capital Break up as % to total Equity) (i) Category-wise shareholding

| Category of Shareholders | No. of | Shares held at t | the beginning | of the year | | | | % change d the yea | | |
|---|--------|------------------|---------------|----------------------|-------|------------|-------|-----------------------|-----|--|
| | Demat | Physical | Total | % of Total Shares | Demat | Physical | Total | % of Total Shares | | |
| A. Promoters | | | | | | | | | | |
| (1) Indian | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| a) Individual/HUF | | | | | | | | | | |
| b) Central Govt.or State Govt. | | | | | | | | | | |
| c) Bodies Corporates | | 50,000 | | 100 | | 107,411 | | 100 | 114 | |
| d) Bank/Fl | | | | | | | | | | |
| e) Any other | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL:(A) (1) | | | | | | | | | | |
| (2) Foreign | | | | | | | | | | |
| a) NRI- Individuals | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| b) Other Individuals | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| c) Bodies Corp. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| d) Banks/Fl | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| e) Any other | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SUB TOTAL (A) (2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total Shareholding of Promoter (A) = (A)(1) + (A)(2) | | 50,000.00 | - | 100.00 | - | 107,411.00 | - | 100.00 | | |
| B. PUBLIC SHAREHOLDING | | | | | | | | | | |
| (1) Institutions | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| a) Mutual Funds | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| b) Banks/Fl | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| C) Cenntral govt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| d) State Govt. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| e) Venture Capital Fund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| f) Insurance Companies | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| g) FIIS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| h) Foreign Venture Capital Funds | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| i) Others (specify) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SUB TOTAL (B)(1): | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (2) Non Institutions | | | | | | | | | | |
| a) Bodies corporates | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| i) Indian | | 0 | | | | | | | | |
| ii) Overseas | | 0 | | | | | | | | |
| b) Individuals | | 0 | | | | | | | | |
| i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs.1 lakhs | | 0 | | | | | | | | |
| ii) Individuals shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakhs | | 0 | | | | | | | | |
| c) Others (specify) | | 0 | | | | | | | | |
| SUB TOTAL (B)(2): | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Grand Total (A+B+C) | | 50,000.00 | - | 100.00 | _ | 107,411.00 | | 100.00 | 114 | |



(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

| क्र. सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के प्रारंभ में शेयरघारिता (01.04.2014 को) | | | वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2015 को) | | | वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत बदलाव |
|-------------|---------------------------|---|--------------------------------------|--|--|-----|---|--|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों से बंधक ऋणभारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत | शेयरों कंपनी के कुल कुल शेयरों से की संख्या शेयरों का बंधक ऋणभार— प्रतिशत ग्रस्तशेयरों का प्रतिशत | | | |
| 1 | रेल विकास निगल लिमिटेड | 50000 | 100 | 0 | 107411 | 100 | 0 | 114 |
| | जोड़ | 50000 | 100 | 0 | 107411 | 100 | 0 | 114 |

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में बदलाव (अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है तो बताएं)

| क्र. | | वर्ष के प्रारंभ | में शेयरधारिता | वर्ष (2014-15) | के दौरान | |
|------|--|-----------------|----------------|------------------|--------------|--|
| सं. | | (01.04.2 | 2014 को) | संचयी शेयरधारिता | | |
| | | शेयरों | कंपनी के कुल | शेयरों | कंपनी के कुल | |
| | | की संख्या | शेयरों का | की संख्या | शेयरों का | |
| | | | प्रतिशत | | प्रतिशत | |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में (01.04.2014 को) | 50000 | 100 | 107411 | 100 | |
| 2 | वृद्धि कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ हस्तांतरण/बोनस/स्वेद इक्विटी आदि) को स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि—वार वृद्धि/कमी | 57411 | 100 | 0 | 0 | |
| 3 | वर्ष के अंत में (31.03.2015 को) | 107411 | 0 | 107411 | 100 | |

(iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर व एडीआर धारकों के अलावा)

| क्र. सं. | | | में शेयरधारिता 2015 को) | वर्ष (2014–15) के दौरान संचयी शेयरधारिता | | |
|-------------|--|---|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | शीर्ष 10 शेयरघारकों में से प्रत्येक के लिए | शेयरों कंपनी के कुल की संख्या शेयरों का प्रतिशत | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में (01.04.2014 को) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | वृद्धि कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ हस्तांतरण/बोनस/स्वेद इक्विटी आदि) को स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि—वार वृद्धि/कमी | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को, अगर वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं तो) | 0 | 0 | 0 | 0 | |



(ii) SHARE HOLDING OF PROMOTERS

| S. No. | Shareholders Name | Shareholding at the beggining of the year(As on 01.04.2014) | | | Shareholding at the end of the year(As on 31.03.2015) | | | % change in share holding during the year |
|-----------|-----------------------------|--|--|--|---|-----|---|---|
| | | No. of shares | % of total shares of the company | % of shares pledged encumbered to total shares | No. of shares % of total shares of the company company encumbered to total shares | | | |
| 1 | RAIL VIKAS NIGAM LIMITED | 50000 | 100 | 0 | 107411 | 100 | 0 | 1 |
| | Total | 50000 | 100 | 0 | 107411 | 100 | 0 | 114 |

(iii) CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING (SPECIFY IF THERE IS NO CHANGE)

| S. No. | | | beginning of the Year 1.04.2014) | Cumulative Share holding during the year (2014-15) | | |
|-----------|--|---------------|--|--|--|--|
| | | No. of Shares | % of total shares of the company | No of shares | % of total shares of the company | |
| 1 | At the beginning of the year (As on 01.04.2014) | 50000 | 100 | 107411 | 100 | |
| 2 | Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase due to allotment | 57411 | 100 | 0 | 0 | |
| 3 | At the end of the year (As on 31.03.2015) | 107411 | 0 | 107411 | 100 | |

(IV) SHAREHOLDING PATTERN OF TOP TEN SHAREHOLDERS (OTHER THAN DIRECORS, PROMOTERS & HOLDERS OF GDRS & ADRS)

| S. No. | | _ | the end of the year 1.03.2015) | Cumulative Share holding during the year (2014-15) | | | |
|-----------|---|---------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| | For Each of of the Top 10 Shareholders | No. of Shares | % of total shares of the company | No of shares | % of total shares of the company | | |
| 1 | At the beginning of the year (As on 01.04.2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/sweat equity etc) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | At the end of the year (As on 31.03.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



(v) निदेशकों और केएमपी की शेयरधारिता

| क्र. सं. | | वर्ष के अंत | में शेयरधारिता | वर्ष (2014—15) के दौरान संचयी शेयरधारिता | | |
|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---|--------------|--|
| ₹1. | | | | सचया शयर | | |
| | प्रत्येक निदेशक | शेयरों | कंपनी के कुल | शेयरों | कंपनी के कुल | |
| | और केएमपी के लिए | की संख्या | शेयरों का | की संख्या | शेयरों का | |
| | | | प्रतिशत | | प्रतिशत | |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में (01.04.2014 को) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | वृद्धि कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | हस्तांतरण / बोनस / स्वेद इक्विटी | | | | | |
| | आदि) को स्पष्ट करते हुए वर्ष के | | | | | |
| | दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में | | | | | |
| | तिथि–वार वृद्धि / कमी | | | | | |
| 3 | वर्ष के अंत में (31.03.2015 को) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

V ऋणभार

| बकाया ब्याज/उपचित मगर भुगतान | के लिए देय नहीं सहित व | | | |
|---|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| | जमाराशियों, जमानती ऋण को छोड़कर | गैर—जमानती ऋण | जमा राशियां | कुल ऋणभार |
| वित्तीय वर्ष के प्रारंभ (01.04.2014 को) में ऋणभार | | | | |
| i) मूल राशि | 0 | - | - | - |
| ii)ब्याज, जो देय है मगर अदा नहीं किया गया है | 0 | | - | |
| iii)उपचित ब्याज, मगर देय नहीं है | 0 | - | - | - |
| | 0 | | | |
| जोड (i+ii+iii) | 0 | - | - | - |
| | 0 | | | |
| वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन | | | | |
| वृद्धि | 0 | - | - | - |
| कमी | 0 | - | - | - |
| शुद्ध परिवर्तन | 0 | - | - | - |
| वित्तीय वर्ष के अंत (31.03.2015 को) में ऋणभार) | | | | |
| i) मूल राशि | 0 | - | - | - |
| ii) ब्याज, जो देय है मगर अदा नहीं किया गया है | 0 | - | - | - |
| iii) उपचित ब्याज, मगर देय नहीं है | 0 | - | - | - |
| जोड (i+ii+iii) | 0 | - | - | - |



(V) SHAREHOLDING OF DIRECTORS & KMP

| S. No. | | Shareholding at the end of the year No. of Shares % of total shares of the company | | Cumulative Share holding during the year | | | |
|-----------|---|---|---|--|----------------------------------|--|--|
| | For Each of the Directors & KMP | | | No of shares | % of total shares of the company | | |
| 1 | At the beginning of the year (As on 01.04.2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/sweat equity etc) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | At the end of the year (As on 31.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

V INDEBTEDNESS

| Indebtedness of the Company including | ng interest outstanding/accru | ed but not due for payment | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|----------|--------------------|
| | Secured Loans excluding deposits | Unsecured Loans | Deposits | Total Indebtedness |
| Indebtness at the beginning of the financial year (As on 01.04.2014) | | | | |
| i) Principal Amount | 0 | - | - | - |
| ii) Interest due but not paid | 0 | | - | |
| iii) Interest accrued but not due | 0 | - | - | - |
| | 0 | | | |
| Total (i+ii+iii) | 0 | - | - | - |
| | 0 | | | |
| Change in Indebtedness during the financial year | | | | |
| Additions | 0 | - | - | - |
| Reduction | 0 | - | - | - |
| Net Change | 0 | - | - | - |
| Indebtedness at the end of the financial year(As on 31.03.2015) | | | | |
| i) Principal Amount | 0 | - | | - |
| ii) Interest due but not paid | 0 | - | - | - |
| iii) Interest accrued but not due | 0 | - | - | - |
| Total (i+ii+iii) | 0 | - | - | - |



VI निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक A. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | एमडी / डब्ल्यूटीडी / प्रबंधक का नाम |
|-------------|--|-------------------------------------|
| 1 | सकल वेतन | |
| | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन | - |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) की शर्तों के तहत वैल्यु | - |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ | - |
| 2 | स्टॉक विकल्प | - |
| 3 | स्वेद इक्विटी | - |
| 4 | कमीशन लाभ के % के रूप में अन्य (उल्लेख करें) | - |
| 5 | अन्य, कृपया उल्लेख करें | - |
| | जोड़ (क) | - |

B. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिकः

| क्र.स. | पारिश्रमिक का विवरण | निदेशको | ं के नाम |
|--------|---|---------|----------|
| 1 | स्वतंत्र निदेशक | | |
| | (क) बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए फीस | 0 | 0 |
| | (ख) कमीशन | 0 | 0 |
| | (ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें | 0 | 0 |
| | कुल (1) | 0 | 0 |
| 2 | अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक | 0 | 0 |
| | (क) बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए फीस | 0 | 0 |
| | (ख) कमीशन | 0 | 0 |
| | (ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें | 0 | 0 |
| | जोड़ (2) | 0 | 0 |
| | जोड़ (B)=(1+2) | 0 | 0 |
| | कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक | 0 | 0 |



VI REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:

| SI. No | Particulars of Remuneration | Name of the MD/WTD/Manager |
|-----------|--|----------------------------|
| 1 | Gross salary | |
| | (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax. 1961. | - |
| | (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961 | - |
| | (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961 | - |
| 2 | Stock option | - |
| 3 | Sweat Equity | - |
| 4 | Commission as % of profit others (specify) | - |
| 5 | Others, please specify | - |
| | Total (A) | - |

B. Remuneration to other directors:

| SI.No | Particulars of Remuneration | Name of | the Directors |
|-------|---|---------|---------------|
| 1 | Independent Directors | | |
| | (a) Fee for attending board committee meetings | 0 | 0 |
| | (b) Commission | 0 | 0 |
| | (c) Others, please specify | 0 | 0 |
| | Total (1) | 0 | 0 |
| 2 | Other Non Executive Directors | 0 | 0 |
| | (a) Fee for attending board committee meetings" | 0 | 0 |
| | (b) Commission | 0 | 0 |
| | (c) Others, please specify. | 0 | 0 |
| | Total (2) | 0 | 0 |
| | Total (B) = (1+2) | 0 | 0 |
| | Total Managerial Remuneration | 0 | 0 |



C. एमडी / प्रंबधक / डब्ल्यूटीडी से इतर प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी | | | | | |
|----------|---|--------------------------|------------|-------|-----|--|--|
| 1 | सकल वेतन | सीईओ | कंपनी सचिव | सीएफओ | कुल | | |
| | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) की शर्तों के तहत वैल्यु | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | स्टॉक विकल्प | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | स्वेद इक्विटी | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | कमीशन | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | लाभ के % के रूप में | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | अन्य, कृपया उल्लेख करें | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | जोड़ | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | कुल | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

VII जुर्माना / दंड / अपराध का योग

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | जुर्माना/दंड/ लगाए गए कुल शुल्क का ब्यौरा | प्राधिकारी (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय) | की गई अपील, यदि कोई हों (ब्यौरा दें) |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|---|---|---|
| क. कंपनी | | | | | |
| जुर्माना | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| दंड | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| योग | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| ख. निदेशक | | | • | | |
| जुर्माना | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| दंड | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | <u> </u> | कुछ नहीं |
| योग | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | <u> </u> | कुछ नहीं |
| | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | <u> </u> | कुछ नहीं |
| ग. अन्य चूककर्ता अधिव | कारी | | | | |
| जुर्माना | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| दंड | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| योग | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |



C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

| SI. No. | Particulars of Remuneration | | Key Managerial Personnel | | |
|---------|--|-----|--------------------------|-----|-------|
| 1 | Gross Salary | CEO | Company Secretary | CF0 | Total |
| | (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stock Option | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sweat Equity | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Commission | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | as % of profit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | others, specify | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Others, please specify | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII PENALTIES/PUNISHMENT/COMPPOUNDING OF OFFENCES

| Туре | Section of the Companies Act | Brief Description | Details of Penalty/ Punishment/Compounding fees imposed | Authority (RD/NCLT/Court) | Appeal made if any (give details) |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|
| A. COMPANY | | | | | |
| Penalty | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Punishment | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Compounding | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| B. DIRECTORS | | | | | |
| Penalty | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Punishment | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Compounding | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| C. OTHER OFFICERS | IN DEFAULT | | | | |
| Penalty | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Punishment | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Compounding | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |



भारतीय हाई स्पीड रेल निगम लिमिटेड

31.03.2015 को तुलन पत्र

राशि ₹ में

| | विवरण | टिप्पणी सं. | को ३ | शाश र म आंकड़े |
|-----|---|-------------|-------------|--------------------------|
| | 177() | 10 1 II U. | 31.03.2015 | 31.03.2014 |
| I. | इक्विटी और दायिताएं | | | |
| 1 | शेयरधारकों की निधियां (क) शेयर पूंजी | 3 | 1,074,110 | 500,000 |
| | (ख) आरक्षित एवं अधिशेष | 4 | (2,920,305) | (3,595,247) |
| 2 | गैर—चालू दायिताएं (क) अन्य चालू दायिताएं | 5 | - | 574,110 |
| 3 | चालू दायिताएं | | | |
| | (क) अन्य चालू दायिताएं | 6 | 61,870,778 | 36,296,835 |
| | जोड़ | | 60,024,583 | 33,775,698 |
| II. | परिसंपत्तियां | | | |
| 1 | गैर—चालू परिसंपत्तियां | | | |
| | (क) अचल परिसंपत्ति | 7 | | |
| | (i)अमूर्त परिसंपत्तियां | | 931,972 | 1,222,985 |
| 2 | चालू परिसंपत्तियां | | | |
| | (क) नकद और बैंक शेष | 8 | 32,813,516 | 32,369,266 |
| | (ख) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम | 9 | 39,047 | 100 447 |
| | (ग) चालू परियोजना कार्य | 10 | 26,240,048 | 183,447 |
| | जोड़ | | 60,024,583 | 33,775,698 |

III. टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अंतर्निहित भाग है। यह हमारी आज की तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में तुलन पत्र है। 1 to 16

एएसएपी एंड एसोसिएट्स के लिए चार्टेंड एकाउंटेंट्स फर्म रजिस्ट्रेशन संख्याः 005713एन

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./-अनिल कुमार जैन भागीदार सदस्यता संख्या 084559 हस्ता. / — अशोक कृ गंजु निदेषक DIN:01970462

हस्ता. / – मुकुल जैन निदेशक DIN : 03121180

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 10.08.2015



HIGH SPEED RAIL CORPORATION OF INDIA LIMITED

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

Amount in ₹

| Particulars | Note | Figur | es as at |
|---|---------|-------------|-------------|
| | | 31.03.2015 | 31.03.2014 |
| I. EQUITY AND LIABILITIES | | | |
| 1 Shareholders' funds | | | |
| (a) Share capital | 3 | 1,074,110 | 500,000 |
| (b) Reserves and surplus | 4 | (2,920,305) | (3,595,247) |
| 2 Non Current liabilities | | | |
| (a) Other Long Term liabilities | 5 | - | 574,110 |
| 3 Current liabilities | | | |
| (a) Other current liabilities | 6 | 61,870,778 | 36,296,835 |
| Total | | 60,024,583 | 33,775,698 |
| II. ASSETS | | | |
| 1 Non Current Assets | | | |
| (a) Fixed assets | 7 | | |
| (i) Intangible assets | | 931,972 | 1,222,985 |
| 2 Current assets | | | |
| (a) Cash and Bank Balances | 8 | 32,813,516 | 32,369,266 |
| (b) Short-Term Loans and Advances | 9 | 39,047 | - |
| (c) Project work in Progress | 10 | 26,240,048 | 183,447 |
| Total | | 60,024,583 | 33,775,698 |
| III. Notes Forming Part of Financial Statements | 1 to 16 | | |

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

For ASAP & Associates **Chartered Accountants** FRN: 005713N

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-Sd/-Sd/-Ashok K Ganju **Anil Kumar Jain Mukul Jain** Partner Director Director M.No. 084559 DIN:01970462 DIN: 03121180

Place: New Delhi Date: 10.08.2015



भारतीय हाई स्पीड रेल निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एंव हानि का विवरण

राशि ₹ में

| | विवरण | टिप्पणी सं. | | |
|---|--|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए |
| I. | अन्य आय | 11 | 1,333,004 | 8,877 |
| | | | | |
| | कुल राजस्व | | 1,333,004 | 8,877 |
| II | व्यय: | | | |
| | (क) मूल्यहास और परिषोधन | 7 | 291,012 | 232,077 |
| | (ख) अन्य व्यय | 12 | 262,795 | 2,626,829 |
| | कुल व्यय | | 553,808 | 2,858,906 |
| III. | अपवादिक और असाधारण मदों पूर्व लाभ तथा कर (I-II) अपवादिक मदें | | 779,196 | (2,850,029) |
| IV. V. | असाधारण मर्दे तथा कर पूर्व लाभ (III - IV) | | - 779,196 | (2.950.020) |
| | असाधारण नर्द (व्या कर यूव लान (m - 10) | | 779,190 | (2,850,029) |
| | कर पूर्व लाभ (V- VI) | | 779,196 | (2,850,029) |
| | कर व्ययः | | 773,130 | (2,000,023) |
| • | (1) चालू कर | | 104,254 | - |
| | (2) अस्थगित कर | | - | - |
| IX. | चालू परिचालनों की अवधि के लिए लाभ (हानि) (VII-VIII) | | 674,942 | (2,850,029) |
| Χ. | बंद परिचालनों से लाभ / (हानि) | | - | - |
| | | | - | - |
| | बंद परिचालनों का कर व्यय | | | |
| | बंद परिचालनों (कर के बाद) से लाभ (हानि) (X-XI) | | - | - |
| | . अवधि के लिए लाम (हानि (XI + XIV) | | 674,942 | (2,850,029) |
| XIV | . प्रति इक्विटी शेयर अर्जन: | | 0.04 | (E7.00) |
| | (1) मूल (2) वनकर | | 8.94 6.28 | (57.00) (26.53) |
| χV | (2) तनुकृत . टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अंतर्निहित भाग है। | 1 to 16 | 0.20 | (20.33) |
| | हमारी आज की तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में तुलन पत्र | | | |
| | 3 | • | | |
| एए | सएपी एंड एसोसिएट्स के लिए | | | |
| | र्टेंड एकाउंटेंट्स | | बोर्ड के लिए एवं उन | की ओर से |
| फर्म | रजिस्ट्रेशन संख्याः 005713एन | | | |
| | हस्ता./— | हस्ता./– | | हस्ता./– |
| | अनिल कुमार जैन | अशोक कृ गंजु | | मुकुल जैन |
| | भागीदार | निदेशक | | निदेशक |
| 4 | मदस्यता संख्या 084559 | DIN:01970462 | | DIN: 03121180 |

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 10.08.2015



HIGH SPEED RAIL CORPORATION OF INDIA LIMITED

Statement of Profit & Loss for the year ended March 31st March 2015

Amount in ₹

| Particulars | Note | | |
|--|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | For The year Ended March 2015 | For The year Ended March 2014 |
| I. Other income | 11 | 1,333,004 | 8,877 |
| | | | |
| Total Revenue | | 1,333,004 | 8,877 |
| II. Expenses: | | | |
| (a) Depreciation and amortization | 7 | 291,012 | 232,077 |
| (b) Other Expenses | 12 | 262,795 | 2,626,829 |
| Total expenses | | 553,808 | 2,858,906 |
| III. Profit before exceptional and extraordinary items and tax (I-II) | | 779,196 | (2,850,029) |
| IV. Exceptional items | | - | - |
| V. Profit before extraordinary items and tax (III - IV) | | 779,196 | (2,850,029) |
| VI. Extraordinary Items | | - | - |
| VII. Profit before tax (V- VI) | | 779,196 | (2,850,029) |
| VIII. Tax expense: | | | |
| (1) Current tax | | 104,254 | - |
| (2) Deferred tax | | - | - |
| IX. Profit (Loss) for the period from continuing operations (VII-VIII) | | 674,942 | (2,850,029) |
| X. Profit/(loss) from discontinuing operations | | - | - |
| | | - | - |
| XI. Tax expense of discontinuing operations | | | |
| XII. Profit/(loss) from Discontinuing operations (after tax) (X-XI) | | - | - |
| XIII. Profit (Loss) for the period (XI + XIV) | | 674,942 | (2,850,029) |
| XIV. Earnings per equity share: | | | |
| (1) Basic | | 8.94 | (57.00) |
| (2) Diluted | | 6.28 | (26.53) |
| XV. Notes Forming Part of Financial Statements | 1 to 16 | | |
| This is the Balance Sheet referred to in our report of even date. | | | |

For ASAP & Associates

Chartered Accountants

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

FRN: 005713N

Sd/-Sd/-Sd/-Ashok K Ganju **Mukul Jain Anil Kumar Jain** Partner Director Director M.No. 084559 DIN:01970462 DIN: 03121180

Place: New Delhi Date: 10.08.2015



भारतीय हाई स्पीड रेल निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

राशि ₹ में

| | विवरण | f | टेप्पणी सं. | | |
|----|---|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए |
| क | परिचालनिक गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | | | |
| 7, | कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) एवं | | | 779,196 | (2,850,029) |
| | ब्याज आय | | | (1,333,004) | (8,877) |
| | जोड़े : मूल्यहास | | | 291,012 | 232,077 |
| | कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व | | | (262,795) | (2,626,829) |
| | परिचालन लाभ | | | | |
| | समायोजनः | | | | |
| | जोड़ेः चालू दायिताओं में वृद्धि (कमी) | | | 25,573,943 | 35,443,432 |
| | घटाएं: गैर-चालू दायिताओं में कमी | | | | (574,110) - |
| | घटाएं: गैर-चालू परिसंपत्तियों में कमी | | | - | 674,160 |
| | घटाएं: चालू परियोजना कार्य में कमी | | | (26,056,601) | (183,447) |
| | घटाएं: अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी | | | | (10,000) - |
| | घटाएं: भुगतान किया गया आयकर (रिफंड घटाकर) | | | (133,301) | - |
| | परिचालनिक गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह | | | (1,462,864) | 33,307,316 |
| ख | | | | | |
| | अचल परिसंपत्तियों / निवशों की खरीद | | | - | (1,455,062) |
| | प्राप्त ब्याज | | | 1,333,004 | 8,877 |
| | निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह | | | 1,333,004 | (1,446,185) |
| ग | | | | | |
| | इक्विटी षेयर पूंजी जारी करने से आय | | | 574,110 | |
| | वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह | | | 574,110 | <u>-</u> |
| | नकदी और नकदी के समतुल्य (क+ख+ग) में | | | | |
| | शुद्ध लाभ / (हानि) | | | 444,250 | 31,861,131 |
| | वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी के समतुल्य | | 8 | 32,369,266 | 508,135 |
| | अवधि के अंत में नकदी और नकदी के समतुल्य | | | 32,813,516 | 32,369,266 |
| | नकदी और नकदी के समतुल्य | | | | |
| | चैक इन हैंड | 0.10.516 | | | |
| | चालू खातें | 2,13,516 | | | |
| | चालू निक्षेप | 3,26,00,000 | | 32,813,516 | 32,369,266 |
| | | | | 32,013,310 | 32,309,200 |

- उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय चार्टड एकाउंटेंटस संस्थान द्वारा जारी एएस.3 में वर्णित अप्रत्यक्ष पद्धित के अंर्तगत तैयार किया गया है
- 2. यह आज की तिथि में हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में नकदी प्रवाह विवरण है एएसएपी एंड एसोसिएट्स के लिए चार्टेंड एकाउंटेंट्स फर्म रजिस्ट्रेशन संख्याः 005713एन

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता. / – अनिल कुमार जैन भागीदार सदस्यता संख्या 084559 स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 10.08.2015 हस्ता. / – अशोक कृ गंजु निदेशक DIN:01970462 हस्ता. / – मुकुल जैन निदेशक DIN : 03121180



HIGH SPEED RAIL CORPORATION OF INDIA LIMITED

Cash Flow Statement for the year ending March 31st ,2015

Amount in ₹

| | Particulars | Note | | |
|---|--|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | As at 31 March 2015 Rupees (₹) | As at 31 March 2014 Rupees (₹) |
| A | Cash Flow From Operating Activities | | | |
| | Net profit/(Loss) before Tax & | | 779,196 | (2,850,029) |
| | Interest Income | | (1,333,004) | (8,877) |
| | Add: Depreciation | | 291,012 | 232,077 |
| | Operating Profit before Working | | (262,795) | (2,626,829) |
| | Capital Changes | | | |
| | Adjustments for : | | | |
| | Add: Increase(Decrease) in Current Liabilities | | 25,573,943 | 35,443,432 |
| | Less: Decrease in Non Current Liabilities | | (574,110) | - |
| | Less: Increase in Non Current Assets | | - | 674,160 |
| | Less: Increase in Project Work in Progress | | (26,056,601) | (183,447) |
| | Less:Increase in Other Current Assets | | (10,000) | - |
| | Less: Income Tax Paid (Net of Refunds) | | (133,301) | - |
| | NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES | | (1,462,864) | 33,307,316 |
| В | Cash Flow From Investing Activities | | | |
| | Purchase of Fixed Assets/Investments | | - | (1,455,062) |
| | Interest Received | | 1,333,004 | 8,877 |
| | NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES | | 1,333,004 | (1,446,185) |
| C | Cash Flow From Financing Activities | | | |
| | Proceeds from Issue of Equity Share Capital | | 574,110 | - |
| | NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES | | 574,110 | - |
| | Net increase/(decrease) in Cash and | | | |
| | Cash Equivalents (A+B+C) | | 444,250 | 31,861,131 |
| | Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year | 8 | 32,369,266 | 508,135 |
| | Cash and Cash Equivalents at the end of the Period | | 32,813,516 | 32,369,266 |
| | Cash and Cash Equivalents comprises | | | |
| | Cheques in Hand | | | |
| | Current Accounts | 2,13,516 | | |
| | Flexi Deposits | 3,26,00,000 | | |
| | | | 32,813,516 | 32,369,266 |

The above Cash flow statement has been prepared under the indirect method setout in AS-3 issued by The Institute of Chartered
Accountants of India.

2. This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date.

For ASAP & Associates

Chartered Accountants FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

FRN: 005713N

 Sd/ Sd/ Sd/

 Anil Kumar Jain
 Ashok K Ganju
 Mukul Jain

 Partner
 Director
 Director

 M.No. 084559
 DIN:01970462
 DIN: 03121180

Place: New Delhi Date: 10.08.2015

हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1 सामान्य सूचना

हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इडिया लिमिटेड रेल विकास निगम लिमिटेड के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इस कंपनी का गठन 25 जुलाई, 2012 को कंपनी अधिनियम 1956 के उपबंधों के तहत योजनाएं बनाने, डिजाइन तैयार करने, विकास, निर्माण, विनिर्माण, एसेंबलिंग, फेब्रीकेटिंग, प्रोसेसिंग, संस्थापन, अनुरक्षण, परिचालन तथा रेल अवसंरचनाओं तथा संबंधित संभार तंत्र प्रणालियों के वित्तपोषण तथा उच्च गति रेल परियोजनाओं के देश एवं विदेश में चल स्टाक तथा अन्य रेल आधारित यातायात, जैसा भी भारत सरकार या रेल विकास निगम लिमिटेड या अन्य किसी सक्षम प्राधिकरी द्वारा अनुमोदित हो, के प्रयोजन से किया गया था।

2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार

2.1 नीतियों बनाने का आधार

ये वित्तीय विवरण उपार्जन आधार पर ऐतिहासिक लगत सिद्धांत के अंतर्गत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के पैरा ७ के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों का अनुपानलन करते हुए तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवणों को संभूति आधार और ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है। सभी परिसंपत्तियां तथा दायिताओं को कंपनी अधिनियम की अनुसूची प्यमें निर्धारित कंपनी के सामान्य परिचालन चक्रों तथा अन्य निर्धारित के रूप वर्गीकृत की गई हैं। उत्पाद की प्रकृति तथा परिसंपत्तियां के प्रापण की प्रक्रिया तथा उसे नकद या नकदी समतुल्य से प्रापण के बीच के समय के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों तथा दायिताओं के चालू, गैर—चालू वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु परिचालनिक चक्र 5 महीने का माना गया है। कंपनी अन्य मदों के वर्गीकरण के लिए 12 महीनों का चक्र चृना है।

2.2 अनुमानों का प्रयोग

सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन द्वारा अनुमान और आकलन तैयार किए जाने होते हैं।। ऐसे अनुमान िरपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और दायिताओं तथा वित्तीय विवरण की तारीख को आकिस्मक परिसंपत्तियों तथा दायिताओं के प्रकटन तथा प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष के लिए रिपोर्ट की गई राजस्व की राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

2.3 स्थिर परिसंपत्तियां एवं मृल्यहास

क) मूर्त परिसंपत्तियां

मूर्त परिसंपत्तियों को आवक माल भाड़ा, शुल्कों, करों और प्रापण संबधी आकिस्मक व्ययों सिहत प्रापण लागत पर बताया जाता है। स्थिर परिसंपत्तियों की किसी मद से संबंधित उत्तरवर्ती व्यय को बुक वैल्यू में जोड़ा जाता है यदि वे इसके प्रदर्शन के पिछले आकलन से अधिक मौजूदा परिसंपत्तियों से भावी लाभों को बढ़ाते है। स्थिर परिसंपत्तियों की मदें सक्रिय प्रयोग से रिटायर्ड कर दी गई है और उनको निपटान के लिए उनकी शुद्ध बुक वैल्यू अथवा वसूल किए जाने वाली वैल्यू पर बताया जाता है और वित्तीय विवरणों में पृथक रूप से दिखाया गया है। किसी भी संभावित हानि को तुरंत लाभ एवं विवरण में दिखाया जाता है। अधिवर्षिता से होनी वाली हानि, और स्थिर परिसंपत्तियों के निपटान से लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में दिखाया जाता है।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेंड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)26 "अमूर्त परिसंपत्तियां" में निर्धारित अर्हकताओं के अनुसार की जाती है और परिशोधित किया जाता है।

ग) मूल्यहास

मूल्यहास को कंपनी अधिनिमय, 2013 की अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित दरों पर परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर एसएलएम विधि पर यथानुपात आधार पर किया जाता है।

ग) अमूर्त परिसंपत्तियां का परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियों को निम्नानुसार परिशोधित किया जाता है:

- (क) कंपनी का प्रतीक चिह्न (लोगो): पांच वर्ष की अवधि में
- (ख) वेबसाइट लागत: पांच वर्ष की अवधि में

2.4 क्षति

लेखांकन मानक—28 परिसंपत्तियों को क्षित के अनुसार, कंपनी की परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को समीक्षा की जाती है कि क्या क्षित का कोई लक्षण है? यदि इस प्रकार का कोई लक्षण मौजूद है, परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि को शुद्ध विक्रय मूल्य और उपयोग की जाने वाली वैल्यू के उच्चतर पर अनुमानित किया जाता है। किसी क्षित को तभी स्वीकार किया जाता है जब भी किसी परिसंपत्ति की अग्रेषित राशि अथवा नकद सृजित करने वाली इकाई इसकी वसूलनीय राशि से अधिक हो जाती है। समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों का आर्थिक प्रदर्शन अनुमान से बुरा नहीं है और इसलिए तुलन पत्र की तिथि को किसी भी परिसंपित्ति में कोई क्षित नहीं है।

2.5 राजस्व की पहचान

- ब्याजः बैंकों में जमा साविध निक्षेप पर ब्याज से आय की गणना बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं।
- ii. आय की अन्य मदों का लेखांकन आय प्राप्त होने पर किया जाता है।

2.6 प्रावधान और आकस्मिकताएं

यदि पिछले किसी कार्य से वर्तमान में कोई दायिता का सृजन हो तो कंपनी उसके लिए प्रावधान करती है तथा इसके लिए संभवतः नकदी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और दायिता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकता है। जहां कहीं संभावित दायिता जिसके लिए संभवतः नकदी संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती हो या जहां दायिता का पक्का अनुमान तैयार नहीं किया जा



HIGH SPEED RAIL CORPORATION OF INDIA LIMITED

Notes to the financial statements

1 General Information

High Speed Rail Corporation of India Limited is a 100% Wholly Owned Subsidiary of Rail Vikas Nigam Limited . The Company was incorporated under the Provisions of the Company Act, 1956 on July 25, 2012 with the Object of carrying out Business related to Planning, designing, development, construction, manufacturing, assembling, fabricating, processing, installing, maintenance, operation, and financing of Railway Infrastructure and related logistic support systems, including rolling stock, of all types in India and abroad of High Speed Rail Projects and other rail based traffic, as may be approved by Government of India or Rail Vikas Nigam limited or any other such Competent Authority.

2 Summary of significant accounting policies

2.1 Basis of preparation

The financial statements of the company have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles in India (Indian GAAP). The company has prepared these financial statements to comply in all material respects with the accounting standards notified under section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules 2014. The financial statements have been prepared on an accrual basis and under the historical cost convention. All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as 5 years for purpose of current - non-current classification of assets and liabilities related to project work. Company has selected cycle of 12 months for clasification of other items.

2.2 Use of Estimate

The preparation of financial statements in conformity with Generally Accepted Accounting Principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses for the years presented. Actual results could differ from those estimates.

2.3 Fixed Assets & Depreciation

A) Tangible Fixed assets

Tangible Fixed Assets are stated at acquisition cost, inclusive of inward freight, duties, taxes and incidental expenses related to acquisition. Subsequent expenditures related to an item of fixed

asset are added to its book value only if they increase the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance. Items of fixed assets that have been retired from active use and are held for disposal are stated at the lower of their net book value or net realizable value and are shown separately in the financial statements. Any expected loss is recognized immediately in the Statement of Profit and Loss. Losses arising from the retirement of, and gains or losses arising from disposal of fixed assets which are carried at cost are recognized in the Statement of Profit and Loss.

B) Intangible Assets

Intangible assets are recognized as per the criteria specified in Accounting Standard (AS) 26 "Intangible assets" issued by the Institute of Chartered Accountant of India

C) Depreciation

Depreciation is provided on prorata basis on the SLM method over the estimated useful lives of the assets at the rates prescribed under Schedule II of the Companies Act, 2013

D) Amortization of intangible Assets.

Intangible Assets are amortised as follow:

- (a) Company Logo: Over a period of Five Years on prorata basis
- (b) Website Cost : Over a period of Five Years on prorata basis

2.4 Impairment

In accordance with Accounting Standard-28 Impairment of Assets (AS-28), the carrying amounts of Company's assets are reviewed at each Balance Sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the asset's recoverable amount is estimated as the higher of the net selling price and the value in use. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash generating unit exceeds its recoverable amount. On the basis of review, the management is of the opinion that the economic performance of Fixed Assets of the Company is not worse than expected and therefore there is no impairment of any assets as on the Balance Sheet date.

2.5 Revenue Recognition

- Interest: Interest income on Fixed Deposits with bank's is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.
- Other items of income are accounted for as and when the right to receive is established.

2.6 Provisions and contingencies

The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an



सकता, ऐसी स्थिति में आकस्मिक दायिता का प्रकटन तैयार किया जाता है।

2.7 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण, "नकदी प्रवाह विवरण" पर 'लेखा मानक 3' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर तैयार किया गया है तथा यह कंपनी के परिचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को प्रस्तुत करता है।

2.8 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर पश्चात लाभ / हानि को वर्ष के दौरान बकाया भारित औसत शेयरों से भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना शेयरधारकों को उस वर्ष दिए जाने वाले शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया औसत भारित शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।

2.9 प्रारंभिक / शेयर निर्गम व्यय

प्रांरभिक व्यय तथा शेयर निर्गम व्यय को उसी वर्ष बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जिस वर्ष यह व्यय किया जाता है।

2.10 चालू परियोजना कार्य

व्यय, जिनकी पहचान कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजना के साथ प्रत्यक्षतः की जा सकती है, उन्हें टिप्पणी संख्या 10 "आकिस्मक व्यय" के अंतर्गत "चालू परियोजना कार्य" से डेबिट किया गया है। निविदा की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां परियोजना की लागत से क्रेडिट की गई हैं।



outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of obligation. A disclosure of a contingent liability is made where there is a possible obligation that probably will not require an outflow of resources or where a reliable estimate of the obligation can not be made.

2.7 Cash Flow Statement

The Cash Flow Statement is prepared by the Indirect Method set out in "Accounting Standard 3" on "Cash Flow Statements" and presents the Cash Flows from Operating, Investing and Financing activities of the Company.

2.8 Earning Per Share

Basic earning per share is computed by dividing the profit/loss after tax by the number of weighted average shares outstanding during

the year. Diluted earning per share is calculated by dividing the net profit for the year attributable to equity shareholder by the weighted average number of equity shares outstanding during the period adjusted for all potential equity shares.

2.9 Preliminary / Share issue expenses

Preliminary expenses and Share issue Expenses are fully written off in the year in which they are incurred.

2.10 Project Work in Progress

Expenditure which can be directly identified with the Project undertaken by the company is debited to "Project Work in Progress" Under Note 10 'Incidental expenditure". Receipt from sale of tender is credited to cost of projects.



नोट 3 शेयर पूंजी

| विवरण | 31 मार्च 2015 को (राशि ₹ में) | 31 मार्च 2014 को (राशि ₹ में) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| प्राधिकृत | | |
| 10 रुपए प्रति शेयर के 50,00,000 इक्विटी शेयर | 50,000,000 | 50,000,000 |
| जारी | | |
| 10 रुपए प्रति शेयर के 1,07,411 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपए प्रति शेयर के 50,00,000 इक्विटी शेयर) | 1,074,110 | 500,000 |
| अंशदान एवं प्रदत्त | | |
| 10 रुपए प्रति शेयर के पूर्ण प्रदत्त 1,07,411 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपए प्रति शेयर के पूर्ण प्रदत्त 50,00,000 इक्विटी शेयर) | 1,074,110 | 500,000 |
| जोड़ | 1,074,110 | 500,000 |

नोट 3.1 वर्ष की शुरूआत में बकाया शेयरों और आलोच्य वर्ष के अंत में शेयरों का पुनर्मेलन

| विवरण | इक्विटी शेयर | |
|--|--------------|--------------|
| | संख्या | (राशि ₹ में) |
| वर्ष की शुरूआत में बकाया शेयर | 50,000 | 500,000 |
| वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर | 57,411 | 574,110 |
| वर्ष के दौरान शेयरों की पुनर्खरीद | | - |
| वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या | 107,411 | 1,074,110 |

नोट 3.2

यह कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (स्वामित्व धारक कंपनी के 6 नामितों सिहत) के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। रेल विकास निगम लिमिटेड के पास 107405 तथा इसके नामितों के पास 6 शेयर है तथा प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है।

नोट 3.3

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिन्हें इक्विटी शेयर ही कहा गया है तथा इनका सममूल्य ₹10 प्रति शेयर है। एक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। कंपनी समापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक तरजीही राशि के वितरण के उपरोंत कंपनी बची हुई किसी सी परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

नोट 3.4 ऐसे शेयरधारकों का विवरण जिनके पास कंपनी के कुल शेयरों का 5 प्रतिशत से अधिक है।

| विवरण | 31 मार्च 2015 को | |
|--|-----------------------|----------------|
| | धारक शेयरों की संख्या | धारिता प्रतिशत |
| रेल विकास निगम लिमिटेड (६ नामितों के साथ) — स्वामित्वधारक कंपनी (₹10 प्रति शेयर के पूर्ण प्रदत्त 107411 शेयर) | 107,411 | 100% |
| कुल | 107,411 | 100% |



NOTE 3 Share Capital

| Particulars | As at 31 March 2015 (Amount in ₹) | As at 31 March 2014 (Amount in ₹) |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Authorized | | |
| 50,00,000 Equity Shares of ₹10 each | 50,000,000 | 50,000,000 |
| Issued | | |
| 107411 Equity Shares of ₹10 each (Previous Year 50000 Equity Shares of ₹10 each | 1,074,110 | 500,000 |
| Subscribed & Paid up | | |
| Equity Shares fully paid 107411 at ₹10 per equity share (Previous Year 50000 Equity Shares of ₹10 each) | 1,074,110 | 500,000 |
| Total | 1,074,110 | 500,000 |

NOTE 3.1 Reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period

| Particulars | Equ | Equity Shares | |
|---|---------|---------------|--|
| | Number | (Amount in ₹) | |
| Shares outstanding at the beginning of the year | 50,000 | 500,000 | |
| Shares Issued during the year | 57,411 | 574,110 | |
| Shares bought back during the year | | - | |
| Shares outstanding at the end of the year | 107,411 | 1,074,110 | |

NOTE 3.2

The Company is a 100% Wholly Owned Subsidiary of Rail Vikas Nigam Limited (along with 6 Nominees of Holding Company). Rail Vikas Nigam Limited holds 107405 shares & its Nominee holds 6 shares, Face value of share is ₹10 each.

NOTE 3.3

The Company has only one class of equity shares referred to as equity shares having at par value of ₹10/-. Each holder of one equity share is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the company, the holders of equity shares shall be entitled to receive any of the remaining assets of the company, after distribution of all preferential amounts.

NOTE 3.4 Details of shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the Company

| Particulars | As at 31 March 2015 | |
|---|---------------------|--------------|
| | No. of Shares held | % of Holding |
| Rail Vikas Nigam Limited (along with 6 Nominees) -Holding Company (107411 shares fully paid up @ ₹10/- per share) | 107,411 | 100% |
| Total | 107,411 | 100% |



नोट 3.5 नकद से इतर समझे गए के लिए जारी किए गए शेयरों की समग्र संख्या

| विवरण | 31 मार्च 2015 को | 31 मार्च 2014 को |
|--|------------------|------------------|
| | संख्या | संख्या |
| नकद से समझे गए पूर्णतः प्रदत्त के रूप में आबंटित इक्विटी शेयरों | 57,411 | - |
| कुल | 57,411 | |

नोट 4 आरक्षित एवं अधिशेष

| विवरण | 31 मार्च 2015 को | 31 मार्च 2014 को |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| | (राशि ₹ में) | (राशि ₹ में) |
| लाभ एवं हानि | | |
| अथ शेष | -3,595,247 | -745,218 |
| जोड़ेः अवधि के लिए लाभ / (हानि) | 674,942 | -2,850,029 |
| इति शेष | -2,920,305 | -3,595,247 |

नोट 5 अन्य दीर्घकालिक दायिताएं

| विवरण | 31 मार्च 2015 को | 31 मार्च 2014 को |
|-------|------------------|------------------|
| | (राशि ₹ में) | (राशि ₹ में) |
| अन्य | - | 574,110 |
| कुल | - | 574,110 |

5.1 5,74,110 रुपए की उपरोक्त दायिता पिछले वर्ष रेल विकास निगम लिमिटेड (धारक कंपनी) द्वारा वहन किए प्रारंभिक व्यय में दर्शाई गई है। इसे वर्ष के दौरान शेयर पूंजी में बदला गया है।

नोट 6 अन्य चालू दायिताएं

| विवरण | 31 मार्च 2015 को | 31 मार्च 2014 को |
|---|------------------|------------------|
| | (राशि ₹ में) | (राशि ₹ में) |
| वैधानिक दायिताएं | 48,073 | 12,000 |
| परियोजना व्यवहार्य अध्ययन के लिए रेल मंत्रालय से अग्रिम | 30,000,000 | 30,000,000 |
| अन्य देय | 28,306,536 | 4,284,835 |
| बयाना राशि एवं प्रतिभूति राशि | 3,516,169 | 2,000,000 |
| कुल | 61,870,778 | 36,296,835 |



NOTE 3.5 Aggregate number of shares issued for consideration other than cash

| Particulars | As at 31 March 2015 | As at 31 March 2014 |
|---|---------------------|---------------------|
| | Numbers | Numbers |
| Equity shares allotted as fully paid-up for consideration other than cash | 57,411 | - |
| Total | 57,411 | - |

NOTE 4 Reserves & Surplus

| Particulars | As at 31 March 2015 | As at 31 March 2014 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | (Amount in ₹) | (Amount in ₹) |
| Profit & Loss | | |
| Opening balance | -3,595,247 | -745,218 |
| Add: Profit/ (Loss) For the Period | 674,942 | -2,850,029 |
| Closing Balance | -2,920,305 | -3,595,247 |

NOTE 5 Other Long Term Liabilities

| Particulars | As at 31 March 2015 | As at 31 March 2014 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| | (Amount in ₹) | (Amount in ₹) |
| Others | - | 574,110 |
| Total | - | 574,110 |

5.1 Above Liabilities of Rs. 5,74,110 appearing in previous represent Preliminary Expenses incurred by Rail Vikas Nigam Limited (Holding Company). The same has been converted into share capital instrument during the year.

NOTE 6 Other Current Liabilities

| Particulars | As at 31 March 2015 | As at 31 March 2014 |
|---|---------------------|---------------------|
| | (Amount in ₹) | (Amount in ₹) |
| Statutory Liabilities | 48,073 | 12,000 |
| Advance from Ministry of Railways for Project feasibility study | 30,000,000 | 30,000,000 |
| Other Payables | 28,306,536 | 4,284,835 |
| Earnest Money Deposit & Security Deposits | 3,516,169 | 2,000,000 |
| Total | 61,870,778 | 36,296,835 |



रेल विकास निगम लिमिटेड Rail Vikas Nigam Limited

हाई स्पीड रेल कॉरपोरेश ऑफ इंडिया लिमिटेड

| | | सकल | ब्लॉक | | | संचयी मूल्यहास | त्त्यहास | | शुद्ध ब्लॉक | लॉक |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| विवरण | 1 अप्रैल, 2014 को (₹) | संवर्धन (₹) | (निबटान) (₹) | 31 मार्च, 2015 को (₹) | 1 अप्रैल, 2014 को (₹) | वर्ष के दौरान मूल्यहास (₹) | निबटान (₹) | 31 मार्च, 2015 को (₹) | 31 मार्च, 2015 को (₹) | 31 मार्च, 2014 को (₹) |
| अमूर्त परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | |
| लोगो | 1,348,320 | - | - | 1,348,320 | 226,813 | 269,664 | 1 | 496,477 | 851,843 | 1,121,507 |
| वेबसाइट | 106,742 | 1 | | 106,742 | 5,264 | 21,348 | | 26,612 | 80,130 | 101,478 |
| जोड़ (क) | 1,455,062 | • | | 1,455,062 | 232,077 | 291,012 | • | 523,089 | 931,972 | 1,222,985 |
| पिछले वर्ष | • | 1,455,062 | 1 | 1,455,062 | - | 232,077 | • | 232,077 | 1,222,985 | • |



HIGH SPEED RAIL CORPORATION OF INDIA LIMITED

| S |
|----|
| ᇴ |
| SS |
| ĕ |
| 8 |
| eg |
| 쏦 |
| щ |
| _ |
| ш |
| 느 |
| 0 |

| | | GROSS | GROSS BLOCK | | | DEPRECIATION | IATION | | NET BLOCK | TOCK |
|-------------------|--|-------------------------|---------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|---|---|
| Particulars | As at 1st April 2014 Rupees (₹) | Additions Rupees (₹) | (Disposals) Rupees (₹) | As at 31st March 2015 Rupees (₹) | As at 1st April 2014 Rupees (₹) | Depreciation charge during the Year Rupees (₹) | On Disposals Rupees (₹) | As at 31st March, 2015 Rupees (₹) | As at As at 31st March 2015 2015 2014 Rupees (₹) Rupees (₹) | As at 31st March 2014 Rupees (₹) |
| Intangible Assets | | | | | | | | | | |
| Logo | 1,348,320 | 1 | 1 | 1,348,320 | 226,813 | 269,664 | 1 | 496,477 | 851,843 | 1,121,507 |
| Website | 106,742 | , | | 106,742 | 5,264 | 21,348 | | 26,612 | 80,130 | 101,478 |
| Total (A) | 1,455,062 | • | • | 1,455,062 | 232,077 | 291,012 | • | 523,089 | 931,972 | 1,222,985 |
| Previous Year | • | 1,455,062 | 1 | 1,455,062 | - | 232,077 | • | 232,077 | 1,222,985 | |
| | | | | | | | | | | |



नोट 8 दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

| विवरण | 31 मार्च 2015 को | 31 मार्च 2014 को |
|------------------|------------------|------------------|
| | (राशि ₹ में) | (राशि ₹ में) |
| नकदी एवं समतुल्य | | |
| बैंक शेषः | | |
| चालू खाता | 213,516 | 219,266 |
| नम्य निवेश | 32,600,000 | 2,150,000 |
| चैक इन हैंड | - | 30,000,000 |
| जोड़ | 32,813,516 | 32,369,266 |

नोट 9 लघुकालिक ऋण और अग्रिम

| विवरण | 31 मार्च 2015 को | 31 मार्च 2014 को |
|---|------------------|------------------|
| | (राशि ₹ में) | (राशि ₹ में) |
| अन्य ऋण और असुरक्षित अग्रिम लेकिन अच्छे समझे जाते हैं | | |
| अग्रिम कर एवं स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध) | 29,047 | - |
| अन्य अग्रिम | 10,000 | - |
| जोड़ | 39,047 | - |

नोट 10

| विवरण | 1 अप्रैल, 2014 को | वृद्धि | 1 अप्रैल, 2015 को |
|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | (राशि ₹ में) | (राशि ₹ में) | (राशि ₹ में) |
| चालू परियोजना कार्य | | | |
| पीपीई (आकस्मिक व्यय) | 303,447 | 583,428 | 886,875 |
| प्रारंभिक परियोजना व्यय | - | 813,183 | 813,183 |
| आकस्मिक व्यय | | 24,819,990 | 24,819,990 |
| घटाएं: निविदा की बिक्री | -120,000 | -160,000 | -280,000 |
| जोड़ | 183,447 | 26,056,601 | 26,240,048 |

नोट 11 अन्य आय

| विवरण | मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए | मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए |
|---------------------|---|---|
| | (राशि ₹ में) | (राशि ₹ में) |
| नम्य निवेश पर ब्याज | 1,333,004 | 8,877 |
| जोड़ | 1,333,004 | 8,877 |



NOTE 8 Cash and Bank Balances

| Particulars | As at 31 March 2015 | As at 31 March 2014 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | (Amount in ₹) | (Amount in ₹) |
| Cash and cash equivalents | | |
| Balances with banks: | | |
| Current Account | 213,516 | 219,266 |
| Flexi Deposits | 32,600,000 | 2,150,000 |
| Cheques In Hands | - | 30,000,000 |
| Total | 32,813,516 | 32,369,266 |

Note 9: Short-term loans and advances

| Particulars | As at 31 March 2015 | As at 31 March 2014 |
|---|---------------------|---------------------|
| | (Amount in ₹) | (Amount in ₹) |
| Other loans and advances Unsecured, considered good | | |
| Advance Tax & TDS (Net) | 29,047 | - |
| Other Advances | 10,000 | - |
| Total | 39,047 | - |

NOTE 10

| Particulars | As at 1st April 2014 | Additions | As at 1st April 2015 |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | (Amount in ₹) | (Amount in ₹) | (Amount in ₹) |
| Project work In progress | | | |
| PPE(Incidental Expenses) | 303,447 | 583,428 | 886,875 |
| Preliminary Project Expenditure | - | 813,183 | 813,183 |
| Incidental Expenditure | | 24,819,990 | 24,819,990 |
| Less: Sale of Tender | -120,000 | -160,000 | -280,000 |
| Total | 183,447 | 26,056,601 | 26,240,048 |

NOTE 11 Other Income

| Particulars | For The year Ended March 2015 For The year Ended Marc | |
|---------------------------|---|---------------|
| | (Amount in ₹) | (Amount in ₹) |
| Interest on Flexi Account | 1,333,004 | 8,877 |
| Total | 1,333,004 | 8,877 |



नोट 12 अन्य व्यय

| विवरण | मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए | मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए |
|---------------------------|---|---|
| | (राशि ₹ में) | (राशि ₹ में) |
| विधिक एवं व्यवसायिक शुल्क | 90,188 | 109,016 |
| व्यवसायिक प्रोत्साहन | - | 2,391,543 |
| अन्य व्यय | 93,871 | 42,833 |
| लेखापरीक्षकों को भुगतान | - | |
| लेखा परीक्षक के रूप में – | 78,652 | 67,416 |
| विधिक लेखा परीक्षा | | |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय | - | 14,960 |
| विविध व्यय | - | 1,061 |
| बैंक शुल्क | 84 | - |
| जोड़ | 262,795 | 2,626,829 |

- नोट 12.1 हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तुलन पत्र तिथि को कंपनी के दैनिक कार्य करने के लिए कोई कर्मचारी, परिसर अथवा अन्य प्रशासनिक स्रोत नहीं है। कंपनी के सभी दैनिक कार्य रेविनिलि द्वारा किए जा रहे हैं, तदुनसार आरवीएनएल ने एचएसआरसी के प्रशासनिक व्यय के लिए यथानुपातिक लागत को प्रभारित किया है।
- नोट 13 "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम 2006" में किए गए उल्लेखानुसार किसी भी ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के बारे में रिपोर्ट नहीं किया गया है जिससे कंपनी को कुछ देय हो।
- नोट 14 अन्य प्रकटन विदेशी मुद्रा में व्यय — ₹78,78,548 (पिछले वर्ष शून्य)
- नोट 15 संबंधित पार्टी प्रकटन
- 15.1 संबंधित पार्टी एवं संबंध की प्रकृति

| संबंधित पार्टी का नाम | संबंध की प्रकृति |
|-----------------------------------|---------------------|
| रेल विकास निगम लिमिटेड (रेविनिलि) | स्वामित्वधारक कंपनी |
| सतीश चंद्र अग्निहोत्री | निदेशक |
| विजय आनंद | निदेशक |
| अशोक कृष्ण गंजू | निदेशक |
| मुकुल जैन | निदेशक |

15.2 पार्टियों के साथ व्यवसाय का प्रकटन

| संबंधित पार्टी का नाम | 31 मार्च 2015 को | 31 मार्च 2014 को |
|---|------------------|------------------|
| | (राशि ₹ में) | (राशि ₹ में) |
| रेल विकास निगम लिमिटेड (रेविनिलि) | | |
| बकाया दायिता को शेयर पूंजी में अंतरण | 574,110 | - |
| एचएसआरसी की ओर से रेविनिलि द्वारा वहन किए गए व्यय | 28,091,772 | 3,483,919 |

15.3 संबंधित पार्टियों के बकाया शेष

| संबंधित पार्टी का नाम | 31 मार्च 2015 को | 31 मार्च 2014 को |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | (राशि ₹ में) | (राशि ₹ में) |
| रेल विकास निगम लिमिटेड (रेविनिलि) | 28,034,512 | 4,719,978 |



NOTE 12 Other expenses

| Particulars | For The year Ended March 2015 For The year Ended March 201 | |
|-------------------------------|--|---------------|
| | (Amount in ₹) | (Amount in ₹) |
| Legal & Professional Fees | 90,188 | 109,016 |
| Business Promotion | - | 2,391,543 |
| Office Expenses | 93,871 | 42,833 |
| Payment to Auditors: | - | |
| As Auditors - Statutory Audit | 78,652 | 67,416 |
| Repair & Maintenance Expenses | _ | 14,960 |
| Miscellaneous Expenses | - | 1,061 |
| Bank charges | 84 | - |
| Total | 262,795 | 2,626,829 |

NOTE 12.1: As on balance sheet date High Speed Rail Corporation of India Limited does not have any staff, premises or other administrative resources for day to day operations of company. All day to day operations of company are being carried by RVNL accordingly RVNL has charged proportionate cost towards administrative expenses to HSRC

NOTE 13: There are no reported Micro, Small and Medium enterprises as defined in the "The Micro, Small & Medium Enterprises Development Act 2006" to whom the company owes dues.

NOTE 14: Other Disclosures

Expenditure in Foreign Currency - 78,78,548/- (Previous Year Nil)

NOTE 15 Related Party Disclosures

15.1 Related Parties & Nature of Relationship

| Name of Related Party | Nature of Relationship |
|---------------------------------|------------------------|
| Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) | Holding Company |
| Satish Chandra Agnihotri | Director |
| Vijay Anand | Director |
| Ashok Krishna Ganju | Director |
| Mukul Jain | Director |

Note 15.2: Disclosure of transaction with related parties

| Name of the related Party | As at 31 March 2015 | As at 31 March 2014 |
|--|---------------------|---------------------|
| | (Amount in ₹) | (Amount in ₹) |
| Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) | | |
| Conversion of outstanding liabilities into share capital | 574,110 | - |
| Expenditure Incurred by RVNL on behalf of HSRC | 28,091,772 | 3,483,919 |

15.3 Outstanding balances of related parties

| Name of the related Party | As at 31 March 2015 | As at 31 March 2014 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | (Amount in ₹) | (Amount in ₹) |
| Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) | 28,034,512 | 4,719,978 |



16. चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना किए जाने योग्य बनाए जाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़ो को पुनःसमूहबद्ध एवं पुनःव्यवस्थित किया गया है।

ये नोट हमारे तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा इसी दिनांक को की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में है।

एएसएपी एंड एसोसिएट्स के लिए चार्टेड एकाउंटेंट्स फर्म रजिस्ट्रेशन संख्याः 005713एन

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./-अनिल कुमार जैन भागीदार

सदस्यता संख्या 084559

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 10.08.2015

हस्ता./-अशोक कृ गंजु निदेशक DIN:01970462

हस्ता./-मुकुलं जैन निदेशक

DIN: 03121180



16. Previous year's figures have been regrouped and rearranged, wherever necessary to make comparable with those of the current year.

These are the notes referred to in Balance Sheet, Statement of Profit & Loss and our report of even date.

For ASAP & Associates **Chartered Accountants**

FRN: 005713N

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-**Anil Kumar Jain** Partner M.No. 084559

Place: New Delhi Date: 10.08.2015

Sd/-Ashok K Ganju Director DIN:01970462

Mukul Jain Director DIN: 03121180

Sd/-





1. टेम्पल काम्पलेक्स,

तिलक ब्रिज, नई दिल्ली - 110001

कार्यालय फोन: 011-2337 1637, 2337 1937

ईमेल : info@asap.net.in वेबसाइट : www.asap.net.in

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में

सदस्य,

हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्टहमने **हाई स्पीड रेल निगम इंडिया लिमिटेड** ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2015 को लाभ और हानि, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल वित्तीय विरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मदों के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनियों (लेखा) के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सिहत भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और रोकड़ प्रवाह की एक सच्ची और सिही तस्वीर पेश करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की पिरसंपत्तियों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए; उचित लेखांकन पद्धतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान तैयार करना है जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना है जो वित्तीय विववरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है जो सही एवं सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते है और किसी भी मिथ्या कथन से मुक्त हो, चाहे वे धोखाधड़ी हो या चूक से हो, शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय प्रस्तुत करना है।

हमने उन सभी अधिनियम, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और मुद्दों के प्रावधानों का ध्यान रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। वे मानक अपेक्षित है जिनका अनुपालन हम नैतिक आवश्यकताओं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करने और लेखा परीक्षा करने के लिए करते है ताकि वित्तीय विवरण किसी भी मिथ्या कथन से मुक्त हो।


किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में धनराशि और प्रकटन के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पद्धितयों का निष्पादन शामिल है। चुनी गई पद्धित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों के मिथ्या कथन के जोखिम का आकलन करना शामिल है, चाहे ये धोखाधड़ी से हो या चूक से। इन जोखिम आकलनों को तैयार करने में, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में नियंत्रक कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो लेखा परीक्षा को डिजाइन करने के संबंध में एक सच्ची और सही तस्वीर पेश करते हो जोिक उन स्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन किसी अभिमत को व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए न हो, चाहे नियंत्रक कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो और ये नियंत्रण कुशलता से कार्य कर रहे हो। किसी लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तैयार लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगित के साथ—साथ समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जो हमने प्राप्त किए हैं, वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त है।

अभिमत

हमारे अभिमत और हमें उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वितीय विवरण 31 मार्च, 2015 को कंपनी के मामलों की स्थिति; वर्ष के अंत की तिथि को उनके लाभ और उनके रोकड़ प्रवाह के संबंध में अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना देते है, इस तरह देते है जो अपेक्षित है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एक सच्ची और सही तस्वीर पेश करते हैं।





 Temple Complex, Shiv Mandir, Tilak Bridge, New Delhi - 110001

OFFICE PHONE: 011-2337 1637, 2337 1937

Email: info@asap.net.in Website: www.asap.net.in

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of

High Speed Rail Corporation of India Limited

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of High Speed Rail Corporation of India Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31March, 2015, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view inconformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31March, 2015, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.



अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- 1. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2015 ("आदेश") द्वारा जैसा अपेक्षा की गई है, हम आदेश के पैरा 3 औरर 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।
- 2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा जैसा अपेक्षा की गई है, हम रिपोर्ट करते हैं, किः
 - (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगें और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
 - (ख) हमारे अभिमत से कानून द्वारा जैसा अपेक्षित था, उसके अनुसार यथोचित लेखा पुस्तकों को रखा गया था, जैसा इन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है।
 - (ग) इस रिपोर्ट द्वारा देखे जाने वाले तुलन पत्र, लाभ एवं हानि और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के अनुसार है।
 - (घ) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में है।
 - (ड़) 31 मार्च, 2015 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों और निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
 - च) कंपनी (लेखा और लेखा परीक्षक) नियमों, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मदों के संबंध में, हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः
 - i. कंपनी की कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जिसका प्रभाव इसकी वित्तीय स्थिति पर पड़ता;
 - ii. कंपनी के पास व्यूत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर पहले से देखी गई किसी प्रकार की वास्तविक हानि नहीं थी।
 - iii. ऐसी कोई भी राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

कृते एएसएपी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 005713N)

स्थानः नई दिल्ली दिनांक:-10.08.2015 (MN0.84559)



Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
- 2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief wer necessary for the purposes of our audit.
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - (d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - (e) On the basis of the written representations received from the directors as on31March, 2015 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31March, 2015 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
 - (f) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position;
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For **ASAP & Associates**

Chartered Accountants (Firm's Registration No. 005713N)

Anil Jain
Partner

(M No.84559)

Place:- New Delhi, Date:- 10.08.2015



स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक

(समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैरा 1 में संदर्भित)

- i. स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में:
 - (क) कंपनी ने उचित रिकार्ड तैयार किए है जो मात्रात्मक विवरण और स्थिर परिसंपत्तियों सहित पूरे ब्यौरों को दर्शाते हैं।
 - (ख) कंपनी के पास सभी मदों को शामिल करने के लिए स्थिर परिसंपत्तियों के सत्यापन का एक प्रभावी कार्यक्रम है, जो हमारे विचार से, कंपनी के आकार एवं इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुपालन में, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कितपय स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था। हमें उपलब्ध सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई थी।
- ii. कंपनी के पास कोई वस्तूस्ची नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- iii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत तैयार रिजस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित, किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया है।
- iv. हमारे अभिमत और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी का आकार और व्यापार की प्रकृति को देखते हुए वहां उसके अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धतियां है। वर्ष के दौरान कंपनी के परिचालन ने वस्तुसूची की खरीद और माल की बिक्री को नहीं बढ़ाया था। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में किसी बड़ी कमजोरी का प्रेक्षण नहीं किया है।
- v. हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनीं ने वर्ष के दौरान जनता से किसी जमा को स्वीकार नहीं किया है। कंपनी के पास बिना दावे वाली कोई भी जमा नहीं है और तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधान कंपनी पर नहीं लागू होते हैं।
- vi. हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार ने कंपनी को किसी भी उत्पाद को अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण करना निर्धारित नहीं किया है।
- vii. सांविधिक बकायों के संबंध में हमें उपलब्ध सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः
 - (क) कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि, आय कर, सेवा कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकायों सिहत विवाद रहित सांविधिक बकायों को उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है।
 - (ख) 31.03.2015 को कोई भी सांविधिक बकाया अपनी देय होने की तिथि से छः माह से अधिक की अविध के लिए भविष्य निधि, आय कर, सेवा कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकायों सिहत विवाद रहित सांविधिक बकाये देय नहीं है। हम सूचित किया गया था कि वर्ष के दौरान कंपनी का परिचाल कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा—शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य विधित कर के लिए कोई दायिता उत्पन्न नहीं हुई थी।
 - (ग) हमें सूचित किया गया था कि विवाद के कार आय कर, सेवा कर और उपकर के संबंध में कोई भी बकाया नहीं है।
 - (घ) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और इसके संबंध में बनाए नियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में किसी धन राशि को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।
- viii. वर्ष के अंत में कंपनी के पास कोई संचयी हानियां नहीं है और कंपनी ने हमारी लेखा परीक्षा के दौरान चालू वित्तीय वर्ष और तत्कालीन पूर्ववर्ती वर्षों में किसी रोकड़ हानि को वहन नहीं किया है।
- ix. हमें उपलब्ध कराई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा जांचे रिकार्डों कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान और बैंक से न तो कोई ऋण लिया और न ही किसी ऋणपत्र को जारी किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 ;पगद्ध के प्रावधान कंपनी पर नहीं लागू होते हैं।
- x. हमें उपलब्ध कराई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्य द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।
- xi. लेखों और संबंधित रिकार्डों की जांच और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कोई मियादी ऋण प्राप्त नहीं किया है।
- xii. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं पाया गया है।

कृते **एएसएपी एंड एसोसिएट्स** चार्टर्ड अकाउंटेंटस

(फर्म पंजीकरण संख्या 005713N)

अनिल जैन

(M No.84559)

स्थानः नई दिल्ली दिनांक:- 10.08.2015



ANNEXURE TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

- i. In respect of its fixed assets:
 - (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
 - (b) The Company has an efficient program of verification of fixed assets to cover all the items, which in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the program, certain fixed assets were physically verified by the Management during the year. According to the information and explanations given to us no material discrepancies were noticed on such verification.
- ii. The Company does not have any inventory. Accordingly, the provisions of Clause 3 (ii) of the Order are not applicable to the Company.
- iii. The Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013.
- iv. In our opinion and according to the information and explanations given to us there is an adequate internal control system commensurate with the size of the Company and the nature of its business with regard to purchase of fixed assets. The Company's operations did not give rise to purchase of inventory and sale of goods during the current year. During the course of our audit, we have not observed any major weakness in such internal control system.
- v. According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposit during the year. The Company does not have any unclaimed depoists and accordingly, the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 is not applicable to the Company.
- vi. According to the information and explanations given to us, the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under subsection (1) of Section 148 of the Companies Act, 2013 for the Company.
- vii. According to the information and explanations given to us in respect of statutory dues:
 - (a) The Company has been generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, Income-tax, Service Tax, Cess and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities.
 - (b) There were no undisputed amounts payable in respect of Provident Fund, Income-tax, Service Tax, Cess and other material statutory dues dues in arrears as at March 31, 2015 for a period of more than six months from the date they became payable.
 - We are informed that the operations of the Company during the year did not give rise to any liability for Employees State Insurance, Sales Tax, Wealth Tax, Custom Duty, Excise Duty and Value Added Tax.
 - (c) We are informed that there are no dues in respect of Income Tax, Service Tax and Cess which have not been deposited on account of any dispute
 - (d) There are no amounts that are due to be transferred to the Investor Education and Protection Fund in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and Rules made thereunder.
- viii. The Company does not have accumulated losses at the end of the financial year and the Company has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and in the immediately preceding financial year.
- ix. According to the information and explanations given to us and the records examined by us, the Company has not taken any loans from financial institutions and banks nor has it issued any debentures. Accordingly, the provisions of clause 3 (ix) of the Order are not applicable to the Company.
- x. According to the information and explanations given to us, the Company has not given guarantees for loans taken by others from banks and financial institutions.
- xi. Based on the examination of the books of account and related records and according to the information and explanations provided to us, no term loans were obtained by the Company.
- xii. To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.

For ASAP & Associates

Chartered Accountants (Firm's Registration No. 005713N)

Anil Jain
Partner
(M No.84559)

Place:- New Delhi, Date:- 10.08.2015



गोंपनीय



भारतीय लेखा परीक्षा एवम् लेखा विभाग कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्ष, रेलवे—वाणिज्यिक काफमो, भारतीय रेल, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली—110 002

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR AUDIT (RLY-COMMERCIAL) COFMOW, INDIAN RAILWAYS, TILAK BRIDGE, NEW DELHI- 110002

सं.पीडीए / आरसी / पीएसयू / 32-21 / एचएसआरसी / 2015-16 / 390

सेवा में,

मुख्य वित्त अधिकारी, हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कमरा नं. 260, प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली—110066

विषयः 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए हाई स्पीड रेल कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकी की टिप्पणी।

महोदय,

वर्ष 2014—15 के लिए हाई स्पीड रेल कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत 'शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र' संलग्न है। शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया जाए। कंपनी की मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की छः प्रतियां यथाशीघ्र हमारे कार्यालय को भेजने का कष्ट करें। कृपया पत्र की पावती उपलब्ध कराएं।

आपका,

हस्ता./-

दिनांक: 11.09.2015

(दिनेश भार्गव) प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, (रेलवे वाणिज्य)

संलग्नकः यथोक्त



Confidential



भारतीय लेखा परीक्षा एवम् लेखा विभाग कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्ष, रेलवे—वाणिज्यिक काफमो, भारतीय रेल, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली—110 002

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR AUDIT (RLY-COMMERCIAL) COFMOW, INDIAN RAILWAYS, TILAK BRIDGE, NEW DELHI- 110002

No. PDA/RC/PSU/32-21/HSRC/2015-16/390

To

The Chief Financial Officer,
High Speed Rail Corporation of India Limited,
Room No. 260, 1st Floor, August Kranti Bhavan,
Bikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi — 110 066

Subject: Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements o f High Speed Rail Corporation of India Limited, New Delhi for the year ended 31st March 2015.

Sir,

The Nil Comments Certificate under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **High Speed Rail Corporation of India Limited**, **New Delhi** for the year 2014-15 is enclosed. The Nil Comments Certificate on the Financial Statements may be placed before the Annual General Meeting along with Financial Statements of the Company in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013. Six copies of the printed Annual Report of the Company may please be sent to this office the earliest.

Receipt of the letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Dated: 11.09.2015

Encl: As above

sd/-(Dinesh Bhargav) Principal Director of Audit (Railway Commercial)



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के भानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के अधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करने की जिम्मेदारी है। कहा गया है कि उनके द्वारा यह कार्य दिनांक 10.08.2015 की उनकी लेखा रिपोर्ट के तहत किया गया है।

मैने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वितीय विवरण की अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों को देखे बगैर की गई और यह कुछ लेखांकन रिकार्ड की जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा की गई लेखा—परीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी सामने नहीं आई है, जिसके कारण सांविधिक लेखा—परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी करने पड़ें या इसमें कुछ जोड़ना पड़े।

भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और की ओर से

हस्ता. / – (दिनेश भार्गव) प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, (रेलवे वाणिज्य)

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 11.09.2015

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT,2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF HIGH SPEED RAIL CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2015

The preparation of financial statements of **HIGH SPEED RAIL CORPORATION OF INDIA LIMITED**, New Delhi for the year ended 31 March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 10-08-2015.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of **HIGH SPEED RAIL CORPORATION OF INDIA LIMITED** for the year ended 31 March 2015. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors is limited primarily to inquires of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on the behalf of the Comptroller & Auditor General of India

Sd/-(Dinesh Bhargav) Principal Director of Audit (Railway Commercial)

Place: New Delhi Date: 11-09-2015





1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066 Tel.: +91-26738195 Fax: +91-11-26182957 Website: www.rvnl.org